IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

29 जून 2022

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir/Madam,

Annual Report for FY 2021-22

In terms of Regulation 34 and 53 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report of IDBI Bank for the FY 2021-22 along with the Notice of the 18th AGM of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

भवदीया,

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

29/6/2022

[ज्योति नायर]

कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005, फोन-(022) 66552711/ 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की **18वीं वार्षिक महासभा शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पूरी तरह से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)** से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा यथा 31 मार्च 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएन: 03022106), उप प्रबंध निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

3. श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754), एलआईसी के नामिती निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹5000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए] या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है."

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005, Phone-(022) 66552711 / 3147

E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **18th Annual General Meeting** of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Friday, July 22, 2022 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM),** to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2022 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the audited consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2022;

2. To re-appoint Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN:03022106), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

3. To re-appoint Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN: 06638754), LIC Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of Members of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10/- each and aggregating up to ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/ guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी), ईएसपीएस, ईएसओपी और/या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हो, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशकों अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जाए/की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू क़ानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुन: अधिनियमन शामिल है), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री मनोज सहाय (डीआईएन 08711612), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 28 अप्रैल 2022 से बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of Public Issue, Rights Issue, Qualified Institutional Placement (QIP), ESPS, ESOP and/or on a Private Placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/ guidelines."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Directors or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** in compliance of Article 116(1) (v) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. April 28, 2022."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल है), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन 09584577), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 28 अप्रैल 2022 से बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू क़ानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल है), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री राज कुमार (डीआईएन 06627311), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 19 मई 2022 से बैंक के बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है."

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक विधि प्रावधानों (किसी भी संशोधन (संशोधनों), सांविधिक आशोधन (संशोधनों) अथवा उनके तात्कालिक पुनर्अधिनियमों सहित) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/गठन की जाने वाली किसी भी समिति (समितियां)शामिल हैं) को बैंक के एक सहबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेन की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हो अथवा साथ-साथ किए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पूरा करने और/ या जारी रखने की पुष्टि करते हैं तथा इसके लिए अनुमोदन भी प्रदान करते हैं:

1) एलआईसी से चालू खाता जमा या सावधि जमा ("जमा") और उस पर ब्याज सहित जमा (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से);

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (v) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. April 28, 2022."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (iv) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Raj Kumar (DIN: 06627311) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. May 19, 2022."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

1) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits ("Deposits") from LIC and interest thereon;

2) बैंक की संबंधित नीतियों और प्रयोज्य विधि के तहत अनुमत शर्तों और मानदंडों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि आदि सहित) पर एलआईसी को अनुमत राशि तक किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधा अथवा किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधा तथा/ अथवा गारंटी, साख पत्र अथवा गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करना; तथा

3) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज और उसकी मोचन राशि का भुगतान

4) बीमा उत्पादों और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा/ अथवा बैंक/ इसकी सहायक कंपनियों को निम्न कार्य के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/ सेवाओं का हस्तांतरण: (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं, बीमा सेवाओं, परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क, अनुबंध शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से प्राप्त अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किया गया व्यय करने के लिए.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन, चाहे व्यक्तिगत रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, ₹1,000 करोड़ से अथवा बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से, इनमे से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का प्रमुख हिस्सा हों, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र और समान स्तर के पक्षकार से तथा बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड (इस पद के अंतर्गत बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ गठित की गई या इसके बाद गठित की जाने वाली समिति शामिल है) द्वारा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएँ तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी (रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए सभी या किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन करने की पुष्टि करते हैं और अनुमोदन करते हैं.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.
दिनांक : 23 जून 2022

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.

2. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करना है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021, 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं.17/2020, 5 मई 2020 के परिपत्र सं.20/ 2020 के साथ पठित दिनांक 05 मई 2022 के परिपत्र सं.02/2022 तथा

2) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank; and

3) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof.

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

5) Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from/ to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank.

notwithstanding the fact that such contracts/arrangements/ transactions during a Financial Year, whether individually and/ or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/ arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 23 , 2022

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.

2. In view of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/एफ/2020/11 और दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ /सीएफडी /सीएमडी1/ सीआईआर/एफ/2020/79 के साथ पठित दिनांक 13 मई 2022 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 के अनुसरण में सदस्य आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में अपनी उपस्थिति एवं सहभागिता वीसी/ओएवीएम माध्यम से दर्ज करा सकते हैं.

3. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 के साथ पठित 5 मई 2022 के परिपत्र सं. 20/2022 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर उनके लिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान कर सकते हैं.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. बैंक, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2021, 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 05 मई 2020 के साथ पठित 05 मई 2022 के परिपत्र के अनुसरण में महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 05 मई 2022 के परिपत्र सं. 02/2022 अनुपालन में वार्षिक महासभा में बुलाए जाने की नोटिस बैंक की वेबसाईट www.idbibank.in पर अपलोड की गई है. यह एजीएम नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी देखी की जा सकती है. वार्षिक महासभा की नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.

8. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, यूनिट आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं.

No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 read with Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

3. Pursuant to the Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated May 05, 2022 read with January 13, 2021, April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

7. In line with the MCA Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com .

8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit IDBI Bank, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad– 500 032 [Tel. No.

(040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल:einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 डटेलीफोन नं. (022) 66553147/2711/3062/3336, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध रहेंगे जिसके लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करना होगा.

11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस में नीचे दिए गए हैं.

12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **शनिवार, 16 जुलाई 2022 से शुक्रवार, 22 जुलाई 2022** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **15 जुलाई 2022** (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 18 जुलाई 2022 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरू होगी और गुरुवार, 21 जुलाई 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में यथा रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात् 15 जुलाई 2022 को दर्ज हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकते हैं. शेयरधारकों के मताधिकार यथा निर्दिष्ट तारीख, जो 15 जुलाई 2022 है, को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार वोट करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार "दो चरण" शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

अ) ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन पद्धति तथा डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर दिनांक 09 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपत्र की शर्तों के अनुसार, डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटिरियों या डिपॉजिटिरी सहभागियों के पास खोले गए डिमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाती है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डिमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित करें.

(040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/2711/3062/3336, E-mail : idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, July 16, 2022 to Friday, July 22, 2022** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **July 15, 2022** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The **remote e-voting period begins on and from Monday, July 18, 2022 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Thursday, July 21, 2022 at 5.00 P.M. (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. July 15, 2022, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being July 15, 2022.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है :

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. यदि आप **एनएसडीएल की आईडीईएएस सुविधा** के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो कृपया आप एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट पर जाएँ. व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://eservices.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-सर्विसेस का होम पेज खुलते ही "Login" के अंतर्गत **"Beneficial Owner"** आइकॉन पर क्लिक करें जो **"IDeAS"** सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 2. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. **"Register Online for IDeAS"** पोर्टल सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप "NSDL Speede" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. If you are already registered for **NSDL IDeAS facility,** please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the **"Beneficial Owner"** icon under "Login" which is available under **"IDeAS"** section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider - NSDL** and you will be re-directed to NSDL e-Voting website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS"** Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider - NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play

वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. वर्तमान यूजर जिन्होंने Easi/ Easiest का चुनाव किया है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. Easi / Easiest को लॉगिन करने हेतु यूजर के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है तथा इसके बाद New System Myeasi पर क्लिक करें. 2. Easi/Easiest का सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद यूजर ई-वोटिंग मेनू भी देख पाएंगे. मेनू के पास **ई-वोटिंड सर्विस प्रदाता, अर्थात एनएसडीएल** के लिंक होंगे. अपना मतदान करने के लिए **NSDL** पर क्लिक करें, 3. यदि यूजर Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डिमैट खाता संख्या और पैन नंबर मुहैया करा कर सीधे ई-वोटिंग पेज एक्सेस कर सकते हैं. प्रणाली डिमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद यूजर को संबन्धित ईएसपी, अर्थात **एनएसडीएल** के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग चल रहा है.
वैयक्तिक शेयरधारक (जो डिमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

महत्वपूर्ण सूचना : जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव न कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर Forgot User ID और Forgot Password विकल्प का उपयोग करें.

डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरों के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन स्वरूप	**हेल्पडेस्क विवरण**
एनएसडीएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.co.in पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबरों 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.
सीडीएसएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा 022-23058738 या 022-23058542-43 पर कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Existing users who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. 2. After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the e-Voting Menu. The Menu will have links of **e-Voting service provider i.e. NSDL**. Click on **NSDL** to cast your vote. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider-NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	**Helpdesk details**
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43

आ) डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वाले वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों से इतर के लिए ई-वोटिंग/ वर्चुअल बैठक में जॉइन करने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें.

2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर “Login” आइकॉन पर क्लिक करें जो “Shareholders/ Member” खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.

3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

   विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् Cast your vote electronically की तरफ बढ़ सकते हैं.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं :

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपका यूजर आईडी 12************** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	ईवीईएन संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारक से इतर शेयरधारकों के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

   ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए ‘प्रारंभिक पासवर्ड’ को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना ‘प्रारंभिक पासवर्ड’ रिट्रीव करते समय, आपको ‘प्रारंभिक पासवर्ड’ प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यत: पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

   ग) आप अपना ‘प्रारंभिक पासवर्ड’ कैसे रिट्रीव करें ?

      (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका ‘प्रारंभिक पासवर्ड’ आपके ईमेल आईडी

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if ayou are registered for NSDL eservices i.e. IDeAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDeAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the ‘initial password’ which was communicated to you. Once you retrieve your ‘initial password’, you need to enter the ‘initial password’ and the system will force you to change your password.

   c) How to retrieve your ‘initial password’?

      (i) If your email ID is registered in your demat

पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे **उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.**

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **"Forgot User Details/Password?"** पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर **"Physical User Reset Password?"** विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलिओ संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए "Agree to Terms and Conditions" पर टिक करें.

8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा.

9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रोनिक रूप से करें और एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर महासभा में शामिल हों.

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है और महासभा में शामिल कैसे होना है?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे, जिनमें आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग साइकिल और महासभा एक्टिव स्थिति में हैं.

2. आप उस बैंक का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा में मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join General Meeting" के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक को क्लिक करना होगा.

3. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.

4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् assent or dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा "Submit" पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर "Confirm" पर क्लिक करें.

5. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.

6. आप पुष्टीकरण पृष्ठ पर "Print" विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/Password?"**(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **"Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account16number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

2. इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physicai User Reset Password?" के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर कागजी स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ठ और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.

2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप **चरण 1 (अ)** में बताई पद्धति से लॉगिन करें, अर्थात **डिमैट पद्धति में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति** का उपयोग करें.

3. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2), जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डिमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डिमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान है.

2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in . If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote

पर मतदान नहीं किए हैं और जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए एक्सेस संबंधी** उपर्युक्तानुसार बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप कंपनी के नाम के सामने **"Join General Meeting"** के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि **"Join General Meeting"** मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुन: प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें तो ज्यादा सहूलियत होगी.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाईल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाईल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अत: स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं और अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने अनुरोध 16 जुलाई 2022 की सुबह 9.00 बजे से 18 जुलाई 2022 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in पर) भेज सकते हैं. बैंक एजीएम के लिए उपलब्ध समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से 16 जुलाई 2022 की सुबह 9.00 बजे से 18 जुलाई 2022 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. जिन सदस्यों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

8. एजीएम से पहले या इसके दौरान सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए एनएसडीएल से 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा श्री संजीव यादव को sanjeev@nsdl.co.in पर मेल कर सकते हैं

on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system at the AGM.

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGHVC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the **NSDL e-Voting system**. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.** After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join General meeting"** menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Shareholders who would like to register themselves as a speaker during the meeting may send their request mentioning their name, demat account number/ folio number, email id, mobile number at (Bank's email id idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on July 16, 2022 till 5.00 p.m. on July 18, 2022. Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for AGM.

6. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id. idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on July 16, 2022 till 5.00 p.m. on July 18, 2022. The same will be replied by the Bank suitably.

7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 1800-222-990 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.co.in

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 17 जून 2022 के बाद और 15 जुलाई 2022 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 17 जून 2022 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 15 जुलाई 2022 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 15 जुलाई 2022 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 15 जुलाई 2022 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा गुरुवार, 21 जुलाई 2022 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 15 जुलाई 2022 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं है, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

  इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (ईकाई-आईडीबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022-66553147/2711/3062/3336) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

13. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न आने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक नियुक्त किया है.

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., June 17, 2022 and up to July 15, 2022 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 17, 2022 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 15, 2022 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 15, 2022, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password?"option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 15, 2022 subject to voting cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Thursday, July 21, 2022 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 15, 2022, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

  For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022- 66553147/2711/3062/3336) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

13. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

14. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 24 जुलाई 2022 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल आईडी(यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.

02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने संबंधित फोलियो/ डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें.

03. दिनांक 03 नवंबर 2021 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार, सेबी ने आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने की शर्तों को प्रोसेस करने के लिए सामान्य और सरलीकृत शर्तें निर्धारित की हैं. संबंधित प्रपत्रों (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, आईएसआर-4, एसएच-13) के साथ उक्त परिपत्रों की प्रतियां आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/idbibank-investor.aspx और बैंक के आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध है.

तद्नुसार, केवाईसी दस्तावेज जमा करना और उपर्युक्त परिपत्र में अधिदेश के अनुसार नामिती विवरण को अद्यतित करना आपके हित में है. फोलियो, जिसमें 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद केवाईसी विवरण या नामिती विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होगा, को उक्त परिपत्रों की शर्तों के अनुसार केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा. केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज किए गए फोलियो यदि 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज रहते हैं तो उन्हें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन प्रशासन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा.

04. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 की शर्तों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े हैं, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2014-15 के अदावित लाभांश को शेयरों (जिन पर लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश अदत्त/अदावित रहा है) के साथ निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश का दावा अभी तक नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.

वार्षिक महासभा सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. **<u>सूचना की मद संख्या 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>**

14. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before July 24, 2022 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, in order to facilitate payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request you to update your bank account details in your respective folio / demat account.

03. In terms of Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 03, 2021, SEBI has laid down common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination. Copies of the said Circulars together with relevant forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, ISR-4, SH-13) are available on the website of IDBI Bank at https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of KFin Technologies Limited (KFintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com.

Accordingly, it is in your interest to submit the KYC documents and update nominee details as mandated in the above mentioned circular. Folios wherein any one of the KYC details or nominee details are not available on or after April 01, 2023, shall be frozen by KFintech / IDBI Bank in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by KFintech / IDBI Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

04. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2014-15 to the Fund along with the shares (on which dividend has remained unpaid/unclaimed for seven consecutive years). The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2014-15 are requested to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.

Explanatory Statements in respect of items of the AGM Notice

1. **<u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice</u>**

(i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. क्यूआईपी मार्ग के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 10 अगस्त 2021 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प, क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध है.

(ii) बैंक सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों से जहां भी जरूरत होगी, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा.

(iii) यह समर्थकारी संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 41(4) के साथ पठित है. यह उपबंधित करता है कि जब भी बैंक द्वारा आगे कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर या इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सकता है.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी, ईएसपीएस, ईएसओपी आदि के जरिए कुल रु. 5000 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है.

(v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जा सकता है जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसी किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(viii) "संगत तारीख" से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिस तारीख को बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.

(x) अधिकार निर्गम के मामले में निर्गम मूल्य का निर्णय आईसीडीआर विनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार अग्रणी प्रबंधकों के साथ परामर्श कर किया जाएगा.

(xi) क्यूआईपी अथवा अधिकार निर्गम सहित विभिन्न प्रकार के निर्गमों के लिए ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. The Special Resolution passed at the last AGM held on August 10, 2021 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for QIPs.

(ii) The Bank will obtain requisite approvals from Statutory/ Regulatory authorities, wherever required.

(iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Sections 42 and 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which, read with Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulation, provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities on pro-rata basis to the existing shareholders or otherwise.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating up to ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, issue on private placement basis, QIP, ESPS, ESOP, etc.

(v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

(viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting on which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(x) In case of a rights issue, the issue price would be decided in consultation with the lead manager(s) in accordance with the provisions of Chapter III of the ICDR Regulations.

(xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements for various types of issues including rights issue or QIP.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अत: जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 , कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की सहमति लेने की आवश्यकता है.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में दिए गए संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

2. **सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

श्री मनोज सहाय (डीआईएन: 08711612) को भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में भारत सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारित करने हेतु बोर्ड में 28 अप्रैल 2022 से नियुक्त किया गया था. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे.

श्री मनोज सहाय बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एसएस-2 तथा सेबी सूचीबद्धता नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में दिया गया है.

श्री मनोज सहाय का संक्षिप्त प्रोफाइल इसमें नीचे दिया गया है:

श्री मनोज सहाय 1994 बैच के आईए एंड एएस अधिकारी हैं. वे रूड़की विश्वविद्यालय से बीई (सिविल) हैं. वे वर्तमान में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलहकार हैं और छह विभाग यथा- राजस्व विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएँ विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम) और सार्वजनिक उद्यम विभाग देख रहे हैं. अपनी वर्तमान तैनाती से पहले वे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि. में निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे.

उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में विभिन्न कैडरों में कार्य किया है और संघ सरकार के लेखे, केंद्रीय स्वायत्त निकायों आदि के प्रमाणन से जुड़े दायित्व संभाले हैं. इन्होंने प्रधान महालेखाकर, झारखंड, रांची एवं असम, गुवाहाटी के कार्यालय में भी कार्य किया है और राज्य सरकार के लेखा परीक्षा से जुड़े दायित्व संभाले हैं. वे लंदन में लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक के कार्यालय में भी पदापित थे जहां आपने यूरोप और सीआईएस देशों में स्थित मिशनों और सरकारी कार्यालयों की लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख की थी.

(xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiv) The equity shares to be allotted shall rank pari-passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.4 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

2. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice**

Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612) was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. April 28, 2022 to hold office till the pleasure of Government of India. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160 of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board.

Shri Manoj Sahay shall be entitled to the reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Manoj Sahay is provided hereinafter:

Shri Manoj Sahay is an IA&AS officer of 1994 Batch. He is BE (Civil) from University of Roorkee. He is presently Joint Secretary & Financial Advisor handling six departments, viz. Department of Revenue, Department of Expenditure, Department of Economic Affairs, Department of Financial Services, Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM) and Department of Public Enterprises. Prior to his present posting, he was on Deputation as Director (Administration & Finance) at National Highways and Infrastructure Development Corporation Ltd. under Ministry of Road Transport and Highways.

He has worked in various cadres at the office of Comptroller & Auditor General of India, New Delhi handling Union Government Accounts, Certification of central autonomous bodies, etc. and at the office of Principal Accountant General, Jharkhand, Ranchi & Assam, Guwahati handling State Government Audit. He was also posted in the office of Principal Director of Audit at London handling audit of Missions and Government offices in Europe and C.I.S countries.

निदेशक मंडल इस सूचना की मद संख्या 5 में निर्दिष्ट किए अनुसार सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि वे किसी भी निदेशक (स्वयं श्री मनोज सहाय को छोड़कर) अथवा, बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में, बैंक में अपनी शेयर धारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोडकर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री मनोज सहाय का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं हैं.

3. **<u>सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>**

श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन: 09584577) को भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में भारत सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारित करने हेतु बोर्ड में 28 अप्रैल 2022 से नियुक्त किया गया था. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160 के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे.

श्री सुशील कुमार सिंह बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एसएस-2 तथा सेबी सूचीबद्धता नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में दिया गया है.

<u>श्री सुशील कुमार सिंह का संक्षिप्त प्रोफाइल इसमें नीचे दिया गया है:</u>

श्री सुशील कुमार सिंह भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 2006 बैच के अधिकारी हैं. वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पोस्ट-ग्रेजुएट हैं. इन्हें विभिन्न कार्यालयों में स्वतंत्र प्रभारी के रूप में कार्य करने का विविधतापूर्ण अनुभव है. वे वर्तमान समय में वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं. वे वित्तीय समावेशन प्रभाग की देख-रेख कर रहे हैं और भारत सरकार की प्रधान मंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना जैसी अग्रणी योजनाओं और माइक्रो बीमा योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं.

उन्होंने रक्षा प्रतिष्ठानों में समन्वित वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है और वित्तीय प्रस्तावों की संवीक्षा में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उनके भुगतान एवं लेखा परीक्षा कार्यों को भी संभाला है. उन्हें सरकारी लेखा विशेष रूप से रक्षा वित्त और लेखांकन प्रणाली का व्यावहारिक अनुभव है.

निदेशक मंडल इस सूचना की मद संख्या 6 में निर्दिष्ट किए अनुसार सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि वे किसी भी निदेशक (स्वयं श्री सुशील कुमार सिंह को छोड़कर) अथवा, बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में, बैंक में अपनी शेयर धारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोडकर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री सुशील कुमार सिंह का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं हैं.

4. **<u>सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>**

श्री राज कुमार (डीआईएन: 06627311) को एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में एलआईसी के प्रसादपर्यंत पद धारित करने हेतु बोर्ड में 19 मई 2022 से नियुक्त किया गया था. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.5 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Manoj Sahay himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Manoj Sahay is not related to any other Director or KMP on the Board of the Bank.

3. **<u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice</u>**

Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577) was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. April 28, 2022 to hold office till the pleasure of Government of India. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160 of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board.

Shri Sushil Kumar Singh shall be entitled to the reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

<u>The brief profile of Shri Sushil Kumar Singh is provided hereinafter</u>:

Shri Sushil Kumar Singh is an officer of 2006 batch of Indian Defence Accounts Service. He is a post-graduate in Philosophy from University of Allahabad. He has diverse experience while holding independent charge of various offices. Presently he is working as Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance looking after the Financial Inclusion division and monitoring the implementation of government flagship schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, Stand up India scheme and micro insurance schemes.

He has worked with Defence Establishments as Integrated Financial Advisor and was instrumental in scrutiny of financial proposals. He has also handled Payment and Audit functions of different Defence Establishment under Ministry of Defence in various capacities. He has practical experience of Government Accounting, especially the defence finance and accounting system.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.6 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Sushil Kumar Singh himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Sushil Kumar Singh is not related to any other Director or KMP on the Board of the Bank.

4. **<u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.7 of the Notice</u>**

Shri Raj Kumar (DIN: 06627311) was appointed as LIC Nominee Director on the Board w.e.f. May 19, 2022 to hold office till the pleasure of LIC. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160 of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board.

श्री राज कुमार बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एसएस-2 तथा सेबी सूचीबद्धता नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में दिया गया है.

श्री राज कुमार का संक्षिप्त प्रोफाइल इसमें नीचे दिया गया है:

श्री राज कुमार 1984 में प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा से जुड़े थे और बीमा क्षेत्र में आपका अनुभव है. उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व संभाले हैं जैसे, एलआईसी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में और अंचल प्रबंधक, भोपाल, कार्यपालक निदेशक (संपदा एवं कार्यालय सेवाएँ), मुंबई, मानव संसाधन विभाग, और अंतरराष्ट्रीय परिचालन. उन्होंने प्रबंध विकास केंद्र, बोरीवली के निदेशक और भारतीय जीवन बीमा निगम के सतर्कता विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है. वे सूचना का अधिकार के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य जन सूचना अधिकारी और अपील प्राधिकारी भी रहे हैं. वे एलआईसी के दो प्रतिष्ठित डिविजनों यथा- गोरखपुर और जयपुर के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.

एलआईसी के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल होने के अलावा श्री राज कुमार के पास बोर्ड अभिशासन का गहन अनुभव है. आपने अलग-अलग समय में सात कंपनियों के निदेशक मंडल में नामिती निदेशक/ निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं जिनमें न केवल भारतीय जीवन बीमा निगम की भारत और विदेश में स्थित सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियां हैं, बल्कि भारत में स्थित प्रतिष्ठित पब्लिक कंपनियां भी शामिल हैं. आप वर्तमान में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में ग्रासीम इंडस्ट्रीज लि., एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., एलआईसी एचएफएल असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. तथा एलआईसी (लंका) लि. के निदेशक मंडल में हैं.

श्री राज कुमार ने भारत में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है जैसे, आईआईएम-अहमदाबाद, आईएसबी- हैदराबाद, एनआईए-पुणे, दिल्ली उत्पादकता परिषद, दिल्ली, एमडीसी- मुंबई, थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट सेंटर, दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, बेंगलुरु आदि.

उन्हें सीएचआरओ, एशिया द्वारा दिया जाने वाला "मोस्ट इंफ्लुएंशियल ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर इन एशिया" पुरस्कार प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल द्वारा "हिंदीतर भाषी सम्मान" से भी सम्मानित किया गया है.

निदेशक मंडल इस सूचना की मद संख्या 7 में निर्दिष्ट किए अनुसार सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि वे किसी भी निदेशक (स्वयं श्री राजकुमार को छोड़कर) अथवा, बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में, बैंक में अपनी शेयर धारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोडकर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री राज कुमार का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं हैं.

5. **सूचना की मद संख्या 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबंधित पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों को शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है. तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(4) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण संकल्प के जरिए शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों.

Shri Raj Kumar shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/Committee meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Raj Kumar is provided hereinafter:

Shri Raj Kumar joined LIC of India in the year 1984 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector. He has also handled several significant assignments, in various capacities in LIC of India, such as served as the chief executive officer of LIC Mutual Fund Asset Management Limited and was also the zonal manager, Bhopal, Executive Director (estate and office services), Mumbai, Human Resource Development, and International Operations. He has, also, held additional charge as Director of Management Development Centre, Borivali and Vigilance Department of LIC of India. He was also Chief Public Information Officer and Appellate Authority, under Right to Information, of LIC of India. He has, also, headed two prestigious divisions of LIC i.e. Gorakhpur and Jaipur.

Besides being on the Board of LIC as Managing Director, Shri Raj Kumar has rich experience of Board governance- having served as nominee director/ director on the Boards of seven companies at different points of time which included not only subsidiaries and associates of LIC in India and abroad but also well-known public companies in India. He is presently on the Board of Grasim Industries Ltd., LIC Housing Finance Ltd., LICHFL Asset Management Company Ltd. and LIC (Lanka) Ltd. as Nominee Director of LIC.

Shri Raj Kumar has attended various training programs, in India, at IIM- Ahmedabad, ISB-Hyderabad, NIA-Pune, Delhi Productivity Council-Delhi, MDC-Mumbai, Third World Development Centre-Delhi, National Institute of Advance Studies-Bangalore, etc.

He has been conferred with "Most Influential Human Resource Officer in Asia" an Award by CHRO, Asia and was also awarded "Hinditar Bhashi Samman" by Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Bhopal.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.7 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Raj Kumar himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Raj Kumar is not related to any other Director or KMP on the Board of the Bank.

5. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.8 of the Notice**

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार, एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा, तथा पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा वित्तीय वर्ष में हुए पिछले लेनदेनों को मिलाकर हुए लेनदेन की राशि 1000 करोड़ रु. अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसी के साथ किए जाने वाले तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन के लिए 5 मई 2022 को डाक मतपत्र के माध्यम से शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया. अनुमोदन 31 मार्च 2023 तक वैध रहेगा. इसके बाद सेबी ने 8 अप्रैल 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया कि किसी एजीएम में आरपीटी के लिए शेयरधारकों द्वारा किया गया अनुमोदन पंद्रह महीने की अवधि से पहले होने वाली एजीएम की तारीख तक वैध रहेगा. इसलिए, प्रक्रिया को संरेखित करने के लिए, इस एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि यह अनुमोदन बैंक की अगली एजीएम तक वैध हो.

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एलआईसी के बैंक के संबंधित पक्ष होने के नाते स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यहारों की शृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) कार्यान्वित करता है. एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों के विवरण निम्नानुसार हैं:

1) जमाराशियाँ स्वीकार करना

बैंक को आम जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करनी होती हैं जो मांग पर अथवा अन्य रीति से चुकौती-योग्य होती हैं. एलआईसी सभी ग्राहकों के लिए लागू होने वाली समान शर्तों पर बैंक के साथ चालू खाता परिचालित करता है. एक बार खाता खोले जाने के बाद बैंक विधिक तौर पर ग्राहक के खाते में जमा होने वाली राशियों को नहीं रोक सकता है और यह पूरी तरह से ग्राहक के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वह वह कितनी राशि जमा के रूप में रखना चाहता है. अत: संव्यवहार के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है. संव्यवहार की अवधि एलआईसी द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करती है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है. बैंक द्वारा बैंकिंग प्रभार बैंक की नीतियों तथा आरबीआई के मानदंडों के अनुसार सभी ग्राहकों पर एकसमान दर से प्रभारित किए जाते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जमा अथवा बैंकिंग प्रभार सामान्य बैंकिंग कार्यकलापों से उत्पन्न होते हैं, संव्यवहार का मूल्य एलआईसी पर निर्भर करता है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है. जमाओं को स्वीकार करने और बैंकिंग प्रभारों की प्राप्ति से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को प्रोत्साहन प्राप्त होता है और ये बैंक के हित में हैं.

2) वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को समान प्रक्रियाओं के आधार पर वित्त पोषित और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार आरबीआई मानदंडों और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसे नियमों और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, कार्यकाल, आदि सहित) पर किया जाता है,जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं. लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग है. मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह आरबीआई और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders through Postal Ballot on May 5, 2022, for material related party transactions to be undertaken with LIC. The approval would be valid till March 31, 2023. Subsequently, SEBI, vide its circular dated April 8, 2022 issued clarification that the shareholders' approval for RPTs approved in an AGM shall be valid upto the date of the next AGM for a period not exceeding fifteen months. Therefore, to align the process, it is proposed to obtain the shareholders' approval in this AGM so that the approval is valid till the next AGM of the Bank.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC, being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

1) Acceptance of Deposits

The Bank is required to accept deposits from public, repayable on demand or otherwise. LIC operates current account deposits with the Bank on the same terms as applicable to all customers. Once an account is opened, a bank cannot legally stop amounts coming into the customer's account and it is entirely up to the discretion of the customer how much amount it seeks to place into the deposit. Hence, the value of the transaction is not determinable. The tenure of the transaction depends on period opted for by LIC and cannot be ascertained by the Bank. Banking charges are levied by the Bank uniformly on all customers in accordance with Bank's policies and RBI norms. Given that deposits or banking charges arise out of normal banking activities, the value of the transaction depends on LIC and cannot be ascertained by the Bank. Acceptance of deposits and receipt of banking charges are in furtherance of the normal banking business and are in the interest of the Bank.

2) Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single

एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन है. सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाजार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को समान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित होता है. सुविधाओं का कार्यकाल ग्राहकों की आवश्यकता (संबंधित/असंबंधित पक्ष) पर निर्भर करता है जो नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है. लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, स्वीकृति और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

3) ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन/मोचन

बैंक अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सहित) द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप सभी निवेशकों पर समान रूप से प्रयोज्य क़ानूनों और प्रस्ताव पत्र के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आबंटित कर दी जाती हैं तथा ब्याज का भुगतान किया जाता है. प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी बोली के अधीन है. लेन-देन की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी. यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है.

बैंक ने पहले अपने कारोबार के लिए धन जुटाने के लिए एलआईसी को बांड जारी किए थे. नीचे दिए गए बांडों का मोचन अगली एजीएम की नियत तारीख अर्थात् 30 सितंबर 2023 तक भुगतान के लिए देय है. इन बांडों को उनके जारी करने के समय सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार भुनाया जाएगा.

क्रम संख्या	संबद्ध पक्ष का नाम	योजना का नाम/ आईएसआईएन	परिपक्वता/ कॉल ऑप्शन की तारीख	देय राशि (करोड़ रुपयों में)	टिप्पणी
1	एलआईसी	आईडीबीआई ओमनी बॉण्ड 2012-13 श्रंखला INE008A08U35	30-मई-2022 (परिपक्वता)	250.00	सामान्य परिपक्वता
2		आईडीबीआई ओमनी बॉण्ड 2012-13 टीयर II श्रंखला II INE008A08U43	25-अक्तूबर -2022 (कॉल ऑप्शन)	1000.00	कॉल ऑप्शन का अनुप्रयोग विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होगा
3		आईडीबीआई ओमनी बॉण्ड 2012-13 परपेचुअल टीयर I श्रंखला IV INE008A08U68	26-दिसंबर-2022 (कॉल ऑप्शन)	200.00	कॉल ऑप्शन का अनुप्रयोग विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होगा

4) बीमा उत्पादों और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है. नियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई को उचित अनुमोदन/ सूचना दी गई है. बैंक आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन अर्जित करता है. एलआईसी के साथ समझौता, अनुबंध की शर्तों और नियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीनीकरण के अधीन है. अर्जित शुल्क का स्तर व्यवसाय की मात्रा, बैंक की रणनीति, नियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारक जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है. इस प्रकार, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. बैंक अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में एलआईसी के बीमा उत्पादों की पेशकश करता है और समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्क/ कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है.

and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

3) Issuance /Redemption of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws & offer letter and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

The Bank had earlier issued Bonds to LIC for raising funds for business of the Bank. The redemption of the Bonds as given below are due for payments upto the due date of next AGM, i.e., September 30, 2023. These Bonds would be redeemed as per the terms and conditions agreed at the time of the issuance.

Sr No	Name of related party	Scheme name/ISIN	Due date of Maturity/call Option	Amount due (In Cr.)	Remarks
1	LIC	IDBI Omni Bonds 2012-13 Series INE008A08U35	30-May-2022 (maturity)	250.00	Normal maturity
2		IDBI Omni Bonds 2012-13 Tier II Series II INE008A08U43	25-Oct-2022 (call option)	1000.00	Call will be exercised subject to receipt of regulatory approval.
3		IDBI Omni Bonds 2012-13 Perpetual Tier I Series IV INE008A08U68	26-Dec-2022 (call option)	200.00	Call will be exercised subject to receipt of regulatory approval.

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

5) अन्य लेनदेन

मुद्रा बाजार लेनदेन में अन्य सामान्य बाजार सहभागियों/प्रतिपक्षकारों के समान बाजार आधारित लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों/कॉर्पोरेट बांडों और मुद्रा बाजार लिखतों की द्वितीयक बाजार खरीद/बिक्री, बांडों में निवेश, कोई अन्य आय/व्यय अथवा बैंक के कारोबार के सामान्य क्रम में निक्षेपागार सहभागी, कस्टोडियन सेवाओं, इनवेस्टमेंट बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव लेनदेनों आदि के अनुसरण में की गई अन्य गतिविधियां.

बैंक, अपने नियमित कारोबार में, अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में होते हैं.

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऊपर बताए गए लेनदेन सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत एलआईसी के लिए “महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन” की सीमा अर्थात् रु. 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबंधित पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में दर्ज किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक आमसभा तक वैध रहेगा.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसी के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण में कहा गया है और यह भी नोट किया गया है कि एलआईसी के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होगा.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 8 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है.

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सम्बद्ध पक्ष संलग्न एजीएम सूचना की मद संख्या 8 के सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वे विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हों अथवा नहीं.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.
दिनांक : 23 जून 2022

5) Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Secondary Market Buying / Selling of Government Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, any other income/expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LIC. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LIC including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with LIC would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.8 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than LIC Nominee Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 8 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 23, 2022

सूचना का अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महा सभा पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार संक्षिप्त विवरण

निदेशक का नाम	श्री मनोज सहाय	श्री सुशील कुमार सिंह	श्री राज कुमार
पदनाम	भारत सरकार के नामिती निदेशक	भारत सरकार के नामिती निदेशक	भारतीय जीवन बीमा निगम के नामिती निदेशक
जन्म तिथि / उम्र	15.09.1967 54 वर्ष	24.09.1977 44 वर्ष	03.01.1962 60 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	28 अप्रैल 2022	28 अप्रैल 2022	19 मई 2022
शैक्षणिक योग्यता	बीई (सिविल इंजीनियरिंग)	बीए, एमए (दर्शनशास्त्र)	बी.एससी.
विशेषज्ञता	लेखाशास्त्र, वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	लेखाशास्त्र, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	मानव संसाधन, मार्केटिंग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	1. सेवा एवं वस्तु कर नेटवर्क; 2. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	शून्य	**भारतीय कंपनियाँ** • ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड; • एलआईसीएचएफएल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड; • एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड **विदेशी कंपनियाँ** • लाइफ इन्श्युरेंस कॉर्पोरेशन (लंका) लिमिटेड
उन सूचीबद्ध कंपनियों के नाम, जिनसे निदेशक ने विगत 3 वर्ष में त्यागपत्र दिया है, यदि कोई हो	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशक की शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशकों का पारस्परिक संबंध	शून्य	शून्य	शून्य
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधन	गैर-कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 में दिये अनुसार तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है.	गैर-कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 में दिये अनुसार तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है.	गैर-कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 में दिये अनुसार तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है.
पारिश्रमिक	बैठकों में उपस्थित होने के लिए वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं.	बैठकों में उपस्थित होने के लिए वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं.	बोर्ड/ समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और रहने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के हकदार.
स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का औचित्य तथा प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशकों से अपेक्षित भूमिका व उसका स्वरूप	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं
अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (सम्पन्न/उपस्थिति)	(2/2)	(2/0)	(1/1)

Annexure to the notice

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	Shri Manoj Sahay	Shri Sushil Kumar Singh	Shri Raj Kumar
Designation	Government Nominee Director	Government Nominee Director	LIC Nominee Director
Date of Birth/Age	15.09.1967 54 years	24.09.1977 44 years	03.01.1962 60 years
Date of first appointment	April 28, 2022	April 28, 2022	May 19, 2022
Qualification	BE (Civil Engineer)	BA, MA(Philosophy)	B.Sc
Expertise	Accountancy, Finance, Administration and Corporate Governance	Accountancy, Finance, Human Resource, Administration and Corporate Governance	HR, Marketing, Administration and Corporate Governance
Directorship in other entities	1. Goods and Services Tax Network; 2. Security Printing and Minting Corporation of India Limited	NIL	**Indian companies** • Grasim Industries Limited; • LICHFL Asset Management Company Limited; • LIC Housing Finance Limited. **Foreign companies** • Life Insurance Corporation (Lanka) Limited
Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	NIL	NIL	NIL
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	NIL	NIL	NIL
Shareholding of Director	NIL	NIL	NIL
Relationship between directors inter-se	NIL	NIL	NIL
Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.	Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.	Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.
Remuneration	Entitled to reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.
Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended)	(2/2)	(2/0)	(1/1)

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22
ANNUAL REPORT 2021-22

IDBI BANK

आकांक्षाओं का विकास. मूल्य हों साकार.
Nurturing Aspirations. Unlocking Value.

IDBI BANK
i_zoomdrive
AUTO LOAN
एक सुहाने और सुरक्षित सफ़र का
असली मज़ा है अपनी गाड़ी में.
पेश है आई_ज़ूमड्राइव ऑटो लोन,
अधिकतम अवधि और लोन राशि के साथ.

VAO
VIDEO ACCOUNT OPENING
IDBI Bank
Video Account
Opening Facility
Now, open an account
from the comfort of
your home

IDBI BANK
GO Mobile+
Go Mobile+ App
A complete App
for all your
Banking Needs.
*Terms and conditions apply
Security & Convenience Anytime, Anywhere

NAMAN
SENIOR CITIZEN BANKING
अपनी खुशियों को और बढ़ाएं
0.75%*
अतिरिक्त ब्याज का लाभ पाएं
नमन फिक्स्ड डिपॉजिट तुरंत खोलने के लिए
नेट/ मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करें अथवा अपनी शाखा से संपर्क करें

HOME LOAN
एक घर हो अपना अब पूरा होगा ये सपना.
खुद के घर का सपना साकार कीजिए. आईडीबीआई बैंक होम लोन के साथ. आज ही !

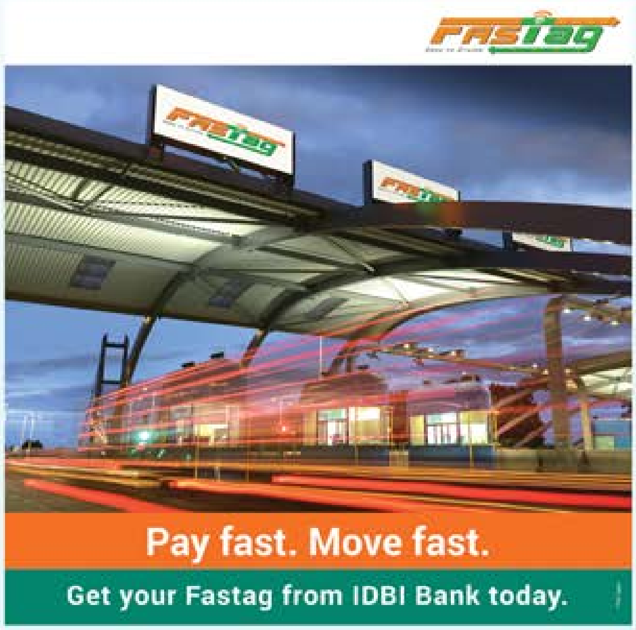
FASTag
Pay fast. Move fast.
Get your Fastag from IDBI Bank today.

विषयवस्तु

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

आकांक्षाओं का विकास. मूल्य हों साकार ii
मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक iv
यथा 31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल vi
यथा 31 मार्च 2022 को नेतृत्व टीम (कार्यपालक निदेशक) vii
अध्यक्ष का संदेश viii
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश xiv
कुछ प्रमुख गतिविधियां xx
पुरस्कार एवं सम्मान xxiii

सांविधिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट 2
प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण 22
कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट 77

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण 180
समेकित वित्तीय विवरण 322
पिलर III प्रकटन 444

Contents

CORPORATE OVERVIEW

Nurturing Aspirations. Unlocking Value iii
Key Performance Indicators iv
Board of Directors as on March 31, 2022 vi
Leadership Team (Executive Directors) as on March 31, 2022 vii
Message from the Chairman viii
Message from the Managing Director & CEO xiv
Some Major Events xx
Awards and Accolades xxiii

STATUTORY REPORTS

Directors' Report 12
Management Discussion and Analysis 50
Corporate Governance Report 128

FINANCIAL STATEMENTS

Standalone Financial Statements 180
Consolidated Financial Statements 322
Pillar III Disclosures 444

आकांक्षाओं का विकास.
मूल्य हों साकार.

आईडीबीआई बैंक ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए एक बार फिर से एक मजबूत बैंक के रूप में अपनी क्षमता साबित की है. महामारी की पृष्ठभूमि में एक भयावह माहौल के बावजूद बैंक अपनी बैलेंस शीट को जोखिम से मुक्त रखने और भविष्य में एक लाभदायक और सतत् संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के अपने परिकल्पित उद्देश्य पर कायम रहा.

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने अपने कारोबार के कार्य-निष्पादन में बदलाव सुनिश्चित करने और लाभदायक विकास का मार्ग बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान शुरू किए गए प्रयास जारी रखे. पिछले वर्ष प्राप्त व्यावसायिक लाभों से फायदा उठाते हुए, आपके बैंक ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने और बैंकिंग परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से रिटेल क्षेत्र में अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए नए रास्ते तलाशे. बैंक ने अपनी परिचालन दक्षता में सुधार लाने के साथ-साथ उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने संगठनात्मक ढांचे में व्यापक बदलाव किया है. ग्राहकों के लिए निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के अपने सतत् प्रयासों के अनुरूप बैंक ने उचित पहल की है. बैंक द्वारा किए गए रणनीतिक उपायों के चलते वित्त वर्ष 2021-22 में इसने लगातार दूसरे साल निवल लाभ दर्ज किया, जो कि एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में इसका अब तक का सबसे अधिक निवल लाभ रहा है. वर्ष 2021-22 में बैंक को मिली यह उपलब्धि इसकी नेतृत्व टीम की दूरदृष्टि और कार्यबल के अटूट और अथक प्रयासों का ही सुपरिणाम है.

बैंक अपने हितधारकों का कल्याण सुनिश्चित करने के अपने समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप अपने ग्राहकों के लिए सेवा गुणवत्ता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. आपका बैंक उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हुए, अपने सभी ग्राहकों के जीवन के हर मोड़ पर उनकी आकांक्षाओं को विकसित करने के लिए तैयार है. कारोबार के अपने बुनियादी सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए बैंक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरने की दिशा में कार्य करना जारी रखेगा और इस प्रकार अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्यों को साकार करेगा.

Nurturing Aspirations, Unlocking Values

Standing the test of time, IDBI Bank has once again proven its mettle as an inherently strong bank. Notwithstanding a fraught environment in the backdrop of the pandemic, the Bank persevered on its envisaged objective of de-risking its balance sheet and to pave the way for a profitable and sustainable growth in the future.

The year 2021-22 was an extension of the efforts initiated by the Bank over the years to ensure a turnaround in its business performance and forge a path for profitable growth. While leveraging the business gains realised in the previous year, your Bank explored new avenues for growth in its business, especially in the retail segment, to maintain its competitive edge and to strengthen its position in the banking landscape. The Bank has overhauled its organisational structure to improve its operational efficiency as well as to ensure focussed attention in emerging areas of opportunities. With seamless customer experience being a constant endeavor of the Bank, appropriate initiatives were taken by the Bank for ensuring the same. The strategic measures taken by the Bank enabled it to register a net profit for the second consecutive year in FY 2021-22 which also happened to be its highest ever net profit as a commercial bank. The steady gains made by the Bank in the year 2021-22 is a testament to the vision of its leadership team and unwavering & relentless efforts of its workforce.

The Bank is committed to maintain the highest levels of service quality for its customers, in consonance with its overall perspective of ensuring the well-being of its stakeholders. Offering a comprehensive range of products & services, your Bank is well-positioned to nurture the aspirations of all its customers over their life cycle journey. Relying on its strong business fundamentals, the Bank will continue to work towards emerging as a leading player in the Indian banking space, thus unlocking value for all its stakeholders.

मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
Key Performance Indicators

यथा 31 मार्च 2022 की स्थिति
Position as on March 31, 2022

₹2,439 करोड़ crore

कर पश्चात् लाभ
Profit After Tax

₹7,495 करोड़ crore

परिचालनगत लाभ
Operating Profit

₹9,162 करोड़ crore

निवल ब्याज आय
Net Interest Income

3.73%

निवल ब्याज मार्जिन
Net Interest Margin

56.77%

कासा अनुपात
CASA Ratio

1.27%

निवल एनपीए
Net NPA

19.06%

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)
Capital-to-Risk weighted Assets Ratio (CRAR)

97.63%

प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित)
Provision Coverage Ratio (with TWO)

0.84%

आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए)
Return on Assets (RoA)

13.60%

इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)
Return on Equity (RoE)

9.70%

अग्रिमों पर प्रतिफल
Yield on Advances

₹3,01,419 करोड़ crore

तुलन-पत्र आकार
Balance Sheet Size

₹2,33,134 करोड़ crore

कुल जमा
Total Deposits

₹1,45,772 करोड़ crore

कुल अग्रिम (निवल)
Total Advances (Net)

जमाराशि मिश्रण (%)
Deposit Mix (%)

5.21%
थोक
Bulk

38.02%
रिटेल सावधि
Retail Term

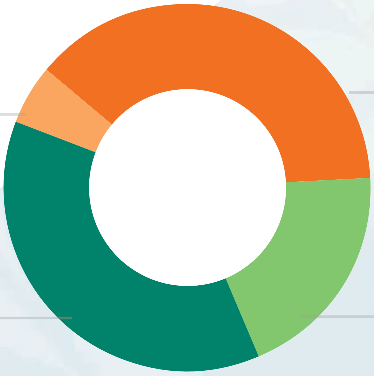

37.23%
बचत
Savings

19.54%
चालू
Current

सकल अग्रिम (%)
Gross Advances (%)

63.14%
रिटेल
Retail

36.86%
कॉरपोरेट
Corporate

यथा 31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल
Board of Directors as on March 31, 2022

श्री एम. आर. कुमार
अध्यक्ष

Shri M. R. Kumar
Chairman

श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज
उप प्रबंध निदेशक

Shri Samuel Joseph Jebaraj
Deputy Managing Director

श्री सुरेश खटनहार
उप प्रबंध निदेशक

Shri Suresh Khatanhar
Deputy Managing Director

श्री अंशुमन शर्मा
Shri Anshuman Sharma

श्री मुकेश कुमार गुप्ता
Shri Mukesh Kumar Gupta

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी
Shri Gyan Prakash Joshi

श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
Shri Bhuwanchandra B. Joshi

श्री समरेश परिदा
Shri Samaresh Parida

श्री एन. जंबुनाथन
Shri N. Jambunathan

श्री दीपक सिंघल
Shri Deepak Singhal

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर
Shri Sanjay Gokuldas Kallapur

सुश्री पी.वी. भारती
Ms. P. V. Bharathi

श्री टी. एन. मनोहरन
Shri T. N. Manoharan

यथा 31 मार्च 2022 को नेतृत्व टीम (कार्यपालक निदेशक)
Leadership Team (Executive Directors) as on March 31, 2022

श्री पी. सीताराम
Shri P. Sitaram

डॉ. सौम्य एस. बॅनर्जी
Dr. Saumya S. Banerjee

श्री अजय शर्मा
Shri Ajay Sharma

श्री शैलेंद्र नाडकर्णी
Shri Shailendra Nadkarni

श्री जॉर्टी चाको
Shri Jorty Chacko

श्री प्रदीप कुमार दास
Shri Pradip Kumar Das

श्री अजय नाथ झा
Shri Ajoy Nath Jha

श्री राजीव कुमार
Shri Rajeev Kumar

श्री नागराज गारला
Shri Nagaraj Garla

श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल
Smt. Baljinder Kaur Mandal

श्री अनिल सी. राज
Shri Anil C. Raj

श्री शलील आवले
Shri Shalil Awale

श्री सुनित सरकार
Shri Sunit Sarkar

श्री संजय देशपांडे
Shri Sanjay Deshpande

श्री बिजयानंदा पाढ़ी
Shri Bijayananda Padhi

डॉ. सौरव कुमार दत्ता
Dr. Sourav Kumar Dutta

अध्यक्ष का संदेश

Message from the Chairman

चुनौतियों के बीच कुछ कर दिखाना है
Delivering Amidst Challenges

"यदि हम पिछले साल के कार्य-निष्पादन को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक अपनी अंतर्निहित शक्तियों के साथ-साथ उभरते अवसरों का लाभ उठाकर बैंकिंग क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरने की यात्रा के मध्य में है.

As we look back at the last year's performance, it is evident that the Bank is in the midst of a transformational journey to emerge as a leading player in the banking space by leveraging its inherent strengths as well as capitalising on emerging opportunities."

टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

T. N. Manoharan
Chairman

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपको संबोधित करते हुए और वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2021-22 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

बीते हुए वर्ष ने हमें यह अवसर दिया कि हम व्यवसाय और परिचालन के एक चुनौतीपूर्ण वातावरण से उबरते हुए बैंक के लचीलेपन को साबित करने के साथ-साथ अपने लिए भविष्य के विकास की नींव रखें. यदि हम पिछले साल के कार्य-निष्पादन को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक अपनी अंतर्निहित शक्तियों के साथ-साथ उभरते अवसरों का लाभ उठाकर बैंकिंग क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरने की यात्रा के मध्य में है. इससे पहले कि मैं बैंक की व्यावसायिक रणनीति और वित्तीय विशेषताओं पर चर्चा करूँ, मैं वैश्विक और भारतीय स्तर पर हुई कुछ प्रमुख समष्टिगत आर्थिक घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनसे बैंक के कार्य-निष्पादन को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी.

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष के दौरान दुनिया भर के देशों सहित भारत भी कोविड-19 महामारी से प्रभावित रहा, लेकिन इसका आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव सीमित ही था. जैसे-जैसे मामलों में गिरावट आती गई और व्यापक टीकाकरण कवरेज के कारण संक्रमण की गंभीरता कम हुई, प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से वापस ले लिया गया, जिसके चलते लोगों और सामानों की आवाजाही में वृद्धि हुई. इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ निवेश में भी कुछ बढ़ोतरी हुई. इसके साथ ही लोगों की आवाजाही और निवेश बढ़ने से वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार में मदद मिली.

हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.6% का संकुचन हुआ, लेकिन ऐसे संकट के समय में विभिन्न राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य संबंधी उपायों के कारण वित्त वर्ष 2021-22 में बहाली में मदद मिली. साथ ही सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए संरचनात्मक और नीतिगत सुधार उपायों के कारण इस संकट के लंबे समय तक चलने वाले प्रतिकूल प्रभाव भी कम हो सके. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' नामक एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज आरंभ किया. इसके अंतर्गत महामारी की पृष्ठभूमि में देश का आर्थिक पुनरुद्धार करने के लिए ₹ 20 लाख करोड़ (270 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि आबंटित

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to write to you and present the Bank's Annual Report for the Financial Year (FY) 2021-22.

The year that just passed by gave us an opportunity to prove the Bank's resilience to sail through a challenging business and operating environment as also to lay the foundation for future growth. As we look back at the last year's performance, it is evident that the Bank is in the midst of a transformational journey to emerge as a leading player in the banking space by leveraging its inherent strengths as well as capitalising on emerging opportunities. Before I dwell on the business strategy and financial highlights of the Bank, I would like to recount some of the key macroeconomic developments globally and in India that would be helpful in facilitating a better understanding of the Bank's performance.

Economic Scenario

During the year, countries across the world, including India, continued to be impacted by the COVID-19 pandemic but the effect on the economic activities was limited. As the caseloads declined and severity of infection reduced due to wider vaccination coverage, there was a phased roll-back of restrictions enabling greater movement of people and goods. This led to an uptick in pent-up consumer spending and some uptake in private investment, which coupled with public transfers and investments, aided in a recovery in output in the first half of FY 2021-22 for the economy.

Though the COVID-19 pandemic led India's economy into a contraction of 6.6% in FY 2020-21, a broad range of fiscal, monetary and health related responses to the crisis supported the recovery in FY 2021-22. Besides, the structural and policy reform measures introduced by the Government over the years helped to mitigate a longer-lasting adverse impact of the crisis. After the outbreak of the COVID-19 pandemic, the Government unveiled a special economic and comprehensive package, viz. Atmanirbhar Bharat Abhiyaan, allocating more than ₹ 20 lakh crore (US$270 billion) or equivalent to 10% of India's GDP to support

की गई, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर थी. साथ ही, रिजर्व बैंक ने इस दौरान उदार मौद्रिक नीति बनाए रखी. रिजर्व बैंक द्वारा कई अतिरिक्त कदम भी उठाए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण मांग पूरी हो तथा आर्थिक पुनरुद्धार करने के लिए पर्याप्त प्रणालीगत तरलता बनी रहे. इसके परिणामस्वरूप महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों अर्थात् कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में व्यापक सुधार करते हुए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.7% की वृद्धि दर्ज की. इसी के साथ भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी.

बैंकिंग क्षेत्र

महामारी के प्रकोप के बाद भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत उपायों ने भी यह सुनिश्चित करने में मदद की कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र लचीला बना रहे. यह बात ऋण और जमा उठाव, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता जैसे प्रमुख संकेतकों में देखी गई प्रवृत्ति से परिलक्षित होती है. कारोबार धारणा में क्रमिक सुधार तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण व्यवस्थाओं के माध्यम से अतिरिक्त नीतिगत सहयोग के कारण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऋण उठाव में पुनरुद्धार हुआ. जमाराशियों में भी अपेक्षाकृत बेहतर संवृद्धि दर्ज की गई. बैंकों में पूंजी की स्थिति भी संतोषजनक रही. जहां बैंकों की सकल और निवल गैर-निष्पादित आस्तियों में कमी आई, वहीं उनके प्रावधान कवरेज अनुपातों (पीसीआर) में सुधार हुए तथा अधिकांश बैंकों की लाभप्रदता में सुधार देखा गया.

लाभ एवं संवृद्धि

महामारी के बाद *'न्यू नॉर्मल'* से प्रभावित हुए बिना इस वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाते हुए अपने रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप ही अपने पहल कार्य किए. आपका बैंक निरंतर लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक स्थिर और बहुविध कारोबार पोर्टफोलियो प्राप्त कर अपने को एक रिटेल-उन्मुख बैंक के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है. मुझे आपको यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में न

the country's economic revival in the backdrop of the pandemic. At the same time, the RBI maintained an accommodative monetary policy during the period. A number of additional steps were also taken by the RBI to ensure that there was adequate systemic liquidity in order to support the credit demand and stimulate economic revival. Consequently, despite the second and third waves of the pandemic, India recorded a real Gross Domestic Product (GDP) growth of 8.7% in FY 2021-22 on the back of broad-based improvement in all the sectors, viz. agriculture, industries and services of the economy. With this, India maintained its position as one of the fastest growing economies globally.

Banking Sector

The policy measures taken by the Government of India and the Reserve Bank of India after the outbreak of the pandemic also helped to ensure that the banking sector in India remained resilient. This is reflected by the observed trend in key indicators – credit & deposit off-take, capital adequacy, asset quality and profitability. With a gradual improvement in business sentiment and enhanced policy push through credit lines for various sectors, there was a revival in the credit off-take in the economy. The deposits too continued to register relatively healthy growth. Capital positions of the banks were also comfortable. The gross as well as net non-performing assets of the banks moderated while their Provision Coverage Ratios (PCRs) improved and most of the banks saw improvement in profitability.

Profit and Growth

Undeterred by the *'new normal'* dictated by the pandemic, your Bank's efforts during the year centred around focussed execution of initiatives in line with its strategic objectives through strengthening the organisational structure and scaling up the technological capabilities. Your Bank continued to persevere towards its envisaged business objective of positioning itself as a retail-oriented bank in order to build a stable and granularised business portfolio to ensure profitable growth on a sustained basis. It

केवल लगातार दूसरे वर्ष निवल लाभ दर्ज किया, बल्कि 79% की वार्षिक संवृद्धि के साथ एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में अब तक का सबसे अधिक ₹ 2,439 करोड़ का निवल लाभ भी दर्शाया. आपके बैंक ने अपने अग्रिमों में 14% की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए यथा मार्च 2022 अंत तक इन्हें ₹ 1.46 लाख करोड़ तक पहुंचाया.

बैंक ने कम लागत और गुणवत्ता वाले रिटेल देयता पोर्टफोलियो के निर्माण पर ज़ोर दिया, जिसके कारण चालू खाते और बचत खाते (कासा) की जमा बही में 14% की वृद्धि देखी गई और यह राशि मार्च 2022 के अंत तक ₹ 1.32 लाख करोड़ हो गई. इस प्रकार यथा मार्च 2022 अंत तक कासा अनुपात 633 आधार अंकों के सुधार के साथ वार्षिक आधार पर 56.77% रहा. मार्च 2022 के अंत में जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 19.06% (11.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा के सापेक्ष) और टियर 1 पूंजी (पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित) अनुपात 16.68% (8.00% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा के सापेक्ष) रहा, इससे बैंक की पूंजी स्थिति सुखद बनी रही.

संगठित वसूली प्रयासों से बैंक को अपनी सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्तियों (एनएनपीए) में क्रमश: 323 आधार बिन्दु (बीपीएस) और 70 बीपीएस की कमी लाने में सहायता मिली और मार्च 2022 के अंत में ये क्रमश: 19.14% और 1.27% रहीं. बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2022 के अंत में 97.63% रहा जो बैंकिंग उद्योग के उच्चतम स्तरों में से एक है. बैंक का बढ़ता व्यवसाय, सुदृढ़ पूंजी स्थिति और इसकी आस्ति गुणवत्ता में हो रहा सुधार शुभ संकेत हैं जो इस तथ्य को मजबूती प्रदान करते हैं कि बैंक स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ बैंक है. चुनौतीपूर्ण कारोबारी तथा परिचालगत परिवेश, विशेष रूप से महामारी की पृष्ठभूमि में, के होते हुए भी बैंक ने जिस तेजी से टर्नअराउंड के लक्ष्य को साकार किया है वह इसकी अंतर्निहित क्षमताओं का स्पष्ट प्रमाण है.

रणनीतिक उपाय

बैंकिंग क्षेत्र में उभरते विकासक्रमों से भलीभाँति परिचित होने के नाते आपका बैंक अपनी कासा जमा बही और रिटेल मीयादी जमाओं में वृद्धि करने के लिए भौतिक और डिजिटल, दोनों स्वरूपों में व्यापक पहुँच के साथ अपने बढ़ते रिटेल फ्रेंचाइस, विस्तारित ग्राहक आधार

gives me great pride to share with you that the Bank not only recorded second consecutive year of net profit in FY 2021-22 but also the highest ever net profit as a commercial bank at ₹ 2,439 crore – up by 79% on an annualised basis. Your Bank recorded robust growth of 14% in its advances to ₹ 1.46 lakh crore as at end-March 2022.

The Bank's focus on building a low-cost and quality retail liability portfolio saw a 14% growth in its Current Account and Savings Account (CASA) deposit book to ₹ 1.32 lakh crore as at end-March 2022, leading to an improvement in the CASA ratio by 633 basis points (bps) on annualised basis to 56.77% as at end-March 2022. The capital position of the Bank remained comfortable with the Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) at 19.06% (against the minimum regulatory requirement of 11.50%) and the Tier 1 capital (including Capital Conservation Buffer (CCB)) ratio at 16.68% (against the minimum regulatory requirement of 8.00%) as at end-March 2022.

Concerted recovery efforts helped the Bank to lower its Gross Non-Performing Assets (GNPAs) and Net Non-Performing Assets (NNPA) by 323 bps and 70 bps, respectively, to 19.14% and 1.27%, respectively, as at end-March 2022. The Bank's Provision Coverage Ratio (PCR) stood at 97.63% as at end-March 2022 - one of the highest in the banking industry. The Bank's growing business, healthy capital position and improvement in its asset quality augurs well as it reinforces the fact that the Bank is an inherently strong bank. The expeditious turnaround scripted by the Bank, notwithstanding a challenging business and operating environment, especially in the backdrop of the pandemic, is a testament to its inherent strengths.

Strategic Measures

Being attuned to the emerging developments in the banking space, your Bank will seek to leverage its growing retail franchise with wide-reaching distribution network – both physical and digital, expanding customer base and data analytics capabilities to ramp

और डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं का पूरा लाभ उठाएगा. इसके साथ ही बैंक जोखिम रहित और विविधतापूर्ण व्यवसाय सम्मिश्र हासिल करने के अपने प्रयासों के तहत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र खंडों को दिए जाने वाले ऋणों सहित अपनी रिटेल ऋण बही का आकार बढ़ाएगा. अर्थव्यवस्था में ऋण मांग के पुनः ज़ोर पकड़ने की प्रवृत्ति को देखते हुए आपका बैंक अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए जोखिम सचेत रीति से अपनी कॉरपोरेट ऋण बही को विस्तारित करने के लिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेगा.

बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत होने के नाते अर्थव्यवस्था में बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है. अपनी लाभप्रदता में सुधार लाने के प्रयासों की कड़ी में बैंक रिटेल, कृषि, एमएसएमई और कॉरपोरेट खंडों के अपने सभी ग्राहकों की वित्तीय एवं बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदाता के रूप में अपने को स्थापित करने के लक्ष्य के अनुरूप बहुविध गठजोड़ों से लाभ उठाने के लिए अवसर तलाशेगा. लचीलेपन के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक ग्राहकों की लगातार बदलती पसंद के अनुरूप प्रासंगिक और संवेदनशील बने रहने और इस प्रकार अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने रूपांतरण में निवेश करना जारी रखेगा.

बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक प्रौद्योगिकीय उन्नयन, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और अपनी डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने में निवेश करना जारी रखेगा ताकि अपने ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक लेनदेन अनुभव सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिचालनगत कार्यनिष्पादन में भी वृद्धि हो. अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कि आपका बैंक सचेत रूप से अपनी आस्ति गुणवत्ता की निगरानी करेगा ताकि जितनी जल्दी हो सके उपचारात्मक उपाय किए जा सकें और आस्ति गुणवत्ता में आनेवाली गिरावट को रोका जा सके. बैंक सभी संभव कारवाई करते हुए अनर्जक आस्तियों में बकाया राशियों की वसूली के लिए विशेष रूप से ध्यान देना जारी रखेगा. सुसंबद्ध और सुविकसित व्यवसाय रणनीति से बैंक को अब तक हासिल वृद्धि दर को आगे और बढ़ाने में सहायता मिलने की आशा है.

up its CASA deposit book and retail term deposits. Furthermore, the Bank will target ramping up its retail loan book, including loans to the priority sector segments, in its endeavour to achieve a de-risked and granular business mix. Given the revival in the credit demand from the economy, your Bank will seek to capitalise on the opportunity to expand its corporate loan book in a risk-calibrated manner by extending financial assistance to well-rated corporates.

Being adequately capitalised, the Bank is well-positioned to meet the growing credit demand in the economy. Striving to improve its profitability, the Bank will explore opportunities to tap cross-functional synergies in sync with its positioning as a one-stop solution for the financial and banking needs of all its customers from the retail, agri, MSME and corporate segments. Taking cognisance of the importance of being adaptable, the Bank will continue to invest in its transformation to remain relevant and reflective of the constantly changing customer preferences and thus, driving growth in its business.

Taking into account the opportunities and challenges stemming from growing influence of digital in the banking space, the Bank will continue to invest in technological upgradation, digitalisation of processes and strengthening its data analytics capabilities to ensure seamless and convenient transactional experience to its customers while also boosting operational performance. Last but not the least, your Bank will diligently monitor its asset quality to be able to take remedial measures at the earliest and avoid slippages. The Bank will continue to have a focussed approach to recover dues from the non-performing assets by taking all possible necessary steps. A cohesive and well-rounded business strategy is expected to help your Bank in accelerating the momentum that has been gained so far.

आभार

अपनी बात समाप्त करूँ इससे पहले मैं आपके बैंक के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा चुके अपने पूर्ववर्ती श्री एम.आर. कुमार को आपके बैंक को बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में समर्पित किए गए उनके बहुमूल्य समय और ऊर्जा के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. मैं आपके बैंक के निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों द्वारा बैंक को सुदृढ़ बनाने हेतु दिए गए अमूल्य योगदान की सराहना करता हूँ. मै आपके बैंक की शीर्ष प्रबंधन टीम और सभी कर्मचारियों का उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके चलते बैंक कठिन परिस्थितियों के बावजूद एक लाभदायक पथ पर चलने में समर्थ हो सका. आपके बैंक के निदेशक मंडल की ओर से मैं निवेशकों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों को भी उनके सतत संरक्षण एवं सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा. बैंक आपके भरोसे, विश्वास और सहयोग को बहुमूल्य मानता है और आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक रूप से कार्य करता रहेगा.

शुभकामनाओं सहित,

टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

Expression of Gratitude

Before I conclude, it is my pleasure to thank Shri M. R. Kumar, who preceded me in the role of the Chairman of your Bank, for dedicating significant time and energy to steer your Bank towards a brighter future. I would also like to convey my sincere appreciation to my colleagues on your Bank's Board for their invaluable contribution in strengthening the Bank. I would like to express my gratitude to the Top Management team and all employees of your Bank for their hard work and dedication that helped the Bank to continue on a profitable path in spite of the trying circumstances. I, on behalf of your Bank's Board of Directors, would also like to express my sincere thanks to investors, customers and other stakeholders for their unstinted patronage and cooperation. The Bank values your trust, confidence and support and shall continue to work tirelessly to live up to your expectations.

With best wishes,

T. N. Manoharan
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
Message from the Managing Director & CEO

उभरती परिस्थितियाँ. अनुकूल रणनीति
Evolving Circumstances, Consistent Strategy

"आपका बैंक उत्कृष्ट सेवा और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के माध्यम से अपने दक्षता मानकों को मजबूत बनाकर अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को और भी बेहतर बनाते हुए तथा सबसे महत्वपूर्ण, व्यवसाय के प्रति ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर सभी हितधारकों के लिए सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा बैंक बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.

Your Bank remains firmly committed to be the most trusted and preferred bank enhancing value for all the stakeholders by strengthening its efficiency parameters through excellent service, competitive products, further improving its digital infrastructure and most importantly, customer-centric approach towards business."

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

प्रिय शेयरधारको,

मैं आपके समक्ष आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें प्रस्तुत कर रहा हूं. आपके बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा.

वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में ठहराव देखने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और योजित सकल मूल्य (जीवीए) में सुधार देखा गया और ये महामारी से प्रभावित वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमश: 6.6% और 4.8% के संकुचन की तुलना में क्रमश: 8.7% और 8.1% की वृद्धि दर्ज करते हुए सुधार दर्शा सके. विकास की गति में यह जो सुधार आया, वह भारत सरकार द्वारा व्यापक आर्थिक पैकेज के तहत किए गए नीतिगत उपायों और पहलों का ही परिणाम था. इस पहल में *'आत्मनिर्भर भारत'* अभियान के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रणाली, डेमोग्राफी और मांग जैसे पाँच प्रमुख स्तंभों में सुधार के उपाय किए गए थे. सरकार की राजकोषीय कार्रवाई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपनाए गए मौद्रिक उपायों से बहुत मदद मिली. इन उपायों के अंतर्गत प्रणालीगत दबाव दूर करने और पर्याप्त प्रणालीगत तरलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने के साथ-साथ उदार मौद्रिक नीति रुख बनाए रखना शामिल था. इसके अलावा कोविड-19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान प्रतिबंधों को चरणबद्ध और स्थानीय स्तर पर लागू करने से आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान कम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली में तेजी आई.

कारोबार रणनीति

वर्ष 2021-22 में महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी कारोबारी माहौल *'न्यू नॉर्मल'* बना रहा. साथ ही आपके बैंक ने भविष्य के व्यावसायिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस वर्ष अपने कार्य-निष्पादन को भी सुदृढ़ किया. इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने लंबे समय तक के लिए उच्च और निरंतर लाभदायक संवृद्धि की राह हासिल करने के लिए एक बहु-आयामी कारोबार रणनीति अपनाई.

आपके बैंक की समग्र कारोबार रणनीति भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद बैंक होने की अपनी दृष्टि से निर्देशित थी. आपका बैंक अपने को एक रिटेल-उन्मुख बैंक के रूप में स्थापित करने के अपने रणनीतिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध बना रहा. इस दिशा में

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I place before you the highlights of your Bank's performance for the Financial Year (FY) 2021-22. I would like to briefly touch upon the state of the Indian economy in FY 2021-22 to set the context for the operational and financial performance of your Bank.

State of the Indian economy in FY 2021-22

The Indian economy, after witnessing a pause in its economic growth in the previous financial year, exhibited improvement with the Gross Domestic Product (GDP) and Gross Value Added (GVA) registering a growth of 8.7% and 8.1% respectively, in the year 2021-22, as compared to a pandemic-induced contraction of 6.6% and 4.8% respectively, in FY 2020-21. The improvement in the growth momentum was on the back of policy measures and initiatives undertaken by the Government of India under the comprehensive economic package christened as the '*Atmanirbhar Bharat Abhiyaan*' with broad-based reform measures across five pillars of the package, viz., Economy, Infrastructure, Systems, Demography and Demand. The fiscal responses of the Government were supplemented by monetary measures by the Reserve Bank of India (RBI) which included maintaining an accommodative monetary policy stance along with a number of measures to address stress in the system and ensure adequate systemic liquidity. Furthermore, the phased and localised restrictions during the second and third waves of the COVID-19 pandemic aided in minimising disruptions to the economic activities, thereby accelerating the pace of revival in the Indian economy.

Business Strategy

FY 2021-22 marked the second consecutive year of the '*new normal*' business environment brought about by the pandemic. Furthermore, it was also a year in which your Bank consolidated its performance to pave the way for future business growth. Taking these aspects into consideration, your Bank adopted a multi-pronged business strategy to provide a launch-pad for attaining a path of high and sustained profitable growth over the longer term.

आपके बैंक ने आस्ति और देयता दोनों ही क्षेत्रों में रिटेल हिस्से को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए. आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से बाहर निकलने से बैंक को अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में, विशेष रूप से मध्यम आकार की इकाइयों के संबंध में जोखिम के पहलू पर भलीभाँति ध्यान देते हुए संवृद्धि के अवसर तलाशने में मदद मिली. आपके बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी से प्राप्त मूल्य संवर्धन का भी लाभ उठाया. आपके बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेन-देन करने की दिशा में ग्राहकों की प्राथमिकताओं में आए बदलाव को देखते हुए अपने ग्राहकों के लिए एक सहज, सुविधाजनक और सुरक्षित *'कभी भी, कहीं भी'* बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए इसे एक नया रूप दिया.

आपके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने के लिए सम्बद्ध जोखिम मानकों को ध्यान में रखते हुए रिटेल और कॉरपोरेट, दोनों ही स्तरों पर अपने आस्ति पोर्टफोलियो में वृद्धि करते समय सावधानी बरती. आपके बैंक ने विभिन्न कानूनी और नियामक चैनलों के माध्यम से बकाया आस्ति पोर्टफोलियो में वसूली और उन्नयन को अधिकतम करने के अपने प्रयासों को और भी तेज कर दिया. आपके बैंक ने अपने पोर्टफोलियो में वास्तविक और संभावित तनाव की निगरानी करने और आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए अपने ऋण निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया.

आपके बैंक द्वारा अपनी व्यावसायिक रणनीति की व्यापक रूपरेखा के भीतर की गई विभिन्न रणनीतिक पहलों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के 'निदेशकों की रिपोर्ट' और 'प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण' खंडों में दिया गया है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक की नेतृत्व टीम की दूरदर्शिता और मार्गदर्शन, इसके युवा, गतिशील और पेशेवर रूप से योग्य कार्यबल द्वारा प्रदर्शित किए गए अथक प्रयासों और प्रतिबद्धता के फलस्वरूप बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं. इनमें से कुछ मापदंडों का उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा.

वित्तीय और परिचालनगत विशेषताएँ

बैंक द्वारा अपनाई गई रणनीतिपरक प्राथमिकताओं से उसे परिचालनगत लचीलापन दर्शाने और साथ ही वर्ष के दौरान मजबूत वित्तीय कार्य-निष्पादन हासिल करने में सहायता मिली.

मार्च 2022 की समाप्ति पर आपके बैंक के कुल अग्रिम मार्च 2021 के अंत के ₹ 1.28 लाख करोड़ की तुलना में 14% की वृद्धि के साथ ₹ 1.46 लाख करोड़ रहे. बैंक की ऋण बही में कॉरपोरेट अग्रिमों की तुलना में रिटेल अग्रिमों का अनुपात मार्च 2021 के अंत के 62:38 की तुलना में सुधरकर मार्च 2022 के अंत में 63:37 हो गया. प्राथमिकताप्राप्त

The overall business strategy of your Bank was guided by its vision of being the most preferred and trusted bank in the Indian banking landscape. Your Bank remained committed towards its strategic objective of positioning itself as a retail-oriented bank. Towards this end, your Bank undertook concerted efforts to increase the share of retail, both on the asset and the liability side. The exit from the RBI's Prompt Corrective Action (PCA) framework enabled the Bank to explore avenues to grow its corporate credit book, especially in the mid-size unit, in a risk-calibrated manner. Your Bank also leveraged the value arising out of its strategic partnership with the Life Insurance Corporation of India (LIC). In alignment with the shift in customer preferences towards transacting through digital banking channels, your Bank strengthened and revamped its digital infrastructure to ensure a seamless, convenient, safe and secure *'Anytime, Anywhere'* banking experience for its customers.

Your Bank exercised caution while augmenting its asset portfolio, both at the retail and the corporate level, by taking into account the associated risk parameters in order to maintain asset health. Your Bank further intensified its efforts to maximise recovery and upgradation of delinquent asset portfolio through various legal and regulatory channels. Your Bank also strengthened its credit monitoring mechanism to monitor the actual and potential stress in the Bank's portfolio and to prevent slippages in its asset quality.

The details of the strategic initiatives undertaken by your Bank within the broad contours of its business strategy are enumerated in the Directors' Report and Management Discussion & Analysis sections of the Annual Report. I am pleased to state that the vision and guidance of the leadership team of your Bank, coupled with the untiring effort and commitment exhibited by its young, dynamic and professionally qualified workforce, has yielded positive results for the Bank as evidenced by its financial performance. I would like to highlight some of these parameters for your benefit.

Financial and Operational Highlights

The strategic priorities pursued by the Bank enabled it to exhibit operational resilience and also deliver robust financial performance during the year.

क्षेत्र उधार (पीएसएल) मोर्चे पर बैंक ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के निर्धारित 40% के विनियामकीय पीएसएल लक्ष्य को पार कर लिया. आपके बैंक की कुल जमाराशियाँ मार्च 2021 के अंत के ₹ 2.31 लाख करोड़ की तुलना में 1% की वृद्धि के साथ मार्च 2022 के अंत में ₹ 2.33 लाख करोड़ रहीं. अपनी समग्र व्यवसाय रणनीति के अनुरूप बैंक ने कम लागत वाली कासा जमा आधार के हिस्से में वृद्धि की और अपने थोक जमा आधार को कम करते हुए उच्च लागत वाली संस्थागत जमाओं पर अपनी निर्भरता में कमी की. आपके बैंक द्वारा किए गए इन रणनीतिपरक प्रयासों से वर्ष के दौरान उसे निधियों की लागत और जमाओं की लागत में कमी लाने में मदद मिली.

न्यूनतर पूंजी और जोखिम सचेत व्यवसाय मॉडल के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से आपके बैंक को मार्च 2022 के अंत में अपनी पूंजी स्थिति को विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में बेहतर बनाए रखने में सहायता मिली. जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और टियर 1 प्लस पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) अनुपात मार्च 2021 के अंत के क्रमशः 15.59% और 13.06% से सुधरकर मार्च 2022 के अंत में क्रमशः 19.06% और 16.68% हो गए.

सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) अनुपात मार्च 2021 के अंत के क्रमशः 22.37% और 1.97% से सुधरकर मार्च 2022 के अंत में क्रमशः 19.14% और 1.27% हो गए. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2021 के अंत के 96.90% से सुधरकर मार्च 2022 के अंत में 97.63% हो गया.

आपके बैंक ने वार्षिकीकृत आधार पर अपने परिचालन लाभ में 7% की वृद्धि दर्ज की और यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के ₹ 7,035 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर ₹ 7,495 करोड़ रहा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में दर्ज किए ₹ 1,359 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 79% की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,439 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया. यह न केवल लगातार दूसरे वर्ष निवल लाभ अर्जित करने की उपलब्धि थी बल्कि यह एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में इसका अब तक का अर्जित किया गया सर्वाधिक लाभ भी रहा.

आगे की राह

नीति निर्माताओं द्वारा किए गए बहुव्यापी उपायों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के टिकाऊ पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ नींव रखी है. आपका बैंक समष्टि आर्थिक मोर्चे पर उभरती चुनौतियों के साथ-साथ, तीव्र गति से हो रहे तकनीकी विकास, बैंकिंग क्षेत्र में गैर-पारंपरिक संस्थाओं के प्रवेश, बढ़ती साइबर असुरक्षाओं जैसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी चुनौतियों के प्रति भी सतर्क बना रहेगा. इन कारकों को ध्यान

The total advances of your Bank grew by 14% to ₹ 1.46 lakh crore as at end-March 2022 from ₹ 1.28 lakh crore as at end-March 2021. The Bank's loan book composition of retail to corporate advances improved to 63:37 as at end-March 2022 from 62:38 as at end-March 2021. On the Priority Sector Lending (PSL) front, the Bank exceeded the regulatory PSL target of 40% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC). The total deposit of your Bank grew by 1% to ₹ 2.33 lakh crore as at end-March 2022 from ₹ 2.31 lakh crore as at end-March 2021. In alignment with its overall business strategy, the Bank augmented the share of low-cost CASA deposit base and reduced its reliance on high-cost institutional deposits by lowering its bulk deposit base. These strategic endeavours pursued by your Bank enabled it to reduce the Cost of Funds and the Cost of Deposits during the year.

A transition towards a capital-light and risk-calibrated business model enabled your Bank to maintain its capital position comfortably above the regulatory requirement as at end-March 2022. The Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) and Tier 1 capital plus Capital Conservation Buffer (CCB) Ratio improved to 19.06% and 16.68%, respectively, as at end-March 2022 from 15.59% and 13.06%, respectively, as at end-March 2021.

The Gross Non-Performing Assets (GNPAs) and Net Non-Performing Assets (NNPA) ratios improved to 19.14% and 1.27%, respectively, as at end-March 2022 from 22.37% and 1.97%, respectively, as at end-March 2021. The Provision Coverage Ratio (PCR), including Technical Write-Offs, improved to 97.63% as at end-March 2022 from 96.90% as at end-March 2021.

Your Bank registered a growth of 7% on an annualised basis in its Operating Profit to ₹ 7,495 crore in FY 2021-22 from ₹ 7,035 crore in FY 2020-21.The Bank registered a healthy growth of 79% in its net profit to ₹ 2,439 crore in FY 2021-22 from ₹ 1,359 crore in FY 2020-21. Not only did this mark second consecutive year of net profit but also the highest ever net profit as a commercial bank.

The Way Forward

The comprehensive measures undertaken by the policymakers have laid the foundation for ensuring a sustained revival of the Indian economy. Your Bank shall remain cognisant of the emerging challenges on the macroeconomic front as well as the sector-specific

में रखते हुए आपका बैंक आनेवाले समय में लाभकारी तथा टिकाऊ व्यवसाय वृद्धि में तेजी लाने के लिए अपनी व्यवसाय अनिवार्यताओं और रणनीतिपरक प्राथमिकताओं को हासिल करने के लिए जोखिम सचेत व्यवसाय रणनीति को अपनाना जारी रखेगा.

बैंक की व्यवसाय रणनीति का मूल आधार इसकी समग्र ऋण बही में रिटेल, कृषि और लघु एवं मध्यम आकारवाले उद्यमों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिटेल-उन्मुखता के अनुरूप बना रहेगा. बैंक अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में, विशेष रूप से मध्यम आकार वाले खंड में, विस्तार करने के लिए भी अवसर तलाशेगा. देयता पक्ष से संबंधित रणनीति में कम लागत वाली जमाओं (कासा) और रिटेल जमा आधार को बढ़ाने के लिए ज्यादा ज़ोर देना जारी रहेगा. इसके साथ ही, बैंक मौजूदा ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए बैंक के भीतर प्रति-कार्यात्मक गठजोड़ों के जरिए उत्पादों के प्रति-विक्रय पर समुचित रूप से ध्यान देना जारी रखेगा. आपका बैंक अपने समग्र कारोबार को बढ़ाने के लिए उपायों को अपनाने के अलावा परिचालनगत व्ययों को न्यूनतम स्तर पर रखते हुए और उत्पादकता में वृद्धि करते हुए अपने लाभ में बढ़ोतरी के लिए भी कार्य करेगा. आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाना आपके बैंक के लिए एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा, जो आने वाले समय में टिकाऊ वृद्धि दर हासिल करने के लक्ष्य की प्राप्ति को संभव बनाने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड है. आपका बैंक मजबूत आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एनपीए समाधान, वसूली एवं उन्नयन पर विशेष रूप से ध्यान देना और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करना जारी रखेगा.

इन कारोबारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपका बैंक आवश्यक इनेबलर तैयार करता रहा है. अपने भौतिक शाखा नेटवर्क को फैलाने के अलावा, आपका बैंक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए अपने डिजिटल चैनलों को और अधिक उन्नत करता रहा है. आपका बैंक लगातार विकासशील कारोबारी वातावरण में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं को अद्यतन करने और प्रौद्योगिकी संबंधी नवोन्मेषन के लिए निवेश करता रहेगा तथा साथ ही अपने ग्राहकों की बढ़ती बैंकिंग और निवेश संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा ताकि उनकी सुविधाओं में सुधार किया जा सके. जहां इन उपायों से संभावना है कि बैंक को मात्रात्मक रूप से अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं आपके बैंक के समग्र कारोबार परिचालन को मजबूती प्रदान करने के लिए जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट अभिशासन और विनियामकीय अनुपालन ढांचे को सुदृढ़ करते हुए कारोबार के विकास संबंधी मात्रात्मक पहलुओं पर समुचित ज़ोर दिया जाएगा.

challenges such as rapid technological evolution, the entry of non-traditional players in the banking space, increased cyber vulnerabilities, among others. Taking these factors into consideration, your Bank will continue to pursue a risk-calibrated business strategy to achieve its business imperatives and strategic priorities to drive a profitable and sustained business growth going forward.

The crux of your Bank's business strategy will continue to be aligned in favour of retail-centricity with heightened focus on building the share of retail, agri and small & medium-sized enterprises in its overall loan book. The Bank will also explore opportunities to expand its corporate loan book, especially in the mid-size segment. The strategy on the liability side will continue to be dominated by increased thrust on boosting low-cost deposits (CASA) and the retail deposit base. Furthermore, the Bank will continue to place due emphasis on cross-selling of products by tapping cross-functional synergies within the Bank in order to deepen existing customer relationships. Apart from measures to improve its top-line, your Bank will also work towards boosting its bottom-line by minimising operating expenses and increasing productivity. Improving asset quality will be another priority area for your Bank - a crucial parameter for facilitating a sustained growth trajectory going forward. Your Bank will continue to place emphasis on focussed NPA resolution, recovery & upgradation and strengthening the monitoring mechanism, to maintain a healthy asset quality.

To achieve these business objectives, your Bank has been putting in place necessary business enablers. Apart from expanding its physical branch network, your Bank intends to further leverage its digital channels to widen its reach. Your Bank will continue to invest in upgradation of its digital capabilities and embracing technological innovations to remain relevant in a constantly evolving business environment and also to cater to the emerging banking and investment requirements of its customers, thereby improving customer convenience. While these measures are expected to facilitate the Bank to augment its business growth in a quantifiable manner, due emphasis will also be placed on the qualitative aspect of growing business by strengthening risk management, corporate governance and regulatory compliance framework, in order to lend sustainability to your Bank's overall business operation.

आपके बैंक ने महामारी के फैलने के बाद अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के कल्याण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है. आपका बैंक उत्कृष्ट सेवा और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के माध्यम से अपने दक्षता मानकों को मजबूत बनाकर अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को और भी बेहतर बनाते हुए तथा सबसे महत्वपूर्ण, व्यवसाय के प्रति ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर सभी हितधारकों के लिए सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा बैंक बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है. आपका बैंक समावेशी और सतत विकास के राष्ट्रीय एजेंडे को और आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं के साथ भी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है.

आभार

मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सभी सांविधिक एवं विनियामकीय प्राधिकारियों को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा. अंत में सबसे महत्वपूर्ण अपने निदेशक मंडल, प्रबंधन टीम और बैंक के सभी कर्मचारियों के प्रति भी उनकी अटूट संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता के लिए मैं आभारी हूँ जिनके कारण बैंक के सफलतापूर्वक रूपान्तरण का मार्ग प्रशस्त हुआ. मैं सभी ग्राहकों और शेयरधारकों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वर्षों से बैंक के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा है और हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे हैं. मैं बैंक को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने हितधारकों से निरंतर सहयोग की आशा करता हूं.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Your Bank, since the outbreak of the pandemic, has demonstrated its commitment to ensure well-being and safety of its employees, customers and the community at large. Your Bank remains firmly committed to be the most trusted and preferred bank enhancing value for all the stakeholders by strengthening its efficiency parameters through excellent service, competitive products, further improving its digital infrastructure and most importantly, customer-centric approach towards business. Your Bank is also committed towards partnering with policymakers to further the national agenda of inclusive and sustainable growth.

Acknowledgement

I express my gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India (RBI), the Life Insurance Corporation of India (LIC) and all statutory & regulatory authorities for their valuable support and co-operation. Last but not the least, I am thankful to the Board of Directors, the Management Team and all the employees of the Bank for their unwavering perseverance and commitment which paved the way for a successful turnaround of the Bank. I am also profoundly thankful to all the customers and shareholders for reposing their trust in the Bank over the years and standing by us at all times. I look forward to the continued support of all the stakeholders to steer the Bank to greater heights.

With best wishes,

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

कुछ प्रमुख गतिविधियां

Some Major Events

विगत वर्ष की झलकियां

Glimpses of the past year

श्री एम.आर. कुमार, अध्यक्ष और श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ द्वारा बैंक और एलआईसी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एलआईसी सीएसएल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड *'एक्लैट सिलेक्ट एंड ल्यूमिन प्लैटिनम'* लॉन्च किया गया.

Launch of LIC CSL co-branded Credit Cards *'Eclat Select & Lumine Platinum'* by Shri M. R. Kumar, Chairman and Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, along with senior executives of the Bank and the LIC of India.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ अम्बेडकर जयंती के अवसर पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on the occasion of Ambedkar Jayanti.

श्री पी. डेनियल, सचिव, सीवीसी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर *'सतर्कता नियमावली (2021 तक अद्यतित)'* की एक प्रति श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ को सौंपते हुए.

Shri P. Daniel, Secretary, CVC, handing over a copy of the '*Vigilance Manual (updated 2021)*', to Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, on the occasion of Vigilance Awareness Week.

बैंक की हिंदी पत्रिका *'विकास प्रभा'* को सुप्रसिद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था *'आशीर्वाद'* द्वारा *'सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका'* का पुरस्कार प्राप्त हुआ. यह पुरस्कार महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया.

The Bank's in-house Hindi Magazine '*Vikas Prabha*' was awarded the '*Best in-house Magazine*' citation from '*Aashirwad*'- a renowned literary and cultural organization. The Award was conferred by the Hon'ble Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshyari.

बैंक के डीएमडी श्री सैम्युअल जोसेफ और श्री सुरेश खटनहार बैंक के स्थापना दिवस 2021 के अवसर पर चिपलून, महाराष्ट्र के आदर्श केंद्र स्कूल के प्रतिनिधि को कंप्यूटर सौंपते हुए.

Shri Samuel Joseph and Shri Suresh Khatanhar, DMDs of the Bank, handing over computers to representative of Aadarsh Kendra, a school in Chiplun, Maharashtra, on the occasion of the Bank's Foundation Day 2021.

श्री सुरेश खटनहार, उप प्रबंध निदेशक, बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भोपाल, मध्य प्रदेश में बैंक के आंचलिक कार्यालय का उद्घाटन करते हुए.

Shri Suresh Khatanhar, DMD, inaugurating the Bank's Zonal Office at Bhopal, Madhya Pradesh, in the presence of senior executives of the Bank and other dignitaries.

श्री राजीव कुमार, कार्यपालक निदेशक माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण टी. राणे के कर कमलों से चैंबर ऑफ माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (सीआईएमएसएमई) द्वारा *'सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक', 'सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग वाले निजी बैंक'* और *'सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी निजी बैंक'* श्रेणियों में एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 प्राप्त करते हुए.

Shri Rajeev Kumar, Executive Director, receiving the MSME Banking Excellence Award, 2021, conferred by the Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises (CIMSME) in the category of '*Best Private Bank for Promoting Social Schemes*', '*Best Branding Private Bank*' and '*Best Innovative Private Bank*', from the Hon'ble Minister of Micro Small and Medium Enterprises, Shri Narayan T. Rane.

डॉ. सौरव दत्ता, कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में डिजिटल बैंकिंग टीम सुरक्षित ओटीपी जनरेशन सेवा हेतु सॉफ्ट टोकन इन-ऐप के लिए *'फिनोविटी अवार्ड-2022'* प्राप्त करते हुए.

Digital Banking team headed by Dr. Sourav Dutta, Executive Director, receiving the '*FINNOVITI Award – 2022*' for Soft Token, an in-app, secure OTP generation service.

पुरस्कार एवं सम्मान
Awards and Accolades

बैंक की हिंदी पत्रिका *'विकास प्रभा'* को सुप्रसिद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था *'आशीर्वाद'* द्वारा *'सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका'* का पुरस्कार प्रदान किया गया.

The Bank's in-house Hindi Magazine *'Vikas Prabha'* was awarded the *'Best In-House Magazine'* citation from Aashirvad, a renowned literary and cultural organisation.

बैंक को *'निजी क्षेत्र'* के बैंकों की श्रेणी में रीडर्स डाइजेस्ट का *'ट्रस्टेड ब्रांड'* अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ.

The Bank was conferred with the Reader's Digest – *'Trusted Brand'* Award 2021 in the *'Private Banks'* category.

बैंक को चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (सीआईएमएसएमई) द्वारा *'सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक'*, *'सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग वाले निजी बैंक'* और *'सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी निजी बैंक'* की श्रेणियों में एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 प्राप्त हुआ.

The Bank received the MSME Banking Excellence Award, 2021, from the Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises (CIMSME) in the categories of *'Best Private Bank for Promoting Social Schemes'*, *'Best Branding Private Bank'* and *'Best Innovative Private Bank'*.

आईडीबीआई बैंक को *'एपीवाई लीडरशिप कैपिटल 4.0'* अभियान में निर्धारित लक्ष्य के मुक़ाबले 250% से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से *'एपीवाई एक्ज़ेंप्लरी डायमंड अवार्ड'* प्राप्त हुआ.

IDBI Bank received the *'APY Exemplary Diamond Award'* from the Pension Fund Regulatory Development Authority (PFRDA) for achieving more than 250 % of the assigned target in the *'APY Leadership Capital 4.0'* Campaign.

बैंक को सुरक्षित ओटीपी जनरेशन सेवा हेतु सॉफ्ट टोकन एप के लिए *'फिनोविटी अवार्ड - 2022'* से सम्मानित किया गया.

The Bank was conferred with the *'FINNOVITI Award – 2022'* for Soft Token, an in-app, secure OTP generation service.

बैंक को यूएस डॉलर भुगतान के संबंध में स्ट्रेट थ्रू ऑनलाइन भुगतान पर कार्रवाई करने में परिचालन दक्षता और भुगतान संदेशों की गुणवत्ता के लिए जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, मेलॉन द्वारा स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी के अंतर्गत *'एलीट क्वालिटी रिकग्निशन अवार्ड'* से सम्मानित किया गया.

The Bank was conferred with the *'Elite Quality Recognition Award'* under the Straight Through Processing (STP) category for US Dollar Payments by J. P. Morgan and Bank of New York, Mellon in recognition of its operational efficiency in processing straight through online payments and quality of payment messages.

आईडीबीआई बैंक आर-एसईटीआई को राज्य स्तरीय बैंकर्स कॉन्क्लेव में यूएमईडी: महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमएसआरएलएम) की ओर से *'एसएचजी बैंक लिंकेज'* और *'प्रशिक्षण एवं निपटान'* के क्षेत्र में अपने कार्य-निष्पादन के लिए क्रमश: *'बेस्ट परफॉर्मेंस'* अवार्ड और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank R-SETI was conferred with the '*Best Performance*' Award and also received a trophy from UMED - Maharashtra State Rural Livelihoods Mission (MSRLM) at the State Level Bankers Conclave, for its performance in '*SHG Bank linkage*' and '*Training and Settlements*' respectively.

निदेशकों की रिपोर्ट

Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित करना जारी रखा. कोरोना वायरस के परिवर्तन के कारण भारत में दूसरी और तीसरी लहर आई, जिसमें संक्रमण दर में तेजी से वृद्धि देखी गई. हालांकि, पहली लहर की तुलना में अर्थव्यवस्था पर इन लहरों का सीमित प्रभाव पड़ा, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रतिबंध स्थानीय स्तर पर ही लगाए गए थे, जिनके तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सामान्य संचालन की अनुमति दी गई थी. इसके अलावा, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों ने कमजोर वर्ग और व्यवसायों को महामारी के आर्थिक प्रभाव की अधिकता से बचा कर रखा. नीतिगत समर्थन ने अर्थव्यवस्था की बहाली में मदद की, जो कि वास्तविक सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के वित्त वर्ष 2020–21 में 6.6% के संकुचन की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 में 8.7% की वृद्धि से स्पष्ट होता है. महामारी की वापसी की कई लहरों के प्रभाव के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र लचीला बना रहा, क्योंकि इसे हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों के साथ–साथ नीति निर्माताओं द्वारा महामारी के मद्देनजर घोषित उपायों से सहायता प्राप्त हुई. इसके बावजूद, महामारी और उपभोक्ता व व्यावसायिक मनोभावों के कारण निरंतर अनिश्चितता के चलते वर्ष के अधिकांश हिस्से में कुछ हद तक ऋण वृद्धि में कमी ही आई. इन घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में अपने बैंक के वित्तीय प्रदर्शन को सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है.

वित्तीय विशेषताएं

यथा 31 मार्च 2022 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमश: ₹2,33,134 करोड़ तथा ₹1,45,772 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में दी गई हैं:

तालिका 1 : प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च 2021 की स्थिति	यथा 31 मार्च 2022 की स्थिति
पूंजी	10,752	10,752
रिज़र्व एवं अधिशेष	26,059	30,910
जमाराशियां	2,30,852	2,33,134
उधार राशियां	15,908	14,345
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	14,193	12,278
कुल देयताएं	**2,97,764**	**3,01,419**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	13,013	13,593
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	22,209	13,117
निवेश	81,023	82,988
अग्रिम	1,28,150	1,45,772
अचल और अन्य आस्तियां	53,369	45,949
कुल आस्तियां	**2,97,764**	**3,01,419**

इस अवधि में	**2020-21**	**2021-22**
कुल आय	24,497	22,985
कुल व्यय (प्रावधान को छोड़कर)	17,462	15,490
प्रावधान (कर छोड़कर)	4,666	3,887
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	2,369	3,608
कर के लिए प्रावधान	1,009	1,169
कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	1,359	2,439

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय ₹22,985 करोड़ रही जिसमें ₹18,295 करोड़ की ब्याज आय और ₹4,690 करोड़ की अन्य आय शामिल है. ₹15,490 के कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) में ब्याज व्यय ₹9,133 करोड़ और परिचालनगत व्यय ₹6,357 करोड़ रहा.

समीक्षाधीन वर्ष में मानक परिसंपत्तियों के लिए कम प्रावधान के कारण वर्ष के लिए आपके बैंक का कुल प्रावधान कम हो गया, जिसकी पूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में प्रावधानों के कम प्रतिवर्तन होने के कारण अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि से हो गई. प्रावधानों में एनपीए, बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों तथा निवेशों के लिए प्रावधान के प्रति ₹3,252 करोड़ की राशि शामिल है. निवल ब्याज आय (एनआईआई), अन्य आय में वृद्धि और परिचालन व्यय व प्रावधान में कमी होने के कारण आपके बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹2,439 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया.

जहां वर्ष के दौरान प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) ₹2.27 रहा, वहीं मार्च 2022 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य (अमूर्त आस्तियों और आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को छोड़कर) ₹18.35 रहा. आपके बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किसी लाभांश की सिफ़ारिश नहीं की है.

यथा 31 मार्च 2022 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या (हानि) के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल: आईडीबीआई बैंक लि.	97.57%	41,661.98	96.27%	2,439.27
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	0.77%	329.51	0.66%	16.75
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.24%	103.90	0.67%	16.95
3. आईडीबीआई असेट मैनजमेंट लि.	0.29%	121.82	0.33%	8.45
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	1.69	0.00%	0.08
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.66%	282.97	2.04%	51.66
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.30%	128.19	0.92%	23.40
सहायक कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)#				
भारतीय:				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉज़िटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	1.55%	39.33
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
4. पॉण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय:				
1. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.60%	257.24	0.93%	23.58
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100.44%**	**42,887.30**	**101.54%**	**2,572.68**
विलोपन	-0.44%	-187.41	-1.54%	-39.01
निवल कुल	**100.00%**	**42,699.89**	**100.00%**	**2,533.67**

टिप्पणी: उपर्युक्त किसी भी सहायक कंपनियों की कोई सहायक कंपनी नहीं है.

 # - तीन सहायक कंपनियों यथा पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (25%), बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. (27.93%) और पॉण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (21.14%) के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय परिणाम प्राप्त न होने के कारण इनके समेकन पर विचार नहीं किया गया है तथा एक सहायक संस्था नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉज़िटरी लि. (26.10%) के लेखे 31 दिसंबर 2021 तक के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल किए गए हैं; जिनका समेकित वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं है. पॉण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. के संबंध में निवेश को अवलेखित कर 1 रुपया कर दिया गया है.

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों

बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2022 को और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के बीच आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएँ नहीं थीं.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में क्या बैंक के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली उपलब्ध है तथा ऐसे नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता कितनी है. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) में संदर्भित आईएफसी से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओ–एफआर) से है. बैंक का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में बैंक में स्थापित उन मानदंडों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आईएफसीओ–एफआर के लेखापरीक्षण पर वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन व निर्वहन शामिल है, जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और सक्षमता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना की सामयिक तैयारी करने सहित अपने कारोबार के नियमानुसार व प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे.आपके बैंक ने मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए आईएफसीओ–एफआर रूपरेखा तैयार की है और सभी कारोबार वर्टिकलों/ विभागों के नियंत्रण की रिपोर्टिंग प्रक्रिया, प्रमाणन, दस्तावेजीकरण, के अनुपालन के वैधीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में बैंक में नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक के आईएफसीओ–एफआर रूपरेखा के अनुसार सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं के परीक्षण और वैधीकरण के पश्चात् सलाहकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की सभी तिमाहियों के लिए आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है. सलाहकार ने 31 मार्च 2022 के अनुसार सभी 591 जोखिम नियंत्रण मानकों के अनुपालन की समीक्षा की तथा आगे अनुपालन हेतु चार मामले देखने की रिपोर्ट दी है. संबंधित विभाग विचाराधीन मुद्दों का समाधान करने के लिए ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे हैं.

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के विवरण (अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 25% या अधिक बदलाव) तथा उन पर विस्तृत स्पष्टीकरण:

विवरण	2020-21	2021-22	टिप्पणियां
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.46%	0.84%	वित्तीय वर्ष 2020–21 में हुए ₹1,359 करोड़ के निवल लाभ के मुक़ाबले वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹2,439 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया गया है.
इक्विटी पर प्रतिलाभ (अमूर्त को छोड़कर)	10.06%	13.60%	वित्तीय वर्ष 2020–21 में हुए ₹1,359 करोड़ के निवल लाभ के मुक़ाबले वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹2,439 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया गया है.
ऋण इक्विटी अनुपात (अमूर्त को छोड़कर)	1.00%	0.73%	भारत और भारत के बाहर उधार राशियों में ₹1,563 करोड़ की उल्लेखनीय कमी आई और नेट वर्थ में ₹3,778 करोड़ का सुधार हुआ.
निवल एनपीए अनुपात	1.97%	1.27%	निवल एनपीए में ₹663 करोड़ की कमी आई.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल–III ढांचे के अंतर्गत पिलर 1 दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की तिमाही आधार पर गणना करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों के लिए 31 मार्च 2016 से चरणबद्ध तरीके से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है.

भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 5 फरवरी 2021 की अधिसूचना के अनुसार आपके बैंक ने यथा 1 अक्टूबर 2021 से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) का अंतिम चरण लागू किया है. तदनुसार यथा 31 मार्च 2022 को *'कुल पूंजी +पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)'* की न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता 11.50% निर्धारित थी. इसकी तुलना में आपके बैंक का *'कुल पूंजी + पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)'* अनुपात 19.06% रहा. इसी प्रकार 31 मार्च 2022 को आपके बैंक का *'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी'* अनुपात 8.00% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 16.68% रहा. 31 मार्च 2022 को आपके बैंक का *'टियर 1 + सीसीबी'* अनुपात 9.50% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 16.68% रहा. यथा 31 मार्च 2022 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 7.42% रहा.

कारोबार रणनीति

भारत में महामारी की दूसरी लहर अप्रैल 2021 और मई 2021 के महीनों के दौरान चरम पर थी और उसके चलते देश के लाखों नागरिक कोरोना वायरस से प्रभावित हुए. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों

ने स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया. जिससे कई आर्थिक गतिविधियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सामान्य रूप से, भले ही छोटे/ सीमित स्तर पर, जारी रखने की अनुमति दी गई. नीति निर्माताओं ने व्यक्तियों के जीवन और आजीविका पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को लक्षित नीति समर्थन देना जारी रखा.

इस पृष्ठभूमि में, आपका बैंक अपने ग्राहकों को उनकी बैंकिंग और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने बहुविध उत्पादों और सेवाओं के साथ ग्राहकों की खुशी सुनिश्चित करने के अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध बना रहा. महामारी के कारण भौतिक आवाजाही पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को निर्बाध और सतत् बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक साधन जोड़े गए, जिससे इसके परिचालन में लचीलापन बढ़ा. महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान हासिल हुए अनुभव से सीख लेकर बैंक ग्राहकों की उभरती अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्हें सुखद बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित कराने के लिए अपने उत्पाद और सेवाओं को बेहतर करने का लक्षित दृष्टिकोण अपना सका. इस प्रकार, स्पष्ट है कि महामारी के प्रकोप से बाधित वातावरण का असर समाप्त करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में और अधिक बल मिला.

परिचालनगत लचीलेपन को प्रदर्शित करने के अलावा आपके बैंक ने अपने व्यवसाय और वित्तीय कार्य–निष्पादन में भी ठोस सुधार दर्शाए. मार्च 2021 में आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से बैंक के बाहर निकलते ही विभिन्न प्रतिबंध हटने के कारण व्यावसायिक संभावनाओं में सुधार होने के बाद बैंक ने मजबूत बुनियाद के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 की शुरुआत करते हुए अपनी स्थिति को और भी सुदृढ़ किया. अपनी समग्र कारोबार रणनीति के तहत बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण रणनीति ने वर्ष के दौरान बैंक के कार्य–निष्पादन में व्यापक रूपान्तरण का मार्ग प्रशस्त किया. रिटेल–उन्मुख बैंक के रूप में खुद को स्थापित करने के अपने व्यापक एजेंडे के अनुरूप बैंक ने अपनी कुल परिसंपत्ति बही में रिटेल और छोटे व मध्यम उद्यमों को ऋण सहायता का हिस्सा बढ़ाया. साथ ही, बैंक ने कॉरपोरेट ऋण बही में, विशेष रूप से मध्यम आकार की इकाइयों में, जोखिम का ध्यान रखते हुए वृद्धि के प्रयत्न किए. इस दिशा में, बैंक ने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो (रिटेल और कॉरपोरेट दोनों) को बढ़ाते समय संबद्ध जोखिम मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समुचित सावधानी बरती. देयता के मोर्चे पर, जहां आपके बैंक ने अपनी कुल जमाराशियों में कम लागत वाले जमा आधार यानी कासा जमा और खुदरा सावधि जमा के हिस्से को बढ़ाना जारी रखा, वहीं रणनीतिक रूप से थोक सावधि जमा पर निर्भरता को कम किया. परिसंपत्ति और देयता के मोर्चे पर बैंक द्वारा अपनाई गई रणनीतिक पहल से प्रमुख लागत मापदंडों अर्थात् निधि लागत और जमा लागत में कमी लाने में मदद मिली. इसके अलावा, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ अपने व्यावसायिक गठजोड़ का पूरी क्षमता के साथ लाभ उठाया, जिसके चलते इसकी आय में और भी वृद्धि हुई. अपनी आय को बढ़ाने के उपायों को लागत युक्तिकरण उपायों की सहायता मिली, जिसके कारण लाभ में संवृद्धि हुई.

लाभकारी और सतत रूपांतरण सुनिश्चित करने के लिए आस्ति गुणवत्ता के महत्व को समझते हुए आपका बैंक अपनी आस्ति बही में व्याप्त मौजूद दबाव को कमतर करने के लिए आक्रामक रूप से वसूली करने तथा कमजोर आस्ति पोर्टफोलियो का विधिक और विनियामकीय माध्यमों से उन्नयन करने का कार्य कर रहा है. कॉरपोरेट और रिटेल पोर्टफोलियो में वसूली अभियान चलाने के लिए समर्पित टीमें भी तैयार की गई हैं. आपके बैंक ने विशेष तत्परता बरतते हुए अपनी ऋण निगरानी प्रणाली को भी सुदृढ़ किया ताकि पोर्टफोलियो में शुरू हुए किसी भी दबाव पर निगरानी रखी जा सके तथा आस्ति गुणवत्ता में किसी भी क्षरण को रोका जा सके. इन उपायों से आपके बैंक को शुरुआती दबाव कम करने, किसी भी गिरावट को रोकने और ऋण गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी.

आपके बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन एवं कॉरपोरेट अभिशासन संरचना को सुदृढ़ करने के लिए भी कई उपाय किए हैं. आपके बैंक ने प्रमुख क़ानूनों, नियमों, विनियमों व विभिन्न आचार संहिताओं का पालन करते हुए एक सशक्त अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखा ताकि अपनी साख कायम रखते हुए ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीता जा सके.

इन रणनीतिक उपायों को कई संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों से सम्पन्न किया गया, जैसे कि संगठन का पुनर्गठन, तकनीकी उन्नयन में निवेश, डेटा विश्लेषण कौशल में वृद्धि, आंतरिक और साथ ही साथ ग्राहक–संपर्क प्रक्रियाओं का और डिजिटलीकरण, नवीन उत्पादों और सेवाओं की शुरूआत, विभिन्न कर्मचारी–अनुकूल पहल कार्य आदि. आपके बैंक द्वारा किए गए इन एकजुट उपायों ने वित्त वर्ष 2021–22 में बैंक के समग्र रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त किया.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

ग्राहक केंद्रितता आपके बैंक की व्यावसायिक रणनीति का मूल मंत्र है. आपका बैंक 1,886 शाखाओं, 3,403 एटीएम और 58 ई–लाउंज के अपने भौतिक स्पर्श–बिंदुओं के माध्यम से, अपने विविध ग्राहक आधार की उभरती वित्तीय और निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है. अपने मौजूदा बहुविध उत्पादों और सेवाओं को परिष्कृत करने के अलावा, आपके बैंक ने बदलते कारोबारी परिदृश्य और ग्राहकों की बढ़ती प्राथमिकताओं के अनुरूप कई नवीन बैंकिंग समाधान भी पेश किए. आपके बैंक ने अपनी डिजिटल पेशकशों और संपर्क रहित समाधानों को व्यापक करते हुए ग्राहकों में डिजिटल व्यवहार के प्रति बढ़ते रुझान का लाभ उठाया है. इसके अलावा, आपके बैंक ने निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने और बैंकिंग को सुगम बनाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को स्वचालित और डिजिटाइज़ किया, जिससे ग्राहक को सुखद अनुभव प्रदान किया जा सके. बदलते कारोबारी परिदृश्य के अनुरूप आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित *'कभी भी, कहीं भी'* बैंकिंग

अनुभव प्रदान करने के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को सक्रिय रूप से मजबूत कर उनमें सुधार किया है. आपके बैंक ने अपने सभी हितधारकों के लिए एक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक होने के अपने दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए साइबर सुरक्षा के प्रति प्रगतिशील नजरिया स्थापित किया है.

आपके बैंक ने आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण, ऑटो ऋण, प्रतिभूतियों पर ऋण, एमएसएमई ऋण, कृषि ऋण, स्वर्ण ऋण जैसे खुदरा–केंद्रित उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हुए स्वयं को खुदरा–केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करने की अपनी समग्र व्यावसायिक रणनीति के अनुरूप उत्तरोत्तर बड़े खुदरा व्यापार पोर्टफोलियो पर ध्यान देना जारी रखा. आपका बैंक बेहतर कार्यान्वयन समय सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली के माध्यम से इन ऋणों पर कार्रवाई करता है. इसके अलावा, बैंक ने बेहतर ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कई आईटी पहल कार्य भी शुरू किए.

आपके बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों, प्रत्यक्ष कृषि गैर–कॉरपोरेट (डीएएनसी) तथा लघु और सीमांत कृषकों (एसएफएमएफ) को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आरबीआई द्वारा अधिदेशित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा. आपके बैंक ने विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अपने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) नेटवर्क चैनल का भी लाभ उठाया. आपके बैंक ने अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए सह–ऋण (को–लेंडिंग) समझौते भी किए. आपका बैंक उचित और पारदर्शी तरीके से समाज के कमजोर और वित्तीय रूप से वंचित वर्गों के लिए उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है. आपका बैंक समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग कर रहा है और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है. आपका बैंक भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पहलों के तहत ऋण भी प्रदान करता रहा है.

अपने खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, आपके बैंक ने मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट और पोत लदानोत्तर ऋण, बिल भुनाई, अंतर्दिवस सीमाएं, चैनल वित्तपोषण व वेंडर वित्तपोषण, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) खंड के ग्राहकों को ऑन–लेंडिंग के लिए उधार देना, आदि सुविधाएं प्रदान करते हुए अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को जोखिम पर भलीभाँति विचार करते हुए पूरा करने का प्रयास किया.

आपके बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों, एजेंटों और सहायक कंपनियों को उनकी बैंकिंग व निवेश संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी कई नवोन्मेषी, विशेष और अनुकूल उत्पाद व सेवाओं की पेशकश करते हुए एलआईसी से समन्वय का लाभ उठाया.

आपके बैंक के पास समर्पित व्यापार वित्त विभाग है, जो अपने बड़े कॉरपोरेट, मध्यम कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है. लेन–देन निष्पादन को त्रुटि मुक्त और तेज बनाने के लिए बैंक ने कई आईटी पहल कार्य भी किए. व्यापार वित्त के क्षेत्र में डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) के उभरते उपयोग का लाभ उठाने के लिए आपका बैंक 'इंडियन बैंक्स ब्लॉकचैन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लि'. (आईबीबीआईसी) का इक्विटी धारक बन गया. इससे आपके बैंक के अंतर–संगठन व्यापार वित्त परिचालनों को डिजिटाइज और स्वचालित करने के लिए प्रक्रियाओं के निर्माण में बैंक को सुविधा होगी. आपके बैंक ने सीमा पार से भुगतान में साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी प्रणाली नियंत्रण प्रणाली स्थापित की.

आपका बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राप्तियों एवं भुगतान संबंधी संव्यवहारों को संभालने के लिए रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक केंद्र सरकार के करों की वसूली करने, लघु बचत योजनाओं की पेशकश करने और केंद्रीय सिविल, प्रतिरक्षा तथा रेलवे पेंशनों को संवितरित करने के लिए प्राधिकृत है. आपका बैंक 14 राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्राप्तियों की वसूली कार्य में भी सक्रिय है. आपका बैंक करों के भुगतान के लिए 24×7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है.

आपका बैंक कॉर्पोरेटों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप वसूलियों, भुगतान एवं संव्यवहार बैंकिंग समाधानों के लिए नकदी प्रबंध सेवा (सीएमएस) की अनुकूलित एवं व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है. आपका बैंक विभिन्न प्रकार के समाधान जैसे, राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह (एनएसीएच), वर्चुअल खाता सुविधा, उपयोगिता भुगतान, प्रत्यक्ष डेबिट सुविधाएं तथा अन्य अनुकूलित ई– समाधान ऑफर करता है जो ग्राहक प्रणालियों के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत (होस्ट–टू–होस्ट) हैं. आपके बैंक ने कॉर्पोरेटों और संस्थाओं के लिए दो नए डिजिटल उत्पाद अर्थात् कॉरपोरेट चलनिधि प्रबंध समाधान (सी–एलएमएस) और सरकारी चलनिधि प्रबंध समाधान (जी–एलएमएस) जोड़े हैं ताकि कॉर्पोरेटों/ संस्थाओं की चलनिधि प्रबंध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. अन्य सेवाओं में आपका बैंक भारतीय रेलवे की ई–फ्राइट भुगतान प्रणाली में सहभागिता करने और फास्टैग जारी करने तथा फास्टैग व्यवसाय अधिप्राप्ति के लिए प्राधिकृत है. आपका बैंक एलआईसी के शाखा कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, पेंशन एवं समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) कार्यालयों, व्यक्तिगत पेंशन नीति (आईपीपी) कार्यालयों तथा अन्य कार्यालयों को सीएमएस वसूली तथा भुगतान सेवाएँ भी ऑफर करता है.

आपके बैंक का ट्रेजरी विदेशी मुद्रा, नियत आय तथा डेरिवेटिव उत्पादों की प्रभावी तरीके से मार्केटिंग करते हुए अपने कॉरपोरेट और रिटेल ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है और साथ ही उनके एक्सपोजरों का प्रभावी तरीके से प्रबंध करने के लिए उन्हें समाधान भी उपलब्ध कराता है. आपका बैंक अपने ग्राहकों को उनकी सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों के जरिए ऋण लिखतों (सरकारी प्रतिभूतियाँ, गैर–सांविधिक चलनिधि अनुपात (एनएसएलआर) बॉन्डों आदि) में उनके निवेश के बारे में भी सलाह देता है.

आपके बैंक ने देशी और विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफआई) को बैंक के विभिन्न उत्पाद/ सेवाएं पेश करने पर ध्यान देने के लिए एक समर्पित वित्तीय संस्था समूह (एफआईजी) भी स्थापित किया है. यह समूह व्यापार, नकदी प्रबंध सेवाओं, भुगतान, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, मुद्रा बाजार व तथा खुदरा बैंकिंग से संबंधित विभिन्न उत्पाद/ सेवाएं पेश करने के लिए कवरेज ग्रुप के रूप में कार्य करता है. यह एफआईजी विभिन्न एफआई से कवरेज बढ़ाने और एफआई कारोबार बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है.

आपका बैंक ग्राहक जुटाने और उन्हें अपने साथ बनाए रखने, एनालिटिक्स प्रेरित इनपुट आधारित अनुकूलित अभियानों को शुरू करने; जटिल कारोबारी समस्याओं एवं मुद्दों को हल करने के लिए व्यवसाय समाधानों की सिफारिश करने; ऋण जोखिम तथा व्यवसाय संभावनाओं का आकलन करने; और लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण के साथ वास्तविक समय आधार पर ऋण खातों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने आदि के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार लाने के लिए डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग (एमएल) का प्रयोग लगातार बढ़ा रहा है. डेटा एनालिटिक्स से न केवल बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने, एनपीए पूर्वानुमान, ऋण वसूली और कमी के विश्लेषण में मदद मिली है बल्कि कई प्रक्रिया रि–इंजीनियरिंग में भी सहायता मिली है.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए पहल कार्यों के विस्तृत ब्योरे वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिए गए हैं.

बैंक के कारोबार पर कोविड –19 महामारी का प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप अप्रैल –मई 2020 की अवधि के दौरान राष्ट्र–व्यापी लॉकडाउन लगाया गया था जिसका देश में आर्थिक कार्यकलापों पर व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा. इस अवधि के बाद लॉकडाउन उपायों में ढील दिए जाने से आर्थिक कार्यकलापों की गति में धीरे–धीरे सुधार आए और इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020–21 की दूसरी छमाही में स्थिति सामान्य स्तर की ओर उन्मुख हुई. वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत को महामारी की दो और लहरें झेलनी पड़ीं और देश के कुछ हिस्सों में फिर से स्थानीय स्तर पर / क्षेत्रीय लॉकडाउन उपाय लगाने पड़े. वर्तमान में कोविड–19 मामलों में धीरे–धीरे कमी आ रही है और भारत सहित दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएँ धीरे–धीरे पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं. बैंक ने महामारी द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर अपने को तैयार रखा है. बैंक की पूंजी और चलनिधि स्थिति मजबूत है और आपके बैंक के लिए यह आगे भी विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाला क्षेत्र बना रहेगा.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंक के संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों और सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं. विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) में उल्लिखित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं द्वारा अभिशासित है. बोर्ड, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में संकेंद्रित अभिशासन प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही बोर्ड की विभिन्न गठित समितियों के माध्यम से कार्य करता है. संस्था अंतर्नियम के अनुसार निदेशक मंडल में तीन से कम और पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिनमें बोर्ड द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक पूर्णकालिक एमडी एवं सीईओ और दो डीएमडी, एलआईसी के दो नामिती निदेशक, भारत सरकार के दो नामिती निदेशक और आठ गैर–आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष तथा एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) शामिल हैं.

31 मार्च 2022 को बोर्ड में चौदह निदेशक यथा, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री एम.आर. कुमार; पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी और सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज और श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी; भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्री अंशुमन शर्मा; गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में एलआईसी के नामिती निदेशक श्री मुकेश कुमार गुप्ता; तथा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जम्बुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर, श्रीमती पी.वी. भारती और श्री टी. एन. मनोहरन शामिल थे. यथा 31 मार्च 2022 को बोर्ड में शामिल 14(चौदह) निदेशकों की वर्तमान संख्या संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 114 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

आपके बैंक के कारोबार और परिचालनों के विभिन्न कार्य पहलुओं की देख–रेख करने के लिए बोर्ड की कुल तेरह समितियां हैं. बोर्ड की समितियों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति शामिल हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की मान्यता है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि हितधारकों के मूल्य में वृद्धि सहित उत्कृष्ट अभिशासन के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बैंक की कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp) पर प्रदर्शित की गई है. बीआर रिपोर्ट पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिप्रेक्ष्य में बैंक द्वारा किए गए पहल कार्यों को वर्णित करती है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत कथन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक की सेवा में ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे ₹1.02 करोड़ से अधिक का वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष के किसी हिस्से के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे प्रतिमाह ₹8.50 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियोजित नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशकों द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके पास स्वयं अथवा जिसके पति/ पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ मिलाकर बैंक के 2% इक्विटी शेयर से अधिक शेयर धारित हों.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत विवरण– शीर्ष दस कर्मचारियों का ब्योरा

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है.	कर्मचारी की अर्हता और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	ऐसे कर्मचारी की आयु	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन
1	श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	8721245.16	संविदागत	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 3 वर्ष	10 अक्तूबर 18	63 वर्ष	केनरा बैंक
2	श्री सुरेश खटनहार*	उप प्रबंध निदेशक	7158124.98	संविदागत	एम. कॉम, सीएआईआईबी एवं आईसीडब्ल्यूए आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 24 वर्ष	23 जून 97	58 वर्ष	देना बैंक
3	श्री अशोक कुमार गौतम#	प्रमुख - ट्रेजरी	6571671.68	संविदागत	बीएससी, एमबीए एवं एफआरएम आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 2 वर्ष	24 जून 19	59 वर्ष	एक्सिस बैंक
4	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक	6494752.38	संविदागत	बीई (ऑनर्स) एवं एमबीए आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 2 वर्ष	20 सितंबर 19	53 वर्ष	एग्जिम बैंक
5	श्री नागराज गारला	कार्यपालक निदेशक	5431515.92	पूर्णकालिक	बी.कॉम, एमबीए, एम.कॉम, आईसीडब्ल्यूए (इंटर), सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन आईटी एंड साइबर सिक्युरिटी फॉर सीनियर मैनेजमेंट, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन ट्रेड फाइनेंस एंड सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन इन एसएमई फाइनेंस एंड सीआईएमए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एडवांस डिप्लोमा (यूके) आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 22 वर्ष	17 फरवरी 00	52 वर्ष	आईएनजी वैश्य बैंक
6	श्री अजय नाथ झा	कार्यपालक निदेशक	5398230.61	पूर्णकालिक	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.फिल, सीएफए, सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी प्रोफेशनल, सीएआईआईबी और एफआरएम आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 27 वर्ष	27 दिसंबर 94	59 वर्ष	भारतीय रिज़र्व बैंक

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है.	कर्मचारी की अर्हता और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	ऐसे कर्मचारी की आयु	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन
7	श्री माधव वसंत फड़के^	कार्यपालक निदेशक/ सलाहकार	5360444.29	पूर्णकालिक	बी.ए., एलएलएम, एमएलएल एंड एलडब्ल्यू – बैंकिंग में डिप्लोमा आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 30 वर्ष	16 मई 91	60 वर्ष	महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन
8	श्री अनिल कुमार आर. जैसवारा	मुख्य महाप्रबंधक	5238289.88	पूर्णकालिक	बी.कॉम. एवं सीएआईआईबी आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 33 वर्ष	25 अगस्त 88	56 वर्ष	मै. मलहोत्रा ग्राफिक्स
9	श्री प्रदीप कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	5223140.50	पूर्णकालिक	बीएससी एवं एमबीए (वित्त) आईडीबीआई बैंक में अनुभव : 21 वर्ष	23 जनवरी 01	60 वर्ष	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
10	श्री अजय शर्मा	कार्यपालक निदेशक	5213701.79	पूर्णकालिक	एमबीए, एम.कॉम., आईसीडब्ल्यूए (इंटर) और सीएआईआईबी आईडीबीआई बैंक में अनुभव: 34 वर्ष	02 नवंबर 87	59 वर्ष	पंजाब नेशनल बैंक

* - *बैंक में श्री सुरेश खटनहार के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में वर्तमान पदनाम के प्रारंभ होने की तारीख 15 जनवरी 2020 है.*

\# - *श्री अशोक कुमार गौतम वित्तीय वर्ष 2021-22 के भाग के दौरान नियोजन में थे.*

^ - *श्री एम. वी. फडके वित्तीय वर्ष 2021–22 के भाग के लिए पूर्णकालिक रोजगार में थे और उसके बाद सलाहकार के रूप में सेवारत रहे.*

पारिश्रमिक में वेतन, भत्ते, आयकर नियमानुसार परिलब्धियां शामिल हैं, लेकिन पीएफ में नियोजक का अंशदान/ पेंशन, गैर-मौद्रिक परिलब्धि कर तथा उपचित सेवानिवृत्ति लाभ इसमें शामिल नहीं हैं.

उपर्युक्त सूची में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारी शामिल नहीं हैं जिनके वेतन की प्रतिपूर्ति अन्य कंपनियों द्वारा की जाती है.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण

आपके बैंक ने ऊर्जा संरक्षण के लिए कई उपाय किए. उदाहरण के लिए बैंक ने मुंबई स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय भवन सहित बैंक के अन्य कार्यालयों और बैंक आवासीय भवनों में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए पारंपरिक बिजली के फिक्सचर के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट फिक्सचर/ लैम्प/ ट्यूब लगाए. बैंक अपनी शाखाओं में नए साइनेज को पारंपरिक ऊर्जा की खपत वाले लाइट फिक्सचर के स्थान पर नई एलईडी रोशनी वाली लाइटों से सुसज्जित कर रहा है. आपका बैंक सभी नई अथवा नवीकृत शाखाओं के लिए पारंपरिक लाइटों के स्थान पर एलईडी रोशनी का प्रयोग कर रहा है. बैंक ने जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद में निर्मित नए आवासीय भवनों में जल संचयन की सुविधा स्थापित की.

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

आपका बैंक उन प्रौद्योगिकी आधारित नवाचरों का अग्रसक्रिय रूप से मूल्यांकन और समावेशन करता रहा है जिनमें उसके व्यवसाय कार्यों को सशक्त बनाने, उसके ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करने और भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के प्रति उसकी तैयारी को इष्टतम बनाने की क्षमता हो.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ उल्लेखनीय प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों में बचत खाते खोलने के लिए ग्राहकों को डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वीडियो केवाईसी खाता खोलने संबंधी प्रक्रिया (वीएओ) की क्षमताओं में वृद्धि और विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने वाले वेंडरों के साथ साझा किए गए ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल अधिकार प्रबंध (डीआरएम) समाधान कार्यान्वित करना शामिल है. आपके बैंक ने इसके अलावा उद्योग मानक प्रौद्योगिकियों के अनुरूप अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाया जिसमें सॉफ्टवेयर परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी–डब्ल्यूएएन) शामिल है जो कार्यान्वयन के

उच्च चरण में है और डेटा सेंटर (डीसी) एवं डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट दोनों स्थानों पर नेक्स्ट जेनरेशन सिक्योरिटी ओपरेशंस सेंटर (एसओसी) स्थापित करने के लिए आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी यथा–सिक्योरिटी ओर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रेस्पोंस (एसओएआर), नेटवर्क बिहेवियर एनामली डिटेक्शन (एनबीएडी), पैकेट कैप्चर (पीसीएपी), यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स (यूईबीए) एवं थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (टीआईपी) को भी कार्यान्वित कर रहा है. इसके अतिरिक्त आपका बैंक आईटी परिचालन प्रबंध के लिए उद्यम समाधान भी प्राप्त कर रहा है और एकीकृत संग्रहण एवं वसूली मॉड्यूल के कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

आपके बैंक ने नवीनतम हार्डवेयर के अनुरूप कोर बैंकिंग सर्वरों को समुन्नत किया जिससे कार्य निष्पादन और लचीलेपन में सुधार लाने में सहूलियत हुई है. आपके बैंक ने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर संसाधनों के समयबद्ध प्रावधान के लिए व्यवसाय की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु समूचे प्राइवेट क्लाउड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समुन्नत किया है. आपका बैंक अब नवीनतम एनालिटिक्स समाधान संचालित कर रहा है और नवीनतम स्टोरेज और सर्वर हार्डवेयर का प्रयोग करते हुए इसे स्थापित किया है और अत्याधुनिक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रबंध (एपीआईएम) माइक्रो–सर्विसेस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है. आपके बैंक ने महत्वपूर्ण आईटी प्रणालियों के लिए आवधिक रूप से आपदा रिकवरी (डीआर) ड्रिल संचालित किए जिससे कोविड–19 महामारी के दौरान भी बाधारहित उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और आईटी सेवाओं के बाधित होने के जोखिम में कमी आई है.

डेटा की परिशुद्धता और संवर्धन के मोर्चे पर आपके बैंक ने सफलतापूर्वक ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ़) एप्लिकेशन को कार्यान्वित किया और मानवीय हस्तक्षेपों को खत्म करते हुए आरबीआई विवरणियों के सृजन की प्रक्रिया को लगातार परिशुद्ध कर रहा है. आरबीआई ने विनियामक प्रस्तुतियों के लिए प्रणाली–से–प्रणाली दृष्टिकोण के जरिए बैंकों के डेटा को मिलाने हेतु एकल भंडार बनाने के उद्देश्य से एक परियोजना अर्थात् केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) प्रारंभ की है. आपके बैंक ने में आरबीआई द्वारा जारी की गई विवरणियों के लिए एडीएफ़ आउटपुट को एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंगुएज (एक्सबीआरएल) में रूपांतरित कर दिया. इसके साथ ही, आपके बैंक ने सुधारित ग्राहक वैलेट प्राप्त करने के उद्देश्य से डेटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) भी स्थापित किया.

आपका बैंक उन्नत एनालिटिक्स इकोसिस्टम में मात्रात्मक और अभियोज्य इनपुटों को उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता रहा है और सांख्यिकीय / भविष्यसूचक मॉडलों एवं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को तैयार और कार्यान्वित करता रहा है. बैंक व्यापक विश्लेषण, ग्राहक प्रोफ़ाइल तैयार करने, भविष्य सूचक मॉडलिंग, पूर्वानुमान, प्रवृत्ति विश्लेषण, मार्केटिंग विश्लेषण एवं जोखिम एनालिटिक्स के लिए डेटा के विविध स्रोतों का इस्तेमाल कर रहा है और जटिल व्यावसायिक समस्याओं तथा मुद्दों सुलझाने के लिए व्यवसाय समाधानों की सिफ़ारिश कर रहा है.

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए अन्य पहल कार्यों का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

ग) विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा ₹96.53 करोड़ (डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह को छोड़कर) थी और परिचालन और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए कुल विदेशी मुद्रा व्यय ₹26.19 करोड़ था.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतदद्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि:

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस कंपनी के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख–रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

ङ. निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशक मंडल ने लागू सभी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा यह भी कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है और भविष्य में भी उनसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का अत्यधिक सम्मान करता है.

[सुरेश खटनहार]
उप प्रबंध निदेशक

[सैम्युअल जोसेफ जेबराज]
उप प्रबंध निदेशक

[राकेश शर्मा]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक: 02 मई 2022

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on the Bank's business and operations for the financial year ended March 31, 2022.

The COVID-19 pandemic continued to afflict the lives of people across the world in the Financial Year (FY) 2021-22. Mutations of the coronavirus caused second and third waves in India which saw exponential surge in infection rates. However, these waves had a limited impact on the economy as compared to the first wave on account of largely localised restrictions which allowed for a semblance of normal operations by various sectors of the economy. Furthermore, proactive measures taken by the Government of India (GoI) and the Reserve Bank of India (RBI) shielded the vulnerable segments of the populace and businesses against the excesses of the economic impact of the pandemic. The policy support helped in steering the economy towards the path of recovery as is evidenced by a real Gross Domestic Product (GDP) growth of 8.7% in FY 2021-22 as compared to a contraction of 6.6% in FY 2020-21. Notwithstanding the impact of the resurgent waves of the pandemic, the banking sector continued to be resilient, aided by structural reforms taken by the Government of India (GoI) in the recent years as well as measures announced by the policymakers in the wake of the pandemic. Despite this, the continued uncertainty due to the pandemic and dented consumer & business sentiments weighed down the credit growth to some extent for a substantial part of the year. It is essential to view the financial performance of your Bank in the backdrop of these developments for a nuanced perspective.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

As on March 31, 2022, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,33,134 crore and ₹ 1,45,772 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in Table 1.

Table 1: Key Financials

(₹ in crore)

	As on March 31, 2021	As on March 31, 2022
Capital	10,752	10,752
Reserves & Surplus	26,059	30,910
Deposits	2,30,852	2,33,134
Borrowings	15,908	14,345
Other Liabilities & Provisions	14,193	12,278
Total Liabilities	**2,97,764**	**3,01,419**
Cash & Balances with RBI	13,013	13,593
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	22,209	13,117
Investments	81,023	82,988
Advances	1,28,150	1,45,772
Fixed & Other Assets	53,369	45,949
Total Assets	**2,97,764**	**3,01,419**
For the period	**2020-21**	**2021-22**
Total Income	24,497	22,985
Total Expenses (other than provisions)	17,462	15,490
Provisions (other than tax)	4,666	3,887
Profit/ (Loss) Before Tax	2,369	3,608
Provision for Tax	1,009	1,169
Profit/ (Loss) After Tax	1,359	2,439

During the year under review, your Bank's total income amounted to ₹ 22,985 crore, comprising interest income of ₹ 18,295 crore and other income of ₹ 4,690 crore. Interest expenses stood at ₹ 9,133 crore and operational expenses at ₹ 6,357 crore, accounting for total expenditure (excluding provisions and contingencies) of ₹ 15,490 crore.

Total provisioning of your Bank decreased for the year due to lower provisioning towards standard assets in the year under review which was offset by increase in provisioning for Non-Performing Assets (NPAs) due to lower reversal of provisions in comparison with previous year. The provisions include ₹ 3,252 crore towards provision for NPAs, bad debts written-off and investments. The increase in Net Interest Income (NII), other income and reduction in provisions enabled the Bank to earn a net profit of ₹ 2,439 crore during FY 2021-22.

While the Earnings per Share (EPS) during the year were ₹ 2.27, the Book Value per Share (excluding intangible assets and Deferred Tax Asset (DTA)) stood at ₹ 18.35 as at end-March 2022. The Board of your Bank has not recommended any dividend for FY 2021-22.

REPORT ON THE PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF SUBSIDIARIES & JOINT VENTURE INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AS ON MARCH 31, 2022

Name of the Entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of Consolidated Net Assets	Amount (In ₹ crore)	As % of Consolidated Profit or Loss	Amount (In ₹ crore)
Parent : IDBI Bank Ltd.	97.57%	41,661.98	96.27%	2,439.27
Subsidiaries				
Indian :				
1. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.77%	329.51	0.66%	16.75
2. IDBI Intech Ltd.	0.24%	103.90	0.67%	16.95
3. IDBI Asset Management Ltd.	0.29%	121.82	0.33%	8.45
4. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	1.69	0.00%	0.08
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	282.97	2.04%	51.66
Foreign :	NA	NA	NA	NA
Minority Interest in all Subsidiaries	0.30%	128.19	0.92%	23.40
Associates (Investment as per the equity method)#				
Indian				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	-	-
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	1.55%	39.33
3. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	-	-
4. Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)	NA	NA	NA	NA
Foreign :	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
Indian				
1. Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	0.60%	257.24	0.93%	23.58
Foreign	NA	NA	NA	NA
Total	**100.44%**	**42,887.30**	**101.54%**	**2,572.68**
Elimination	-0.44%	-187.41	-1.54%	-39.01
Net Total	**100.00%**	**42,699.89**	**100.00%**	**2,533.67**

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

 # - The financials of three associates, viz. North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (25%), Biotech Consortium India Ltd. (27.93%) and Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. (21.14%) are not considered for consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for FY 2021-22 and in case of one Associate, National Securities Depository Ltd. (26.10%), the financials has been taken up to December 2021, impact of which on Consolidated Financial Statements is not material. In case of the Associate, Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd., the investment in the said company has been written down to ₹ 1.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING FINANCIAL POSITION OF IDBI BANK WHICH HAVE OCCURRED DURING THE END OF FINANCIAL YEAR AND THE DATE OF BOARD REPORT

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank, which occurred between the end of the financial year, i.e. March 31, 2022 and the date of the Directors' Report.

THE DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

According to Section 143(3)(i) of the Companies Act 2013, the report of the Statutory Auditors should state whether the Bank has adequate Internal Financial Controls (IFCs) system in place and what is the operating effectiveness of such controls in the context of the financial statements. The IFCs, as referred to in Section 143(3) (i) of the Companies Act, relate to Internal Financial Controls Over Financial Reporting (IFCO-FR). The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by it, considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFCO-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of the accounting records, and timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the guidelines issued by the RBI. Your Bank has put in place an IFCO-FR Framework for evaluation of the existing internal financial controls system and appointed a Consultant for validating the compliances with respect to the documentation, certification, reporting process of the controls across all business verticals/ departments and ascertaining the adequacy and effectiveness of the controls in the Bank in all material respects with respect to financial reporting. During FY 2021-22, the Consultant has submitted the Internal Compliance Certificate for all the quarters of FY 2021-22 after carrying out the testing and validation of all the underlying processes as per the Bank's IFCO-FR framework. The Consultant reviewed the compliance of all the 591 Risk Control Matrices as on March 31, 2022 and reported four open issues for further compliance. The departments concerned are working closely for addressing these open issues.

DETAILS OF SIGNIFICANT CHANGES (I.E. CHANGE OF 25% OR MORE AS COMPARED TO THE IMMEDIATE PREVIOUS FINANCIAL YEAR) IN KEY FINANCIAL RATIOS, ALONG WITH A DETAILED EXPLANATION THEREOF, INCLUDING:

Particulars	2020-21	2021-22	Comments
Return on Assets	0.46%	0.84%	Net profit for FY 2021-22 is ₹ 2,439 crore as compared to net profit of ₹ 1,359 crore in FY 2020-21
Return on Equity (excluding intangibles)	10.06%	13.60%	Net profit for FY 2021-22 is ₹ 2,439 crore as compared to net profit of ₹ 1,359 crore in FY 2020-21.
Debt Equity Ratio (excluding intangibles)	1.00%	0.73%	Borrowings made in India and outside India have significantly decreased by ₹ 1,563 crore and improvement in net worth by ₹ 3,778 crore
Net NPA ratio	1.97%	1.27%	Net NPA has decreased by ₹ 663 crore.

CAPITAL ADEQUACY

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a quarterly basis. As per the Basel guidelines, banks in India are mandated to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) in a phased manner commencing from March 31, 2016.

In line with RBI's notification dated February 5, 2021, your Bank has implemented the last tranche of Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from October 1, 2021. Accordingly, the minimum regulatory requirement of *'Total Capital + CCB'* was 11.50% as on March 31, 2022. Your Bank's *'Total Capital + CCB'* ratio was 19.06% as on March 31, 2022. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 16.68% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 16.68% as on March 31, 2022 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2022 was 7.42% against the minimum regulatory requirement of 3.50%.

BUSINESS STRATEGY

The second wave of the pandemic in India, which peaked during the months of April 2021 and May 2021, saw lakhs of citizens in the country being affected by the coronavirus. In order to curb the spread of the virus, various State Governments re-imposed restrictions at localised levels, which permitted several economic activities to continue as usual, albeit at a smaller/ contained scale, in adherence with

COVID-19 protocols. The policymakers also continued to extend targeted policy support to the vulnerable sections of the society to minimise the economic impact of the pandemic on the lives and livelihoods of individuals.

Against this backdrop, your Bank continued to remain committed towards its core objective of ensuring customer delight by serving its customers with a bouquet of products and services for meeting their banking and financial requirements. Considering the pandemic-led restriction on physical movement, various business enablers were put in place by the Bank to extend uninterrupted and seamless banking services to its customers, thereby enhancing its operational resilience. Equipped with the experience gained during the initial phase of the pandemic, the Bank was able to adopt a more targeted approach by fine-tuning its product and services to align with the emerging expectations and preferences of its customers and to ensure a holistic banking experience. Thus, it is evident that the measures initiated by the Bank in the previous financial year to navigate through an environment disrupted by the outbreak of the pandemic gained further traction in FY 2021-22.

Apart from displaying operational flexibility, the Bank also exhibited tangible improvements in its business and financial performance. The FY 2021-22 started on a strong footing with the Bank further consolidating its position aided by robust fundamentals as also improvement in its business prospects upon the removal of restrictions placed on it with the Bank's exit from the RBI's Prompt Corrective Action (PCA) framework in March 2021. The strategic imperatives pursued by the Bank within the broad contour of the overall business strategy paved the way for a broad-based turnaround in its performance during the year. In consonance with its overarching agenda of positioning itself as a retail-oriented bank, the Bank augmented the share of loans to retail and small & medium-sized enterprises in its total asset book. At the same time, the Bank also pursued growth in the corporate credit book, especially in the mid-size units, in a risk-calibrated manner. Towards this end, the Bank exercised caution while augmenting the asset portfolio (both retail and corporate) by taking into consideration the associated risk parameters. On the liability side, your Bank continued to boost the share of its low-cost deposit base, i.e. CASA deposits and retail term deposits to the total deposits while strategically lowering the reliance on bulk term deposits. The strategic imperatives adopted by the Bank on the asset and liability front aided in reduction in the key cost parameters, viz. cost of funds and cost of deposits. In addition to this, the Bank continued to realise the full potential of the business synergies arising from its association with the Life Insurance Corporation of India (LIC), which aided in further improving its income. The measures to augment its income were aptly supported by cost rationalisation measures to strengthen its bottom-line.

Taking cognisance of the importance of asset quality in ensuring a stable and profitable growth path, your Bank continued to emphasise on improving its asset quality with special focus on maximising recovery and up-gradation efforts of its delinquent asset portfolio through legal and regulatory routes in a bid to resolve the existing stress in its asset book. Dedicated teams set up for both corporate and retail portfolio accelerated the overall recovery process. In order to closely monitor the onset of stress in the portfolio and also prevent further slippages in its asset quality, the Bank also undertook proactive measures to strengthen its credit monitoring mechanism. These measures initiated by the Bank aided in reducing incipient stress, limiting slippages and enhancing its credit quality.

Your Bank also undertook measures to further strengthen its Risk Management and Corporate Governance framework. Furthermore, your Bank also continued to promote a strong compliance culture by promoting and ensuring meticulous adherence to key laws, rules, regulations, internal policies and procedures and various codes of conduct, to maintain its reputation and win the trust of customers, investors and regulators.

These strategic measures were supplemented by a number of structural and systemic improvements, such as organisation restructuring, investment in technological up-gradation, augmenting data analytics prowess, further digitalisation of both internal as also customer-facing processes, introduction of innovative products & services, numerous employee-friendly initiatives, etc. The cohesive measures taken by your Bank paved the way for a holistic turnaround of the Bank in FY 2021-22.

KEY BUSINESS INITIATIVES

Customer centricity is at the core of your Bank's business strategy. Your Bank, through its physical touch-points of 1,886 branches, 3,403 ATMs and 58 e-lounges, offers a wide range of banking products and services to cater to the emerging financial and investment requirements of its diverse customer base. Apart from fine-tuning its existing bouquet of products and services, your Bank also introduced a number of innovative banking solutions in line with the changing business landscape and evolving customer preferences. Your Bank further leveraged the increased digital adoption by the customers by broad-basing its digital offerings and contactless solutions. Furthermore, your Bank also automated and digitised its processes to ensure seamless banking services and enhanced ease of banking, thereby offering a holistic customer experience. In alignment with the changing business landscape, your Bank proactively strengthened and revamped its digital infrastructure and capabilities for smooth, convenient, safe and secure *'Anytime, Anywhere'* banking experience for its customers. Your Bank also established a forward looking approach towards cyber security to reinforce its vision of being the preferred and trusted bank for all its stakeholders.

Your Bank continued to target a progressively larger retail business portfolio in alignment with its overall business strategy of positioning itself as a retail-focussed bank by offering a wide range of retail-centric products such as Housing Loans, Loan against Property, Personal Loans, Education Loans, Auto Loans, Loan against Securities, MSME Loans, Agri Loans, Gold Loans, among others. In order to ensure a faster turn-around time, your Bank processes these loans on an Automated Loan Processing System. Furthermore, the Bank also embarked on several IT initiatives for ensuring better customer experiences.

Your Bank continued to contribute significantly towards Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the RBI by focussing on lending to Micro Enterprises, Direct Agri Non-Corporate (DANC) and Small & Marginal Farmers (SFMF). Your Bank also leveraged its Business Correspondent (BC)/ Business Facilitator (BF) channel to expand its reach, especially in the rural and semi-urban areas. Your Bank also entered into co-lending agreements to ramp up its Priority Sector Lending (PSL) portfolio. Your Bank is taking concerted efforts to further the objective of financial inclusion by ensuring convenient access to appropriate financial products & services to the vulnerable and financially excluded sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. Your Bank has been making extensive use of technology and promoting financial literacy to ensure inclusive growth. Your Bank has been also extending loans under various social security schemes and initiatives of the Government of India.

In addition to meeting the financial requirements of its Retail, Agri and MSME (RAM) customers, your Bank endeavoured to cater to the financing needs of its corporate clientele in a risk-calibrated manner by extending term loans, working capital loans, packing credit and post-shipment credit to exporters, bill discounting, intra-day limits, channel financing & vendor financing, lending to Non-Banking Financial Companies (NBFCs) for on-lending to customers from the Priority Sector Lending (PSL) segment, etc.

Your Bank leveraged the business synergies with the Life Insurance Corporation of India (LIC) by offering a wide array of innovative, specialised/ customised products and services to the employees, agents and subsidiaries of the LIC for meeting their banking and investment requirements.

Your Bank has a dedicated Trade Finance Department, which offers a wide range of products and services to its large corporate, mid corporate and retail customers at competitive pricing. The Bank also undertook a number of IT initiatives to make the transactional executions error-free and faster. With a view to benefitting from the emerging usage of Distributed Ledger Technology (DLT) in the sphere of Trade Finance, your Bank became one of the equity holders in Indian Banks' Blockchain Infrastructure Co. Pvt. Ltd. (IBBIC), which is expected to facilitate in building processes to digitise and automate inter-organisation trade finance operations. Your Bank instituted effective system control mechanisms to mitigate cyber fraud risk in cross-border payments.

Your Bank acts as an agent of the RBI in handling receipt and payment transactions of the Central Government and the State Governments. Your Bank is authorised to collect Central Government taxes, offer Small Savings Schemes, and to disburse Central Civil, Defence and Railway Pensions. Your Bank is active in collection of State Receipts in 14 States and two Union Territories. Your Bank also provides 24x7 internet banking facilities for tax payments.

Your Bank offers customised and comprehensive range of Cash Management Services (CMS) for collection, payment and transaction banking solutions to suit the varied needs of the corporates. Your Bank offers various solutions like National Automated Clearing House (NACH), Virtual Account Facility, utility payments, direct debit facilities and other customised e-solutions that are technologically integrated (Host-to-Host) with client systems. Your Bank added two new digital products for corporates and with institutions, i.e. Corporate Liquidity Management Solutions (C-LMS) and Government Liquidity Management Solution (G-LMS) to cater to the liquidity management needs of corporates/ institutions. Among other services, your Bank is authorised to participate in e-freight payment system of the Indian Railways and for FASTag issuance and FASTag Acquiring Business. Your Bank also offers CMS collection and payment services to the LIC's branch offices, divisional offices, Pension & Group Schemes (P & GS) offices, Individual Pension Policy (IPP) offices and other offices.

Your Bank's Treasury caters to the requirements of its corporate and retail clients by effectively marketing foreign exchange, fixed income and derivative products and also providing them with solutions to effectively manage their exposures. Your Bank also advises its clients on their investment in debt instruments (Government Securities, Non-Statutory Liquidity Ratio (NSLR) Bonds, etc.) through Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts.

Your Bank has also set up a dedicated Financial Institutions Group (FIG) to focus on domestic and foreign Financial Institutions (FIs) for offering various products/ services of the Bank. This group acts as a coverage group for offering products/ services relating to trade, cash management services, payments, forex, derivatives, money market and retail banking. The FIG also engages with the FIs for increasing the breadth of coverage and deepening the FI business.

Your Bank has been increasingly using data analytics and Machine Learning (ML) to improve its capabilities for customer acquisition and retention, to launch customised campaigns based on the analytics-driven input; to recommend business solutions for addressing complex business problems and issues; for assessment of credit risk and business potential; and taking corrective action with respect to loan accounts on a real-time basis with a focussed approach etc. Data analytics has aided the Bank in not only augmenting its business, NPA prediction, loan recovery and churn reduction but has also aided in number of process re-engineering.

The detailed description of the Bank's initiatives undertaken during the year is outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE BANK'S BUSINESS

During FY 2020-21, the COVID-19 pandemic resulted in nation-wide lockdown during April–May 2020 period which substantially impacted the economic activity in the country. The subsequent easing of lockdown measures led to gradual improvements in the pace of economic activity and resulted in shift towards normalcy in the second half of FY 2020-21. In FY 2021-22, India witnessed two more waves of the pandemic and the re-imposition of the localised/ regional lockdown measures in certain parts of the country. At present, there has been a gradual lowering of COVID-19 cases and the countries around the world are witnessing a gradual revival in their economies, including India. The Bank has geared itself on all fronts to meet the challenges imposed by the pandemic. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for your Bank.

BOARD OF DIRECTORS

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Board functions directly as well as through various Board-level committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank. As per the Articles of Association, the Board of Directors shall not be less than three and more than fifteen members consisting of a Chairman appointed by the Board, one Whole-time MD & CEO and two DMDs to be appointed by the Board, two Nominee Directors of the LIC, two Nominee Directors of GoI and eight Non-rotational Independent Directors (including the Chairman and one Woman Independent Director).

As on March 31, 2022, the Board comprised of fourteen Directors, viz., Shri M. R. Kumar, Non-Executive Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj and Shri Suresh Khatanhar, DMDs, as Whole Time Directors; Shri Anshuman Sharma, as Government Nominee Director and Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, as Non-Executive Directors; Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri T. N. Manoharan as Independent Directors. The strength of 14 (fourteen) Directors on the Board as on March 31, 2022 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

APEX COMMITTEES

The Board has a total of thirteen committees to oversee various functional areas of your Bank's business and operations. The Board committees include Audit Committee of the Board, Executive Committee, Nomination & Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering Committee, Frauds Monitoring Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters' Review Committee and Information Technology Strategy Committee.

CORPORATE GOVERNANCE

Your Bank is committed to adopt the best Corporate Governance practices. It believes that effective Corporate Governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for excellence in governance including enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's Corporate Governance practices are given in this Annual Report as a separate section under the Corporate Governance Report.

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

As per Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank's Business Responsibility (BR) Report for FY 2021-22 has been hosted on its website under the link (https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp). The BR Report describes initiatives taken by the Bank from an environmental, social and governance perspective.

STATEMENT UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

There were no personnel in your Bank's service, during the financial year under review, who received remuneration of over ₹ 1.02 crore annually. Besides, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 8.50 lakh per month. Further, there were no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by Managing Director & CEO or Deputy Managing Directors of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2% of the equity shares of the Bank.

STATEMENT UNDER RULE 5(2) OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014 FOR YEAR ENDED MARCH 31, 2022 – DETAILS OF TOP TEN EMPLOYEES

Sr. No.	Name	Designation	Annual Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	Age of such employee	The last employment held by such employee before joining the company
1	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO	8721245.16	Contractual	Post Graduate in Economics and CAIIB Experience in IDBI Bank: 3 years	10-Oct-18	63 years	Canara Bank
2	Shri Suresh Khatanhar*	DMD	7158124.98	Contractual	M.Com, CAIIB and ICWA Experience in IDBI Bank: 24 years	23-Jun-97	58 years	Dena Bank
3	Shri Ashok Kumar Gautam#	Head-Treasury	6571671.68	Contractual	B.Sc, MBA and FRM Experience in IDBI Bank: 2 years	24-Jun-19	59 years	Axis Bank
4	Shri Samuel Joseph Jebaraj	DMD	6494752.38	Contractual	BE (Hons.) and MBA Experience in IDBI Bank: 2 years	20-Sep-19	53 years	Exim Bank
5	Shri Nagaraj Garla	ED	5431515.92	Full Time	B.Com, M.B.A, M.Com, I.C.W.A (Inter), Certification Programme in IT and Cyber Security for Senior Management, CAIIB, Certificate Examination in Trade Finance and Certificate Examination in SME Finance and CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (UK) Experience in IDBI Bank: 22 years	17-Feb-00	52 years	ING Vysya Bank
6	Shri Ajoy Nath Jha	ED	5398230.61	Full Time	M.A (Economics), M. Phil, CFA, Certified Information Security Professional, CAIIB and FRM Experience in IDBI Bank: 27 years	27-Dec-94	59 years	Reserve Bank of India

Sr. No.	Name	Designation	Annual Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	Age of such employee	The last employment held by such employee before joining the company
7	Shri Madhav Vasant Phadke^	ED/ Advisor	5360444.29	Full Time	B.A. LLM, MLL & LW - Diploma in Banking Experience in IDBI Bank: 30 years	16-May-91	60 years	Maharashtra State Financial Corporation
8	Shri Anilkumar R. Jaiswara	CGM	5238289.88	Full Time	B.Com and CAIIB Experience in IDBI Bank: 33 years	25-Aug-88	56 years	M/s. Malhotra Graphics
9	Shri Pradip Kumar Das	ED	5223140.50	Full Time	B.SC and MBA (Finance) Experience in IDBI Bank: 21 years	23-Jan-01	60 years	Central Bank of India
10	Shri Ajay Sharma	ED	5213701.79	Full Time	M.B.A, M.Com, I.C.W.A (Inter) and CAIIB Experience in IDBI Bank: 34 years	02-Nov-87	59 years	Punjab National Bank

**- Date of commencement of current designation for Shri Suresh Khatanhar as DMD in the Bank is w.e.f. January 15, 2020;*

 # - Shri Ashok Kumar Gautam was in employment for part of the FY 2021-22;

^ - Shri M. V. Phadke was in full time employment for part of FY 2021-22 and continued as an advisor thereafter;

Remuneration includes basic salary, allowances, perquisites as per the Income Tax rules but excludes employer's contribution to PF/ Pension, non-monetary perquisite tax and accrued retirement benefits.

The above list does not include employees sent on deputation whose salary is reimbursed by the other companies.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

a) Conservation of Energy

Your Bank took several measures for conservation of energy. For instance, the Bank replaced conventional light fixtures with energy efficient LED light fixtures, lamps & tubelights at the Bank's Head Office building at Mumbai as well as all other office and residential buildings of the Bank in order to conserve power. The Bank is fitting new signages at its branches with LED lights in place of conventional power-consuming light fixtures. For all new or refurbished branches, your Bank is using LED lights in place of conventional lights. The Bank built water harvesting facility in the new residential buildings constructed at the Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), Hyderabad.

b) Technology Absorption

Your Bank has been proactively evaluating and absorbing the latest technology-based innovations that have potential to empower its business functions, enrich its customer experience and optimise its readiness towards opportunities and challenges of the future.

A few noteworthy technology-driven reforms adopted by your Bank include enhancing the capabilities of Video KYC Account Opening (VAO) process to offer digital convenience to the customers to open savings bank accounts and implementing the Digital Rights Management (DRM) solution for protecting customer data shared with vendors providing various services. Your Bank further strengthened its IT infrastructure with the industry standard technologies that includes Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) which is in an advanced stage of implementation and further implementing new-age security technologies (Security Orchestration, Automation & Response

(SOAR), Network Behaviour Anomaly Detection (NBAD), Packet Capture (PCAP), User & Entity Behaviour Analytics (UEBA) & Threat Intelligence Platform (TIP)) for building a Next Generation Security Operations Centre (SOC) at both Data Centre (DC) & Disaster Recovery (DR) site. Further, your Bank is also procuring an enterprise solution for IT Operations Management and also initiated a process of implementation of Integrated Collection & Recovery Module.

Your Bank upgraded the Core Banking Servers to the latest hardware, which brings about improved performance and resilience. Your Bank upgraded the entire private cloud hardware and software to meet the increasing needs of the business for Just-in-Time provisioning of IT infrastructure resources. Your Bank is now running the latest analytics solution and has set it up using the latest storage and server hardware and building IT infrastructure to set up state-of-the-art Application Programming Interface Management (APIM) micro-services platform. Your Bank conducted periodic Disaster Recovery (DR) drills for critical IT systems that ensured seamless availability even in the midst of the COVID-19 pandemic and mitigated the risk of disruption of IT services.

On the data refinement and enrichment fronts, your Bank successfully implemented Automated Data Flow (ADF) application and is continuously refining the process of the RBI returns generation by eliminating manual intervention. The RBI has launched a project, viz., Centralised Information Management System (CIMS) with the purpose of creating a single repository for collating banks' data through system-to-system approach for regulatory submissions. Your Bank converted ADF output into eXtensible Business Reporting Language (XBRL) format for returns released by the RBI. Further, your Bank has set up the Centre of Excellence (COE) for Data Analytics with the objective of achieving improved customer wallet.

Your Bank, in the Advanced Analytics ecosystem, has been using cutting-edge tools & technologies, devising & implementing Statistical/ Predictive Models & Machine Learning Algorithms for providing quantifiable and actionable inputs. It is utilising diverse sources of data for Comprehensive Analysis, Customer Profiling, Predictive Modelling, Forecasting, Trend Analysis, Marketing Analysis & Risk Analytics and recommending business solutions to address complex business problems and issues.

Details of other initiatives taken in the Information Technology ecosphere have been provided in the Management Discussion and Analysis section of this Annual Report.

c) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year, the total foreign exchange earned by the Bank was ₹ 96.53 crore (excluding foreign currency cash flows in derivatives and foreign currency exchange transactions) and the total foreign exchange outgo was ₹ 26.19 crore towards the operating and capital expenditure requirements.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), all other statutory/ regulatory authorities and Life Insurance Corporation of India (LIC) for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year and looks forward to their continued association in the years ahead. The Board appreciates the sincere and devoted services rendered by its entire staff and highly values their commitment towards the Bank.

[Suresh Khatanhar]
Deputy Managing Director

[Samuel Joseph Jebaraj]
Deputy Managing Director

[Rakesh Sharma]
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: May 02, 2022

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

कोविड–19 महामारी के निरंतर बदलते स्वरूपों ने वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2021–22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना जारी रखा. जहां महामारी की दूसरी और तीसरी लहर का असर व्यापक पैमाने पर देखा गया, वहीं पहली लहर की तुलना में आर्थिक प्रभाव कमतर था. यह दूसरी और तीसरी लहरों के दौरान बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रतिबंधों के कारण हुआ, जिसके चलते प्रमुख आर्थिक एजेंटों को बिना किसी व्यवधान के कमोबेश सामान्य रूप से कारोबार संचालित करने की अनुमति दी गई थी. इसके अलावा, भारत सरकार (जीओआई) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सक्रिय उपायों ने समाज के कमजोर वर्गों और कारोबारों पर महामारी से उत्पन्न तनाव को कम किया. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज के दायरे में, भारत सरकार ने कई राहत उपाय किए, जिनमें परिवारों के लिए जिंस और नकद राशि राहत, गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत रोजगार प्रावधान के उपाय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी और इक्विटी इन्फ्यूजन–आधारित राहत उपाय, प्रमुख उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन शामिल हैं. साथ ही निजीकरण, कृषि क्षेत्र का अविनियमन, एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन आदि संरचनात्मक सुधार भी किए गए. भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आर्थिक पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए सहायक मौद्रिक और तरलता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय भी अपनाए हैं. टीकाकरण को स्वास्थ्य संबंधी पहल के रूप में देखा जा सकता है. उल्लेखनीय है कि टीकाकरण अभियान में लाई गई तेजी ने तीसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य संकट से बचने में भी मदद की, जिसने आर्थिक सुधार के जोखिम को कम करने में मदद की है.

नीतिगत समर्थन और आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर सामान्यीकरण के चलते, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार का संकेत दे रही है, जो विकास के आंकड़ों से दिखता है. राष्ट्रीय आय के 2021–22 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 में 6.6% के संकुचन की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.7% रहने का अनुमान है. इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है.

भविष्य की ओर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक संवृद्धि के पथ पर बड़े पैमाने पर जारी रहने की उम्मीद है. केंद्रीय बजट 2022–23 की घोषणाएं बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय पर केंद्रित हैं तथा इनसे निजी निवेश में प्रचुर वृद्धि की उम्मीद है. समायोजनात्मक मौद्रिक नीति के कारण गैर–खाद्य बैंक ऋण में हाल में आई तेजी व्यावसायिक दृष्टि से शुभ संकेत है. इसके अलावा, सरकार द्वारा किए गए कई आपूर्ति–पक्ष सुधारों से सभी क्षेत्रों में निरंतर विकास में सहायता की उम्मीद है. हालांकि कई कारक एक आशावादी विकास दृष्टिकोण की उम्मीद जागते हैं, वहीं बढ़े हुए भू–राजनीतिक जोखिम, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, खाद्य कीमतों सहित कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति पर दबाव में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति–पक्ष व्यवधान जैसे कारक, नकारात्मक जोखिम पैदा करते हैं.

कारोबार समीक्षा

आपका बैंक लगातार दूसरे वर्ष अपनी परिकल्पित व्यावसायिक रणनीति पर कायम रहा और कोविड – 19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहरों से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करता रहा. हालांकि महामारी के बाद की लहरों ने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया, लेकिन महामारी के आर्थिक प्रभाव नियंत्रित ही रहे क्योंकि प्रतिबंध काफी हद तक स्थानीयकृत और सीमित थे. पिछले वर्षों में हासिल गति के आधार पर, बैंक निरंतर और लाभदायक व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा. अपने कर्मचारियों को उनके घरों से दूर काम करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक द्वारा समय पर किए गए सुरक्षा उपायों ने सभी कोविड – 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निर्बाध बैंकिंग सेवाओं को सुनिश्चित करने में मदद की. अपनी प्रबंधन टीम और सभी कर्मचारियों के परिश्रम, कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण बैंक ने ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने वित्तीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार दिखाया.

जहां बैंक ने अपनी व्यापार रणनीति को खुदरा–केंद्रित बैंक के रूप में आकार देना जारी रखा है, वहीं इसे बदले हुए परिचालन वातावरण, ग्राहक वरीयताओं के साथ–साथ बैंक की प्राथमिकताओं के अनुरूप ढाला गया है. तदनुसार, बैंक ने अपने खुदरा और प्राथमिकता क्षेत्र के कारोबार में विकास को रणनीतिक रूप से एक लाभप्रद और जोखिम रहित पोर्टफोलियो मिश्रण सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य को जारी रखा. बैंक ने अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स के साथ जुड़कर अपने कॉर्पोरेट ऋण संचालन को धीरे–धीरे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया. देयता के मोर्चे पर आपके बैंक ने कम लागत वाले जमा आधार अर्थात् कासा जमाराशियों और खुदरा मीयादी जमाराशियों को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा में और अधिक सक्षम होने के उद्देश्य से जमाराशियों और निधियों पर लागत को कम करते हुए संस्थागत जमा पर निर्भरता को कम करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया.

अत्यंत प्रतिस्पर्धी बैंकिंग क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने और प्रासंगिक बने रहने के प्रयास में, बैंक ने समय–समय पर नए उत्पादों और सेवाओं को पेश करने के साथ–साथ ग्राहकों की तेजी से बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान उत्पाद और सेवाओं को बेहतर बनाया. बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ तालमेल के पारस्परिक क्षेत्रों का भी उपयोग कर रहा है ताकि चालू और बचत खाते के साथ–साथ उनके कर्मचारियों, एजेंटों आदि को ऋण देकर अपने व्यवसाय में वृद्धि की जा सके. बैंक एलआईसी के बीमा उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ ही अपनी शाखाओं/ डिजिटल चैनलों के माध्यम से एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों को संग्रहण/ भुगतान संबंधी आवश्यकताओं में मदद

के लिए अपने वितरण चैनलों/ संपर्क केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाता रहा है. उत्पादों को लक्ष्य के अनुरूप चलाने के लिए, आपका बैंक अपनी डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं और 360 डिग्री ग्राहक दृष्टिकोण के साथ एक ग्राहक संबंध प्रबंध (सीआरएम) मॉड्यूल का प्रयोग कर रहा है जो शाखा और बिक्री कर्मचारियों को प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं की सूक्ष्म समझ प्राप्त करने में मदद करता है. 31 मार्च 2022 के अनुसार, आपके बैंक ने 1886 शाखाओं के अपने नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को सेवाएं दी हैं जिसमें भारत में महानगरीय केंद्रों में 426 शाखाएं, शहरी केंद्रों में 465 शाखाएं, अर्ध–शहरी केंद्रों में 585 शाखाएं और ग्रामीण केंद्रों में 408 शाखाएं (254 वित्तीय समावेशन शाखाओं सहित), दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआइएफसी), दुबई में एक समुद्रपारीय शाखा और गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक–सिटी (जीआइएफटी), गांधीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल हैं. इसके अतिरिक्त,यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को इस नेटवर्क में 3,403 एटीएम और 58 ई–लाउंज भी शामिल हैं. अपनी भौतिक पहुंच का उपयोग करते हुए, बैंक अपने वैकल्पिक/ डिजिटल चैनलों अर्थात् एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग आदि की कार्यक्षमता को मजबूत और व्यापक कर अपने ग्राहकों को अबाधित लेनदेन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है.

अपने विकास पथ को स्थिरता प्रदान करने के प्रयास में, बैंक ने अपने आस्ति गुणवत्ता मुद्दों के समाधान हेतु आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करने पर ज़ोर दिया है. अपने आस्ति गुणवत्ता मुद्दों के समाधान के लिए, बैंक गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के द्रुत समाधान और इनकी वसूली के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाता रहा है. इस दिशा में, वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए बैंक ने दो अलग वर्टिकल, अर्थात् कॉर्पोरेट मामलों के एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) और रिटेल मामलों के लिए रिटेल संग्रहण एवं वसूली की स्थापना की. इसके अतिरिक्त, बैंक ने ऐसे मामलों से निपटने वाले समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) के अधीन मामलों हेतु एक समर्पित केंद्रीकृत डेस्क भी स्थापित की है. बैंक ने ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में दर्ज एनपीए मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारियों के एक क्रॉस–सेक्शन की भी पहचान की है. भविष्य में बेहतर आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आपके बैंक ने विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए), संभावित अनर्जक खातों (एनपीए) और प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) दर्शानेवाले नियमित खातों की पहचान करने के उद्देश्य से समर्पित ऋण निगरानी समूह का गठन किया है ताकि गहन अनुवर्तन और निगरानी सुनिश्चित करते हुए इन खातों को एनपीए में रूपांतरित होने से रोका जा सके.

अपनी प्रबंधन टीम के मार्गदर्शन तथा टीम सदस्यों के जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों से वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अब तक प्राप्त प्रगति को तेज करने का संकल्प किया है. खुदरा उन्मुख स्थिति को लक्षित रखते हुए बैंक अपने कासा जमा और खुदरा सावधि जमा में वृद्धि को लक्षित करेगा तथा समृद्ध वर्गों और सरकार/ संस्थागत ग्राहकों जैसे उच्च संभावित ग्राहक खंडों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा. आपका बैंक ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और ग्राहक संबंधों को गहरा करने के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं का भरपूर दोहन करने का प्रयास करेगा और साथ ही सूक्ष्म उत्पाद की पेशकश को चलाने के लिए डेटा क्षमताओं को भी विकसित करेगा. परिसंपत्ति के मामले में, गठजोड़ व सह–ऋण व्यवस्थाओं के जरिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) पोर्टफोलियो सहित खुदरा परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के विस्तार के अवसर तलाशेगा ताकि संकेंद्रण जोखिम को नियंत्रित किया जा सके. मार्च 2021 में आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर निकलने के साथ, बैंक द्वारा कॉर्पोरेट्स को ऋण देने पर प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया है. परिणामस्वरूप, बैंक अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स, विशेष रूप से मझोले आकार के उद्यमों के साथ–साथ आशाजनक संभावनाओं वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कॉर्पोरेट्स के जोखिम को अंशांकित करते हुए अपनी कॉर्पोरेट ऋण बही में वृद्धि के अवसर तलाश रहा है. अपनी कम लागत वाली राजस्व सृजन रणनीति के एक हिस्से के रूप में, बैंक अपनी लाभप्रदता को मजबूत करने के लिए अन्य पक्ष और पूंजी बाजार के उत्पादों के क्रॉस–सेल से अपनी शुल्क आधारित आय को रणनीतिक रूप से बढ़ाने का प्रयास करेगा. ग्राहक संबंधों को गहरा करने के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में बैंक के भीतर आंतरिक तालमेल बनाने पर उचित जोर दिया जाएगा क्योंकि यह आपके बैंक को ग्राहकों के विभिन्न वर्गों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वन–स्टॉप समाधान के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करेगा. बैंक व्यापक प्रयासों के माध्यम से परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा, जिसमें सावधानीपूर्वक क्रेडिट मूल्यांकन मानकों, सूक्ष्म परिसंपत्ति निगरानी और क्षरण के मामले में कड़े वसूली तंत्र शामिल हैं. दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर जोर दिया जाएगा. साथ ही विभिन्न कार्यों में डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण किया जाएगा. इन रणनीतिक प्रयासों से बैंक एक विश्वसनीय बैंकिंग भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट अभिशासन और अनुपालन संरचना को सुदृढ़ कर रहा है. अपनी वर्षों पुरानी यात्रा में बैंक द्वारा सीखे गए सबक ने इसे चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित वातावरण के बावजूद दृढ़ रहने की क्षमता प्रदान की है. आपका बैंक इन स्थितियों का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है और बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी होने की अपनी यात्रा को जारी रखेगा.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता उत्पाद

आपका बैंक समाज के सभी वर्गों अर्थात् वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों, छात्रों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित वैयक्तिक ग्राहकों/ मालिकों/ साझेदारी फर्मों/ कॉरपोरेटों / सरकारी संस्थानों / ट्रस्टों/ संगठनों / सोसाइटियों/ क्लबों और सहकारी बैंकों सहित विभिन्न बैंकों की बैंकिंग आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए जमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है.

आपके बैंक ने ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और व्यवहार को ध्यान में रख कर उत्पादों को बेहतर बनाने, प्रोसेस ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण के अपने प्रयास को जारी रखा है. आपके बैंक ने सर्वोत्तम ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल को अपनाने की गति में तेजी लाने के लिए नीतियों और पहलों को भी लागू किया है.

आपके बैंक ने ग्राहकों से जुड़ने के लिए अधिक गुणात्मक ग्राहक सहभागिता और जमाकर्ता ग्राहकों में और अधिक उत्पाद पैठ हेतु डेटा विश्लेषण और ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) उपकरणों के उपयोग को बढ़ाया है.

आपके बैंक ने जमाराशियों की लागत को कम करने में सहायता के लिए बचत और सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरों का अंशांकित युक्तिकरण भी जारी रखा है.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों की बैंकिंग और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) जमाओं/ अनिवासी साधारण (एनआरओ) जमाराशियों/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों, पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के माध्यम से इक्विटी बाजार निवेश सहित सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (स्विफ्ट) और अन्य तरीकों के माध्यम से प्रेषण और ऋण के क्षेत्र में उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है.

आपके बैंक ने अपने एनआरआई ग्राहकों के लिए ग्राहक अनुभव, सेवा सुपुर्दगी और बैंकिंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए उत्पाद/ प्रक्रियाओं में संवर्धन जारी रखा.

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने खुद को सम्पूर्ण सेवाएं देने वाले नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर बड़े रिटेल व्यवसाय पोर्टफोलिओ पर लक्ष्य केंद्रित रखना जारी रखा है. आपके बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रिटेल आस्ति उत्पादों में अन्य उत्पादों के अलावा आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, प्रतिभूतियों पर ऋण शामिल हैं. इन उत्पादों की आवधिक समीक्षा की जाती है और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उत्पादों में आशोधन/ नवोन्मेष/ अनुकूलीकरण किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपका बैंक सर्वोत्तम उत्पाद पेशकशों और सेवाओं के साथ संरचित खुदरा वित्त खंड में एक प्रमुख बैंक बना रहा. बैंक ने अपनी संरचित खुदरा परिसंपत्ति बही में वार्षिक आधार पर 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की. संरचित खुदरा ऋण बही में, आवास ऋण खंड में 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की. आपके बैंक ने न्यूनतम गिरावट के साथ सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 2% से कम रखते हुए एक मजबूत संरचित खुदरा परिसंपत्ति पोर्टफोलियो बनाए रखना जारी रखा. आपका बैंक स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली के माध्यम से संरचित खुदरा ऋण प्रसंस्कृत करता है जो एक तेज़ टर्न–अराउंड टाइम (टीएटी) सुनिश्चित करता है. इसके अलावा, अपनी प्रक्रियाओं को तेजी से डिजिटल बनाने की अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में, बैंक ने बेहतर ग्राहक अनुभव सृजित करने के लिए खुदरा परिसंपत्ति खंड में कई आईटी पहल शुरू की हैं.

महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने संरचित रिटेल आस्ति उत्पादों के अंतर्गत विभिन्न उपाय किए हैं. कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया के रूप में, और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश के अनुरूप आपके बैंक ने सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत एक ऋण समाधान योजना शुरू की. भारत सरकार (जीओआई) द्वारा लागू गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा (जीईसीएल) योजना के अधीन, आपके बैंक ने सभी पात्र उधारकर्ताओं को कार्यशील पूँजी मीयादी ऋण के रूप में अतिरिक्त निधीयन किया.

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के जरिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार (जीओआई) की *'सबके लिए आवास'* पहल के अनुरूप आपके बैंक ने बहुत से आवास ऋण उधारकर्ताओं को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया है. इसके अलावा, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों की सहायता करने के लिए, बैंक भारत सरकार (भारत सरकार) की योजनाओं जैसे सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी योजना (सीएसआईएस), डॉ. अम्बेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी (सीएसआईएस) और 'पढ़ो परदेश स्कीम' के तहत शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को सब्सिडी लाभ प्रदान करता है.

क्रेडिट कार्ड

आपका बैंक सात तरह के क्रेडिट कार्ड यथा रुपे नेटवर्क के जरिए विनिंग सिलेक्ट, लूमैन प्लेटिनम और एक्लाट सिलेक्ट, वीजा नेटवर्क के तहत रॉयल सिग्नेचर, अस्पायर प्लेटिनम एवं इम्पीरियम प्लेटिनम और मास्टरकार्ड नेटवर्क के तहत यूफोरिया वर्ल्ड उपलब्ध कराता है.

इन बहुविध कार्डों द्वारा ग्राहकों के प्रोफाइल और उनकी जरूरतों के आधार पर विभिन्न ग्राहक खंडों को लक्ष्य किए जाते हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने एलआईसी कार्ड्स सर्विसेस लिमिटेड (एलआईसी सीएसएल) के साथ लूमैन और एक्लाट नामक दो प्रकार के को–ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स शुरू किए. आपके बैंक ने सभी तीन नेटवर्कों, अर्थात् रूपे, वीज़ा और मास्टरकार्ड पर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं. आपके बैंक ने को–ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इज़ माय ट्रिप (ईएमटी) नामक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है. आपके बैंक ने बिलडेस्क जैसे विभिन्न समान मासिक किस्त (ईएमआई) एग्रीगेटर्स के साथ समझौते किए हैं.

आपके बैंक ने हॉट लिस्टेड कार्ड को बदलने के लिए अनुरोध, जारी करने की तारीख के आधार पर कार्ड के क्रम में प्रदर्शन जैसी नई सुविधाओं के साथ क्रेडिट कार्ड का एक नया संस्करण लॉन्च किया है. आपका बैंक निर्बाध ऑन–बोर्डिंग अनुभव और परिचालन दक्षता के लिए ऑन–बोर्डिंग, जोखिम अंकन और जारी करने की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर रहा है. क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, आपके बैंक ने कई अभियान शुरू किए और विभिन्न व्यापारियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ किए. कोविड-19 लॉकडाउन/ प्रेरित प्रतिबंधों के कारण अपने ग्राहक आधार पर संभावित वित्तीय तनाव को देखते हुए, आपके बैंक ने नियामक और सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्र ग्राहकों के लिए अधिस्थगन सुविधा, समाधान ढांचे और अनुग्रह भुगतान प्रदान किए है.

डिजिटल बैंकिंग

बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रगति डिजिटल बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण रही है. इसके अलावा, कोविड–19 महामारी ने ग्राहकों द्वारा डिजिटल को अपनाने की गति को और तेज करने का काम किया. एक संपर्क रहित, सुविधाजनक और 24×7 आधार पर उपलब्ध होने की अपनी अंतर्निहित प्रकृति के कारण ग्राहक डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेनदेन करना पसंद करते हैं. इन सुविधाओं के साथ, आपके बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बाधारहित, सुविधाजनक, सुगम और सुरक्षित '*कभी भी, कहीं भी*' बैंकिंग अनुभव के लिए अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और सुदृढ़ीकरण जारी रखा.

आपका बैंक विभिन्न डिजिटल चैनलों जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), डेबिट कार्ड (भौतिक और आभासी दोनों), प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों (भौतिक और डिजिटल दोनों), इंटरनेट पेमेंट गेटवे, स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) के उपयोग को प्रोत्साहित करके डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक ने उत्पाद की पेशकशों को बढ़ाने, ग्राहक को बहुविध चैनलों का अनुभव देने के लिए नियोबैंकिंग, वर्चुअल एटीएम, संवादी बैंकिंग, ग्राहक जुड़ाव स्वचालन आदि जैसे विभिन्न नवाचारों और विचारों को क्रियान्वित करने के लिए फिनटेक के साथ जुड़ने हेतु आवश्यक संरचना पहले ही स्थापित कर ली है.

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आपके बैंक ने डिजिटल लेनदेन में 62% और यूपीआई लेनदेन में 98% की वृद्धि दर्ज की है.

आपके बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन अर्थात् गो मोबाइल+ में बायोमेट्रिक–आधारित लॉगिन विकल्प, वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के विकल्प के रूप में सॉफ्ट टोकन–आधारित प्रमाणीकरण, पीओएस, ई–कॉमर्स, संपर्क रहित और एटीएम लेनदेन के लिए डेबिट / और क्रेडिट कार्ड सीमा निर्धारित करने का विकल्प, फास्टैग के लिए आवेदन करने और रिचार्ज करने का विकल्प, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए नामांकन की सुविधा, पुन: केवाईसी सुविधा, लेनदेन की प्राप्ति को साझा करने का विकल्प, लेनदेन की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए प्रगति संकेतक जैसी कई नई सुविधाओं को जोड़कर अपनी प्रौद्योगिकी को अपडेट किया है

आपके बैंक ने अपनी खुदरा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में अतिरिक्त सुविधाओं को सक्षम किया है, जिसमें भुगतान के लिए तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) विकल्प, ओटीपी के विकल्प के रूप में सॉफ्ट टोकन–आधारित प्रमाणीकरण, सावधि जमा आरंभ करना और समय से पहले आहरण का विकल्प, ऑनलाइन डीमैट खाता खोलना, क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए सीमा निर्धारित करने की सुविधा, आवर्ती जमा में नामांकन जोड़ने की सुविधा आदि शामिल हैं. आपके बैंक ने रक्षा कर्मियों के लिए एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (एलआईसी सीएसएल) के साथ को–ब्रांडेड प्री–पेड गिफ्ट कार्ड यथा शगुन कॉन्टैक्टलेस वर्ल्ड करेंसी कार्ड (डब्ल्यूसीसी), वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं तथा अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति (सिंगापुर) के लिए रुपे डेबिट कार्ड को अपग्रेड किया है. आपके बैंक ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एंड्रॉइड पीओएस स्थापित किया है, पीओएस टर्मिनलों पर लेनदेन पर ईएमआई विकल्प प्रदान किया है और अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर संवादात्मक बैंकिंग सुविधाएं शुरू की हैं. आपके बैंक ने उप–सदस्य सहकारी बैंकों के लिए यूपीआई उप–सदस्यता शुरू की है.

आपके बैंक ने नकद आहरण लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए अपने एटीएम को एंटी–स्किमिंग सॉल्यूशन, टर्मिनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन (टीएसएस) और टर्मिनल लेयर सिक्योरिटी (टीएलएस) के साथ अपग्रेड किया है. बैंक ने सर्वर–टू–सर्वर लेनदेन के लिए भारत ईकामर्स पेमेंट गेटवे (बीईपीजी) सुविधा लागू की है और गतिशील जोखिम–आधारित प्रमाणीकरण और लेनदेन निगरानी को बढ़ाने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम (एसीएस) सॉफ्टवेयर से पहचान सत्यापन प्रणाली (आईवीएस) में माइग्रेट किया है.

अपने डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, आपके बैंक ने विभिन्न अभियान शुरू किए हैं और ग्राहकों की भागीदारी बढ़ाने के साथ–साथ बैंक की बेहतर ब्रांड छवि के लिए अग्रणी ब्रांडों के साथ कैशबैक/ तत्काल छूट के प्रस्ताव शुरू किए हैं.

अन्य पक्ष उत्पाद तथा पूंजी बाजार उत्पाद

आपके बैंक का अन्य पक्ष उत्पाद (टीपीडी) तथा पूंजी बाजार खंड अपने ग्राहकों के जोखिम प्रोफ़ाइल तथा वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मूल्य-योजित उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करते हैं. आपका बैंक टीपीडी और पूंजी बाजार व्यवसाय को उचित महत्व देता है, क्योंकि इस खंड से शुल्क आय पूंजी मुक्त है. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपके बैंक ने शुल्क आधारित आय बढ़ाने और स्वस्थ बिक्री संस्कृति के संवर्धन पर विशेष जोर देने के लिए विभिन्न अभियान चलाए.

आपके बैंक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एएफएलआई) जैसे अपने जीवन बीमा भागीदारों के माध्यम से जीवन बीमा उत्पाद; न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसे चैनल पार्टनरों के माध्यम से सामान्य बीमा और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस (एसएएचआई) उत्पाद; आईडीबीआई

असेट मैनेजमेंट, एलआईसी म्यूचुअल फंड आदि विभिन्न असेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पाद; तथा डीमैट खाता, 2-इन–1 खाता (बचत और डीमैट खाते), 3-इन–1 खाता (ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते से जुड़े बचत और डीमैट खाते) जैसे पूंजी बाजार उत्पाद तथा अवरुद्ध राशि समर्थित एप्लिकेशन (एएसबीए) और सिंडिकेट एएसबीए (एसएएसबीए), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ–साथ भारत सरकार (जीओआई) बांड और केपिटल बॉण्ड जैसे उत्पाद वितरित किए जाते हैं.

आपके बैंक ने अपने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से डीमैट खाता खोलने की सुविधा दी है. डिजिटल चैनलों के गैर–उपयोगकर्ताओं के लिए शाखा चैनल के माध्यम से न्यूनतम दस्तावेज के साथ तुरंत डीमैट खाते खोलने की पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से, आपके बैंक ने एक संक्षिप्त दो–पृष्ठ का खाता खोलने का फॉर्म (एओएफ) अर्थात् दुरंतो डीमैट खाता लॉन्च किया है.

बैंक ने आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड (आईसीएमएस) के सहयोग से 2–इन–1 खाते खोलने के लिए ईकेवाईसी एप्लिकेशन लॉन्च करने जैसी डिजिटल पहल की. बैंक के ग्राहक भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एलआईसी) द्वारा पेश किए गए जीवन बीमा उत्पादों को आनंदा मॉड्यूल के माध्यम से डिजिटल रूप से खरीद सकते हैं.

आपका बैंक समय–समय पर जारी सभी विनियामकीय और सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुपालन में रेफरल आधार पर अन्य पक्ष वितरण कारोबार की व्यवस्था करता है.

एलआईसी के साथ तालमेल

जनवरी 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा आपके बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी अर्जित किए जाने के बाद, दोनों ही संस्थाओं के बीच सहक्रियाओं के माध्यम से संभावित कारोबार को बढ़ाने के लिए कई पहल कार्य किए गए हैं. आपके बैंक ने अपने सर्वोत्कृष्ट उत्पाद और सेवाओं के माध्यम से सहक्रिया वाले क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्रवाई योग्य बिंदुओं की पहचान की है. बैंक का उद्देश्य बैंकाश्यूरेंस चैनल के अंतर्गत एलआईसी के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कारोबार जुटाने के लिए अपने वितरण चैनल/ संपर्क केंद्रों के दक्षतापूर्वक और अधिकतम उपयोग के साथ कम कीमत वाली जमा बही के निर्माण, अर्थात् चालू खाता बही पर ज़ोर देना है. आपके बैंक और एलआईसी के बीच कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते को फरवरी 2025 तक और नवीनीकृत कर दिया गया है.

आपका बैंक एलआईसी के बैंकाश्योरेंस व्यवसाय में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरा है तथा वित्त वर्ष 2021–22 में अपने चैनल से कुल कारोबार का 59% योगदान दिया है. आपका बैंक अपनी शाखाओं/ डिजिटल चैनलों के माध्यम से एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों के संग्रहण/ भुगतान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता रहा है.

जहां आपका बैंक सहयोग के क्षेत्रों के माध्यम से सभी कारोबारी खंडों में महत्त्वपूर्ण लाभ उठाता रहा है, वहीं यह भी अनुमान है कि कारोबार की वर्तमान गति को आगे बढ़ाते हुए तथा साथ ही एलआईसी और इसकी सहायक संस्थाओं के साथ सहक्रिया के माध्यम से आपका बैंक बहुमुखी विकास जारी रखेगा तथा इससे ग्राहकों तक पहुँच बनाने में और अधिक मदद मिलेगी. इसके परिणामस्वरूप बैंक के सभी हितधारकों का संवर्धित मूल्यवर्धन हो सकेगा.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को किफायती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में नीति–निर्माताओं के साथ भागीदारी करने में तत्पर रहा है. आपका बैंक प्रमुख तीन क्षेत्रों में यथा उपयुक्त वित्तीय उत्पाद ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में हस्तक्षेप करते हुए वित्तीय समावेशन के अजेंडे को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा देता रहा है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आपका बैंक भारत सरकार (जीओआई) के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, अर्थात् प्रधानमंत्री जन धन योजना में तथा भारत सरकार (जीओआई) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, अर्थात् दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा वृद्धावस्था में पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) / कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

आपके बैंक ने ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ाने के प्रयासों के अधीन व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) / कारोबार सुलभकर्ताओं (बीएफ) के अपने नेटवर्क को बढ़ाया है. इससे बेहतर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है तथा साथ ही बैंक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) व्यवसाय को भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला है. आपके बैंक ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर सभी बीसी / बीएफ के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया है. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं को बैंकिंग लेनदेन करने हेतु प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर कार्य करने के लिए उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने हेतु काम के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान किया.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता को प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए और साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अभिन्न अंग के रूप में भी, पूर्व आवश्यकता के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है. आपके बैंक ने दूरदराज़ के क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के बीच विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए हैं.

आपके बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई आरएसईटीआई) सतारा, महाराष्ट्र ग्रामीण कौशल प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार (भारत सरकार) के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए स्व–रोजगार प्रशिक्षण आयोजित करता है. स्थापना के बाद से अब तक यथा 31 मार्च 2022 को आईडीबीआई आरएसईटीआई ने 7,186 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 5,270 उम्मीदवारों (73.33 %) को स्व–उद्यमों की स्थापना करके बसने के रूप में सूचित किया गया है. आईडीबीआई आरएसईटीआई प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण के साथ–साथ सुविधाओं के उच्च मानकों को बनाए रख रहा है. इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा मान्यता दी गई है, जिसने उत्कृष्ट समग्र प्रदर्शन के लिए 2021 में आईडीबीआई आरएसईटीआई को 'एए' ग्रेडिंग से सम्मानित किया है.

वित्तीय समावेशन संबंधी अन्य पहल कार्य

आपका बैंक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ आधार नामांकन के लिए पंजीयक के रूप में पंजीकृत है. आपके बैंक ने केंद्रीय/ राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ योजना (डीबीटी) में सक्रियता से सहभागिता की है. इसके अलावा आपके बैंक ने अपने कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) चैनल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण को जारी रखा है.

आपके बैंक ने अपने बीसी/ बीएफ चैनल को आई-दोस्त (डोरस्टेप ऑनलाइन सिक्योर्ड ट्रांजैक्टर) के रूप में रीब्रांड किया है जो बैंक की दृश्यता बढ़ाने में सहायता करता है और बीसी/ बीएफ की ग्राहक पहचान सुनिश्चित करने में मदद करता है.

आपके बैंक ने सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) के साथ समझौता किया है और आईडीबीआई सीएससी आउटलेट लॉन्च किया है, जो कि ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा बैंक की शाखाओं की विस्तारित शाखा के रूप में संचालित एक कम लागत वाला बैंकिंग आउटलेट है और रीयल–टाइम आधार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है. आईडीबीआई सीएससी आउटलेट पर ग्राहकों द्वारा लेनदेन एक सुरक्षित वातावरण में कियोस्क बैंकिंग समाधान का उपयोग करते हुए डेस्कटॉप/ लैपटॉप पर किया जाता है. यह एक वेब–आधारित एप्लिकेशन है, जिसे आधार बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके ग्राहक प्रमाणीकरण की सुविधा के साथ सक्षम किया गया है.

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को उधार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सूक्ष्म उद्यमियों, प्रत्यक्ष कृषि गैर–कॉरपोरेट (डीएएनसी) तथा लघु व सीमांत कृषकों (एसएफ़एमएफ़) के वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया है. बैंक ने गैर वैयक्तिक कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ़) चैनल के माध्यम से अपनी पहुँच को बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हैं और यथा दिनांक 31 मार्च 2022 तक 40 से भी अधिक गैर वैयक्तिक कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ़) के साथ गठजोड़ किया है.

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2021–22 में प्रत्येक तिमाही के लिए औसत आधार पर उप–क्षेत्रों सहित प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएलसी) के लिए विनियामकीय लक्ष्यों को हासिल किया है.

भारत सरकार (जीओआई) की योजनाओं/ निर्देशों के अनुसार, आपका बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि), आदि और साथ ही अनुसूचित जाति (अजा) अनुसूचित जनजाति (अजजा) सहित अल्पसंख्यक समुदायों एवं कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करता रहा है.

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, आपके बैंक ने अपने पीएसएल पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहल किए हैं. उधारकर्ताओं की बढ़ती मांग और जरूरतों के अनुरूप, आपके बैंक ने विभिन्न नए उत्पाद पेश किए हैं जिनमें आईडीबीआई उपकरण वित्त, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसई) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता, कोविड–19 प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना, आईडीबीआई वाणिज्यिक वाहन वित्त, डॉक्टरों और चिकित्सकों के लिए संजीवनी एक्सप्रेस, सभी मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ग्राहकों के लिए समृद्धि एक्सप्रेस, सुवर्ण सरल एक ईएमआई- आधारित गोल्ड लोन उत्पाद आदि शामिल हैं. बैंक ने सितंबर 2021 में कृषि स्वर्ण ऋण के लिए उच्च मूल्य की तुलना में 85% का उच्चतर ऋण (एलटीवी) भी पेश किया.

आपके बैंक ने अपने पीएसएल पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए मेसर्स यूजीआरओ कैपिटल और मेसर्स अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक सह–ऋण समझौता किया है. बैंक ने नेशनल ई–रिपॉजिटरी लिमिटेड (एनईआरएल) और सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड (सीसीआरएल) के साथ स्टेट वेयरहाउस, सेंट्रल वेयरहाउस और वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त अन्य वेयरहाउस के माध्यम से अपने वेयरहाउस रसीद फाइनेंसिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. बैंक ने डिजिटल चैनलों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों (एसएफएमएफ) और सूक्ष्म उद्यमों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और उधार देने के लिए व्यावसायिक क्षमता का लाभ उठाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ समझौता किया है.

अपनी दक्षता को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए, बैंक ने गैर–व्यक्तिगत व्यापार संवाददाताओं (बीसी)/ व्यवसाय सुविधाकर्ताओं

(बीएफ) (एनआईबीसी) के माध्यम से व्यवसाय की सोर्सिंग को केंद्रीकृत करने सहित कई आंतरिक व्यापार प्रक्रियाओं को नया रूप दिया, पूरी तरह से स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली (एलपीएस) अर्थात् आई–अमृत को लागू किया, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म और सह–उधार व्यवस्था के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्यमों (एमएसएमई) से वृद्धिशील व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में एक समर्पित सेल बनाया गया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंड के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार की ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) सहाय पोर्टल पर पंजीकृत किया गया. ये उपाय आपके बैंक के टर्न–अराउंड टाइम (टीएटी) को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और इसके पीएसएल व्यवसाय को गति प्रदान करेंगे.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग खंड में मध्यम कॉर्पोरेट समूह (एमसीजी) और बृहत कॉर्पोरेट समूह (एलसीजी) शामिल है. बैंक का मध्यम कॉर्पोरेट समूह (एमसीजी) वर्टिकल, भारत भर में अपनी 20 शाखाओं और पाँच सेवा डेस्क के माध्यम से, मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स की आवश्यकताओं को पूरा करता है. आपके बैंक का बृहत कॉर्पोरेट समूह (एलसीजी), सात अलग–अलग स्थानों में स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से अपने बड़े कॉरपोरेट्स/ कॉर्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है. वर्ष के दौरान, बैंक ने कॉर्पोरेट बैंकिंग डेटा प्रबंधन (सीबीडीएम) को लागू किया है जो इसकी चुनिंदा कॉर्पोरेट शाखाओं द्वारा विभिन्न विवरणों को स्वचालित रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है.

आपका बैंक पूरे उद्योग में औषधीय उत्पाद, तेजी से बढ़ रहे उपभोक्ता सामान (एफ़एमसीजी), ऑटो पार्ट और इसके अनुषंगी, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रोसेसिंग, चीनी, सेरामिक्स, रासायनिक द्रव्य, निर्माण-कार्य, टेक्सटाइल, इस्पात, प्लास्टिक, दूर संचार, सीमेंट, चमड़ा उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, रबर, धातु, पर्यटन, आतिथ्य, शिक्षा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी), खान एवं खदान, इंजीनीयरिंग, विद्युत संबंधी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरण, विद्युत शक्ति, तेल और गैस, कृषि एवं उससे संबंधित सेवाएं, परिवहन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उससे संबंधित कार्यकलाप, आईटी सेवाएं एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण, आदि सहित विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा वेंडरों के लिए उत्पाद और सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के उत्पाद श्रृंखला में परियोजनाओं और गैर–परियोजनाओं दोनों के लिए सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित और गैर–निधि आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग तथा पोस्ट–शिपमेंट क्रेडिट, बिल छूट, इंट्रा–डे की सीमा आदि शामिल हैं. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों की श्रृंखला भी पेश की है, जिनमें अल्पकालिक ऋण-गैर–प्रतिबद्ध लाइन, प्राप्य खरीद, बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा सावधि ऋण, बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा बिल डिस्काउंटिंग आदि शामिल हैं.

कॉर्पोरेट बैंकिंग की सीमा के भीतर चैनल वित्तपोषण और कॉर्पोरेट के डीलर/ वेंडर के लिए वेंडर वित्तपोषण, साथ ही ग्राहकों को आगे उधार देने के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) खंड से ऋण देना जैसे उत्पादों को ऑफर कर आपका बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर भी उचित बल देता है. आपके बैंक की कॉर्पोरेट टीम उपयुक्त उत्पादों को विकसित करने और उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने के लिए रिटेल बैंकिंग, लेनदेन बैंकिंग, ट्रेजरी, आदि जैसे अन्य विशेषीकृत टीमों के साथ मिल कर ध्यानपूर्वक कार्य करती है ताकि कॉर्पोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

अपनी समग्र रणनीति के अनुरूप, आपका बैंक अपने कॉर्पोरेट ऋण बही में संवृद्धि के संबंध में चयनशील रहा है ताकि कैपिटल लाइट मॉडेल पर जोर दिया जा सके और साथ ही अपने कारोबार पोर्टफोलियो संमिश्र में जोखिम को कम किया जा सके. इसके लिए आपका बैंक बेहतर मूल्यांकित कॉर्पोरेट खातों के अधिग्रहण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है. इसी प्रकार बैंक निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमाओं के उपयोग और प्रति बिक्रय में सुधार पर ध्यान केन्द्रित कर ब्याज और शुल्क आय संवृद्धि पर ध्यान देता है. बैंक दबावग्रस्त और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामलों को अपग्रेड करने/ समाधान को समय पर कार्यान्वित करने का प्रयास भी कर रहा है ताकि मानक अग्रिम बही में संवर्धन के साथ–साथ प्रावधान के रिवर्सल, यदि कोई हो, का लाभ उठाया जा सके.

वर्ष के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र में अतिरिक्त तरलता की स्थिति और बाजार में कम ब्याज दरों ने अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों को बाजार से संबंधित उपकरणों जैसे वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) की ओर अपने उधार को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है. आपके बैंक ने एनसीडी और सीपी में निवेश करके अपने अच्छी रेटिंग वाले ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे वर्ष के दौरान इसकी निवेश बही में वृद्धि हुई.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की रोकथाम पर और मौजूदा ह्रासित आस्तियों से अधिकतम वसूली पर ज़ोर देना जारी रखा. मार्च 2022 के अंत में आपके बैंक की सकल आस्तियों में 80.86%अर्जक आस्तियां और 19.14% अनर्जक आस्तियां थीं. बैंक द्वारा किए गए केंद्रित प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2020-2021 के 1.97% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में नए एनपीए को कम करने में मदद मिली है और यह केवल 1.27% रहीं.

वर्ष के दौरान ह्रासित आस्तियों से वसूली और अनर्जक आस्तियों के अर्जक आस्तियों के रूप में अपग्रेड ₹5,074 करोड़ की रही जिससे 31 मार्च 2022 तक बैंक को अंतिम स्तर पर एनपीए को ₹34,115 करोड़ तक कम करने में सहूलियत हुई.

मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावा, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में आपके बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) को 31 मार्च 2021 के 96.90% से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 को 97.63% कर दिया है.

आपके बैंक के पास खाता विशेष आधारित समाधान रणनीतियों और कॉरपोरेट एनपीए की गहन निगरानी के लिए संकेंद्रित और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने हेतु समर्पित वर्टिकल अर्थात् एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) है.

आपके बैंक ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन आने वाले मामलों के लिए समर्पित केंद्रित डेस्क की स्थापना की है. यह समर्पित टीम विभिन्न टीमों के फील्ड से जुड़े तथा विभिन्न जटिलताओं का सामना करने में आए अनुभवों को अंगीकार करने और उन्हें साझा करने में सक्रिय भूमिका निभाती रही है जिससे बैंक इन सीआईआरपी मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम हुआ है. यथा 31 मार्च 2022 को कुल मिला कर ₹47,334 करोड़ (अनर्जक आस्तियों/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गई (टीडब्ल्यूओ) आस्तियों सहित) मूलधन बकायों के साथ कुल 280 मामले दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के अधीन सीआईआरपी के अंतर्गत थे. आपका बैंक इनमें से अधिकांश मामलों को निपटाने में सफल रहा और वर्ष 2021-22 के दौरान कुल ₹563 करोड़ की वसूली की गई. इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य मामलों के 2022-23 में समाधान होने की संभावना है.

आपके बैंक के पास एक *'एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रबंधन प्रणाली'* उपलब्ध है जो बैंक की वेबसाइट के माध्यम से वसूली की निगरानी करने सहित ओटीएस प्रस्ताव की प्रोसेसिंग को शुरू से अंत तक सक्षम बनाने के साथ ही ओटीएस आवेदनों की प्रस्तुति को सुविधाजनक बनाती है.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने ₹542 करोड़ की सकल मूल बकाया राशि (जीपीओ) वाले तीन खातों (एक एनपीए खाता और दो तकनीकी रूप से बट्टे खाते) को ₹293 करोड़ के प्रतिफल हेतु वसूली के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सम्पूर्ण नकदी आधार पर अंतरित किए. इन ₹293 करोड़ की वसूली में से आपके बैंक को ₹25 करोड़ एनपीए खातों में और शेष ₹268 करोड़ तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों में प्राप्त हुए. वर्ष के दौरान बट्टे खाते से कुल ₹846 करोड़ की वसूली की गई.

आपका बैंक लागू कानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2022 के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई भी करता रहा है. बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी)/ न्यायालयों के साथ भी निरंतर फॉलो-अप करता रहा है और डीआरटी संबंधी कार्य के लिए एनएमजी/ विधि/ रिटेल वसूली टीम से समर्पित नोडल अधिकारियों को चिन्हित किया है ताकि वसूली प्रमाणपत्र/ डिक्री प्राप्त करने और उन्हें निष्पादित करने में होने वाले विलंब को न्यूनतम किया जा सके.

आपके बैंक ने 319 मामलों का वर्गीकरण इरादतन चूककर्ता के रूप में किया है तथा ऐसे उधारकर्ताओं/ प्रवर्तकों/ निदेशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरु की है और यथा 31 मार्च 2022 को बैंक ने नौ मामलों को असहयोगी उधारकर्ताओं के रूप में घोषित किया है.

रिटेल वसूली

वित्तीय वर्ष 2020–21 में समर्पित रिटेल वसूली वर्टिकल की स्थापना के बाद, आपके बैंक ने अधिकतम उधारकर्ताओं, विशेष रूप से छोटे मूल्य के अनर्जक खातों (एनपीए) के उधारकर्ताओं तक पहुंचने के लिए संग्रह एवं वसूली एजेंसियों की सेवाओं लेने और अधिकतम वसूली करने पर ज़ोर दिया है. देश में महामारी से संबंधित प्रतिबंधों को वापस लिए जाने के बाद, बैंक आक्रामक तरीके से वाद दाखिल करने सहित सभी प्रकार की रिटेल वसूली कार्रवाइयां शुरु करता रहा है.

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में गैर–पक्षपातपूर्ण और गैर–विवेकपूर्ण एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना सरल कर्ज भुगतान योजना–II (एसकेबीवाई–II) शुरू की. 1 दिसंबर 2020 को शुरू हुई और 30 सितम्बर 2021 को समाप्त हुई इस योजना के अंतर्गत, आपके बैंक ने ₹264 करोड़ (कॉरपोरेट मामलों सहित ₹330 करोड़) की नकद वसूली की, जिससे समग्र रूप से ₹537 करोड़ (कॉरपोरेट मामलों सहित ₹674 करोड़) तक के रिटेल एनपीए स्तर को कम करने में सहायता मिली है. 1 अक्तूबर 2021 को छोटे मूल्य वाली अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/ तकनीकी रूप से बट्टे (टीडब्ल्यूओ) खातों के समाधान के लिए ₹0.20 करोड़ तक के सकल मूल बकाया राशि (जीपीओ) सहित रिटेल और कॉरपोरेट अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/ तकनीकी रूप से बट्टे (टीडब्ल्यूओ) खातों के लिए एक अन्य विशेष ओटीएस योजना अर्थात् सरल कर्ज भुगतान योजना–III (एसकेबीवाई–III) शुरू की गई. यह योजना 31 मई 2022 को बंद हो जाएगी. इस योजना के अंतर्गत ₹155 करोड़ के जीपीओ के लिए 14,421 उधारकर्ताओं ने अपनी स्वीकृति दी थी और 31 मार्च 2022 तक ₹89 करोड़ की नगदी वसूली की गई है. एसकेबीवाई के अलावा, आपके बैंक ने तीन ओटीएस अभियान शुरू किए हैं, जिनमें वसूली प्रक्रिया में लगे फील्ड कर्मियों को प्रेरित करने के लिए परफॉर्मर की मान्यता की परिकल्पना की गई है. आपके बैंक ने जुलाई 2021 से मार्च 2022 की अवधि में एक सामान्य तारीख को अखिल भारतीय आधार पर संपत्तियों की बिक्री के लिए तीन महा ई–नीलामी भी आयोजित की. बैंक ने 11 सितम्बर 2021, 11 दिसंबर 2021 और 12 मार्च 2022 को आयोजित पिछली तीन लोक अदालतों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें बैंक द्वारा 30,129 मामलों को संदर्भित किया गया और ₹19.82 करोड़ की राशि का निपटान किया गया.

बैंक ने रिटेल मामलों में वसूली प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने के लिए अर्थात् ऋण वापसी नोटिस निर्गमन, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2)/13(4) के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए मॉड्यूल शुरू किया है. इसके अतिरिक्त, मॉड्यूल में वाद दाखिल करने की प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए सुधार लाने का कार्य भी कार्यान्वित किया जा रहा है.

वसूली और संग्रहण तंत्र को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए वसूली प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, बैंक संपूर्ण समाधान प्रदान करने अर्थात् एकीकृत संग्रह और वसूली मॉड्यूल (आईसीएनआरएम) हेतु वेंडर की सेवाएं लेने की प्रक्रिया में है. यह मॉड्यूल अपने प्रारंभ से ही बैंक को बहुत प्रभावी ढंग से रिटेल पोर्टफोलियो में संग्रहण और वसूली दोनों टीमों को प्रारंभिक तनाव से निपटने, वसूली की ट्रैकिंग, समय पर वसूली और कानूनी कार्रवाईयों की निगरानी, सेवा प्रदाताओं अर्थात् वसूली एजेंसियों, प्रवर्तन एजेंसियों, अधिवक्ताओं आदि के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण पूरक दृढ़ता और क्षमता का लाभ उठाने में सहायता करेगा. बैंक द्वारा एक वेंडर को सूचीबद्ध किया गया है और पूर्ण प्रणाली को 30 सितम्बर 2022 तक कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है.

रिटेल संग्रहण

आपके बैंक ने शुरुआती दबाव और गिरावटों पर नियंत्रण रखने तथा रिटेल ऋण खातों से संग्रह प्रयासों में तेजी लाने के लिए फरवरी 2021 में रिटेल संग्रह वर्टिकल स्थापित किया है. रिटेल संग्रह गतिविधि में पूर्व–विशेष उल्लेख वाले खातों (एसएमए), उच्च जोखिम खातों, विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) और संभावित/ चिन्हित पहली बार अनर्जक आस्तियों (एफटीएनपीए) को कम करना शामिल है. उक्त खातों को उत्पाद विशिष्ट लॉट में विभाजित किया जाता है जैसे संरचित रिटेल आस्ति (एसआरए) (आवास ऋण (एचएल)/ संपत्ति पर ऋण (एलएपी)/ ऑटो ऋण (एएल)/ शिक्षा ऋण (ईएल)/ वैयक्तिक ऋण (पीएल) आदि) और गैर–संरचित रिटेल आस्ति (एसआरए) (गोल्ड लोन)/ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)/ कृषि आदि). संग्रह गतिविधियां रिटेल संग्रह वर्टिकल द्वारा बैंक के विभिन्न अंचल/ क्षेत्रों में तैनात संग्रह अधिकारियों की एक टीम की सहायता से संचालित की जाती हैं और इन्हें कॉल सेंटर, संग्रह एजेंसियों, कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबारी सुलभकर्ताओं (बीएफ) और शाखा केन्द्रित उत्पादों के लिए शाखा/ रिटेल आस्ति केंद्र (आरएसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. रिटेल संग्रह वर्टिकल बैंक के कॉल सेंटर और संग्रहण एजेंसियों का व्यापक स्तर पर उपयोग कर रहा है इससे संग्रहण के संबंध में उच्च समाधान दर प्राप्त करने की संभावना है. भविष्यसूचक मॉडलों से प्रकट होने वाले अधिक जोखिम वाले खाते रिटेल आस्ति केन्द्रों (आरएसी)/ शाखाओं द्वारा विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के अंतर्वाहों को कम करने के लिए तथा वर्टिकल द्वारा संक्रेंद्रित संग्रहण के लिए और फील्ड अधिकारियों द्वारा उपचारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए उपयोग में लाये जा रहे हैं. बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों की संख्या, भौगोलिक प्रसार और विस्तृत शृंखला के लिए रिटेल संग्रहण गतिविधि को सूचीबद्ध संग्रहण एजेंसियों के माध्यम से प्रबंधित करने की आवश्यकता है जो रिटेल क्षेत्र में विशिष्ट उत्पादों को संभालने की जानकारी से लैस होते हैं. आउटसोर्सिंग बैंक को उच्च मात्रा को संभालने और किफायत का लाभ प्राप्त करने के साथ–साथ एजेंसी की विशेषज्ञता का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अनुमति देती है.

संग्रहण व्यवस्थाओं से संबंधित अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के प्रयासों में आगे और वृद्धि करने के लिए आपका बैंक संग्रहण से संबंधित गतिविधियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है. एक एकीकृत डिजिटल संग्रहण मॉड्यूल भी विकसित किया जा रहा है जो बैंक को दबाव की पहचान करने में सहायता करेगा तथा संसाधनों (आंतरिक /बाह्य एजेंसियों) को प्रभावी रूप से नियोजित करेगा. अंकीकृत प्रक्रियाओं का उद्देश्य सुविधाजनक ऑनलाइन संग्रहण और चूककर्ता उधारकर्ताओं से बकाया राशियों की सुविधाजनक वसूली के लिए प्लैटफ़ार्म प्रदान करना और बैंक में एक पूर्ण और निर्बाध प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करना भी है.

ऋण निगरानी समूह

आपके बैंक ने मई 2017 में एक ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) की स्थापना की थी. सीएमजी का मुख्य उद्देश्य मानक ऋण पोर्टफोलियो अर्थात् दबाव के आरंभ होने की निगरानी, ऋण प्रशासन मानदंडों (सीएपी) की निगरानी और बैंक के मानक आस्ति पोर्टफोलियो की संरचित ऋण समीक्षा के लिए एक मजबूत निगरानी ढांचा तैयार करना है.

आपके बैंक ने दिसंबर 2019 में एक बैंक–व्यापी पूर्ण स्वचालित और व्यापक 'समय–पूर्व चेतावनी प्रणाली एक' सफलतापूर्वक लागू की है जिसमें निकट वास्तविक तत्काल समय आधार पर, देखी गई विसंगतियों के आधार पर अलर्ट को ट्रिगर करने के लिए, बैंक की आंतरिक प्रणालियों और बाह्यफीड से डेटा प्राप्त करने की क्षमता है, जो बैंक को तत्काल रक्षात्मक कार्रवाई और समय पर उपचारात्मक उपाय लागू करने में मदद करता है. सभी कॉरपोरेट और रिटेल खातों के मामले में प्रारंभिक सीमा के साथ उच्च/ मध्यम/ कम जोखिम के अंतर्गत जोखिम समूहन किया जाता है जिससे उच्च जोखिम वाले खातों और एसएमए पूर्व स्थिति में आरंभिक दबाव के लक्षण दर्शाने वाले खातों को पहचानने में बैंक की क्षमता में वृद्धि हुई है. ईडब्ल्यूएस प्रणाली के माध्यम से आपका बैंक नियमित अंतरालों पर रिटेल पोर्टफोलियो के संबंध में अपेक्षित बाजार विश्लेषण और अंतरबैंक तुलना करता है. ईडब्ल्यूएस प्रणाली की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जा सके और साथ ही, इसे लगातार विकसित हो रही विनियामक अपेक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार अद्यतित रखा जा सके.

आस्ति निगरानी टूल *'सजग'* ने शाखाओं को वास्तविक समय आधार पर 'केप' का स्टेटस प्रदान किया. *'सजग'* द्वारा केप अद्यतन को भी कैप्चर किया जाता है जिससे इन खातों की वास्तविक समय आधार पर निगरानी करने में सहूलियत होती है.

पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में आरंभिक गिरावट की पहचान करने, आरंभिक चेतावनी सिग्नल का पता लगाने और ऋण प्रशासन मानदंडों के अनुपालन के लिए ऋण मंजूरी की प्रभावकारिता के संबंध में समय पर फीडबैक तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संरचित ऋण समीक्षा विधि (एलआरएम) का प्रयोग किया जाता है.

इन पहल कार्यों के कारण वर्ष–दर–वर्ष आधार पर आरंभिक दबावों को कम करने, सीएपी मानदंडों का अनुपालन करने और इसके द्वारा आपके बैंक की ऋण गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक के पास समर्पित व्यापार वित्त (टीएफ) विभाग है, जो अपने बृहत/ मध्यम कॉरपोरेट तथा रिटेल ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है. उत्पादों की श्रृंखला में सामान्य रूप से सर्वाधिक प्रयुक्त आवक/ जावक विप्रेषण, साख–पत्र (एलसी), बैंकगारंटी (बीजी), जटिल घरेलू और सीमा आर–पार व्यापार उत्पाद के लिए आपाती साख पत्र (एसबीएलसी) जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के लिए आयात–निर्यात, लदान पूर्व और लदान पश्चात निर्यात वित्तपोषण, अल्पावधि आयात व्यापार ऋण (क्रेता की साख पर उधार और आपूर्तिकर्ता की साख पर उधार), मर्चेंटिंग व्यापार, पूँजी खाता लेनदेन, अर्थात् विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई), विलयन और अधिग्रहण, विदेश में कार्यालय खोलना आदि शामिल हैं, के लिए आपाती साख–पत्र (एसबीएलसी) का समावेश है.

इन व्यापार वित्त उत्पादों/ सेवाओं को केन्द्रीकृत व्यापार प्रोसेसिंग प्रणाली के जरिए उपलब्ध कराया जाता है जो तीन मुख्य मेट्रो केन्द्रों, अर्थात् मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में हब–एंड–स्पोक मॉडेल के रूप में कार्य करता है. केंद्रीकृत व्यापार प्रोसेसिंग प्रणाली बैंक के 14 अंचलों में स्थित सभी शाखाओं की जरूरतों को पूरा करता है तथा इस प्रकार मानकीकृत प्रोसेसिंग, सक्षम संचार और तीव्रतम कार्रवाई समय (टीएटी) की सुविधा प्रदान करता है. आपके बैंक के पास, एडी श्रेणी 1 बैंक के रूप में 45 समर्पित टीएफ़ केंद्र हैं जो सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए प्राधिकृत हैं. आपके बैंक का कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रत्येक लेनदेन के लिए मेकर और चेकर के द्विजन सिद्धान्त पर काम करता है.

आपका बैंक अपने ग्राहकों को हमेशा उच्च मानकों वाली ग्राहक सेवा प्रदान करने और समयबद्ध सुपुर्दगी का प्रयास करता है. आपका बैंक अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म को निरंतर विकसित और इसमें सुधार करता रहा है तथा साथ ही ग्राहक संबंधों को बढ़ाने के लिए अंकीकृत व्यापार प्रोसेसिंग भी प्रदान करता है ताकि व्यापार परिचालन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को बाधारहित और सुविधाजनक बनाया जा सके. बैंक ने लेनदेन संबंधी कार्यनिष्पादन को त्रुटि रहित और तीव्रतर करने के लिए कई आईटी पहल कार्य शुरू किए हैं. उदाहरण के लिए, बैंक के पास एक इंटरनेट आधारित ई–व्यापार वित्त प्लेटफॉर्म अर्थात् आईडीबीआई ई–व्यापार है जो ग्राहकों को 24×7 आधार पर अत्यावश्यक लचीलापन प्रदान करता है. आपके बैंक का स्विफ्ट संचालन केंद्रीकृत स्विफ्ट कक्ष (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जो एक सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म के तहत अत्यंत समुचित सावधानी और बहुस्तरीय सत्यापन प्रक्रियाओं सहित सुचारु और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करता है.

इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों सहित विनियामकीय एवं सांविधिक मानकों और विनियमोंके अनुपालन में नीतियाँ,प्रक्रियाएँ,मानकीकृत परिचालनगत कार्यविधि (एसओपी), परिचालन–संहिताएँ तथा व्यापक निगरानी तंत्र आदि निर्धारित की हैं.

व्यापार वित्त के क्षेत्र में वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) के उभरते प्रयोग से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, आपका बैंक इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लि. (आईबीबीआईसी) में इक्विटी धारकों में से एक बन गया है. आईबीबीआईसी का उद्देश्य डीएलटी के मूल्य में वृद्धि करते हुए व्यापार इको–प्रणाली का निर्माण करना है. आपका बैंक अंतर–संगठन व्यापार वित्त संचालन को अंकीकृत और स्वचालित करने की प्रक्रियाओं का निर्माण करने के लिए आईबीबीआईसी के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. आपके बैंक ने साइबर धोखाधड़ी जोखिम को कम करने और सीमा पार भुगतानों में धन–शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद वित्तपोषण का सामना (सीएफटी) करने संबंधी चिंताओं का समाधान निकालने के लिए भुगतान नियंत्रण प्रणाली और मंजूरी जांच प्रक्रियाओं के रूप में प्रभावी प्रणाली नियंत्रण तंत्र गठित किया है. प्रभावशाली सेवा सुपुर्दगी के उपाय के रूप में, आपके बैंक ने एक ऑनलाइन बैंक गारंटी पुष्टीकरण मॉड्यूल विकसित किया है जो इसके द्वारा जारी की गई बैंक गारंटियों के लाभार्थियों को गारंटी निर्गमन की ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है.

आपका बैंक द्विपक्षीय रुपया भुगतान व्यवस्था (आरपीएम) के अंतर्गत इंडो–ईरान व्यापार लेनदेन निपटानों की देखेरेख करनेवाले नामित बैंकों में से एक है. इन लेनदेनों को सुपरिभाषित मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के दायरे में और विदेशी आस्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) विनियमों, विशेष रूप से नामित नागरिक (एसडीएन) दिशानिर्देश, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)/ यूरोपीय संघ (ईयू) प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए मंजूरी कार्यक्रमों आदि के कड़े अनुपालन में निष्पादित किया जाता है. आपका बैंक वर्तमान में आरपीएम के अंतर्गत केवल मानवीय महत्व की वस्तुओं से संबंधित व्यापार लेनदेनों को ही संपन्न करता है.

आपके बैंक ने चौबीस घंटे धोखाधड़ी निगरानी सुविधा के साथ, उपयुक्त परिचालनगत/ अनुपालन अलर्ट लागू किया है. आपका बैंक धन–शोधन निवारक (एएमएल)/अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ आतंकवाद वित्तपोषण का सामना (सीएफ़टी) दिशानिर्देश, सुदृढ़ व्यापार व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) रेड फ्लैगिंग प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए यूएस/ईयू द्वारा प्रतिबंधों की जांच निरंतर अनुपालन करता है.आपका बैंक सिद्धांत के रूप में अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ब्यूरो (आईएमबी) के जरिए मर्चेन्ट व्यापार में प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कार्गो संचलन का सत्यापन करता है. बैंक सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यवसाय सूचना रिपोर्टों के माध्यम से विदेशी पार्टियों की साख, प्रमुख कार्यकलापों, कारोबार स्तर और भुगतान शीघ्रता का सत्यापन करता है.

आपके बैंक की बिल वित्त नीति भारतीय रुपये (आईएनआर) और विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) में किए गए व्यापार से उत्पन्न होने वाले सभी वास्तविक बिलों की खरीद/ भुनाई/ मोल–भाव को कवर करती है. आपके बैंक ने निर्यात ऋण की सुविधा प्राप्त करने वाले अपने सभी ग्राहकों को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बैंकों के लिए समग्र टर्नओवर निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किया है.

बैंक ने द्विपक्षीय संपर्क प्रबंध एप्लीकेशन (आरएमए) के जरिए विश्व भर में लगभग 800 बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग व्यवस्थाओं का बहुव्यापी नेटवर्क विकसित किया है जिसके फलस्वरूप वह विश्व भर में व्यापारिक और गैर–व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है. बैंक ने विश्व भर में 160 से अधिक मुद्राओं में धन प्रेषणों को संभालने के लिए इन प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था की है.

आपके बैंक को सीधे ऑनलाइन भुगतानों के माध्यम से सीधे प्रसंस्करण में अपनी परिचालनात्मक दक्षता और भुगतान संदेशों की गुणवत्ता की मान्यता के रूप में जे पी मॉर्गन और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, मेलॉन द्वारा यूएस डॉलर भुगतानों के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी के अंतर्गत *"एलिट क्वालिटी रिकग्निशन अवार्ड"* से सम्मानित किया गया.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतान संबंधी लेनदेन को संभालने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) के एजेंट के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक केंद्र सरकार के करों जैसे कि प्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की वसूली के लिए प्राधिकृत है. आपका बैंक 14 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्राप्तियों की वसूली के लिए भी सक्रिय है. आपका बैंक कर भुगतानों के लिए अपने ग्राहकों को 24×7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है.

आपके बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित देयों की ऑनलाइन वसूली की व्यवस्था की है. आपका बैंक भारत सरकार द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से छोटी बचत योजनाओं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एसएसए) ऑफर करने के लिए भी प्राधिकृत है. आपका बैंक केंद्रीय सिविल, डिफेंस और रेलवे पेंशन के संवितरण के लिए भी प्राधिकृत है.

नकदी प्रबंध सेवाएं

आपका बैंक कंपनियों को उनके संग्रहण एवं थोक भुगतानों के प्रभावी प्रबंधन और उनके निधि–प्रवाहों की दक्षतापूर्वक निगरानी करने हेतु अत्याधुनिक नकदी प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. आपका बैंक कंपनियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप सीएमएस संग्रहण, भुगतान एवं संव्यवहार बैंकिंग समाधानों की अनुकूलित और व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है. आपका बैंक विविध समाधान जैसे राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), वर्चुअल खाता सुविधा, उपयोगिता भुगतान, सीधी नामे सुविधाएं और अन्य ग्राहकोनुकूल ई-समाधान उपलब्ध कराता है जिन्हें ग्राहक प्रणालियों के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत (होस्ट-टू-होस्ट) किया गया है. आपका बैंक भारतीय रेलवे के ई-भाड़ा भुगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए अधिकृत है और रेलवे के 12 अंचलों में ई-भाड़े की वसूली कर रहा है. आपका बैंक फास्टैग जारी करने के लिए भी अधिकृत है जोकि एक टोल और पार्किंग शुल्कों के स्वचालित भुगतान के लिए रेडियो–फ्रिक्वेन्सी पहचान (आरएफ़आईडी) आधारित स्टिकर है और राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के टोल प्लाजा परिचालकों के लिए फास्टैग अधिप्राप्ति व्यवसाय है जो फास्टैग अधिप्राप्ति प्रणाली का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल शुल्कों की वसूली की अनुमति देता है.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने कॉरपोरेट/ संस्थाओं के लिए दो नए डिजिटल उत्पाद अर्थात् कॉरपोरेट चलनिधि प्रबंधन समाधान (सी–एलएमएस) और सरकारी चलनिधि प्रबंधन समाधान (जी–एलएमएस) आरंभ किए हैं जिन्हें बैंक की सहायक कंपनी अर्थात् आईडीबीआई इंटेक लि. द्वारा विकसित किया गया है. ये अद्वितीय और विशिष्ट उत्पाद हैं जो बड़े संस्थानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और बैंक के लिए नया राजस्व स्रोत जोड़ेंगे. इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने मौजूदा उत्पाद पेशकशों को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं. इस दिशा में की गई कुछ पहलों में भारत बिल भुगतान समाधान (बीबीपीएस) बिलर मॉड्यूल में साझेदार बैंकों के लिए वाइट लेबल समाधान और बैंक के फास्टैग ग्राहकों के लिए एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन का प्रारंभ किया जाना शामिल है.

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) सुविधा

समाज के कमजोर वर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई तीन पेंशन योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री श्रम योगी मान–धन योजना (पीएम–एसवाईएम), प्रधान मंत्री किसान मान–धन योजना (पीएम–केएमवाई) और प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान–धन योजना (पीएम-वीएमवाई/ एनपीएस–ट्रेडर) के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) वित्त प्रबंधक है और बैंक एकमात्र प्रायोजक बैंक के रूप में सूचीबद्ध है. इन योजनाओं के अंतर्गत, बैंक ने मार्च 2022 तक लगभग 65 लाख अधिदेश पंजीकृत किए हैं. एलआईसी के लिए बैंकाश्योरेंस भागीदार के रूप में, आपके बैंक ने एलआईसी पॉलिसीधारकों को अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान आपके बैंक की किसी भी रिटेल शाखा में या इसके मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से करने की सुविधा भी प्रदान की है. एलआईसी पॉलिसीधारकों के लिए, जिनका खाता आईडीबीआई बैंक में है, आपका बैंक अपनी सीधे डेबिट सुविधा के माध्यम से नवीकरण प्रीमियम के भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. बैंक ने चुनिंदा एलआईसी एजेंटों को एकत्रित प्रीमियम को अपनी रिटेल शाखाओं में जमा करने के लिए भी अनुमति प्रदान की है. आपका बैंक एलआईसी के

शाखा कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, पेंशन और समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) कार्यालयों, वैयक्तिक पेंशन पॉलिसी (आईपीपी) कार्यालयों और अन्य कार्यालयों को सीएमएस संग्रहण और भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक के ट्रेजरी परिचालनों में मुख्य रूप से मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव, प्राथमिक डीलर और इक्विटी से संबंधित कार्य शामिल हैं. बैंक की ट्रेजरी विनियामकीय अपेक्षाओं के पूर्ण अनुपालन जैसे– आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर), चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आदि को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है.

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

आपके बैंक द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) रखरखाव विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप रही है. रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह विशेष छूट दी गई है कि वे परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमा को 31 मार्च 2023 तक अपनी निवल मांग एवं आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) के 22% तक बढ़ा सकते हैं बशर्ते यह आधिक्य 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच अर्जित की गईं एसएलआर प्रतिभूतियों के कारण हुआ हो. आरबीआई ने यह शर्त भी निर्दिष्ट की है कि इस तरह की बढ़ी हुई एचटीएम सीमाओं को बैंकों द्वारा चरणबद्ध तरीके से जून 2023 से दिसम्बर 2023 तक सामान्य किया जाना चाहिए. एसएलआर बही के ब्याज दर जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन न केवल जोखिम को रोकने के लिए बल्कि साथ ही पूंजी प्रतिलाभ बुक करने के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाने के लिए भी किया गया है.

चलनिधि एवं आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) प्रबंध

आपके बैंक के ट्रेजरी ने रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), ऑन–टैप लक्ष्यित दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) सहित मीयादी रेपो और खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) जैसे विभिन्न लिखतों और साथ ही, त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग प्रणाली (टीआरईपीएस), क्लीयरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) तथा मांग एवं सूचना पर देय अन्य बाजार लिखतों का प्रयोग किया है. बैंक की अधिशेष चलनिधि को जमा प्रमाणपत्र (सीडी), चलनिधि म्यूचुअल फंड, ऋण सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक)/ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी), मांग/ सूचना पर देय/ मीयादी राशि आदि विभिन्न लिखतों में नियोजन किया जाता है. आपके बैंक ने विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखा.

कोविड–19 महामारी के प्रभाव को कम करने और विभिन्न बाज़ार सहभागियों/ उद्योगों के लिए आवश्यक चलनिधि को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) तथा लक्ष्यित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) जैसे विभिन्न उपायों की घोषणा की थी. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एलटीआरओ विंडो में सहभागिता की थी.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के संबंध में बासेल III ढांचे का अनुपालन किया है तथा उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की पहचान के लिए बिक्री योग्यता परीक्षण किया है.

उच्च लागत वाली थोक जमाराशियों पर निर्भरता को और कम करने के लिए सचेत प्रयास करने के अलावा, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसी जमाराशियों से संबंधित ग्राहक आधार में विविधता और विशाखन को भी सुनिश्चित किया है. आपके बैंक ने कॉरपोरेट बॉन्डों के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पूंजीकरण बॉन्डों में गैर–एसएलआर निवेश किया है.

प्राथमिक डीलर (पीडी)

प्राथमिक डीलर (पीडी) कार्यकलापों के एक भाग के रूप में आपका बैंक टी–बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में बाजार तैयार करने संबंधी गतिविधियों में शामिल रहा है. बैंक की ट्रेजरी ने बैंक के पास खाताधारी गिल्ट खाताधारकों को ग्राहकों की सहायक खाता बही (सीएसजीएल) सेवा भी उपलब्ध कराई. ट्रेजरी ने सीएसजीएल एवं गैर-सीएसजीएल ग्राहकों की ओर से भारत सरकार/ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की प्राथमिक नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लिया. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आपका बैंक द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए गिल्ट खाताधारकों को वेब आधारित तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान सेगमेंट (एनडीएस-ओएमएस) मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करता है. बैंक के *'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक'* पोर्टल ने रिटेल निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों को ऑनलाइन और एटीएम के माध्यम से खरीदने की सुविधा प्रदान करना जारी रखा.

'आरबीआई रिटेल डाइरैक्ट' सुविधा के अंतर्गत रिटेल निवेशकों के लिए द्वितीयक बाज़ार में चल निधि प्रदान करने के लिए, आपका बैंक बाज़ार निर्माता के रूप में एनडीएस–ओएम प्लेटफॉर्म (कोट्स सेगमेंट के लिए ऑड–लॉट एंड अनुरोध) पर रिटेल निवेशकों को खरीद/ बिक्री भाव उपलब्ध कराता है.

फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव

आपके बैंक के ट्रेजरी के पास सक्रिय फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव डेस्क है. फॉरेक्स इंटरबैंक डेस्क ने अपने ग्राहकों को अधिकतम संभव बेहतर फॉ

रेक्स दरें उपलब्ध कराई हैं. डेरिवेटिव डेस्क बैंक के ग्राहकों की हेजिंग संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अभिनव समाधान उपलब्ध कराता है.

ट्रेजरी बिक्री

आपके बैंक की ट्रेजरी देशभर के 16 केंद्रों पर विदेशी मुद्रा, निश्चित आय और डेरिवेटिव उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए एक सेल्स टीम द्वारा समर्थित है. बिक्री टीम अपने कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके साथ लगातार संपर्क करती है तथा विभिन्न मुद्राओं, ब्याज दरों आदि में उनके एक्सपोजर का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने हेतु समाधान प्रदान करती है. बिक्री टीम ग्राहकों को ऋण लिखतों (जी–सेक, गैर–एसएलआर बॉन्ड्स आदि) में उनके निवेश के बारे भी सलाह देती है. बिक्री टीम बैंक के अन्य उत्पादों को बेचने के लिए भी अपनी पहुंच का लाभ उठाती है.

आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा व्यापार को बढ़ाने, मौजूदा संबंधों में प्रगाढ़ता लाने और साथ ही, नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए कई अंतर–वर्टिकल अभियान चलाए हैं. आपके बैंक ने आंतरिक हितधारकों और ग्राहकों के बीच ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आईडीबीआई फॉरेक्स फेस्ट, *'ट्रेजरी की पाठशाला'* शीर्षक आवधिक ई–मेलर पहल जैसी विभिन्न पहलें भी की हैं. ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए फॉरेक्स एवं ब्याज दर हेजिंग उत्पादों के दायरे और पहुँच को विस्तारित करने हेतु व्यापक स्तर पर वेब कॉल, बैठकें और विजिट आयोजित किए गए. बैंक की अनुकूलता एवं उपयुक्तता नीति के अनुसार और आरबीआई निर्देशों के अनुपालन में ग्राहकों को डेरिवेटिव उत्पादों की पेशकश की जाती है.

वित्तीय संस्था समूह (एफ़आईजी)

आपके बैंक ने एक समर्पित वित्तीय संस्था समूह (एफआईजी) स्थापित किया है ताकि बैंक के विभिन्न उत्पादों/ सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए देशी और विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफआई) पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सके. यह समूह व्यापार, नकदी प्रबंध सेवाएँ, भुगतान, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, मुद्रा बाजार तथा रिटेल बैंकिंग से संबंधित उत्पादों/सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कवरेज समूह के रूप में कार्य करता है. एफआईजी कवरेज के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने और वित्तीय संस्था कारोबार की पहुँच को बढ़ाने के लिए भी वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करता है.

कारोबार निरंतरता योजना

आपका बैंक सीबीडी बेलापुर, मुंबई में ट्रेजरी कारोबार निरंतरता केंद्र का संचालन करता है. केंद्र के पास एकीकृत परिचालन की सुविधा है जिसमें विविध बाजार खंड हैं और सभी महत्वपूर्ण ट्रेजरी कार्यों को संचालित कर सकता है. इससे बैंक की ट्रेजरी को महामारी की अवधि के दौरान कार्य जारी रखने में मदद मिली और निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित की गई.

बेंचमार्क्स का प्रस्तुतीकरण

ट्रेजरी परिचालन में सक्रिय खिलाड़ी होने के नाते, आपका बैंक एफबीआईएल पोल्ड टर्म मिबोर एवं एफबीआईएल पोल्ड एफसी-रुपी ऑप्शन वोलेटिलिटी के लिए फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना रहा.

सीमा पार शाखाएँ

आपके बैंक की एक समुद्रपारीय शाखा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में है और एक अंतरराष्ट्रीय शाखा आईएफ़एससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर, गुजरात में है.

डीआईएफसी, दुबई स्थित आपके बैंक की समुद्रपारीय शाखा ने परिचालन के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं. डीआईएफ़सी शाखा के संचालन को युक्तिसंगत बनाया गया है और यह चुनिंदा सेवाओं तक सीमित है, अर्थात् निवेश में सौदों की व्यवस्था (डिबेंचर), वित्तीय उत्पादों के लिए सलाहकार सेवाएं (डिबेंचर) और ऋण के लिए व्यवस्था एवं सलाहकार सेवाएं. डीआईएफसी शाखा, यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से बाहर और अन्य गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) देशों से परिचालन करने वाले स्थानीय उद्यमियों को कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा अपने भारतीय ग्राहकों के साथ–साथ विदेशी उद्यमों के लिए सेवा की जरूरतों को पूरा कर रही है.

आपके बैंक की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू),गिफ्ट ने 6 मई 2016 से अपना परिचालन शुरू किया. आईबीयू, जीआईएफटी के विशेष आर्थिक जोन (एसईज़ेड) के अंतर्गत आता है और इसका कामकाज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अभिशासित होता है. अन्य उत्पादों के अलावा, बैंक का आईबीयू भी बायर्स क्रेडिट (बीसी) के प्रति निधीयन पर केन्द्रित है.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधार दोनों के लिए ऋण की रेटिंग प्राप्त करता है. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रेटिंग में कार्रवाई यथा 31 मार्च 2022 को रुपया संसाधनों के लिए वर्तमान रेटिंग के साथ निम्नानुसार हैं:

रुपया उधार के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग	केयर
रेटिंग संबंधी कार्रवाई	फरवरी 2022	सितंबर 2021	जुलाई 2021*	दिसंबर 2021
सावधि जमाराशियाँ	एफएए/ स्टेबल	एमएए–/ स्टेबल	इंड टीए/ स्टेबल	---
अल्पावधि उधारराशियाँ (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा]ए1+	इंड ए1	केयर ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर || बांड))	क्रिसिल ए+/ स्टेबल	[इक्रा]ए+/ स्टेबल^	इंड ए/ स्टेबल#	---

श्रेणी निर्धारित लिखत	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग	केयर
रेटिंग संबंधी कार्रवाई	फरवरी 2022	सितंबर 2021	जुलाई 2021*	दिसंबर 2021
हाइब्रिड अपर टियर II बांड	क्रिसिल ए- / स्टेबल	[इक्रा]ए/ स्टेबल$	---	---
हाइब्रिड -आईपीडीआई (बासेल II)	क्रिसिल ए- / स्टेबल	---	---	---
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल ए+ / स्टेबल	[इक्रा]ए+/ स्टेबल@	इंड ए/ स्टेबल	केयर ए+/ स्टेबल

टिप्पणी :

** - संभावना को निगेटिव से अपग्रेड कर स्टेबल किया गया*
^ - रेटिंग को अपग्रेड कर A से A+ किया गया
$ – रेटिंग को अपग्रेड कर बीबीबी+ से A किया गया
@ – रेटिंग को अपग्रेड कर A (हाइब्रिड) से A+ किया गया
 # – केवल सीनियर टियर II बांडों की रेटिंग की गई

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग दो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् फिच रेटिंग्स (फिच) तथा एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स (एस एंड पी) द्वारा की जाती है. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग और आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए)/ अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर) तथा स्टैंड–अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी) में परिवर्तन और यथा 31 मार्च 2022 को वर्तमान रेटिंग निम्नानुसार रही:

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	फिच रेटिंग– रेटिंग संबंधी कार्रवाई		
	जून 2020	दिसंबर 2020	जून 2021
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबी+/ निगेटिव	बीबी+/ निगेटिव	बीबी+/ निगेटिव
अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर)	सीसीसी	सीसीसी +	सीसीसी +

श्रेणी निर्धारित लिखत	एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग– रेटिंग संबंधी कार्रवाई		
	जून 2020	अक्तूबर 2020	मई 2021
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (सीआर)	बीबी/ निगेटिव	बीबी/ निगेटिव	बीबी/ निगेटिव
स्टैंड–अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी)	बी-	बी-	बी+&

टिप्पणी : & – रेटिंग को अपग्रेड कर बी– से बी+ किया गया

विदेशी रेटिंग एजेंसियों अर्थात् एसएनपी ग्लोबल रेटिंग (एस एंड पी) और फिच रेटिंग (फिच) द्वारा रेटिंग किए हुए मध्यम अवधि नोट (एमटीएन) बॉन्डों की 30 नवंबर 2020 को पूर्णत: चुकौती कर दी गई थी. इसलिए बैंक ने 21 मई 2021 को मध्यम अवधि नोट (एमटीएन) बॉन्ड कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न निगमों के साथ किए गए रेटिंग अनुबंध/ करार समाप्त कर दिये थे. तदनुसार, विदेशी मुद्रा उधारियों की रेटिंग वापस ले ली गई है.

विदेशी मुद्रा संसाधन / देशी संसाधन

आपके बैंक का ट्रेजरी अल्पावधि मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से भाग लेता है और अल्पावधि आस्तियों के लिए अल्पावधि चलनिधि और निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विदेशी मुद्रा (एफसी) के साथ–साथ भारतीय रुपए, दोनों में अल्पावधि निधियां जुटाता है.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने नियत तारीखों पर दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधारियों और रुपया उधारियों को सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है.

लंदन अंतर– बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) परिवर्तन

मार्च 2021 में, यूनाइटेड किंगडम (यूके) में वित्तीय विनियामक निकाय वित्तीय संचालन प्राधिकरण (एफसीए) ने उन पाँच मुद्राओं में, जिनमें लाइबोर प्रकाशित की जाती है, सभी 35 लाइबोर सेटिंग के लिए भावी समापन तारीखों की घोषणा की. लाइबोर से विभिन्न वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) में संक्रमण में अपने ग्राहकों को अबाधित सेवा जारी रखने के लिए, आपके बैंक ने अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में विभिन्न संशोधनों को प्रबंधित करने के लिए व्यापक तैयारी की. इस संक्रमण चरण के दौरान, आपका बैंक अपने ग्राहकों के साथ लगातार जुड़ा रहा है ताकि उन्हें लाइबोर से संक्रमण पर बाजार घटनाक्रमों से अवगत कराया जा सके. 1 जनवरी 2022 से सभी नए लेनदेन एआरआर के संदर्भ में किए जा रहे हैं.

जोखिम प्रबंध

आपके बैंक की जोखिम प्रबंध रणनीति तीन बुनियादी बातों अर्थात् पहचान, मापन और निगरानी पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है. पहचान प्रक्रिया जहाँ आगे के विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए समर्थ बनाती है वहीं मापन बैंक को प्रभावी रूप से जोखिम का प्रबंध करने में सक्षम बनाता है. इस रणनीतिक दृष्टिकोण ने जोखिम प्रबंधन साधनों के माध्यम से आपके बैंक को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाया है तथा उसमें विश्वास पैदा किया है. उचित सीमाओं और प्रक्रियागत पहलुओं को दर्शानेवाली सुपरिभाषित नीति की रूपरेखा बैंक की समग्र रूप से जोखिम वहन करने की क्षमता के अंतर्गत बैंक को जोखिम कम करने और इसका प्रबंधन करने में मदद करती है. कारोबार सक्रियता के मूल तत्वों, बैंकिंग नवोन्मेष और विनियामकीय परिवर्तनों को समझते हुए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में और अधिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए नीति को आवधिक रूप से अद्यतित किया जाता है. आपका बैंक सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता फैला कर और निर्णय लेने में इसे एक अत्यावश्यक मानदंड बना कर अपनी जोखिम प्रबंध संस्कृति में लगातार सुधार का प्रयास करता है. जहां निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) पर समग्र जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वहीं दिन–प्रति–दिन की गतिविधियों का संचालन जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है. जोखिम प्रबंधन प्रणाली और इसकी प्रक्रियाओं को विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार लगातार अद्यतित किया जाता है. एक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए, आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर (आईआरएमए) लागू किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) और व्यापक

परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण और परिचालनगत जोखिमों की पहचान और मापन में मदद करता है जिससे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. इसके अलावा आपके बैंक में उसके आस्ति एवं देयता प्रबंध (एएलएम), निधि अंतरण मूल्य–निर्धारण (एफटीपी), लाभप्रदता प्रबंध (पीएफटी) और तरलता जोखिम प्रबंध (एलआरएम) आवश्यकताओं के लिए सुस्थापित वित्तीय विश्लेषण एप्लीकेशन भी कार्यान्वित है.

बासेल मानकों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल–III ढांचे के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पिलर–1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की तिमाही आधार पर गणना करता है. इसके अलावा, बैंक मासिक आवधिकता पर जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूंजी की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखता है.बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों के लिए 31 मार्च 2016 से चरणबद्ध तरीके से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 5 फरवरी 2021 की अधिसूचना के अनुसार आपके बैंक ने 01 अक्तूबर 2021 से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की अंतिम श्रृंखला को लागू किया. 31 मार्च 2022 को आपके बैंक का *'कुल पूंजी+ सीसीबी'* अनुपात 11.50% की विनियामकीय आवश्यताओं के मुकाबले 19.06% रहा. इसी प्रकार आपके बैंक का *'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) + सीसीबी'* अनुपात 8.00% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 16.68% रहा. 31 मार्च 2022 को आपके बैंक का *'टियर 1 + सीसीबी'* अनुपात 9.50% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 16.68% रहा. यथा 31 मार्च 2022 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 7.42% रहा.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है. यह नीति बैंक को पिलर–I में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यापक दबाव परीक्षण की रूपरेखा कार्यान्वित की है. यह दबाव परीक्षण रूपरेखा आपके बैंक को असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाक्रमों में अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए उपयुक्त अग्रसक्रिय रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है. इस रूपरेखा में परिस्थिति विश्लेषण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण को भी शामिल किया गया है. परिदृश्य विश्लेषण में बैंक की पूंजी और लाभप्रदतता के संदर्भ में सकल एनपीए के और अधिक बढ़ने, अनर्जक आस्ति (एनपीए) की गैर निधि आधारित सुविधाओं एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते (टीडबल्यूओ) में डाले गए खातों के क्रिस्टलीकरण और गैर-तरल प्रतिभूतियों का प्रभाव शामिल है. इस रूपरेखा में प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण प्रणाली शामिल की गई है ताकि पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दबाव के स्तर का पता लगा कर इसे पूर्व–निर्धारित स्तर पर लाया जा सके. आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर 3 अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटनों को आपके बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है, जो उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है. आपके बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा और संबंधित परिणामों के साथ–साथ उन्हें नियंत्रित करने के उपायों के लिए उत्पन्न जोखिमों का सक्रिय रूप से आकलन करने के लिए प्रतिष्ठात्मक जोखिम नीति भी बनाई है. आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूलभूत सांकेतिक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाता है. जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और प्रभावी नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारोबार खंडों में प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम व नियंत्रण स्व–आकलन (आरसीएसए) की व्यापक रूपरेखा लागू की गई है. आपका बैंक बाजार जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) और पूंजी पर्याप्तता निर्धारण के स्वचालन के लिए पूंजी निर्धारण मॉडल (सीएएम) शामिल है. ऋण नीति दस्तावेज की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा की जाती है. यह कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शक साधन है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) अन्य बातों के साथ–साथ क्रेडिट नीति/ रणनीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और बैंक–व्यापी आधार पर क्रेडिट जोखिम की निगरानी करती है. आरएएम/ अंक आधारित आंतरिक रेटिंग के अतिरिक्त, बैंक ने उच्च मूल्य वाले कॉरपोरेट और मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) ऋणों के जोखिम वर्गीकरण के लिए मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स (क्यूएएसएम) भी विकसित किया है.

बाजार जोखिम

कार्य तथा कारोबार स्थितियों के संदर्भ में आपके बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है. सामान्यत: ये नीतियां जोखिमों व अपवादों के मापन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि के आकलन के लिए जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों तथा कार्यान्वयन प्रणालियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं. इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के कार्यान्वयन के साथ, आपके बैंक की निगरानी और रिपोर्टिंग को कवर करने वाले बाजार जोखिम प्रबंधन प्रभावकारिता को और मजबूत किया गया है. ट्रेजरी के मिड ऑफिस द्वारा सभी निर्धारित सीमाओं तथा सभी प्रक्रियाओं की गहन निगरानी की जाती

है जो ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस से स्वतंत्र है. ट्रेजरी मिड–ऑफिस ने एक मजबूत गैर–एसएलआर बॉन्ड पोर्टफोलियो (एनएसएलआर) बनाने के लिए इन–हाउस आंतरिक रेटिंग आधारित मॉडल के विकास के माध्यम से गैर–एसएलआर बांडों (एनएसएलआर) की आंतरिक रेटिंग शुरू की है.

चलनिधि प्रबंध

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढाँचा है. बैंक की आस्ति–देयता प्रबंध समिति (आल्को) व्यवसाय रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है. चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति–देयता प्रबंध (एएलएम) कार्यकलाप कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आल्को सहयोग समूहों जैसे तुलन–पत्र प्रबंध, ट्रेजरी फ्रंट कार्यालय, बजट एवं आयोजना आदि के बीच समन्वय के जरिए संपन्न किए जाते हैं. आल्को निर्देश तथा एएलएम कार्रवाइयाँ व्यवसाय समूहों और वर्टिकलों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं. विनियामिकीय दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है. 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का औसत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 141.70% रहा. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुरूप 1 अक्टूबर 2021 से निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देशों को लागू किया है. 31 मार्च 2022 को बैंक का निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) 133.13% था.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है जिसमें एक समर्थकारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), जोखिम प्रबंधन विभाग में परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) अनुभाग तथा विभिन्न कार्यों/ विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है.

आपके बैंक में विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों/ परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं. यह मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के जरिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करता है और इस संबंध में हुई प्रगति से निदेशक मंडल की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) को आवधिक रूप से अवगत कराता है. पूरे बैंक से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं को समेकित किया जाता है और मूल कारणों के विश्लेषण के साथ परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है. परिचालगत जोखिम हानि संबंधी आंकड़े डीसीटी 390 एवं 415 के तहत तिमाही आधार पर रिजर्व बैंक को भी प्रस्तुत किए जाते हैं.

आपका बैंक उपार्जन और पूंजी पर दबावग्रस्त परिचालनगत जोखिम संबंधी हानियों के मूल्यांकन के लिए अर्ध-वार्षिक आधार पर दबावग्रस्त परीक्षण कार्रवाई भी करता है. इसके साथ ही परिचालनगत जोखिम के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम वहन सीमा में किसी उल्लंघन का मापन और रिपोर्टिंग भी की जाती है. वर्तमान में परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए बैंक ने मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है.

आपके बैंक ने सभी आंतरिक नीतियों, उत्पादों, मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को एक ही स्थान पर डिजिटल रूप से होस्ट करने के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि कर्मचारियों के लिए समयबद्ध अद्यतित और सहज पहुंच सुनिश्चित की जा सके.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों तथा जीवन संबंधी जोखिमपूर्ण स्थितियों को कम करने के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाएं हैं. आपके बैंक को कारोबार निरंतरता प्रबंधन के बैंक व्यापी कवरेज के लिए आईएसओ 22301:2012 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के एक भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की गई है. इस योजना का उद्देश्य कारोबार व्यवधान/ आपदा के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है. इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मूल्यवान आस्तियों के नुकसान को कम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है. इन कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) तथा आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) की आघात सहनशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, संपूर्ण ड्रिल और मॉक इवैक्यूएशन ड्रिलों सहित आपदा बहाली के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली एक स्वचालित घटना रिपोर्टिंग टूल अर्थात् एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई–डीएबी) से सुसज्जित है.

ग्राहकों को महत्वपूर्ण सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने *आयन* बीसीपी नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है, ताकि बाधित शाखाओं में तत्काल कार्य बहाल कर व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू की जा सके.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने अपने सूचना प्रौद्यागिकी आईटी जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नवी मुंबई स्थित अपने डेटा केंद्र और चेन्नई स्थित

आपदा रिकवरी (डीआर) साइट पर एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. यह 24×7 कार्यरत रहने वाला सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी), बैंक के सम्मानित ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कमान केंद्र के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा, एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों जैसे फायरवाल्स, राऊटर्स, इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) डिवाइस/ इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस) डिवाइस, विशेषाधिकारकृत पहचान प्रबंध (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/ मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है. आपका बैंक बाह्योन्मुख एप्लीकेशनों अर्थात् फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लीकेशन (एफईबीए), मोबाइल बैंकिंग, मेल मैसेजिंग आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिजर्व बैंक की सिफारिशों और बैंकों के लिए रिजर्व बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), जो बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करते हैं, के नेतृत्व में एक विशेष सूचना सुरक्षा समूह का गठन शामिल है.

ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए कई सूचना सुरक्षा समाधान जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, नैक्स्ट-जेनरेशन-फायरवाल समाधान, मोबाइल युक्ति प्रबंधन, हनीपॉट समाधान, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे, इंड पॉइंट एवं यूएसबी एनक्रिप्शन, डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) सॉल्यूशन, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएस), वेब-एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ) आदि कार्यान्वित किए गए हैं.

आपके बैंक ने सुस्पष्ट साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती है. बैंक ने साइबर सुरक्षा जोखिम निगरानी समिति (सीएसआरएमसी) का गठन किया है जो वीएपीटी/ एपसेक प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई किसी भी सुभेद्यता को जारी रखने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करती है. इसके साथ ही, आपका बैंक अपने सूचना सुरक्षा ढाँचे की जाँच करने और उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली साइबर ड्रिलों, टेबल-टॉप अभ्यासों, फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यासों और इसकी सूचना सुरक्षा सेट-अप के स्वास्थ्य की जांच करने और ब्रीच रेडिनेस अभ्यासों में भी सहभागिता करता है और साथ ही ऐसे अभ्यासों को आयोजित भी करता है. सूचना सुरक्षा जागरूकता को बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम में अनिवार्य सत्र के रूप में शामिल किया गया है. बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) में आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम कार्यक्रम में भाग लिया. कर्मचारियों के लिए नियमित सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ–साथ, ग्राहकों को सुरक्षा भंग करने के प्रयासों को कम करने/ विफल करने के लिए मेल, एसएमएस, एटीएम और पोस्टरों के जरिए विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों को भी सूचित किया जाता है. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रणाली को पेरिमीटर और एंड–पॉइंट समाधान सहित एक गतिशील सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के तहत लागू किया गया है. आपके बैंक का डेटा सेंटर (डीसी), आपदा रिकवरी केंद्र (डीआर) तथा नजदीकी डीआर केंद्र (एनडीआर) नवीनतम आईएसओ 27001 : 2013 सूचना सुरक्षा मानकों के साथ प्रमाणित हैं. आपके बैंक का नजदीकी डीआर केंद्र महत्वपूर्ण संव्यवहार प्रणालियों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करता है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) सूचना प्रणालियों में आईटी जोखिम को कम करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करती है. साइबर सुरक्षा की दशा, विभिन्न सुरक्षा घटनाएं और नीतियां आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड की आईटी रणनीति समिति (आईटीएससीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं. नीतियों को आईटीएससीबी द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है.

प्रबंधन, नियंत्रण और प्रणालियां

मानव संसाधन

ज्ञानार्जन एवं विकास

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड–19 से प्रेरित प्रतिबंधों के बावजूद आपके बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद और इसके 10 अंचल प्रशिक्षण केन्द्रों ने 946 वर्चुअल इन–हाउस एवं बाह्य स्वनिर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ ही ई–लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 16,218 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया. विभिन्न वर्टिकलों के कर्मचारियों को विभिन्न विषयों यथा रिटेल बैंकिंग, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम और कृषि ऋण, ग्रामीण ऋण वितरण एवं निगरानी, एनपीए प्रबंधन, संरचित रिटेल आस्तियां (ऋण/ बिक्री/ संग्रहण/ परिचालन), लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा, दस्तावेजीकरण, भूमिका आधारित रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, रिटेल संग्रहण, व्यापार वित्त, ट्रेजरी, जोखिम, वित्त एवं लेखा, नेतृत्व/ व्यवहारिक प्रशिक्षण और अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किए गए. बैंक ने यौन उत्पीड़न (पीओएसएच) रोकथाम, अपने ग्राहक को जानिए/ धन–शोधन निवारण, डिजिटल बैंकिंग, सतर्कता निवारक, साइबर सुरक्षा, फिनेकल आदि के मॉड्यूलों में मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात आभासी प्रशिक्षण और ई–लर्निंग, भी संचालित किए. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक सेवा कार्यक्रम, महिला अधिकारियों, राजभाषा, अपने ग्राहक को जानिए/ धन–शोधन निवारण (एएमएल) एवं साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. बैंक ने हाइब्रिड प्रशिक्षण कार्यक्रम (भौतिक कक्षा प्रशिक्षण के साथ आभासी प्रशिक्षण) भी शुरू किया.

आपके बैंक के आठ स्वतंत्र निदेशकों को क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) पर भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के प्रभाव को समझने के लिए आयोजित कार्यशाला, वाणिज्यिक बैंकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन, बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के लिए कॉर्पोरेट आभिशासन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में निदेशकों के लिए आभिशासन और आश्वासन पर वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम तथा आईटी और साइबर सुरक्षा में कार्यक्रम नामक पांच कार्यकर्मो में नामित किया गया. इन्हें क्रिसिल, कृषि बैंकिंग कॉलेज (सीएबी), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी), उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं अध्ययन शिक्षा केंद्र (सीएएफआरएल) आदि आयोजित किया गया था.

आपके बैंक ने अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में अपेक्षित एक्सपोजर प्रदान करने के लिए 1,075 अधिकारियों को 114 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, क्रेडिट प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, व्यापार वित्त, ट्रेजरी, फोरेक्स, निर्यात वित्त, डिजिटल बैंकिंग, कॉरपोरेट अभिशासन एवं अनुपालन, लेखा परीक्षा, फोरेंसिक ऑडिट, आरक्षण नीति पर एचआर कार्यक्रम, डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, धोखाधड़ी प्रबंधन एवं एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण आदि विषयों पर प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी)- पुणे, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ), इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई), इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी), क्रिसिल, नेशनल एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (एनएएचआरडी), उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र (कैफरल), इंटरटेक (इं) प्रा. लि., डेक्सलैब सोल्युशंस प्रा.लि., एएलएमयूएस रिस्क कंसल्टिंग एलएलपी, एशियन कॉलेज ऑफ टीचर्स, आदि जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया गया.

ज्ञानार्जन संस्कृति के भाग के तौर पर बैंक अपनी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली यथा ओजस के माध्यम से ई–लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है ताकि कर्मचारियों को शिक्षण के लिए लागत प्रभावी ढंग से अतिरिक्त चैनल उपलब्ध कराए जा सकें. ओजस में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग संबंधी विषयों को शामिल करते हुए 300 से अधिक अद्यतित ई–लर्निंग मॉड्यूल रखे गए हैं जिसमें व्यवहार–कौशल संबंधी विषय और हिंदी में कार्यात्मक मॉड्यूल भी शामिल हैं. सभी अनिवार्य ई–लर्निंग प्रमाण–पत्र कार्यक्रमों को ग्रेड एफ (मुख्य महाप्रबंधक) तक के अधिकारियों के लिए आई–पेस प्रणाली में पांच अंकों का प्रावधान रखते हुए वार्षिक मूल्यांकन से भी जोड़ा गया है. समग्र रूप से वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 13,706 अधिकारियों ने ई–लर्निंग प्रमाण–पत्र कार्यक्रमों को पूरा किया है. जेएनआईबीएफ ने बैंक में अनुपालन जागरूकता और सशक्त संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ग्रेड ए से एफ तक के अधिकारियों के लिए अनुपालन मॉड्यूल भी शामिल किया है.

कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न स्टैंडअलोन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, जेएनआईबीएफ ने नेपाल के बैंकों के लिए विपणन और बिक्री कौशल पर पहला ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया. जेएनआईबीएफ और जेडटीसी ने प्रतिष्ठित संगठनों के लिए 763 प्रतिभागियों के साथ 29 बाह्य कार्यक्रम आयोजित किए. इन कार्यक्रमों ने भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों में जेएनआईबीएफ की एक मजबूत छवि बनाई है क्योंकि इसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), एक्ज़िम बैंक, मशरेक बैंक, बैंक ऑफ चाइना, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, सीएसबी बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, रेलटेल, लोकमंगल को–ऑप बैंक लिमिटेड, निचिनो इंडिया प्रा. लिमिटेड, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कई संस्थानों से नामांकन प्राप्त हुए थे.

आपके बैंक ने प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करते हुए सहयोगात्मक पद्धति से सीखने की पहल की है. जेएनआईबीएफ ने विभिन्न संयुक्त प्रशिक्षण और संकाय विनिमय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई) और गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (गीतम) हैदराबाद बिजनेस स्कूल (जीएचबीएस) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर छात्रवृत्ति संवितरित की.

अधिकारियों की तैनाती और नियोजन

कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक के पास संगठनात्मक और विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुदृढ़ स्थानांतरण व्यवस्था है. स्थानांतरण का उद्देश्य कारोबार और सहयोगी क्षेत्रों के कार्यात्मक पहलुओं से अच्छी तरह परिचित कराने के साथ–साथ अधिकारियों के लिए स्थानीय एक्सपोजर प्रदान करना है. कर्मचारियों के नियोजन का उद्देश्य व्यापक और विशाखीकृत परिचालन क्षेत्रों के एक्सपोजर के माध्यम से अधिकारियों की दक्षता और कौशल को विकसित करना है. यह कार्य क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से भी किया जाता है जिसमें ज्ञान उन्नयन और मौजूदा कौशल सेटों में वृद्धि के जरिए विशेष हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्तिगत कौशलों में इष्टतम वृद्धि की परिकल्पना की गई है. इसके अतिरिक्त, संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों सहित अधिकारियों का स्थानांतरण सामान्यत: अधिकारियों की तैनाती और नियोजन नीति (ओपीटीपी) के अनुसार किया जाता है.

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण सामान्यत: मैत्रीपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है. अधिकारियों/ कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान निकालने हेतु रचनात्मक संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक ने संघों और यूनियनों के साथ बैठकें की हैं. यूनियन और संघ भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय और तत्पर रहे हैं.

आई-पेस -नई कार्य निष्पादन प्रबंध प्रणाली

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से पुन: संरचित कार्य–निष्पादन प्रबंध प्रणाली (पीएमएस) लागू की है तथा इसे और अधिक विशिष्ट, मापनीय, हासिल करने योग्य, सुसंगत एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से इसे आई–पेस (आईडीबीआई बैंक– कार्य निष्पादन निर्धारण एवं सतत मूल्यांकन) जैसा सटीक नाम दिया गया है. आई–पेस में एक समान भूमिकाओं के लिए मानकीकृत मुख्य परिणाम क्षेत्र (केआरए), मानकीकृत केआरए के लिए समान महत्व देना तथा अधिकांश मापनीय केआरए के लिए सिस्टम/ डैशबोर्ड से सीधी सहबद्धता शामिल है. इसे लागू किए जाने के बाद से आपका बैंक आई–पेस तुलनात्मसक रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत अपने अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा है, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ अधिकारियों के प्रदर्शन को संरेखित करना और बैंक के रणनीतिक व्यावसायिक उद्देश्यों पर ध्यान–केंद्रण, दिशा–निर्धारण और सामान्य समझ के साथ सभी स्तरों पर कार्य निष्पादन आधारित संस्कृति को बढ़ावा देना है. सभी अधिकारियों को हैंडहेल्ड उपकरणों पर आई–पेस मॉड्यूल तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है.

आरक्षण नीति

आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं पर लागू होने वाली भारत सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन करता है. यथा 31 मार्च 2022 को बैंक की कुल श्रमशक्ति संख्या में अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरुक) का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

श्रेणी	अनुसूचित जाति (अजा)	अनुसूचित जनजाति (अजजा)	अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरुक)
अधिकारी	2,170	960	4,000	90
एक्जीक्यूटिव	140	82	387	89
लिपिक	62	24	44	0
अधीनस्थ स्टाफ	128	39	107	0
कुल	**2,500**	**1,105**	**4,538**	**179**

आपके बैंक ने आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण रजिस्टर/ रोस्टर बनाए हैं. बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अलग आरक्षण रोस्टर भी बनाया है.

आपके बैंक ने अजा/ अजजा/ अपिव तथा दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए क्रमश: महाप्रबंधक तथा उप महा प्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) तथा अंचल संपर्क अधिकारियों (जेडएलओ) की नियुक्ति की है. सीएलओ और जेडएलओ आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करते हैं. आपके बैंक ने अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)/ दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरुक) के कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को दर्ज करने के लिए शिकायत रजिस्टर भी बनाया है और इन शिकायतों के समाधान के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है.

आपका बैंक अजा/ अजजा /अपिव के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु अजा/ अजजा/ अपिव कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें (तिमाही) आयोजित करता है.

मानव संसाधन संबंधी नए पहल कार्य

आपके बैंक ने मई 2021 में अपने कर्मचारियों के लिए एक परोपकारी योजना की शुरुआत की. योजना का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनकी मृत्यु बैंक सेवा के दौरान हो जाती है. इसमें सभी कर्मचारियों का सामूहिक योगदान होता है. योजना की शुरुआत से पहले कोविड-19 के कारण कर्मचारियों की मृत्यु को भी इस योजना के तहत कवर किया गया.

बैंक में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करने एवं उनकी दिव्यांगता के कारण उनके साथ कोई भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 21 के अनुपालन में बेंचमार्क विकलांग कर्मचारियों के लिए *'समान अवसर नीति–कर्मचारी'* पेश की है. आपके बैंक का यह प्रयास है कि कार्यस्थल पर समान अवसर सृजित करके और विविधता और समावेशन को मान्यता और महत्व देकर अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण कार्य का वातावरण बनाए रखा जाए. बैंक अपने सभी कर्मचारियों और सभी योग्य आवेदकों को उनकी नस्ल, जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, विकलांगता आदि पर ध्यान दिए बिना रोजगार के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है.

आपके बैंक ने कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा की प्रतिपूर्ति के लिए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी (जीएमआईपी) शुरू की है जो पहले इसकी चिकित्सा योजना के तहत कवर की गई थी. यह नीति 01 अप्रैल 2022 को शुरू हुई है और कामगार कर्मचारियों (श्रेणी III और IV), ग्रेड ए

के अधिकारियों, जिन्होंने पांच साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, ग्रेड बी और उससे ऊपर के अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) पर लागू होगी. यह एक द्वि–स्तरीय बीमा है, अर्थात आधार राशि बीमाकृत सीमा (ग्रेड–वार व्यक्तिगत बीमा राशि सीमा) और बीमित राशि सीमा से अधिक दावों के लिए एक समिति द्वारा जांच और अनुमोदन के अधीन अलग समग्र कॉर्पोरेट बफर सीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

वैश्विक महामारी के कारण, जहां कंपनियों और संस्थानों ने स्थिति के अनुकूल होने के लिए अपनी कार्यशैली में बदलाव किया है, आपके बैंक ने बाहरी विक्रेता (प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) माध्यम से चयनित) के माध्यम से पृष्ठभूमि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की है जिसके परिणामस्वरूप नए भर्ती कर्मचारियों के लिए सत्यापन प्रक्रियाओं के टर्न–अराउंड टाइम (टीएटी) में कमी आएगी.

उत्तराधिकार योजना नीति (एसपीपी)

आपके बैंक ने कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धकों और महाप्रबंधकों के वरिष्ठ पदों पर उत्तराधिकार योजना आरंभ की है. यह नीति वरिष्ठ पदों के लिए लीडरशिप प्रक्रिया के सृजन के लिए समग्र ढांचा उपलब्ध कराती है ताकि जब चिन्हित महत्वपूर्ण पद खाली हो तो कारोबार निरंतरता सुनिश्चित की जा सके.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

आपके बैंक ने अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिला को तुरंत सहायता देने और अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न झेलनेवाली महिला की शिकायत सीधे आंतरिक समितियों के सदस्यों के पास दर्ज कराने के लिए एसएमएस/ ई–मेल आधारित शिकायत प्रणाली कार्यान्वित की है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

आपके बैंक ने सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक को इस संबंध में 8 (आठ) शिकायतें प्राप्त हुई जबकि पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त 3 (तीन) शिकायतों पर निष्कर्ष लंबित था. संबंधित आंतरिक समितियों ने शिकायतों का समाधान किया और यथा 31 मार्च 2022 को 1 (एक) शिकायत पर निष्कर्ष लंबित था.

कर्मचारियों को विधिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना

बैंक के कामकाज को सद्भावपूर्वक निष्पादित करने से उत्पन्न मामलों पर बाहरी व्यक्तियों/निजी पक्षों द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ जानबूझकर की गई झूठी शिकायतों से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने उक्त योजना लागू की है जो निदेशकों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों को वित्तीय और विधिक सहायता उपलब्ध कराती है.

समूह जीवन बीमा योजना (जीएलआईएस)

आपका बैंक समूह जीवन बीमा योजना (जीएलआईएस) के तहत बैंक के सभी कर्मचारियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करता है. योजना के अनुसार, वार्षिक प्रीमियम राशि बैंक और कर्मचारियों द्वारा समान रूप से साझा की जाती है.

निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी)

आपके बैंक ने डी एंड ओ पॉलिसी लागू की है जिसका उद्देश्य वास्तविक या तथाकथित गलत कार्य, जो सद्भावपूर्वक कर्तव्य निर्वहन के दौरान निर्णयों और कार्रवाई से हुआ हो, के परिणाम के प्रति निदेशकों और अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

भर्ती और स्टाफिंग

यथा 31 मार्च 2022 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 17,430 रही. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग–अलग विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी*	15,477
एक्जीक्यूटिव	1,018
लिपिकीय स्टाफ	437
अधीनस्थ स्टाफ	498
कुल	**17,430**

*टिप्पणी : * - अधिकारियों की संख्या के अंतर्गत एमडी व सीईओ, डीएमडी (2), संविदागत कर्मचारी (प्रमुख डेटा विश्लेषिकी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और आईटी प्रमुख, डीबी और ईपीडी प्रमुख, उप सीटीओ (डिजिटल), मुख्य डेटा अधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधन और आईटी (अनुपालन) प्रमुख, प्रधान कानूनी परामर्शदाता, सलाहकार चिकित्सक, मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी, बैंक चिकित्सा अधिकारी (3) शामिल हैं,*

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों में 1,412 व्यक्तियों की भर्ती की जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी ग्रेड ए	627
अधिकारी ग्रेड बी	24
अधिकारी ग्रेड सी	12
अधिकारी ग्रेड डी	2
अधिकारी ग्रेड ई	3
अधिकारी ग्रेड एफ़	2
अधिकारी ग्रेड कार्यपालक निदेशक	1
लिपिकीय	17
अधीनस्थ स्टाफ	6
एक्जीक्यूटिव	718
कुल	**1,412**

टिप्पणी : आंकड़ों में संविदागत कर्मचारी शामिल हैं.

बुनियादी संरचना प्रबंधन

कोविड-19 महामारी ने बैंकिंग क्षेत्र सहित समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया. वायरस के संक्रमण और प्रसार के जोखिम को कम करने में टीकाकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए, आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपने प्रधान कार्यालय और बेलापुर, नवी मुंबई के साथ अन्य केन्द्रों पर स्थित अपने कार्यालयों में टीकाकरण के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य स्थल टीकाकरण शिविर आयोजित किए. इससे बैंक के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित वातावरण में सुविधाजनक तरीके से टीका लगवाने में मदद मिली, जिससे कोविड-19 वायरस के जोखिम को कम किया जा सका. बैंक के परिसरों को समय–समय पर सैनिटाइज किया जाता है और इन परिसरों में आने वाले अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा के लिए फ्यूमिगेट कियाजाता है.

बैंक ने भोपाल और पटना में अंचल कार्यालय (अं.का.) स्थापित किए हैं जिनका 1 जून 2021 से परिचालन शुरू कर दिया गया है. भोपाल अंचल कार्यालय, चार क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, मध्य प्रदेश राज्य में अपनी 103 शाखाओं में आपके बैंक के व्यवसाय को संचालित करेगा तथा पटना अंचल पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आपके बैंक की बिहार व झारखंड में स्थित 123 शाखाओं का कार्य देखेगा.

आईडीबीआई टॉवर में बैंक के प्रधान कार्यालय के बेसमेंट में एक नया 1,500 किलोवोल्ट–एम्पीयर (केवीए) ट्रांसफार्मर लगाया गया है. वर्ष के दौरान बेलापुर में बैंक के कार्यालय में संरचनात्मक मरम्मत और पुनर्वास के कार्य सम्पन्न किये गए. बेलापुर कार्यालय में स्विचगियर्स सहित पुराने एलटी पैनलों को बदल दिया गया है.

आपके बैंक ने बिजली की खपत को कम करने के लिए विभिन्न कार्यालयों/ शाखाओं में पारंपरिक प्रकाश प्रदान करने वाली युक्तियों को ऊर्जा दक्षता युक्त प्रकाश प्रदाताओं, लैंपों और ट्यूब लाइटों के साथ बदल दिया है.

वर्ष के दौरान, बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में कई शाखाओं/ कार्यालयों/ आवासीय परिसरों के स्थानांतरण और नवीनीकरण का कार्य पूरा किया गया.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का एक समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और साथ ही यह बैंक के भीतर आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और अभिशासन की प्रभाविकता सुनिश्चित करता है और उक्त में सुधार हेतु सुझाव देता है. लेखापरीक्षा कार्यकलाप के अंतर्गत विभिन्न कारोबार एवं सपोर्ट वर्टिकलों, अंचल कार्यालयों (अंका), क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेका), शाखाओं और गैर–शाखा खंडों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की लेखापरीक्षा और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को अपनाया गया. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी), बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा देख–रेख में कार्य करता है.

लेखा परीक्षा के कार्य (i) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति; (ii) समवर्ती लेखापरीक्षा नीति; और (iii) सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा नीति द्वारा अभिशासित हैं. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के हिस्से के रूप में लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न लेखापरीक्षा अर्थात् शाखा लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा का आयोजन करता है. शाखाओं की लेखापरीक्षा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने और अनुवर्तन कार्यों को पर्याप्त और प्रभावी रूप से पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु आपके बैंक में अपने सभी अंचलों में अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) बनाए गए हैं. लेखापरीक्षा गतिविधियों को एक वेब आधारित एप्लिकेशन–लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली के जरिये संपन्न किया जाता है, जिसे लेखापरीक्षा इकाइयों के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालनों की निगरानी हेतु तत्काल आधार पर एक्सेस किया जाता है. आईएडी लेखापरीक्षा के तीन प्रमुख प्रकारों अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, और सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा का संचालन/ पर्यवेक्षण करता है. लेखापरीक्षा विभाग (i) धोखाधड़ी निगरानी समूह; (ii) स्टाफ जवाबदेही समिति सचिवालय के जरिए स्टाफ जवाबदेही (एसए) नीति का कार्यान्वयन; (iii) लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर); और (iv) वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको-एफआर) संबंधी कार्य का भी प्रबंध करता है.

लेखापरीक्षा विभाग उपयुक्त रूप से अर्हता प्राप्त और कौशलपूर्ण लेखापरीक्षा के कार्य में जहां कहीं भी आवश्यक हो परिचालनगत प्रक्रियाओं और सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु सिफारिशें भी करता है और प्रबंधन को समय रहते ही फीडबैक उपलब्ध कराता है ताकि सुधारात्मक कारवाई की जा सके.

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर)

आपका बैंक बैंक की शाखाओं द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) को प्रस्तुत की गई जानकारी को लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) को अंतिम रूप देने के लिए संकलित और साझा करता रहा है. शाखाओं द्वारा

जानकारी/ डाटा इनपुट करने और एससीए द्वारा उपयोग के लिए समेकित रिपोर्ट जेनरेट करने हेतु आईएडी द्वारा एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है. लेखापरीक्षा विभाग एलएफएआर में की गई टिप्पणियों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों/ कार्यक्षेत्रों के साथ फॉलोअप करता है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको – एफआर)

लेखापरीक्षा विभाग (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता; और (ii) ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता तथा सभी सक्रिय मुद्दों को समय पर और प्रभावी रूप से बंद करने की सुनिश्चितता सत्यापित करने के प्रयोजन से नियुक्त किए गए बाहरी परामर्शदाता द्वारा चिन्हित किए गए जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स के परीक्षण के लिए समन्वय व पर्यवेक्षण भी करता है. संबंधित कारोबार कार्यकलापों को नियमित आधार पर सुग्राही बनाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सक्रिय मुद्दों को बंद करने के प्रयास में नियंत्रणों के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं.

सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा

बैंक की सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा परीक्षा कार्यकलाप में इसका एप्लिकेशन सिस्टम, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाहरी विक्रेताओं, नीति और प्रक्रिया समीक्षा, डेटा सेंटर के समवर्ती लेखा परीक्षा और शाखा लेखा परीक्षा शामिल हैं. *'लेखा परीक्षा कार्य के स्वतंत्र आश्वासन'* पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर और प्रबंधन और नियामकों को आश्वासन प्रदान करने के लिए, आईएस लेखा परीक्षा कार्यकलाप सहित आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा बैंक द्वारा की जा रही है. समीक्षा प्रक्रिया आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और प्रथाओं को मान्य करेगी. साइबर घटनाओं के बढ़ते दृष्टांतों को देखते हुए आईएस ऑडिट के दायरे में साइबर सुरक्षा पहलुओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है.

आईएस लेखापरीक्षा कार्य की निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा (आईएसए) नीति की वार्षिक समीक्षा की गई. लंबित टिप्पणियों की बारीकी से निगरानी करने और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की नियमित बैठकों के आयोजन के कारण आईएस ऑडिट टिप्पणियों के समग्र अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

ऑफसाइट निगरानी प्रणाली

ऑफ साइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस) शाखाओं और नियंत्रणाधीन कार्यालयों को दैनंदिन परिचालनों में वर्तमान नीतियों/ प्रक्रियाओं से विचलन होने पर सावधान करने तथा उनमें तत्काल सुधार/ अनुपालन करने का महत्वपूर्ण साधन है. निगरानी में चल रहे सुधार के भाग के रूप में, बैंक के स्टाफ सदस्यों के खातों में ऋण खातों और लेनदेन से संबंधित नए नियम जोड़े गए हैं. ओएमएस की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए बैंक ने बाहरी वेंडर द्वारा गुणवत्ता आश्वासन की समीक्षा करवाई है.

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली अनियमितताओं/ चूकों का पता लगाने के लिए बैंक की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का भाग है जो जोखिमों को नियंत्रित रखने में आंतरिक और विनियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघनों की रोकथाम करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने में सहायता करती है. समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली दरअसल एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो मजबूत आंतरिक लेखांकन प्रणालियों और प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है. भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा शाखाओं/ अन्य गैर शाखा इकाइयों जैसे ट्रेजरी, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू) और खुदरा आस्ति केन्द्रों (आरएसी) में की जाती है, जिनकी पहचान जोखिम बोध और कारोबार की मात्रा के आधार पर होती है. इसके अलावा, प्रधान कार्यालय के अभिनिर्धारित कार्यपरक प्रभागों की भी समवर्ती लेखापरीक्षा होती है तथा सभी व्यापार वित्त केंद्रों को समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है. बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित समवर्ती लेखापरीक्षा नीति के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा को जमाओं के 70% और अग्रिमों के 70% भाग को कवर करना आवश्यक है. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीए के अंतर्गत लगभग 897 लेखापरीक्षित इकाइयां कवर की गईं और इसके लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों की सेवाएं ली गई थीं. रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा समय पर प्रस्तुति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) और बैंक के प्रधान कार्यालय लगातार गहन निगरानी रखते हैं.

ऋण लेखापरीक्षा

आपके बैंक ने वार्षिक आधार पर चुनिंदा खातों की विस्तृत समीक्षा के लिए ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की है. निम्नलिखित परिभाषित मानदंडों के आधार पर समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंजूर किए गए नए प्रस्तावों में से उधारकर्ता खाते ऋण लेखापरीक्षा के लिए अभिनिर्धारित किए जाते हैं: (i) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले सभी नए प्रस्ताव (संवितरण की तारीख से 3–6 महीने के अंदर) और सीमाओं के नवीकरण/ नवीकरण–सह–वृद्धि के प्रस्ताव; (ii) बचे हुए प्रस्तावों में से बिना किसी क्रम से चुने गए (5%) प्रस्ताव; (iii) निवेश ग्रेड से नीचे (यदि वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश ग्रेड से परिवर्तित हुए हों); और (iv) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले अधिग्रहण संबंधी मामले.

छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा (आईए/एसआईए)

वर्ष 2021–22 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न ट्रिगर्स के आधार पर विभिन्न शाखाओं/ खुदरा आस्ति केन्द्रों (आरएसी) में कई छानबीनपरक लेखापरीक्षा/ विशेष छानबीनपरक लेखा परीक्षाएं (आईए/ एसआईए) की गईं. इन एसआईए से प्राप्त महत्वपूर्ण अवलोकनों, आईएडी की परामर्शी सूचनाओं और उन पर किए गए सुधारात्मक उपायों की रिपोर्टिंग कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) को की जा रही है और साथ ही अब कार्यपालक निदेशक (ईडी) स्तर की समिति एवं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को आवधिक रूप से की जा रही है. लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई जांच,

नीतियों, उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों, कार्य–प्रणालियों और प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. साथ ही नियंत्रणों को मजबूत करने तथा शाखाओं की बेहतर समग्र निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं. आईए/ एसआईए द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारंभिक संकेतकों ने अंचल कार्यालयों को समय पर वसूली/कानूनी कार्रवाई आरंभ करने में तथा खातों को एनपीए बनने से रोकने में सहायता की है.

एसआईए/ आईए से प्राप्त चूक/ कमियों को शाखाओं और साथ ही नियंत्रण इकाइयों के साथ सांझा किया जाता है ताकि ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और न केवल शाखा स्तर पर, बल्कि पर्यवक्षीय स्तर पर अनुपालन प्रक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके.

धोखाधड़ी निगरानी

आपके बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) के अंतर्गत समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफएमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपराचारात्मक कार्रवाइयों की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है तथा साथ ही इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक एडवाइजरी/ परिपत्र भी जारी करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपचारात्मक उपाय लागू करना शामिल है. धोखाधड़ियों का समयपूर्व पता लगाने, उनकी रोकथाम करने, रिपोर्टिंग, निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ियों जोखिम प्रबंधन (एफआरएम) नीति कार्यान्वित की गई है.

एफएमजी धोखाधड़ियों की समय पर रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर एड़ीआरएम नीति की समीक्षा करता है. अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (यूईबीटी) धोखाधड़ी के लिए अनुमोदन मैट्रिक्स को महाप्रबंधक स्तर पर मौजूदा अनुमोदन प्राधिकरण से उप महाप्रबंधक (संचालन) में बदल दिया गया है ताकि लागू मामलों में तेजी से कल्पित साख प्रदान किया जा सके. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के बदले धोखाधड़ी निगरानी एवं समीक्षा के लिए समिति (सीएफएमआर) को ₹ 1 लाख एवं उससे कम (मुख्यत: तकनीकी धोखाधड़ी) की राशि से संबंधित धोखाधड़ी को बंद करने के लिए अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी बनाया गया है ताकि पिछले तीन वर्षों में पर्याप्त वृद्धि दर्शाने वाले धोखाधड़ी के मामलों को बंद करने में तेजी लाई जा सके. इस उपाय से बकाया धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है.

बैंक ने धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी के मामलों की समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्टिंग हेतु विभिन्न आंतरिक परिपत्र जारी किए हैं. जिनमें रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग करने के महत्व को फिर से दोहराया गया है.

बैंक ने ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के धोखाधड़ी वाले मामले की घोषणा को धोखाधड़ी अनुमोदन प्रबंधन प्रणाली (एफएएमएस) के माध्यम से स्वचालित कर दिया है.

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक में धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (एफआरएमजी) गठित है जो उद्यमवार जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करता है और ईएफआरएमएस प्रणाली के जरिये नियमों को नियोजित कर विभिन्न प्रणालियों द्वारा किए गए संदिग्ध लेन–देनों पर नजर रखता है. वर्ष के दौरान, क्रेडिट कार्ड और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेनदेन को भी कवर करने के लिए ईएफआरएमएस प्रणाली का विस्तार किया गया. इस ऑनलाइन चैनल का उपयोग करने वाले सहकारी उप–सदस्य बैंक ग्राहकों के लेनदेन सहित कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग के लिए एडेप्टिव ऑथेंटिकेटेड ऑन प्रिमाइस (एएओपी) समाधान का कार्यान्वयन भी वर्ष के दौरान पूरा किया गया. 24×7 आधारित जोखिम आधारित संदिग्ध लेनदेन निगरानी गतिविधि को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और एईपीएस को कवर करने वाले सभी प्रमुख डिजिटल चैनल लेनदेनों तक बढ़ा दिया गया है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में पूर्ण रूप से गठित सतर्कता विभाग परिचालनरत है जिसके विभागाध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं. आपके बैंक ने अंचल कार्यालयों (जेडओ) स्तर पर सतर्कता गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने और बेहतर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सतर्कता टीमों का गठन किया है.

आपके बैंक के सीवीओ द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यकलापों का व्यापक कार्यक्षेत्र/ दायरा है तथा इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गये अथवा संभवत: किए जाने वाले भ्रष्ट कार्यों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्रित करना शामिल है. सीवीओ, बैंक के सतर्कता मामलों से संबंधित सभी कार्यों को करते/ देखते हैं जिनमें (i) सतर्कता मामलों पर कार्यवाही करना, सतर्कता इंगित करने वाली और सत्यापन किए जाने लायक आरोपों से संबद्ध शिकायतों की जांच करना; (ii) छानबीन रिपोर्टों पर कार्यवाही करना जिन्हें आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विचारार्थ भेजा जाए; (iii) जहां कहीं भी आवश्यकता हो मामलों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीओ) को उनके विचारार्थ/ सूचना हेतु भेजना; (iv) भ्रष्टाचार/ कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना; और (v) विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय और संपर्क करना शामिल हैं.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग का समर्पित वेबपेज है जिस पर विभाग के कार्यों की जानकारी, बैंक की सभी शाखाओं/ कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाने वाले सीवीसी के मानक नोटिस के प्रारूप; सीवीसी व सीवीसी के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा तथा आपके बैंक द्वारा समय - समय पर जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिपत्र/ दिशानिर्देशों और निवारक सतर्कता के लिए 'क्या करें और क्या न करें' जैसी जानकारी दी गई है. इससे आपके बैंक को अपने अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है.

सतर्कता कार्य में '*निवारक सतर्कता*' और '*दंडात्मक सतर्कता*' दोनों अंश शामिल हैं. निवारक सतर्कता एक सतत प्रक्रिया है जो मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के प्रयास द्वारा यह सुनिश्चित करती है कि सेट प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, विवेक का कम उपयोग किया जा रहा है, साथ ही यह सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों के साथ–साथ बैंक के हितधारकों के बीच जागरूकता लाना सुनिश्चित करती है.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ सतर्कता निवारक उपायों में विभिन्न शाखाओं में अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने और स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अस्पष्ट अनुपालन की जांच हेतु ऑफसाइट/ औचक सतर्कता दौरे (एसवीवी) तथा स्वत: संज्ञान आधार (स्टाफ/ बाह्य तत्वों द्वारा किसी भी संदिग्ध अनुचित कार्यों की जानकारी प्राप्त होने पर) पर निरीक्षण करना शामिल है. इसके अलावा, एक बारीय निपटान/ पहली बार अनर्जक आस्ति (एनपीए) मामलों की जांच, बैंक अधिकारियों के आस्ति व देयताओं की विवरणियों (एआरएएल) की जांच, बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों आदि की जांच सतर्कता विभाग द्वारा भी किए जाते हैं.

भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के तहत साथ ही साथ सीवीसी के निदेशों द्वारा जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, आपके बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 से 01 नवंबर 2021 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2021 को 'स्वतंत्र भारत@75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता (independent India @75: Self Reliance with integrity)' विषय के रूप में मनाया था. इस अवसर पर, आपके बैंक ने स्टाफ के सदस्यों के लिए एक विशेष ई–पत्रिका जारी की. अखिल भारतीय स्तर पर स्टाफ सदस्यों तथा उनके बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे ऑनलाइन क्विज,निबंध–लेखन, कार्टून और कैरिकेचर, कॉइन–ए–कैप्शन, मेमोरी गेम, क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी किया गया. इसके अतिरिक्त, श्री पी. डेनियल, सचिव, सीवीसी ने वीएडब्ल्यू 2021 के दौरान आपके बैंक के शीर्ष प्रबंधन को संबोधित किया.

आपके बैंक के कर्मचारियों ने ई–प्रतिज्ञा ली और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करने के लिए बैंक के ग्राहकों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिए एक लिंक के साथ थोक एसएमएस भेजे गए. आपके बैंक के फील्ड अधिकारियों के लिए विभिन्न लोकेशनों पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. आम जनता/नागरिकों के बीच जागरूकता के लिए, वीएडब्ल्यू 2021 बैनर/पोस्टर आपके बैंक के अंचल कार्यालयों (जेडओ), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), शाखाओं और सार्वजनिक इंटरफेस वाले प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए. विभिन्न लोकेशनों पर ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया गया.

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, वीएडब्ल्यू 2021 के बारे में जानकारी आपके बैंक की वेबसाइट के साथ–साथ फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके प्रोफाइल/ हैंडल के माध्यम से प्रसारित की गई.

विनियामक अनुपालन

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रणों की संरचित प्रणाली और विभिन्न स्तरीय समीक्षा के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/ सांविधिक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. कार्यपालक निदेशक स्तर के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित अनुपालन विभाग संचालित होता है जो सभी वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों के प्रसार और समावेशन का समन्वय करता है. आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक अनुपालन नीति लागू की है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में अनुपालन कार्य के संबंध में प्रत्येक टियर के लिए भूमिका व जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है. बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों/ एजेंसियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं/ दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल से अवगत कराया जाता है. आपके बैंक ने सर्मो+ (*cermo+*) नामक उन्नत तकनीकी एप्लिकेशन के कार्यान्वयन द्वारा निचले स्तर तक आंतरिक अनुपालन पद्धति को मजबूत बनाया है. आपके बैंक ने रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की जाने वाली अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली को भी स्वचालित कर दिया है जिससे समय पर अनुपालन प्रस्तुति और उपयुक्त डेटा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी (एफएए) को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक स्तर का एक पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के लिए एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है. आपके बैंक ने भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके जरिए नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने भारत सरकार के निदेशों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम व नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु संगठित

प्रयास किए. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा नियमित रूप से विशेष प्रयास किए गए. आपके बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बैंक के उत्पादों एवं योजनाओं के बारे में हिन्दी में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के अपने प्रयास जारी रखे. बैंक के अभय, पेएप्ट और एमपासबुक जैसे मोबाइल एप्लिकेशन हिंदी सुविधा के साथ उपलब्ध कराए गए. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा डिजिटल बैंकिंग से संबंधित विभिन्न अभियान हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किए गए. ग्राहकों को सूचना देने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा अन्य तथ्यपरक सामग्रियों को हिंदी के साथ–साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया. प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं जैसे– अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि से संबंधित प्रचार अभियानों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया.

आपके बैंक ने दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने के अतिरिक्त आपके बैंक ने दिन-प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्य में हिंदी का उपयोग करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया. आपके बैंक के विभिन्न कार्यालयों/ शाखाओं में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक द्वारा सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग से स्टाफ सदस्यों को परिचित कराया गया. कोविड –19 महामारी को देखते हुए आपके बैंक ने अपने राजभाषा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों, कार्यशालाओं व निरीक्षणों आदि का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक द्वारा दैनंदिन कार्यों और अपने कारोबार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की विभिन्न मंचों पर प्रशंसा हुई और कई पुरस्कार प्राप्त हुए. आपके बैंक की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका *'विकास प्रभा'* को सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था *'आशीर्वाद'* द्वारा श्रेष्ठ गृह पत्रिका का पुरस्कार प्रदान किया गया. भोपाल अंचल को हिंदी भाषा में विशेष अवदान के लिए मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल द्वारा सम्मानित किया गया. बैंक के स्टाफ सदस्यों ने विभिन्न बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टॉलिक) द्वारा आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में सहभागिता करते हुए कई पुरस्कार/ अवार्ड प्राप्त किए.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के अपने ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित वित्तीय समाधानों के व्यापक समूह पर जोर दिया है.

आपके बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है और गुणवत्ता ग्राहक अनुभव को कायम रखते हुए शिकायतों के समय पर समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ग्राहकों की बदलती जरूरतों और पसंदों के प्रति उत्तरदायी होने के लिए, आपका बैंक समय–समय पर अपनी नीतियों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नीतियां नवीनतम विकास के साथ तालमेल बिठाती हैं और ग्राहकों को परिभाषित प्रणाली के अनुसार अपनी शिकायतों को हल करने के लिए सशक्त बनाती हैं. सभी चैनलों से प्राप्त शिकायतों पर इस नीति के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है जिसमें एक समय–आधारित एस्केलेशन मैट्रिक्स भी शामिल है जिसके तहत यदि शिकायत का समाधान एक तय समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे बेहतर शिकायत समाधान प्रबंधन के लिए अगले उच्च अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाता है. इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने अपने 14 अंचल कार्यालयों में से प्रत्येक में शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) और प्रधान कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को पदनामित किया है. इसके अलावा, आंतरिक लोकपाल योजना 2018 के अनुसार, ऐसी शिकायतें, जिन्हें बैंक अस्वीकार करने /आंशिक रूप से समाधान करने का प्रस्ताव करता है, उन्हें ग्राहक को जवाब देने से पहले आंतरिक लोकपाल (आईओ) के पास भेज दिया जाता है. बैंक की अपनी मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) है, जो प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने, निगरानी और उनका समय पर समाधान करती है. विभिन्न ग्राहक संपर्क बिन्दुओं और नियामकों से प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि इस सिस्टम में की जाती है और इसे ट्रैक करने के लिए एक लिंक के साथ एसएमएस पावती के माध्यम से ग्राहक को इसकी सूचना भेजी जाती है. ग्राहक बैंक के वेबसाइट/ नजदीकी शाखा/ संपर्क केंद्र के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकता है. आपके बैंक ने ग्राहक सेवा स्थायी समिति (एससीसीएस) एवं बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) जैसी वरिष्ठ स्तर की दो समितियां स्थापित की हैं, जो हर तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती हैं. ये समितियां बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के फीडबैक की समीक्षा करती हैं. ये समितियां ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और फीडबैक की भी समीक्षा करती हैं और इनके समाधान में तत्परता के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदान करती हैं और ग्राहक सेवा सुधार की प्रक्रिया में बदलाव भी करती हैं.

आपके बैंक ने 24X7 आधार पर ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करने और विभिन्न चैनलों से प्राप्त ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई और हैदराबाद में दो समर्पित ग्राहक संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं. हमारे ग्राहकों की विविधता का सम्मान करते हुए उन्हें स्वीकार कर उनके साथ संवाद को निजीकृत करने का प्रयास के उद्देश्य से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, ग्राहक सेवा केंद्र 10 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करता है.

बैंक वार्षिक आधार पर जमाकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण करता है और निष्कर्षों का मूल्यांकन कर इससे प्राप्त जानकारी का उपयोग उत्पाद/ प्रक्रिया/ सिस्टम

में सुधार के लिए करता है. अपने ग्राहकों को दी गयी ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आपका बैंक सभी शाखाओं में गुप्त खरीददारी कार्यकलाप भी आयोजित करता है. ग्राहकों और शाखा के बीच संरचित संचार को प्रोत्साहित करने के लिए शाखा स्तर ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) की बैठकें हर महीने आयोजित की जाती हैं, ताकि शाखा में सेवा स्तर में वृद्धि की जा सके.

आपके बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राहक सेवा के क्षेत्र में विभिन्न पहल शुरू की हैं. ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, खाता और डेबिट कार्ड से संबंधित गतिविधियों जैसे यूपीआई सेवाओं को अवरुद्ध करने / डेबिट कार्ड के विवरण को अवरुद्ध करने, एसएमएस/ ईमेल आदि के माध्यम से पिछले पांच लेनदेन के विवरण के लिए अनुरोध करने के लिए ग्राहक सेवा विभाग ने बैंक के फोन बैंकिंग इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) सिस्टम पर कई नई सेवाओं को आरंभ किया है. इसके अतिरिक्त, आपका बैंक लागत में कमी करते हुए प्रक्रिया क्षमताओं में स्वचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाभ उठाता रहा है.

कॉरपोरेट संप्रेषण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपके बैंक के विज्ञापन प्रयासों का उद्देश्य इसकी सकारात्मक और स्थिर छवि को बनाए रखने तथा अपने उत्पादों और सेवाओं के रिकॉल मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था. साथ ही, बैंकिंग को सरल बनाने का भी प्रयास था. आपके बैंक के विज्ञापन प्रयासों का जोर इसे मुख्य रूप से खुदरा–केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करने पर था. वर्ष के दौरान, आपके बैंक के विज्ञापन और प्रचार पहल कार्यों का ध्यान प्रमुख खुदरा उत्पादों जैसे गृह ऋण, ऑटो ऋण और उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ–साथ डिजिटल बैंकिंग पेशकशों को उजागर करने वाले अभियानों पर रहा. आपके बैंक के अभियान लागत प्रभावी माध्यमों जैसे ट्रांजिएंट ओओएच (आउट ऑफ होम) डिस्प्ले, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेडियो आदि के माध्यम से चलाए गए. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने फ्लैगशिप खुदरा उत्पादों पर लघु प्रारूप वीडियो की श्रृंखला शुरू की.

विज्ञापन क्षेत्र की ही तरह आपके बैंक ने जनसंपर्क (पीआर) क्षेत्र में भी कई पहल कार्य किए. आपके बैंक के जन संपर्क अभियानों का उद्देश्य समाचारों के सकारात्मक पहलू को बनाए रखना और मीडिया में बैंक की छवि को बढ़ाने के साथ ही साथ अंशधारकों की अनुभूति को सुदृढ़ करना भी था. आपके बैंक को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में अपने पहल कार्यों के लिए सकारात्मक प्रतिसाद मिला.

बैंक ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी गतिविधियों को जारी रखा और फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब पर अपने आधिकारिक ब्रांड पेज / हैंडल के माध्यम से संप्रेषण किया और बैंक के ब्रांड तथा उत्पादों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्रभावकों और इंस्टाग्राम रील्स (लघु वीडियो) के उपयोग सहित अभिनव तरीकों से जुड़ाव गतिविधियों को जारी रखा.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.idbibank.in) में सुधार किया और उन्नत एचटीएमएल5 प्लेटफॉर्म पर निर्मित व्यवस्थित नेविगेशन के साथ एक नयी वेबसाइट डिज़ाइन लॉन्च की. आपके बैंक के बारे में सकारात्मक धारणा को मान्यता देते हुये रीडर्स डायजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, 2021 में आपके बैंक को *'निजी क्षेत्र बैंक श्रेणी'* में *'ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड'* से सम्मानित किया गया.

आंतरिक संप्रेषण

आपके बैंक के आंतरिक संप्रेषण का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण गतिविधियों सहित, लेकिन यहीं तक ही सीमित नहीं, विचारों के प्रभावी आदान–प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना था. इससे बैंक के विभागों और शाखाओं के कर्मचारियों के बीच अपनापन की भावना को बढ़ाने में मदद मिली तथा सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार हुआ. कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनके साथ जुड़ने के लिए विभिन्न पहल कार्य किए गए. इसमें, अन्य बातों के साथ– साथ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, बैंक के इंट्रानेट के होम पेज पर शीर्ष प्रबंधन के संदेशों की प्रदर्शित करना और विशेष अवसरों जैसे स्थापना दिवस/ नव वर्ष/ दीपावली आदि पर कर्मचारियों को ई–मेल करने जैसी गतिविधियां शामिल थीं. अन्य पहलों में आपके बैंक के डिजिटल न्यूजलेटर *'अभ्युदय'* का मासिक परिचालन शामिल है, जिसमें कर्मचारियों को बैंक में हुए विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया. बैंक ने कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन के संदेश/मेलर भी संप्रेषित किए. आपके बैंक ने अपनी त्रैमासिक गृह पत्रिका *'श्री वयम'* भी डिजिटल अवतार में प्रकाशित की जो वर्तमान कर्मचारियों और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर उनके अनुभवों और विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है.

सूचना प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आपके बैंक ने अपनी तकनीकी चुनौतियों को ठीक करना जारी रखा, जो वैश्विक कोविड–19 महामारी संकट के मद्देनजर सामने आई थीं और साथ ही डिजिटलीकरण, तकनीकी, नवाचार, सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के उन्नयन और इसके संवर्धन को भी बनाए रखा. विचाराधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे को तेजी से जुटाकर नियमित बैंकिंग सेवाओं में महामारी संबंधी बाधाओं का पूर्वानुमान कर उसे कम करने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए अपने घर से ही निर्बाध रूप से अपना कार्य निष्पादन करने में सक्षम बनाया. आपके बैंक की समय पर पहल, जैसे कि अपने कर्मचारियों को निजी कंप्यूटरों (पीसी) का शीघ्र आबंटन, कर्मचारियों को आधिकारिक ई–मेल उपलब्ध कराना और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नियंत्रण सहित बैंक के सिस्टम का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)/ वर्चुअल डेस्कटॉप इन्फ्रास्ट्रक्चर (वीडीआई) आधारित एक्सेस प्रदान करके यह सुनिश्चित किया गया कि अपने ग्राहकों के पास अत्यावश्यक बैंकिंग सेवाओं और कार्यात्मकताओं की निर्बाध पहुंच हो. आपके बैंक ने ई–टेंडरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस–आधारित बोली प्रक्रियाओं में स्विच ओवर और इसे अपनाते हुए आईटी से संबंधित खरीद में निरंतरता सुनिश्चित की.

आपका बैंक, पिछले वर्ष में, वीडियो–केवाईसी खाता खोलने (वीएओ) प्रक्रिया की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ा है ताकि डिजिटल मंच पर तेजी से बढ़ती संख्या में खाते खोले जा सकें और सेवाओं को प्रदान करने वाले विक्रेताओं के साथ साझा किए गए डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (डीआरएम) समाधान को कार्यान्वित किया. आपके बैंक ने नई प्रौद्योगिकियों के साथ अपने आईटी बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया है जिसमें सॉफ्टवेयर परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी–डब्ल्यूएएन) शामिल है जो कार्यान्वयन के उन्नत चरण में है और नए युग की सुरक्षा प्रौद्योगिकियों (सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पांस (एसओएआर), नेटवर्क बिहेवियर एनोमली डिटेक्शन (एनबीएडी), पैकेट कैप्चर (पीसीएपी), यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स (यूईबीए) और थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (टीआईपी) को दोनों डेटा सेंटर (डीसी) और आपदा राहत (डीआर) साइटों में अगली पीढ़ी के सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) के निर्माण के लिए लागू कर रहा है.

आपका बैंक आईटी परिचालन प्रबंधन के लिए उद्यम समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया में है. बैंक ने एकीकृत संग्रहण एवं वसूली मॉड्यूल के कार्यान्वयन और हार्डवेयर तथा भंडारण क्षमता के उन्नयन की प्रक्रिया शुरू की है. आपके बैंक ने एसएमएस–आधारित ओटीपी के विकल्प के रूप में वॉयस वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के कार्यान्वयन और सॉफ्टवेयर टोकन–आधारित प्रमाणीकरण जैसे कई नए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान/ संवर्द्धन लागू किए हैं. आपके बैंक ने मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि जैसे कारोबार महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों के लिए एप्लीकेशन कार्यनिष्पादन निगरानी समाधान लागू किया है. आपके बैंक ने न्यूनतम प्रयास के साथ आवश्यकता के आधार पर और बाजार क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए फिनटेक के साथ–साथ स्टार्टअप्स और अन्य प्रणालियों के साथ आसान एकीकरण के लिए अत्याधुनिक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट (एपीआईएम) समाधान लागू किया है. आपका बैंक अधिक से अधिक क्षेत्रों में स्ट्रेट–थ्रू–प्रोसेसिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्राहक और बैक–ऑफ़िस संचालन की सेवा के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों को डिजिटाइज़ करने और/या स्वचालित करने के विभिन्न चरणों में है.

डेटा शोधन और संवर्धन के क्षेत्र में, आपके बैंक ने स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक लागू किया और भौतिक हस्तक्षेप को हटाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के रिटर्न सृजन की प्रक्रिया को लगातार परिष्कृत कर रहा है. रिजर्व बैंक ने विनियमाकीय प्रस्तुतियों के लिए सिस्टम–टू–सिस्टम दृष्टिकोण के माध्यम से बैंकों के डेटा को एकत्रित करके एकल रिपोजिटरी बनाने के लिए एक केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) लॉन्च की है. आपके बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी लागू रिटर्न के एडीएफ आउटपुट को एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रारूप में परिवर्तित कर दिया है. आपके बैंक ने एक मजबूत और अत्याधुनिक एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) सेटअप द्वारा समर्थित डेटा–संचालित निर्णय लेने वाले संगठन होने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की है. ईडीडब्ल्यू के हिस्से के रूप में, आपके बैंक ने पूरे बैंक के विभिन्न विभागों को लगभग 700 रिपोर्टें और डैशबोर्ड उपलब्ध कराए हैं. बैंक ने फील्ड अधिकारियों के लिए ग्राहक 360 डिग्री व्यू के साथ ग्राहक संबंध प्रबंध (सीआरएम) मॉड्यूल भी जारी किया है, जिसे चलते–फिरते ग्राहक की जानकारी तक पहुंचने के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर एक्सेस किया जा सकता है.

आपका बैंक, उन्नत विश्लेषिकी पारिस्थितिकी तंत्र में, अत्याधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है, मात्रात्मक और कार्रवाई योग्य इनपुट प्रदान करने के लिए सांख्यिकीय भविष्यवाणी मॉडल एवं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तैयार एवं कार्यान्वित कर रहा है. यह व्यापक विश्लेषण, ग्राहक प्रोफाइलिंग, भविष्यवक्ता मॉडलिंग, पूर्वानुमान, रुझान विश्लेषण, विपणन विश्लेषण एवं जोखिम विश्लेषण के लिए डेटा के विविध स्रोतों का उपयोग कर रहा है और जटिल कारोबारी समस्याओं एवं मुद्दों के समाधान के लिए कारोबारी समाधानों की सिफारिश कर रहा है. डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए, आपका बैंक नेक्स्ट बेस्ट ऑफर और लोकेशन इंटेलिजेंस जैसे समाधान पेश कर रहा है और साथ ही लक्षित बिक्री को प्राप्त के लिए ग्राहकों की अंतर्दृष्टि के साथ अपनी बिक्री बलों को लैस कर रहा है. आपके बैंक ने क्रेडिट जोखिम और कारोबारी संभावनाओं का विश्लेषण–आधारित मूल्यांकन किया है. आपके बैंक ने पोर्टफोलियो गुणवत्ता सूचकांक (पीक्यूआई) बनाया है जो वास्तविक समय के आधार पर ध्यान केंद्रित तरीके से सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता कर रहा है. आपके बैंक ने एनालिटिक्स संचालित इनपुट के आधार पर विभिन्न अनुकूलित अभियान सफलतापूर्वक शुरू किए हैं. बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कारोबार विकास, गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) भविष्यवाणी, ऋण वसूली और मंथन में कमी के साथ–साथ विभिन्न पुन: इंजीनियरिंग प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण क्षमताओं का लाभ उठाया जा रहा है.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक का एक केंद्रीकृत परिचालन वर्टिकल है जिसमें विभिन्न विभाग अर्थात् सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), रीजनल प्रोसेसिंग यूनिट्स (आरपीयू), खुदरा आस्ति परिचालन (आरएओ), डोमेस्टिक पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज (डीपीआरएस), नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) और सरकारी व्यापार समूह (जीबीजी) परिचालन, पूंजी बाजार परिचालन, एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कक्ष, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग परिचालन, कार्ड निर्गमन एवं प्रबंधन अनुभाग और माल और सेवा कर (जीएसटी) परिचालन शामिल हैं.

विभिन्न गतिविधियों का केंद्रीकरण आपके बैंक को ग्राहकों के अनुरोधों को प्रोसेस करने और इसकी परिचालन लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए टर्न–अराउंड टाइम (टीएटी) को कम करने में मदद करता है. यह बैंक की विभिन्न कारोबारी इकाइयों को निर्बाध सहायता सेवाएं प्रदान करने और सभी कार्यों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे त्रुटियों और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है. यह केंद्रीकृत प्रणाली दक्षता में भी सुधार करती है और विभिन्न कार्यों में जिम्मेदारी और जवाबदेही की उचित ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है.

आपके बैंक ने एक केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू) की स्थापना की है, जो विभिन्न परिचालनगत गतिविधियां जैसे मीयादी जमाओं पर ब्याज पर स्रोत कर कटौती (टीडीएस), उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत नकद निकासी और (टीडीएस), जमा शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), क्रेडिट कार्ड परिचालन, डेबिट कार्ड/ प्रीपेड कार्ड/ व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन)/ मेलर्स/ चेक बुक/ वेलकम किट/ लेखा विवरण और ग्राहकों के अन्य डिलिवरेबल्स का उत्पादन और उनका वितरण करती है. सीपीयू केंद्रीकृत रूप से बैंक के इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग परिचालन को भी संभालता है.

आपके बैंक की मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद में छह क्षेत्रीय प्रोसेसिंग इकाइयां (आरपीयू) हैं. ये आरपीयू बचत बैंक खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता खोलने और रखरखाव जैसी गतिविधियों को देखते हैं.

आपके बैंक में सीपीयू के अंतर्गत खुदरा आस्ति परिचालन (आरएओ) विभाग है जो संरचित खुदरा आस्ति (एसआरए) ऋण खातों और इसके प्रकारों के लिए बैक–एंड परिचालन को संभालता है. यह टीम संवितरण पश्चात् की सभी गतिविधियों को संभालती है जिसमें उचित दस्तावेजीकरण के लिए फाइलों की जांच, भौतिक फाइलों को सुरक्षित रखना, मंजूरी मानकों का अनुपालन और खातों के रखरखाव से संबंधित अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं. आपके बैंक ने अपने और अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए गतिविधियों को तेज करने और त्रुटि मुक्त निष्पादन हेतु आरएओ में कई मौजूदा प्रक्रियाओं को स्वचालित भी किया है.

आपका बैंक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से कागज–आधारित भुगतान लिखत के भुगतान एवं संग्रह और निधि अंतरण की प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है. चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के माध्यम से समाशोधन गतिविधियों के कार्य को संभालने के लिए तीन केंद्रीकृत समाशोधन ग्रिड केंद्र हैं. सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और विप्रेषण सेवाओं की परिचालनगत गतिविधियों का कार्य देखने के लिए मुंबई से एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रोसेसिंग केंद्र (ईटीपीसी) कार्य करता है. किसी भी ग्रिड केंद्र या ईटीपीसी में आपातकालीन स्थिति के दौरान निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए लागत–प्रभावी कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू की गई है.

आपके बैंक का एक समर्पित कक्ष है जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में घरेलू भुगतान और विप्रेषण सेवा का कार्य करता है. इससे अंतर बैंक जीएसटी इनवाइसों के समाधान के लिए अन्य बैंकों से समन्वय में मदद मिलती है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेते हुए बैंक की लाभप्रदता यथासंभव बढ़ाई जा सके.

आपके बैंक में एक केंद्रीकृत डिपॉजिटरी खाता अनुभाग है जो डीमैट खाता खोलने, अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए), सिंडिकेट एएसबीए (एसएएसबीए) और प्रतिभूतियों पर ऋण (एलएएस), आदि जैसी गतिविधियों को संभालता है. बैंक ने डिपोजिटरी खाते खोलने के लिए दो और मॉड्यूल अर्थात् दुरंतो और ई–केवाईसी मोड की शुरुआत के साथ डीमैट खाते खोलने में 116% वार्षिक वृद्धि दिखाई है. आईडीबीआई बैंक की सभी शाखाएं अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) सेवाओं के लिए सक्षम हैं. अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) का सबस्क्रिप्शन अब बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन अर्थात् गो मोबाइल+ के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है.

शाखा परिचालन सहायता एवं नीति

आपका बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके दैनंदिन परिचालनों के संबंध में ज्ञान प्रदान करने में सबसे आगे है. यह सुनिश्चित करता है कि आपके बैंक का कार्यबल बैंक के सभी हितधारकों को उत्पादों, परिचालनों और सेवाओं पर अद्यतन जानकारी के साथ सेवा प्रदान करने में सक्षम है.

आपके बैंक ने रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुपालन में और अपनी सभी शाखाओं में नोट छँटाई/ नोट अधिप्रमाणन करने वाली मशीनें लगाई हैं. समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान, बैंक ने विजयवाड़ा में एक नया करेंसी चेस्ट (सीसी) खोला है. इसी के साथ, बैंक के देश भर में 25 सीसी हैं. ये सीसी सभी संबद्ध शाखाओं से प्राप्त नकदी संसाधित करते हैं और एटीएम के माध्यम से तथा शाखाओं के माध्यम से वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराते हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपके बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के जीवन में कमियों की पहचान करके उनमें वास्तविक, दृश्यमान और स्थायी बदलाव लाना और उनके बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता–आधारित अंशदान प्रदान करना है. आपका बैंक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के साथ–साथ विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने और लाभार्थियों के साथ साझेदारी बनाने के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है. आपके बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के अनुपालन में 01 अप्रैल 2014 से बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति लागू की है. उक्त सीएसआर नीति को कंपनी अधिनियम, 2021 की धारा 135 में हुए संशोधनों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संशोधित किया गया था.

कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक का पिछले तीन वर्षों का औसत निवल लाभ (सीएसआर उद्देश्य के लिए) हानि दर्शाता है. अत: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक को सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय करना अपेक्षित नहीं था. हालांकि, एक सक्रिय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में, आपके बैंक ने चुनिंदा सीएसआर कार्यों के लिए ₹0.18 करोड़ व्यय किए है.

Management Discussion and Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

Resurgent waves of the COVID-19 pandemic, triggered by mutant variants, continued to plague the Indian economy in the Financial Year (FY) 2021-22. While the second and third waves of the pandemic saw wide-scale spread, the economic impact was muted as compared to the first wave. This is attributable to largely localised restrictions during the second and third waves which allowed key economic agents to operate more or less normally without much disruption. Furthermore, proactive measures by the Government of India (GoI) and the Reserve Bank of India (RBI) cushioned the impact of the pandemic-induced stress on the vulnerable sections of society and the business segment. Within the ambit of a special economic and comprehensive package under Atmanirbhar Bharat Abhiyaan, the GoI has extended a slew of relief measures such as in-kind and cash transfer relief measures for households, employment provision measures under Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan (GKRA) & Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), credit guarantee & equity infusion-based relief measures for Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs), production-linked incentives for key industries, in addition to structural reforms which, *inter alia*, included privatisation, deregulation of the agricultural sector, change in definition of MSMEs, etc. The RBI also adopted several measures to ensure supportive monetary and liquidity conditions for supporting economic revival in the country. While vaccination may be viewed as a health response, it may be noted that the rapid progress made under the vaccination drive also helped in avoiding a health crisis during the third wave which has helped in mitigating risks to the economic recovery.

Aided by policy support and large-scale normalisation of economic activities, the Indian economy has been exhibiting signs of recovery, as gauged by the growth numbers. As per the Provisional Estimates of National Income, 2021-22, India's real Gross Domestic Product (GDP) growth was estimated at 8.7% in FY 2021-22 as compared to a contraction of 6.6% in FY 2020-21. With this, India continues to be among the fastest growing large economies of the world.

Going forward, the Indian economy is largely expected to continue on the trajectory of economic growth. The Union Budget 2022-23 announcements which focussed on higher capital expenditure by the Government on infrastructure are expected to augment growth and crowd in private investment through large multiplier effects. The recent pick-up in non-food bank credit aided by accommodative monetary policy augurs well for business outlook. Furthermore, a number of supply-side reforms taken by the Government are expected to aid in sustained growth across sectors. While a number of factors are supportive of an optimistic growth outlook, factors such as enhanced geopolitical risks, volatility in the global financial markets, surging inflationary pressures amid higher crude oil & commodity prices, including food prices, and continuing global supply-side disruptions, pose a downside risk to the outlook.

BUSINESS REVIEW

For the second year in row, your Bank continued to persevere on its envisaged business strategy, striving to overcome the challenges posed by the second and third waves of the COVID-19 pandemic. Though the subsequent waves of pandemic affected millions of Indians, the economic effect of the pandemic was contained as the restrictions were largely localised and limited in nature. Building upon the momentum gained in the previous years, the Bank forged ahead determinedly to pave the path for sustained and profitable business growth. The timely measures taken by the Bank in enabling its employees to work remotely from the safety of their homes helped it in ensuring uninterrupted banking services while adhering to all COVID-19 protocols. Reflecting the diligence, hard work and dedication of its Management Team and staff across the board, the Bank exhibited continued improvement in its financial performance even in the face of such challenging circumstances.

While the broad contours of the Bank's business strategy continued to be shaped by its intended positioning as a retail-focussed bank, it has been calibrated in line with the changed operational environment, customer preferences as well as the Bank's priorities. Accordingly, while the Bank continued to target growth in its retail and priority sector business to strategically ensure a granularised and de-risked portfolio mix, it sought to gradually revive its corporate lending operations by associating with well-rated corporates. On the liability front, your Bank focussed on boosting its low-cost deposit base, i.e. CASA deposits and retail term deposits, while reducing reliance on institutional deposits in order to become more competitive by driving down the cost of deposits and cost of funds.

Striving to cement its position in the increasingly competitive banking space and in an endeavour to remain relevant, the Bank has been periodically introducing new products & services as also revamping the existing ones to meet the rapidly evolving customer needs & preferences. The Bank has been also tapping into the mutual areas of synergy with the Life Insurance Corporation (LIC) of India to drive growth in its business by offering current & savings accounts as well as loans to the latter's workforce, agents etc. The Bank has also been leveraging its distribution channel/ touch-points to promote the LIC's insurance products as well as to provide collection/ payments related services to various offices of the LIC through its branch/ digital channels. To drive

insight-backed targeting of products, your Bank has been leveraging its data analytics capabilities and a Customer Relationship Management (CRM) module with 360-degree customer view which help the branch and sales staff in getting a nuanced understanding of each customer's requirements. The Bank serves its customers through its wide physical network of 1,886 branches, comprising 426 metro branches, 465 urban branches, 585 semi-urban branches and 408 rural branches (including 254 Financial Inclusion branches) across India, one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec–City (GIFT), Gandhinagar as on March 31, 2022. The Bank's physical network also comprised 3,403 ATMs and 58 e-lounges as on March 31, 2022. Complementing its physical outreach, the Bank endeavoured to strengthen and widen the functionalities of its alternate/ digital channels, viz. ATMs, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking etc. in order to offer maximum transactional convenience to its customers.

In its endeavour to lend stability to its growth path, the Bank has accorded utmost importance to addressing its asset quality issues and putting in place necessary framework to mitigating the risk of deterioration in asset quality going forward. In order to address its asset quality issues, the Bank has been making concerted efforts to ensure maximum resolution and recovery of Non-Performing Assets (NPAs). Towards this end, the Bank has set up two separate verticals, viz. NPA Management Group (NMG) for corporate cases and Retail Recovery for retail cases to drive a focussed recovery effort. Furthermore, the Bank has set up a centralised dedicated desk for cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) for providing handholding to teams dealing in such cases. The Bank has also identified a cross-section of nodal officers in order to expedite the resolution of NPA cases filed in the Debt Recovery Tribunals (DRTs). As a part of its endeavour to arrest fresh slippages and further deterioration in its asset quality, your Bank has set up a dedicated Credit Monitoring Group (CMG) with the objective of identifying Special Mention Accounts (SMAs), probable NPA accounts and regular accounts showing Early Warning Signals (EWS) of stress in order to be able to take proactive measures to prevent such accounts from becoming NPA and close monitoring of these accounts.

Guided by the vision of its Management Team which has been ably backed by the team on the ground, the progress made by your Bank, during the year, has strengthened its resolve to accelerate the momentum gained so far. Continuing to target a retail-oriented positioning, the Bank will continue to target growth in its CASA deposits and retail term deposits by focussing on high-potential customer segment such as affluent sections and government/ institutional customers. Your Bank will strive to augment its digital capabilities for on-boarding and deepening of customer relationship in order to serve the twin objectives of enhancing customer convenience as also develop data capabilities to drive nuanced product offerings. On the asset front, the Bank will seek opportunities to expand its granular retail asset portfolio, including Priority Sector Lending (PSL) portfolio, through tie-ups and co-lending agreements, in order to contain concentration risk. With the exit from RBI's Prompt Corrective Action (PCA) framework in March 2021, the restrictions on the Bank's lending to the corporates have been rolled back. Consequently, going forward, the Bank proposes to explore opportunities for growth in its corporate loan book through a risk-calibrated approach of tapping well-rated corporates, especially mid-sized ones, as well as in those corporates operating in sectors with promising prospects. As a part of its low-cost revenue generating strategy, the Bank will try to strategically ramp up its fee income from cross-sell of third party and capital market products in order to bolster its bottom-line. Due emphasis shall be placed on building internal synergies within the Bank as a key enabler for deepening customer relationships as it would allow your Bank to reinforce its positioning as a one-stop solution for varied financial needs for a cross-section of customers. The Bank will continue on its endeavours to maintain asset quality through comprehensive efforts covering stringent credit appraisal standards, close asset monitoring and diligent recovery mechanism in case of slippages. Primacy shall be accorded to digitalisation of processes in order to drive efficiency and cost effectiveness as also permit creation of data repositories across various functionalities. Underpinning these strategic endeavours, the Bank has been industriously strengthening its risk management, corporate governance and compliance frameworks in order to maintain its standing as a trusted banking partner. The lessons learnt by the Bank in its journey over the years have lent it the ability to persevere irrespective of the challenging and uncertain environment. Going forward, your Bank is well-positioned to make best of this advantage and continue to scale up in its journey of being a leading player in the banking space.

RETAIL BANKING

Retail Liability Products

Your Bank offers a wide array of deposit products to meet the banking needs of all segments of society, viz. individual customers including senior citizens, pensioners, students, Non-Resident Indians (NRIs)/ proprietors/ partnership firms/ corporate/ Government Institutions/ trusts/ associations/ societies/ clubs & banks, including co-operative banks.

Your Bank continued with its endeavour to fine-tune products, process automation and digitalisation of customer journey in response to changing customer expectations and behaviour. Your Bank also implemented policies and initiatives for accelerating the pace of digital adoption for facilitating best-in-class customer experience.

Your Bank enhanced usage of data analytics and adoption of Customer Relationship Management (CRM) tools for more qualitative customer engagement and greater product penetration to deposit customers.

Your Bank also continued with calibrated rationalisation of interest rates on savings and term deposits to aid in lowering the cost of deposits.

NRI Services

Your Bank offers a wide range of products across the spectrum of Non-Resident (External) (NRE) Deposits/ Non-Resident Ordinary (NRO) Deposits/ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Deposits, investments including equity market investments through Portfolio Investment Scheme (PIS), remittances through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) & other modes and loans to meet the banking and financial needs of the Indian diaspora across the globe.

Your Bank continued to undertake product/ process improvements for augmenting customer experience, service delivery and convenience of banking for its NRI customers.

Retail Assets

Your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio in keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank. The Bank currently offers a bouquet of retail asset products including Housing Loans, Loan Against Property, Personal Loans, Education Loans, Auto Loans, Loan against securities, among other products. The products are periodically reviewed and modifications/ innovations/ customisations are carried out on a regular basis in tandem with the changing customer preferences.

During FY 2021-22, your Bank continued to remain a dominant player in the structured retail finance segment with best product offerings and services. The Bank registered a growth of over 6% on an annualised basis in its structured retail asset book. Within the structured retail loan book, the housing loan segment registered a growth of over 7%.Your Bank continued to maintain a robust structured retail asset portfolio with minimal slippages and Gross Non-Performing Asset (NPA) ratio being lower than 2%. Your Bank processes the structured retail loans on an Automated Loan Processing System which ensures a faster Turn-Around Time (TAT). Furthermore, as a part of its strategy to increasingly digitalise its processes, the Bank has embarked on several IT initiatives in the retail asset segment for creating a better customer experience.

To meet the challenges posed by pandemic and divergent needs of its customers, your Bank undertook various measures under structured retail asset products. As a response to the economic crisis due to the second wave of COVID-19 pandemic, and in line with the directive by the Reserve Bank of India (RBI), your Bank introduced a Loan Resolution Plan under Resolution Framework 2.0 for all eligible borrowers. Under the Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) scheme rolled out by the Government of India (GoI), your Bank extended additional funding by way of working capital term loan to the eligible borrowers.

Apart from this, your Bank extends subsidy benefit under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) - Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) to numerous home loan borrowers in line with '*Housing for All*' initiative of the Government of India (GoI). Further, in order to support students from Economically Weaker Sections (EWS) of the society, the Bank extends subsidy benefit to education loan borrowers under the Government of India (GoI) schemes such as Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS), Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy (CSIS) and Padho Pardesh Scheme.

Credit Cards

Your Bank offers seven credit card variants, viz. Winning Select, Lumine Platinum and Éclat Select through the RuPay network, Royale Signature, Aspire Platinum & Imperium Platinum through the Visa network and Euphoria World through the Mastercard network.

These card variants are targeted at different customer segments depending on their profile and needs. During the year, your Bank launched two variants of co-branded credit cards with LIC Cards Services Ltd. (LIC CSL), viz. Lumine and Éclat. Your Bank has launched contactless credit cards on all the three networks, viz. RuPay, Visa and Mastercard. Your Bank has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with an online travel company, viz. EaseMyTrip (EMT), to launch co-branded credit cards. Your Bank has entered into a tie-up with various Equated Monthly Instalment (EMI) aggregators such as Billdesk.

Your Bank has launched a revamped version of credit card internet banking facility with new features such as request for replacement of hotlisted card, and display of cards in sequence on basis of date of issuance. Your Bank is digitising the on-boarding, underwriting and issuance processes for

seamless on-boarding experience and operational efficiency. To promote the usage of credit cards, your Bank had launched multiple campaigns and entered into strategic tie-ups with various merchants. In view of the plausible financial stress on its customer base on account of COVID-19 lockdown/ induced restrictions, your Bank extended the moratorium facility, resolution framework and ex-gratia payment for eligible customers in line with the regulatory & statutory guidelines.

DIGITAL BANKING

The technological advancements in the banking space have been pivotal for digital banking. Further, the COVID-19 pandemic served to further accelerate the pace of digital adoption by customers. Customers prefer to transact via the digital banking channels due to their inherent nature of being contactless, convenient and available on a 24x7 basis. In tandem with these developments, your Bank has been proactively strengthening and revamping its digital infrastructure for smooth, convenient, safe and secure '*Anytime, Anywhere*' banking experience for its customers.

Your Bank is committed to promote digital adoption by encouraging use of various digital channels, viz. Mobile Banking, Internet Banking, Unified Payment Interface (UPI), Debit Cards (both physical and virtual), Point of Sale (PoS) terminals (both physical and digital), Internet Payment Gateway, Automated Teller Machines (ATMs). Your Bank has already put in place the necessary structure for engaging with FinTechs for enhancing product offerings, executing various innovations and ideas such as omni-channel customer experience, neobanking, virtual ATMs, conversational banking, customer engagement automation, etc.

Your Bank posted 62% growth in the digital transactions and 98% growth in the UPI transactions during FY 2021-22.

Your Bank has updated its Mobile Banking application, viz. Go Mobile+, by adding a number of new features such as biometric-based login option, soft token-based authentication as an alternate to One-Time Password (OTP), option for setting transaction limits for Debit/ Credit Cards for PoS, e-commerce, contactless & ATM transactions, option for applying for and recharging of FASTag, facility of enrolment for Atal Pension Yojana (APY), re-KYC facility, option for sharing receipt of transactions, progress indicator to display the progress of the transaction.

Your Bank has enabled additional features in its Retail Internet Banking Facility, which includes Real Time Gross Settlement (RTGS) option for payments, soft token-based authentication as an alternate to OTP, option for opening & premature withdrawal of fixed deposit, online opening of Demat account, facility for setting limits for Credit Card transactions, addition of nominee in recurring deposit, etc.

Your Bank has launched contactless co-branded pre-paid Gift Card, viz. Shagun, in collaboration with LIC Cards Services Ltd. (LIC CSL), contactless World Currency Card (WCC), Visa Signature Debit Cards for Defence Personnel and upgraded the RuPay Debit Cards for international acceptance (Singapore). Your Bank has deployed Android PoS at Merchant Establishments, provided EMI option on transactions at PoS terminals and launched conversational banking facilities on its WhatsApp platform. Your Bank has launched UPI sub-membership for sub-member co-operative banks.

Your Bank has upgraded its ATMs with Anti-Skimming Solution, Terminal Security Solution (TSS) and Terminal Layer Security (TLS) for securing cash withdrawal transactions. The Bank has implemented Bharat eCommerce Payment Gateway (BEPG) functionalities for server-to-server transaction and migrated from Access Control System (ACS) software to Identity Verification System (IVS) to enhance dynamic risk-based authentication and transaction monitoring.

In order to promote use of its Debit/ Credit Cards, your Bank has launched various campaigns and rolled out offers for cashback/ instant discount with leading brands for increased customer engagement as well as greater brand visibility for the Bank.

THIRD PARTY PRODUCTS AND CAPITAL MARKET PRODUCTS

The Third Party Products (TPD) and the Capital Market segments of your Bank offers various value-added products and services to its customers keeping in view their risk profile and financial goals. Your Bank gives due importance to the TPD and Capital Market business since the fee income from this segment is capital-free. During FY 2021-22, the Bank launched various campaigns for imparting necessary thrust towards augmenting fee income and fostering a healthy sales culture.

The major products that are distributed by your Bank include life insurance products through its life insurance partners, viz., Life Insurance Corporation of India (LIC) and Ageas Federal Life insurance Co. Ltd. (AFLI) as well as general insurance & Stand Alone Health Insurance (SAHI) products through its channel partners, viz., New India Assurance Co. Ltd., TATA AIG General Insurance Co. Ltd. and Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd., mutual funds through various Asset Management Companies (AMCs) such as IDBI Asset Management, LIC Mutual Fund etc., capital market products such as Demat Account, 2-in-1 Account (Savings and Demat accounts), 3-in-1 Account (Savings and Demat accounts linked to Online Trading account), Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and Syndicate ASBA (SASBA), National Pension System (NPS) as well as bonds such as Government of India (GoI) bonds & capital gains bonds.

Your Bank has enabled Demat account opening through its mobile and internet banking channels. With a view to extending the reach of opening of Demat accounts instantly with minimum documentation through branch channel to non-users of digital channels, your Bank has launched an abridged two-page Account Opening Form (AOF), viz. Duranto Demat Account.

The Bank undertook digital initiatives such as launch of eKYC application for opening 2-in-1 accounts in collaboration with IDBI Capital Market Services Ltd. (ICMS). The Bank's customers can also purchase life insurance products offered by Life Insurance Corporation of India (LIC) digitally through the latter's ANANDA module.

Your Bank also undertakes the Third Party distribution business under referral basis in compliance with all the regulatory and statutory guidelines issued from time-to-time.

SYNERGIES WITH THE LIC

Since the Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired majority stake in your Bank in January 2019, numerous initiatives have been taken to leverage the potential business synergies between the two entities. Your Bank has identified specific actionable points in order to garner business in synergy areas through its best-in-class products and services, especially in order to build low-cost deposit book, viz. current account book, along with efficient and optimal utilisation of its distribution channel/ touch-points to source business as a Corporate Agent of the LIC under the bancassurance channel. The Corporate Agency agreement between your Bank and LIC has been further renewed till February 2025.

Your Bank has emerged as highest contributor in LIC's bancassurance business contributing 59% of its total business from the channel in FY 2021-22. Your Bank has also been extending transaction banking services through its branch/ digital channels in order to cater to the collection/ payments related requirements of various offices of the LIC.

While your Bank has been reaping significant benefits in all major business segments through the areas of collaboration, it is also anticipated that, going forward, with the current intensity of engagement as well as synergies with the LIC and its subsidiaries, your Bank will continue to witness multi-dimensional growth which will help in further increasing customer reach. This will lead to enhanced value proposition for all the stakeholders of the Bank.

FINANCIAL INCLUSION

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring convenient access to pertinent financial products & services to the vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner. Your Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz. offering appropriate financial products, making extensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Social Security Schemes

Your Bank has proactively participated in the Government of India's (GoI's) financial inclusion programme, viz. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and in Government of India's (GoI) social security schemes, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover and Atal Pension Yojana (APY) for old age pension.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

Your Bank has leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase the penetration of banking services in rural and semi-urban locations. This has aided in ensuring greater degree of financial inclusion across the country and increase Priority Sector Lending (PSL) business of the Bank. Your Bank has conducted extensive training sessions/ workshops for all the empanelled BCs/ BFs at various locations across the country. Besides, your Bank has also provided on-the-job training to BCs/ BFs to develop their technical skills to operate on technology platforms for conducting banking transactions.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and an integral part of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). Your Bank also conducted street plays in the interior areas of the country to spread awareness among rural populace about various banking services.

Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI RSETI), Satara, Maharashtra conducts self-employment training for the rural youth of the district in the trades aligned to the National Skill Qualification Framework (NSQF) as per the instructions of Rural Skill Division, Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India (GoI). As on March 31, 2022, IDBI RSETI has trained 7,186 candidates since inception, out of which 5,270 candidates (73.33%) have been reported as settled by establishing self-enterprises. IDBI RSETI has been maintaining high standards of training as well as facilities for the participants. This has been recognised by the Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India (GoI) which has awarded the IDBI RSETI with '*AA*' grading in 2021 for outstanding overall performance.

Other FI Initiatives

Your Bank is registered with the Unique Identification Authority of India (UIDAI) as a Registrar for Aadhaar enrolments. Your Bank has actively participated in Direct Benefit Transfer (DBT) scheme of the Central/ State Governments. Further, your Bank has continued with the distribution of social security pension through its Business Correspondent (BC) channel.

Your Bank has re-branded its BC/ BF channel as I-DOST (Doorstep Online Secured Transactor) which aids in enhancing visibility of the Bank and helps in ensuring customer recognition of the BCs/ BFs.

Your Bank has entered into an arrangement with CSC e-Governance Services India Ltd. (CSC) and has launched IDBI CSC Outlet, which is a low-cost banking outlet run by Village Level Entrepreneurs (VLEs) as an extended arm of the Bank's branches and provides banking services on real-time basis. The transactions by customers at the IDBI CSC Outlet are carried out in a safe and secure environment on a desktop/ laptop, using kiosk banking solution, which is a web-based application enabled with the facility of customer authentication using Aadhaar biometrics.

PRIORITY SECTOR BANKING

Your Bank has been contributing significantly to Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the Reserve Bank of India (RBI). As per the regulatory requirement, the Bank primarily focused on lending to Micro Enterprises, Direct Agri Non-Corporate (DANC) and Small & Marginal Farmers (SFMF), during the year. The Bank also continued its efforts to extend reach through Non-Individual Business Correspondent (BC)/ Business Facilitator (BF) channel and has tied-up with more than 40 Non-Individual Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) as on March 31, 2022.

Your Bank has achieved the regulatory targets for Priority Sector Lending (PSL), including sub-sectors, on an average basis for every quarter in FY 2021-22.

In terms of the Government of India (GoI) schemes/ directions, your Bank has been extending loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand-up India, Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PMSVANidhi), etc. as also to minority communities and weaker sections, including Scheduled Castes (SCs)/ Schedule Tribes (STs).

During FY 2021-22, your Bank undertook several major initiatives to boost its PSL portfolio. In line with the growing demand and needs of the borrowers, your Bank has launched various new products such as IDBI Equipment Finance, Loan to Non-Banking Financial Companies (NBFC) for on-lending to Micro & Small Enterprises (MSEs), financial assistance to Emergency Health Services, Loan Guarantee Scheme for COVID-affected Tourism Service Sector, IDBI Commercial Vehicle Finance, Sanjeevani Express for Doctors & Practitioners, Samrudhhi Express for all existing Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) customers, Suvarna Saral – an EMI-based Gold Loan product etc. The Bank also introduced higher Loan-to-Value (LTV) of 85% for Agricultural Gold Loan in September 2021.

Your Bank entered into a co-lending agreement with M/s UGRO Capital and M/s Adani Capital Pvt. Ltd. to ramp up its PSL portfolio. Your Bank signed a Memorandum of Understanding (MoU) with National e-Repository Ltd. (NERL) and CDSL Commodity Repository Ltd. (CCRL) for scaling up its Warehouse Receipt financing business through State Warehouses, Central Warehouses and other Warehousing Development & Regulatory Authority (WDRA) accredited warehouses. The Bank entered into a tie-up with Customer Service Centre (CSC) to provide banking services and leverage business potential for lending to Small & Marginal Farmers (SFMFs) and Micro Enterprises through digital channels.

In order to streamline and improve its efficiency, the Bank revamped a number of internal business processes including centralising the sourcing of business through Non-Individuals Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) (NIBC), implemented fully automated Loan Processing System (LPS), viz. I-Amrit, created a dedicated cell at the Bank's Head Office to facilitate incremental business from the Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) through Trade Receivables Discounting System (TReDS) platform and co-lending arrangements and registered on Government e-Marketplace (GeM) Sahay portal for maximising the business of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segment. These measures will help in improving your Bank's Turn-Around Time (TAT) and provide an impetus to its PSL business.

CORPORATE BANKING

The corporate banking segment of your Bank comprises Mid Corporate Group (MCG) and Large Corporate Group (LCG). The Bank's Mid Corporate Group (MCG) vertical operates through its 20 branches and five service desks at locations across India and caters to the requirement of mid-sized corporates. Your Bank's Large Corporate Group (LCG), with offices in seven different locations, caters to the requirements of its large corporate clients. During the year, the Bank implemented Corporate Banking Data Management (CBDM) which facilitates automated submissions of various statements by its select corporate branches.

Your Bank provides a gamut of products and services to manufacturers, traders and vendors across the spectrum of industries including pharmaceuticals, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), auto components & ancillary, automobiles, food processing, sugar, ceramics, chemicals, construction,

textiles, steel, plastics, telecom, cement, leather products, paper & paper products, rubber, metals, tourism, hospitality, education, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), mining & quarrying, engineering, electrical machinery, electronics & electrical equipment, power, oil & gas, agriculture & allied activities, transport, computer software & related activities, IT services & technology, energy generation & distribution, etc.

Your Bank's product basket for corporate clients includes term loans for both projects and non-projects, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit and post-shipment credit to exporters, bill discounting, intra-day limits etc. During the year, your Bank also introduced a bouquet of products to cater to the needs of its corporate clients such as short term loan – non-committed line, Receivable Buyout, Term Loan linked to External Benchmark, Bill Discounting linked to External Benchmark, etc.

Within the ambit of corporate banking, your Bank also places due emphasis on Priority Sector Lending (PSL) by offering products such as channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporates as also lending to Non-Banking Financial Companies (NBFCs) for on-lending to customers from the Priority Sector Lending (PSL) segment. The corporate banking teams of your Bank work closely with other specialised teams in other areas of business operations such as Retail Banking, Transaction Banking, Treasury, etc. in order to develop suitable products/ services and devise appropriate solutions to fulfil specific needs of the corporate clients.

In alignment with its overall business strategy, your Bank has been targeting a calibrated growth in its corporate loan book in order to continue with its capital light model while simultaneously de-risking its business portfolio mix. Towards this end, your Bank has been focussing on fresh acquisition of well-rated corporate accounts. Furthermore, the Bank has been targeting growth in interest and fee income through focussed improvement in utilisation of sanctioned fund-based and non-fund based limits and cross-sell. The Bank has been also endeavoring to upgrade/ implement timely resolution in stressed and Non-Performing Asset (NPA) cases, thereby benefiting from reversal of provision, if any, along with augmentation of standard advances book.

During the year, excess liquidity position across the banking sector and lower interest rates in the market have driven well-rated corporates to shift their borrowing towards market-related instruments such as Commercial Papers (CPs) and Non-Convertible Debentures (NCDs). Your Bank extended financial assistance to its well-rated clients by investing in NCDs and CPs, leading to an increase in its investment book during the year.

ASSET QUALITY

Your Bank continued to focus its efforts towards containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and maximising recovery from the existing impaired assets. As at end-March 2022, 80.86% of your Bank's Total Assets were Performing Assets, whereas 19.14% were NPAs. The focussed efforts by the Bank aided in reducing Net NPA ratio to only 1.27% in FY 2021-22 as against 1.97% in FY 2020-21.

Your Bank's recovery from impaired assets and upgrade of NPAs to Performing Assets during the year amounted to ₹ 5,074 crore, which facilitated a reduction in the end-level NPAs to ₹ 34,115 crore as on March 31, 2022.

Adequate provisions were made in conformity with the extant regulatory guidelines. Furthermore, as a prudent approach, your Bank increased the Provision Coverage Ratio (PCR) to 97.63% as on March 31, 2022 from 96.90% as on March 31, 2021.

Your Bank has a dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for focussed and aggressive approach towards resolution and recovery by adopting account-specific resolution strategies and close monitoring of corporate NPAs.

Your Bank has set-up a centralised dedicated desk for cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). This dedicated desk has been playing a proactive role in providing an overall view by internalisation of learning from the field and dissemination across teams for navigating through the complexities, thereby enabling the Bank to successfully handle the CIRP cases. As of March 31, 2022, a total of 280 cases with an aggregate gross principal outstanding of ₹ 47,334 crore (including NPAs/ Technically Written-Off (TWO) Assets) were undergoing CIRP within the ambit of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016. Your Bank was able to resolve many of these cases and recover a sum of ₹ 563 crore during FY 2021-22. Furthermore, few other cases are expected to be resolved in FY 2022-23.

Your Bank has a *'One Time Settlement (OTS) Management System'* which facilitates submission of OTS applications through the Bank's website as also enables end-to-end processing of an OTS proposal, including tracking of recovery.

During the year, your Bank also transferred three accounts (one NPA account and two Technically Written-Off accounts) on all cash basis with the Gross Principal Outstanding (GPO) amounting to ₹ 542 crore for consideration of ₹ 293 crore to Asset Reconstruction Companies (ARCs) for recovery. Out of the recovery of ₹ 293 crore, your Bank received ₹ 25 crore in the NPA accounts and balance ₹ 268 crore in the TWO accounts. Total recovery of ₹ 846 crore was made from written-off accounts during the year.

Your Bank has also been pursuing legal actions under the applicable laws, enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002. The Bank has also been following up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on a continual basis and has identified nodal officers from the Bank's NMG/ Legal/ Retail Recovery teams for DRT work so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/ decrees and execution thereof.

Your Bank classified 319 cases as wilful defaulters with punitive actions initiated against such borrowers/ promoters/ directors and declared nine cases as Non-Cooperative Borrowers as on March 31, 2022.

Retail Recovery

After the formation of a dedicated Retail Recovery vertical in FY 2020-21, your Bank laid emphasis on engaging services of Collection & Recovery Agencies to reach the maximum borrowers, especially small value Non-Performing Asset (NPA) borrowers, and maximise the recovery. The Bank has initiated all recovery actions, including suit filing, in an aggressive manner, expeditiously after the rollback of pandemic-related restrictions in the country.

Your Bank launched a non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) scheme Saral Karj Bhugtan Yojna-II (SKBY-II) in FY 2020-21. Under the scheme, which was launched on December 1, 2020 and concluded on September 30, 2021, your Bank made a cash recovery of ₹ 264 crore (₹ 330 crore including corporate cases) which facilitated an overall reduction in the retail NPA level by ₹ 537 crore (₹ 674 crore including corporate cases). Another special OTS scheme, viz. Saral Karj Bhugtan Yojna-III (SKBY-III) for Retail and Corporate Non-Performing Assets (NPAs)/ Technically Written-Off (TWO) accounts with Gross Principal Outstanding (GPO) up to ₹ 0.20 crore for resolution of small value Non-Performing Assets (NPAs)/ Technically Written-Off (TWO) accounts was launched on October 1, 2021 and concluded on May 31, 2022. Under the scheme, 14,421 borrowers had given their acceptance with GPO of ₹ 155 crore and cash recovery of ₹ 89 crore was achieved till March 31, 2022. Apart from SKBY, your Bank launched three OTS campaigns which envisage recognition of the performers to motivate the field functionaries engaged in the recovery process. Your Bank also conducted three mega e-auctions in the July 2021 to March 2022 period for sale of properties on a common date on a pan-India basis. The Bank actively participated in last three Lok Adalats held on September 11, 2021, December 11, 2021 and March 12, 2022 wherein 30,129 cases were referred by the Bank and an amount of ₹ 19.82 crore was settled.

The Bank has initiated a module for digitalisation of recovery process in the retail cases, i.e. issuance of Loan Recall Notice, issue of notice under section 13(2)/13(4) of SARFAESI Act. Further, improvement for enabling suit filing process within the module is also under implementation.

In order to strengthen the recovery systems further, the Bank is in the process of on-boarding a vendor to provide end-to-end solution, viz. Integrated Collection and Recovery Module (ICnRM), for streamlining and improving efficiency in recovery as well as collection mechanism. This module would help the Bank in leveraging significant complementary strengths and efficiencies of both collection & recovery teams to handle initial stress, tracking of recovery, monitoring of timely recovery & legal actions, review of performance of service providers, i.e. Recovery Agencies, Enforcement Agencies, Advocates, etc. in retail portfolio very effectively from its inception. A vendor has been shortlisted by the Bank and proposes to implement the full-fledged system by September 30, 2022.

Retail Collections

Your Bank set up a Retail Collection Vertical in February 2021 to control incipient stress & slippages, and drive collection efforts from the retail loan accounts. Retail Collection activity entails reduction of pre-Special Mention Accounts (SMAs), High Risk Accounts, Special Mention Accounts (SMAs) and probable/ marked First Time Non-Performing Assets (FTNPAs). The accounts are segregated into product-specific lots such as Structured Retail Asset (SRA) (Housing Loan (HL)/ Loan Against Property (LAP)/ Auto Loan (AL)/ Education Loan (EL)/ Personal Loan (PL) etc.) and Non-Structured Retail Asset (SRA) (Gold Loan/ Kisan Credit Card (KCC)/ Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs)/ Agriculture etc.). The collection activity is driven by the Retail Collection Vertical with the help of a team of Collection Officers posted at different Zones/ Regions of the Bank, supported by the Call Centre, Collection Agencies, Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) and branches/ Retail Asset Centres (RACs) for branch-centric products. The Retail Collection vertical is making extensive use of the Bank's Call Centre and Collection Agencies which is expected to achieve higher resolution rates on collection. High-risk accounts emanating from the predictive models are being used to contain inflow of Special Mention Accounts (SMAs) by Retail Asset Centres (RACs)/ branches and also for focussed collection by the Vertical and for initiating remedial measure by the field functionaries. The volume, geographical spread and the wide range of products offered by the Bank require the retail collection activity to be managed through empanelled Collection Agencies who are equipped with the knowhow of handling the specific products in the retail sphere.

Outsourcing allows the Bank to handle higher volumes and advantage of economy, as well as making the judicious use of the expertise of agency.

In furtherance to the endeavours in enhancing its abilities related to collection mechanics, your Bank is in the process of digitisation of the collection-related activities. An Integrated Digital Collection Module is also being developed which will assist the Bank to identify the stress and deploy resources (in-house/ external agencies) effectively. The digitised processes are aimed at facilitating a platform for convenient online collection & recovery of dues from delinquent borrowers and also providing a complete & seamless Management Information System (MIS) in the Bank.

CREDIT MONITORING GROUP

Your Bank set up a Credit Monitoring Group (CMG) in May 2017. The main objective of the CMG is to formulate a robust monitoring framework for standard loan portfolio, viz. system-based monitoring of onset of stress, monitoring of Credit Administration Parameters (CAP) and structured Loan Review of the Bank's standard asset portfolio.

Your Bank successfully implemented an automated and comprehensive bank-wide Early Warning Signal (EWS) system in December 2019, which has the ability to source data from its internal systems and external data feeds for triggering of alerts based on the anomalies observed, on a near real-time basis, which helps your Bank to undertake prompt pre-emptive action and timely remedial measures. Risk bucketing under High/ Medium/ Low risk is carried out in respect of all corporate and retail accounts with threshold limit, which augmented the capability of your Bank to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress in pre-SMA stage. Through the EWS system, your Bank undertakes required market analysis and inter-bank comparison of its retail portfolio at regular intervals. A periodic review of the EWS system is undertaken so as to make it more user-friendly and also to keep it updated as per continuously evolving regulatory requirement and best practices.

The asset monitoring tool '*SAJAG*' provided status of CAP to the branches on a real-time basis. The CAP updation is also captured by '*SAJAG*' which enables monitoring of these accounts on a real-time basis.

Structured Loan Review Mechanism (LRM) is used to provide timely feedback on the effectiveness of credit sanction and follow-up to identify incipient deterioration in quality of the portfolio, track early warning signals and compliance with credit administration parameters.

These initiatives have resulted in reduction of incipient stress on a year-on-year basis, compliance of CAP parameters and thereby improvement in the credit quality of your Bank.

TRADE FINANCE

Your Bank has a dedicated Trade Finance (TF) Department, which offers a wide range of products and services to its large/ mid corporate and retail customers at competitive pricing. The products range from the most commonly used inward/ outward remittances, Letters of Credit (LCs), Bank Guarantees (BGs), Standby Letters of Credit (SBLCs) to complex domestic & cross-border trade products involving import/ export of goods & services, pre-shipment & post-shipment export finance, short-term import trade credits (buyer's credit and supplier's credit), merchanting trade, capital account transactions, viz. Overseas Direct Investments (ODIs), External Commercial Borrowings (ECBs), Foreign Direct Investments (FDIs), mergers & acquisitions, opening of overseas offices etc.

These trade finance products/ services are offered through a centralised trade processing system, which operates on a hub-and-spoke model at three major metro centres, viz. Mumbai, Chennai and Delhi. The centralised trade processing system caters to the needs of all branches of the Bank located across 14 Zones and thus, facilitates standardised processing, efficient communication and faster Turn-Around-Time (TAT). Your Bank, as an AD Category I bank, has 45 dedicated TF centres, which are authorised to handle all types of foreign exchange transactions. Your Bank's Core Banking Solution (CBS) operates vide the four eyes principle of maker checker for each transaction.

Your Bank always endeavours to deliver high standard of customer service and time-bound delivery. Your Bank has been constantly evolving and improving its core banking platform as also offering digitised trade processing to increase customer engagements to make every step of the trade operation process seamless and convenient. The Bank has taken up various IT initiatives to make the transactional executions error-free and faster. For instance, the Bank has an internet-based Trade Finance platform, viz. IDBI eTRADE, which gives customers much-needed flexibility to transact on a 24x7 basis. The SWIFT operations of your Bank are carried out through a Centralised SWIFT Cell (CSC) with utmost due diligence and multiple validation processes under a secured IT platform to ensure smooth and flawless operations. Furthermore, your Bank has laid down Policies, Processes, Standard Operating Procedures (SOPs), Operating Manuals, robust monitoring mechanisms, etc. in compliance with regulatory/ statutory norms and regulations as well as international trade practice guidelines.

With a view to drawing benefits from the emerging usage of Distributed Ledger Technology (DLT) in the sphere of Trade Finance, your Bank has become one of the equity holders in Indian Banks' Blockchain Infrastructure Co. Pvt. Ltd. (IBBIC). The IBBIC aims to build trade eco-system

by harnessing value of DLT. Your Bank has been actively engaging with the IBBIC for building processes to digitise and automate inter-organisation trade finance operations. Your Bank, in its endeavour to mitigate cyber fraud risk and also to build effective control mechanism to address Anti-Money Laundering (AML)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) concerns in cross-border payments, has instituted effective system control mechanisms in the form of Payment Controls System & Sanctions Screening processes. As a measure of efficient service delivery, your Bank has developed an online Bank Guarantee Confirmation Module, which enables beneficiaries of the BGs issued by it to obtain online confirmation of issuance of guarantees.

Your Bank is one of the nominated banks to handle Indo-Iran trade transaction settlements under bilateral Rupee Payment Mechanism (RPM). These transactions are handled within the ambit of a well-defined SOP and also in strict adherence to Office of Foreign Assets Control (OFAC) regulations, Specially Designated Nationals (SDN) guidelines, sanction programmes implemented by the United States of America (USA)/ European Union (EU) authorities, etc. Your Bank, presently handles settlement of trade transactions pertaining to goods of humanitarian importance only under the RPM.

Your Bank has put in place appropriate operational/ compliance alerts enabled with round-the-clock fraud monitoring. Your Bank diligently follows Anti-Money Laundering (AML)/ Know Your Customer (KYC)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) guidelines, a robust Trade-Based Money Laundering (TBML) red flagging procedures and the US/ EU sanctions screening for international payments. Your Bank, as a matter of principle, verifies each international cargo movement in merchanting trade through International Maritime Bureau (IMB). The Bank verifies the credentials, core activities, business scale and payment velocity of the overseas parties through Business Information Reports offered by reputed agencies in order to safeguard the interests of all stakeholders.

Your Bank's bill finance policy covers purchase/ discount/ negotiation of all genuine bills arising out of trade in Indian Rupee (INR) and Foreign Currency (FCY). Your Bank has covered all its clients availing export credit under Whole Turnover Export Credit Insurance for Banks (ECIB) policies offered by Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).

The Bank has developed a widespread network of correspondent banking arrangements with more than 800 banks across the globe through bilateral Relationship Management Application (RMA) and consequently, is able to render trade and non-trade services across the world. The Bank has put in place arrangement with these correspondent banks to handle remittances in more than 160 currencies across the globe.

Your Bank was bestowed with *'Elite Quality Recognition Award'* under the category Straight Through Processing (STP) for US Dollar Payments by J. P. Morgan and Bank of New York, Mellon in recognition of its operational efficiency in processing straight through online payments and quality of payment messages.

GOVERNMENT BUSINESS

Your Bank acts as an agent of the Reserve Bank of India (RBI) in handling receipt and payment transactions of the Central Government and the State Governments. Your Bank is authorised to collect Central Government Taxes, viz. Direct Taxes, Customs Duty and Goods & Services Tax. Your Bank is also active in collection of State Receipts in 14 States and two Union Territories (UTs). Your Bank provides 24x7 internet banking facilities to all its customers for making tax payments.

Your Bank has enabled online collection of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) dues. Your Bank is also authorised by the Government of India (GoI) to offer Small Savings Schemes, viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens' Savings Scheme (SCSS) and Sukanya Samriddhi Account Scheme (SSA) through its branches. Your Bank is also authorised to disburse the Central Civil, Defence and Railway pensions.

CASH MANAGEMENT SERVICES

Your Bank is committed towards providing state-of-the-art Cash Management Services (CMS) to corporates for effective management of their collections & bulk payments and efficient monitoring of their flow of funds. Your Bank offers customised and comprehensive range of CMS collection, payment and transaction banking solutions to suit the varied needs of the corporates. Your Bank offers various solutions like National Automated Clearing House (NACH), Virtual Account Facility, utility payments, direct debit facilities and other customised e-solutions that are technologically integrated (host-to-host) with client systems. Your Bank, being authorised to participate in e-freight payment system of Indian Railways, has been collecting e-freight in 12 Zones of the Railways. Your Bank is also authorised for FASTag issuance which is a Radio-Frequency Identification (RFID) based sticker for automated payment of toll & parking charges and FASTag Acquiring Business for Toll Plaza Operators of national and state highways which allows collection of the toll charges electronically using FASTag Acquiring System.

During the year, your Bank added two new digital products for corporate/ institutions, i.e. Corporate Liquidity Management Solutions (C-LMS) and Government Liquidity Management Solution (G-LMS), which have been developed in-house by

the Bank's subsidiary, viz. IDBI Intech Ltd. These are unique and differentiated products catering to specific needs of large institutions, and would add new revenue stream for the Bank. Further, the Bank made several enhancements in its existing product offerings to make them more user-friendly. Some of the initiatives towards this end include introduction of White Label Solution for partner banks in the Bharat Bill Payment Solution (BBPS) Biller module and Android Mobile application for the Bank's FASTag customers.

Cash Management Services (CMS) facility for Life Insurance Corporation of India (LIC)

For the three pension schemes launched by the Government of India for the vulnerable sections of society, viz. Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana (PM-SYM), Pradhan Mantri Kisan Maan-dhan Yojana (PM-KMY) and Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana (PM-LVM/ NPS-Traders), Life Insurance Corporation of India (LIC) is the Fund Manager and the Bank is empanelled as the sole Sponsor Bank. Under these schemes, the Bank registered approximately 65 lakh mandates till March 2022. As a Bancassurance partner for LIC, your Bank has also facilitated LIC policyholders to pay their renewal premium at any of your Bank's retail branches or through its Mobile Banking and Internet Banking channels. For LIC policyholders who have an account with IDBI Bank, your Bank facilitates payment of the renewal premium through its Direct Debit facility. The Bank has also enabled select LIC agents for depositing collected premium at its retail branches. Your Bank has been providing CMS collection and payment services to the LIC's Branch Offices, Divisional Offices, Pension and Group Schemes (P & GS) offices, Individual Pension Policy (IPP) offices and other offices.

TREASURY OPERATIONS

The major activities of your Bank's Treasury operations cover Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives, Primary Dealer and Equities. The Bank's Treasury is responsible for adherence to regulatory requirements like maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR), Statutory Liquidity Ratio (SLR), Liquidity Coverage Ratio (LCR) etc.

Statutory Liquidity Ratio (SLR)

The Statutory Liquidity Ratio (SLR) maintenance by your Bank has been in line with the regulatory requirements. Banks have been granted a special dispensation by the RBI of enhanced Held To Maturity (HTM) limit upto 22% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) until March 31, 2023 provided such excess is on account of SLR securities acquired between September 1, 2020 and March 31, 2022. The RBI has also stipulated that such enhanced HTM limits has to be normalized by banks not later than June 2023 to December 2023 in phased manner. The interest rate risk of the SLR book has been actively managed not only to contain risk but also to take advantage of market movement in order to book capital gains.

Liquidity & Cash Reserve Ratio (CRR) Management

Your Bank's Treasury has used various instruments such as Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF), Term Repo including On-Tap Targeted Long-Term Repo and Open Market Operations (OMOs) of the RBI as well as other market instruments/ platforms such as Triparty Repo (TREPS), Clearcorp Repo Order Matching System (CROMS) and Call & Notice Money. The Bank's surplus liquidity is deployed in various instruments like Certificates of Deposits (CDs), liquid mutual funds, Debt Government Securities (G-Secs)/ Non-Convertible Debentures (NCDs), Call/ Notice/ Term Money, etc. Your Bank maintained Cash Reserve Ratio (CRR) in line with regulatory requirements.

To mitigate the impact of the COVID-19 pandemic and to ensure required liquidity to various market participants/ industries, the RBI had announced various measures like Long Term Repo Operations (LTRO) and Targeted Long term Repo Operations (TLTRO). Your Bank participated in the TLTRO window during FY 2021-22.

In accordance with the RBI guidelines, your Bank has complied with the Basel III Framework on Liquidity Coverage Ratio (LCR) and conducted saleability test for identifying High Quality Liquid Assets (HQLA).

Besides making a conscious effort to further reduce dependence on high-cost bulk deposits, the Bank has also ensured diversification and granularity in the customer base of such deposits, during the year. Your Bank has non-SLR investments in corporate bonds as well as Recapitalisation Bonds issued by the Government of India (GoI).

Primary Dealer (PD)

As part of the Primary Dealer (PD) activity, your Bank is involved in market making activities in respect of G-Secs including T-bills. The Bank's Treasury also provided Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to Gilt Account Holders (GAHs) having accounts with it. The Treasury actively participated in primary auction of Government of India/ State Development Loans (SDL) securities on behalf of CSGL & non-CSGL clients. Your Bank, in line with the RBI directives, provides the facility of web-based Negotiated Dealing System - Order Matching Segment (NDS-OM) module to GAH for online trading of G-Secs in the secondary market. The Bank's '*IDBI Samriddhi G-Sec*' portal continues to provide facility to the retail investors to buy G-sec online and through its ATMs.

In order to provide liquidity in the secondary market for the retail investors under '*the RBI Retail Direct*' facility, your Bank provides buy/ sell quotes to retail investors on the NDS-OM platform (odd-lot and Request for Quotes segment) as a market maker.

Forex Interbank and Derivatives

Your Bank's Treasury has an active forex interbank and derivatives desk. The forex interbank desk provides best possible forex rates to clients. The derivatives desk provides tailor-made solutions to meet the hedging requirements of the customers of the Bank.

Treasury Sales

Your Bank's Treasury is supported by a pan-India sales team across 16 centres for effective marketing of foreign exchange, fixed income and derivative products. The sales team caters to the requirements of its corporate and retail clients by proactively interacting with them and providing solutions to effectively manage their exposures in various currencies, rates etc. The sales team also advises the clients about their investment in debt instruments (G-Sec, Non-SLR Bonds, etc.). The sales team also leverages its reach to cross-sell other products of the Bank.

Your Bank launched several inter-vertical campaigns to augment the forex business and deepen the existing relationships and also acquire new clients. Your Bank also undertook various initiatives like IDBI Forex Fest, periodic e-mailer initiatives titled '*Treasury Ki Paathshala*', targeted e-mailers to increase awareness about Treasury & Forex products among internal stakeholders and customers. Extensive web-calls, meetings and visits were conducted with clients to introduce derivative products in order to broaden the scope and reach of forex & interest rate hedging products tailored to meet their requirements. The derivative products are offered to customers as per the Suitability & Appropriateness Policy of the Bank and in compliance with the RBI directives.

Financial Institutions Group (FIG)

Your Bank has set up a dedicated Financial Institutions Group (FIG) to focus on domestic and foreign Financial Institutions (FIs) for offering various products/ services of the Bank. This group acts as a coverage group for offering products/ services relating to trade, cash management services, payments, forex, derivatives, money market and retail banking. The FIG also engages with the FIs for increasing the breadth of coverage and deepening the FI business.

Business Continuity Plan

Your Bank operates Treasury Business Continuity Centre at CBD-Belapur, Navi Mumbai. The Centre has integrated operations covering various market segments and can handle all critical Treasury functions. This aided the Treasury of the Bank to continue functioning throughout the pandemic period and ensured uninterrupted customer service.

Submission to Benchmarks

Being an active player in treasury operations, your Bank continues to be one of the submitters to Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) for FBIL Polled Term MIBOR and FBIL Polled FC-Rupee Options Volatility.

Cross-Border Branches

Your Bank has one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one international branch at IFSC Banking Unit (IBU), Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat.

Your Bank's overseas branch at the DIFC, Dubai has completed twelve years of operations. The operations of the DIFC branch have been rationalised and are restricted to select services, viz. arrangement of deals in investments (debentures), advisory services for financial products (debentures) and arrangement & advisory services for credit. The DIFC branch has been catering to the service needs of its Indian clients for their Indian operations as well as overseas ventures in addition to providing corporate banking services to local entrepreneurs operating out of United Arab Emirates (UAE) and other Gulf Co-operation Council (GCC) countries.

Your Bank's International Banking Unit (IBU) at the GIFT commenced its operations on May 6, 2016. The IBU comes under the Special Economic Zone (SEZ) of GIFT and its functioning is governed by the guidelines issued by International Financial Services Centres Authority (IFSCA) from time-to-time. Beside other products, the Bank's IBU is also focussed on funding against Buyers' Credit (BC).

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both its domestic and foreign currency borrowings. The rating action during FY 2021-22 along with current ratings for the Rupee resources as on March 31, 2022 are as follows:

Ratings for Rupee Borrowings

Rated Instruments	CRISIL	ICRA	India Rating	CARE
Rating action in	**Feb-22**	**Sep-21**	**Jul-21***	**Dec-21**
Fixed Deposit	FAA/ Stable	MAA- / Stable	IND tA/ Stable	-
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1	CARE A1+
Long Term Rupee Bond (Senior and Lower Tier II Bonds)	CRISIL A+/ Stable	[ICRA] A +/ Stable^	IND A/ Stable#	-
Hybrid Upper Tier II Bonds	CRISIL A-/ Stable	[ICRA] A/ Stable$	-	-
Hybrid – IPDI (Basel II)	CRISIL A-/ Stable	-	-	-
Tier II Bonds (Basel III)	CRISIL A+/ Stable	[ICRA] A+/ Stable@	IND A/ Stable	CARE A+/ Stable

Note:

** - Outlook upgraded to Stable from Negative*

^ - Rating upgraded to A+ from A

$ - Rating upgraded to A from BBB+

@ - Rating upgraded to A+ from A (hyb)

 # - Only Senior Tier II bonds has been rated

The foreign currency borrowings of your Bank are rated by two international rating agencies, viz. Fitch Ratings (Fitch) and S&P Global Ratings (S&P). The changes in long-term Foreign Currency Ratings, Baseline Credit Assessment (BCA)/ Viability Rating (VR) & Stand-Alone Credit Profile (SACP) during FY 2021-22 and ratings as on March 31, 2022 were as follows:

Ratings for Foreign Currency Borrowings

Rated Instruments	Fitch Ratings - Rating action in		
	Jun-20	**Dec-20**	**Jun-21**
Long Term Issuer Default Rating	BB+/ negative	BB+/ negative	BB+/ negative
Viability Rating (VR)	ccc	ccc+	ccc+

Rated Instruments	S&P Global Ratings – Rating action in		
	Jun-20	**Oct-20**	**May-21**
Issuer Credit Rating (CR)	BB/ Negative	BB/ Negative	BB/ Negative
Stand-alone Credit Profile (SACP)	b-	b-	b+&

Note: & Rating upgraded to b+ from b-

The Medium Term Note (MTN) Bonds rated by foreign rating agencies, viz. S&P Global Ratings (S&P) and Fitch Ratings (Fitch), were fully repaid on November 30, 2020. Hence, the Bank terminated the rating engagements/ agreement with them on May 21, 2021 for various issues made under the Medium Term Note (MTN) Bond Programme. Accordingly, the rating for Foreign Currency Borrowings stands withdrawn.

Foreign Currency/ Domestic Resources

Your Bank's Treasury actively participates in short-term money market and raises short-term funds both in Indian Rupee as well as in foreign currency to meet the short-term liquidity and funding requirements for short term assets.

During the year, your Bank successfully retired long-term foreign currency borrowings and Rupee borrowings on due dates.

London Interbank Offered Rate (LIBOR) Transition

In March 2021, the Financial Conduct Authority (FCA), the financial regulatory body in the United Kingdom (UK), announced future cessation dates for all 35 LIBOR settings across five currencies in which LIBOR is published. To continue serving its clients unhindered in the transition from LIBOR to different Alternative Reference Rates (ARRs), your Bank undertook extensive preparation to manage various modifications in its systems and processes. During the transition phase, your Bank continuously engaged with its clients to keep them abreast of the market developments on transition away from LIBOR. With effect from January 1, 2022, all the new transactions are being referenced to the ARRs.

RISK MANAGEMENT

Risk management strategy of your Bank essentially focuses on the fundamental tripod, viz. identification, measurement and monitoring. While identification enables the Bank for further analysis and assessment, measurement empowers the Bank to manage risk effectively. This strategic approach allows the Bank to attain improved decision-making and confidence therein through available risk management tools. A well-defined policy framework outlining appropriate limits and procedural aspects enables the Bank to mitigate and manage risk within its overall risk appetite. Periodic policy updates attempt to ensure further refinement in risk management practices by capturing the essence of business dynamics, banking innovations and regulatory changes. Your Bank constantly endeavours to improve its risk management culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an integral decision-making criterion. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. The risk management systems and processes are continuously upgraded, in alignment with the regulatory requirements. For a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator

(CORE). IRMA helps to identify and measure credit and operational risks which in turn facilitates formulation of suitable risk management strategies. Further, the Bank has a well-established Financial Analytical Application for its Asset Liability Management (ALM), Fund Transfer Pricing (FTP), Profitability Management (PFT) and Liquidity Risk Management (LRM) requirements.

Implementation of Basel Norms

In adherence to the Pillar 1 guidelines of RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a quarterly basis. In addition, the Bank also keeps a close watch on the movement of CRAR at monthly periodicity. As per the Basel guidelines, banks in India are mandated to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) in a phased manner commencing from March 31, 2016. In line with the Reserve Bank of India's (RBI's) notification dated February 5, 2021, your Bank implemented the last tranche of Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from October 1, 2021. Your Bank's *'Total Capital + CCB'* ratio was 19.06% as on March 31, 2022 against the regulatory requirement of 11.50%. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 16.68% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 16.68% as on March 31, 2022 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2022 was 7.42% against the minimum regulatory requirement of 3.50%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the Reserve Bank of India (RBI) guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The framework also includes scenario analysis and reverse stress testing. Scenario analysis covers a study on impact of further increase in gross NPAs, crystallisation on Non-Fund facilities in Non-Performing Assets (NPAs) & Technically Written-Off (TWO) accounts and impact of illiquid securities on capital and profitability of the Bank. The mechanism of reverse stress testing was added to the framework to find the level of stress which may adversely impact the capital to take it to a pre-determined floor level. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency. Your Bank has also laid down a Reputational Risk Policy to proactively assess the risks posed to its reputation and the related consequences, along with the measures to contain them. Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework was rolled out across different business segments for augmenting risk culture and ensuring effective control mechanism. For Market Risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirements.

Credit Risk

The Credit Risk Management system in your Bank includes the Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals and Capital Assessment Model (CAM) for automation of capital adequacy assessment. The credit policy document is reviewed in line with changing business objectives and economic environment and forms the guiding tool for the business verticals. As per the Board-approved structure, Credit Risk Management Committee (CRMC) *inter alia* ensures implementation of credit policy/ strategies and monitors credit risk on a bank-wide basis. In addition to Risk Assessment Model (RAM)/ score-based internal rating, the Bank has developed Quantified Risk Scoring Matrix (QASM) for risk-categorisation of high-value corporate and Medium, Small & Micro Enterprise (MSME) loans.

Market Risk

The Market Risk Management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with the policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and the Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implementation mechanisms for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions. With the implementation of Integrated Treasury Management System (ITMS), market risk management efficacy of your Bank, which covers monitoring and reporting, has been strengthened further. All the prescribed limits and all the procedures are monitored closely by the Treasury Mid-office, which is independent of the Front-office and the Back-office of Treasury. The Treasury Mid-office has initiated internal rating of Non-Statutory Liquidity Ratio (NSLR) Bonds through development of in-house internal rating based model in order to create a robust Non-Statutory Liquidity Ratio (NSLR) bond portfolio.

Liquidity Management

The Bank has a well-organised liquidity risk management structure as enumerated in the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. The Asset Liability Management (ALM) activity including liquidity analysis and management is conducted through co-ordination amongst various Asset Liability Management Committee (ALCO) support groups in the functional areas such as Balance Sheet Management, Treasury Front-office, Budget & Planning etc. The Asset Liability Management Committee (ALCO) directives and Asset Liability Management (ALM) actions are implemented by the concerned business groups and verticals. As per the regulatory guidelines, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank is computed on a daily basis with effect from January 1, 2017. The average Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank remained at 141.70% for the quarter ended March 31, 2022. Your Bank implemented the Net Stable Funding Ratio (NSFR) guidelines from October 1, 2021 in line with the Reserve Bank of India (RBI) directives. The Bank's Net Stable Funding Ratio (NSFR) was 133.13% as on March 31, 2022.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) which includes an organisational set-up comprising of the Board of Directors, the Risk Management Committee (RMC) of the Board, the Operational Risk Management Committee (ORMC), the Operational Risk Management (ORM) section in the Risk Management Department and nodal officers from various functions/ departments. The operating procedures for operational risk are guided by the Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities.

Your Bank has robust internal systems and procedures for mitigation of inherent risks spread across various business activities/ operations. It manages the operational risks through Key Risk Indicators (KRIs) and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises and periodically updates these outcomes to the Operational Risk Management Committee (ORMC) and the Risk Management Committee (RMC) of the Board. Operational risk loss events from across the Bank are collated and presented to the Operational Risk Management Committee (ORMC) along with the root cause analysis. The operational risk loss data is also submitted to the Reserve Bank of India (RBI) on a quarterly basis under DCT 390 & 415.

Your Bank also conducts stress testing exercises on a half-yearly basis in order to study the impact of stressed operational risk losses on its earnings and capital. This is aided by measurement and reporting of any breach in the Board-approved Risk Appetite limits for operational risk. At present, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of Operational Risk Regulatory Capital and Risk Weighted Assets.

Your Bank has created a centralised platform for digital hosting of all internal policies, products, manuals and Standard Operating Procedures (SOPs) at one place in order to ensure timely updation and easy access to the employees.

Business Continuity Management

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life-threatening events. Your Bank has been awarded ISO 22301:2012 certification for its bank-wide coverage of Business Continuity Management.

As a part of the Business Continuity Management (BCM), a well-defined Business Continuity Plan (BCP) has been put in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers even in case of business disruption/ disaster. Besides, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. Resilience of the Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP) is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery including holistic drill and mock evacuation drills. The Bank's Business Continuity Management System is well-equipped with an automated incident reporting tool, viz. Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB).

In order to ensure uninterrupted delivery of critical services to customers, the Bank has developed a mobile-based application, viz. *ion* BCP, to enable hassle-free instant invocation and execution of the Business Continuity Plan (BCP) by the disrupted branches.

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve its Information Technology (IT) risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre (DC) at Navi Mumbai and at Disaster Recovery (DR) site at Chennai to ensure high availability. The 24x7 Security Operation Centre (SOC) is a Command Centre for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information Security Policy and Cyber Security Policy besides fulfilling the Bank's objective of providing safe and secure banking to its customers. Further, through

the Security Operation Centre (SOC), your Bank centrally monitors security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external applications, viz. Finacle E-Banking Application (FEBA), mobile banking, mail messaging etc.

Your Bank has made significant progress in implementing the Reserve Bank of India's (RBI's) recommendations pertaining to Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds and the Reserve Bank of India's (RBI's) Cyber Security Framework for banks. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework, as recommended in the guidelines, which includes an exclusive Information Security Group headed by the Chief Information Security Officer (CISO) who reports to the Chief Risk Officer (CRO) of the Bank.

Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Next-Generation - Firewall Solution, Mobile Device Management, Honeypot Solution, Patch Management Solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, Endpoint and Universal Serial Bus (USB) encryption, Data Leakage Prevention (DLP) solution, Advanced Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web Application Firewall (WAF) etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

Your Bank has put in place a distinct Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan which articulate management intent and direction for addressing cyber security risks. The Bank has constituted Cyber Security Risk Monitoring Committee (CSRMC) that provides direction on continuation of any vulnerability identified through Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT)/ AppSec process. Further, your Bank conducts and participates in various types of cyber drills, table-top exercises, phishing simulation exercises and Breach readiness exercises to check and maintain the health of its information security set-up. Information Security Awareness has been included as a mandatory session in the Induction Programme for new recruits of the Bank. The members of the Senior Management of the Bank attended IT Risk programme at Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT). Apart from conducting regular information security awareness programme for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of security breach. IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solutions on both perimeter and end-points. Your Bank's Data Centre (DC), Disaster Recovery Centre (DR) as well as Near DR Centre (NDR) are certified with the latest ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank's Near DR ensures zero data loss for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee (ISSC) of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in the information systems. The cyber security posture, various security incidents and the policies are placed before the IT Strategy Committee of the Board (ITSCB) for necessary directions. The policies are recommended by ITSCB to the Board for approval.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

HUMAN RESOURCES

Learning and Development

During FY 2021-22, keeping in view the COVID-19 related restrictions, your Bank's apex training institute, viz., Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), Hyderabad and its 10 Zonal Training Centres trained 16,218 employees through 946 in-house (virtual) and external customised training programmes as well as e-learning programmes. Employees from various verticals were trained in multiple subjects such as Retail Banking, Medium Small & Micro Enterprise (MSME) and Agricultural Credit, Rural Credit Delivery & Monitoring, NPA Management, Structured Retail Assets (Credit/ Sales/ Operations), Retail Collections, Audit, Cyber Security, Documentation, Role-Based Refresher courses, Trade Finance, Treasury, Risk Management, Finance & Accounts, Leadership/ Behavioural Trainings & Mandatory Trainings. The Bank also conducted blended training programmes, that is, virtual training and e-learning, for subjects such as Prevention of Sexual Harassment (POSH), Vigilance Awareness, Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML), Digital Banking, Cyber Security, Finacle etc. As per Government of India (GoI) directives, the Bank also conducted programmes with respect to Customer Service, Women Officers, Rajbhasha, Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) and Cyber Security. The Bank also started hybrid training programmes (physical classroom training along with virtual training).

Eight Independent Directors of your Bank were nominated for five programmes, viz. Workshop on Understanding impact of Indian Accounting Standards (Ind AS) on Credit Risk Assessment and International Financial Reporting Standards (IFRS), Corporate Governance for Commercial Banks, Corporate Governance for the Directors on the Boards of Banks, Virtual Learning Programme on Governance & Assurance for the Directors on the Boards of Banks & Financial Institutions, Programme in IT and Cyber Security,

organised by CRISIL, College of Agricultural Banking (CAB), Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT), Centre For Advanced Financial Research & Learning (CAFRAL) etc.

Your Bank nominated 1,075 officers for 114 external training programmes conducted by other reputed institutes in order to provide requisite exposure in their respective areas of work. Training on Priority Sector Lending, Credit Management, Risk Management, Trade Finance, Treasury, Forex, Export Finance, Digital Banking, Corporate Governance & Compliance, Audit, Forensic Audit, HR Programme on Reservation Policy, Data Analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning, Fraud Management & Analytics, Cyber Security, Cyber Forensics, Train The Trainer etc., were imparted through reputed institutions like National Institute of Bank Management (NIBM), College of Agricultural Banking (CAB), Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI), Indian Institute of Banking & Finance (IIBF), Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI), Indian Banks' Association (IBA), Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT), CRISIL, National Academy of Human Resource Development (NAHRD), Centre for Advanced Financial Research & Learning (CAFRAL), Intertek (I) Pvt. Ltd., Dexlab Solutions Pvt. Ltd., ALMUS Risk Consulting LLP, Asian College of Teachers, etc.

As part of the continuous learning culture, the Bank has been promoting e-learning through its Learning Management System, viz. OJAS, to provide additional channels of learning to its employees in a cost-effective manner. OJAS has more than 300 e-learning modules encompassing topics on banking, behavioural skills as well as functional modules in Hindi. The Bank has linked completion of all mandatory e-learning certifications with Annual Appraisal by assigning five marks in its performance management system, viz. i-Pace, for officers upto Grade F (Chief General Manager). In all, 13,706 officers have completed e-learning certifications during the FY 2021-22. The JNIBF has also incorporated compliance modules for officers from Grades A to F for creating compliance awareness and strong culture in the Bank.

In addition to customised training programmes and various standalone training programmes, the JNIBF conducted first online international programme on Marketing and Selling Skills for banks of Nepal. The JNIBF and ZTCs conducted 29 external programmes with 763 participants for reputed organisations. These programmes have created a strong image of the JNIBF in India and South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) countries as nominations were received from varied organisations, viz. State Bank of India (SBI), HDFC Bank Ltd., Punjab & Sind Bank, Union Bank of India, City Union Bank Ltd., Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Exim Bank, Mashreq Bank, Bank of China, Chaitanya Godavari Grameena Bank, CSB Bank Ltd., Andhra Pragathi Grameena Bank, Railtel, Lokmangal Co-Op Bank Ltd., Nichino India Pvt. Ltd., ESAF Small Finance Bank and many others.

Your Bank has undertaken collaborative learning initiatives by entering into Memoranda of Understanding (MoUs) with reputed institutes. The JNIBF signed Memoranda of Understanding (MoUs) with Administrative Staff College of India (ASCI) and Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM)/ Hyderabad Business School (GHBS) to conduct various joint training and faculty exchange programs.

Scholarship for wards of employees

During FY 2021-22, your Bank disbursed Dr. B. R. Ambedkar Scholarship to the children of Class III & IV employees from the Scheduled Castes (SCs) / Scheduled Tribes (STs) category.

Posting and Placement of officers

Your Bank has a robust transfer mechanism for facilitating the organisational and statutory requirements while keeping in view employees' interest as well. The movement of officers is intended to provide wider exposure in functional aspects of the business & support areas as also locational exposure to them. The placements are done in order to develop competencies and skills of officers through exposure to wider and diverse operational areas. This would also be facilitated through the capacity building framework which envisages optimising skills of individuals through specific intervention by way of knowledge upgradation and enhancing existing skill sets. Further, movement of officers including officers holding sensitive positions is generally as per the Officers' Placement & Transfer Policy (OPTP).

Industrial Relations

The industrial relations climate in your Bank has generally been cordial, during the year, with most of the issues having been resolved amicably. The Bank has been holding meetings with the Associations and Unions in its endeavour to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of officers/ employees. The Associations and Unions have also been responsive and proactive while addressing various issues.

i-PACE - New Performance Management System

Your Bank introduced a redesigned Performance Management System from FY 2019-20, christened as i-PACE (IDBI Bank-Performance Assessment and Continuous Evaluation), with a view to making it more specific,

measurable, achievable, relevant & time-bound. i-PACE includes standardised Key Result Areas (KRAs) for similar roles with uniform weightage and direct system/ dashboard linkages for most of the measurable Key Result Areas (KRAs). The Bank has since been appraising its officers under i-PACE's comparative ranking system, which is aimed to align officers' performance with organisational targets and to foster performance-oriented culture at all levels with focus, direction and common understanding on the Bank's strategic business objectives. All officers are also provided with access to the i-PACE module on handheld devices.

Reservation Policy

Your Bank is compliant with the extant guidelines of the Government of India (GoI) on reservation in services as applicable to the Public Sector Banks (PSBs). As on March 31, 2022, the representation of Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs)/ Economically Weaker Sections (EWSs) in the Bank's total manpower was as follows:

CLASS	Scheduled Castes (SCs)	Scheduled Tribes (STs)	Other Backward Classes (OBCs)	Economically Weaker Sections (EWSs)
Officers	2,170	960	4,000	90
Executives	140	82	387	89
Clerical	62	24	44	0
Subordinate	128	39	107	0
Total	**2,500**	**1,105**	**4,538**	**179**

Your Bank maintains Reservation Registers/ Reservation Roster Registers with a view to ensuring proper implementation of the Reservation guidelines. The Bank also maintains a separate reservation roster for Persons with Disabilities (PWDs) employees as per the Government of India (GoI) guidelines.

Your Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs) in the rank of General Manager and Deputy General Manager, respectively for Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs)/ Economically Weaker Sections (EWSs) and Persons with Disabilities (PWDs). The Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs) ensure compliance with various guidelines pertaining to reserved category employees and effective redressal of their grievances. Your Bank also maintains a complaint register for recording grievances received from Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs)/ Persons with Disabilities (PWDs) and Economically Weaker Sections (EWSs) employees and suitable steps are taken to redress these grievances.

Your Bank conducts periodical meetings (quarterly) with the representatives of Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs) Welfare Associations to discuss issues relating to Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs) employees.

New HR Initiatives

Your Bank introduced a benevolent scheme for its employees in May 2021 to provide financial assistance to the bereaved family members of the employees of the Bank who die in harness through the collective contributions from all the employees. Demise of employees due to COVID-19 prior to the introduction of the scheme also was covered under the scheme.

With an objective to ensure that the Persons with Disabilities (PWDs) employed in the Bank enjoy equality of opportunities and are not discriminated against for any reasons relating to their disability, your Bank has introduced '*Equal Opportunity Policy – Employees*' for employees with benchmarked disabilities in compliance with the Section 21 of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. It is the endeavour of your Bank to maintain conducive and harmonious work environment by creating equal opportunity at workplace and recognising and valuing diversity & inclusion. Your Bank strives to provide equal opportunities to all its employees and all qualified applicants for employment without regard to their race, caste, religion, colour, ancestry, marital status, sex, age, nationality, disability etc.

Your Bank has introduced Group Medical Insurance Policy (GMIP) for reimbursement to the employees towards hospitalisation facility which was earlier covered under its Medical Scheme. The policy commenced on April 01, 2022 and will be applicable to workmen employees (Class III and IV), officers in Grade A having completed more than five years of service, Officers in Grade B & above and Whole Time Directors (WTDs). It is a two-layered insurance, viz. base sum insured limit (Grade-wise individual sum insured limit) and separate overall corporate buffer limit for claims exceeding the sum assured limits, subject to examination and approval by a Committee.

Owing to the global pandemic, where companies and institutions made changes in their working style to adapt to the situation, your Bank initiated the process of Background Screening through an external vendor (selected through Request for Proposal (RFP) mode) which would result in reduction of Turn-Around Time (TAT) of the verification processes for newly recruited employees.

Succession Planning Policy (SPP)

Your Bank has put in place a policy for succession planning at the senior positions of Executive Director, Chief General Manager and General Manager. The policy provides a holistic framework for creating leadership pipeline for these senior positions to ensure business continuity when identified critical positions are vacated.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim of providing quick assistance and the much desired immediate support to the aggrieved women on account of occurrence of an untoward incident, a SMS/ e-mail based grievance mechanism has been put in place by the Bank to enable them to lodge complaints of sexual harassment faced by them at the Bank's workplace, directly to the members of internal committees.

Disclosures under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

With the objective of creating a safe and friendly work environment and ensuring prevention of sexual harassment at workplace, the Bank, in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has set up two Internal Complaints Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. During FY 2021-22, the Bank received 8 (eight) complaints, while 3 (three) complaints of prior period were pending for conclusion. These complaints were attended by the respective Internal Complaints Committees and as on March 31, 2022, 1 (one) complaint was pending for conclusion.

Scheme for Extending Legal & Financial Support to Employees

With an objective to safeguard the interests of employees against whom motivated false complaints are made by outsiders/ Government agencies/ private parties on matters arising out of bonafide execution of the Bank's work, your Bank has put in place a Scheme for Extending Financial & Legal Assistance to its Directors/ officers/ employees.

Group Life Insurance Scheme (GLIS)

Your Bank provides life insurance protection to all employees of the Bank under Group Life Insurance Scheme (GLIS). As per the scheme, the annual premium amount is shared equally by the Bank and the employees.

Directors' and Officers' Liability Insurance Policy (D & O Policy)

Your Bank has put in place a Directors' and Officers' Liability Insurance Policy (D & O Policy) with an aim to provide financial protection to its Directors/ officers/ employees against the consequences of actual or alleged wrongful act which may arise from the decisions and actions taken within the scope of bonafide execution of duty.

Recruitment and Staffing

As on March 31, 2022, your Bank had total staff strength of 17,430. The breakup of employees is as follows:

Class	Total
Officers*	15,477
Executives	1,018
Clerical	437
Subordinate	498
Total	**17,430**

*Note: * - The Officers count includes MD & CEO, DMD (2), Contract employees (Head Data Analytics, Chief Technology Officer, Executive Director & Head IT, Head DB & EPD, Deputy CTO (Digital), Chief Data Officer, Head Programme Management & IT(Compliance), Principal Legal Counsel, Consultant Physician, Chief Customer Service Officer, Bank Medical Officer(3)).*

During the year, your Bank recruited 1,412 individuals in various ranks as given below:

Grade	Total
Officer Grade A	627
Officer Grade B	24
Officer Grade C	12
Officer Grade D	2
Officer Grade E	3
Officer Grade F	2
Officer Grade ED	1
Clerical	17
Subordinate	6
Executives	718
Total	**1,412**

Note: Data includes contractual employees.

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

The COVID-19 pandemic impacted all sections of the society including the banking sector. Recognising the importance of immunisation in lowering the risk of contracting and spreading the virus, your Bank organised vaccination camps for its employees and their family members at its Head Office and its office in Belapur, Navi Mumbai as well as in other locations, in line with the GoI guidelines for vaccination at work places. This helped the Bank's employees and their family members get vaccinated in a convenient manner in a safe environment, thus reducing the risk of exposure to the COVID-19 virus. The Bank's premises are sanitised and fumigated from time-to-time for safety of its employees as well as other stakeholders visiting these premises.

The Bank has set up Zonal Offices (ZOs) in Bhopal & Patna, which commenced operations from June 01, 2021. The Bhopal Zonal Office, along with four Regional Offices, will be overseeing your Bank's business across its 103 branches in the state of Madhya Pradesh and the Patna Zonal Office with five Regional Offices, will be overseeing your Bank's business

across its 123 branches in the states of Bihar & Jharkhand.

A new 1,500 Kilovolt-Ampere (kVA) transformer was installed in the basement of the Bank's Head Office. The structural repair and rehabilitation of the Bank's office building at Belapur was undertaken and completed during the year. The old LT panels along with switchgears were replaced at the Belapur Office building.

Your Bank replaced conventional light fixtures with Energy Efficient light fixtures, lamps and tube lights at various offices/ branches in order to conserve power.

During the year, the Bank completed relocation and renovation of several branches/ offices/ residential premises across various locations.

INTERNAL AUDIT

Your Bank has a dedicated Internal Audit Department, which evaluates the adherence to internal policies, procedures and regulatory guidelines as also provides objective assurance on the effectiveness of internal controls, risk management and governance processes within the Bank and suggests improvements for the same. The Audit function has adopted the Risk-Based Audit approach and audits activities undertaken by various business and support verticals, Zonal Offices (ZOs), Regional Offices (ROs), branches and non-branch segments of the Bank. The Audit Department functions under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB).

The Audit function is governed by (i) Risk-Based Internal Audit Policy; (ii) Concurrent Audit Policy; and (iii) Information Systems (IS) Audit Policy. As part of the Risk-Based Internal Audit Policy, the Audit Department conducts various audits, viz. branch audits, credit audit, Information Systems audit, Concurrent Audit, etc. A Zonal Audit Office (ZAO) structure has been created in order to ensure focussed attention on branch audits and for effective follow-up. The audit process is undertaken through a web-based application, the Audit Management System, which can be accessed by the respective officers of auditee units on a real-time basis for monitoring of compliances. The Audit Department also manages the functions of (i) Fraud Monitoring Group; (ii) Staff Accountability examination; (iii) Long Form Audit Report (LFAR); and (iv) Internal Financial Controls over Financial Report (IFCO-FR).

The Audit function, staffed with suitably qualified and skilled personnel, proactively recommends improvements in operational processes and service quality to mitigate operational risks, wherever deemed fit and provides timely feedback to the Management for corrective actions.

Long Form Audit Report (LFAR)

The Audit Department has been compiling and sharing information submitted by the Bank's branches with the Statutory Central Auditors (SCAs) for finalisation of the Long Form Audit Report (LFAR). An online system has been developed for input of information/ data by the branches and generation of consolidated reports for use by the SCAs. The Audit Department undertakes the follow-up with the concerned departments/ verticals to ensure timely compliance for the observations made in LFAR.

Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCO-FR)

The Audit Department also co-ordinates and supervises the identification and testing of the Risk Control Matrix by an external consultant appointed for the purpose to verify (i) adequacy of internal financial control systems; and (ii) the operating effectiveness of such controls as well as to ensure timely and effective closure of all open issues. An on-going exercise is undertaken to sensitise the concerned business functions to ensure that adequate measures are taken for the controls in an effort to close all the open issues.

Information Systems (IS) Audit

The Bank's Information Systems (IS) Audit function encompasses audits of its Application Systems, IT Infrastructure, External Vendors, Policy & Process Reviews, Concurrent Audit of Data Centre and Branch Audits. Based on the RBI's guidelines on '*Independent Assurance of the Audit function*' and with a view to providing assurance to the management and regulators, quality assurance review of the Internal Audit including IS Audit functions is being carried out by the Bank. The review process shall validate approach and practices adopted by the Bank to assess effectiveness and efficiency of the Internal Audit function. Emphasis has been laid on covering cyber security aspects in the IS audit scope in view of the rising instances of cyber incidents.

Annual review of Information System Audit (ISA) Policy was carried out to ensure continued relevance of IS Audit function. The overall compliance to IS Audit observations has significantly improved owing to close monitoring of pending observations and conduct of regular meetings involving the Bank's Senior Management officials.

Offsite Monitoring System

Offsite Monitoring System (OMS) is a useful tool in alerting the branches as well as the Controlling Offices regarding deviations from the existing policies/ procedures in day-to-day operations for immediate rectification/ compliance. As a part of on-going improvement in monitoring, new rules were added relating to loan accounts and transactions in the accounts of the Bank's staff members. The Bank undertook quality assurance review by an external vendor to assess the effectiveness and efficiency of the OMS.

Concurrent Audit

The Concurrent Audit (CA) system is a part of the Bank's Early-Warning System to detect irregularities/ lapses, which helps in checking violations of the internal and regulatory guidelines in controlling risks and in preventing fraudulent transactions. The CA system is essentially a control process which is integral to the establishment of sound internal accounting systems and effective controls. As per the relevant RBI guidelines, the CA is carried out in the branches/ other non-branch units like Treasury, the Central Processing Unit (CPU), and the Retail Asset Centres (RACs) identified based on risk perception and volume of business handled. Further, identified functional divisions at the Bank's Corporate Office and all Trade Finance Centres are also subjected to the CA. As per the Board-approved CA Policy of the Bank, the CA is required to cover 70% of its deposits and 70% of its advances. Accordingly, for FY 2021-22, the Bank covered around 897 auditee units under Concurrent Audit by engaging the services of empanelled external firms of Chartered Accountants. The Concurrent Auditors' performance is closely monitored by the Zonal Audit Offices (ZAOs) and the Bank's Head Office on a continuous basis for qualitative reports and timely submission.

Credit Audits

Your Bank has a system of credit audit for detailed review of selected accounts on an annual basis. Borrower accounts for credit audit are identified from the new proposals sanctioned during the review period on the basis of defined criteria, i.e. (i) all fresh proposals (within three to six months from the date of disbursement) and proposals for renewal/ renewal-cum-enhancement of limits, with sanction limits equal to or above a cut-off depending upon the size of activity; (ii) randomly selected (5%) proposals from the rest of the portfolio; (iii) Below Investment Grade (if migrated from Investment Grade during a financial year); and (iv) takeover cases with sanction limits equal to or above the cut-off, depending upon the size of the activity.

Investigative Audits or Special Investigative Audits (IAs/ SIAs)

During FY 2021-22, various Investigative Audits/ Special Investigative Audits (IAs/ SIAs) were carried out by the Bank's Audit Department at various branches/ Retail Asset Centres (RACs) based on various triggers. Significant observations emerging out of these SIAs, advisories issued and corrective steps taken thereon are being reported to the Audit Committee of Executives (ACE) and also now being presented to an Executive Director (ED)-level Committee and the Audit Committee of Board (ACB) periodically. Investigations carried out by the Audit Department play a vital role in bringing about systemic improvements, improvements in policies, product guidelines, processes and procedures, helping in strengthening the controls and drawing attention to better overall monitoring of the branches. An early trigger provided by IAs/ SIAs have helped the Zones to initiate timely recovery/ legal actions and to arrest slippage of accounts into NPAs.

Lapses/ gaps emerging out of SIAs/ IAs are shared with branches as well as with the controlling units in order to avoid reoccurrence of such lapses with a focus on strengthening the compliance culture not only at the branch level but also at the supervisory level.

Fraud Monitoring

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) within the Internal Audit Department. The Group reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent reoccurrence of frauds and also issues necessary advisories/ circulars from time-to-time aimed towards strengthening of internal control and putting in place need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management (FRM) Policy is in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds.

The FMG reviews the FRM policy on regular basis for facilitating timely reporting of frauds. The approval matrix for Unauthorised Electronic Banking Transaction (UEBT) fraud has been changed from existing approval authority at the General Manager-level to Deputy General Manager (Operations) so as to speedily provide shadow credit in the applicable cases. The Committee for Fraud Monitoring & Review (CFMR) has been made the approving authority for closure of fraud involving an amount of ₹ 1 lakh & below (mainly Technological Frauds) instead of the Audit Committee of Board (ACB) so as to expedite closure of fraud cases which have shown substantial increase over past three years. This measure is expected to reduce the number of outstanding fraud cases.

The Bank has issued various internal circulars on prompt reporting of frauds and timelines for reporting of fraud incidents have been issued reiterating the importance of the timely reporting of frauds to the RBI.

The Bank has automated declaration of fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above through implementation of Fraud Approval Management System (FAMS).

FRAUD RISK MANAGEMENT

Your Bank has a Fraud Risk Management Group (FRMG) which focuses on implementation of an Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) for monitoring

of suspicious transactions across various systems & applications by deploying fraud detection rules in the EFRMS system. During the year, the EFRMS system was extended to also cover Credit Card and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) transactions. The implementation of Adaptive Authenticated on Premise (AAOP) Solution for Corporate Net Banking including transactions of Co-operative Sub-member Bank clients using this online channel was also completed during the year. The 24x7 basis risk-based suspicious transaction monitoring activity was extended to all major digital channels transactions covering Debit Cards, Credit Cards, Mobile Banking, Internet Banking, Unified Payments Interface (UPI) and AEPS.

VIGILANCE MECHANISM

Your Bank has a full-fledged Vigilance Department (VgD), headed by a Chief Vigilance Officer (CVO), at its Head Office in Mumbai. Your Bank also has vigilance teams set-up at its Zonal Offices (ZOs) in order to achieve better control and ensure close monitoring of vigilance activities at the zonal level.

The CVO performs vigilance functions with a wide scope/ coverage, including collecting intelligence about corrupt practices committed or likely to be committed by the employees of the Bank. The CVO performs/ oversees all functions relating to vigilance matters in the Bank including (i) processing of vigilance cases, investigating or initiating investigations into complaints with vigilance overtones & verifiable allegations; (ii) processing of investigation reports for further consideration of the Disciplinary Authority; (iii) referring the matters, wherever necessary, to the Central Vigilance Commission (CVC) for their consideration/ advice; (iv) taking steps to prevent commission of malpractices/ misconducts; and (v) co-ordination & liaising with various law enforcement agencies, among other activities.

Your Bank's Intranet has a dedicated webpage of the Vigilance Department, which provides an overview of its functions, format of Standard Notice of the CVC stipulated to be displayed at the Bank's branches/ offices, important circulars/ guidelines issued from time-to-time by the CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of the CVC, as also by your Bank and Do's & Don'ts of Preventive Vigilance. The efforts made by the Vigilance Department have helped in enhancing the level of vigilance awareness among your Bank's officers.

The vigilance function comprises both '*Preventive Vigilance*' and '*Punitive Vigilance*' elements. Preventive Vigilance is a continuous process, which strives to review the existing guidelines, to ensure that set systems & procedures are being followed, to reduce use of discretion, and to ensure sensitisation of/ to create awareness among the employees as well as the stakeholders of the Bank on vigilance matters.

Some of the preventive vigilance measures adopted by your Bank include undertaking of Offsite Monitoring/ Surprise Vigilance Visits (SVVs) and inspections on suo moto basis (on receiving source information of any suspected wrong-doing by staff/ outside elements) of various branches to detect malpractices, if any, and gauge adherence of laid down systems and procedures. Apart from this, the Vigilance Department also undertakes scrutiny of One-Time Settlement (OTS)/ First Time Non-Performing Assets (FTNPAs) cases, the Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank, the Audit Reports of the Bank, etc.

As a part of its efforts to combat corruption and also enhance public awareness about vigilance matters in line with the directives of the CVC, your Bank observed Vigilance Awareness Week (VAW) 2021 from October 26, 2021 to November 1, 2021 with the theme as 'स्वतंत्र भारत *@75* सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता *(Independent India @75: Self Reliance with integrity)'*. On the occasion, your Bank released a special e-journal for the benefit of all its employees. The Bank also conducted various competitions like online quiz, essay writing, cartoon and caricature, coin-a-caption, memory games, crossword competition, etc. for all its employees and their children on a pan-India basis. Further, Shri P. Daniel, Secretary, CVC, addressed the top management of your Bank during the VAW 2021.

Your Bank's employees took the e-pledge and bulk SMSes with a link for taking integrity pledge were sent to the Bank's customers to support the fight against corruption. Seminars and workshops were organised at various locations for the benefit of your Bank's field functionaries. For the awareness among general public/ citizens, the VAW 2021 banners/ posters were displayed at prominent locations at your Bank's ZOs, Regional Offices (ROs), branches and also at places with public interface. Gram Sabhas were also organised at various locations.

In accordance with the directives of the CVC, information regarding VAW 2021 was disseminated through your Bank's website as well as its profile/ handle on social media platforms like Facebook, Twitter etc.

REGULATORY COMPLIANCE

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the Government of India (GoI), the Reserve Bank of India (RBI), the Securities & Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered review. The Compliance Department operates out of the Bank's Head Office and is headed by a senior official in the rank of an Executive Director designated as Chief Compliance Officer (CCO), who co-ordinates, disseminates and internalise all the statutory and regulatory guidelines. Your Bank has put in place an extensive Board-approved Compliance Policy as per the RBI guidelines and reviews it annually. The role and responsibility with regard to the compliance function is clearly defined for every tier in your Bank. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/ guidelines received from the RBI and other regulators/ agencies. Your Bank has strengthened its internal compliance culture at a granular level by implementing advanced technology application called *'Cermo+'.* Your Bank has also automated the compliance reporting system to the RBI, which enables timely submission of compliance and ensures proper data management.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly to requests for information pertaining to various functional areas. In addition, all branch heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the Right to Information (RTI) Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbibank.in). Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI online portal, whereby citizens can seek information and raise appeals under the RTI Act through the portal (https://rtionline.gov.in).

PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the year under review, your Bank continued to make concerted efforts to increase usage of the official language - Hindi - and implementing the various provisions of the Official Languages Act and rules framed by the Government of India (GoI). Your Bank's offices and branches strived to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by the Official Language Department, Ministry of Home Affairs, GoI. Your Bank endeavours to provide in-depth information about its products and schemes in Hindi on its website. Some of your Bank's mobile applications, viz. Abhay, PayApt and M-Passbook, have the language option for Hindi. Your Bank organised various campaigns relating to Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) and Digital Banking in Hindi and other regional languages. Various posters, banners and other publicity material were displayed in Hindi as well as in regional languages for the benefit of the customers. The Bank used Hindi and regional languages for advertising campaigns for the Social Security Schemes, viz. Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana, etc.

Your Bank has uploaded template letters, forms, dictionaries, notings and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet in order to promote usage of Hindi. Besides implementing various incentive schemes, several competitions were organised to encourage the Bank's employees to use Hindi in their day-to-day official work. In order to encourage the usage of Hindi in various offices/ branches of your Bank, Hindi workshops were organised across all the regions of the Bank to familiarise staff members with various requirements with respect to implementation of the Official Languages Act and use of Hindi Unicode. Keeping in view the protocol mandates of COVID-19 pandemic, your Bank organised most of the Rajbhasha programmes, meetings, workshops, inspections etc. through online mode.

Your Bank's endeavour to promote use of Hindi in the day-to-day official work received due recognition at various forums and was also conferred with awards during the year. The Bank's in-house Hindi Magazine '*Vikas Prabha*', which is published on a quarterly basis, was conferred with the Best In-house Magazine citation from a renowned literary and cultural organisation, viz. Ashirvad. Your Bank's employees participated in various Hindi competitions organised by different Town Official Language Committees (TOLICs) and won many awards/ prizes for their performances.

CUSTOMER SERVICE AND COMPLAINTS MANAGEMENT

Your Bank, in adherence to the spirit of its vision of being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach focussing on delighting customers with excellent service.

The Customer Care Centre (CCC) of your Bank is ISO 9001:2015 certified and reflects its commitment to timely resolution of complaints while upholding quality

customer experience. In order to be responsive to changing customer needs and preferences, your Bank periodically reviews its policies to ensure that they are in sync with the latest developments as also to empower the customers to resolve their grievances as per a defined system. Complaints received from all channels are handled in consonance with these policies which also include a time-based inbuilt escalation matrix with an internal alert mechanism wherein if the complaint is not resolved within the pre-defined Turn-Around Time (TAT), the same is escalated to the next level of authority towards a better complaint resolution management. Your Bank has designated Grievance Redressal Officers (GROs) at each of its 14 Zonal Offices and a Principal Nodal Officer (PNO) at the Head Office. Further, in line with the Internal Ombudsman Scheme 2018, the complaints, which the Bank proposes to reject/ provide partial resolution, are referred to the Internal Ombudsman (IO) of the Bank prior to responding to the customer. Your Bank has in place a Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS) which facilitates recording, monitoring and timely resolution of complaints received. The complaints received from various customer touch-points and regulators are recorded in the system and a communication is sent to the customer through an SMS acknowledging the complaint along with a link to track the same. The customer also has the flexibility of tracking the status of the registered complaint through the Bank's website/ nearest branch/ Contact Centre. Your Bank has established two senior level customer service committees, i.e. Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), both of which are convened on a quarterly basis. These Committees are entrusted with the task of assessment of quality of customer service rendered by the various touch points of the Bank. The Committees also evaluate complaints & feedback received from customers as well as provide necessary directions to increase efficiency of resolution and also changes in process for service improvement.

Your Bank has two dedicated Customer Contact Centres, located at CBD Belapur, Navi Mumbai and Hyderabad, to address customer queries on a 24x7 basis and swiftly redress customer grievances received from multiple channels. Respecting and acknowledging diversity of the Bank's customers and striving to personalise their interactions, apart from Hindi and English, the Customer Contact Centre offers services in 10 regional languages.

Your Bank conducts a depositor satisfaction survey on an annual basis and findings are evaluated and the insights derived are incorporated to improve products/ processes/ systems. Your Bank also conducts mystery shopping activities across branches in order to evaluate quality of customer service rendered to its customers. Meetings of the Branch Level Customer Service committee (BLCSC) are conducted every month in order to encourage a structured communication between the customers and the branch, thereby enhancing the service levels at branch.

Your Bank has taken various initiatives in the area of customer service in the last financial year. To enhance customer experience, the Customer Care Department added several new services on the Bank's phone banking Interactive Voice Response (IVR) system wherein customer is able to perform account & debit card related activities like blocking of UPI services/ blocking of debit card details, request for details of last five transactions through SMS/ Email etc. In addition, your Bank has been leveraging various digital platforms with a view to increasing automation in improving process efficiencies while reducing costs.

CORPORATE COMMUNICATIONS

During FY 2021-22, the objective of your Bank's advertising efforts were focused on maintaining its positive, stable image and enhancing top-of-the-mind recall value of its products and services as well as to emphasise on ease of banking with it. The thrust of your Bank's advertising efforts was on positioning it as a predominantly retail-focussed bank. During the year, your Bank's advertising and publicity initiatives focussed on campaigns highlighting the flagship retail products like home loan, auto loan and their distinguishing features as well as on its digital banking offerings. Your Bank's campaigns were carried out via cost-effective mediums like Transient OOH (Out-of-Home) display, digital platforms, radio, etc. During the year, a series of short format videos on the Bank's flagship retail products were released.

As in the advertising arena, several initiatives were undertaken by your Bank in the Public Relations (PR) domain also. The overlying accent of the PR initiatives of the Bank was aimed at maintaining positive tonality of news and enhancing its profile in the media, while simultaneously striving to reinforce stakeholder perception. Your Bank found numerous positive mentions of its initiatives in print, electronic and digital media.

The Bank communicated through its official brand pages/ handles on Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube and continued to undertake engagement activities in innovative ways, including the use of social media influencers and Instagram Reels (short videos) for propagating the brand and products of the Bank on various social media platforms.

During the year, your Bank undertook a revamping exercise of its corporate website (www.idbibank.in) and launched a refreshed website design with clutter-free navigation built on an upgraded html5 platform. Reflecting positive perception

about your Bank, your Bank was conferred with the '*Trusted Brand Award*' in the '*Private Banks category*' in the Reader's Digest Trusted Brand, 2021.

INTERNAL COMMUNICATIONS

Your Bank's internal communication agenda was focused on enabling effective exchange of important ideas including, but not limited to, developments in the field of banking. It ensured permeation across various departments and branches of the Bank to foster a sense of belonging amongst the employees and cultivate a healthy relationship of trust, to work towards a collective goal. Various initiatives were undertaken to motivate and engage with the employees. These, *inter alia*, included engagement activities like quiz contests, hosting of messages from the Top Management on the home page of the Bank's intranet and e-mailers to employees on special occasions, viz. Foundation Day/ New Year/ Diwali etc. Other initiatives included monthly circulation of your Bank's digital newsletter '*Abhyudaya*' which apprised employees about various developments in the Bank as also carried messages/ mailers from the Top Management to the employees. Your Bank also published its quarterly in-house journal '*Shree Vayam*' in a digital avatar, allowing existing as well as retired employees and their family members to share their experiences and thoughts on diverse topics.

INFORMATION TECHNOLOGY

In FY 2021-22, your Bank continued to fine-tune its technological challenges which were encountered in the wake of the global COVID-19 pandemic crisis as also continued its steady and onward march on the path of digitalisation, technological innovation, upgrade and augmentation of software/ hardware. During the year under consideration, your Bank anticipated and mitigated the pandemic-led disruptions to regular banking by swiftly mobilising state-of-the-art technology platform for its employees to enable them to perform their duties seamlessly from the safety of their homes. Your Bank's timely initiatives like expeditious allocation of Personal Computers (PCs) to its employees, making official e-mail available on-the-go to the employees, providing video conferencing equipment software/ hardware to efficiently conduct meetings and providing them with Virtual Private Network (VPN) based access to its systems with adequate security controls ensured that its customers had an uninterrupted access to all essential banking services and functionalities. Your Bank ensured continuity in IT-related procurement by switching over and adapting to e-tendering based bidding procedures.

Your Bank, in the year gone by, progressed towards enhancing capabilities of Video-KYC Account Opening (VAO) process to open increasingly growing number of accounts seamlessly on the digital platform and implemented Digital Rights Management (DRM) solution for protection of data shared with vendors who provide various services. Your Bank has further strengthened its IT infrastructure with newer technologies that include Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) which is in advanced stage of implementation and further implementing new age security technologies (Security Orchestration, Automation & Response (SOAR), Network Behaviour Anomaly Detection (NBAD), Packet Capture (PCAP), User & Entity Behaviour Analytics (UEBA) & Threat Intelligence Platform (TIP)) for building a Next-Generation Security Operations Centre (SOC) at both the Data Centre (DC) & Disaster Recovery (DR) sites.

Your Bank is in the process of procuring an enterprise solution for IT Operations Management. The Bank initiated a process of implementation of Integrated Collection & Recovery Module and upgrade of hardware and storage capacities. Your Bank has implemented many more nascent technology-based solutions/ enhancements such as implementation of Voice One-Time Password (OTP) and software token-based authentication as an alternate to SMS-based OTP which has enhanced transactional ease for customers while helping the Bank to expedite delivery of SMSes to the customers. Your Bank has implemented Application Performance Monitoring solution for proactive monitoring of business critical applications like Mobile Banking, Internet Banking, etc. Your Bank has implemented state-of-the-art Application Programming Interface Management (APIM) solution for seamless integration with FinTechs as well as StartUps and with other systems on need basis with minimal effort and increase its go-to-market capabilities. Your Bank is in various stages of digitising and/ or automating various systems used for serving the customer and back-office operations, with the objective of achieving straight-through-processing in as many areas as possible.

On the data refinement and enrichment front, your Bank successfully implemented Automated Data Flow (ADF) application and is continuously refining the process of the Reserve Bank of India (RBI) return generation by removing manual intervention. The RBI has launched a Centralised Information Management System (CIMS) for creating a single repository by collating banks' data through system-to-system approach for regulatory submissions. Your Bank has converted ADF output into eXtensible Business Reporting Language (XBRL) format for applicable returns released by the RBI. Your Bank has started its journey towards being a data-driven decision making organisation, backed by a strong & state-of-the art Enterprise Data Warehouse (EDW) setup. As part of the EDW, your Bank has made around 700 reports and dashboards available to various departments across the Bank. The Bank has also released Customer Relationship Management (CRM) module

along with Customer 360 degree view for field functionaries, which can be accessed on both desktop and mobile for accessing customer information on the go.

Your Bank, in the Advanced Analytics ecosystem, has been using cutting-edge tools & technologies, devising & implementing Statistical Predictive Models & Machine Learning Algorithms for providing quantifiable & actionable inputs. It is utilising diverse sources of data for Comprehensive Analysis, Customer Profiling, Predictive Modelling, Forecasting, Trend Analysis, Marketing Analysis & Risk Analytics and recommending business solutions to address complex business problems & issues. Using Data Analytics and Machine Learning, your Bank has been offering solutions like Next Best Offer and Location Intelligence as also equipping its sales force with customer insights for driving targeted sales. Your Bank has undertaken an analytics-based assessment of credit risk and business potential. Your Bank has built a Portfolio Quality Index (PQI) which is aiding in taking corrective action on a real time basis in a focussed manner. Your Bank has successfully launched various customised campaigns based on the analytics driven input. Data analytics capabilities is being leveraged by the Bank in diverse areas such as business development, Non-Performing Asset (NPA) prediction, loan recovery and churn reduction as also in various process re-engineering.

CENTRALISED OPERATIONS

Your Bank has a Centralised Operations vertical which comprises various departments like the Central Processing Unit (CPU), Regional Processing Units (RPUs), Retail Asset Operations (RAO), Domestic Payment & Remittance Services (DPRS), Cash Management Services (CMS) & Government Business Group (GBG) operations, capital market operations, Anti-Money Laundering (AML) Cell, internet and mobile banking operations, card issuance & management section and Goods & Services Tax (GST) operations.

The centralisation of various activities helps your Bank in reducing the Turn-Around Time (TAT) for processing customer requests and also in rationalising its operating cost. It expedites the process to provide uninterrupted support services to various business units of the Bank and electronic record-keeping of all actions, thereby reducing the scope of errors and frauds. This centralised system also improves efficiency and ensures proper tracking of responsibility and accountability across various functions.

Your Bank has set up a Central Processing Unit (CPU), which undertakes different operational activities like Tax Deducted at Source (TDS) on interest on term deposits, cash withdrawal & TDS under the Liberalised Remittance Scheme (LRS), the Deposit Education & Awareness Fund (DEA Fund), credit card operations, production & delivery of debit cards/ prepaid cards/ Personal Identification Number (PIN) mailers/ cheque books/ welcome kits/ account statements and other deliverables to the customers. The CPU also handles the Bank's internet and mobile banking operation centrally.

Your Bank has six Regional Processing Units (RPUs) at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Pune and Ahmedabad. These RPUs look after the activities such as opening and maintenance of savings bank account, current account and fixed deposit accounts.

Your Bank has a Retail Asset Operations (RAO) Department under CPU which handles the back-end operations for Structured Retail Asset (SRA) loan accounts and its variants. This team handles all post-disbursement activities including scrutiny of files for proper documentation, safe keeping of physical files, compliance to sanction parameters and all other activities relating to maintenance of accounts. Your Bank has also automated many of the existing processes in the RAO to achieve faster and error-free execution of activities in order to safeguard the interests of your Bank and its customers.

Your Bank facilitates payment and collection of paper-based payment instruments and processing of fund transfer through various electronic payment systems. There are three Centralised Clearing Grid Centres for handling clearing activities through the Cheque Truncation System (CTS) at Chennai, Delhi and Mumbai. A centralised Electronic Transaction Processing Centre (ETPC) functions from Mumbai to handle operational activities of all electronic payment and remittance services. In order to ensure seamless operations during emergency situation at any of the grid centres or ETPC, a cost-effective Business Continuity Plan (BCP) has been put in place.

Your Bank has a dedicated cell which deals with the Goods & Services Tax (GST) accounting for Domestic Payment and Remittance Services. This helps in co-ordination with other banks for reconciling the inter-bank GST Invoices so that the Bank's profitability is increased by availing input Tax Credit (ITC) to the maximum extent possible.

Your Bank has a centralised Depository Account Operations section which handles activities such as Demat account opening, Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Syndicate ASBA (SASBA) and Loan Against Securities (LAS), etc. The Bank has shown an annualised growth of 116% in opening of Demat Accounts with the introduction of two more modules for opening Depository Accounts, namely Duranto and e-KYC mode. All branches of IDBI Bank are now enabled for Depository Participant (DP) services. Subscription to Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is now available through the Bank's mobile application, viz. GO Mobile+.

BRANCH OPERATIONS SUPPORT AND POLICY

Your Bank is at the forefront in disseminating knowledge to its staff for their day-to-day operations by equipping them with latest information on banking operations, services etc. This ensures that your Bank is able to provide service to all stakeholders with updated knowledge on products, operations and services.

Your Bank is in compliance with Clean Note Policy of the RBI and has deployed Note Sorting/ Note Authentication Machines in its branches. During the year under review, the Bank opened one Currency Chest (CC) at Vijayawada. With this, the Bank has 25 CCs across the country. These CCs process cash from all linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and through branches.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The objective of your Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) activities is to make material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of the society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. Your Bank seeks to achieve this through direct interventions as well as acting as a catalyst for development and creating a partnership with the beneficiaries. Your Bank has put in place a Board-approved CSR Policy with effect from April 01, 2014 in compliance with Section 135 and Schedule VII of Companies Act, 2013. The said CSR Policy was revised during FY 2021-22 to comply with the amendments in Section 135 of Companies Act in 2021.

As per the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, the average net profit of preceding three years worked out to a loss (for CSR purpose). Hence, there was no requirement for your Bank to incur any spends under CSR during the year under review. However, as a proactive and socially responsible entity, your Bank has spent ₹ 0.18 crore towards select CSR interventions.

जी डी आप्टे एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार,
डी-509, नीलकंठ बिजनेस पार्क,
नथानी रोड, विद्याविहार पश्चिम,
मुंबई - 400 086
महाराष्ट्र

वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
यूनिट नं. 101, ऑप्शन प्राइमो,
प्लॉट नं. X-21, एमआईडीसी रोड नं. 21,
अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 093
महाराष्ट्र

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमन, 2015 के अध्याय IV के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण,

1. हम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (जिसे इसमें आगे "बैंक" कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है, के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक हैं. हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 में और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (i) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्दिष्टानुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. सूचीबद्धता विनियम में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.
4. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समुचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक के बहीखातों तथा अन्य संबधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.
5. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो कि इस प्रमाणन के उद्देश्य के लिए लागू हैं तथा रिपोर्टों पर मार्गदर्शी नोट अथवा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जो जिसके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें, के अनुसार संबंधित अभिलेखों की जांच की है.
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, लेखा परीक्षा करने वाली फार्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना की समीक्षा और अन्य आश्वासन व सम्बद्ध सेवा वचनबद्धताओं के लिए लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

अभिमत

7. संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हमारी राय है कि बैंक ने सूचीबद्धता विनियम के विनियम 17 से 27 में और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (i) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्दिष्टानुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और सूचीकरण विनियमों की अनुसूची v के पैरा सी और डी में विनिर्दिष्ट किया गया है.
8. यह रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन है.

प्रयोग पर प्रतिबंध

9. यह रिपोर्ट बैंक के सदस्यों को कॉरपोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनियमन के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराई गई है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है. तदनुसार हम बिना किसी लिखित पूर्वसहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को यह दिखायी जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तव्य का दायित्व स्वीकार अथवा मान्य नहीं करते हैं. इस रिपोर्ट की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस रिपोर्ट को अद्यतित करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है.

कृते जी डी आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पं. सं. 100515 डब्ल्यू
सौरभ पेशवे
साझेदार
सदस्यता . सं. 121546
यूडीआईएन:22121546AIGNQD3957
स्थान : पुणे

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
फर्म पं. सं. 004532 एस
पी आर प्रसन्न वर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 25854
यूडीआईएन:22025854AIGNMD2263
दिनांक : 22 जून 2022

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 [एलओडीआर विनियम] में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

i. ***विचारार्थ विषय***

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- बैंक की निधियों का निवेश करना;
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट अनुमोदित करना.
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा–परीक्षकों और सचिवीय लेखा–परीक्षकों को नियुक्त करना;
- राजनीतिक योगदान करना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (व्यापार निवेशों के अलावा) का क्रय–विक्रय जिसमें निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक चुकता शेयर पूंजी और निर्बंध प्रारक्षित निधियां शामिल हैं;
- यथास्थिति तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करना;

- गैर अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;
- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और संपूर्ण बोर्ड के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन, कार्य–निष्पादन के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य–निष्पादन की निगरानी, और प्रमुख पूंजी व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- बैंक के अभिशासन वाले कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का चयन, मुआवजा, निगरानी और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना का निरीक्षण करना;
- बैंक और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ–साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्य और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- स्वतंत्र लेखा–परीक्षा सहित बैंक की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और यह देखना कि नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थित है तथा यह देखना कि कानून और प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक और शेयरधारकों के लिए जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार समूह के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और बैंक के अंशधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- बैंक के कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहां निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर–कार्यपालक सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे कि अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोज़र और बैंक के ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करने के लिए पीछे हटने की क्षमता.

- निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रणाली को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के एक सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समिति के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना; और
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं द्वारा समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. 31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल की संरचना (शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल/ विशेषज्ञता सहित)

निदेशक का नाम	कार्यपालक/ गैर–कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर–स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
अध्यक्ष				
श्री एम.आर. कुमार	गैर–कार्यपालक	गैर–स्वतंत्र	बी. एससी.	एचआर, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी				
श्री राकेश शर्मा	कार्यपालक	गैर–स्वतंत्र	बी.कॉम, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
उप प्रबंध निदेशक				
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	कार्यपालक	गैर–स्वतंत्र	बीई (ऑनर्स), एमबीए	लेखाशास्त्र , बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, जोखिम, वित्त, सूचना प्रद्योगिकी, बिक्री एवं मार्केटिंग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सुरेश खटनहार	कार्यपालक	गैर–स्वतंत्र	एम.कॉम, सीएआईआईबी, आईसीडब्ल्यूए	लेखाशास्त्र , बैंकिंग, वित्त, जोखिम, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रबंधन , प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
नामिती निदेशक				
श्री मुकेश कुमार गुप्ता (एलआईसी)	गैर–कार्यपालक	गैर–स्वतंत्र	बी.एससी और एमबीए (एचआरएम)	मानव संसाधन, बैंकिंग, बिक्री एवं मार्केटिंग, व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम, सूचना प्रद्योगिकी, वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री अंशुमन शर्मा (भारत सरकार)	गैर–कार्यपालक	गैर–स्वतंत्र	स्नातकोत्तर	लेखाशास्त्र एवं वित्त, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, मार्केटिंग, विधि, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
स्वतंत्र निदेशक				
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	गैर–कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. एससी. (ऑनर्स), एम. एससी. (फिजिक्स), विकास परियोजनाओं के प्रबंध एवं कार्यान्वयन (एमआईडीपी) में मास्टर्स प्रोग्राम, एवं वित्तीय प्रबंध में पीजी डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, लघु उद्योग, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी	गैर–कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. कॉम एवं सीएआईआईबी	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

निदेशक का नाम	कार्यपालक/ गैर–कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर–स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
श्री समरेश परिदा	गैर–कार्यपालक	स्वतंत्र	सनदी लेखाकार, कॉस्ट अकाउंटेंट और एमबीए	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रबंधन , रणनीतिक आयोजना, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एन. जंबुनाथन	गैर–कार्यपालक	स्वतंत्र	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, आईटी , भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री दीपक सिंघल	गैर–कार्यपालक	स्वतंत्र	बीए, एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री संजय जी. कल्लापुर	गैर–कार्यपालक	स्वतंत्र	बीकॉम, एमएमएस, व्यवसाय अर्थशास्त्र में पी एचडी, एसीएमए	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्रीमती पी. वी. भारती	गैर–कार्यपालक	महिला स्वतंत्र	बी एससी, एमए (अर्थशास्त्र), बीएड, सीएआईआईबी, बैंकिग एवं वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री टी. एन. मनोहरन	गैर–कार्यपालक	स्वतंत्र	बी कॉम, एम कॉम, विधि स्नातक, आईसीएआई और आईएएफ आरएस के सदस्य, इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का सर्टिफिकेट लेवल ऑनलाइन प्रशिक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम.	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, बैंकिंग विधि, जोखिम, लघु उद्योग, वित्त, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को बोर्ड में 14 (चौदह) निदेशकों की संख्या बैंक के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत प्रदान की गई अपेक्षाओं को पूरा करती है.

बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

iii. ***निदेशकों के बीच परस्पर संबंध***

(i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं है.

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के अनुसार बैंक के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक और गैर–कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) की आयु क्रमश: सत्तर वर्ष और पचहत्तर वर्ष नहीं है.

(iii) बैंक के अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक निदेशक हैं और वह अनुच्छेद 116(1)(i) के निबंधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के एमडी एवं सीईओ से संबंधित नहीं हैं.

तथापि, 9 मई 2022 से बैंक के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक हैं.

iv. ***बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम***

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का नामिती हो और बैठक में उपस्थित निदेशकों में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक हों.

v. ***बोर्ड की बैठकों की बारंबारता***

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

vi. ***आयोजित बैठकों की संख्या :***

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान बोर्ड की कुल 16 बैठकें 15 अप्रैल 2021, 03 मई 2021, 15 मई 2021, 15 जून 2021, 29 जून 2021, 14 जुलाई 2021, 28 जुलाई 2021, 27 अगस्त 2021, 29 सितंबर 2021, 21 अक्तूबर 2021, 26 नवंबर 2021, 28 दिसंबर 2021, 21 जनवरी 2022, 24 फरवरी 2022, 29 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 को संपन्न हुई. कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय–समय पर सूचित किए अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं. आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	10 अगस्त 2021 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		गैर–कार्यपालक अध्यक्ष			
श्री एम आर कुमार (डीआईएन-03628755)	(16/12)	उपस्थित	05	शून्य	1. एलआईसीहाउसिंग फाइनेंस लि. नामिती निदेशक एवं अध्यक्ष; 2. एसीसी लि. गैर–कार्यपालक निदेशक
		पूर्णकालिक निदेशक			
श्री राकेश शर्मा (डीआईएन-06846594)	(16/16)	उपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन-02262530)	(16/16)	उपस्थित	03	01	शून्य
श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन- 03022106)	(16/15)	उपस्थित	01	शून्य	शून्य
		गैर–कार्यपालक निदेशक			
श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन– 02509203) [02.02.2022 तक]	(13/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन:06638754) [10.02.2022 से प्रभावी]	(03/03)	लागू नहीं	01	शून्य	1. आई टी सी लि. नामिती निदेशक
सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन- 07459492) [10.03.2022 तक]	(14/10)	अनुपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन-07555065)	(16/10)	अनुपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
		स्वतंत्र निदेशक			
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	10 अगस्त 2021 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री समरेश परिदा (डीआईएन - 01853823)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन - 05126421)	(16/12)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन - 08375146)	(16/16)	उपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन - 08377808)	(16/16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन 06519925)	(16/16)	उपस्थित	01	01	शून्य
श्री टी.एन. मनोहरन (डीआईएन 01186248) [24.02.2022 से प्रभावी]	(02/02)	लागू नहीं	02	02	स्वतंत्र निदेशक: 1. टेक महिंद्रा लि. 2. महिंद्रा एंड महिंद्रा लि.

बैंक के किसी भी गैर–कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित के) पास बैंक द्वारा जारी शेयर या संपरिवर्तनीय लिखत धारित नहीं है.

बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल 13 समितियां हैं, यथा

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- अंशधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति

ए. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

i. *विचारार्थ विषय*

- संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण सहायता, अर्थात् (क) पूंजी बाजार, और (ख) रियल इस्टेट;
- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक (केवाईसी / एएमएल) दिशा–निर्देश–

  i. कार्यान्वयन की समीक्षा;

  ii. शाखाओं में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल) दिशा–निर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;

- हाउसकीपिंग की समीक्षा – विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों का संतुलन और समाधान और नोस्ट्रो खातों की समीक्षा;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा–जोखिम तथा पूंजी के मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) और जोखिम न्यूनीकरण योजना (आरएमपी);
- लेखा–परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा;
- महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा निष्कर्षों/ निम्नलिखित लेखा–परीक्षाओं में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा करना- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा–परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की सूचना प्रणाली लेखा–परीक्षा (v) ट्रेज़री एवं डेरिवेटिव (vi) नियंत्रक कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय में प्रबंधन लेखा–परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा–परीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा–परीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट;
- प्रबंधन चर्चा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी पत्रों/प्रबंधन पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी रिपोर्ट;
- मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन–देनों और संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए पूर्वानुमोदन और संबद्ध पक्ष लेन–देनों में उत्तरवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, की समीक्षा,
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखा–परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा–परीक्षा नीति की समीक्षा;
- बैंक के लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा करना और वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके परिणाम की समीक्षा तथा इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियां, मानकों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन, देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखा–परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी करना और समीक्षा;
- निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इन पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन;
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;

- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाइयों की समीक्षा;
- आंतरिक/ बाह्य लेखा–परीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व हानि की रिपोर्ट और उसकी वसूली की स्थिति की समीक्षा- कमतर राजस्व के कारण और राजस्व हानियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई;
- ऑफर दस्तावेजों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के जरिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (i) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (ii) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेजों में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में बड़ी चूकों के कारणों की समीक्षा;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा;
- पहली बार हुए एनपीए (एफटीएनपीए) की समीक्षा;
- ₹1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेकों की समीक्षा;
- संगामी लेखा–परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा का आयोजन;
- वार्षिक लेखा–परीक्षा योजना का अनुमोदन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा–परीक्षा की वार्षिक समीक्षा का आयोजन;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (ii) मुख्य आंतरिक लेखा–परीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;
- सूचीबद्ध संस्था के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन देखना, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की समीक्षा;
- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा;
- बैंक द्वारा सहायक संस्था में ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति भाग के 10% मौजूदा ऋण/ अग्रिम/ निवेश सहित जो भी कम हो, के निवेश की ऋण और/ या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा,
- बैंक और इसके शेयरधारकों के विलय, विलगाव, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना.
- स्टाफ जवाबदेही जांच की समीक्षा.
- स्वत्व विलेखों और ऋण/ सुरक्षा दस्तावेजों की समुचित सावधानी कार्रवाई की वास्तविकता को सत्यापित करना.
- परोक्ष निगरानी (ओएमएस) के कार्यनिष्पादन की रिपोर्ट;
- कंपनी अधिनियम, 2013, एलओडीआर विनियमावली, आदि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए अनुपालन पर सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सेंट्रल डिपॉजटरी सर्विसेस लि. (सीडीएसएल), नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजटिरी लि. (एनएसडीएल) और समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का अनुपालन;
- खोजी लेखा परीक्षा (आईएएस)/ विशेष जांच लेखा परीक्षा (एसआईए) के निष्कर्षों की समीक्षा ;

- रेटिंग एजेंसियों के साथ चर्चा;
- प्रबंधन की उपस्थिति के बिना प्रमुख–आंतरिक लेखा परीक्षा और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के साथ चर्चा;
- जोखिम रेटिंग प्रवसन और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता की समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ***एसीबी की संरचना***

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को एसीबी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक, श्री अंशुमन शर्मा, भारत सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ***एसीबी बैठकों के लिए कोरम:***

एसीबी बैठकों के लिए कोरम में एसीबी के तीन सदस्य होंगे, इनमें से कम से कम दो–तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे. उक्त एसीबी बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. ***एसीबी बैठकों की वारंवारता***

एसीबी की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. ***एसीबी की बैठकें***

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान एसीबी की 15 बैठकें 03 मई 2021, 14 मई 2021, 15 जून 2021, 23 जून 2021, 28 जून 2021, 28 जुलाई 2020 (दो बैठकें सम्पन्न), 26 अगस्त 2021, 28 सितंबर 2021, 21 अक्तूबर 2021, 25 नवंबर 2021, 27 दिसंबर 2021, 21 जनवरी 2022, 23 फरवरी 2022 और 28 मार्च 2022 को संपन्न हुईं.

बी. कार्यपालक समिति (ईसी)

i. ***विचारार्थ विषय***

- ₹250 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी;
- कार्यपालक समिति (ईसी) द्वारा मंजूरी संबंधी बनाए गए निबंधनों और शर्तों में संशोधन;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त को रेकॉर्ड पर लेना;
- बातचीत से तय/ एकबारीय निपटान (ओटीएस) हेतु प्रस्तावों की मंजूरी;
- निम्नलिखित को ₹5 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
    - अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सहित);
    - अन्य कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और
    - कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;
- निम्नलिखित को ₹5 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी :

- बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशकों या अन्य बैंकों के निदेशकों के कोई संबंधी,
- अन्य बैंकों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी,
- कोई फर्म जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
- कोई कंपनी जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों,

- प्रतिभूतिकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की रिपोर्टिंग;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- देय और प्राप्य राशियों के निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ईसी की संरचना:

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को ईसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं अर्थात् अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ हैं, सदस्य श्री सैम्युअल जोसफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक हैं.

iii. ईसी बैठकों के लिए कोरम

ईसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा ईसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. ईसी बैठकों की बारंबारता

ईसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. ईसी की बैठकें:

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 25 बैठकें हुईं जो 12 अप्रैल 2021; 26 अप्रैल 2021; 14 मई 2021; 27 मई 2021; 14 जून 2021; 28 जून 2021; 14 जुलाई 2021; 27 जुलाई 2021; 11 अगस्त 2021; 26 अगस्त 2021; 15 सितंबर 2021; 18 सितंबर 2021; 28 सितंबर 2021; 14 अक्तूबर 2021; 28 अक्तूबर 2021; 15 नवम्बर 2021; 25 नवंबर 2021; 14 दिसंबर 2021; 27 दिसंबर 2021; 13 जनवरी 2022; 28 जनवरी 2022; 1 फरवरी 2022; 23 फरवरी 2022; 14 मार्च 2022 और 29 मार्च 2022 को संपन्न हुईं.

सी. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

हितधारक संपर्क समिति (एसआरसी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 20 के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- शेयरों के अंतरण/ हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए / डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महा सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान;
- उपर्युक्त में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए एसआरसी अपनी प्रत्येक बैठक में बैंक की इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा समीक्षा करना और उपर्युक्त अधिदेश को प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर इस संबंध में निम्नानुसार निदेश जारी;
    - इक्विटी सर्विसिंग संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा;
    - फ्लेक्सीबॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा;
    - शेयर पूँजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान की रिपोर्टिंग की समीक्षा;

- स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों के विवरणों की रिपोर्टिंग की समीक्षा;
- शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा;
- अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों को लाभांश वारंट /वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक नोटिस की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहल कार्यों की समीक्षा; और

- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एसआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को एसआरसी में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक हैं और अन्य सदस्य हैं श्री सैम्युअल जोसफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

श्रीमती ज्योति बीजू नायर, बैंक की कंपनी सचिव एलओडीआर विनियमावली के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में भी कार्य करती हैं.

iii. एसआरसी बैठक के लिए कोरम

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. एसआरसी बैठकों की बारंबारता

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. एसआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 15 मई 2021, 27 अगस्त 2021, 15 नवंबर 2021 और 11 फरवरी 2022 को संपन्न हुईं.

vi. अनुरोध/ शिकायतों की संख्या (इक्विटी एवं बांड)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त शेयरधारकों/ बांडधारकों की शिकायतों की संख्या	16,847
जिन शिकायतों का समाधान शेयरधारकों/ बांडधारकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया उनकी संख्या	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या	03

डी. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

i. विचारार्थ विषय

₹1 करोड़ तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है. इसका गठन धोखाधड़ी का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है.

एफएमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई हो, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;

- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान करना तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/ पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनर्रावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/ दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;
- सीबीआई, पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति;
- इलेक्ट्रोनिक धोखाधड़ी के मामले में बैंक द्वारा उठाए गए न्यूनीकरण संबंधी कदमों की प्रगति और धोखाधड़ी की संख्या और मूल्यों कोनियंत्रित करने में इसकी प्रभावशीलता की निगरानी करना.
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एफएमसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को एफएमसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं अर्थात अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ हैं तथा सदस्य श्री सैम्युअल जोसफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री भुवंचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी.एन. मनोहरन स्वतंत्र निदेशक हैं.

iii. एफएमसी बैठकों के लिए कोरम

एफएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. एफएमसी वैठकों की बारंबारता

₹1 करोड़ और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले के प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना और उसमें मामले की समीक्षा करना अपेक्षित होता है.

v. एफएमसी की वैठकें

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान एफएमसी की पांच बैठकें दिनांक 28 मई 2021, 27 जुलाई 2021; 29 सितंबर 2021; 28 दिसंबर 2021; और 28 मार्च 2022 को संपन्न हुईं.

ई. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने का प्रयास करने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करने और साथ ही बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है.

आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- चलनिधि जोखिम और अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम की संभावित बातचीत सहित बैंक के समक्ष आने वाले सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;

- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग और चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन;
- बोर्ड को नीतियों यथा ऋण नीति, वसूली नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, डीआईएफसी शाखा एएलएम नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देशी जोखिम सीमाएं, निवेश नीति, प्रकटन नीति, प्रतिष्ठा जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन नीति आदि की सिफारिश करना;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा;
- जोखिम प्रबंधन विभाग, मॉडेल सत्यापन आंतरिक रेटिंग के माइग्रेशन और चूक विश्लेषण के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा;
- प्रणाली, उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त की समीक्षा;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति की समीक्षा;
- ऋण एक्सपोजर पर मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय में कार्य करना;
- विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - सूचीबद्धता संस्था द्वारा वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्र संबंधी धारणीयता (विशेष रूप से ईएसजी संबंधी जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिमों अथवा समिति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य जोखिम सहित सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए रूपरेखा.
  - पहचान किए गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय; और
  - व्यवसाय निरंतरता योजना.
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ मौजूद हैं.
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना.
- जोखिम प्रबंधन नीति की आवधिक आधार पर दो वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना, जिसमें बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है;
- निदेशक मंडल को उसकी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषयवस्तु के बारे में सूचित करना;
- मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों यदि कोई हो, की समीक्षा करना;
- समकक्ष बैंक समीक्षा करना;
- आईसीएएपी की मध्यावधि समीक्षा करना;
- प्रतिपक्ष बैंक एक्सपोजर सीमाओं और देशी जोखिम एक्सपोजर सीमाओं की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- आंतरिक और बाह्य रेटिंग के बीच विचलन का विश्लेषण करना;
- बैंक की दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) शाखा के जोखिम प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा;

- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति और ऋण जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ***आरएमसी की संरचना***

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को आरएमसी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से छह सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सैम्युअल जोसफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी.एन. मनोहरन स्वतंत्र निदेशक हैं.

iii. ***आरएमसी बैठकों के लिए कोरम***

आरएमसी बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/ योग्यता होनी चाहिए. आरएमसी की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड या किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. ***आरएमसी बैठकों की बारंबारता***

आरएमसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. ***आरएमसी की बैठकें***

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान आरएमसी की चार बैठकें दिनांक 14 जून 2021; 15 सितंबर 2021; 14 दिसंबर 2021 औए 14 मार्च 2022 को संपन्न हुईं.

एफ. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

i. ***विचारार्थ विषय***

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तैयार करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये गए क्षेत्रों और विषयों के अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर की निगरानी करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ***सीएसआरसी की संरचना***

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को सीएसआरसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं डीएमडी, श्री सैम्युअल जोसफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ***सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम***

सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. ***सीएसआरसी बैठकों की बारंबारता***

सीएसआरसी की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. ***सीएसआरसी की बैठकें***

समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) सीएसआरसी की तीन बैठकें दिनांक 15 मई 2021 और 26 नवंबर 2021 और 28 मार्च 2022 को संपन्न हुईं.

जी. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

i. ***विचारार्थ विषय***

बैंक ने ग्राहक संरक्षण तथा सेवाओं के लिए अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया है.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान देना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान;
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण के संचालन की जांच करना;
- ग्राहक सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा आयोजित करना;
- भारत के विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा समाधान की जा चुकी शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों पर ध्यान देना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की कारणों सहित सभी अवार्डों की समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- शिकायत निवारण नीति की समीक्षा;
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों की जांच करना.
- आंतरिक लोकपाल के कार्यकलापों की समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ***सीएससी की संरचना***

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को सीएससी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशक.

iii. ***सीएससी बैठकों के लिए कोरम***

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. ***सीएससी बैठकों की बारंबारता***

सीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. ***सीएससी की बैठकें***

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान सीएससी की चार बैठकें दिनांक 29 जून 2021, 29 सितंबर 2021, 28 दिसंबर 2021 और 28 मार्च 2022 को संपन्न हुई.

एच. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना तथा नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना है. समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना;
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;
- यह पुष्टि करना कि व्यवसाय रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ सुसंगत है;
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक ढांचा व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है;
- यह विनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाएं और प्रथाएं स्थापित की हैं जो सुनिश्चित करेंगी कि बैंक में स्थापित आईटी प्रणाली बैंकिंग व्यवसाय को सुदृड़ता प्रदान कर रहें हैं;
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिम और लाभों के मध्य संतुलन स्थापित किए हुए है और बजट स्वीकार्य है;
- रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय दिशा प्रदान करना;
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के सतत उन्नति के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन है;
- आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना;
- आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के कार्य–निष्पादन का आकलन करना;
- उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन जारी करना (उदाहरण के लिए जोखिम, वित्त पोषण, या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित);
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी या व्यावसायिक ढांचे को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक लाभ प्राप्त किया जा सके;
- बैंक–स्तर पर आईटी के कुल वित्त पोषण की निगरानी करना, और यह सुनिश्चित करना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं; तथा
- आईटी निष्पादन मूल्यांकन और कारोबार में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात् वचनानुसार लाभ की उपलब्धता)

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा;

- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी आधारित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य क्रियाविधि के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- सिस्टम और प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन की देखरेख करना.
- प्रौद्योगिकी के जरिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास का निरीक्षण करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा;
- आईटी नीति की समीक्षा;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन;
- साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आईटीएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को आईटीएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आईटीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों.

iv. आईटीएससी बैठकों की बारंबारता

आईटीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाती है और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होता है.

v. आईटीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान, आईटीएससी की चार बैठकें 28 मई 2021; 11 अगस्त 2021; 15 नवंबर 2021 और 11 फरवरी 2022 को आयोजित की गईं.

आई. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

i. विचारार्थ विषय

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों की नियुक्ति तथा मूल्यांकन से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

- बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा निष्पादन की रीति को निर्दिष्ट करना और उनके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना;
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करना और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करना. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, एनआरसी निम्नलिखित तरीके अपना सकता है:
  - यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना;
  - विविधता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में भूमिका निभाने वाले उम्मीदवारों पर विचार करना; तथा
  - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करना.
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा, *'उपयुक्त और उचित'* मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्र (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने की योग्यता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया पर कार्य करना तथा उससे संबंधित मानदंड को तैयार करना;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक/ क्षतिपूर्ति नीति बनाना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिकों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की सिफारिश करना, आदि;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन प्राप्त करने के संबंध में जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कार्य; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एनआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को एनआरसी में सात सदस्य शामिल थे. सभी सदस्य गैर–कार्यपालक निदेशक हैं, जिसमें पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, अर्थात् श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक तथा श्री टी एन मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एनआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा जिनमें से एनआरसी की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और एक आरएमसी का सदस्य होगा. एनआरसी के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे जो बोर्ड की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. एनआरसी बैठकों की बारंबारता

वर्ष में कम से कम एक बार एनआरसी की बैठक आयोजित की जाएगी.

v. एनआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान समिति की नौ बैठकें 15 अप्रैल 2021; 14 मई 2021; 28 जून 2021; 27 जुलाई 2021; 26 अगस्त 2021; 29 सितंबर 2021; 14 दिसंबर 2021; 24 फरवरी 2022 और 29 मार्च 2022 को की गईं.

vi. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य–निष्पादन मूल्यांकन मानदंड

स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन एक तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है जिसमें बोर्ड में उपस्थिति, बैठक के दौरान भागीदारी, निदेशकों के योगदान का स्तर, ज्ञान की गुणवत्ता और विषय की समझ, पारदर्शिता का स्तर आदि कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंड शामिल हैं. इसकी प्रश्नावली पहले ही निदेशकों को विचार करने और मूल्यांकन के बारे में अपनी राय बनाने के लिए परिचालित कर दी जाती है. स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन जिस निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें छोड़कर पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है. मूल्यांकन में उपर्युक्त मानदंडों पर निदेशकों का कार्य–निष्पादन और स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करना शामिल है. इसके अलावा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है.

जे. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

i. विचारार्थ विषय

मानव संसाधन संबंधी मामलों को देखने और मानव संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु एचआरएससी का गठन किया गया है.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती, प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य–निष्पादन प्रबंधन, क्षतिपूर्ति और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा;
- प्रबंधन विकास और उत्तराधिकार नियोजन पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना;
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नति आदि सहित विभिन्न एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एचआरएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को एचआरएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एचआरएससी समिति की बैठकों के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम एचआरएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक–तिहाई अथवा एचआरएससी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी.

v. एचआरएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान एचआरएससी की नौ बैठकें 14 मई 2021; 28 जून 2021; 14 जुलाई 2021; 27 जुलाई 2021; 26 अगस्त 2021; 28 सितंबर 2021; 25 नवंबर 2021; 27 दिसंबर 2021 और 23 फरवरी 2022 को आयोजित की गईं.

के. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

i. विचारार्थ विषय

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए आरआरसी का गठन किया गया है.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- एफटीएनपीए और एनपीए की समीक्षा;
- बैंक की शीर्ष 100 अनर्जक आस्तियों एवं टीडब्ल्यूओ की समीक्षा;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा;
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के संबंध में स्थिति रिपोर्ट;
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के तहत मामलों की समीक्षा;
- आधिकारिक परिसमापक (ओएल) के पास पड़ी राशि की समीक्षा;
- विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए) की समीक्षा;
- प्रथम बारीय एनपीए (एफटीएनपीए)/ इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा;
- सुलह के माध्यम से किए गए निपटान पर रिपोर्ट करने के लिए; तथा
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आरआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को आरआरसी में छह सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री अंशुमन शर्मा, सरकार के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरआरसी बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक–तिहाई अथवा आरआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. आरआरसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. आरआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान आरआरसी की चार बैठकें; 14 जून 2021; 15 सितंबर 2021; 14 दिसंबर 2021 और 14 मार्च 2022 को आयोजित की गईं.

एल. असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- ऋणकर्ता को असहयोगी ऋणकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी ऋणकर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एनसीबीआरसी की संरचना

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया था. 31 मार्च 2022 को एनसीबीआरसी में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ तथा सदस्यों के रूप में श्री दीपक सिंघल और श्री संजय जी. कल्लापुर स्वतंत्र निदेशकगण शामिल थे.

iii. एनसीबीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगा.

iv. एनसीबीआरसी बैठकों की बारंबारता

एनसीबीआरसी को छमाही आधार पर बैठक आयोजित कर असहयोगी उधारकर्ताओं के स्थिति की समीक्षा करना आवश्यक है.

v. एनसीबीआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान एनसीबीआरसी की दो बैठकें 29 सितंबर 2021 और 24 फरवरी 2022 को आयोजित की गईं.

एम. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ऋणकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय–समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. डब्ल्यूडीआरसी की संरचना

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया. 31 मार्च 2022 को इस समिति में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष के रूप में और श्री समरेश परिदा और श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

iii. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगा.

iv. डब्ल्यूडीआरसी बैठकों की बारंबारता

बैंक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को *'इरादतन चूककर्ता'* के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी के लिए बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक है.

v. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान डब्ल्यूडीआरसी की सात बैठकें 29 जून 2021, 14 जुलाई 2021; 27 अगस्त 2021; 16 सितंबर 2021; 28 सितंबर 2021; 15 नवंबर 2021 और 24 फरवरी 2022 को आयोजित की गईं.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण तालिका 2 में दिए गए हैं.

एन. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक (आईडीएम)

i. *विचारार्थ विषय*

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार और भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिव मानक–1 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक की व्यापक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- गैर–स्वतंत्र निदेशकों की और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर–कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- बैंक के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य–निष्पादन के लिए आवश्यक है; और
- जहां कहीं भी लागू हों सेबी विनियमों के तहत अनुपालन करना.

ii. *आईडीएम की संरचना*

31 मार्च 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में आठ सदस्य अर्थात् श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचंद्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती और श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे. स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं.

iii. *आईडीएम के लिए कोरम*

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक आईडीसी की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.

iv. *आईडीएम की बैठकों की बारंबारता*

स्वतंत्र निदेशकों बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होंगी.

v. *आईडीएम की बैठकें*

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान, को स्वतंत्र निदेशकों की पांच बैठकें 27 अप्रैल 2021; 28 मई 2021; 27 अगस्त 2021; 26 नवंबर 2021; 23 फरवरी 2022 और 05 मार्च 2022 (स्थगित बैठक) आयोजित की गईं.

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

क्र. सं .	निदेशकों के नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीसी		एन आरसी		एच आरसी		आर आरसी		एनसी बीआरसी		डबल्यू डीआरसी	
		आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ
1.	श्री एम. आर. कुमार (डीआईएन:03628755)																										
2.	श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594)			25	25			05	05	04	04	03	03	04	04	04	04			09	09	04	04	02	02	07	07
3.	सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन:02262530)	09	08	25	25	04	04	05	05	04	04	03	03	04	04	04	04			09	09	04	04				
4.	श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन:03022106)			25	24	04	03	05	05	04	04	03	03	04	04	04	04			09	08	04	04				
5.	श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन- 02509203) [02.02.2022 तक]	13	13															07	07	08	08						

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीसी		एन आरसी		एच आरसी		आर आरसी		एनसी वीआरसी		डबल्यू डीआरसी	
		आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ
6.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन:06638754) [10.02.2022 से प्रभावी]	02	02															02	02	01	01						
7.	सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन:07459492) [10.03.2022 तक]	05	02											03	00			06	04	09	06	03	03				
8.	श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन:07555065)	01	00							02	00					04	03	09	08			04	02				
9.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन:00603925)	15	15					05	05					04	04	04	04	09	09	09	09						
10.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन:06713850)			25	25			01	01	03	03			01	01			09	09					02	02	07	07
11.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन:01853823)	15	15									03	03			04	04					04	04			07	07
12.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन:05126421)			25	20	04	03									04	03	09	07								
13.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन:08375146)			25	25			04	04									03	03	09	09			02	02		
14.	श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन:08377808)	15	15			04	04			04	04			03	03												
15.	श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएन:06519925)	15	15					04	04	04	04	03	03									04	04				
16.	श्री टी. एन. मनोहरन (डीआईएन:01186248) [24.02.2022 से]							01	01	01	01							01	01								

(आ = आयोजित /उ =उपस्थित)

31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स और ऐसे कौशल रखने वाले निदेशकों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं:

	लेखा शास्त्र	कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	बैंकिंग	सहकारिता	अर्थशास्त्र	वित्त	विधि	लघु उद्योग	मानव संसाधन	जोखिम	सूचना प्रौद्योगिकी	भुगतान और निपटान	व्यवसाय प्रबंधन	प्रशासन	कॉर्पोरेट अभिशासन
श्री एम. आर. कुमार									√					√	√
श्री राकेश शर्मा	√	√	√		√			√	√				√	√	√
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	√		√			√			√	√	√		√	√	√
श्री सुरेश खटनहार	√	√	√			√		√		√	√		√	√	√
श्री अंशुमन शर्मा	√		√		√	√	√							√	√
श्री मुकेश कुमार गुप्ता			√			√			√	√	√		√	√	√
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी		√				√		√		√				√	√
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी		√	√					√						√	√
श्री समरेश परिदा	√	√				√					√		√	√	√
श्री एन. जंबुनाथन		√	√					√			√	√		√	√
श्री दीपक सिंघल		√	√						√				√	√	√
श्री संजय जी. कल्लापुर	√				√	√				√				√	√
श्रीमती पी. वी. भारती		√	√		√			√		√				√	√
श्री टी. मनोहरन	√		√		√	√	√	√	√	√			√	√	√

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(क) और धारा 92(3) के अनुसरण में यथा 31 मार्च 2021 की बैंक की वार्षिक विवरणी तैयार होते ही बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp पर रखी जाती है.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकों श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचन्द्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती और श्री टी. एन. मनोहरन ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2022 को यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में और विनियम 16 के उप–विनियम (1) के खंड (बी), एलओडीआर विनियम के उप–विनियम 17(10) तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को ह्रासित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं. वार्षिक प्रकटीकरण के साथ निदेशकों ने यह भी पुष्टि की है कि स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक में पंजीकरण एवं उसके नवीकरण और ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण/ छूट दिये जाने के संबंध में उन्होंने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2019 के पांचवें संशोधन के नियम 6 के उप नियम 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया है. उक्त को निदेशक मंडल द्वारा 2 मई 2022 को नोट किया गया था और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इसी पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. इसके अलावा, बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सभी प्रयोज्य विधियों तथा बैंक की नीतियों के अधीन अपेक्षित आवश्यक निष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता और प्रवीणता रखते हैं.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में बैंक की नीति https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.

कंपनी का लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण पर बैंक की नीति https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों यथा एसएस–1 (बोर्ड बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस–2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) को अंगीकृत किया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और सामान्य बैठकों का आयोजन इन मानकों के अनुसार तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

बैंक का अपना आंतरिक लेखा–परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा–परीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री सुनीत सरकार, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को मुख्य लेखा–परीक्षा अधिकारी नामित किया गया है. जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा नीति भी अपनाई है.

दिवाला एवं शोधन अक्षमता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर प्रकटीकरण

ये बैंकिंग कंपनियों के लिए प्रावधान लागू नहीं है.

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 33(3)(डी) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण और अपनी रिपोर्ट लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक विशिष्टता, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसे विशिष्टता, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो.

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12)के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बैंक में की गई धोखाधड़ी की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों के विवरण

उप–धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश के ब्योरे वित्तीय विवरणों को अनुसूची 8 में प्रकट किए गए हैं.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी–2 में रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–ए** के रूप में संलग्न किए गए हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर रिपोर्ट

बैंक की सीएसआर नीति की रूपरेखा https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp. लिंक के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.

बैंक द्वारा पूरे किए गए सीएसआर कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध–बी** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के समय–समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतित किया जाता है. बोर्ड की समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के जोखिम मामले एवं उक्त से संबंधित पहलुओं की नियमित रूप से व्यापक समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के साथ–साथ बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक 23 फरवरी 2022 को संपन्न अपनी बैठक एवं दिनांक 05 मार्च 2022 स्थगित बैठक में बोर्ड की बैठकों के अध्यक्ष सहित सभी गैर–स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने दिनांक 24 फरवरी 2022 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, स्वयं के कार्य–निष्पादन का तथा साथ ही बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. सभी वैयक्तिक निदेशकों का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में (क) बैठकों में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा और (ख) कंपनी अधिनियम 2013 और एलओडीआर विनियमावली में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना तथा उनकी प्रबंधन से स्वतंत्रता के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है. बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए जा रहे ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में खाली मूल्यांकन शीटें ईमेल के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे पहले से ही अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के अध्यक्ष और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एमडी एवं सीईओ ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात् क्रमश: स्वतंत्र निदेशकगण और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए. बोर्ड के अध्यक्ष को एमडी और सीईओ के मूल्यांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

निदेशक का नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री पवन अग्रवाल	कंपनी सचिव	सेवा समाप्ति	15.04.2021
श्रीमती ज्योति बिजू नायर	कंपनी सचिव	नियुक्ति	16.04.2021
श्री अजय शर्मा	सीएफओ	सेवा समाप्ति	31.05.2021
श्री पी. सीताराम	सीएफओ	नियुक्ति	01.06.2021
श्री राजेश कंडवाल	एलआईसी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	02.02.2022
श्री मुकेश कुमार गुप्ता	एलआईसी नामिती निदेशक	नियुक्ति	10.02.2022
श्री टी. एन. मनोहरन	स्वतंत्र श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक	नियुक्ति	24.02.2022
सुश्री मीरा स्वरूप	सरकारी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	10.03.2022
श्री अंशुमन शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	11.04.2022
श्री मनोज सहाय	सरकारी नामिती निदेशक	नियुक्ति	28.04.2022
श्री सुशील कुमार सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	नियुक्ति	28.04.2022
श्री एम. आर. कुमार	गैर–कार्यकारी गैर–पूर्णकालिक अध्यक्ष	सेवा समाप्ति (आरबीआई द्वारा अनुमोदित तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति)	08.05.2022
श्री टी. एन. मनोहरन	स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक अध्यक्ष	नियुक्ति (आरबीआई के अनुमोदन के अनुसार तीन वर्ष के लिए नियुक्त)	09.05.2022
श्री राज कुमार	एलआईसी नामिती निदेशक	नियुक्ति	19.05.2022

निदेशकों के पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/ लेनदेन नहीं रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक (वार्षिक)

विवरण	श्री राकेश शर्मा (एमडी एवं सीईओ)	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीएमडी)	श्री सुरेश खटनहार (डीएमडी)
			राशि ₹ में
वेतन	79,03,576	49,90,217	49,90,217
परिलब्धियां *	24,06,000	12,06,000	12,06,000
भविष्य निधि	7,90,358	4,99,022	4,99,022
ग्रेच्युटी	3,29,316	2,07,926	2,07,926
परिवर्ती वेतन ^	148,58,024	75,93,480	75,93,480
ईएसओपी/ ईएसओएस $	-	-	-

**परिलब्धियों में मुफ्त सुसज्जित घर और उसके रखरखाव और क्लब सदस्यता का प्रावधान शामिल है;*

^ परिवर्तनीय वेतन में दो घटक होते हैं अर्थात्; ईएसओपी के बदले नकद घटक और नकद घटक. नकद घटक, जो कुल परिवर्तनीय वेतन का 1/3 है, में 50% का अग्रिम भाग है और शेष राशि को 3 वर्षों की अवधि के लिए आस्थगित कर दिया गया है (12.5%, 12.5% और 25% क्रमशः अनुदान की तारीख से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद देय है). ईएसओपी के बदले नकद घटक, जो कुल परिवर्तनीय वेतन का 2/3 है, का कोई अग्रिम घटक नहीं है और इसे 4 वर्षों की अवधि के लिए आस्थगित किया गया है (15%, 20%, 30% और 35% क्रमशः अनुदान की तारीख से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के बाद देय है).

$ वित्त वर्ष 2021-22 में कोई ईएसओपी नहीं दिया गया .

नोटः चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डब्ल्यूटीडी के पारिश्रमिक के लिए आरबीआई की मंजूरी 18 मई 2022 को प्राप्त हुई थी, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डब्ल्यूटीडी को भुगतान किया गया वेतन वही था जो आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित था. कुल भुगतान में अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा.

कार्यकाल	**श्री राकेश शर्मा** - 07 मार्च 2019 को आरबीआई से अनुमोदन प्राप्ति के बाद श्री राकेश शर्मा को 19 मार्च 2019 से एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया था. वर्तमान कार्यकाल के समापन पर, श्री राकेश शर्मा को बाद में तीन साल की अवधि के लिए 19 मार्च 2022 को एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है जिसे आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 15 फरवरी 2022 द्वारा अनुमोदित किया है. 5 मई 2022 को पोस्टल बैलेट द्वारा शेयरधारक की मंजूरी प्राप्त की गई थी. **श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज** - बोर्ड द्वारा 19 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी बैठक में 4 सितंबर 2019 के आरबीआई के पत्र में निर्दिष्ट पारिश्रमिक तथा नियमों और शर्तों पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज ने 20 सितंबर 2019 को कार्यभार ग्रहण किया. 17 अगस्त 2020 को संपन्न 16वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी. **श्री सुरेश खटनहार** - बोर्ड द्वारा 15 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी बैठक में 9 जनवरी 2020 के आरबीआई के पत्र में निर्दिष्ट पारिश्रमिक तथा नियमों और शर्तों पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सुरेश खटनहार ने 15 जनवरी 2020 को कार्यभार ग्रहण किया. 17 अगस्त 2020 को संपन्न 16वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी.

गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदंड:

सरकार के नामिती निदेशकों को छोड़कर सभी गैर–कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹80,000/- और सभी बोर्ड समिति बैठकों के लिए ₹50,000/– प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को उपर्युक्त पारिश्रमिक और गैर–कार्यपालक निदेशकों को बैठक फीस के अलावा बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर–कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

गैर–कार्यपालक निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री एम. आर. कुमार, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष (एलआईसी को भुगतान किया जा रहा है)	7,80,000
श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक (02.02.2022 तक)	15,80,000
श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी नामिती निदेशक (10.02.2022 से प्रभावी)	4,90,000
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक	27,60,000
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक	28,50,000
श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक	23,00,000
श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक	22,20,000
श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक	27,05,000
श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक,	20,60,000
श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक	21,85,000
श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक (24.02.2022 से प्रभावी)	3,10,000

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाता है. बैंक ने प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, उप प्रबंध निदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए लागू वेतनमान को जारी रखा है. गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने वाली परिच्छेद अनुसार बोर्ड के अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन बैंक के कार्यनिष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर है. बैंक ने कोई अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) जारी नहीं किया है, अत: बैंक के शेयरों के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है.

आरबीआई के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुसार, परिवर्तनीय वेतन बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी), मुख्य जोखिम ग्रहीता और नियंत्रणकर्ता कर्मचारियों पर लागू होगा. डब्ल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक वैसा ही है जैसा कि वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमडी एवं सीईओ और डीएमडी हेतु पारिश्रमिक वाले पैराग्राफ में उल्लिखित है. क्षतिपूर्ति के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक क्षतिपूर्ति नीति अर्थात नियत वेतन एवं परिलब्धियां, परिवर्तनीय वेतन (नकद और शेयरों से जुड़े), सेवानिवृत्ति/ सेवानिवृत्ति लाभ (पीएफ, पेंशन/ एनपीएस और ग्रेच्युटी) आदि को बैंक के मुख्य जोखिम ग्रहीता, नियंत्रणकर्ता कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. आरबीआई के दिशा–निर्देशों में परिवर्तनीय वेतन को आस्थगित करना अनिवार्य है, जिसे बैंक की मुआवजा नीति में शामिल किया गया है. सभी पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए परिवर्तनीय वेतन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निष्पादन मूल्यांकन के पूरा होने के बाद मुआवजा नीति के अनुसार किया जाएगा.

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) की शर्तों में अन्य विवरण नीचे दिये गए हैं:

<table>
<tr><td>बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या;</td><td>17,430 (इनमें से 1,034 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर थे और अन्य सभी कर्मचारी नियमित थे)</td></tr>
<tr><td>कंपनी के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात;</td><td><table><tr><th>कार्यपालक निदेशक का नाम</th><th>सभी कर्मचारियों की माध्यिका में पारिश्रमिक का अनुपात</th></tr><tr><td>श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ</td><td>5.25</td></tr><tr><td>श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी</td><td>3.91</td></tr><tr><td>श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी</td><td>4.02</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत, यदि कोई हो;</td><td><table><tr><th>पदनाम</th><th>प्रतिशत वृद्धि</th></tr><tr><td>एमडी एवं सीईओ</td><td>159.89*
(वित्त वर्ष 2020-21 के लिए परिवर्तनीय वेतन का हिस्सा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त हुआ था)</td></tr><tr><td>डीएमडी</td><td>114.79*
(वित्त वर्ष 2020-21 के लिए परिवर्तनीय वेतन का हिस्सा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त हुआ था)</td></tr><tr><td>सीएफओ</td><td>10.38</td></tr><tr><td>सीएस</td><td>9.55</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत;</td><td>40.30#</td></tr>
<tr><td>पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से हुई औसत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए हुई असाधारण परिस्थितियों यदि कोई हों का उल्लेख;</td><td>वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक के गैर–प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 25% की वृद्धि हुई और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 85% की वृद्धि हुई.</td></tr>
<tr><td>अभिवचन कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है.</td><td>हाँ</td></tr>
</table>

**- एमडी और सीईओ और डीएमडी के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि अधिक है क्योंकि उनके लिए विचार किए गए पारिश्रमिक में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए परिवर्तनीय वेतन भी शामिल है जो उन्हें वर्ष के दौरान आरबीआई की मंजूरी की प्राप्ति पर भुगतान किया गया था.*

#- वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि अधिक है क्योंकि कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 1 नवंबर 2017 से संशोधित के कार्यान्वयन की तारीख तक की अवधि के लिए वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण वर्ष के दौरान भुगतान की गई बकाया राशियां शामिल हैं.

महासभा की बैठकें

अ. बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं का आयोजन निम्नानुसार हुआ है:–

<table>
<tr><th colspan="3">आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="3">पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय</td><td>1)</td><td>20 अगस्त 2019 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 15वीं वार्षिक महासभा).</td></tr>
<tr><td>2)</td><td>17 अगस्त 2020 को दोपहर 3:30 बजे विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 16वीं वार्षिक महासभा).</td></tr>
<tr><td>3)</td><td>10 अगस्त 2021 को अपराह्न 3.30 बजे विशेष रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 17वीं वार्षिक महासभा).</td></tr>
</table>

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण	
पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	➢ **15वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 20 अगस्त 2019 को संपन्न 15वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹11,000/- करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) श्री ज्ञान पी जोशी (डीआईएन:00603925) को 28 अगस्त 2019 से चार वर्षों की दूसरी पारी के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. ➢ **16वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 17 अगस्त 2020 को संपन्न 16वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹11,000/- करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. ➢ **17वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 10 अगस्त 2021 को संपन्न 17वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹7,500/- करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) ₹45,396.18 करोड़ की संचित हानियों को सेट ऑफ करने के लिए 01 अप्रैल, 2021 को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा ₹50,719.75 करोड़ की शेष राशि का उपयोग करने; (iii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने; (iv) श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन: 06713850) को 09 अक्टूबर 2021 से प्रभावी चार वर्षों की दूसरी पारी के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का ब्योरा	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया.
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	लागू नहीं
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	हाँ. बैंक ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से संकल्प पारित किए हैं. पोस्टल बैलेट के लिए मतदान की अवधि 5 मई 2022 को समाप्त हुई. नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को मतदान के विवरण का खुलासा किया गया है.
डाक मतदान की प्रक्रिया	चूंकि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई डाक मतदान संचालित नहीं किया गया था इसलिए यह मद लागू नहीं.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशक–मंडल की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणाम प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है और यह विज्ञापन शेयर बाजार को सूचित किए जाते हैं. उपर्युक्त जानकारी अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp पर भी उपलब्ध कराई गई है.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

आम शेयरधारकों के लिए सूचना		
i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	शुक्रवार 22 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विशेष रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनियमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई–वोटिंग अवधि.	ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 18 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 9.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) से प्रारंभ होगी और गुरुवार, 21 जुलाई 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) समाप्त होगी.
iv.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	16 जुलाई 2021 से 22 जुलाई 2022 तक (दोनों दिनों सहित)
v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	1. **बीएसई लि. (बीएसई)** पता: 25वीं मंजिल,फ़िरोज जीजीभॉय टॉवर्स,दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई–400001. 2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.(एनएसई)** पता: एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई–400051. घरेलू बाजार में जारी किए गए बॉंडों में निजी तौर पर नियोजित बांड शामिल थे जो बीएसई/ एनएसई पर सूचीबद्ध हैं. लागू सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है.
vi.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई -आईडीबीआई
vii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	**केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)** यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032
viii.	शेयर अंतरण प्रणाली	सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के अनुसार, भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का हस्तांतरण उन मामलों, जो समय सीमा से पहले दर्ज किए गए और दस्तावेजों में कमी के कारण खारिज कर दिए गए, को छोड़कर 01 अप्रैल 2019 से बंद कर दिया गया था. सेबी ने दिनांक 07 सितंबर 2020 के अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/आरटीएएमबी/सीआईआर/पी/2020/166 के द्वारा से ऐसे खारिज किए गए मामलों को फिर से दर्ज करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित की थी. अत: 01 अप्रैल 2021 से बैंक के शेयर जो अमूर्त फॉर्म में रखे गए हैं, उन्हें केवल डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से अंतरित किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, सेबी ने दिनांक 25 जनवरी 2022 के अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 के द्वारा से यह निर्णय किया है कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को संसाधित करते समय अब से प्रतिभूतियों को केवल अमूर्त रूप में जारी करेंगी. 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्रों को जारी करने के/ डिलीशन/ ट्रांसमिशन/ ट्रांसपोजिशन के लिए प्राप्त अनुरोधों को शेयर अंतरण समिति (जिसमें बैंक कार्यपालक निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों का समावेश है) नामक एक आंतरिक समिति द्वारा अनुमोदित और सेबी के मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया गया.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

ix. वित्तीय कैलेंडर

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022

तिमाही परिणाम निम्नलिखित तारीखों को अनुमोदित किए गए थे:

के परिणाम	बोर्ड की बैठक
जून 2021	28 जुलाई 2021
सितंबर 2021	21 अक्तूबर 2021
दिसंबर 2021	21 जनवरी 2022
मार्च 2022	02 मई 2022

x. शेयरों का अमूर्तीकरण एवं चलनिधि

बैंक के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में ट्रेड किया जाएगा.

31 मार्च 2022 तक अमूर्त और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का %
एनएसडीएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5669775513	52.73
सीडीएसएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5074867429	47.20
भौतिक	7759233	0.07
कुल	**10752402175**	**100.00**

xi. ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

बैंक द्वारा जारी और 31 मार्च 2022 को बैंक की बही में बकाया अप्रतिभूत दीर्घकालिक रुपया बांड/ डिबेंचर बीएसई/एनएसई के ऋण खंड पर सूचीबद्ध किए जाते हैं.

xii. डिबेंचर न्यासी

➢ **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,**

पता: दि रूबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई- 400 028.
टेलीफोन नंबर: 022-62300451
ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी
debenturetrustee@axistrustee.com

➢ **एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,**

पता: मिस्त्री भवन, 4 थी मज़िल,दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई -400020.
टेलीफोन नंबर: 022-43025500/5566.
ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी
jatin.bhat@sbicaptrustee.com

xiii. बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)/ अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर)/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव

आईडीबीआई बैंक ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.

xiv. प्लांट का स्थान

लागू नहीं.

तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थानों के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

xv.	पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** **सीआईएन - L65190MH2004GOI148838** **पता:** इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 **फोन-** 022 - 66552711/3147/3062/3336 **ई-मेल -** idbiequity@idbi.co.in **वेबसाइट -** www.idbibank.in **रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट** केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) **पता:** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 **टोल फ्री नंबर:** 1-800-3454001 **वेबसाइट:** www.kfintech.com **ईमेल:** einward.ris@kfintech.com
xvi.	बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची	क्रेडिट रेटिंग के विवरण प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिये गए हैं
xvii.	बाजार मूल्य डेटा	तालिका i देखें
xviii.	बीएसई संसेक्स आदि व्यापक सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन	तालिका ii देखें
xix.	शेयरधारिता का वितरण	तालिका iii देखें

तालिका i

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2021 - मार्च 2022

(₹)

	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2021	39.00	33.80	39.00	33.80	अक्तूबर 2021	62.50	44.40	62.60	44.40
मई 2021	40.55	36.20	40.50	36.20	नवंबर 2021	56.95	44.20	56.95	44.25
जून 2021	39.70	37.50	39.70	37.50	दिसंबर 2021	53.95	45.55	54.00	45.55
जुलाई 2021	38.80	37.40	38.80	37.40	जनवरी 2022	52.40	45.95	52.35	46.00
अगस्त 2021	38.55	36.75	38.50	36.80	फरवरी 2022	51.55	41.15	51.55	41.15
सितंबर 2021	46.30	36.95	46.30	36.95	मार्च 2022	45.30	40.90	45.35	40.85

तालिका ii:

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है -

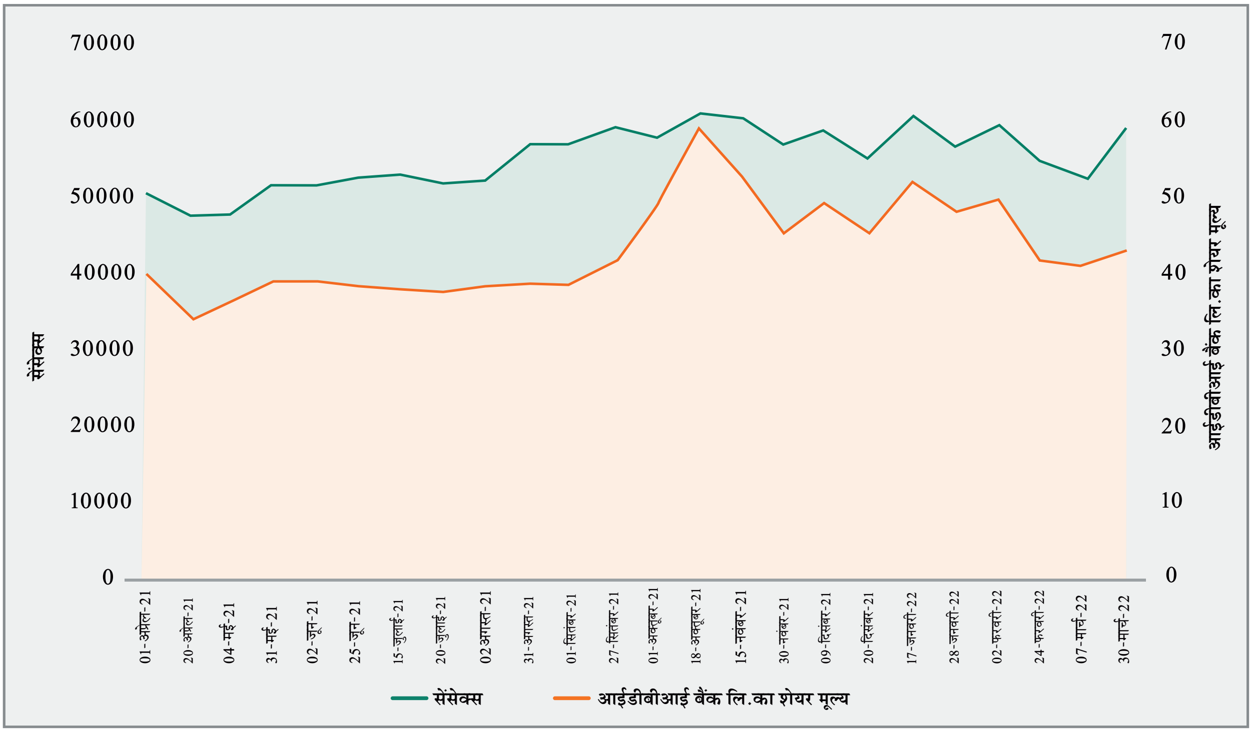

तालिका iii:

यथा 31 मार्च 2022 को बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे दी गई है

31 मार्च 2022 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयर धारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रमोटर)	5294102939	49.24
भारत सरकार (बिना प्रबंधन नियंत्रण के साथ सह– प्रमोटर)	4889871903	45.48
कर्मचारी	710568	0.01
जनता	398446644	3.71
हिन्दू अविभाजित परिवार	15495564	0.14
कॉरपोरेट निकाय	60527355	0.56
संस्थाएं		
अ) बैंक	25418264	0.24
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	100	0.00
इ) राज्य वित्त निगम	0	0.00
ई) वित्तीय संस्थाएं	0	0.00
उ) म्यूचुअल फंड	1403421	0.01

शेयर धारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
सोसायटी	24800	0.00
न्यास	426895	0.00
बीमा कंपनियां	12778869	0.12
अनिवासी भारतीय	36769285	0.34
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	4400	0.00
(ii) श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	24200	0.00
(iii) श्री अजय शर्मा, सीएफओ [31.05.2021 तक]	120	0.00
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	4237171	0.04
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	2725181	0.03
एनबीएफसी	2553745	0.02
आईईपीएफ	6880751	0.06
कुल योग	**10752402175**	**100.00**

31 मार्च 2022 को वितरण अनुसूची

क्र. सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
	से	तक				
1	1	5000	571556	98.43	1729303490.00	1.61
2	5001	10000	4761	0.82	364758050.00	0.34
3	10001	20000	2307	0.40	335289080.00	0.31
4	20001	30000	710	0.12	179414710.00	0.17
5	30001	40000	312	0.05	110688200.00	0.10
6	40001	50000	284	0.05	132752790.00	0.12
7	50001	100000	392	0.07	286500980.00	0.27
8	100001 और अधिक		360	0.06	104385314450.00	97.08
कुल			**580682**	**100.00**	**107524021750.00**	**100.00**

अन्य प्रकटन-

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के चैप्टर v के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण और उन जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के चैप्टर v की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के प्रावधान के अनुसार, इस उप-खंड में कुछ भी बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा और इसलिए, आईडीबीआई बैंक पर उपरोक्त विवरण के प्रकटीकरण की अपेक्षा लागू नहीं होती है.

ii. विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो चल रही स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित कर रहे हैं. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया जो चल रही स्थिति और आईडीबीआई बैंक के संचालन को प्रभावित कर सके.

iii. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई नई अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी कंपनियों का गठन नहीं किया गया है. इसके अलावा, उक्त वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी अनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां समाप्त नहीं की गई हैं.

iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से बैंक के व्यवसाय, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और नियामक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अनुपालन अपेक्षाओं से परिचित कराया जा रहा है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों को नामित / प्रतिनियुक्त किया गया था.

इस संबंध में विस्तृत स्थिति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है : https://www.idbi.com/secretarial-disclosures.asp

v. सतर्कता तंत्र की स्थापना

बैंक ने सांविधिक/ विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में बोर्ड अनुमोदित सतर्कता तंत्र की स्थापना की है. सतर्कता तंत्र की रिपोर्ट बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया. सतर्कता तंत्र की स्थापना के विवरण देने वाली सतर्कता तंत्र की नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vi. महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 46 की अपेक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध है : https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vii. संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार पर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और एलओडीआर विनियमावली के विनियम 23 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार पर नीति तैयार की है. संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है : https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

viii. मूर्त रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो

एलओडीआर विनियमावली की सूची V के साथ पठित विनियम 34 के संबंध में में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक ने मूर्त रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो सकता हो.

ix. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

यौन उत्पीड़न के खिलाफ बैंक की एक नीति है तथा उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए औपचारिक प्रक्रिया है. उक्त नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप है. बैंक ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में संशोधन के अनुसार, वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे प्रदान किया गया है:

अ	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	*11* *(पूर्व अवधि की निष्कर्ष के लिए लंबित तीन शिकायतों सहित)*
आ	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	10
इ	वित्तीय वर्ष में अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	01

x. पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटन

बैंक पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों, यदि कोई हों, के संबंध में विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

xi. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित लेखा मानकों से अलग कोई व्यवहार नहीं किया गया है, लेखा मानकों का पालन किया गया है और इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन की ओर से किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं है.

xii. प्रकटीकरण, कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा आवश्यक है और तद्नुसार ऐसे खाते और रिकार्ड बनाए और रखे जाते हैं.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एक बैंकिंग कंपनी होने के कारण इस पर लागत रिकार्ड के रखरखाव के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

xiii. प्रकटन

क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैं:

वि.व. 2019-20	शून्य
वि.व. 2020-21	शून्य
वि.व. 2021-22	शून्य.
	तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठित 47ए (1) (सी) के उपबंधों के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने 8 अप्रैल 2022 के अपने पत्र के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा; एक कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी/ यूसीबी के बीच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण और बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए बैंक पर कुल ₹90 लाख का जुर्माना लगाया.

ख) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आवंटन या अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से कोई फंड नहीं जुटाया है. पूर्व में जुटाई गई निधियों की धनराशि का पूरी तरह से बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है.

ग) मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन (सीपी सं. 1774) से दिनांक 02 मई 2022 का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/ एमसीए अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए विवर्जित अथवा निरर्हित नहीं किया गया है. यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट से संलग्न है.

घ) बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V (वार्षिक रिपोर्ट) के कॉरपोरेट अभिशासन खंड के उप-पैरा (2) से (10) के संदर्भ में अपेक्षित थे.

ङ) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

च) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के तहत दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूपों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर त्रैमासिक/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

छ) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की ऐसी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, अत: इस संबंध में किसी प्रकटन की अपेक्षा नहीं है.

ज) एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क की राशि ₹267 लाख रही (प्रमाणीकरण और अन्य लेखापरीक्षा संबंधित सेवाओं सहित) और जेब से किए गए खर्च के रूप में ₹24 लाख भुगतान किया है.

झ) **सहायक कंपनियाँ:** 31 मार्च 2022 को बैंक की पांच सहायक संस्थाएं यथा– आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कं. लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. थीं. बैंक के निदेशक मंडल के किसी स्वतंत्र निदेशक को उसकी किसी सहायक संस्था के बोर्ड में शामिल करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इन सहायक संस्थाओं में से कोई भी संस्था एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार भौतिक गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करती है. गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बैंक के बोर्ड की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं.

ञ) **दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति:** सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति कार्यान्वित की है.

ट) **डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन**

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार आपका बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट करता है:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	दिनांक 1 अप्रैल 2021 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	17	3280
(ख)	दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए आपके बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	5	1000
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	1	200
(घ)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयरों की संख्या	2	360
(ङ)	दिनांक 31 मार्च 2022 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	14	2720
(च)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित (फ्रीज) रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

ठ) **निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन**

क) **वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण/अंतरणों के विवरण :**

क्रम सं.	विवरण	शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर	राशि (₹)
(i)	अदावी/अप्रदत्त लाभांश और संबंधित शेयरों की राशि	1020618	32,45,609
(ii)	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	0
(iii)	बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ परिपक्व जमाओं की राशि	लागू नहीं	0

क्रम सं.	विवरण	शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर	राशि (₹)
(iv)	उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचरों की राशि	लागू नहीं	4,82,739
(v)	किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि	लागू नहीं	0
(vi)	बोनस शेयर के जारी होने, विलय और अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री राशि	लागू नहीं	0

ख) आईईपीएफ को पहले ही अंतरित शेयरों से उत्पन्न परिणामी लाभ के विवरण – शून्य

अदावी/अप्रदत्त लाभांश की वर्ष–वार राशि जो वर्ष के अंत में अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा ऐसे शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए नियत तारीखों का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त लाभांश	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत तारीख
i.	वि.व. 2014-15	8400183.00	11195373	18.09.2022
	ग) आईईपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो			0
	घ) वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो			0

विनियम 27 की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग उ में दी गई विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवेकपूर्ण अपेक्षाएं	स्थिति
1.	गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र होगा और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जाएगी.	बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1) (i) के अनुसार एलआईसी के अध्यक्ष श्री एम.आर.कुमार को 13 मई 2019 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का गैर–कार्यपालक गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. बैंक ने आईडीबीआई टावर, कफ परेड, मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष के कार्यालय की व्यवस्था की है. एलआईसी की ओर से श्री एम.आर.कुमार द्वारा बोर्ड बैठकों में उपस्थिति के लिए एलआईसी को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.
2.	शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को पिछले छः महीनों के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रमों के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही और साथ ही अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है.
3.	कंपनी आशोधित लेखा परीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है.
4.	कंपनी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को इस प्रकार से नियुक्त करें कि अध्यक्ष –	बैंक में गैर–कार्यपालक गैर–पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के लिए अलग–अलग पद हैं.
	(क) गैर–कार्यपालक निदेशक हो, और	अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के संबंधी नहीं है.
	(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित न हों.	
5.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करे.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं.

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक:02 मई 2022

सीईओ/ सीएफओ का स्पष्टीकरण

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर वित्तीय विवरणों तथा आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है.

अनुबंध-अ

एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहार सहित की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार पर न की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार की मूल्य सहित, यदि कोई हो, प्रमुख शर्तें	इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
				शून्य				

ii. स्वतंत्र आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार की मूल्य सहित, यदि कोई हो, प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें), यदि कोई हो :	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
			शून्य			

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 06 मई 2022

अनुबंध-आ

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग में व्याप्त विभेदों की पहचान कर उनकी बेहतरी के लिए अपेक्षा आधारित योगदान करते हुए उनके लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है. बैंक यह प्रत्यक्ष दखल तथा विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए तथा हिताधिकारियों के साथ भागीदारी निर्मित करते हुए हासिल करना चाहता है.

बैंक की सीएसआर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, आजीविका के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी सहयोगात्मक दाखल करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम	वर्ष के दौरान उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों में उपस्थिति
1	श्री राकेश शर्मा	एमडी एवं सीईओ – समिति अध्यक्ष	03	03
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक	03	03
3	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक	03	03
4	श्री समरेश परिदा	स्वतंत्र निदेशक	03	03
5	श्रीमती पी.वी. भारती	स्वतंत्र निदेशक	03	03

3. **वह वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है :** सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों को बैंक की वेबसाइट में https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp के अंतर्गत दर्शाया गया है

4. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) :** लागू नहीं

5. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)
		शून्य	

6. **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2021-21 के लिए ₹6,922.49 करोड़ की औसत निवल हानि (सीएसआर उद्देश्य के लिए) उठाई है.**

7. क. **धारा 135(5) अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:** लागू नहीं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135((1) के अनुसार बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹6,922.49 करोड़ की औसत निवल हानि (सीएसआर उद्देश्य के लिए) उठाई है.

ख. **वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

ग. **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग):** लागू नहीं

8. क. **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:** वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सीएसआर बजट अनिवार्य नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों के लिए औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा है. तथापि, बैंक ने स्वेच्छा से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चुनिंदा सीएसआर कार्यकलापों हेतु ₹0.18 करोड़ खर्च किए हैं.

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि.		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को अंतरित राशि.		
	राशि	अंतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
18,40,000/-	शून्य		शून्य		

ख. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: ₹18,40,000/-

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का स्वरूप- प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का स्वरूप	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	वर्ष 2021-22 के लिए वनवासी कन्या छात्रावास की यशोदा योजना के तहत 20 महिला छात्रों को उनके शैक्षणिक खर्च के लिए वित्तीय सहायता.	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल को बढाना	नहीं	उत्तराखंड	रुद्रपुर	शैक्षणिक वर्ष 2021-22	4,00,000/-	4,00,000/-	0	नहीं	वनवासी कन्या छात्रावास	सीएसआर 00008886
2	उनके पुदुच्चेरी स्थान पर मध्याह्न भोजन के वितरण के लिए एक डिलीवरी वाहन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता.	स्वच्छता को बढावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देते हुए	नहीं	पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी	लागू नहीं	14,40,000/-	14,40,000/-	0	नहीं	दी अक्षय पात्र फाउंडेशन	सीएसआर 00000286
							18,40,000/-	18,40,000/-				

ग. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का स्वरूप- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का स्वरूप	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य									

घ) **प्रशासनिक उप-शीर्ष में खर्च की गई राशि:** लागू नहीं

ङ) **प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो:** लागू नहीं

च) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (8ख +8ग+8घ+8ङ): ₹18,40,000/-**

छ) **समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	18,40,000/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

9. अ. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:** लागू नहीं

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष मं खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हों.			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
शून्य							

आ. **पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) से चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :** लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारंभ की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/कार्यान्वयन अधीन
शून्य								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण): लागू नहीं

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि : लागू नहीं

(ग) उस इकाई या लोक प्राधिकारी या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : लागू नहीं

(घ) सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें : लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण निर्दिष्ट करें: कंपनी अधिनियम 2013 में दिये गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय उपगत करने की अपेक्षा नहीं थी. तथापि, बैंक ने स्वेच्छा से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चुनिंदा सीएसआर कार्यकलापों हेतु ₹0.18 करोड़ खर्च किए हैं.

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक:26 मई 2022

फॉर्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
सीआईएन: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों और साथ ही कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों तथा के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने **31 मार्च 2022** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा–परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, बैंक ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड–प्रक्रियाएँ और अनुपालन–प्रणाली लागू की हैं.

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप–विधियां;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन - **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश:

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियमावली, 2015 ;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;- **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमावली, 2014(12 अगस्त 2021 तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेद इक्विटी) विनियमावली, 2021 (13 अगस्त 2021 से लागू) - लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमावली, 2008 (15 अगस्त 2021 तक);

च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 - **लागू नहीं क्योंकि बैंक समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;**

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 (9 जून 2021 तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 (10 जून 2021 से प्रभावी)-**लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है;**

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी–खरीद) विनियम, 2018 - **लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी–खरीद नहीं की है/ वापसी–खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है;**

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गम और उनकी सूचीबद्धता) विनियमन 2021 (16 अगस्त 2021 से प्रभावी)

ञ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015.

vi. प्रबंधन ने बैंक पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित विधियों की पहचान तथा पुष्टि की है:

1. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं मार्गदर्शन;
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
3. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
4. धन–शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 एवं धन–शोधन निवारण अधिनियम (रिकॉर्ड प्रबंधन आदि), नियमावली, 2005
5. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
6. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881.

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और महा सभा (एसएस–2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक;

(ii) बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करार.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

➢ बैंक के निदेशक मंडल का कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.

➢ केवल ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कार्य–सूची और कार्य–सूची पर विस्तृत नोट बैठक से सात दिन से कम समय पहले भेजने के लिए निदेशकों की सहमति प्राप्त हुई थी, सभी निदेशकों को बोर्ड /समिति बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है और कार्य–सूची और कार्य–सूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए हैं;

➢ बैठकों से पहले कार्य–सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.

- बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिये गए हैं.

  हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और विभिन्न विभाग/ वर्टिकल/ सहायक कंपनियों से प्राप्त प्रमाण–पत्रों पर आधारित कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र(त्रों) के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं और बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप प्रणालियों और प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है.

- जैसा कि सूचित किया गया है, बैंक ने आरबीआई के दिनांक 8 अप्रैल 2022 के पत्र द्वारा लगाए गए नब्बे लाख रुपये के दंड का भुगतान 11 अप्रैल 2022 को कर दिया है. यह दंड धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंक और एससीबी/ यूसीबी के बीच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करने और बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर इसके द्वारा जारी निर्देशों के गैर–अनुपालन के संबंध में लगाया गया है.

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण के कारण निम्न गतिविधियों/ कार्रवाइयों का बैंक के कार्य पर प्रमुख प्रभाव पड़ा:

- बैंक ने ₹3134.40 करोड़ की ऋण प्रतिभूतियों का उनकी देय तारीखों पर मोचन किया है.
- दिनांक 10 अगस्त 2021 को हुई वार्षिक महासभा में सदस्यों ने विशेष संकल्पों के माध्यम से निम्न कार्य सम्पन्न किए:

  1. एक अथवा अधिक विधियों के जरिए ₹7500 करोड़ तक की निधियाँ जुटाने के लिए निदेशक मण्डल को प्राधिकृत किया.
  2. संस्था के अंतर्नियमों को बैंक में कॉर्पोरेट अभिशासन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप बनाने के लिए इनमें परिवर्तनों का अनुमोदन किया.
  3. निदेशक मण्डल ने 12 फरवरी 2021 को सम्पन्न अपनी बैठक में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित विवरणों में यथा उल्लिखित प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि का उपयोग करके संचित हानि के निपटान के लिए पूर्णत: अथवा यथासंभव अधिकतम उपयोग करने हेतु पूंजी में कमी की योजना का अनुमोदन किया. जो सांविधिक/ विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होगा. इसके अलावा, शेयरधारकों ने 10 अगस्त 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से अपना अनुमोदन दिया और बैंक ने एनसीएलटी को एक आवेदन किया है जिसमें उक्त योजना की मंजूरी मांगी गई है.

- बोर्ड ने 29 मार्च 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान उधार के रूप में ₹8000 करोड़ तक का रुपी बॉन्ड एक या एक से अधिक चरणों में जुटाने के लिए अनुमोदन दिया है, जिसमें ₹3000 करोड़ तक के अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बॉन्ड और निजी तौर पर शेयर आबंटन के माध्यम से ₹1,000 करोड़ तक के सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.

यह रिपोर्ट हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ी जाए जो **अनुबंध अ** के रूप में इस रिपोर्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ संलग्न की गई है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएस: 4206 | सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206D000251783
दिनांक : 2 मई 2022 | ठाणे

अनुबंध–अ

प्रति,

सदस्यगण,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,

कफ परेड, मुंबई - 400005.

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

1. यह बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी विधियों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करें और सुनिश्चित करें कि प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से परिचालन करें.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में बैंक द्वारा अनुसरण किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.

3. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी और लागू लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है.

4. हमारा विश्वास है कि बैंक प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं.

5. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने उचित आश्वासन प्राप्त किया है कि सचिवीय लेखा परीक्षा के संबंध में तैयार किए गए विवरण, लेखापरीक्षिती द्वारा अनुरक्षित दस्तावेज या अभिलेख, गलत कथनों से मुक्त हों.

6. जहां भी आवश्यक हुआ है, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने, आदि के बारे में प्रबंधन से प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

7.सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है.

8.हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएस: 4206 | सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206D000251783
दिनांक : 2 मई 2022 | ठाणे

निदेशकों की गैर–अपात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) के विनियमावली, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

प्रति,

सदस्यगण,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,

कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 164 के अधीन अपेक्षित गैर–अपात्रता की घोषणा;

ii) अधिनियम की धारा 184 के अधीन अपेक्षित प्रतिष्ठान तथा हितों का प्रकटन; (इसके पश्चात् 'संबंधित दस्तावेजों' के रूप में उल्लिखित)

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838 धारित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक'), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई – 400005 है, के निदेशकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बैंक के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को प्रस्तुत किए अनुसार तथा बैंक द्वारा रखरखाव किए गए संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्मों और रिटर्न को सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 की अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुपालन में यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से हमारे पास उपलब्ध कराये गए हैं.हमारे पास नियामक/ सांविधिक अधिकारियों द्वारा गैर–निषेध को शामिल करने के लिए गैर–अपात्रता माना गया है.

यह निदेशकों की ज़िम्मिदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित दस्तावेज संपूर्ण एवं सटीक जानकारी के साथ प्रस्तुत करें.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा दायित्व अपने सत्यापन के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है.

उपर्युक्त अनुसार हमारी जांच और हमारे द्वारा किए गए ऐसे अन्य सत्यापनों (www.mca.gov.in) पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) के आधार पर, हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान तथा बैंक, इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे दी गई सूची में 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण से नियुक्ति या बैंक के निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं हैं.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
1.	श्री ज्ञान प्रसाद जोशी	00603925	28/08/2015	लागू नहीं
2.	श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी	06713850	09/10/2017	लागू नहीं
3.	श्री समरेश परिदा	01853823	19/05/2018	लागू नहीं
4.	श्री जंबुनाथन नारायणन	05126421	19/05/2018	लागू नहीं
5.	श्री राकेश शर्मा	06846594	10/10/2018	लागू नहीं
6.	श्री राजेश कंडवाल	02509203	21/01/2019	02/02/2022
7.	श्री दीपक सिंघल	08375146	28/02/2019	लागू नहीं

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
8.	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808	05/03/2019	लागू नहीं
9.	श्री मंगलम रामसुब्रमणियन कुमार	03628755	13/05/2019	लागू नहीं
10.	सुश्री मीरा स्वरूप	07459492	20/08/2019	10/03/2022
11.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	02262530	20/09/2019	लागू नहीं
12.	श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार	03022106	15/01/2020	लागू नहीं
13.	श्री अंशुमन शर्मा	07555065	11/06/2020	लागू नहीं
14.	श्रीमती पी.वी. भारती	06519925	14/01/2021	लागू नहीं
15.	श्री मुकेश गुप्ता	06638754	10/02/2022	लागू नहीं
16.	श्री थोथला नारायणसामी मनोहरन	01186248	24/02/2022	लागू नहीं

*यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामले संचालित करने में उनकी दक्षता अथवा प्रभाविता का आश्वासन देता है.

यह प्रमाणपत्र, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण हेतु बैंक के अनुरोध पर जारी किया गया है

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 606 /2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएस: 4206 | सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206D000251783
दिनांक : 2 मई 2022 | ठाणे

G D Apte & Co
Chartered Accountants
D-509, Neelkanth Business Park,
Nathani Road, Vidyavihar West,
Mumbai - 400 086
Maharashtra

Varma & Varma
Chartered Accountants
Unit No. 101, Option Primo,
Plot No. X-21, MIDC Road No. 21,
Andheri East, Mumbai – 400 093
Maharashtra

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE AS PER THE PROVISION OF CHAPTER IV OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATION AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To,
The Members,
IDBI Bank Limited

1. We are the joint statutory auditors of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as "the Bank"), having its registered office at IDBI Towers, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended on March 31, 2022 as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY

2. The compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated under listing regulations is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure the compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

3. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
4. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
5. We have carried out an examination of the relevant records of the Bank in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the ICAI), the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act 2013, in so far as applicable for the purpose of this report and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

OPINION

7. Based on our examination of the relevant records and according to the information and explanations provided to us and the representations provided by the Management, we are of the opinion that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Listing Regulations during the year ended March 31, 2022.
8. This report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

RESTRICTION ON USE

9. This report is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

For G D Apte & Co
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 100515W

Saurabh Peshwe
Partner
Membership No. 121546
UDIN: 22121546ALLUXL7157
Place: Pune
Date: June 22, 2022

For Varma & Varma
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 004532S

P R Prasanna Varma
Partner
Membership No. 25854
UDIN: 22025854ALLRXU7472
Place: Chennai
Date: June 22, 2022

Corporate Governance Report

Brief Statement on the Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirements, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy as well as to set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in the Securities & Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Bank's Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas.

i. Terms of reference

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under Section 68 of the Companies Act, 2013;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To approve financial statements and the Board's report of the Bank;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditors;
- To make political contributions;
- To take note of the disclosure of Directors' interest and shareholding;
- To buy and sell investments held by the Bank (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results, as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all members of the Board of Directors and senior management of the Bank;

- To ensure framing, implementing and monitoring the risk management plan for the Bank;
- To undertake performance evaluation of Independent Directors, all other Directors, Committees of the Board and the Board of Directors as a whole;
- To review and guide corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans, to set performance objectives, to monitor implementation and corporate performance, and to oversee major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- To monitor the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- To select, compensate, monitor and, when necessary, replace the Key Managerial Personnel (KMP) and oversee succession planning;
- To align remuneration of Key Managerial Personnel (KMP) and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders;
- To ensure a transparent nomination process to the Board to achieve diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;
- To monitor and manage potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- To ensure the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- To oversee the process of disclosure and communications;
- To monitor and review the Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, to ensure effective monitoring of the management and to be accountable to the Bank and its shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which the executives throughout the group shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interests of the Bank and its shareholders;
- To encourage continual Directors' training to ensure that the members of the Board of Directors are kept up-to-date;
- To treat all the shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of the stakeholders of the Bank;
- To exercise objective independent judgment on corporate affairs of the Bank;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- To be able to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the listed entity's focus;
- To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the Committees of the Board of Directors;
- To facilitate the Independent Directors to perform their role effectively as a member of the Board of Directors and also as a member of a Committee of the Board of Directors; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition (including Educational Qualifications and Skills/ Expertise) of the Board of Directors as on March 31, 2022*

Name of the Director	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
		Chairman		
Shri M. R. Kumar	Non-Executive	Non-Independent	B.Sc.	HR, Administration and Corporate Governance.
		Managing Director and Chief Executive Officer		
Shri Rakesh Sharma	Executive	Non-Independent	B. Com, Post Graduate in Economics, CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small Scale Industry, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance.
		Deputy Managing Directors		
Shri Samuel Joseph Jebaraj	Executive	Non-Independent	BE (Hons.), MBA	Accountancy, Banking, Business Management, Human Resource, Risk, Finance, Information Technology, Sales & Marketing, Administration and Corporate Governance
Shri Suresh Khatanhar	Executive	Non-Independent	M.Com, CAIIB, ICWA	Accountancy, Banking, Finance, Risk, Agriculture & Rural Economy, Small Scale Industry, Information Technology, Business Management, Administration and Corporate Governance.
		Nominee Directors		
Shri Mukesh Kumar Gupta (LIC)	Non-Executive	Non-Independent	B.Sc. , MBA (HRM)	Human Resource, Banking, Sales & Marketing, Business Management, Risk, Information Technology, Finance, Administration and Corporate Governance.
Shri Anshuman Sharma (GoI)	Non-Executive	Non-Independent	Post Graduate	Accountancy & Finance, Banking, Economics, Marketing, Law, Administration and Corporate Governance.
		Independent Directors		
Shri Gyan Prakash Joshi	Non-Executive	Independent	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), Masters on Programme Management & Implementation of Development Projects (MIDP) & PG Diploma in Financial Management	Agriculture & Rural Economy, Finance, Small Scale Industry, Risk, Administration and Corporate Governance.

Name of the Director	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
Shri Bhuwanchandra B. Joshi	Non-Executive	Independent	B.Com, CAIIB	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Administration and Corporate Governance.
Shri Samaresh Parida	Non-Executive	Independent	Chartered Accountant, Cost Accountant, MBA	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Finance, Information Technology, Business Management, Strategic Planning, Administration and Corporate Governance.
Shri N. Jambunathan	Non-Executive	Independent	Post Graduate in Statistics, CAIIB, Diploma in Management	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Information Technology, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance.
Shri Deepak Singhal	Non-Executive	Independent	B.A., MBA, CAIIB, PGDRM	Agriculture & Rural Economy, Banking, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance.
Shri Sanjay G. Kallapur	Non-Executive	Independent	B.Com, M.M.S, Ph.D. in Business Economics, ACMA	Accountancy, Economics, Finance, Risk, Administration and Corporate Governance.
Smt. P. V. Bharathi	Non-Executive	Woman Independent	B.Sc., MA (Economics), B Ed. , CAIIB , Integrated Course in Banking & Finance (NIBM)	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance.
Shri T. N. Manoharan	Non-Executive	Independent	B.Com, M.Com, Law Graduate, Fellow member of the ICAI and IFRS, Certificate level online learning and assessment programme of The Institute of Chartered Accountants in England & Wales	Accountancy, Economics, Banking, Law, Risk, Small Scale Industry, Finance, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance.

The strength of 14 (fourteen) Directors on the Board as on March 31, 2022 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and are independent of the management.

iii. Relationship between Directors inter-se

(i) None of the Directors on the Bank's Board are related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

(ii) None of the Whole-time Directors and Non-Executive Directors (including Independent Directors) of the Bank have attained the age of seventy years and seventy-five years respectively as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) as the upper age limit for private sector banks.

(iii) Chairperson of the Bank is a Non-Executive Director and he is not related to the MD & CEO of the Bank as per the definition of the term *'relative'* defined under the Companies Act, 2013, in terms of Article 116(1)(i).

However w.e.f May 09 , 2022, the Chairperson of the Bank is an Independent Director.

iv. Quorum for the Board Meetings

The quorum for the Board Meetings shall be one-third of the total strength or three (3) Directors, whichever is higher, subject to at least one Director being a nominee of the Life Insurance Corporation of India (LIC) and at least half of Directors attending the meeting being Independent Directors.

v. Frequency of the Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

vi. Number of the Board Meetings held

During the period under review (April 01, 2021 to March 31, 2022), 16 meetings of the Board of Directors were held on April 15, 2021; May 03, 2021; May 15, 2021; June 15, 2021; June 29, 2021; July 14, 2021; July 28, 2021; August 27, 2021; September 29, 2021; October 21, 2021; November 26, 2021; December 28, 2021; January 21, 2022; February 24, 2022; March 29, 2022 and March 30, 2022. In view of the COVID-19 pandemic, the meetings were held via video conferencing as provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities & Exchange Board of India (SEBI) from time-to-time and the details regarding attendance at the Board meetings, attendance in the last Annual General Meeting (AGM), Directorships in other companies and memberships of committees in respect of each Director of the Bank, are given below in Table 1.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and the AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on August 10, 2021	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
		NON-EXECUTIVE CHAIRMAN			
Shri M. R. Kumar (DIN:03628755)	(16/12)	Present	05	NIL	1. LIC Housing Finance Ltd. - Nominee Director & Chairman; 2. ACC Ltd.- Non-Executive Director
		WHOLE-TIME DIRECTORS			
Shri Rakesh Sharma (DIN:06846594)	(16/16)	Present	02	NIL	NIL
Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN:02262530)	(16/16)	Present	03	01	NIL

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on August 10, 2021	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Suresh Khatanhar (DIN:03022106)	(16/15)	Present	01	NIL	NIL
		NON-EXECUTIVE DIRECTORS			
Shri Rajesh Kandwal (DIN:02509203) [up to 02.02.2022]	(13/13)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN:06638754) [w.e.f. 10.02.2022]	(03/03)	NA	01	NIL	1. ITC Ltd.- Nominee Director
Ms. Meera Swarup (DIN:07459492) [up to 10.03.2022]	(14/10)	Not Present	02	NIL	NIL
Shri Anshuman Sharma (DIN:07555065)	(16/10)	Not Present	NIL	NIL	NIL
		INDEPENDENT DIRECTORS			
Shri Gyan Prakash Joshi (DIN:00603925)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)	(16/12)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)	(16/16)	Present	02	NIL	NIL
Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	(16/16)	Present	NIL	NIL	NIL
Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	(16/16)	Present	01	01	NIL
Shri T. N. Manoharan (DIN: 01186248) [w.e.f. 24.02.2022]	(02/02)	NA	02	02	Independent Director: 1.Tech Mahindra Ltd.; 2. Mahindra & Mahindra Ltd.

None of the Non-Executive Directors (including Independent Directors) of the Bank hold shares or convertible instruments issued by the Bank.

Committees of Board

The Board has constituted total of 13 Committees namely–

- Audit Committee of the Board
- Stakeholders' Relationship Committee
- Risk Management Committee
- Customer Service Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Recovery Review Committee
- Wilful Defaulters Review Committee
- Executive Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- Information Technology Strategy Committee
- HR Steering Committee
- Non - Cooperative Borrowers' Review Committee

A. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

i. Terms of Reference

- To review exposure to sensitive sectors, i.e., (a) Capital Market; and (b) Real Estate;
- Know Your Customer/ Anti-Money Laundering (KYC/ AML) Guidelines –
  i. To review implementation;
  ii. To review compliance of the Concurrent Audit reports with respect to adherence to Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) guidelines at the branches;
- To review housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries Suspense/ Sundries/ Drafts Payable or Paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts and review of Nostro accounts;
- To review compliance in respect of the Annual Financial Inspection conducted by the RBI - Risk Assessment Report (RAR) and Risk Mitigation Plan (RMP) under Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital;
- To review Audit Plan and status of achievement thereof;
- To review significant audit findings/ internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR), (ii) Concurrent Audit, (iii) Internal Inspection, (iv) Information System Audit of Data Centre and other Departments, (v) Treasury & Derivatives, (vi) Management Audit at the controlling offices/ the Head Office, (vii) Audit of the service branches, (viii) the Currency Chests, (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of the branches authorised to deal in foreign exchange, etc.;
- To review the compliance report on the directives issued by the ACB/ the Board / the RBI;
- To report on the compliance of the regulatory requirements of the regulators in the host countries in respect of the overseas branches;
- To review financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors;
- To review information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- To report information in respect of equity shareholdings in borrower companies more than 30% of their paid up capital;
- To review all fraud cases reported during the quarters ending March, June, September and December;
- To review transactions with related parties and prior approval to related party transactions and subsequent modifications, if any, in related party transactions;
- To review (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- To review accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in its accounts and adequacy of accounting standards, to review any change during the year and their impact, and a confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and the RBI guidelines;
- To review the adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;

- To review the Bank's Internal Financial Controls;
- To review the Bank's Risk Management Systems;
- To appoint Statutory Auditors, to review and to monitor the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;
- To review annual accounts/ financial statements of the Bank and the Auditor's Report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A(4) of Part C of Schedule II of the LODR regulations;
- To approve payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the Statutory Auditors;
- To discuss with the Statutory Auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- To review penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- To review report on revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- To report on end-use of funds raised through offer documents and public issue funds (certified by the Statutory Auditors) as well as (i) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32(1) and (ii) annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of the LODR Regulations;
- To review the reasons for substantial defaults in payment to the depositors, the debenture holders, the shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and the creditors;
- To review financial statements including particular investments made by the Unlisted Subsidiaries;
- To review First Time Non-Performing Assets (FTNPAs);
- To review dishonour of cheques amounting to ₹ 1 crore & above;
- To conduct annual review of the Concurrent Audit System;
- To approve Annual Audit Plan;
- To conduct annual review of Outsourced Vendors' Audit;
- To review the functioning of Vigil Mechanism (formerly Whistle Blower Mechanism);
- To approve appointment of (i) Chief Financial Officer; (ii) Chief Internal Auditor and (iii) Chief Compliance Officer;
- To oversee valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary;
- To review RBI circulars having impact on the Bank's accounts;
- To review annually the compliance of the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- To review the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the Bank in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments;
- To consider and comment on the rationale, the cost-benefit and the impact of the schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., of the Bank and its shareholders;
- To review the staff accountability examination;
- To verify genuineness of title deeds & due diligence of loan/ security documents;
- To report performance of Off-Site Monitoring (OMS);
- To review the Secretarial Auditor's Report on Compliances made by the Bank during the financial year under the Companies Act, 2013, LODR Regulations, etc.;
- To comply with the observations made in inspection reports of the Central Depository Services Ltd. (CDSL), National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Concurrent Audit Reports ;
- To review findings of Investigative Audits (IAs)/ Special Investigative Audits (SIAs);
- To discuss with the rating agencies;

- To discuss with the Head – Internal Audit and the Chief Compliance Officer (CCO) without the presence of the Management;
- To review Risk Rating Migration and the efficacy of Audit System; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ACB

As on March 31, 2022, the ACB comprised six members, out of whom four members were Independent Directors, viz., Shri Samaresh Parida, Independent Director as Chairman, Shri Anshuman Sharma, GOI Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ACB Meetings

The quorum for the ACB meetings shall be three members of the ACB out of which at least two-third shall be Independent Directors. The ACB meeting shall be chaired by an Independent Director who shall not chair any other Committee of the Board.

iv. Frequency of the ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings.

v. Meetings of the ACB

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), 15 meetings of the ACB were held on May 03, 2021; May 14, 2021; June 15, 2021; June 23, 2021; June 28, 2021; July 28, 2021 (two meetings held); August 26, 2021; September 28, 2021; October 21, 2021; November 25, 2021; December 27, 2021; January 21, 2022; February 23, 2022 and March 28, 2022.

B. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

i. Terms of Reference

- To sanction high value credit proposals with exposure of more than ₹ 250 crore;
- To modify terms and conditions of sanctions made by the Executive Committee (EC);
- To take on record the minutes of the Credit Committees;
- To sanction proposals for Negotiated/ One-Time Settlements (OTS);
- To sanction proposals with exposure of more than ₹ 5 crore to:
  - Directors (including the Chairman/ Managing Director) of other banks;
  - Any firm in which any of the Directors of other banks is interested as a partner or guarantor; and
  - Any company in which any of the Directors of other banks holds substantial interest or is interested as a Director or as a guarantor.
- To sanction proposals with exposure of more than ₹ 5 crore to:
  - Any relative of the Chairman/ Managing Directors or other Directors of the Bank;
  - Any relative of the Chairman/ Managing Director or other directors of other banks;
  - Any firm in which any of the relatives as mentioned above is interested as a partner or guarantor; and
  - Any company in which any of the relatives as mentioned above hold substantial interest or are interested as a Director or as a guarantor;

- To report sanctions of securitisation portfolios;
- To review and report status of security creation in respect of the EC approved cases;
- To approve proposals for conversion of dues and receivables into investment instrument(s); and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the EC

As on March 31, 2022, the EC comprised six members of which three members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the EC Meetings

The quorum for the EC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the EC, whichever is higher.

iv. Frequency of the EC Meetings

The EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of the EC

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), 25 meetings of the EC were held on April 12, 2021; April 26, 2021; May 14, 2021; May 27, 2021; June 14, 2021; June 28, 2021; July 14, 2021; July 27, 2021; August 11, 2021; August 26, 2021; September 15, 2021; September 18, 2021; September 28, 2021; October 14, 2021; October 28, 2021; November 15, 2021; November 25, 2021; December 14, 2021; December 27, 2021; January 13, 2022; January 28, 2022; February 11, 2022; February 23, 2022; March 14, 2022 and March 29, 2022.

C. STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

i. Terms of Reference

The Stakeholders' Relationship Committee (SRC) functions as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of the SRC are as under:

- To resolve the grievances of the shareholders, the bondholders and other security holders, including complaints relating to transfer/ transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings, etc.;
- To consider and review the equity servicing as well as the bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary, towards achieving the mandate as given above, as follows:
    - Review the report on equity servicing;
    - Review the report on servicing of flexibonds;
    - Review the reporting of reconciliation of Share Capital Audit Report;
    - Review the reporting of details of investors complaints submitted to the stock exchanges;
    - Review the measures taken for effective exercise of voting rights by the shareholders;

- Review the adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent;
- Review various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ Annual Reports/ statutory notices by the shareholders of the Bank; and

- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the SRC

As on March 31, 2022, the SRC comprised four members out of whom two were Independent Directors, viz., Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD and Shri N. Jambunathan, Independent Director, as members.

Smt. Jyothi Biju Nair, the Company Secretary of the Bank, also acts as the Compliance Officer under the LODR Regulations.

iii. Quorum for the SRC Meetings

The quorum for the SRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the SRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the SRC Meetings

The SRC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the SRC

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), four meetings of the SRC were held on May 15, 2021; August 27, 2021; November 15, 2021 and February 11, 2022.

vi. Number of Requests/ Complaints (Equity & Bonds)

Number of shareholder/ bondholder complaints received in FY 2021-22	16,847
Number of complaints not solved to the satisfaction of shareholders/ bondholders	Nil
Number of pending complaints	03

D. FRAUDS MONITORING COMMITTEE (FMC)

i. Terms of Reference

The Frauds Monitoring Committee (FMC) has been constituted as a special committee for monitoring and following up on fraud cases of ₹ 1 crore and above. It has been set up to detect, monitor and address frauds.

The broader roles and responsibilities of FMC are as under:

- To identify the systemic lacunae, if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same;
- To identify the reasons for delay in detection of fraud, if any, and in reporting to top management of the Bank and the RBI;
- To monitor progress of the Central Bureau of Investigation (CBI)/ police investigation and the recovery position;
- To ensure that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds and action, if required, is completed quickly without loss of time;

- To review the efficacy of remedial actions taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls;
- To review the Red Flagged Accounts and the status of remedial action taken/ investigation ordered in the outstanding Red Flagged Accounts;
- To take note of completion of staff accountability exercise in fraud cases and the action taken thereon;
- To review the status of recovery in fraud cases including recovery from cases being investigated by CBI, police, etc.;
- To monitor the progress of the mitigating steps taken by the Bank in case of electronic frauds and the efficacy of the same in containing fraud numbers and values; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the FMC

As on March 31, 2022, the FMC comprised six members out of whom three members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the FMC Meetings

The quorum for the FMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the FMC, whichever is higher.

iv. Frequency of the FMC Meetings

The FMC is required to meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above comes to light.

v. Meetings of the FMC

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), five meetings of the FMC were held on May 28, 2021; July 27, 2021; September 29, 2021; December 28, 2021 and March 28, 2022.

E. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

i. Terms of Reference

The Risk Management Committee (RMC) has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues relating to asset liability mismatch and also monitor & review the Risk Management Plan.

The broader roles and responsibilities of the RMC are as under:

- To evaluate the overall risks faced by the Bank, including liquidity risk and the potential interaction of liquidity risk with other risks;
- To report projections of the cash flows and measure liquidity risk, assumptions used;
- To recommend policies, viz., Credit Policy, Recovery Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, DIFC Branch ALM Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk & Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, Disclosure Policy, Reputation Risk Assessment & Management Policy, etc. to the Board;
- To review the progress report on Operational Risk & Business Continuity Management;
- To review the market risk report of the trading portfolio;

- To review the results of stress test;
- To review the activities undertaken in the Risk Management Department, Model Validation - Migration and default analysis of Internal Ratings;
- To review asset liability management;
- To report minutes of Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- To review policy on counterparty bank limits and allocation of limits for domestic & international banks;
- To review compliance of norms on credit exposure;
- To work in co-ordination with the Nomination & Remuneration Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To formulate a detailed risk management policy which shall include:
  - A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG-related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
  - Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks; and
  - Business Continuity Plan.
- To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Bank;
- To monitor and oversee implementation of the Risk Management Policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
- To periodically review the Risk Management Policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
- To keep the Board of Directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
- To review the appointment, removal and terms of remuneration, if any, of the Chief Risk Officer;
- To conduct peer bank review;
- To conduct Mid-Term Review of ICAAP;
- To review Quarterly Report of the counterparty Bank Exposure Limits and Country Risk Exposure Limits;
- To analyse divergence between internal and external ratings;
- To review Quarterly Report on Risk Management of the Dubai International Financial Centre (DIFC) branch of the Bank;
- To review minutes of the Operational Risk Management Committee and the Credit Risk Management Committee; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RMC

As on March 31, 2022, the RMC comprised six members of whom three members were Independent Directors, viz., Smt. P. V. Bharathi, Independent Director as Chairperson, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Shri. T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the RMC Meetings

At least half of the members attending the RMC meeting shall be Independent Directors of which at least one member shall have professional expertise/ qualification in risk management. The RMC shall be chaired by an Independent Director who shall not chair the Board or any other Committee.

iv. ***Frequency of the RMC Meetings***

The RMC meetings shall be held on quarterly basis.

v. ***Meetings of the RMC***

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), four meetings of the RMC were held on June 14, 2021; September 15, 2021; December 14, 2021 and March 14, 2022.

F. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (CSRC)

i. ***Terms of Reference***

- To formulate and recommend Corporate Social Responsibility (CSR) Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank in areas or subject, specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013 to the Board;
- To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in above clause;
- To monitor the CSR Policy of the Bank from time-to-time; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of the CSRC***

As on March 31, 2022, the CSRC comprised five members of whom two were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. ***Quorum for the CSRC Meetings***

The quorum for the CSRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSRC, whichever is higher.

iv. ***Frequency of the CSRC Meetings***

The CSRC meetings shall be held on half-yearly basis.

v. ***Meetings of the CSRC***

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), three meetings of the CSRC were held on May 15, 2021; November 26, 2021 and March 28, 2022.

G. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC)

i. ***Terms of Reference***

The Customer Service Committee (CSC) has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the Bank and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

The broader roles and responsibilities of the CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- To formulate a Comprehensive Deposit Policy;
- To address issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- To examine conduct of annual survey of depositor satisfaction;
- To conduct triennial audit of customer services;
- To play a more proactive role with regard to the complaints/ grievances resolved by the Banking Ombudsman of various states in India;

- To take note of all the awards given by the Banking Ombudsman;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons thereof;
- To review the measures taken for customer protection & service in the Bank;
- To revise the Grievance Redressal Policy;
- To examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered;
- To review the activities of Internal Ombudsman; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the CSC*

As on March 31, 2022, the CSC comprised five members of whom two were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, as members.

iii. *Quorum for the CSC Meetings*

The quorum for the CSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the CSC Meetings*

The CSC meetings shall be held on quarterly basis.

v. *Meetings of the CSC*

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), four meetings of CSC were held on June 29, 2021; September 29, 2021; December 28, 2021 and March 28, 2022.

H. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

i. *Terms of Reference*

The Information Technology Strategy Committee (ITSC) has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives are to render various IT-enabled services to customers, to help in streamlining the approach, to assist in launching new IT products & to provide related services and to monitor the implementation of Cyber Security Management Plans & Cyber Security Policies. The roles and responsibilities of the Committee are in line with the RBI guidelines on information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds and include:

- To approve IT strategy and policy documents;
- To ensure that the management has put an effective strategic planning process in place;
- To ratify that the business strategy is indeed aligned with IT strategy;
- To ensure that the IT organisational structure complements the business model and its direction;
- To ascertain that the management has implemented processes and practices to ensure that the IT systems deliver value to the business;
- To ensure that the IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable;
- To monitor the method that the management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources;

- To ensure that there is proper balance of IT investments for Bank's sustainable growth;
- To become aware about exposure towards IT risks and controls and to evaluate the effectiveness of the management's monitoring of IT risks;
- To assess the senior management's performance in implementing IT strategies;
- To issue high-level policy guidance (e.g. relating to risk, funding, or sourcing tasks);
- To confirm whether IT or business architecture is to be designed so as to derive the maximum business value from IT;
- To oversee the aggregate funding of IT at a bank-level and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks; and
- To review IT performance measurement and contribution of IT to businesses (i.e., delivering the promised value).

The broader roles and responsibilities of the ITSC are as under:

- To recommend proposed IT budget to the Board;
- To review IT budget utilisation;
- To review the launch of various products and IT-enabled services for the Bank's customers;
- To review development, procurement and operations of various software/ hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- To oversee the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of technology architecture and major IT initiatives undertaken;
- To review information security incidents;
- To review Information Security Policy;
- To review IT Policy;
- To assess cyber security preparedness;
- To monitor the implementation of Cyber Security Management Plans;
- To monitor Cyber Security Policies; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ITSC

As on March 31, 2022, the ITSC comprised seven members of which three members were Independent Directors, viz., Shri N. Jambunathan, Independent Director as Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ITSC Meetings

The quorum for the ITSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ITSC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the ITSC Meetings*

The ITSC meetings shall be held on quarterly basis and not more than four months shall elapse between two meetings.

v. *Meetings of the ITSC*

During the period under review (April 01, 2021 to March 31, 2022), four meetings of the ITSC were held on May 28, 2021; August 11, 2021; November 15, 2021 and February 11, 2022.

I. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

i. *Terms of Reference*

The broader roles and responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee (NRC) are as under:

- To formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a Director and recommend to the Board of Directors a policy relating to the remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other employees;
- To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual Directors to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- To evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board for every appointment of an Independent Director and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an Independent Director. The person recommended to the Board for appointment as an Independent Director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the NRC may:
  - Use the services of an external agencies, if required;
  - Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
  - Consider the time commitments of the candidates.
- To formulate criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- To devise a policy on diversity of the Board of Directors;
- To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in the senior management in accordance with the criteria laid down and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;
- To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment/ continuing to hold appointment as a Director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, *'fit and proper'* criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors, including Independent Directors and formulate the criteria relating thereto;
- To formulate Remuneration/ Compensation Policy for the Directors, the KMPs, etc.;
- To recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;
- To work in co-ordination with the Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of the NRC***

As on March 31, 2022, the NRC comprised seven members all of whom were Non-Executive Directors including five Independent Directors, viz., Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director as Chairman, Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director; Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. ***Quorum of the NRC Meetings***

The quorum for the NRC meetings shall be three members of which at least half the members attending the NRC meetings shall be Independent Directors and one shall be a member of the RMC. The Chairperson of the NRC shall be an Independent Director who shall not chair the Board.

iv. ***Frequency of the NRC Meetings***

The NRC shall meet at least once in a year.

v. ***Meetings of NRC***

During the period under review (April 01, 2021 to March 31, 2022), nine meetings of the NRC were held on April 15, 2021; May 14, 2021; June 28, 2021; July 27, 2021; August 26, 2021; September 29, 2021; December 14, 2021; February 24, 2022 and March 29, 2022.

vi. ***Performance Evaluation criteria for Independent Directors***

The performance evaluation of all the Directors, including Independent Directors, is done on the basis of the questionnaires prepared which covers the Corporate Governance parameters such as Board attendance, participation during the meeting, the level of Directors' contribution, the quality of knowledge and familiarity with the subject, the level of transparency, etc. The questionnaire is circulated in advance to the Directors to consider and form their opinion about the evaluations. The performance evaluation of Independent Directors is being done by the entire Board of Directors, excluding the Director being evaluated. The evaluation includes performance of the Directors on above parameters and fulfillment of the independence criteria. Further, on the basis of results of evaluation, extension of the term of an Independent Director is considered.

J. HR STEERING COMMITTEE (HRSC)

i. *Terms of Reference*

The HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters relating to human resources and to discuss critical issues in HR.

The broader roles and responsibilities of HRSC are as under:

- To make policies pertaining to recruitment and training;
- To review the performance management, compensation and career development initiatives;
- To consider management planning, development and succession planning;
- To align the HR strategy to the business strategy and plan;
- To consider and approve various other HR matters, including appointment of personnel, manpower assessment, promotions etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of the HRSC***

As on March 31, 2022, the HRSC comprised seven members of whom two members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. *Quorum for the HRSC Meetings*

The quorum for the HRSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the HRSC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the HRSC Meetings*

The HRSC shall meet as per the need.

v. *Meetings of the HRSC*

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), nine meetings of the HRSC were held on May 14, 2021; June 28, 2021; July 14, 2021; July 27, 2021; August 26, 2021; September 28, 2021; November 25, 2021; December 27, 2021 and February 23, 2022.

K. RECOVERY REVIEW COMMITTEE (RRC)

i. *Terms of Reference*

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, the Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from Non-Performing Assets (NPAs), Stressed Accounts, Written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases, etc. and to monitor the progress of recovery and so on.

The broader roles and responsibilities of the RRC are as under:

- To review FTNPAs and NPAs;
- To review top 100 NPAs & TWOs;
- To review Suit Filed Cases;
- To review action under SARFAESI Act-Status Report;
- To review cases referred under Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), 2016;
- To review amount lying with Official Liquidator (OL);
- To review Special Mention Accounts (SMA);
- To review progress of Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers;
- To report on compromise settlements; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the RRC*

As on March 31, 2022, the RRC comprised six members of whom two members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Anshuman Sharma, Government Nominee Director, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. *Quorum for the RRC Meetings*

The quorum for the RRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the RRC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the RRC Meetings*

The RRC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. *Meetings of the RRC*

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), four meetings of the RRC were held on June 14, 2021; September 15, 2021; December 14, 2021 and March 14, 2022.

L. NON-COOPERATIVE BORROWERS' REVIEW COMMITTEE (NCBRC)

i. *Terms of Reference*

The broader roles and responsibilities of the Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC) are:

- To review the internal Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as non-cooperative borrower; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the NCBRC*

The NCBRC was constituted comprising MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2022, the NCBRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Deepak Singhal and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Directors, as members.

iii. *Quorum for the NCBRC Meetings*

The presence of all members shall form the quorum for the NCBRC Meetings.

iv. *Frequency of the NCBRC Meetings*

The NCBRC is required to meet and review the status of non-cooperative borrowers on a half-yearly basis.

v. *Meetings of the NCBRC*

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), two meetings of the NCBRC were held on September 29, 2021 and February 24, 2022.

M. WILFUL DEFAULTERS REVIEW COMMITTEE (WDRC)

i. *Terms of Reference*

The broader roles and responsibilities of the Wilful Defaulters Review Committee (WDRC) are:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as wilful defaulter; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the WDRC*

The WDRC was constituted consisting of MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2022, the WDRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samaresh Parida and Smt. P.V. Bharathi, Independent Directors, as members.

iii. *Quorum for the WDRC Meetings*

The presence of all members shall form the quorum for the WDRC meetings.

iv. *Frequency of the WDRC Meetings*

The WDRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as *'Wilful Defaulter'* is taken by internal Wilful Defaulters Committee of the Bank.

v. ***Meetings of the WDRC***

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), seven meetings of the WDRC were held on June 29, 2021; July 14, 2021; August 27, 2021; September 16, 2021; September 28, 2021; November 15, 2021 and February 24, 2022.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings of the Bank for the FY 2021-22 are given at table 2.

INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING (IDM)

i. ***Terms of Reference***

The Independent Directors' shall comply with the provisions of Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013, Regulation 25 of the LODR Regulations and Secretarial Standards-1 on Meetings of the Board of Directors issued by the Institute of Company Secretaries of India.

The broader roles and responsibilities of the Independent Directors' Meeting are:

- To review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;
- To review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- To assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties; and
- To carry out compliances as per the SEBI regulations, wherever applicable.

ii. ***Composition of the IDM***

As on March 31, 2022, there were eight Independent Directors on the Board of the Bank, viz., Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri T. N. Manoharan. The Independent Directors elect one of themselves as the Chairperson at every meeting.

iii. ***Quorum for the IDM***

As per Schedule IV of the Companies Act, 2013, all Independent Directors shall strive to be present at the Independent Directors' meetings.

iv. ***Frequency of IDM***

Independent Directors' meetings should be held at least once in a financial year.

v. ***Meetings of Independent Director***

During the period under review (April 1, 2021 to March 31, 2022), five meetings of Independent Directors were held on April 27, 2021; May 28, 2021; August 27, 2021; November 26, 2021 and February 23, 2022 & March 05, 2022 (adjourned meeting).

Table 2: Attendance of Directors at Committee Meetings for the FY 2021-22

SN	Names of Directors	ACB		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITC		NRC		HRSC		RRC		NCBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri M. R. Kumar (DIN:03628755)																										
2.	Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594)			25	25			05	05	04	04	03	03	04	04	04	04			09	09	04	04	02	02	07	07
3.	Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN:02262530)	09	08	25	25	04	04	05	05	04	04	03	03	04	04	04	04			09	09	04	04				
4.	Shri Suresh Khatanhar (DIN:03022106)			25	24	04	03	05	05	04	04	03	03	04	04	04	04			09	08	04	04				
5.	Shri Rajesh Kandwal (DIN- 02509203) [up to 02.02.2022]	13	13															07	07	08	08						
6.	Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN:06638754) [w.e.f. 10.02.2022]	02	02															02	02	01	01						
7.	Ms. Meera Swarup (DIN:07459492) [up to 10.03.2022]	05	02											03	00			06	04	09	06	03	03				
8.	Shri Anshuman Sharma (DIN:07555065)	01	00							02	00					04	03	09	08			04	02				
9.	Shri Gyan Prakash Joshi (DIN:00603925)	15	15					05	05					04	04	04	04	09	09	09	09						
10.	Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850)			25	25			01	01	03	03			01	01			09	09					02	02	07	07
11.	Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	15	15									03	03			04	04					04	04			07	07
12.	Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)			25	20	04	03									04	03	09	07								
13.	Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)			25	25			04	04									03	03	09	09			02	02		
14.	Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	15	15			04	04			04	04			03	03												
15.	Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	15	15					04	04	04	04	03	03									04	04				
16.	Shri T. N. Manoharan (DIN:01186248) [w.e.f. 24.02.2022]							01	01	01	01							01	01								

(H= Held/A=Attended)

MATRIX SETTING OUT SKILLS/ EXPERTISE/ COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AS ON MARCH 31, 2022 AND NAMES OF THE DIRECTORS WHO POSSESS SUCH SKILL ARE MENTIONED IN THE TABLE BELOW:

	Accountancy	Agriculture and Rural Economy	Banking	Co-operation	Economics	Finance	Law	Small-scale industry	HR	Risk	IT	Payment and Settlement	Business Management	Administration	Corporate governance
Shri M. R. Kumar									√					√	√
Shri Rakesh Sharma	√	√	√		√			√	√				√	√	√
Shri Samuel Joseph Jebaraj	√		√			√			√	√	√		√	√	√
Shri Suresh Khatanhar	√	√	√			√		√		√	√		√	√	√
Shri Anshuman Sharma	√		√		√	√	√							√	√
Shri Mukesh Kumar Gupta			√			√			√	√	√		√	√	√
Shri Gyan Prakash Joshi		√				√		√		√				√	√
Shri Bhuwanchandra B. Joshi		√	√					√						√	√
Shri Samaresh Parida	√	√				√					√		√	√	√
Shri N. Jambunathan		√	√					√			√	√		√	√
Shri Deepak Singhal		√	√						√				√	√	√
Shri Sanjay G. Kallapur	√				√	√				√				√	√
Smt. P. V. Bharathi		√	√		√			√		√				√	√
Shri T. N. Manoharan	√		√		√	√	√	√	√	√			√	√	√

ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 134(3)(a) and Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Return of the Bank is disclosed on its website at https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri T. N. Manoharan, Independent Directors of the Bank have given declaration on April 01, 2022, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Clause (b) of Sub-regulation (1) of Regulation 16, 17(10) of the LODR Regulations and Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and that they are not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties with an objective independent judgment and without any external influence. The Directors, along with the annual disclosures, also provided a confirmation stating that they have complied with the provisions of Sub-rule 1 and 2 of Rule 6 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019 regarding registration in the Independent Directors Databank and renewal and passed/ exempted from the online proficiency test thereof. The same was noted by the Board of Directors on May 2, 2022 and after undertaking due assessment of the veracity of the same, the Board was of the opinion that the Independent Directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the Management. Further, in the opinion of the Board, the Independent Directors possess the requisite integrity, experience, expertise and proficiency required under all applicable laws and the policies of the Bank.

COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT AND REMUNERATION

The Bank's Policy on Directors' Appointment & Evaluation and Remuneration Policy are available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

COMPANY'S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Bank's Policy on Dividend Distribution is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp.

COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The Bank has adopted the Secretarial Standards namely SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS-2 (Secretarial Standards on General Meetings) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under the Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board, Committee and General Meetings in accordance with these standards and is in compliance with the same.

INTERNAL AUDITOR

The Bank has an in-house Internal Audit Department which carries out the Internal Audit functions. Shri Sunit Sarkar, Executive Director, IDBI Bank Ltd., was designated as Chief Audit Officer in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013. In line with the RBI's guidelines on Risk Based Internal Audit (RBIA), the Bank has also adopted a robust Internal Audit Policy.

DISCLOSURE ON CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

These provisions are not applicable for banking companies.

BOARD'S COMMENTS ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE BY THE AUDITORS OR SECRETARIAL AUDITORS IN THEIR REPORT AND STATEMENT ON IMPACT OF AUDIT QUALIFICATIONS AS STIPULATED IN REGULATION 33(3)(D) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require the Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Further, pursuant to Section 143(12) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Bank have not reported any instances of frauds committed in the Bank by its officers or employees.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of business. The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the financial statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES IN THE PRESCRIBED FORM

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are in the prescribed Form AOC -2 which is annexed to the report as **Annexure-A.**

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY

The CSR Policy framework of the Bank is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp. The Annual Report on the CSR activities undertaken by the Bank is annexed to the Report as **Annexure-B.**

RISK MANAGEMENT POLICY

The Bank follows a detailed and comprehensive risk management system which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters and risk-related aspects of the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirements of the Bank.

STATEMENT INDICATING THE MANNER OF FORMAL ANNUAL EVALUATION OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below :

(i) Independent Directors' at their meeting held on February 23, 2022 and adjourned meeting held on March 5, 2022 evaluated the performance of all Non-Independent Directors, including the Chairman of the Board as well as the performance of the Board as a whole.

(ii) The Board, at its meeting held on February 24, 2022, evaluated the performance of all the Directors on the Board including the Independent Directors, its own performance as well as the performance of Committees of the Board. The evaluation of all the Individual Directors was done by the entire Board, which apart from Corporate Governance parameters, also included evaluation of Independent Directors on (a) review of their performance in meetings and (b) fulfillment of the independence criteria as specified in the Companies Act, 2013 and LODR Regulations and their independence from the Management. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/ her own evaluation.

For the purpose of the annual evaluation by Independent Directors and the Board, blank evaluation sheets in respect of individual Directors, Board Committees and the Board were circulated in advance to individual Directors through e-mails to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. The Chairman of Independent Directors' meeting and MD & CEO authorised by the Board, signed the evaluation sheets on behalf of Independent Directors' and the Board respectively after finalisation of the evaluation. The Chairman of the Board was authorised to sign the evaluation sheet of MD & CEO.

CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

During the period under review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business.

CHANGE IN DIRECTORS/ KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Name of Director	Designation	Nature of Change	Date
Shri Pawan Agrawal	Company Secretary	Cessation	15.04.2021
Smt. Jyothi Biju Nair	Company Secretary	Appointment	16.04.2021
Shri Ajay Sharma	CFO	Cessation	31.05.2021
Shri P. Sitaram	CFO	Appointment	01.06.2021
Shri Rajesh Kandwal	LIC Nominee Director	Cessation	02.02.2022
Shri Mukesh Kumar Gupta	LIC Nominee Director	Appointment	10.02.2022
Shri T. N. Manoharan	Additional Director in Independent Category	Appointment	24.02.2022
Ms. Meera Swarup	Government Nominee Director	Cessation	10.03.2022
Shri Anshuman Sharma	Government Nominee Director	Cessation	11.04.2022
Shri Manoj Sahay	Government Nominee Director	Appointment	28.04.2022
Shri Sushil Kumar Singh	Government Nominee Director	Appointment	28.04.2022
Shri M.R. Kumar	Non-Executive Non-Whole time Chairman	Cessation (Retirement on completion of RBI approved term of three years)	08.05.2022
Shri T. N. Manoharan	Independent Director & Part-time Chairman	Appointment (Appointed for three years as per RBI approval)	09.05.2022
Shri Raj Kumar	LIC Nominee Director	Appointment	19.05.2022

REMUNERATION OF DIRECTORS

IDBI Bank, being a Private Sector Bank w.e.f. January 21, 2019, the remuneration and perquisites of the MD & CEO and DMDs are approved by the RBI as per Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The details of remuneration paid to MD & CEO and DMDs is given in the table below. There have been no pecuniary relationships/ transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2021-22 (Annual)

Particulars	Shri Rakesh Sharma (MD & CEO)	Shri Samuel Joseph Jebaraj (DMD)	Shri Suresh Khatanhar (DMD)
			[Amount in ₹]
Salary	79,03,576	49,90,217	49,90,217
Perquisites*	24,06,000	12,06,000	12,06,000
Provident fund	7,90,358	4,99,022	4,99,022
Gratuity	3,29,316	2,07,926	2,07,926
Variable Pay^	148,58,024	75,93,480	75,93,480
ESOP/ESOS$	-	-	-

* *Perquisites includes provision of free furnished house & its maintenance and club membership;*

^ *Variable Pay has two components viz. Cash component and Cash component in lieu of ESOPs. The Cash Component, which is 1/3rd of the Total Variable Pay, has an upfront portion of 50% and balance is deferred over a period of 3 years (12.5%, 12.5% & 25% payable after 1 year, 2 years and 3 years respectively).The Cash Component in lieu of ESOPs, which is 2/3rd of the Total Variable Pay, has no upfront component and is deferred over a period of 4 years (15%, 20%, 30% & 35% payable after 1 year, 2 years, 3 years & 4 years respectively from the date of grant).*

$ *No ESOPs were granted in the FY 2021-22.*

Note: Since RBI approval for the remuneration of WTDs for FY 2021-22 was received on May 18, 2022, the salary paid to WTDs for FY 2021-22 was same as approved by the RBI for FY 2020-21. The difference in total payment, if any, will be paid during the current FY.

Tenure

Shri Rakesh Sharma – Shri Rakesh Sharma was appointed as MD & CEO of the Bank for a period of three years with effect from March 19, 2019 as per the RBI approval dated March 7, 2019. On the conclusion of the current term, Shri Rakesh Sharma has been subsequently reappointed as MD & CEO for a period of three years w.e.f. March 19, 2022 as approved by the RBI vide their letter dated February 15, 2022. The shareholder approval was obtained by postal ballot on May 5, 2022.

Shri Samuel Joseph Jebaraj- Shri Samuel Joseph Jebaraj was appointed as the DMD by the Board at its meeting held on September 19, 2019 for a period of three years w.e.f. the date of taking over the charge of the post as per the RBI letter dated September 4, 2019. Shri Samuel Joseph Jebaraj took charge on September 20, 2019. The shareholder approval was obtained at the 16th AGM held on August 17, 2020.

Shri Suresh Khatanhar - Shri Suresh Khatanhar was appointed as DMD by the Board at its meeting held on January 15, 2020 for a period of three years w.e.f. the date of taking over the charge of the post as per RBI letter dated January 9, 2020. Shri Suresh Khatanhar took charge on January 15, 2020. The shareholder approval was obtained at the 16th AGM held on August 17, 2020.

CRITERIA FOR MAKING PAYMENTS TO NON-EXECUTIVE DIRECTORS

All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Directors, are only paid sitting fees. The rate of sitting fees for Board is ₹ 80,000/- per meeting and ₹ 50,000/- per meeting for all Board Committee meetings. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and the sitting fees to the Non-Executive Directors as above, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by the Bank.

Aggregate amount of sitting fees paid to Non-Executive Directors including Independent Directors for FY 2021-22 is as detailed below:

Name of the Non-Executive Director	Sitting fees paid for FY 2021-22 (₹)
Shri M. R. Kumar, Non-Executive Chairman (being paid to LIC)	7,80,000
Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director (up to 02.02.2022)	15,80,000
Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director (w.e.f. 10.02.2022)	4,90,000
Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director	27,60,000
Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director	28,50,000
Shri Samaresh Parida, Independent Director	23,00,000
Shri N. Jambunathan, Independent Director	22,20,000
Shri Deepak Singhal, Independent Director	27,05,000
Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director	20,60,000
Smt. P. V. Bharathi, Independent Director	21,85,000
Shri T. N. Manoharan, Independent Director (w.e.f. 24.02.2022)	3,10,000

DISCLOSURE UNDER RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

The appointment and remuneration of the MD & CEO and the DMDs is approved by the RBI under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 after the same is recommended by the Nomination & Remuneration Committee and the Board. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees for attending meetings as mentioned in the paragraph on criteria for making payments to Non-Executive Directors. The other employees of the Bank, including the Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and the Company Secretary, get remuneration as applicable to the officials in the similar grades of the Bank. Periodical revision in the pay scales of employees, including the KMPs, does have relationship with many factors, including the Bank's performance. The Bank has not made any Follow-on Public Offer (FPO) and hence, no comparison in market quotation of the Bank's shares is possible. However, the market price of the Bank's shares for FY 2021-22, financial ratios, etc. is disclosed in the Annual Report.

As per the RBI Circular dated November 4, 2019, variable pay shall be applicable to Whole-time Directors (WTDs), Material Risk Takers and Control Function staff of the Bank. The remuneration payable to WTDs is as mentioned in the paragraph Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2021-22. A Compensation Policy covering all aspects of compensation viz. Fixed Pay & Perquisites, Variable Pay (Cash & Shares linked), Superannuation/Retirement Benefits (PF, Pension/NPS & Gratuity) etc. has been formulated taking into account the RBI Guidelines for Material Risk Takers, Control Function Staff and other employees of the Bank. The RBI guidelines mandate deferral of Variable Pay, which has been incorporated in the Compensation Policy of the Bank. Variable pay for FY 2021-22 to all eligible employees will be paid after the completion of performance appraisal for FY 2021-22 as per the Compensation Policy.

The details in terms of Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are given below:

The number of regular employees on the rolls of the Bank;	17,430 (out of which 1,034 employees were on contract basis and all other employees were regular)
The ratio of the remuneration of each Director to the median remuneration of the employees of the company;	**Name of the Executive Director** / **Ratio of remuneration to the median of all employees** Shri Rakesh Sharma, MD & CEO: 5.25 Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD: 3.91 Shri Suresh Khatanhar, DMD: 4.02
The percentage increase in remuneration of each Director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;	**Designation** / **Percentage Increase** MD & CEO: 159.89* *(part of variable pay for FY 2020-21 was received during FY 2021-22)* DMDs: 114.79* *(part of variable pay for FY 2020-21 was received during FY2021-22)* CFO: 10.38 CS: 9.55
The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year;	40.30#
Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration;	Average remuneration increase for non-managerial personnel of the Bank during FY 2021-22 was 25% and the Average remuneration increase for the managerial personnel of the Bank was 85%.
Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank.	Yes

** - The percentage increase in the remuneration of MD & CEO and DMDs is high as remuneration considered for them also includes variable pay for the FY ended March 31, 2021 which was paid to them on the receipt of the RBI approval during the year.*

#- The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year is high as the remuneration of employees include the arrears paid during the year on account of revision in pay & allowances for the period from November 1, 2017 to the date of implementation of revised salary.

GENERAL BODY MEETINGS

A. The last three Annual General Meetings (AGMs) of the Bank were held as under:

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.		
Location and time of the last three AGMs.	1)	August 20, 2019 held at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (15th AGM of the Bank)
	2)	August 17, 2020 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 3:30 p.m. (16th AGM of the Bank)
	3)	August 10, 2021 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 2:00 p.m. (17th AGM of the Bank)

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.	
Whether Special Resolutions were passed in previous three AGMs	➢ **For 15th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 11,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) taking shareholders' approval u/s 149 of the Companies Act, 2013 for appointment of Shri Gyan Prakash Joshi (DIN:00603925) as Independent Director of the Bank for the second term of four years w.e.f. August 28, 2019 were passed at the 15th AGM of the Bank held on August 20, 2019. ➢ **For 16th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹11,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) the Amendment to the Articles of Association of the Bank, were passed at the 16th AGM held on August 17, 2020. ➢ **For 17th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 7,500 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard; (ii) Approval for Scheme of Reduction of Share Capital for setting off accumulated losses aggregating to ₹ 45,396.18 crore by utilising the balance of ₹ 50,719.75 crore standing to the credit of Securities Premium Account as on April 01, 2021; (iii) Alteration to the Article of Association of the Bank; (iv) taking shareholders' approval u/s 149 of the Companies Act, 2013 for re-appointment of Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850) as Independent Director of the Bank for the second term of four years w.e.f. October 09, 2021, were passed at the 17th AGM of the Bank held on August 10, 2021.
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	No special resolutions were passed through postal ballot during FY 2021-22.
Person who conducted the postal ballot exercise	Not applicable
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	Yes. The Bank has passed Resolutions through Postal Ballot. The voting period for the Postal Ballot ended on May 05, 2022. The details of voting have been disclosed to the stock exchanges within the time prescribed under the regulations.
Procedure for Postal Ballot	Not applicable since there was no postal ballot conducted during FY 2021-22.

MEANS OF COMMUNICATION

Apart from providing the detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and the Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz., the Financial Express, having nationwide circulation and in one regional language newspaper, viz., Loksatta and these advertisements are intimated to the stock exchanges. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx along with the official press release and presentations made to institutional investors and analysts.

GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

General Shareholders' Information		
i.	Date, time and venue of AGM	Friday, July 22, 2022, 11:00 a.m., through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).
ii.	Financial Year	April 1, 2021 to March 31, 2022
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period commences on and from Monday, July 18, 2022 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Thursday, July 21, 2022 at 5.00 p.m (IST).
iv.	Book closure date	July 16, 2021 to July 22, 2022 (both days inclusive)
v.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	1. **BSE Ltd. (BSE)** Address: 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 2. **National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)** Address: Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C / 1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051. The bonds issued in the domestic market comprised privately placed bonds and are listed on the BSE/ NSE. Listing fees as applicable have been paid.
vi.	Stock code/ Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
vii.	Registrar and Share Transfer Agents	**KFin Technologies Ltd. (formerly known as Kfin Technologies Pvt. Ltd.)** Unit : IDBI Equity, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
viii.	Share Transfer system	In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the transfer of securities held in physical mode had been discontinued w.e.f. April 01, 2019 except for those cases lodged prior to deadline and rejected due to deficiency in the documents. SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/RTAMB/CIR/P/ 2020/166 dated September 07, 2020, had fixed March 31, 2021 as the cut-off date for re-lodgement of such rejected cases. Thus w.e.f. April 01, 2021, the Bank's shares which are held in dematerialised form can only be transferred through the depository systems. Further, SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated January 25, 2022, decided that the listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc. shall henceforth issue the securities in dematerialised form only. Requests for issue of duplicate share certificates/ deletion/ transmission/ transposition received by the Bank during the financial year ended March 31, 2022 were approved by an internal committee called Share Transfer Committee (comprising Executive Directors/ Chief General Managers) and processed as per SEBI's extant operational guidelines.

General Shareholders' Information

ix. Financial Calendar

April 1, 2021 to March 31, 2022

Quarterly Results were approved on:

Results as on	Board Meeting
June 2021	July 28, 2021
September 2021	October 21, 2021
December 2021	January 21, 2022
March 2022	May 02, 2022

x. Dematerialisation of Shares & Liquidity

The Bank's shares shall compulsorily be traded on the stock exchanges in dematerialised form only.

The number of shares held in dematerialised and physical mode as on March 31, 2022 are as under:

	No. of shares	% of total Capital issued
Held in dematerialised form in NSDL	5669775513	52.73
Held in dematerialised form in CDSL	5074867429	47.20
Physical	7759233	0.07
Total	**10752402175**	**100.00**

xi. Listing of Debt Securities

Unsecured Long-term Rupee Bonds/ Debentures issued by the Bank and outstanding in the books of the Bank as on March 31, 2022, are listed on the debt segment of the BSE and the NSE.

xii. Debenture Trustee

- **Axis Trustee Services Ltd.,**

  Address : The Ruby, 2nd Floor, SW, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai – 400 028.
  Telephone number : 022-62300451
  E-mail ID of the Principal officer of the Trustee :
  debenturetrustee@axistrustee.com

- **SBICAP Trustee Company Ltd.,**

  Address : Mistry Bhavan, 4th Floor, 122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020
  Telephone number : 022 4302 5500/ 5566
  E-mail ID of the Principal officer of the Trustee :
  jatin.bhat@sbicaptrustee.com

xiii. Outstanding Global Depository Receipts (GDRs)/ American Depository Receipts (ADRs)/ warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity

IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants, etc.

xiv. Plant Locations

Not applicable.

However, information about locations of the Bank's branches is available on its website (www.idbibank.in).

General Shareholders' Information

xv.	Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** **CIN – L65190MH2004GOI148838** **Address:** Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 **Phone** – 022-66553062/ 2711/ 3147/3336 **E-mail** – idbiequity@idbi.co.in **Website** – www.idbibank.in **Registrar & Transfer Agents** **KFin Technologies Ltd. (Formely Known as Kfin Technologies Pvt. Ltd.)** **Address:** Selenium Tower B, Unit : IDBI Bank, Plot. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 **Toll Free Number:** 1-800-3454-001 **Website:** www.kfintech.com **E-mail:** einward.ris@kfintech.com
xvi.	List of Credit Rating obtained by the Bank	The Credit Rating details are provided in the Management Discussion & Analysis section of the Annual Report
xvii.	Market price data	Refer Table i
xviii.	Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, etc.	Refer Table ii
xix.	Distribution of shareholding	Refer Table iii

Table i

IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd.(BSE) : April 2021 – March 2022

(₹)

	NSE		BSE			NSE		BSE	
Month	High	Low	High	Low	Month	High	Low	High	Low
Apr 2021	39.00	33.80	39.00	33.80	**Oct 2021**	62.50	44.40	62.60	44.40
May 2021	40.55	36.20	40.50	36.20	**Nov 2021**	56.95	44.20	56.95	44.25
June 2021	39.70	37.50	39.70	37.50	**Dec 2021**	53.95	45.55	54.00	45.55
July 2021	38.80	37.40	38.80	37.40	**Jan 2022**	52.40	45.95	52.35	46.00
Aug 2021	38.55	36.75	38.50	36.80	**Feb 2022**	51.55	41.15	51.55	41.15
Sept 2021	46.30	36.95	46.30	36.95	**Mar 2022**	45.30	40.90	45.35	40.85

Table ii:

The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (Sensex) during the period April 1, 2021 to March 31, 2022 is given in the following chart -

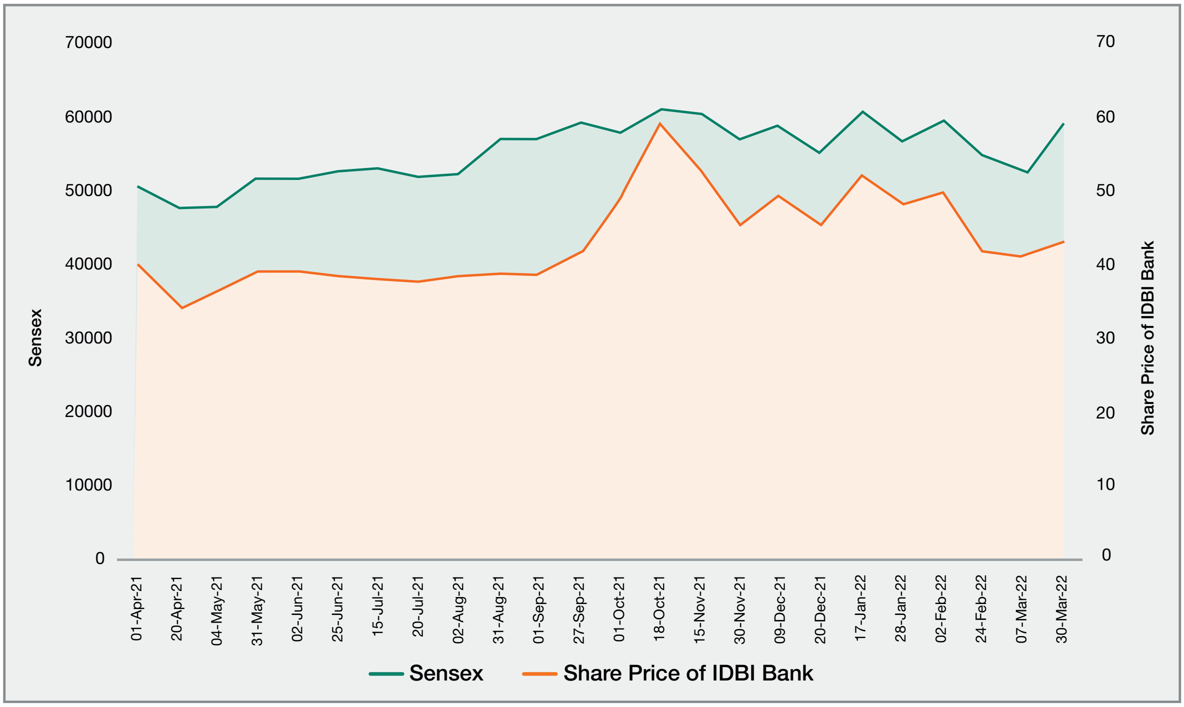

Table iii:

The details of shareholding in the Bank by the major categories of the shareholders and the distribution schedule as on March 31, 2022 is presented below:

Shareholding Pattern as on March 31, 2022

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Life Insurance Corporation of India (Promoter with Management Control)	5294102939	49.24
Government of India (Co-promoter without Management Control)	4889871903	45.48
Employees	710568	0.01
Public	398446644	3.71
Hindu Undivided Family	15495564	0.14
Bodies Corporate	60527355	0.56
Institutions		
A) Banks	25418264	0.24
B) Foreign Institutional Investors	100	0.00
C) State Finance Corporations	0	0.00
D) Financial Institutions	0	0.00
E) Mutual Funds	1403421	0.01
Societies	24800	0.00
Trusts	426895	0.00

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Insurance Companies	12778869	0.12
NRIs	36769285	0.34
Directors, KMPs & Relatives		
(i) Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	4400	0.00
(ii) Shri Suresh Khatanhar, DMD	24200	0.00
(iii) Shri Ajay Sharma, CFO [up to 31.05.2021]	120	0.00
NSDL (transit)	4237171	0.04
Foreign Portfolio Investors	2725181	0.03
NBFC	2553745	0.02
IEPF	6880751	0.06
GRAND TOTAL	**10752402175**	**100.00**

Distribution Schedule as on March 31, 2022

Sl. No.	Category		No. of shareholders	% to total shareholders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	571556	98.43	1729303490.00	1.61
2	5001	10000	4761	0.82	364758050.00	0.34
3	10001	20000	2307	0.40	335289080.00	0.31
4	20001	30000	710	0.12	179414710.00	0.17
5	30001	40000	312	0.05	110688200.00	0.10
6	40001	50000	284	0.05	132752790.00	0.12
7	50001	100000	392	0.07	286500980.00	0.27
8	100001 & above		360	0.06	104385314450.00	97.08
Total			**580682**	**100.00**	**107524021750.00**	**100.00**

OTHER DISCLOSURES

i. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND DETAILS OF DEPOSITS WHICH ARE NOT IN COMPLIANCE OF THE REQUIREMENTS OF CHAPTER V OF THE ACT

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to banking company and hence, the requirement of disclosure of captioned details is not applicable to IDBI Bank.

ii. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

There were no orders passed by the regulators or courts or tribunals during FY 2021-22 which could impact the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

iii. THE NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

No new subsidiaries, Joint Ventures (JVs) or Associate Companies have been formed during FY 2021-22. Further, no subsidiaries, JVs or Associate Companies have ceased to be the same during FY 2021-22.

iv. FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Independent Directors are being regularly familiarised with the business of the Bank, their duties & responsibilities and the compliance requirements in the Bank as per the changes in the regulatory environment. Further, the Independent Directors were nominated for/ deputed to various training programmes during FY 2021-22.

The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

v. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

The Bank has a Board-approved Vigil Mechanism Policy in compliance with the statutory/ regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is submitted to the Board on a regular basis. During FY 2021-22, no personnel were denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vi. POLICY FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARIES

In terms of the requirement of Regulation 46 of the LODR Regulations, the policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

vii. POLICY ON DEALING WITH RELATED PARTY TRANSACTIONS

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the LODR Regulations, the Bank has formulated a policy on dealing with related party transactions. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

viii. DISCLOSURE ON MATERIALLY SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS THAT MAY HAVE POTENTIAL CONFLICT WITH THE INTEREST OF LISTED ENTITY AT LARGE

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during FY 2021-22, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

ix. INFORMATION UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Bank has a policy against sexual harassment and a formal process for dealing with complaints of harassment or discrimination. The said policy is in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Bank has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the said Act. Pursuant to the amendment to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details pertaining to number of complaints during the year have been provided below:

A	Number of complaints filed during the financial year	11 *(including three complaints of prior period which were pending for conclusion)*
B	Number of complaints disposed of during the year	10
C	Number of complaints pending as at end of the financial year	01

x. DISCLOSURE OF COMMODITY PRICE RISKS OR FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY HEDGING ACTIVITIES

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by regulators.

xi. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

xii. DISCLOSURE, AS TO WHETHER MAINTENANCE OF COST RECORDS AS SPECIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 148 OF THE COMPANIES ACT, 2013, IS REQUIRED BY THE COMPANY AND ACCORDINGLY SUCH ACCOUNTS AND RECORDS ARE MADE AND MAINTAINED

IDBI Bank Ltd., being a banking company, provisions of maintenance of cost records is not applicable to it.

xiii. DISLOSURES

a) Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or the SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are:

FY 2019-20	Nil
FY 2020-21	Nil
FY 2021-22	Nil. However, RBI vide their letter dated April 8, 2022 imposed an aggregate penalty of ₹ 90 lakh on the Bank, in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance with the directions issued by the RBI on Frauds-classification and reporting by commercial banks and select Financial Institutions (FIs); Strengthening the Controls of Payment Ecosystem between Sponsor Banks and SCBs/ UCBs as a Corporate Customer and Cyber Security Framework in Banks.

b) During the FY 2021-22, the Bank has not raised any funds through preferential allotment or through Qualified Institutions Placement (QIP). The proceeds from previous funds raised, have been fully utilised for augmenting the capital adequacy of the Bank and for general business purposes.

c) A certificate dated May 02, 2022 has been obtained from Shri S. N. Ananthasubramanian (CP No. 1774) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/ the MCA or any such statutory authority is annexed to this Report

d) The Bank has made all the disclosures in the Annual Report that were required in terms of sub-paras (2) to (10) of the Corporate Governance section of Schedule V (Annual Report) of the LODR Regulations.

e) The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of the LODR Regulations.

f) The Bank has complied with all the mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/ half-yearly/ annual compliance report on Corporate Governance in the prescribed formats to the Stock Exchanges within the prescribed timelines.

g) There has been no instance where the Board had not accepted any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required and hence, no disclosure in this regard is required.

h) In terms of Schedule V of the LODR Regulations, the total fees for all services paid by the Bank to the Statutory Auditors during FY 2021-22 was ₹ 267 lakh (including certification and other audit related services) and out of pocket expenses was capped at ₹ 24 lakh.

i) **Subsidiary Companies:** As on March 31, 2022, the Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries are material subsidiary companies as defined under Regulation 16 of the LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's Board meetings.

j) **Document Handling and Retention Policy:** In terms of Regulation 9 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank has in place a Board-approved Document Handling and Retention Policy.

k) **Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account:**

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2021	17	3280
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2021 to March 31, 2022	5	1000
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2021 to March 31, 2022	1	200
(d)	Number of shares transferred to IEPF Authority as per Section 124 & 125 of the Companies Act, 2013	2	360
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on March 31, 2022	14	2720
(f)	The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

l) **Disclosures in respect of Investors Education and Protection Fund (IEPF)**

a) Details of the transfer/s to the IEPF made during the year :

Sl. No.	Description	Shares/ Bonds/ Debentures	Amount
(i)	Amount of unclaimed/ unpaid dividend and the corresponding shares	1020618	32,45,609
(ii)	Redemption amount of preference shares	NA	0
(iii)	Amount of matured deposits, for companies other than banking companies, along with interest accrued thereon	NA	0
(iv)	Amount of matured debentures along with interest accrued thereon	NA	4,82,739
(v)	Application money received for allotment of any securities and due for refund along with interest accrued	NA	0
(vi)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	NA	0

b) Details of the resultant benefits arising out of shares already transferred to the IEPF - NIL

Year-wise amount of unpaid/ unclaimed dividend lying in the unpaid account up to the year and the corresponding shares, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:

Sl. No.	Financial Year	Unpaid dividend	No. of shares	Due Date for transfer to IEPF
i.	FY 2014-15	8400183.00	11195373	18.09.2022

c) The amount of donation, if any, given by the company to the IEPF	0
d) Such other amounts transferred to the IEPF, if any, during the year	0

STATUS OF COMPLIANCE OF DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF REGULATION 27

The status of discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties	In terms of Article 116(1) (i) of the Articles of Association of the Bank, Shri M. R. Kumar, Chairperson of LIC, was appointed as Non-Executive Non-Whole Time Chairman of IDBI Bank Ltd. w.e.f. May 13, 2019. The Bank has provided for a Chairman's office at its Head Office located at IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai. Sitting fees is paid to the LIC for the Board Meetings attended by Shri M. R. Kumar on behalf of LIC.
2	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly and half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the stock exchanges immediately after the Board approval for information of shareholders and other stakeholders.
3	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is constantly working in this direction.
4	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD & CEO such that the Chairperson shall – (a) be a Non-Executive Director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term *"relative"* defined under the Companies Act, 2013.	The Bank has separate positions for Non-Executive Non-Whole Time Chairman and a MD & CEO. The Chairperson is not related to the MD & CEO of the Bank.
5	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor reports directly to the Audit Committee of the Board.

CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director & CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2021-22.

Rakesh Sharma
(DIN-06846594)
Managing Director & CEO
Dated: May 02, 2022

CEO/ CFO CERTIFICATION

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Annexure-A

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto.

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any:	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
NIL								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid as advances, if any:
NIL						

Rakesh Sharma
(DIN -06846594)
MD & CEO
Dated: May 06, 2022

Annexure-B

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR FY 2021-22

1. **Brief outline on CSR Policy of the Company**

   The Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. The Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for development and creating a partnership with the beneficiaries.

   The Bank's CSR policy, *inter alia,* provides the platform for undertaking interventions in areas such as healthcare, education, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability, enhancement of livelihood opportunities and rural development projects.

2. **The Composition of the CSR Committee:**

Sr. No.	Directors	Position	Number of meetings held during the year during their tenure	Number of Meetings attended during the year during their tenure
1	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO – Chairman of the Committee	03	03
2	Shri Samuel Joseph Jebaraj	Dy. Managing Director	03	03
3	Shri Suresh Khatanhar	Dy. Managing Director	03	03
4	Shri Samaresh Parida	Independent Director	03	03
5	Smt. P. V. Bharathi	Independent Director	03	03

3. **Provide the web link where Composition of the CSR Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the company:** The web-link to the CSR policy and projects or programs is hosted on the bank's website under the link - https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp

4. **Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report):** Not Applicable

5. **Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:** Not applicable

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in ₹)	Amount required to be set- off for the financial year, if any (in ₹)
		NIL	

6. **Average net profit of the company as per section 135(5):** The Bank incurred average net loss (for CSR purpose) of ₹ 6,922.49 crore for the last three financial years, i.e. FY 2018-19, FY 2019-20 and FY 2020-21.

7. a. **Two percent of average net profit of the company as per section 135(5):** Not applicable

   In terms of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, the Bank incurred average net loss (for CSR purpose) of ₹ 6,922.49 crore for the last three financial years, i.e. FY 2018-19, FY 2019-20 and FY 2020-21.

   b. **Amount required to be set off for the financial year, if any:** Not applicable

   c. **Total CSR obligation for the financial year (7a+7b- 7c):** Not applicable

8. a. **CSR amount spent or unspent for the financial year:** CSR budget was not mandatory for the Bank for FY 2021-22 as the average net profit for last three years was negative. However, the Bank has voluntarily spent ₹ 0.18 crore during FY 2021-22 towards selected CSR interventions.

Total Amount Spent for the Financial Year. (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
18,40,000/-	NIL		NIL		

b. **Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:** ₹ 18,40,000/-

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration	Amount allocated for the project (In ₹)	Amount spent in the current financial Year (In ₹)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6)	Mode of Implementation - Direct (Yes/No)	Mode of Implementation Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number
1	Financial aid to 20 female students for their academic expenses under Yashoda Yojana of Vanvasi Kanya Chhatrawas for the year 2021-22.	Promoting education, including special education and employment enhancing vocational skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects	No	Uttarakhand	Rudrapur	Academic year 2021-22	4,00,000/-	4,00,000/-	0	No	Vanvasi Kanya Chhatrawas	CSR00008886

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration	Amount allocated for the project (In ₹)	Amount spent in the current financial Year (In ₹)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6)	Mode of Implementation - Direct (Yes/No)	Mode of Implementation Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registra-tion number
2	Financial assistance for purchase of a delivery vehicle for distribution of midday meals at their Puducherry location.	Eradicating hunger, poverty and malnutrition promoting healthcare including preventive health care and sanitation including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water	No	Puducherry	Puducherry	Not applicable	14,40,000/-	14,40,000/-	0	No	The Akshaya Patra Foundation	CSR00000286
							18,40,000/-	18,40,000/-				

c. **Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:** Not applicable.

1	2	3	4	5		6	7	8	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No)	Location of the project		Amount spent for the project (in ₹)	Mode of Implementation- Direct (Yes/No)	Mode of Implementation Through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration number
NIL									

d. **Amount spent in Administrative Overheads:** Not applicable.

e. **Amount spent on Impact Assessment, if applicable:** Not applicable.

f. **Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e):** ₹18,40,000/- .

g. **Excess amount for set off, if any:** Not applicable.

Sl. No.	Particulars	Amount (In ₹)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	Not applicable
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	18,40,000/-
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	Not applicable
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Not applicable
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Not applicable

9. a. **Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:** Not applicable

Sl. No.	Preceding Financial Year	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135(6) (In ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (In ₹)
				Name of the Fund	Amount (in ₹)	Date of transfer	

NIL

b. **Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):** Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project Duration	Total amount allocated for the project (In ₹)	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in ₹)	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (In ₹)	Status of the project - Completed/ Ongoing.

NIL

10. **In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (Asset-wise details):** Not applicable.

(a) **Date of creation or acquisition of the capital asset(s)** : Not applicable.

(b) **Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset** : Not applicable.

(c) **Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.** : Not applicable.

(d) **Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset)** : Not applicable.

11. **Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5):** In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there was no requirement for IDBI Bank to incur any spends under CSR during FY 2021-22. However, the Bank has voluntarily spent ₹ 0.18 crore during FY 2021-22 towards selected CSR interventions.

Rakesh Sharma
(DIN: 06846594)
MD & CEO
Chairman of CSR Committee
May 26, 2022

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN:L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower,WTC Complex,
Cuffe Parade,Mumbai – 400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **IDBI Bank Ltd.** (hereinafter called 'the Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended **31st March, 2022,** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2022 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings – **Not applicable as no reportable event during the year under review;**

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 ('SEBI Act'):

  a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

  b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

  c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;- **Not Applicable as no reportable event during the year under review;**

  d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (up to 12th August, 2021) and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (with effect from 13th August, 2021) – **Not applicable as there was no reportable event during the year under review;**

  e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (up to 15th August, 2021);

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations,1993 regarding the Companies Act and dealing with client – **Not applicable as the Bank is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;**

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (up to 9th June, 2021) and The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (with effect from 10th June, 2021) – **Not applicable as the Bank has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review;**

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 – **Not applicable as the Bank has not bought back/proposed to buy back any of its securities during the financial year under review**;

i. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (with effect from 16th August, 2021).

j. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

vi. The management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Bank:

1. The Banking Regulation Act, 1949 and Rules, Notifications, Circulars and Guidance issued by the Reserve Bank of India from time to time;
2. The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
3. Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;
4. The Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005
5. The Payment and Settlement Systems Act, 2007;
6. The Negotiable Instruments Act, 1881.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(ii) Listing Agreements entered into with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations,Guidelines,Standards etc. mentioned above.

We further report that:

➢ The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors and a Woman Independent Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

➢ Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board/Committee Meetings and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance except where consent of Directors was received for circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda less than seven days before the meeting.

➢ A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

➢ All decisions of the Board and Committee meetings were carried with requisite majority.

We further report that based on the review of the compliance mechanism established by the Bank and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by Company Secretary and Chief Compliance Officer based on certificates received from various departments / Verticals / Subsidiary Companies and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s), we are of the opinion that the Bank has systems and processes in place and is taking efforts to further

strengthen them so as to make them commensurate with the size and operations of the Bank, to monitor and ensure compliance with all applicable laws, rules, regulations and guidelines.

➢ As informed the Bank has paid a penalty of Rupees Ninety Lac on 11th April, 2022, imposed by RBI vide its letter dated 8th April 2022, for non- compliance with the directions issued by it on Frauds-classification and reporting, Strengthening the Controls of Payment Ecosystem between Sponsor Banks and SCBs/UCBs as a Corporate Customer and Cyber Security Framework in Banks.

During the Audit period the following events/ actions having a major bearing on Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards referred to above have taken place:

➢ The Bank has Redeemed Debt Securities aggregating to ₹ 3134.40 crore on their respective due dates.

➢ The Members at the Annual General Meeting held on 10th August, 2021 by way of Special Resolutions:

1. Authorised the Board of Directors to raise funds by way of issue of equity shares through one or more modes, upto ₹ 7500 Crore;

2. Approved the alteration of Articles of Association to bring them in line with the circular issued by the Reserve Bank of India on Corporate Governance in Banks.

3. The Board of Directors at their meeting held on 12th February, 2021, accorded approval to the Scheme of Reduction of Capital by setting off accumulated losses in full or to such extent as may be possible by utilizing the balance standing to the credit of Securities Premium Account as indicated in the Audited Financial Statements of the Bank for the Financial Year ending 31st March, 2021 subject to Statutory / Regulatory and Member's approval. Further the shareholders have accorded their approval by way of Special Resolution at the Annual General Meeting held on 10th August 2021 and the Bank has made an application to NCLT seeking approval to the said Scheme.

➢ The Board at its meetings held on 29th March 2022 has approved borrowings by way of Rupee Bond upto ₹ 8,000 crore in one or more tranches, comprising Additional Tier I (AT-1) Bonds up to ₹ 3,000 crore and Senior/ Infrastructure Bonds up to ₹ 1,000 crore by way of private placement during FY 2022-23.

The Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure – A** hereto and forms an integral part of this report.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206D000251783
May 2, 2022 | Thane

Annexure – A

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai – 400005.

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31st March, 2022 of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Bank to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

3. We have conducted the Audit as per the applicable Auditing Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

4. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.

5. Wherever required, we have obtained reasonable assurance about whether the statements prepared, documents or Records, in relation to Secretarial Audit, maintained by the Auditee, are free from misstatement.

6. Wherever required, we have obtained the Management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

Disclaimer

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

8. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206D000251783
May 2, 2022 | Thane

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10)(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members of
IDBI BANK LIMITED
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade
Mumbai - 400005

We have examined the following documents:

i) Declaration of non-disqualification as required under Section 164 of Companies Act, 2013 ('the Act');

ii) Disclosure of concern or interests as required under Section 184 of the Act;
(hereinafter referred to as 'relevant documents')

as submitted by the Directors of IDBI Bank Ltd. ('the Bank') bearing CIN: L65190MH2004GOI148838 and having its registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005, to the Board of Directors of the Bank ('the Board') for the Financial Year 2021-2022 and Financial Year 2022-2023 and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Bank and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory/ Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the provisions of the Act.

Ensuring the eligibility for the appointment/continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification

Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Bank, its officers and authorized representatives, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank, as listed hereunder for the Financial Year ending 31st March, 2022, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
1.	Mr. Gyan Prakash Joshi	00603925	28/08/2015	NA
2.	Mr. Bhuwanchandra Balkrishna Joshi	06713850	09/10/2017	NA
3.	Mr. Samaresh Parida	01853823	19/05/2018	NA
4.	Mr. Jambunathan Narayanan	05126421	19/05/2018	NA
5.	Mr. Rakesh Sharma	06846594	10/10/2018	NA
6.	Mr. Rajesh Kandwal	02509203	21/01/2019	02/02/2022
7.	Mr. Deepak Singhal	08375146	28/02/2019	NA
8.	Mr. Sanjay Gokuldas Kallapur	08377808	05/03/2019	NA
9.	Mr. Mangalam Ramasubramanian Kumar	03628755	13/05/2019	NA
10.	Ms. Meera Swarup	07459492	20/08/2019	10/03/2022
11.	Mr. Samuel Joseph Jebaraj	02262530	20/09/2019	NA
12.	Mr. Suresh Kishinchand Khatanhar	03022106	15/01/2020	NA

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
13.	Mr. Anshuman Sharma	07555065	11/06/2020	NA
14.	Mrs. P V Bharathi	06519925	14/01/2021	NA
15.	Mr. Mukesh Gupta	06638754	10/02/2022	NA
16.	Mr. Thothala Narayanasamy Manoharan	01186248	24/02/2022	NA

*This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

This Certificate has been issued at the request of the Bank to make disclosure in its Corporate Governance Report of the Financial Year ended 31st March, 2022.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.
Company Secretaries
ICSI Unique Code P1991MH040400
Peer Review Cert. No. 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS : 4206 I COP No. : 1774
ICSI UDIN: F004206D000251717
May 2, 2022 I Thane

एकल वित्तीय विवरण

Standalone Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022 के तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 और साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2022 को बैंक के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के उसके लाभ तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर विनिर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

महत्वपूर्ण विषय

हम एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी 18(सी) (V) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो बैंक के परिचालन और वित्तीय स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में है, जोकि इन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई और विनियामक उपायों सहित कई अनिश्चित पहलुओं पर निर्भर करेगा.

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है. नीचे उल्लिखित प्रत्येक मामलों पर हमारी लेखापरीक्षा ने क्या–क्या समाधान किए, उसका वर्णन उस संदर्भ में दिया गया है:

To,

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2022 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 18(C)(V) of the accompanying Statement of Standalone Financial Statements, regarding the impact of COVID-19 pandemic on the Bank's operations and financial position, which will depend on various uncertain aspects including actions taken to mitigate the same and other regulatory measures.

Our Opinion is not modified in respect of the above matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2022 को 13,318.47 करोड़ रुपये की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान 1,122.44 करोड़ रुपये का निवल विपर्यय शामिल है. आस्थगित कर की मान्यता में इन आस्तियों की वसूली की संभावना के बारे में निर्णय शामिल है, विशेष रूप से क्या भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जो इन आस्तियों की मान्यता का समर्थन करेगा. इन आस्थगित कर आस्तियों को वसूली योग्य या अन्यथा मानने में शामिल निर्णय की डिग्री को देखते हुए, हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: • एएस 22 आय पर कर के लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन; • प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक, निदेशक मंडल द्वारा एकल वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. • प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.
अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
अग्रिम बैंक की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे, अन्य बातों के साथ-साथ, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और प्रावधान मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों के प्रदर्शन और गैर-निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं.	हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं: • एप्लिकेशन सिस्टम से प्राप्त अपवाद रिपोर्टों के परीक्षण पर विचार करना जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं.

Key Audit Matters	Auditor's Approach
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of INR 13,318.47 Crores as on March 31, 2022, after net reversal of INR 1,122.44 Crores during the year. The recognition of deferred tax involves judgement regarding the likelihood of realisation of these assets in particular whether there will be sufficient taxable profits in future periods that will support the recognition of these assets. Given the degree of judgement involved in considering these deferred tax assets as recoverable or otherwise, we consider this to be a key audit matter.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Our audit procedures included: • Evaluation of policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • Assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Audit Committee of the Board of Directors. • Assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.
Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Advances constitute significant portion of the Bank's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non- performing Advances (NPA)	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular: • Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded.

बैंक इन अग्रिमों को आईआरएसी मानदंडों के आधार पर अपनी लेखा नीति अनुसूची संख्या: 17 के अनुसार वर्गीकृत करता है.

निष्पादित और गैर–निष्पादित अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित गुणात्मक कारकों के रूप में प्रत्येक गैर–निष्पादित आस्ति ("एनपीए") के लिए मात्रात्मक और साथ ही दोनों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान की मात्रा को पहचानने और निर्धारित करने के लिए निर्णय की महत्वपूर्ण डिग्री लागू करने की आवश्यकता है.

एनपीए की पहचान और प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान निम्नलिखित तात्विक अयथार्थ कथनों को जन्म दे सकते हैं:

- आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनुसार गैर–निष्पादित आस्तियों की मान्यता की पूर्णता और समय;
- ऋण सहायता, ऋण की अवधि बढ़ने और वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन;
- एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रतिवर्तन

बैंक अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन के लिए जिम्मेदार है. एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना आईआरएसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नामक एक अन्य आईटी प्रणाली के माध्यम से की जाती है. यदि एकल या समग्र रूप में आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाए तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) तात्विक रूप से अयथार्थ बताया जा सकता है.

निहित तात्विकता, लेनदेन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.

- आरबीआई के वृहद ऋणों पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लिखित खातों ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर तनाव की पहचान करने के लिए विचार करना
- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना
- बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, क्रेडिट लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा पर विचार करना
- हमने अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया है. हमने रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के विवरण, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों तथा अग्रिमों के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है.
- पहचाने गए गैर–निष्पादित अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता तात्विकता सहित कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तारीखों, अप्राप्त ब्याज की वापसी, उपलब्ध सुरक्षा के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधान पर परीक्षण किया. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद एनपीए के प्रावधान की पुनर्गणना की और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे माप परिणामों की तुलना की.
- इसके अलावा, हमने शाखाओं/ कार्यालयों का दौरा करने और दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच के साथ–साथ अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों पर

The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy schedule no : 17

The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each non-performing asset ('NPA') applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.

Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on:

- Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRAC norms;
- Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security;
- Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs.

The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Core Banking Solution (CBS). NPA classification and calculation of provision is done through another IT System viz. IRAC Application Software. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.

Considering the materiality involved, nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, we have determined this as a Key Audit Matter.

- Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress.
- Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors
- Considering Internal Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.
- We have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines.
- For Non- performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRACP norms. We recomputed the provision for NPA after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management
- In addition, we have also carried out substantive procedures including visits to branches/ offices and examination of documentation and other records as well as reports of independent valuers on securities to advances.

	स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट सहित मूल प्रक्रियाएं भी पूरी की हैं. अन्य शाखाओं के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में डिजिटल माध्यम से बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्कैन किए गए रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के आधार पर नमूना अग्रिमों की समीक्षा, सीबीएस के लिए ईमेल और रिमोट एक्सेस और सुरक्षित नेटवर्क पर अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं.
आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण	
बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉर्ड्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. बैंक अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करता है और प्रतिदिन कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं. इसके अलावा, बैंक के सिस्टम और डेटा की अखंडता की रक्षा करने के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और हाल की अवधि में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जोखिम बन गई है. आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है.	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में निम्नलिखित बातें शामिल हैं: • हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांच की योजना बनाई है, उन्हें डिजाइन किया है और निष्पादित किया है. हमने उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण सहित बैंक के आईटी वातावरण की समझ प्राप्त की है. • हमने आईटी सामान्य नियंत्रणों (तार्किक पहुंच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं) का परीक्षण किया. इसमें सिस्टम तक पहुंच के अनुरोधों की समीक्षा करने व प्राधिकृत करने का परीक्षण भी शामिल था. हमने अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए सिस्टम में बदलाव के अनुरोधों का निरीक्षण किया. • आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आईआरएसी के लिए की गई बाह्य आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा साथ ही, सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया.

	In respect of other Branches, our audit procedures included review of sample advances based on scanned records/ reports/ documents/ certificates made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software over secure network of the Bank.
IT Systems and controls over financial reporting	
The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. The Bank uses several systems for its overall financial reporting and there is a large volume of transactions being recorded at multiple locations daily. In addition, there are increasing challenges to protect the integrity of the Bank's systems and data since cyber security has become a more significant risk in recent periods. Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.	As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting: • We have planned, designed and carried out the audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. We obtained an understanding of Bank's IT environment including integration of various systems to evaluate their adequacy. • We tested IT general controls (logical access, changes management and aspects of IT operational controls). This included testing that requests for access to systems were reviewed and authorised. We inspected requests of changes to systems for approval and authorisation. • Considering IS audit reports conducted by Internal audit department and External IT System audit report for IRAC. Also, the audit report of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

	• उपरोक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था. जहां कमियों की पहचान की गई थी, वहाँ हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा अथवा वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न कीं.

	• In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over financial reporting. Where deficiencies were identified, we sought explanations regarding compensating controls or performed alternate audit procedures.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित निदेशकों की रिपोर्ट (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है. अन्य जानकारी का अध्ययन करने पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सूचित करना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की वित्तीय विवरणों के प्रति जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वालीधोखाधड़ी या गलती के कारण

Information Other Than Standalone Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon. The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of

होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो

बैंक का प्रबंधन मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाता है जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बढ़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.

- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चतता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की

the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's Management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.

- Conclude on the appropriateness of Bank's Management and Board of Directors use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

1. हमने बैंक के एकल वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च 2022 को 43.83 करोड़ रुपये की कुल आस्ति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 8.31 करोड़ रुपये के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है. इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है.
2. 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की गई और पूर्ववर्ती सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई, जिन्होंने उन वित्तीय विवरणों पर दिनांक 03 मई 2021 की अपनी रिपोर्ट माध्यम से असंशोधित राय व्यक्त की है. तदनुसार, हम 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं.

उपर्युक्त मामलों में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

1. We did not audit the financial statements of the foreign branch in Dubai included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of INR 43.83 Crores as at March 31, 2022 and total revenue of INR 8.31 Crores for the year ended on that date. This branch has been audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.
2. The audit of Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2021 were carried out and reported by predecessor statutory auditors who have expressed unmodified opinion vide their report dated May 03, 2021, on those Financial Statements. Accordingly, we, do not express any opinion on the figures reported in the Financial Statements for the year ended March 31, 2021.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

ख) बैंक के जो लेन–देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

ग) बैंक की वित्तीय लेखा प्रणाली केंद्रीकृत हैं और इसलिए, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लेखांकन विवरणियाँ शाखाओं द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. हमने लेखा–परीक्षा केंद्रीय रूप से की है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित रिकॉर्ड और डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध हैं. इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आरबीआई के मौजूदा परिपत्र के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी शाखाओं में रखे गए अभिलेखों की जांच करने के लिए 24 देशी शाखाओं का दौरा किया है, जिसमें बैंक के सकल अग्रिमों का 38.58 % निहित है.

3. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है;

ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;

घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ–हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

ङ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं;

च) यथा 31 मार्च 2022 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;

छ) बैंक के एकल वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में "अनुबंध ए" में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें;

ज) हमारी राय में, बैंकिंग कंपनी होने के नाते, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान इसके निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, और;

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

c. The financial accounting systems of the Bank are centralized and therefore, accounting returns for the purpose of preparing financial statements are not required to be submitted by the branches. Our audit has been carried out centrally as all the necessary records and data required for the purposes of our audit are centrally available. Further, during the course of our audit, we have visited 24 domestic branches which comprise of 38.58% of the gross advances of the Bank, to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit, in compliance with the extant RBI Circular.

3. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books;

c. the report on the accounts of the Dubai branch of the Bank audited by other auditor has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;

d. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

e. in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f. On the basis of written representation received from the directors as on March 31, 2022 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013;

g. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h. In our opinion, the entity being a Banking company, the remuneration to its directors during the year ended March 31, 2022 has been paid/ provided by the Bank in accordance with the provisions of section 35B of the Banking Regulation Act, 1949, and;

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें जानकारी उपलब्ध कराई गई है;

i. बैंक ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी)(12) (सी) का संदर्भ लें.

ii. बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी)(12) (बी) का संदर्भ लें.

iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है.

iv.

क. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18 (सी) (VII) में यथा दर्शाए अनुसार, किसी बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी से कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत से) नहीं ली गई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा.

ख. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18 (सी) (VII) में यथा दर्शाए अनुसार, बैंक द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा.

ग. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है.

i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i. The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone Financial Statements. Refer Schedule 18(B)(12)(C) to the Standalone Financial Statements.

ii. The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18(B)(12)(B) to the Standalone Financial Statements.

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

iv.

a. The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the note 18(C)(VII) to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the bank to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

b. The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the note 18(C)(VII) to the accounts, no funds have been received by the Bank from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the bank shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above,contain any material misstatement.

v. वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है और इसलिए, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के उप–खंड (एफ) के तहत संबद्ध रिपोर्टिंग आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं.

v. During the financial year, the Bank has not declared or paid any dividend and hence, the related reporting requirements under sub-clause (f) of Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. सं. / Firm Reg. No. 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार / Partner
सदस्यता सं./ Membership No. 25854
यूडीआईएनः/ UDIN:22025854AIGNMD2263

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 2 मई 2022 / Date: May 02, 2022

कृते जीडी आप्टे एंड कं.
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं.सं./ Firm Reg.No.100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार / Partner
सदस्यता सं./ Membership No. 121546
यूडीआईएनः/ UDIN: 22121546AIGNQD3957

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ("मार्गदर्शी नोट") में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ("मार्गदर्शी नोट") तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ("मानक") के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय विवरणियों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system with reference to financial statements.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. वित्तीय विवरणों पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे एवं परिशुद्धता के साथ बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2022 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. Bank's internal financial control with reference to financial statements includes those policies and procedures that

1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the Bank; and

3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Bank has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. सं./ Firm Reg. No. 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार / Partner
सदस्यता सं./ Membership No. 25854
यूडीआईएन:/ UDIN:22025854AIGNMD2263

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 2 मई 2022 / Date: May 02, 2022

कृते जीडी आप्टे एंड कं.
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं.सं./ Firm Reg.No.100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार / Partner
सदस्यता सं./ Membership No. 121546
यूडीआईएन:/ UDIN: 22121546AIGNQD3957

तुलन-पत्र 31 मार्च 2022 को
Balance Sheet as at March 31, 2022

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	30909 58 00	26058 66 64
जमा / Deposits	3	233134 41 59	230851 77 80
उधार राशियां / Borrowings	4	14344 98 00	15908 05 32
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	12277 98 43	14193 17 68
कुल / TOTAL		**301419 36 24**	**297764 07 66**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13593 36 50	13012 80 33
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	13117 22 32	22209 38 59
निवेश / Investments	8	82988 20 58	81022 56 27
अग्रिम / Advances	9	145771 83 72	128149 94 14
स्थायी आस्तियां / Fixed assets	10	9936 90 90	7827 41 74
अन्य आस्तियां / Other assets	11	36011 82 22	45541 96 59
कुल / TOTAL		**301419 36 24**	**297764 07 66**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	332181 08 40	220709 68 75
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		10706 95 65	9648 34 43
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(पोथुकुची सीताराम)
(Pothukuchi Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार (स. सं. 25854)/Partner
(M.No. 25854)

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार (स. सं. 121546)/Partner (M.No. 121546)

साझेदार: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक: 02 मई 2022 / Date: May 02, 2022

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2022

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	18295 29 56	19938 20 46
	अन्य आय / Other Income	14	4689 89 53	4558 60 07
	कुल / TOTAL		**22985 19 09**	**24496 80 53**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	9132 79 92	11414 20 66
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	6357 23 43	6047 50 16
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		5055 88 69	5675 63 30
	कुल / TOTAL		**20545 92 04**	**23137 34 12**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) / Net Profit / (Loss) for the Year		2439 27 05	1359 46 41
	लाभ/(हानि) को अग्रेषित किया गया / Profit/(Loss) brought forward		(45396 18 36)	(45586 16 74)
	कुल / TOTAL		**(42956 91 31)**	**(44226 70 33)**
IV	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		609 81 76	339 86 60
	पूंजीगत रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		157 39 92	285 00 39
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve(IFR)		-	544 61 04
	तुलन पत्र में ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		(43724 12 99)	(45396 18 36)
	कुल / TOTAL		**(42956 91 31)**	**(44226 70 33)**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2022

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per Share (₹) (Face Value ₹ 10 per Share)	18(आ)(7) 18(B)(7)		
मूल / Basic		2.27	1.30
न्यूनीकृत / Diluted		2.27	1.30
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(पोथुकुची सीताराम)
(Pothukuchi Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार (स. सं. 25854)/Partner (M.No. 25854)

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार (स. सं. 121546)/Partner (M.No. 121546)

साझेदार: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक: 02 मई 2022 / Date: May 02, 2022

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) ईक्विटी शेयर 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	25000 00 00	25000 00 00
	25000 00 00	**25000 00 00**
निर्गमित की गयी, अभिदत्त और चुकता पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णत: प्रदत्त ईक्विटी शेयर (अनुसूची 18 सी आई देखें) 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 C I)	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	**10752 40 22**	**10752 40 22**

अनुसूची 2 – रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserves		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2814 61 30	2474 74 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	609 81 76	339 86 60
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3424 43 06	**2814 61 30**
II	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिज़र्व / Foreign Currency Translation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2 28 16	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2 28 16	**-**
III	पूंजी रिज़र्व / Capital Reserves		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3011 08 42	2726 08 03
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	157 39 92	285 00 39
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3168 48 34	**3011 08 42**
IV	पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserves		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6281 44 73	6503 36 63
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2409 36 15	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व मे अंतरित / Transfer to General Reserve	223 04 53	221 91 90
		8467 76 35	**6281 44 73**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
V	शेयर प्रीमियम / Share Premium		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	50719 74 82	49668 89 71
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	1063 37 14
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	12 52 03
		50719 74 82	**50719 74 82**
VI	राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve		
	(क)/(a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6510 99 65	6284 49 90
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	4 57 85
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण / Transferred from Revaluation Reserve	223 04 53	221 91 90
	लाभ–हानि लेखे से अंतरण / Transferred from Profit & Loss Account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6734 04 18	**6510 99 65**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(VIII) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व (b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(VIII) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व (c) Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
	(घ) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (d) Investment Fluctuation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	544 61 04	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	544 61 04
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		544 61 04	**544 61 04**
VII	लाभ–हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss account	(43724 12 99)	(45396 18 36)
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**30909 58 00**	**26058 66 64**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 3 – जमाराशियाँ / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
अ / A		
I. मांग जमा राशियाँ / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	10643 43 49	9738 03 10
(ii) अन्य से / From others	34911 40 99	30816 96 74
कुल (i एवं ii) / Total (i and ii)	**45554 84 48**	**40554 99 84**
II. बचत बैंक जमा राशियाँ / Savings Bank Deposits	86804 34 23	75890 52 52
III. सावधि जमा राशियाँ / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	7330 99 72	8808 16 14
(ii) अन्य से / From others	93444 23 16	105598 09 30
कुल (i एवं ii) / Total (i and ii)	**100775 22 88**	**114406 25 44**
कुल (I से III) / Total (I to III)	**233134 41 59**	**230851 77 80**
आ / B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India	233122 02 04	230818 42 28
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	12 39 55	33 35 52
कुल (i एवं ii)/ Total (i and ii)	**233134 41 59**	**230851 77 80**

अनुसूची 4 – उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I. भारत मे उधार राशियां/ Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	2400 00 00	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	607 10 00	945 15 00
(iii) टीयर I (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
(iv) अपर टीयर II बॉण्ड/ Upper Tier II bonds	-	-
(v) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बॉण्ड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	1807 00 00	4641 40 00
(vi) बासेल III ओम्नी टीयर 2 बॉण्ड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
(vii) अन्य * / Others*	6256 80 22	6557 92 02
कुल (I) / Total (I)	**13715 90 22**	**14789 47 02**
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	629 07 78	1118 58 30
कुल (I तथा II)/ TOTAL (I and II)	**14344 98 00**	**15908 05 32**

टिप्पणी: ऊपर I एवं II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियाँ ₹ 2547 60 01 हजार (पिछले वर्ष ₹ 147 73 74 हजार) हैं
Note: Secured borrowings included in I and II above- ₹ 2547 60 01 Thousand (Previous Year ₹ 147 73 74 Thousand).

** इसमें ₹ 850 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 850 00 00 हजार)का बेमियादी ऋण लिखत शामिल है जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं है*
** Includes Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR*

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I.	देय बिल / Bills Payable		1673 56 46	1542 49 94
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)		-	-
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued		401 51 56	501 92 95
IV.	अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provisions)			
	(क) (a)	मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	3070 94 98	2998 32 51
	(ख) (b)	प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	429 81 92	406 55 49
	(ग) (c)	देय लाभांश तथा लाभांश कर Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) (d)	विविध लेनदार Sundry Creditors	113 40 41	108 95 09
	(ड.) (e)	देय सेवा कर/ टीडीएस/ अन्य कर Service tax/TDS/Other taxes payable	111 11 97	79 66 20
	(च) (f)	विविध जमाराशियां Sundry Deposits	21 05 25	17 28 60
	(छ) (g)	अन्य प्रावधान Other provisions	3176 07 02	3656 63 74
	(ज) (h)	विविध Miscellaneous	3280 48 86	4881 33 16
		कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**12277 98 43**	**14193 17 68**

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)		2230 62 12	3092 14 69
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष/ Balances with Reserve Bank of India			
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	11362 74 38	9920 65 64
	(ii)	अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)		**13593 36 50**	**13012 80 33**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

				यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	भारत में / In India				
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks			
		(क) (a)	चालू खातों में in Current Accounts	149 52 31	177 46 88
		(ख) (b)	अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	6663 96 98	6639 88 00
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice			
		(क) (a)	बैंकों के पास with banks	-	499 86 24
		(ख) (b)	अन्य संस्थाओं के पास with other Institutions	5202 00 00	14175 00 00
		कुल (i एवं ii) / TOTAL (i and ii)		**12015 49 29**	**21492 21 12**
II	भारत से बाहर / Outside India				
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts		613 92 22	502 41 10
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts		45 62 71	79 71 25
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		442 18 10	135 05 12
		कुल (i,ii एवं iii) / TOTAL (i,ii and iii)		**1101 73 03**	**717 17 47**
		महायोग (I तथा II) / GRAND TOTAL (I and II)		**13117 22 32**	**22209 38 59**

अनुसूची 8 – निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021को As at March 31, 2021
I	भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां* / Government Securities*	71666 82 47	75729 32 86
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	469 82 17	511 33 55
	(iv)	डिबेंचर और बॉण्ड / Debentures and Bonds	5788 95 02	1376 96 32
	(v)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	507 53 82	507 53 82
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs)	4479 72 57	2713 89 16
		कुल / Total	**82912 86 05**	**80839 05 71**
II	भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	75 34 53	183 50 56
	(ii)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
		कुल / Total	**75 34 53**	**183 50 56**
		महायोग (I तथा II) / GRAND TOTAL (I and II)	**82988 20 58**	**81022 56 27**
III	भारत में निवेश / Investments in India			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		89407 95 64	85318 65 93
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation		6495 09 59	4479 60 22
	निवल निवेश / Net investments		82912 86 05	**80839 05 71**
IV	भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		75 57 66	183 50 56
	घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less:Aggregate provision / depreciation		23 13	-
	निवल निवेश / **Net investments**		75 34 53	**183 50 56**

** गैर-एसएलआर-एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की विशेष भारत सरकार प्रतिभूतियों सहित*
** Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.*

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 9 – अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
अ / A			
(i)	खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	3177 63 93	622 24 57
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	44662 36 38	34242 49 65
(iii)	मीयादी ऋण* / Term loans*	97931 83 41	93285 19 92
	कुल / TOTAL	**145771 83 72**	**128149 94 14**
आ / B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets **	123396 06 81	121394 67 99
(ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	11600 90 01	705 74 63
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	10774 86 90	6049 51 52
	कुल / TOTAL	**145771 83 72**	**128149 94 14**
इ / C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
(i)	प्राथमिकता क्षेत्र/ Priority sector	57724 48 22	63839 62 20
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	1885 71 41	1601 43 53
(iii)	बैंक / Banks	50 44 95	281 48 03
(iv)	अन्य / Others	84178 43 53	60227 49 38
	कुल / TOTAL	**143839 08 11**	**125950 03 14**
II	**भारत के बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
(i)	बैंकों से देय / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से देय / Due from others:		
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	-
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	-	396 79 90
	(ग) अन्य (c) Others	1932 75 61	1803 11 10
	कुल / TOTAL	**1932 75 61**	**2199 91 00**
	महायोग (इ I तथा इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**145771 83 72**	**128149 94 14**

** शून्य हजार (पिछले वर्ष : शून्य) की (निवल) अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल है*
**Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ Nil Thousand (Previous Year: Nil)*

*** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं*
*** Includes advances against book debts*

**** बैंकों द्वारा जारी साख–पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं*
**** Includes advances against letter of credit issued by banks.*

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी आ. 2 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note B.2)		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	7240 12 26	7223 54 33
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	83 16 53	30 01 71
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	1736 26 14	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	102 11 48	13 43 78
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	3 90 44	469 31 04
	कुल / Total	**8953 53 01**	**6770 81 22**
II	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर)/ Opening Balance (at cost)	2204 70 37	2129 61 84
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	216 19 84	113 07 17
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	53 43 77	37 98 64
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1780 58 33	1618 09 21
	कुल / Total	**586 88 11**	**586 61 16**
III	पट्टे पर दी गई आस्तियां / Assets given on Lease		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (at cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	कुल / Total	**-**	**-**
IV	चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress	396 49 78	469 99 36
	महायोग (I से IV) / GRAND TOTAL (I to IV)	**9936 90 90**	**7827 41 74**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter office adjustments (net)	-	73 59
II	उपचित ब्याज/ Interest accrued	2207 86 72	2103 24 20
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	3429 63 09	6490 82 37
IV	लेखन सामग्री और स्टांप / Stationery and stamps	13 07	16 13
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर–बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)/* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)*	791 98 93	791 98 93
VI	अन्य / Others		
	(क) आस्थगित कर आस्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	13318 46 81	14440 90 58
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर/बॉण्ड (b) Shares / Bonds Pending allotment	11 70 10	-
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	621 34 55	447 78 24
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	242 90 60	316 67 15
	(ड.) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	154 96 19	149 31 85
	(च) विविध** (f) Miscellaneous**	15232 82 16	20800 33 55
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**36011 82 22**	**45541 96 59**

* *प्रावधानों की निवल बकाया राशि ₹ 44 54 93 हजार (पिछले वर्ष ₹ 78 38 93 हजार) है*
* *Amount outstanding net of provisions is ₹44 54 93 Thousand (Previous Year ₹78 38 93 Thousand)*

** *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 14164 24 49 हजार (पिछले वर्ष ₹ 18037 39 45 हजार) का निवेश शामिल है*
** *Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 14164 24 49 Thousand (Previous Year ₹ 18037 39 45 Thousand)*

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	135 27 48	318 39 21
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	74 83	74 83
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	267875 64 36	158173 95 82
IV	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	34727 61 27	37651 82 42
	(ख) - भारत के बाहर (b) - outside India	795 98 64	802 56 19
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	13256 07 36	9904 65 41
VI	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से जिम्मेदार है **Other items for which the Bank is contingently liable**		
	(क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता (a)Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	11987 01 72	10824 76 32
	(ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता (b)Liability in respect of other Derivative contracts	372 78 62	423 31 87
	(ग) विवादित कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण (c) On account of disputed taxes, Interest tax, penalty and interest demands	2496 61 48	2383 36 58
	(घ/d) अन्य / Others	533 32 64	226 10 10
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**332181 08 40**	**220709 68 75**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ 000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	12031 97 82	11819 22 10
II	निवेशों से आय / Income on investments	4629 00 98	5169 01 07
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	669 96 33	644 32 11
IV	अन्य / Others	964 34 43	2305 65 18
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**18295 29 56**	**19938 20 46**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 14 – अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1814 35 99	1747 28 51
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	1058 26 33	1722 18 40
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	15 63 42	(55 68 44)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	60 74	(42 06)
V	विनिमय लेन–देनों/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	730 49 66	376 02 63
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और/ या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	39 01 03	8 25 00
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	845 52 71	547 43 59
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	185 99 65	213 52 44
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**4689 89 53**	**4558 60 07**

अनुसूची 15 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ 000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	7774 79 93	9255 23 22
II	रिज़र्व बैंक/ अंतर–बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / Inter bank borrowings	182 87 59	553 58 57
III	अन्य / Others	1175 12 40	1605 38 87
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**9132 79 92**	**11414 20 66**

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	3105 08 66	3089 01 76
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	469 91 40	472 23 75
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	39 98 22	34 07 66
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	24 12 88	23 82 63
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property	413 28 31	392 93 26
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	1 90 85	1 21 21
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	3 36 29	2 48 47
VIII	विधि प्रभार / Law charges	21 00 21	15 16 52
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	88 23 30	74 20 76
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	99 35 45	85 49 57
XI	बीमा / Insurance	284 24 22	259 07 85
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure :		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	170 81 61	127 00 07
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	305 50 34	289 67 79
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	8 70 27	27 48 65
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	10 58 78	3 42 84
	(ङ.) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	594 84 46	576 11 26
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	157 83 20	139 37 14

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
(छ) (g)	स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय Staff training & other expenses	1 42 76	1 23 58
(ज) (h)	यात्रा और वाहन प्रभार Travelling and conveyance charges	24 61 46	16 32 71
(झ) (i)	ट्रेजरी व्यय Treasury expenses	4 90 95	5 31 26
(ज) (j)	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय Fee and other expenses for borrowing	-	71 12
(ट) (k)	अन्य Others	527 49 81	411 10 30
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)		**6357 23 43**	**6047 50 16**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, अर्थात् विशिष्ट लेखांकन नीतियों और बैंक के वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में इन सिद्धांतों को लागू करने की पद्धति निम्नलिखित है.

Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Bank.

1. तैयार करने का आधार / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अधीन बनाए नियमों के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (एएस), अधिनियम के प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय विधि, सिवाय कि जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, और परम्परागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules made there under, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

2. अनुमानों का उपयोग: / Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकेगा.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी) /बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG. .

iii. शुल्क और कमीशन आय तब निर्धारित किए जाते हैं जब बकाया और वसूली का यथोचित अधिकार सिद्ध हो जाता है और इसे विश्वसनीय रूप

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

से आंका जा सके. जब महत्वपूर्ण कार्य / माईलस्टोन पूरा हो जाता है तब समूहन/ व्यवस्थापक शुल्क को आय के रूप में लिया जाता है.
Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. सूचीबद्ध कंपनियों का लाभांश प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. असूचीबद्ध कंपनियों के बारे में लाभांश की प्राप्ति पर उसे हिसाब में लिया जाता है.
For listed companies, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. For unlisted companies dividend is booked as and when received.

vi. अनर्जक अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the Bank.

(क) एनसीएलटी/ विवाचक या कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ता के संदर्भ में वसूली एनसीएलटी/ विवाचक/ न्यायालय द्वारा दिए गए संबद्ध आदेश के अनुसार विनियोजित की जाती है.

a. In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law.

(ख) उन मामलों में जहां वसूली के कारण ऋण खाते बंद होने (गारंटीकर्ताओं/ अन्य पक्षकारों सहित उधारदाता/ उधारकर्ता संबंध विच्छेद के कारण) एक मुश्त निपटान/ बातचीत के रूप में निपटान/ कर्ज के समनुदेशन के रूप में/ आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान मोड/ समापन मोड के अधीन), लेकिन आगे कोई वसूली के अन्य माध्यम से विधिक उपाय या प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है. की दिशा में है, वहाँ उसे निम्नलिखित रूप में विनियोजित किया जाएगा.

b. In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors /third parties) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /Assignment of debt/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below:

(i) मूलधन / Principal

(ii) अदत्त व्यय/ ऐसे व्यय जो पहले ही वहन/ भुगतान किए गए है./Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(iii) ब्याज/ दंडस्वरूप ब्याज / Interest /penal Interest

(iv) प्रभार (शुल्क/ बकाया बीजी कमीशन) /Charges (Fees/BG commission outstanding).

(ग) जहां वसूली के कारण खाते अंतिम रूप से बंद न हो, ऐसी स्थिति में विनियोजन संविदात्मक शर्तों के आधार पर किया जाएगा.

c. In cases where recovery not resulting in final closure of accounts shall be appropriated as per contractual terms.

जहां बैंक और उधारकर्ता के बीच एनपीए में वसूलियों के विनियोजन हेतु स्पष्ट अनुबंध न हो वहाँ विनियोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

Where there is no clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated as mentioned below:

(i) बीजी व्यय/ व्यय जो पहले ही वहन/ भुगतान किए जा चुके है./ Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(ii) ब्याज/ दंडस्वरूप ब्याज / Interest /penal Interest

(iii) प्रभार (शुल्क/ बकाया बीजी कमीशन) / Charges (Fees/BG commission outstanding).

(iv) मूलधन / Principal

(घ) ऐसी राशियाँ जिनकी वसूली प्रारम्भिक वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए उधार के प्रति की गई है और उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के आधार पर प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आय के रूप में लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है.

d. Amounts recovered against debts written off in earlier years and provisions no longer necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.

4 अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिये किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है. विदेशी शाखाओं के संदर्भ में अग्रिम एवं उधार तथा अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का वर्गीकरण स्थानीय विनियम/अधिनियम या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो ज्यादा विवेकपूर्ण हो, के आधार पर किया जाएगा.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more prudent.

ii. अग्रिम जहां मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) के सृजन की अपेक्षा है उनका वर्गीकरण 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में किया जाता है. जहां ऐसी प्रतिभूति का निर्धारण/ सृजन नहीं किया जाता है वहाँ अग्रिमों का वर्गीकरण "अप्रतिभूति" के रूप में किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार,लाइसेंस,पेटेंट,कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को "मूर्त आस्तियां" नहीं माना जाता है.

Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated and created are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Where such security is not stipulated/created, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.

iii. उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों के लिए बैंक उनके खाते के पुनर्संरचना पर विचार करता है, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करेगा. पुनर्संरचना में सामान्य रूप से अग्रिमों/ प्रतिभूतियों की शर्तों में आशोधन शामिल हैं, जिसमें सामान्यत: अन्य के साथ–साथ चुकौती अवधि/ प्रतिदेय राशि/ किस्तों की राशि/ ब्याज दर (प्रतिस्पर्धात्मक कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से देय) में परिवर्तन शामिल होता है. पुनर्संरचना पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्गठित खातों को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

iv. पुनर्संरचित/ पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं, जिसके लिए संबंधित ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान के अतिरिक्त ऋणों/ अग्रिमों की पुनर्संरचना से पूर्व एवं पुनर्संरचना के पश्चात् उचित मूल्य के बीच अंतर निकालना अपेक्षित है. उपर्युक्त के कारण उचित मूल्य में ह्रास (डीएफवी) तथा ब्याज हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान अग्रिमों से घटाया जाता है.

For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value (DFV) and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.

v. अनर्जक परिसंपति पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, मानक परिसंपति के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. ये प्रावधान तुलन–पत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देनदारियाँ एवं प्रावधान–अन्य" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और ये निवल अनर्जक परिसंपति की गणना में शामिल नहीं किए जाते हैं.

In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

vi. बैंक जोखिम मूल्यांकन के आधार पर चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों की मानक आस्तियों पर नियामकीय न्यूनतम प्रावधान की तुलना में अधिक दरों पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान कर रहा है.

Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

कंट्री एक्सपोजर के लिए प्रावधान /Provision for Country Exposure:

vii. आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, वैयक्तिक कंट्री एक्सपोजर (स्वदेश के आलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च, प्रतिबंधित एवं ऑफ क्रेडिट और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का कंट्री एक्सपोजर (निवल) कुल निधिकृत आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है. यह प्रावधान तुलन–पत्र की अनुसूची 5 में शीर्षक "अन्य देयताएं और प्रावधान – अन्य" के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती है.
In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning is made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others"

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर / Unhedged Foreign Currency Exposure:

viii. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक तिमाही आधार पर अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है जिसे बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत कवर किया गया है.
The Bank is keeping incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHFCE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down a process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy.

अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान का बफर / Floating Provision & Countercyclical Provisioning Buffer:

ix. बैंक के पास अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण के सृजन और उपयोग के लिए तथा साथ ही साथ अग्रिमों, निवेशों और सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानीकरण हेतु अलग–अलग नीति है. अस्थायी प्रावधानों की मात्रा और सृजित किए जाने वाले प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का आकलन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है. इन प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्दिष्ट किए गए अनुसार केवल असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है.

The Bank has a policy for creation and utilization of Countercyclical Provisioning Buffer in good times as well as for floating provisions separately for advances, investments, and general purposes. The quantum of floating provisions and Countercyclical Provisioning Buffer to be created is assessed at the end of the financial year. These provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5 निवेश / Investments

अ. वर्गीकरण:
A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity
ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा/ Available For Sale and
iii. ट्रेडिंग के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

iii. शेयर/ Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, उद्यम पूंजी निधि, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Certificate of Deposits, Mutual Fund Units, Security Receipts, Venture capital funds, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार:
B. Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) अल्पावधि ब्याज मूल्य/ ब्याज दर में उतार–चढ़ाव का लाभ लेने के लिए ट्रेड के इरादे से अर्जित निवेश को 'ट्रेड के लिए धारित' (एचएफटी) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा. एचएफटी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को 90 दिनों के भीतर बेच दिया जाएगा.
b) Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements shall be classified under 'Held for Trading' (HFT). The investments classified under HFT shall be sold within 90 days.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला–बदली और मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यत: 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.
e) Equity Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, they are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

इ. मूल्यांकन :
C. Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में: / In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से अधिगृहीत इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ–हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.
b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.
c) Cost is determined on the weighted average cost method.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों, जिन्हें 'परिपक्वता तक धारित' में शामिल किया जाता है, के मूल्य में कमी (अस्थायी स्वरूप के अलावा) की पहचान की जाएगी और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जाएंगे.

Investments in 'Held To Maturity' category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Any diminution (other than temporary) in the value of the investments, which are included under HTM, shall be recognized and provided individually for each investment.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है, जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है. तथापि ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण अनर्जित आस्तियां या निवेश जो पुनर्संरचना/ उधार के परिवर्तन के फलस्वरूप अर्जित हों, अन्य अर्जिक प्रतिभूतियों के बढ़े हुए मूल्य के साथ अलग से मूल्यह्रास/ प्रावधान नहीं किया जा सकता है

Investments in 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, In respect of investments which are classified as 'Non-Performing' or investments which are acquired out of restructuring/conversion of debt, the depreciation/provision is not set off against the appreciation in respect of other performing securities.

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों तथा वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए/ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है. उद्धृत तथा अनुद्धृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल दर पर किया जाता है.

c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL). For both quoted as well as unquoted securities valuation FBIL rates are considered.

घ) अनुद्धृत इक्विटी शेयर जो कि इक्विटी शेयरों का वर्तमान संविदा दर मौजूद न हो या जिनके भाव एक्स्चेंज पर उपलब्ध न हो, उनका मूल्यांकन अलग–अलग मूल्य ("पुनर्मूल्यांकन रिजर्व" के बिना यदि कोई हो), जो कि कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र से प्राप्त होगा, के आधार पर किया जाएगा. नवीनतम तुलन–पत्र के बनने की तारीख से मूल्यांकन की तारीख 18 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए. यदि नवीनतम तुलन–पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यांकन आरबीआई के नियम पुस्तिका की प्रासंगिकता के आधार पर एक रू. प्रति कंपनी पर किया जाएगा.

d) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, shall be valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest balance sheet is not available, the shares shall be valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.

ङ) अनुद्धृत एमएफ (म्युचुअल फंड) यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संदर्भ में एमएफ द्वारा घोषित किए गए पुनर्खरीद मूल्य दर के आधार पर किया जाएगा. ऐसी निधियाँ जो लॉक–इन अवधि के साथ हों या कोई अन्य फंड जिसका पुनर्खरीद बाजार भाव पर उपलब्ध न हो, ऐसी यूनिटों का मूल्यांकन योजना के एनएवी (निवल परिसंपत्ति मूल्य) के आधार पर किया जाएगा. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं हो तो इनका मूल्यांकन परिबंधन अवधि की समाप्ति तक लागत के आधार पर किया जाएगा

e) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where

repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.

च) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल(वाईटीएम)दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत–लागत अंतर व वाईटीएम दरों को भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है.

f) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

छ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

g) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments subject to floor provision requirements as prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

ज) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता उपयुक्त प्रतिलाभ आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

h) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

(झ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता पर धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है.

i) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held to Maturity and valued at cost.

(ञ) एचटीएम श्रेणी में धारित अनुद्धृत उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) का वर्गीकरण प्रारम्भिक तीन वर्षों के लिए लागत पर आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के निर्णय पर मूल्यांकन किया जाता है. ऐसी निवेशों का अंतरण भुगतान की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के बाद एएफएस श्रेणी में किया जाता है तथा इनके वित्तीय विवरण में वीसीएफ द्वारा इनका मूल्यांकन एनएवी पर किया जाता है. वर्ष में कम से कम एक बार, इन इकाइयों/ यूनिटों का मूल्यांकन वीसीएफ के हाल के समरीक्षित वित्तीय लेखे से, यदि उपलब्ध हो, या फिर ₹1 प्रति वीसीएफ की दर से आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

j) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF) are categorised, at the discretion of the Bank, under HTM category for an initial period of three years and valued at cost during this period, in accordance with the RBI guidelines. Such investments are transferred to the AFS category after completion of the said period of three years from the date of disbursement and valued at NAV shown by the VCF in its financial statements. At least once a year, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF if available or at ₹ 1 per VCF as per the RBI guidelines.

(ट) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एएफएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर उचित कीमत–लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत–लागत अंतर के साथ किया जाता है. इस प्रकार के कीमत–लागत अंतर तथा व्हायटीएम दरें स्थिर आय मुद्रा बाजार तथा 'निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ' (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के आधार पर लागू की जाती हैं.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

k) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर सांविधिक रिजर्व से समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.
Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and transfer to statutory reserves to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account. Investments are stated net of provisions

अनर्जक निवेश / Non-Performing Investments

आरबीआई दिशा निर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश की पहचान की जाती है तथा उस पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है. ऐसी अनर्जक निवेश का मूल्यह्रास/ प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जाता है. जब तक गैर अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं मिलता तब तक लाभ–हानि लेखे में इसे दर्शाया नहीं जाता है.
Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognised in the Profit and Loss Account until received

ई). रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन
D. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन–देनों सहित) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमश: उधार लेने व उधार देने वाले लेन–देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन–देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन–देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. 14 दिन की वास्तविक अवधि से अधिक रिवर्स रेपो रेट का वर्गीकरण अग्रिम के अंतर्गत किया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income. Reverse repo of original tenure more than 14 days have been classified under Advances.

6 डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन–देनों में: / In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन–देनों पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.
b) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुन: अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.
c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

(घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ–हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन–देनों में: / In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन–देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माहांत निपटान की तारीख को लाभ– हानि लेखे में अंतरित किया जाता है.

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

7 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण–पत्र / Priority Sector Lending Certificates

बैंक प्राथमिकता – प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण–पत्र (पीएसएलसी) के क्रय या विक्रय के लिए लेन–देन करता है. बिक्री लेन–देन के मामले में, बैंक आरबीआई ट्रेडिंग प्लैटफार्म पर प्राथमिकता – प्राप्त क्षेत्र उधार दायित्वों को पूरा करने के लिए बिक्री करता है और खरीद लेनदेन के मामले में, बैंक प्राथमिकता – प्राप्त क्षेत्र उधार दायित्वों को पूरा करने के लिए क्रय करता है. जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं होता है. पीएसएलसी की बिक्री के लिए प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को अन्य व्यय के रूप में लाभ–हानि खाते में रिकॉर्ड किया जाता है. इन सभी को प्रमाण पत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

8 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास:/ Fixed Assets and Depreciation:

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर लिया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में उल्लिखित किया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. पट्टेधृत परिसरों में सुधार में किए गए शुल्क को पट्टे की बची हुई प्राथमिक अवधि के दौरान विलोपित किया जाता है.
Improvements to lease hold premises are charged off over the remaining primary period of lease.

iii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

v. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

vi. पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vii. ₹5,000/- से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णत: मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

viii. गोचर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

ix वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.

x. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार होता है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति **Asset**	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) **Useful Life (in Years)**
स्वयं के स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन/ Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर a) Furniture and fixtures	10

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

xi. पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है. पट्टेधृत सुधार को उसी आस्ति श्रेणी में पूंजी में परिणित तथा पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.

xii. ₹2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 6 वर्ष की अवधि तक इसके उपयोगी जीवनकाल पर पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

9 प्रतिभूतीकरण लेन-देन: / Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णत: अमान्य कर दिया जाता है. बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को तुरंत हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:
Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, के मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है.
In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य) से कम मूल्य पर है तो कमी को उस वर्ष के लाभ–हानि लेखे में नामे किया जाता है. एनपीए की बिक्री में कोई कमी होने पर अर्थात् बिक्री एनबीवी से कम मूल्य पर होने की स्थिति में बैंक उस कमी को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति से प्रतिचक्रीय प्रावधान भी कर सकते हैं.
In case the sale value is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year. The Bank also uses, with permission of RBI, countercyclical provision for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्चतर मूल्य पर है तो आधिक्य प्रावधान को उस वर्ष के लाभ–हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जाता है जिसमें नकद राशि प्राप्त हुई हो. तथापि आधिक्य प्रावधान का प्रतिवर्तन प्राप्त नकदी के आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक होने की सीमा तक सीमित रहेगा.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

11 विदेशी मुद्रा लेन-देन / Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है..
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्य निर्धारण फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है..
Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.
Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर–एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है. दोनों मौद्रिक और गैर–मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और गैर–एकीकृत विदेशी परिचालनों की देनदारियों को तुलन–पत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदों को त्रैमासिक औसत दरों पर रूपान्तरित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विनिमय अंतरों से उत्पन्न लाभ/ हानि को एएस–11, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव और आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–एकीकृत विदेशी परिचालन के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतर खाते में संचित किया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as `Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations in accordance with *AS-11, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates and the extant RBI guidelines.*

12 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% योगदान देता है. बैंक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं.

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित योगदान योजना में कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है. बैंक के पास इसके योगदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के योगदान को वर्ष में किए गए खर्च के रूप में मान्यता देता है.

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes a certain percentage of the Salary of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other that its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year incurred.

(iii) अवकाश नकदीकरण / Leave Encashment

बैंक के पास सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य अवकाश/ विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की नीति है जो उनके एक्जिट होने बाद एक निश्चित शेष दिनों के नकदीकरण के लिए है. बैंक इस तरह के अवकाश नकदीकरण के लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर उस तारीख को अवकाश शेष के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान प्रदान करता है. इस तरह की देनदारी की गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है.

The Bank has a policy of encashment of Ordinary Leave/ Privileged Leave for all employees after their exit from the Bank upto a certain balance number of days. The Bank provides for such leave encashment based on an independent actuarial valuation at each Balance Sheet date for the leave balances as on that date. Such liability is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों (जैसा लागू हो) की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है. यह योजना वैकल्पिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए एक अतिरिक्त राशि के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना अवधि के लिए फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने सदस्यता ली है.

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(v) उपदान (ग्रेच्युटी): / Gratuity:

उपदान के प्रति बैंक का एक दायित्व है. यह एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर शामिल किया गया है. बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में योगदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है. जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है. ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धति है. ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है.

The Bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees. The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं.

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur

(vi) भविष्य निधि : Provident Fund:

बैंक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत कवर है. अगस्त 2018 से पात्र कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योगदान एवं बैंक के योगदान (पीएफ विकल्प चुनने वालों के लिए) से कोष बना है. अगस्त 2018 से आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के कोष का प्रबन्धन आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसका गठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों, जो आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करते हैं, के हितों के लिए किया गया है. यह ट्रस्ट सभी जरूरी एवं आकस्मिक कार्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा.

The Bank is covered under the Employee Provident Fund Act, 1925. The corpus is built from the mandatory contribution from eligible employees and further contribution from the Bank (for PF optees) Since August 2018 the corpus of IDBI Bank Employee Provident Fund is managed by a trust viz., IDBI Bank Employees Provident Fund Trust formed under the provisions of Indian Trust Act, 1882 for the benefit of employees of IDBI Bank Ltd., who subscribed to IDBI Bank Employees Provident Fund and the said trust shall carry out all such activities necessary and incidental for the attainment thereto.

i. परिभाषित अंशदान योजनाओं का भुगतान उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में किया जाता है, जब अंशदान देय होता है.

Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

13 खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा रिपोर्टिंग खंड पर लेखा मानक-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों में विनिधानीत नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अविनिधानीत आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

14 आयकर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/ हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं. अस्थगित आस्ति कर की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख और समानान्तर रूप से राशि का नित आभाषी रूप से समायोजित किया जाता है.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably / virtually certain to be realized.

iv. नहीं दिए गए विवादित कर को आकस्मिक देयताओं में शामिल किया जाता है. तथापि पूर्व मूल्यांकन के संबंध में तथा अन्य विभिन्न विचार में जहां संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व संसाधनों का वहिर्वाह न्यायिक निर्णयों के आधार पर हो उनका कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

किया जाता है.

Disputed taxes not provided for are included under Contingent Liabilities. However, when there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment and other relevant judicial decisions, no provision or disclosure is made.

15 पट्टे /Leases

i. पट्टे/ किराए के आधार पर ली गई संपत्ति बैंक के मतानुसार नवीकरणीय/ निरसनीय है.
The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ii. बैंक के द्वारा किए गए पट्टे सहमत अवधि के लिए होते हैं जिनको लीज अवधि के दौरान आपसी सहमति से एक कैलेंडर माह की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है.
The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

iii. परिचालन पट्टे के लिए किए गए भुगतान को उसी वर्ष के लाभ–हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

16 प्रति शेयर उपार्जन / Earnings Per Share

i. बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना वर्ष के अंत में कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

17 आस्तियों का ह्रासित होना / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव–लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के ह्रासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो उस ह्रास को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता

है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.
Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

19 नकदी एवं नकदी समतुल्य /Cash & Cash equivalents

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंको के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि आती हैं.
Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

20 कारपोरेट सामाजिक दायित्व /Corporate Social Responsibility

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए किए गए व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है.
Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognised in the Profit and Loss Account.

21 दुर्वह संविदा /Onerous contracts

दुर्वह संविदा के लिए प्रावधान तब निर्धारित किए जाते हैं जब संविदा के अंतर्गत भविष्य के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतों की तुलना में बैंक को प्राप्त होने वाले लाभ कम होने की संभावना होती है. प्रावधान का मूल्यांकन संविदा समाप्त कर अपेक्षित कमतर लागत पर वर्तमान मूल्य तथा संविदा के जारी रहते हुए अपेक्षित निवल लागत पर किया जाता है. प्रावधान निर्धारण से पहले बैंक संविदा से संबद्ध आस्तियों पर किसी ह्रासशील नुकसान की पहचान करता है.
Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

SCHEDULE 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS

अ. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन
A. DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. विनियामक पूंजी/ Regulatory Capital

क) नियामक पूंजी की संरचना/ a) Composition of Regulatory Capital

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

क्रम. सं. Sr.No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	25,787	20,572
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी/ Additional Tier 1 capital	-	-
(iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)/ Tier 1 capital (i + ii)	25,787	20,572
(iv)	टियर 2 पूंजी/ Tier 2 capital	3,672	3,981
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2)/ Total capital (Tier 1+Tier 2)	29,459	24,553
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)/ Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,54,559	1,57,471
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)/ CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	16.68%	13.06%
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)/ Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.68%	13.06%
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)/ Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.38%	2.53%
(x)	जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) / Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	19.06%	15.59%
(xi)	लिवरेज अनुपात/ Leverage Ratio	7.42%	6.08%
(xii)	निम्नलिखित की शेयर धारिता का प्रतिशत/ Percentage of the shareholding of		
	क) भारत सरकार/ a) Government of India	45.48%	45.48%
	ख) राज्य सरकार/ b) State Government	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA
	ग) प्रायोजक बैंक/ c) Sponsor Bank	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि/ Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य/ Nil	1435
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि/ Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि/ Amount of Tier 2 capital raised during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

आरबीआई ने दिनांक 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015/16 के द्वारा सीईटी–1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए पूनर्मूल्यांकन रिज़र्व/ डीटीए पर विचार करने हेतु बैंकों को विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है.

RBI vide circular no DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015/16 dated March 01, 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation Reserve / Foreign Currency Translation Reserve / DTA for purpose of computation of capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

बैंक 'पात्र वित्तीय संविदाओं का द्विपक्षीय नेटिंग– विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन' पर 30 मार्च 2021 के आरबीआई परिपत्र का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है.

Bank is in process of complying RBI circular dated March 30, 2021 on 'Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts- Amendments to Prudential Guidelines.

ख) आरक्षित निधि में कमी
b) Draw Down from Reserves

बैंक ने 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में कोई कमी नहीं की है.

The Bank has not undertaken any drawdown from reserves during the year ended March 31, 2022 and March 31, 2021.

2. आस्ति देयता प्रबंध / Asset Liability Management

क) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप यथा 31 मार्च 2022
a) Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2022

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिनसे व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिकव 3 माह Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिकव 6 माह Over 3 months & upto 6 months	6 माहसे अधिक व 1 वर्षतक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिकव 5 वर्ष Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशि Deposits #	2,247	6,134	6,143	4,717	4,531	4,099	10,998	22,172	145,938	12,621	13,534	233,134
अग्रिम Advances #	1,254	1,343	1,704	10,037	2,164	3,127	6,452	9,660	45,000	11,704	53,327	145,772
निवेश Investments	14,920	9,830	1,218	1,145	1,559	1,848	3,855	7,818	24,186	4,419	12,190	82,988
उधार Borrowings#	-	595	88	-	553	-	103	1,657	6,548	2,202	2,600	14,346
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets @	798	10,682	863	40,693	13,602	24,569	33,152	28,798	1,926	192	2,206	157,481
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities $	30	11,874	1,451	38,672	16,156	12,214	14,316	18,972	1,333	417	10,757	126,192

इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.

Includes foreign currency balances.

@ इनमें विदेशी मुद्रा–रुपया क्रयविक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.

@ Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.

$ इनमें विदेशी मुद्रा–रुपया विक्रय– क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.

$ Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

टिप्पणी– चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने प्रक्रिया में सुधार किया और मांग और समय देयता (डीटीएल) प्रोफ़ाइल के अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों को समूहबद्ध करने के लिए अपनी प्रणाली में परिवर्तन किया है. पिछले वर्ष में, एसएलआर प्रतिभूतियों को उनकी अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार समूहबद्ध किया गया था. अत: 31–03–2021 और 31–03–2022 की स्थिति के अनुसार संबंधित निवेश समूहों में आंकड़े तुलनीय नहीं है.

Note - During the current financial year, bank refined the process and changed its methodology to bucket SLR securities as per the Demand and Time Liabilities (DTL) profile. In the previous year, SLR securities were bucketed as per their residual maturity. Hence, the figures in respective buckets of Investments as on 31-03-2021 and 31-03-2022 are not comparable.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप यथा 31 मार्च 2021
Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2021

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिनसे व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह Over 3 months & upto 6 months	6 माहसे अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिकव 5 वर्ष Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशि Deposits #	2,083	7,113	6,372	5,786	5,581	3,984	15,622	27,412	1,31,922	12,201	12,775	2,30,852
अग्रिम Advances #	653	1,347	1,653	709	1,905	3,943	5,682	7,692	44,882	11,576	48,108	1,28,150
निवेश Investments	17,343	9,505	6	7	380	520	430	629	1,819	3,994	46,391	81,024
उधार Borrowings #	-	933	12	-	439	22	484	3,308	1,759	6,350	2,601	15,908
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets @	702	8,340	1,011	7,193	3,102	20,198	34,646	4,836	1,503	51	2,928	84,510
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities $	12	6,990	84	8,729	1,285	21,763	41,623	6,189	659	423	10,765	98,522

इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.

Includes foreign currency balances

@ इनमें विदेशी मुद्रा–रुपया क्रयविक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.

@ Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.

$ इनमें विदेशी मुद्रा–रुपया विक्रय– क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.

$ Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

टिप्पणी– चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने प्रक्रिया में सुधार किया और मांग और समय देयता (डीटीएल) प्रोफ़ाइल के अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों को समूहबद्ध करने के लिए अपनी प्रणाली में परिवर्तन किया है. पिछले वर्ष में, एसएलआर प्रतिभूतियों को उनकी अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार समूहबद्ध किया गया था. अत: 31–03–2021 और 31–03–2022 की स्थिति के अनुसार संबंधित निवेश समूहों में आंकड़े तुलनीय नहीं है.

Note - During the current financial year, bank refined the process and changed its methodology to bucket SLR securities as per the Demand and Time Liabilities (DTL) profile. In the previous year, SLR securities were bucketed as per their residual maturity. Hence, the figures in respective buckets of Investments as on 31-03-2021 and 31-03-2022 are not comparable.

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(i) सभी चार तिमाहियों को कवर करते हुए चल निधि कवरेज अनुपात (मात्रात्मक प्रकटन)
(i) Liquidity Coverage Ratio covering all the four quarters (Quantitative disclosure)

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

		मार्च 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2022		दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2021		सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2021		जून 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2021	
क्र. सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (Average)
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	61,305	60,906	71,560	71,225	70,426	70,302	74,034	73,945
	नकदी बहिर्वाह / Cash Outflows								
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियां जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,20,503	11,624	1,23,669	12,025	1,23,806	12,044	1,23,528	12,020
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	8,520	426	6,839	342	6,740	337	6,647	332
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,11,983	11,198	1,16,830	11,683	1,17,066	11,707	1,16,881	11,688
3	अप्रतिभूति थोक निधीयन, जिनमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	52,739	32,992	51,610	34,226	46,689	31,929	45,601	30,994
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	51,932	32,185	50,790	33,406	45,869	31,109	42,450	27,843
(iii)	अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	807	807	820	820	820	820	3,151	3,151
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding	981	-	1,422	-	5,616	-	6,844	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which	411	411	423	423	497	494	1,143	752

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

		मार्च 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2022		दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2021		सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2021		जून 2021 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2021	
क्र. सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total weighted Value (Average)
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	411	411	423	423	493	493	709	709
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	-	-	-	-	4	0	434	43
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	1,739	1,739	2,985	2,985	2,726	2,726	2,493	2,493
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	1,35,437	5,844	1,32,054	5,687	1,31,815	5,673	1,69,169	7,522
8	कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows	3,11,810	52,610	3,12,164	55,347	3,11,149	52,866	3,48,779	53,782
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows								
9	प्रतिभूत ऋण Secured lending	14,645	-	19,419	-	20,543	-	20,648	-
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजरों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	4,387	2,193	2,823	1,412	4,440	2,220	3,795	1,897
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	7,435	7,435	4,518	4,518	3,973	3,973	3,678	3,678
12	कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows	26,467	9,628	26,760	5,930	28,956	6,193	28,121	5,575
13	कुल एचक्यूएलए Total HQLA	61,305	60,906	71,560	71,225	70,426	70,302	74,034	73,945
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows	2,85,345	42,982	2,85,404	49,417	2,82,193	46,673	3,20,659	48,207
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		141.70%		144.13%		150.63%		153.39%

टिप्पणी : दिनांक 09 जून 2014 के आरबीआई परिपत्र संदर्भ: आरबीआई/2013–14/635 डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013–14 के अनुसार, औसत भारित और गैर भारित राशियों की गणना कार्य दिवसों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दैनिक साधारण औसत लेते हुए की जाती है.

Note: In accordance with RBI circular Ref: RBI/2013-14/635 DBOD.BP.BC.No.120 /21.04.098/2013-14 dated June 09, 2014, the average weighted and un-weighted amounts are calculated taking daily simple average from 1st April to 31st March for working days.

(ii) **चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन** :
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR)

2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए सुधार के कुछ प्रस्ताव रखे थे. इस दिशा में बीसीबीएस ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि कवरेज अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि कवरेज अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

चलनिधि कवरेज अनुपात संभावित चल निधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि कवरेज अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

चलनिधि कवरेज अनुपात की परिभाषा
Definition of LCR

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक
Stock of high quality liquid assets (HQLAs)
―――――――――――――――――――― >= 100%
अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह
Total net cash outflows over the next 30 calendar days

चलनिधि कवरेज अनुपात अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर बाध्यककारी हैं. एलसीआर को 100% की दर से बनाए रखा जाना है.

The LCR requirement is binding on banks from January 1, 2015. LCR is to be maintained at 100%.

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) :
High Quality Liquid Assets (HQLA)

इस मानक के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए अभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएलए के रूप में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान आस्तियां बाजार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होनी चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यत: अनिवार्य अपेक्षाओं तक और उससे अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि कवरेज अनुपात (एनडीटीएल का 15%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.

Under the standard, banks must hold a Stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (15% of NDTL) & other securities as may be permitted by Reserve Bank of India from time to time.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह :
Total Net Cash Outflows

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकारों तथा तुलन-पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाहों की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Total expected cash out flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow.

चलनिधि प्रबंधन
Liquidity Management

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान आवश्यक कटौतियों को हिसाब में लेने के बाद ₹60,906 करोड़ का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा. एचक्यूएलए मुख्य रूप से लेवल 1 आस्तियों द्वारा संचालित होता है और इसमें मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां और टी-बिल शामिल हैं जो 31 मार्च 2022 को एचक्यूएलए के 90% से अधिक थीं. बैंक के पास निधियों के विविध स्रोत हैं जिसमें मुख्य रूप से जमा शामिल हैं, जिसमें शीर्ष 20 जमाकर्ताओं ने यथा 31 मार्च 2022 को कुल जमा में 7.19% योगदान दिया है.

The Bank during the quarter ended 31st March 2022, maintained average HQLA of ₹60,906 crore after factoring eligible haircuts. HQLA is mainly driven by Level 1 Assets and comprises mainly of Government securities and T-bills which constitute more than 90% of HQLA as on 31st March 2022. Bank has well diversified source of funds which mainly comprise of deposits, with top 20 depositors contributing 7.19% of total deposits as on March 31, 2022.

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर वर्तमान निर्धारित न्यूनतम 100% की अपेक्षा की तुलना में अधिक अर्थात् 141.70% था.

The average LCR for the quarter ended March 31, 2022 was at 141.70% above the present prescribed minimum requirement of 100%.

निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(i) एनएसएफआर मात्रात्मक प्रकटन

(i) NSFR Quantitative disclosure

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता तक गैर-भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	< 6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to <1yr	1 वर्ष ≥ 1yr	
	एएसएफ मद / ASF Item					
1	पूंजी: (2+3) / Capital: (2+3)	-	-	-	42,417	42,417
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	-	-	-	42,417	42,417
3	अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	-	-	-	-	-
4	खुदरा जमा तथा छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से जमा (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	78,124	22,749	19,101	17,627	126,052
5	स्थिर जमाएं / Stable deposits	7,505	843	596	587	9,084
6	कम स्थिर जमाएं / Less stable deposits	70,619	21,906	18,505	17,040	116,968

	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता तक गैर-भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	< 6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to <1yr	1 वर्ष ≥ 1yr	भारित मूल्य Weighted value
7	थोक निधीयन: (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	33,663	13,267	15,609	6,245	37,514
8	परिचालनगत जमा / Operational deposits	-	-	-	-	-
9	अन्य थोक निधीयन / Other wholesale funding	33,663	13,267	15,609	6,245	37,514
10	अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	43,916	303	-	8,403	8,403
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं / NSFR derivative liabilities		-	-	-	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other liabilities and equity not included in the above categories	43,916	303	-	8,403	8,403
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)					214,386
	आरएसएफ/ RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) / Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3,627
15	परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियाँ / Deposits held at other financial institutions for operational purposes	763	-	-	-	382
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) /Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	27,183	13,526	118,800	103,879
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-
18	गैर–लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूत निष्पादन ऋण एवं वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत निष्पादन ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	9,453	2,155	2,492	4,988
19	गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और सरकारों, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	-	13,680	8,180	55,649	48,369
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	13,266	8,095	39,409	36,296
21	अर्जक अवशिष्ट बंधक, जिनमें : Performing residential mortgages, of which:	-	1,382	1,256	46,592	36,263

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता तक गैर-भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	< 6 माह <6 Months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to <1yr	1 वर्ष ≥ 1yr	भारित मूल्य Weighted value
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	1,163	1,070	33,391	22,821
23	प्रतिभूतियां जो चूक के रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	2,668	1,935	14,067	14,259
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	37,834	14,913	152	9,069	47,262
25	स्वर्ण सहित भौतिक क्रय–विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की डिफ़ॉल्ट निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	-	-	-	4,449	3,782
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	-	306	-	-	3
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	-	15	-	-	15
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	37,834	14,592	152	4,620	43,462
30	तुलन–पत्र में शामिल न होने वाली मदें Off-balance sheet items	-	-	-	137,168	5,883
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)	38,597	121,419	13,677	265,037	161,032
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					133.13%

(ii) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के आस–पास गुणात्मक प्रकटन:
Qualitative disclosure around Net Stable Funding Ratio (NSFR)

2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए सुधार के कुछ प्रस्ताव रखे थे. इस दिशा में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने अक्तूबर 2014 में 'बासेल III : निवल स्थिर निधीयन अनुपात' और 01 जनवरी 2018 से लागू होने वाले एनएसएफआर मानक पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 मई 2018 के अपने परिपत्र के द्वारा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed

certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Net Stable Funding Ratio' in October 2014 and the NSFR standard to be effective from January 01, 2018. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated May 17, 2018, issued final guidelines on Net Stable Funding Ratio (NSFR).

एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलापन को बढ़ावा देता है. एक स्थायी वित्तपोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के नियमित वित्तपोषण के स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है. एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता है, सभी ऑन– और ऑफ–बैलेंस शीट मदों में फंडिंग जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और फंडिंग स्थिरता को बढ़ावा देता है.

The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress. The NSFR limits overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off- balance sheet items, and promotes funding stability.

एनएसएफआर की परिभाषा:
Definition of NSFR:

$$\text{एनएसएफआर / NSFR} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) / Available Stable Funding (ASF)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) / Required Stable Funding (RSF)}} >= 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए और एनएसएफआर अनुपात बैंकों पर 1 अक्तूबर 2021 से आबद्धकारी हैं.
The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis and the NSFR ratio is binding on banks w. e. f October 1, 2021.

उपलब्ध स्थिर निधिकरण (एएसएफ)
Available Stable Funding (ASF)

एएसएफ की राशि को किसी संस्थान के फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इस की देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है. एएसएफ की राशि की गणना पहले किसी संस्थान की पूंजी और देनदारियों के वहन मूल्य को आरबीआई के परिपत्र में उल्लिखित पांच श्रेणियों में से एक को निर्दिष्ट करके की जाती है. प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को तब एएसएफ . फैक्टर से गुणा किया जाता है और कुल एएसएफ भारित राशियों का योग है. वहन मूल्य उस राशि का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर किसी भी नियामक कटौती, फ़िल्टर या अन्य समायोजन के आवेदन से पहले एक देयता या इक्विटी लिखत दर्ज किया जाता है.

The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding. The amount of ASF is calculated by first assigning the carrying value of an institution's capital and liabilities to one of five categories as mentioned in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by an ASF factor, and the total ASF is the sum of the weighted amounts. Carrying value represents the amount at which a liability or equity instrument is recorded before the application of any regulatory deductions, filters or other adjustments

आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ)
Required Stable Funding (RSF)

आवश्यक स्थिर निधिकरण की राशि को किसी संस्थान की परिसंपत्तियों और ओबीएस एक्सपोजर की तरलता जोखिम प्रोफाइल की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है. आवश्यक स्थिर निधिकरण की राशि की गणना पहले किसी संस्था की संपत्ति का वहन मूल्य को आरबीआई परिपत्र में सूचीबद्ध श्रेणियों को निर्दिष्ट कर के की जाती है. प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को उसके संबद्ध आवश्यक स्थिर फंडिंग (आरएसएफ) कारक से गुणा किया जाता है, और कुल आरएसएफ ओबीएस गतिविधि (या संभावित तरलता जोखिम) की मात्रा में जोड़े गए भारित राशि का योग होता है, जो इसके संबंधित आरएसएफ कारक से गुणा किया जाता है.

The amount of required stable funding is measured based on the broad characteristics of the liquidity risk profile of an institution's assets and OBS exposures. The amount of required stable funding is calculated by first assigning the carrying value of an institution's assets to the categories listed in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by its associated required stable funding (RSF) factor,

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

and the total RSF is the sum of the weighted amounts added to the amount of OBS activity (or potential liquidity exposure) multiplied by its associated RSF factor

चलनिधि प्रबंधन:
Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

बैंक ने 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु.2,14,386 करोड़ के उपलब्ध स्थिर निधिकरण (एएसएफ) और रु.1,61,032 करोड़ रुपये के आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) को बनाए रखा. उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) मुख्य रूप से कुल नियामक पूंजी औ रखुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसाय ग्राहक, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक और सार्वजनिक उपक्रम से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता के साथ की गई जमा द्वारा संचालित होती है. आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) मुख्य रूप से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली परिसंपत्तियों द्वारा संचालित होती है. एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली प्रमुख संपत्तियों में भार रहित निष्पादन ऋण और प्रतिभूतियां शामिल हैं. कटौती के बाद एचक्यूएलए (उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां) भारित आरएसएफ के 3% से कम थी, क्योंकि एचक्यूएलए को बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है या अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जा सकती हैं.

Bank maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹2,14,386 crore and Required Stable Funding (RSF) of ₹ 1,61,032 crore as on 31st March 2022. Available Stable Funding (ASF) is mainly driven by total regulatory capital and deposits with maturity over one year from retail customers, small business customers, non-financial corporate customers and PSUs. Required Stable Funding (RSF) is mainly driven by assets with maturity over one year. Major assets with maturity over one year include unencumbered performing loans and securities. HQLAs (High Quality Liquid Assets) after applying hair-cut constitute less than 3% of weighted RSF, as HQLAs can be easily sold in the market or can be used as collateral for sourcing additional funds.

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एनएसएफआर विनियामक सीमा 100% की तुलना में 133.13% रहा है.

The NSFR of the Bank for Quarter ending March 31, 2022 is at 133.13% as against the regulatory limit of 100%.

3) निवेश
Investments

क) यथा 31 मार्च 2022 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना
a) Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2022

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

विवरण Particulars	भारत में निवेश/ Investments in India							भारत के बाहर निवेश / Investments outside India				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities @	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds **	सहायक और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (Including local authorities)	सहायक और/ या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India	कुल निवेश Total Investments
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
सकल Gross	48,974	-	1	14,920	174	4	64,073	-	-	-	-	64,073
घटाएं: गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)# Less: Provision for Non- performing investments (NPI)#	2,634	-	-	-	-	-	2,634	-	-	-	-	2,634
निवल Net	46,340	-	1	14,920	174	4	61,439	-	-	-	-	61,439
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल Gross	12,037	-	1,151	5,160	334	5,555	24,237	76	-	-	76	24,313
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	46	-	683	1,853	-	1,279	3,861	0	-	-	0	3,861
निवल Net	11,991	-	468	3,307	334	4,276	20,376	76	-	-	76	20,452
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल Gross	897	-	-	-	-	200	1097	-	-	-	-	1097
घटाएं : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation and NPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल Net	897	-	-	-	-	200	1,097	-	-	-	-	1,097
कुल निवेश / Total Investments	61,909	-	1,152	20,080	508	5,759	89,408	76	-	-	76	89,484
घटाएं गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान Less Provision for Non Preforming Investments	2,634	-	-	-	-	-	2,634	-	-	-	-	2,634
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	46	-	683	1,853	-	1,279	3,861	0	-	-	0	3,862
निवल/ Net	**59,229**	**-**	**469**	**18,227**	**508**	**4480**	**82,913**	**76**	**-**	**-**	**76**	**82,988**

@एचटीएम श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹2633.73 करोड़ का एसएएसएफ निवेश शामिल है
@ Government Securities under HTM category includes SASF investment of ₹2633.73 Crores

एचटीएम सरकारी प्रतिभूतियों के तहत प्रावधान एसएएसएफ के लिए किए गए ₹2,633.73 करोड़ के प्रावधान को दर्शाता है (पूरी तरह से प्रावधान किया जा रहा है)
provision under HTM govt. securities represents Provision of ₹2,633.73 crore for SASF (Being Fully Provided for)

** एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत डिबेंचरों और बांडों में भारत सरकार द्वारा जारी ₹12,438 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड शामिल हैं
** Debentures and bonds under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹12,438 Crore

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

यथा 31 मार्च 2021 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना
Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2021

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

विवरण Particulars	भारत में निवेश/ Investments in India							भारत के बाहर निवेश / Investments outside India				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities @	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds **	सहायक और/ या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities	सहायक और/ या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India	कुल निवेश Total Investments
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
सकल Gross	45,499	-	1	12,589	174	8	58,272	-	-	-	-	58,272
घटाएं: गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)# Less: Provision for Non- performing investments (NPI)#	1,100	-	-	-	-	-	1,100	-	-	-	-	1,100
निवल Net	44,399	-	1	12,589	174	8	57,172	-	-	-	-	57,172
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल Gross	18,733	-	1,258	2,586	334	3,436	26,347	184	-	-	184	26,530
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	52	-	748	1,360	-	1,219	3,380	-	-	-	-	3,380
निवल Net	18,681	-	510	1,226	334	2,217	22,967	184	-	-	184	23,150
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल Gross	211	-	-	-	-	489	700	-	-	-	-	700
घटाएं : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल Net	211	-	-	-	-	489	700	-	-	-	-	700
कुल निवेश Total Investments	64,444	-	1,259	15,175	508	3,933	85,319	184	-	-	184	85,502
घटाएं गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान Less Provision for Non Performing Investments	1,100	-	-	-	-	-	1,100	-	-	-	-	1,100
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	52	-	748	1,360	-	1,219	3,380	-	-	-	-	3,380
निवल/ Net	**63,292**	**-**	**511**	**13,815**	**508**	**2,714**	**80,839**	**184**	**-**	**-**	**184**	**81,022**

@ एचटीएम श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹2,751.73 करोड़ का एसएएसएफ निवेश शामिल है
@ Government Securities under HTM category includes SASF investment of ₹2,751.73 Crores

#एचटीएम सरकारी प्रतिभूतियों के तहत प्रावधान एसएएसएफ के लिए किए गए ₹1,100 करोड़ के प्रावधान को दर्शाता है
Provision under HTM govt. securities represents Provision of ₹1,100 crore for SASF

** एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत डिबेंचरों और बांडों में भारत सरकार द्वारा जारी ₹12,438.0 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड शामिल हैं
** Debentures and bonds under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹12,438.0 Crore

ख) मूल्यह्रास और निवेश में उतार–चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों का संचलन

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

क्रम.सं. Sr.No	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2022 31 March 2022	31 मार्च 2021 31 March 2021
i	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान का संचलन Movement of provision held towards depreciation on investments		
क a	प्रारंभिक शेष Opening Balance	4,480	2,915
ख b	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provision made during the year	2,278	2,285
ग c	घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/ पुनरांकित खाते में डालना Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	262	720
घ d	**अंतिम शेष** **Closing balance**	**6,495**	**4,480**
ii	**निवेश में उतार–चढ़ाव रिज़र्व का संचलन** **Movement of Investment Fluctuation Reserve**		
क a	प्रारंभिक शेष Opening balance	545	-
ख b	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि Add: Amount transferred during the year	-	545
ग c	घटाएं : गिरावट Less: Drawdown	-	-
घ d	अंतिम शेष Closing balance	545	545
iii	एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष (निवल) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/ Current category (Net)	2.53%	2.28%

दिनांक 2 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 अनुसार आईएफआर उस राशि के साथ बनाया जाना है जो वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या वर्ष के लिए शुद्ध लाभ से अनिवार्य विनियोग घटाने के बाद की राशि से कम न हो, जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत न हो.

As per RBI circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 IFR is to be created with an amount which is not less than lower of net profit on sale of investments during the year or net profit for the year less mandatory appropriations until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

ग) प्रतिभूतियों की परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/ को विक्रय व अंतरण वर्ष

c) Sales and transfers to/from Held to Maturity (HTM) category

31 मार्च 2022 को समाप्त मौजूदा वर्ष (और 31 मार्च 2021को समाप्त पिछले वर्ष) के दौरान एचटीएम श्रेणी से/ को प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य लेखा वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है.

During the current year ended March 31, 2022 (and previous year ended March 31, 2021) the value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year.

उपरोक्त सीमा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को बाहर रखा गया है:

For the purpose of above limit following are excluded:

वर्ष के प्रारंभ में बैंकों को अनुमत निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जानेवाला एचटीएम श्रेणी से/ को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण, पूर्व घोषित खुला बाजार

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

परिचालन (ओएमओ) नीलामियों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री, एसएलआर धारितों को कम करने के लिए एचटीएम से सीधी बिक्री, भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद और आरबीआई द्वारा अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त स्थानांतरण.

Onetime transfer to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year, sale to RBI under pre-announced Open Market Operation (OMO) auctions, direct sales from HTM for bringing down SLR holdings, repurchase of government securities by GOI, repurchase of state development loans by respective state governments and additional shifting of securities permitted by RBI.

घ) **गैर– एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**
d) **Non- SLR Investment Portfolio**

(i) अनर्जक गैर- एसएलआर निवेश
(i) Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21
प्रारंभिक शेष Opening balance	1,984	1,518
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	250	1,304
उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी @ Reductions during the above year @	739	838
अंतिम शेष Closing balance	1,495	1,984
एनपीआई के लिए धारित कुल प्रावधान Total provisions held toward NPI	1,441	1,942

@ ₹ शून्य के अवलेखित निवेश (पिछले वर्ष ₹19.98 करोड़) और ₹109.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹697.53 करोड़) के बट्टे खाते/ बिक्री/ निपटान सहित निवेश उन्मोचन तथा ₹629.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹120.10 करोड़) के निवेश अपग्रेडेशन सहित. अन्य आस्तियों में हस्तांतरित निवेश ₹0.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़)

@ Includes Investment written down of ₹ Nil (Previous Year: ₹ 19.98 Crores) and Investment Redemption including write off / Sale / Settlement of₹109.40 Crores (Previous Year: ₹ 697.53 Crores) and Upgradation of Investment of ₹ 629.14 Crores (Previous Year: ₹120.10 Crores). Investment moved to other assets of ₹ 0.21 Cr. (Previous Year: ₹ 0.00 Crores)

(ii) गैर–एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना/ **Issuer Composition of Non-SLR Investments**

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

क्रम.सं. Sr.No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # 'Extent of below investment grade' securities #		'बिना–रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा $ Extent of 'unrated' securities$		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
यथा 31 मार्च को / As at March 31,		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** PSUs**	13,083	13,009	102	102	-	-	12,467	12,467	29	29
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	3,65	31	19	31	221	13	19	31	19	31
3	बैंक / Banks	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-

क्रम.सं. Sr.No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # 'Extent of below investment grade' securities #		'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा $ Extent of 'unrated' securities$		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities	
4	निजी कॉर्पोरेट Private corporates	8,115	3,817	6,749	2,204	3,054	2,541	2,883	2,677	3,439	3,197
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	508	508	490	490	-	-	508	508	508	508
6	अन्य@ Others @	8,043	6,446	-	-	1,195	1,301	3,623	4,091	3,868	4,091
	सकल कुल Gross Total	**30,209**	**23,810**	**7,455**	**2,827**	**4,471**	**3,854**	**19,499**	**19,774**	**7,862**	**7,856**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov. held towards Depreciation	**6,449**	**4,427**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	निवल कुल Net Total	**23,759**	**19,383**	**7,455**	**2,827**	**4,471**	**3,854**	**19,499**	**19,774**	**7,862**	**7,856**

नोट/ Note:

$ इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है.
$ Investment in Equities are treated as unrated securities.

@ अन्य में पीटीसी, एसआर, सीपी/ सीडी तथा म्यूचुअल फंड शामिल है.
@ Others include PTC, SR, CP/ CD and Mutual Fund.

** गैर एसएलआर होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी ₹12,438 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड को पीएसयूके रूप में वर्गीकृत किया गया है.
** The Recapitalisation Bonds issued by GOI of ₹12,438 crore being Non SLR has been classified as PSU.

इक्विटी/ अधिमान्य शेयरों तथा राज्य स्तरीय बॉण्डों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है.
NPI Investments in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

ड.) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)/ Repo Transactions (in face value terms)

e) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण/ Disclosure for the year ended March 31, 2022

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

विवरण Particulars	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया @ Minimum outstanding during the year @**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year**	**यथा 31 मार्च 2022 को Outstanding As at 31-Mar - 2022**
आरबीआई रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under RBI Repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	45	2,460	830	2,421
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
आरबीआई रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities Purchased Under RBI Reverse Repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	5,109	29,173	18,085	13,363

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
टीआरईपीएस रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under TREPS Repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	300	8,919	3,488	0
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
टीआरईपीएस रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under TREPS Reverse Repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	200	5,799	162	0
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

@ - वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि के निर्धारण के उद्देश्य से 'शून्य' से अधिक शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है.
@ - For the purpose of determination minimum outstanding amounts during the year above "zero" balances have been excluded.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण
Disclosure for the year ended March 31, 2021

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया @ Minimum outstanding during the year@	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2021 को Outstanding As at 31- Mar - 2021
आरबीआई रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under RBI Repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	1	10,637	4,866	शून्य Nil
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
आरबीआई रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities Purchased Under RBI Reverse Repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	3,193	25,720	16,355	13,058

ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	टीआरईपीएस रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under TREPS Repo				
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	475	17,072	8,138	शून्य Nil
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
	टीआरईपीएस रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under TREPS Reverse Repo				
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	1	2,341	1141	500
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

@ - वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि के निर्धारण के उद्देश्य से "शून्य" से अधिक शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है.

@ - For the purpose of determination minimum outstanding amounts during the year above "zero" balances have been excluded.

4. **आस्ति गुणवत्ता/ Assets Quality**

क) **31 मार्च 2022 को धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण/ Classification of advances and provisions held as on March 31, 2022**

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

विवरण **Particulars**	मानक **Standard**	अनर्जक **Non-performing**				
	कुल मानक अग्रिम (अ) **Total Standard Advances (A)**	अव-मानक **Sub-standard**	संदिग्ध **Doubtful**	हानि **Loss**	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) **Total Non-Performing Advances (B)**	कुल (अ+आ) **Total (A+B)**
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए **Gross Standard Advances & NPA**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1,25,689	1,446	21,582	13,184	36,212	1,61,901
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					5,866	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					7,963	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अंतिम शेष Closing Balance	**1,44,091**	**1,167**	**10,402**	**22,546**	**34,115**	**1,78,206**
सकल एनपीए में कमी के कारण: Reductions in Gross NPAs due to:						
i) उन्नयन / Up-gradation					**2,295**	
ii) वसूलियां (अपग्रेड खाते से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					**2,779**	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs					1,796	
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than those under (iii) above					1,093	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	3,056	336	20,173	13,184	33,693	36,749
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					4,362	
घटाएं: पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					5,796	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	3,247	210	9,503	22,546	32,259	35,506
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		1,110	1,409	0	2,519	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					3,058	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					3,721	
अंतिम शेष Closing Balance		956	900	0	1,856	
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						**Nil**
जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						Nil
घटाएं: वर्ष के दौरान कम की गई राशि Less: Amount drawn down during the year						Nil

अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions	Nil
तकनीकी रूप से डाले गए बट्टे खाते और उस पर की गई वसूली Technical write-offs and the recoveries made thereon	
तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों की प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	43,778
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	1,796
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खाते में हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year	1,477 @
अंतिम शेष / Closing balance	44,097

@ - विनिमय अंतर (निवल)
@ - Exchange differences (net)

31 मार्च 2021 को धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण
Classification of advances and provisions held as on March 31, 2021

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

विवरण **Particulars**	मानक **Standard**	अनर्जक **Non-performing**				
	कुल मानक अग्रिम (अ) **Total Standard Advances (A)**	अव–मानक **Sub-standard**	संदिग्ध **Doubtful**	हानि **Loss**	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) **Total Non-Performing Advances (B)**	कुल (अ+आ) **Total (A+B)**
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए **Gross Standard Advances & NPA**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1,24,418	3,837	27,075	16,360	47,272	1,71,690
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					2,632	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					13,692	
अंतिम शेष Closing Balance	1,25,689	1,446	21,582	13,184	36,212	1,61,901
सकल एनपीए में कमी के कारण: Reductions in Gross NPAs due to:						
i) उन्नयन / Up-gradation					782	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii) वसूलियां (अपग्रेड खाते से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					**4,518**	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs					**6,343**	
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than those under (iii) above					2049	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) **Provisions (excluding Floating Provisions)**						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	1,175	1,829	23,644	16,360	41,833	43,008
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					6,038	
घटाएं: पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					14,178	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	3,056	336	20,173	13,184	33,693	36,749
निवल एनपीए **Net NPAs**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		2,008	3,431	0	5,439	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					1,364	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					4,284	
अंतिम शेष Closing Balance		1,110	1,409	0	2,519	
अस्थायी प्रावधान **Floating Provisions**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						Nil
जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						Nil
घटाएं: वर्ष के दौरान कम की गई राशि Less: Amount drawn down during the year						Nil
अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						Nil
तकनीकी रूप से डाले गए बट्टे खाते और उस पर की गई वसूली **Technical write-offs and the recoveries made thereon**						

तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों की प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					39,066
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					6,343
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खाते में हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					1,631 @
अंतिम शेष / Closing balance					43,778

@ - विनिमय अंतर निवल
@ - Exchange differences net

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in percent)	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances	19.14%	22.37%
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	1.27%	1.97%
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	97.63%	96.90%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख) क्षेत्र–वार अग्रिम और सकल एनपीए
b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम.सं. Sr. No.	क्षेत्र@ Sector@	चालू वर्ष (यथा 31 मार्च 2022) Current Year (as at March 31, 2022)			पिछला वर्ष (यथा 31 मार्च 2021) Previous Year (as at March 31, 2021)		
	विवरण Particulars	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
अ A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
1.	**कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities**	**19,880**	**1,922**	**9.67%**	**17,929**	**1,786**	**9.96%**
	कृषि और वानिकी Agriculture And Forestry	18,721	1,721	9.19%	16,442	1,588	9.66%
2	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्रों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending**	**4,441**	**588**	**13.24%**	**6,375**	**1,170**	**18.35%**
	विनिर्माण Manufacturing	4,271	584	13.67%	5,747	1,105	19.23%
3	**सेवाएं Services**	**18,616**	**1,923**	**10.33%**	**20,720**	**1,922**	**9.28%**
	थोक और खुदरा व्यापार Wholesale And Retail Trade	10,496	1,058	10.08%	11,689	1,010	8.64%
	रियल एस्टेट, किराया और व्यावसायिक गतिविधियाँ Real Estate, Renting And Business Activities	2,170	272	12.53%	2,787	275	9.86%
4	**वैयक्तिक ऋण Personal loans**	**17,288**	**236**	**1.36%**	**21,982**	**231**	**1.05%**
5	**अन्य Others**	**878**	**158**	**17.96%**	**0**	**0**	**0**
	उप–कुल (अ) Sub-total (A)	**61,103**	**4,827**	**7.90%**	**67,006**	**5,109**	**7.62%**
आ/B	**गैर–प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector**						
1	**कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities**	**86**	**22**	**25.47%**	**72**	**22**	**30.70%**

क्रम.सं. Sr. No.	क्षेत्र@ Sector@	चालू वर्ष (यथा 31 मार्च 2022) Current Year (as at March 31, 2022)			पिछला वर्ष (यथा 31 मार्च 2021) Previous Year (as at March 31, 2021)		
	विवरण Particulars	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
	कृषि और वानिकी Agriculture And Forestry	64	0	0.00%	50	0	0.00%
	मत्स्य पालन Fishing	22	22	100.00%	22	22	100.00%
2	उद्योग क्षेत्र को अग्रिम **Advances to industries sector**	**49,398**	**21,878**	**44.29%**	**50,321**	**23,168**	**46.04%**
	विनिर्माण Manufacturing	18,632	6,758	36.27%	18,762	8,439	44.98%
	निर्माण Construction	12,038	7,803	64.82%	13,393	7,992	59.68%
	बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति Electricity, Gas And Water Supply	10,449	805	7.70%	11,353	190	1.68%
	खनन और उत्खनन Mining And Quarrying	7,618	6,491	85.21%	6,506	6,423	98.73%
3	सेवाएं **Services**	**11,010**	**3,963**	**36.00%**	**6,334**	**4,155**	**65.60%**
	वित्तीय मध्यस्थता Financial Intermediation	5,701	1,391	24.39%	2,269	1,232	54.31%
	थोक और खुदरा व्यापार Wholesale And Retail Trade	2,836	829	29.23%	1,510	1,204	79.77%
	रियल एस्टेट, किराया और व्यावसायिक गतिविधियाँ Real Estate, Renting And Business Activities	1,123	847	75.46%	1,223	696	56.91%
4	वैयक्तिक ऋण **Personal loans**	**39,914**	**537**	**1.35%**	**30,912**	**449**	**1.45%**
5	अन्य **Others**	**16,695**	**2,888**	**17.30%**	**7,256**	**3,309**	**45.61%**
	उप-कुल (आ) **Sub-total (B)**	**1,17,103**	**29,288**	**25.01%**	**94,895**	**31,103**	**32.78%**
	कुल (अ+आ) **TOTAL (A+B)**	**1,78,206**	**34,115**	**19.14%**	**1,61,901**	**36,212**	**22.37%**

@ - उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, उन्हें अलग से प्रकट किया जाता है.

@ - Sub-sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector is disclosed separately.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

इ) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व
c) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
कुल आस्तियां Total Assets	2,228	2,656
कुल एनपीए (निवल) Total NPAs (Net)	शून्य Nil	133
कुल राजस्व Total Revenue	76	198

नोट– उपर्युक्त आंकड़े डीआईएफसी (यूएई) तथा गिफ्ट सिटी शाखा के हैं.

Note- The above figures are of DIFC (UAE) and GIFT City branch.

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण
d) Particulars of resolution plan and restructuring

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जून 2019 के परिपत्र सं.आरबीआई/2018- 2019/203 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार 'दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेक पूर्ण संरचना' पर प्रकटन.

Disclosure as per RBI Circular on 'Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets' Circular No: RBI/2018-2019/203DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 07, 2019,

यथा 31 मार्च 2022

As at March 31, 2022:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित Implemented	13	4,171	1,209	181
2	गैर–कार्यान्वित Non Implemented	21	13,311	12,642	86
	कुल Total	**34**	**17,482**	**13,851**	**267**

यथा 31 मार्च 2021 :

As at March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित Implemented	13	3,153	708	177
2	गैर–कार्यान्वित Non implemented	19	12,209	11,266	502
	कुल Total	**32**	**15,362**	**11,974**	**679**

उ) रिज़र्व बैंक के 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63 / 21.04.018 / 2016-17 और रिज़र्व बैंक के 01 अप्रैल 2019 के परिपत्र सं. आरबीआई / 2018–19 / 157 /डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32 / 21.04.018 / 2018–19 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन

e) Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBI Circular DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017 & RBI Circular No: RBI/2018-19/157 DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 Dated April 01, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां कहीं भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित अधिकतम सीमा से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त मूल्यांकित प्रावधानीकरण /अतिरिक्त एनपीए अधिक हो, बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों के लिए लेखा नोटों में, भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया को ध्यान में रख कर, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का खुलासा करना जरूरी होता है. प्रावधान करने के लिए अधिकतम सीमा संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ का 10 प्रतिशत है या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक है.

In terms of the RBI guidelines, banks are required to disclose the divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever the additional provisioning assessed / additional gross NPAs identified by RBI exceeds the threshold specified by RBI. The threshold for provisioning is 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period or additional gross NPAs identified by RBI exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन:

Disclosure for the year ended March 31, 2022: (₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम. सं. Sr. No	विवरण/ **Particulars**	राशि/ **Amount**
1	यथा 31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2021 as reported by the Bank	36,212
2	यथा 31 मार्च 2021 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2021 as assessed by RBI	36,953
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	741
4	यथा 31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2021 as reported by the Bank	2,519
5	यथा 31 मार्च 2021 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2021 as assessed by RBI	3,260
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	741
7	यथा 31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा एनपीए के लिए रिपोर्ट किए गए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as reported by the Bank	33,693
8	यथा 31 मार्च 2021 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as assessed by RBI	34,445
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	752
10	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात् निवल लाभ/ (हानि) Reported Net Profit /(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2021	1,359
11	प्रावधानीकरण में विचलन को गणना में शामिल करने के बाद 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात् समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ /(हानि) Adjusted (notional) Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2021 after taking into account the divergence in provisioning	337

टिप्पणियाँ :

Notes:

(i) उपर्युक्त क्रम सं. 5 में आरबीआई द्वारा आकलित निवल एनपीए की गणना करते समय, एनपीए के प्रावधान में विचलन के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है. यदि वृद्धिशील प्रावधानों पर विचार किया गया है तो निवल एनपीए में विचलन ₹47 करोड़ का होगा.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

While computing Net NPAs as assessed by RBI at Sr. No.5 above, effect of divergence in provisioning for NPAs has not been considered. If incremental provisions has been considered, divergence in Net NPAs would be of ₹47 crore.

(ii) उपर्युक्त क्रम सं. 9 में उल्लिखित प्रावधान में विचलन केवल एनपीए के प्रावधानों में भिन्नता संबंधी है. इसके अतिरिक्त, मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानों में विचलन कुल ₹270 करोड़ है.

Divergence in provisioning mentioned at Sr. No.9 above is only of divergence in provisions for NPAs. In addition, divergence in provisions for standard advances are aggregating to ₹270 crore.

(iii) क्रम सं. 11 में समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ /(हानि) प्रावधानों में सभी विचलनों पर विचार करने के बाद प्राप्त हुआ है; संबंधित कर संबंधी प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है. यदि कर प्रभाव पर विचार किया जाता तो समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ /(हानि) ₹580 करोड़ का होता.

Adjusted (notional) Net Profit/ (Loss) at Sr. No.11 has been arrived after considering all the divergence in provisions; related tax impact has not been considered. Had the tax impact been considered, Adjusted (notional) Net Profit/ (Loss) would be ₹580 crore.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन

Disclosure for the year ended March 31, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में रिपोर्ट करने योग्य कोई विचलन नहीं था.

There was no reportable divergence in asset classification and provisioning for NPAs for the year ended March 31, 2021.

ऊ). ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटन

f) Disclosure of Transfer of loan exposures

(i) ऐसे ऋण के संबंध में जिसमें चूक में नहीं हुई है, और जिनको अंतरित या अर्जित किया गया है - शून्य

In respect of loans not in default that are transferred or acquired - Nil

(ii) अंतरित या अर्जित दबावग्रस्त ऋण के मामले में, प्रकटन निम्नानुसार है:

In the case of stressed loans transferred or acquired, the disclosure is as follows:

(अ) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अंतरित/ अर्जित एसएमए के विवरण - शून्य

(a) Details of SMA transferred/ acquired during FY 2021-22 - Nil

(आ) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अंतरित एनपीए के विवरण:

(b) Details of NPAs transferred during FY2021-22:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण / **Particulars**	एआरसी को **To ARCs**	अनुमोदित अंतरीतियों को **To permitted transferees**	अन्य अंतरीतियों को **To other transferees**
खातों की सं. No of accounts	3	0	0
अंतरित ऋणों का कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	542	0	0
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	0	0	0
अंतरित (अंतरण के समय) ऋणों का निवल बही मूल्य Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0	0	0
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	293	0	0
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	167	0	0

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अर्जित ऋणों के विवरण **Details of loans acquired during the year FY 2021-22**		
विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफ से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अर्जित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	0	0
कुल प्रतिफल प्रदत्त Aggregate consideration paid	0	0
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	0	0

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरित/ अर्जित एसएमए के विवरण - शून्य

Details of SMA transferred/ acquired during FY 2020-21- Nil

(इ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरित एनपीए के विवरण

(c) Details of NPAs transferred during FY2020-21:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	एआरसी को **To ARCs**	अनुमोदित अंतरीतियों को **To permitted transferees**	अन्य अंतरीतियों को **To other transferees**
खातों की सं. No of accounts	9	0	0
अंतरित ऋणों का कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	1126	0	0
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	0	0	0
अंतरित (अंतरण के समय) ऋणों का निवल बही मूल्य Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	98	0	0
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	409	0	0
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	16	0	0

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अर्जित ऋणों के विवरण **Details of loans acquired during the year FY 2020-21**		
विवरण **Particulars**	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफ से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अर्जित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	0	0
कुल प्रतिफल प्रदत्त Aggregate consideration paid	0	0
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	0	0

टिप्पणियाँ :

Note:

(i) बैंक ने चालू वर्ष के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 293 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 311 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान रिवर्स किया है.

Bank has reversed excess provisions of ₹ 293 crore (Previous Year: ₹ 311 crore) to the profit and loss account on account of sale of stressed loans during the current year

(ii) यथा 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समुनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में वितरण

The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2022:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत Book Cost
आरआर1 / RR1	38
आरआर2 / RR2	22
आरआर3 / RR3	43
आरआर4/ RR4	48
आरआर5/ RR5	94
वापस ली गई रेटिंग@ Rating Withdrawn@	989
कुल /Total	1,234

@ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, पश्च 8 वर्ष की रेटिंग लागू नहीं है.

@ As per RBI guideline post 8 years rating is not applicable

वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले और किए गए प्रावधान
Fraud Reported and Provision made during the Year

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या Number of Frauds reported	1,819#$	2,085
धोखाधड़ी में शामिल राशि Amount involved in fraud	3,289#	6,615
ऐसी धोखाधड़ी के लिए की गई प्रावधान की राशि Amount of provision made for such frauds	3,258#@	6,557
वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	Nil	Nil

कुल रु.0.23 करोड़ के 8 गैर–रिपोर्टिंग वसूलीकर्ता बैंक (एनआरसीबी) संबंधी मामले शामिल है, जिन्हें दिनांक 1 जुलाई 2016 (3 जुलाई 2017 को अद्यतन किया गया) के आरबीआई मास्टर परिपत्र "वाणिज्यिक बैंकों एवं चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी–वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर निर्देश" के अनुसार आरबीआई को रिपोर्ट नहीं किया गया है.

Includes 8 Non-reporting Collecting Bank (NRCB) cases aggregating ₹0.23 crore which were not reported to RBI as per RBI Master Directions on Fraud-Classification and Reporting by commercial banks and select FIs dated July 1, 2016 (Updated as on July 3, 2017).

@ प्रावधान की राशि वसूली को घटाकर है.

@ Amount of provision is net of recovery.

$ उपर्युक्त प्रकटन एफएमआर के अनुसार है.

$ The above disclosure is as per FMR.

ऋ) कोविड–19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटन

g) 'Disclosure under Resolution Framework for COVID-19' related stress

'कोविड–19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र सं. आरबीआई/2020–21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/ 3/21.04.048/2020–21 के अनुसार प्रकटन

Disclosure as per RBI circular No. RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 under 'Resolution Framework for COVID-19 related stress'

(i) 31 मार्च 2022 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन:

(i) **Disclosure for Half Year ended March 31, 2022:**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्पोजर 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति # (अ) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended September 30, 2021 # (A)	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गये (आ) Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year ended March 31,2022 (B)	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि (इ) Of (A) amount written off during the half year (C)	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि ## (ई) Of (A) amount paid by the borrower during the half year## (D)	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्पोजर 31 मार्च 2022 को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति ### (उ) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2022 ### (E)
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,836.36	45.80	-	118.40	2,720.85
कॉरपोरेट व्यक्ति@ Corporate Persons@	1,026.40	289.78	-	49.82	702.00
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	402.78	1.38	-	12.07	392.03
अन्य / Others	226.58	12.77	-	39.33	179.37
कुल / **TOTAL**	**4,089.34**	**348.35**	**-**	**207.55**	**3,602.22**

@ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में दी गई परिभाषा के अनुसार

@ As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

दिनांक 6 अगस्त 2020 के कोविड–19 संबंधित दबाव के लिए आरबीआई के समाधान ढांचे के अनुसार सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के दौरान लागू पुनर्संरचना शामिल है.

Includes restructuring implemented during the half year ended September 2021 as per the RBI Resolution Framework for COVID-19-related Stress dated August 6, 2020.

छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि, ब्याज पूंजीकरण के कारण परिवर्धन राशि सहित उधारकर्ता के खाते में कुल परिवर्धन से घटाकर है.

Amount paid by borrower during the half year is net of addition in the borrower account including additions due to interest capitalization

कॉलम उ में आरबीआई परिपत्र के अनुसार i) दिनांक 6 अगस्त 2020 का कोविड–19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा एवं ii) दिनांक 5 मई 2021 का वैयक्तिक और लघु कारोबार के बारे में कोविड–19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा–2.0 के अनुसार लागू मामले भी शामिल हैं

Column E also includes cases implemented as per RBI circular for i) Resolution Framework for COVID-19-related Stress dated August 6, 2020 & ii) Resolution Framework – 2.0 for Covid-19 related stress of Individuals and Small Businesses dated May 5, 2021

(ii) 30 सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन:

(ii) **Disclosure for Half Year ended September 30, 2021:**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्पोजर 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति (अ) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended March 31, 2021# (A)	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गये (आ) Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year (B)	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि (इ) Of (A) amount written off during the year (C)	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि (ई) Of (A) amount paid by the borrower during the half year (D)	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्पोजर 30 सितंबर 2021 को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति ## (उ) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended September 30, 2021 ## (E)
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	734.01	7.79	0	13.96	2,389.34
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate Persons	1,501.80	0	0	1.26	3,224.01
इनमें से, एमएसएमई Of which MSMEs	0	0	0	0	33.59
अन्य / Others	0	0	0	0	213.58
कुल / **TOTAL**	**2,235.81**	**7.79**	**0**	**15.22**	**5,826.93**

दिनांक 6 अगस्त 2020 के कोविड–19 संबंधित दबाव के लिए आरबीआई के समाधान ढांचे के अनुसार यथा जून 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान लागू पुनर्संरचना शामिल है.

includes restructuring implemented during the quarter ended June 2021 as per the RBI Resolution Framework for COVID-19-related Stress dated August 6, 2020.

कॉलम उ में आरबीआई परिपत्र के अनुसार i) दिनांक 6 अगस्त 2020 का कोविड–19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा एवं ii) दिनांक 5 मई 2021 का वैयक्तिक और लघु कारोबार के बारे में कोविड–19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा–2.0 के अनुसार लागू मामले शामिल हैं

Column E also includes cases implemented as per RBI circular for i) Resolution Framework for COVID-19-related Stress dated August 6, 2020 & ii) Resolution Framework – 2.0 for Covid-19 related stress of Individuals and Small Businesses dated May 5, 2021

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रकटन

Disclosure for FY 2020-21

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	उन खातों की संख्या जहां इस विंडो के तहत समाधान योजना लागू की गई है (अ) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window (A)	योजना के कार्यान्वयन से पहले (अ) में उल्लिखित खातों के प्रति एक्सपोजर (आ) Exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan (B)	(आ) में से ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था (इ) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities (C)	योजना लागू करने और कार्यान्वयन के बीच सहित अतिरिक्त निधीयन की मंजूरी, यदि कोई हो (ई) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation (D)	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में हुई वृद्धि (उ) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan (E)
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	3,335	734.01	0	0	73.40
कॉरपोरेट व्यक्ति @ Corporate Persons @	1	1,500.00	0	1.80	3.00
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	0	0	0	0	0
अन्य Others	0	0	0	0	0
कुल Total	3,336	2,234.01	0	1.80	76.40

@ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में दी गई परिभाषा के अनुसार

@ As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5. एक्सपोजर
Exposures

(अ) स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर

(a) Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

श्रेणी Category	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
1. प्रत्यक्ष ऋण सहायता / Direct exposure	61,883	59,632
(क) आवासीय बंधक – (a) Residential Mortgages –	60,365	57,889
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/ होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	60,365	57,889
इनमें से ऐसे व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं. Of above individual having housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	47,335	44,981

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

श्रेणी Category	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
(ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र – (b) Commercial Real Estate –	1,518	1,743
वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	833	1189
उपर्युक्त में से गैर–निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	449	272
(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता– (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –	0	0
क. आवासीय, a. Residential,	0	0
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0	0
2. अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Indirect Exposure	2,846	1,723
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर–निधि आधारित ऋण सहायता Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	2,831	1,705
उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर गैर–निधि आधारित ऋण सहायता Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	0	0
कोई अन्य–अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / Any other - Indirect Exposure	15	18
कुल / TOTAL	**64,729**	**61,355**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(ख)/(b) पूंजी बाजार में एक्सपोजर / **Exposure to Capital Market**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. SR.No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	400	311
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	251	296
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0	0
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0	2
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	50	120
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter`s contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	0	0
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0	0
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	0	0

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. SR.No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	0	0
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर–पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर को इक्विटी के समतुल्य माना जाएगा, इसलिए इन्हें पूंजीबाजार एक्सपोजर सीलिंग (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों) के अनुपालन में गिना जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	74	89
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	**775**	**818**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

पूंजी बाजार एक्सपोजर स्थिति पर विनियामकीय सीमा /पाबंदी से छूट प्राप्त ऋणों की इक्विटी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रकटन
Disclosure of Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/Restrictions on Capital Market Exposure Position

पुनर्संरचना प्रकार Types of Restructuring		पुनर्संरचना के अधीन (सीडीआर तंत्र) Under Restructuring (CDR Mechanism)
यथा 31 मार्च 2022 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31, 2022	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	30
	बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ Crores)	34
यथा 31 मार्च 2021 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31,2021	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	33
	बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ Crores)	197

(ई) जोखिम श्रेणी–वार देश में एक्सपोजर
(c) **Risk Category Wise Country Exposure**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2022 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2022	31 मार्च 2022 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2022	31 मार्च 2021 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2021	31 मार्च 2021 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2021
नगण्य / Insignificant	2,657	-	2,046	-
निम्न जोखिम / Low Risk	2,081	-	1,988	-
मध्यम निम्न जोखिम / Moderately Low Risk	-	-	41	-
मध्यम जोखिम/ Moderate Risk	8	-	-	-
मध्यम उच्च जोखिम/ Moderately High Risk	-	-	-	-
उच्च जोखिम/ High Risk	-	-	-	-
अति उच्च जोखिम / Very High Risk	-	-	-	-
कुल/ **TOTAL**	**4,746**	-	**4,075**	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

किसी भी देश में बैंक का निवल निधि आधारित एक्पोजर 31 मार्च 2022 तक बैंक की कुल आस्ति के 1% से अधिक नहीं है.

Bank's net fund based exposure to any of the countries is not more than 1% of total assets of the bank as on March 31, 2022.

(ई) अप्रतिभूत अग्रिम

(d) **Unsecured Advances**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
बैंक का कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total unsecured advances of the bank	10,775	6,050
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की कुल राशियाँ जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	0	0
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	0	0

(उ) फैक्टरिंग एक्सपोजर:

(e) **Factoring Exposures:**

यथादिनांक 31 मार्च 2022 को व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) बकाया ₹855 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹253 करोड़)

Trade Receivable Discounting System (TReDS) outstanding of ₹855 crore as at March 31, 2022 (previous year of ₹253 crore).

(ऊ) अंतरसमूह एक्सपोजर

(f) **Intra-Group Exposures**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

	विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
(क) (a)	अंतर–समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	3,055	3,054
(ख) (b)	शीर्ष 20 अंतर समूह एक्सपोजर की कुल राशि@ Total amount of top-20 intra-group exposures @	3,055	3,054
(ग) (c)	ऋणदाताओं/ ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत @@ Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers @@	1.05%	1.12%
(घ) (d)	अंतर–समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का वर्णन और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

@ आईडीबीआई बैंक की 10 समूह संस्थाएं हैं जिनमें आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है.

@ - Total Group entities of IDBI Bank are 10 where Bank is holding more than 20% equity shareholding.

@@ बैंक का कुल प्रतिबद्ध एक्सपोजर ₹289,754 करोड़ है (पिछले वर्ष: ₹2,72,811 करोड़).

@@ - Total committed exposure of Bank is ₹2,89,754 crore (Previous Year: ₹2,72,811 crore).

(ऋ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर
(g) **Unhedged Foreign Currency Exposure**

बैंक, जैसा कि इसकी क्रेडिट नीति में वर्णित है, अपने ऋणदाताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार–चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा को रक्षित करने के लिए सूचित करता है. बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आंतरिक विकसित प्रणाली पर आधारित सूचना आवधिक आधार पर प्राप्त करता है तथा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव से होने वाले संभावित हानि की गणना के लिए कार्य–प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए के लिए प्रावधानीकरण शून्य (पिछले वर्ष: शून्य) रहा. इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31.03.2022 को ₹69 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹66 करोड़) रही.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation. Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2022 towards this exposure is Nil. (Previous year: 'Nil'). The capital held towards the risk stood at ₹69 crore as on 31-03-2022. (Previous Year: ₹66 crore)

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

(अ) जमाराशियों का संकेंद्रण
(a) Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	**31 मार्च 2022 March 31, 2022**	**31 मार्च 2021 March 31, 2021**
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of the twenty largest depositors	16,753	19,336
बैंक की कुल जमाराशियां Total Deposits of the Bank	2,33,134	2,30,852
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.19%	8.38%

(आ) अग्रिमों का संकेंद्रण @
(b) Concentration of Advances @

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	**31 मार्च 2022 March 31, 2022**	**31 मार्च 2021 March 31, 2021**
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	47,046	46,802
कुल अग्रिम Total Advances	2,71,983	2,61,429
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	17.30%	17.90%

@ अग्रिमों की गणना क्रेडिट एक्पोजर के आधार पर की जाती है, अर्थात् डिरिवेटिव एक्सपोजर सहित वित्त पोषित और गैर–वित्त पोषित सीमाएं जहां लागू हो. स्वीकृत सीमाएं या बकाया, जो भी अधिक हो, की गणना की जाएगी. तथापि, पूरी तरह से आहरित मियादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग को पुन: आहरण की कोई गुंजाइश न हो, बकाया को क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में गणना की जाती है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

@ Advances are computed based on credit exposure i.e. funded and non-funded limits including derivative exposures where applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever are higher shall be reckoned. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, the outstanding is reckoned as the credit exposure.

(इ) एक्सपोजर का संकेंद्रण @
(c) Concentration of Exposures@

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	47,678	46,802
कुल एक्सपोजर Total Exposure	2,89,754	2,72,811
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	16.45%	17.16%

@ 1 जुलाई 2015 के एक्सपोजर मानदंडों पर आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2015–16/70 डीबीआर.नं.डीआईआर.बीसी.12/13.03.00/2015–16 के आधार पर

@ Based on RBI Circular No. RBI/2015-16/70 DBR.No.Dir.BC.12/13.03.00/2015-16 on Exposure Norms dated July 1, 2015

(ई) एनपीए का संकेंद्रण
(d) Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
बीस शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to top twenty NPA accounts	20,505	21,533
कुल सकल एनपीए को बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	60.10%	59.46%

7. डिरिवेटिव / Derivatives

(अ)/(A) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr.No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन @ The notional principal of swap agreements@	शून्य Nil	9,662	शून्य Nil	8,117
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य Nil	38	Nil	104
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण नीचे (क) देखें Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य Nil	नीचे (i एवं ii) देखें Refer (i & ii) Below	शून्य Nil	नीचे (i एवं ii) देखें Refer (i & ii) Below
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	शून्य Nil	(5)	शून्य Nil	(11)

@ इसमें समुद्रपारीय शाखा के आंकड़े भी शामिल हैं.

@ The figures include overseas branch also.

(i) 31 मार्च 2022 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर का 100% (₹3 करोड़) है.

Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2022 is at 100% of the total current exposure (₹ 3 cr.) from Corporate Clients to the Bank

31 मार्च 2022 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर का 100% (₹1 करोड़) है.

Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2022 was at 100% of the total current exposure (₹1 cr.) from Corporate Clients to the Bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(ii) यथा 31 मार्च 2022 को स्वैप का स्वरूप और इसकी शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps on March 31, 2022 are set out below

स्वरूप Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in Crores)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग / Trading	103	2,813	मिबोर ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	110	3,026	मिबोर ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग/ Trading	0	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,911	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग/ Trading	2	1,911	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

(iii) यथा 31 मार्च 2021 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:
(iii) The nature and terms of the Swaps as on March 31, 2021 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in Crores)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग / Trading	81	2,284	मिबोर ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	77	2,015	मिबोर ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग/ Trading	2	50	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	50	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,859	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग/ Trading	2	1,859	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

(iv) पीवी01 के संदर्भ में ओआईएस पोर्टफोलियो की निवल खुली स्थिति ₹2.58 लाख (नियत प्राप्त) से नकारात्मक है, जिसका आशय है कि रुपया ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (आईएनआर ओआईएस) वक्र में एक आधार बिन्दु वृद्धि के लिए ₹2.58 लाख का संभावित नुकसान है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं के संदर्भ में सभी खुली स्थितियों की दैनिक आधार पर निगरानी और प्रबंधन किया जाता है. कृपया स्वैप के लेखांकन व्यवहार के संबंध में अनुसूची 17 लेखा नीति देखें.

Net open position of OIS portfolio in terms of PV01 is at negative ₹ 2.58 lakh (receive fixed) implying a potential loss of ₹ 2.58 lakhs for one basis point increase in the Rupee Overnight Indexed Swap (INR OIS) curve. All the open positions are monitored and managed on a daily basis in terms of risk limits approved by the Board. Please refer Schedule 17 Accounting Policy regarding accounting treatment of swaps.

एक्सचेंज में क्रयविक्रय वाले ब्याज दर डेरिवेटिव
Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	4,161	27,170
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	289	32
	ग) विकल्प c) Options	शून्य Nil	शून्य Nil
(ii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य Nil	292
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य Nil	शून्य Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य Nil	शून्य Nil
(iii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य Nil	शून्य Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य Nil	शून्य Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य Nil	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
(iv)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया तथा जो “उच्च प्रभावी” नहीं हैं, ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क–टू–मार्केट मूल्य Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not “highly effective”		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य Nil	शून्य Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य Nil	शून्य Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य Nil	शून्य Nil

(आ)/(B) डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन / Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures

(क) डेरेवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन
(a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading

बैंक हेजिंग साथ ही, ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं. बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख कार्यपालक निदेशक हैं तथा जिन्हें मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है.

The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc. The Bank has a well-defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by an Executive Director designated as Chief Risk Officer.

(ख) जोखिम आकलन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का कार्यक्षेत्र और स्वरूप
(b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems

जोखिम प्रबंध ग्रुप, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा–निर्देशों के अनुसार जोखिमों ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम आदि के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. आस्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.

The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks like credit risk, market risk, operational risk etc. in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with periodic reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(ग) हेजिंग/ शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए हेजिंग और /या जोखिम को कम करने और रणनीतियों और प्रक्रियाओं के लिए नीतियाँ.

(c) Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants.

ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरेवेटिव लेन–देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरेवेटिव लेन–देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन–देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय–सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि–रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(घ) हेज और नॉन–हेज लेनदेन, आय की पहचान, प्रीमियम और छूट, बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण संबंधी रिकार्डिंग के लिए लेखांकन नीति.

डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों'' में दिये गए हैं.

(d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

(ii) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative disclosures

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष (31 मार्च 2022) Current Year (March 31, 2022)		पिछला वर्ष (31 मार्च 2021) Previous Year (March 31, 2021)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt.)				
	(क) हेजिंग के लिए (a) For hedging	16.67	शून्य / Nil	21.45	शून्य / Nil
	(ख) ट्रेडिंग के लिए (b) For trading	2,312.31	9,661.52	2,689.85	8,117.33
(ii)	मार्क्ड–टू–मार्केट पोजीशन Marked to Market Positions				
	(क) आस्तियां (+) (a) Asset(+)	331.48	37.89	286.50	104.31
	(ख) देयताएं (–) (b) Liability (-)	(328.17)	(42.62)	(283.12)	(115.19)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष (31 मार्च 2022) Current Year (March 31, 2022)		पिछला वर्ष (31 मार्च 2021) Previous Year (March 31, 2021)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(iii)	ऋण जोखिम / Credit Exposure				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	4.97	शून्य / Nil	5.55	शून्य / Nil
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	440.94	101.09	523.72	172.43
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) on hedging derivatives	0.17	शून्य / Nil	0.34	शून्य Nil
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) on trading derivatives	शून्य / Nil	2.58	शून्य Nil	1.10
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम @ Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year @				
	(क) हेजिंग पर (a) on hedging				
	- अधिकतम / Maximum	0.33	शून्य / Nil	0.47	2.89
	-न्यूनतम / Minimum	0.17	शून्य / Nil	0.33	शून्य / Nil
	(ख) ट्रेडिंग पर (b) on trading				
	- -अधिकतम/ Maximum	शून्य / Nil	4.20	0.00340	1.96
	- -न्यूनतम / Minimum	0.0007	0.0233	0.00082	0.0087

@ चूंकि संव्यवहार आस्ति–देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा विनिमय दर से जुड़े जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अत: बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना दैनिक आधार पर नहीं करता है.

@ Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is not calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on daily basis.

(इ)/(C) ऋण चूक स्वैप / Credit Default Swaps

चालू और पिछले वर्षों के दौरान बैंक ने कोई सीडीएस लेनदेन नहीं किया है.

During the current and the previous years, the Bank did not enter into any CDS transactions.

8. प्रतिभूतीकरण / Securitisation

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. SR.No.	विवरण Particular	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022 सं. / राशि No. / Amount	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021 सं. / राशि No. / Amount
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी की रिपोर्टिंग की गई है). No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य Nil	शून्य Nil
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर के अनुपालन के संबंध में प्रवर्तक द्वारा धारित कुल एक्सपोजर राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य Nil	शून्य Nil
	क) a) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off balance Sheet Exposure	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / First Loss	शून्य/ /Nil	शून्य / Nil
	अन्य / Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) b) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर On-balance sheet exposures	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	अन्य/ Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
4.	एमएमआर से इतर प्रतिभूति लेनदेन में एक्सपोजर राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य Nil	शून्य Nil
	क) a) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off-balance sheet exposures	शून्य Nil	शून्य Nil
	i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitizations	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	हानि / Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	शून्य / Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / /First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	अन्य Others	शून्य Nil	शून्य Nil
	ख) b) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर On-balance sheet exposures	शून्य Nil	शून्य Nil
	i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitisations	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. SR.No.	विवरण Particular	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022 सं. / राशि No. / Amount	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021 सं. / राशि No. / Amount
	अन्य / Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ii)	अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	शून्य Nil	शून्य Nil
	प्रथम हानि / First Loss	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	अन्य / Others	शून्य / Nil	शून्य / Nil
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतीकरण के कारण बिक्री पर लाभ/ हानि. Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य Nil	शून्य Nil
6	तरलता सहायता, प्रतिभूतीकरण के बाद आस्ति सेर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य). Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
7	प्रदान की गई सुविधा का कार्यनिष्पादन. कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सेर्विसिंग एजेंट आदि. प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें. Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(अ) भुगतान की गई राशि / a) Amount paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(आ) प्राप्त चुकौती / b) Repayment received	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(इ)) बकाया राशि / c) Outstanding amount	शून्य / Nil	शून्य / Nil
8.	अतीत में देखें गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें. Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिये गए अतिरिक्त/ टॉप–अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें. Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
10.	निवेशकों की शिकायतें / Investor complaints (क) प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और (a) Directly/ Indirectly received and; (ख) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	शून्य / Nil	शून्य / Nil

9. **प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)**
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन: प्रायोजित एसपीवी का नाम Disclosure for the year ended March 31, 2022 Name of the SPV sponsored		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन: प्रायोजित एसपीवी का नाम Disclosure for the year ended March 31, 2021 Name of the SPV sponsored	
देशी / Domestic	विदेशी / Overseas	देशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य/ Nil	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

10. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईए निधि)
10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particular	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021
1.	डीईए निधि में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	208	167
2.	जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEA Fund during the year	54	44
3.	घटाएँ : दावे के लिए डीईए निधि से प्रतिपूर्ति की राशि Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	(3)	(3)
4.	डीईए निधि को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEA Fund	259	208

11. शिकायतों का प्रकटन/ Disclosure of Complaints

अ) ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी:

a) Summary information on complaints received by the Bank from customers and from the Offices of Banking Ombudsman (OBOs)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष 31 मार्च 2022 Current Year March 31, 2022	पिछला वर्ष 31 मार्च 2021 Previous Year March 31, 2021
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें **Complaints received by the bank from its customers**		
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	890	285
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	71,674	74,063
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	72,278	73,458

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars		चालू वर्ष 31 मार्च 2022 Current Year March 31, 2022	पिछला वर्ष 31 मार्च 2021 Previous Year March 31, 2021
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	685	678
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year		286	890
	ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें **Maintainable complaints received by the bank from OBOs**			
5	ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the Bank from OBOs		1,920	2,813
	5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by OBOs	1,786	2,236
	5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह/ मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by OBOs	134	577
	5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by OBOs against the bank	शून्य Nil	शून्य Nil
6	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील वाले मामलों के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)		शून्य Nil	शून्य Nil

उपर्युक्त सारांश में आयकर, सीबीआई और सतर्कता विभाग से प्राप्त शिकायतें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा, ग्राहक सेवा पर आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार, अगले कार्य दिवस के भीतर समाधान की गई शिकायतों को उपर्युक्त सारांश में शामिल नहीं किया जाता है. बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में 27 जनवरी 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार डेटा को संरेखित किया गया है.

The above summary does not include complaints from Income Tax, CBI, and Vigilance. Further, as per RBI master circular on Customer Service, complaints resolved within the next working day are excluded from the above summary. The data has been aligned according to the circular issued by Reserve Bank of India on January 27, 2021 regarding Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार:

b) Top five grounds of complaints received by the Bank from customers :

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
		वित्तीय वर्ष 2021-22 / (FY 2021-22)			
एटीएम/ डेबिट कार्ड ATM/ Debit Cards	373	39,097	(29.17)	142	1@
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/ mobile/ Electronic Banking	44	6,487	(0.86)	28	शून्य Nil
खाता खोलना/ खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening / difficulty in operation of accounts	77	5,902	46.09	46	शून्य Nil
ऋण और अग्रिम Loans and advances	87	3,207	12.49	49	शून्य Nil
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क /फोरक्लोज़र शुल्क Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	11	392	17.01	3	शून्य Nil
अन्य / Others	298	16,589	225.79	18	शून्य / Nil
कुल / TOTAL	**890**	**71,674**	**(3.23)**	**286**	**1**
		वित्तीय वर्ष 2020-21 (FY 2020-21)			
एटीएम/ डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	98	55,202	(32.36)	373	शून्य Nil
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/ mobile/ Electronic Banking	78	6,543	(5.71)	44	शून्य Nil
खाता खोलना/ खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening / difficulty in operation of accounts	61	4,040	(25.07)	77	शून्य Nil
ऋण और अग्रिम Loans and advances	31	2,851	50.29	87	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क/ फोरक्लोज़र शुल्क Levy of charges without prior notice/excessive charges/ foreclosure charges	7	335	7.03	11	शून्य / Nil
अन्य / Others	10	5,092	17.25	298	शून्य/ Nil
कुल / TOTAL	**285**	**74,063**	**(26.41)**	**890**	शून्य/ Nil

@ डेबिट कार्ड के काम न करने की शिकायत तकनीकी प्रकृति की थी और इसका समाधान कर दिया गया है.

@ Complaint pertaining to debit card not working was technical in nature and has since been resolved.

12. आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

Disclosure on Penalties imposed by Reserve Bank of India

वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए:

During the year following penalties were imposed by RBI:

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

(a) Banking Regulation Act, 1949

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र. सं. Sr.No.	विवरण Particulars	घटनाओं की संख्या Number of Instances	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
1.	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर–अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	1	0.0014	0.0067
2.	ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों के गैर–अनुपालन, सिक्कों एवं कम वर्ग मूल्य के नोटों तथा कटे–फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non-compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	22	0.1301	0.0670
3.	करेंसी चेस्टो द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए दंड. Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	51	0.0168	0.0094

क्र. सं. Sr.No.	विवरण Particulars	घटनाओं की संख्या Number of Instances	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
4.	ऊपर उल्लेख न किए गए अन्य कारणों के लिए दंड Penalties for other reasons not mentioned above	37	0.0634	0.1355
	भुगतान किया गया कुल दंड (अ) **Total Penalties Paid (A)**	**111**	**0.2117**	**0.2186**

वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए (आरबीआई के अलावा):
During the year following penalties were imposed (other than RBI):

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	घटनाओं की संख्या Number of Instances	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
1.	अन्य देशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड की कुल राशि Total amount of penalties levied by other domestic regulators	6	0.3904	0.0945

(ख) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: शून्य
(b) Payment and Settlement System Acts, 2007: Nil

(ग) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंसिंग के लिए) : शून्य
(c) Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL): Nil

(घ) नीचे दिया गया दंड वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित नहीं है, तथापि इसका प्रकटन किया जा रहा है.
(d) The below penalty does not pertain to FY 2021-22, however is being disclosed

आरबीआई ने धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों एवं चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग, प्रायोजक बैंकों और कॉरपोरेट ग्राहक के रूप में एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान इकोसिस्टम संबंधी नियंत्रण को मजबूत करने और बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर अपने निर्देश के गैर–अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अपने आदेश द्वारा बैंक पर कुल ₹0.90 करोड़ का दंड लगाया है.

The RBI by an Order dated April 08, 2022 has imposed an aggregate penalty of ₹0.90 crore on the Bank, in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance with the directions issued by it on Frauds-classification and reporting by commercial banks and select FIs; Strengthening the Controls of Payment Ecosystem between Sponsor Banks and SCBs/UCBs as a Corporate Customer and Cyber Security Framework in Banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

13. पारिश्रमिक का प्रकटन
Disclosures on Remuneration
गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures

(a) पारिश्रमिक समिति की संरचना और अधिदेश से संबंधित जानकारी:
Information relating to the composition and mandate of the Nomination and Remuneration Committee:

पारिश्रमिक का ध्यान रखनेवाली मुख्य समिति का नाम, उसकी बनावट और उससे संबंधित अधिदेश:
Name, composition and mandate of the main body overseeing remuneration:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में सात सदस्य अर्थात् इसके अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक तथा एक सरकारी नामिती निदेशक, एक एलआईसी के नामिती निदेशक और अन्य सदस्य के रूप में तीन स्वतंत्र निदेशकगण शामिल हैं. समिति, निदेशकों के उपयुक्त और माकूल स्थिति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमन, 2021 तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों में प्रदत अधिदेशों/ विचारार्थ विषयों को पूरा करती है जो निम्नानुसार हैं :

Nomination and Remuneration Committee (NRC) comprises of seven members with an Independent Director as its Chairman, and one Government Nominee Director, one LIC Nominee Director and three other Independent Directors as other members and one Additional Director in Independent category. The Committee fulfils the mandate / terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations, SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors as under :

- निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख कार्मिकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति के लिए बोर्ड से सिफारिश करना

  Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;

- बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए प्रभावी पद्धति विनिर्दिष्ट करना, बोर्ड द्वारा अथवा एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना और इसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना;

  To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors, to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;

- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मण्डल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना

  Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;

- निदेशक मण्डल में विविधता के लिए नीति तैयार करना;

  Devising a policy on diversity of Board of Directors;

- निदेशक नियुक्ति और मूल्यांकन नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान करना तथा बोर्ड से उनकी नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफारिश करना;

- To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management with the criteria laid down, and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;

- निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना;

  To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;

- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड पर कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में तय की गई क्षमताएं होनी चाहिए. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्न कार्य कर सकती है:
- For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:

क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग;

a. Use the services of external agencies, if required;

ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना; और

b. Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and

ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार.

c. Consider the time commitments of the candidates.

- योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और माकूल' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता (यदि लागू हो) के आधार पर तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मण्डल संबंधी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/नियुक्ति को जारी रखने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना तथा उसके संबंध में मानदंड तैयार करना;

  To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent directors and formulate the criteria relating thereto;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार करना;

  Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc.
- बोर्ड से वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे जिस रूप में हो, की सिफारिश करना;

  Recommend to the Board, all remunerations, in whatever form, payable to the senior management;
- क्षतिपूर्ति और विवेकपूर्ण जोखिम के बीच प्रभावी सुसंगतीकरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय के साथ कार्य करना;

  To work in close coordination with Risk Management Committee to achieve effective alignment between compensation and prudent risk-taking.
- क्षतिपूर्ति प्रणाली की रूपरेखा और परिचालनों का निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली अपेक्षानुसार कार्य करती है और यह वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुरूप है.

  To oversee the compensation system's design and operations to ensure that the system operates as intended and is also consistent with the principles outlined by the Financial Stability Board.
- क्षतिपूर्ति नीति के निर्धारण, समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करना और सीईओ/ डब्ल्यूटीडी/ एमआरटी के साथ-साथ जोखिम नियंत्रण और अनुपालन स्टाफ (बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के लिए) के लिए वार्षिक पारिश्रमिक निर्णय लेना;

  To oversee framing, review and implementation of compensation policy and make annual remuneration decisions for CEO/WTDs/MRTs plus risk control and compliance staff (for ratification by the Board).
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का लागत–आय अनुपात, ठोस पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखते हुए मुआवजे में योगदान देता है;

  To ensure that the cost to income ratio of the Bank supports the compensation consistent with maintaining sound capital adequacy ratio.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

- बैंक की क्षतिपूर्ति प्रथाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यवेक्षी निरीक्षण करना. सामान्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र और उद्योग से संबंधित विभिन्न विधियों द्वारा निर्धारित सभी प्रकटीकरण मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना.

  To have supervisory oversight regarding implementation of compensation practices and policies of the Bank. To ensure complete compliance with all disclosure norms as prescribed by the various statutes relevant to the banking sector and industry in general.
- मैलस एंड क्ला बैक के लिए हर साल विशिष्ट मानदंडों की समीक्षा करना.

  To review specific criteria for Malus and Claw back every year.
- हर साल नकद आधारित प्रोत्साहनों और शेयर-संबद्ध प्रोत्साहनों के लिए कार्य–निष्पादन मानदंड और अंतिम भुगतान तय करना.

  To fix performance parameters & final payout for Cash based incentives and share-linked incentives every year.
- तात्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करना जिनके कार्यों का बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों को पूरा करते हैं.

  To identify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the Bank, and who satisfy the qualitative and quantitative criteria.
- सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमावली, 2021 के विनियम 5 के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति समिति के रूप में कार्य करना. सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमावली, 2021 के तहत अनिवार्य कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना का प्रशासन और पर्यवेक्षण करना तथा अन्य बातों के साथ-साथ उन कर्मचारियों के ग्रेडों को अनुमोदित करना जिन्हें विकल्प दिए जा सकते थे और साथ ही विकल्प देने के लिए अपनाए जाने के लिए आवश्यक प्रदर्शन स्तर और/ या कोई अन्य मानदंड निर्धारित करना.

  To act as the Compensation Committee as prescribed under Regulation 5 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021. To administer and supervise the Employee Stock Option Scheme as mandated under the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations 2021 and to inter alia approve the grades of employees to whom options could be granted as well as determine the performance level and/or any other criteria required to be adopted for grant of options.
- बैंक की कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (योजनाओं) को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों और शर्तों को अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन किसी भी बदलाव सहित निर्धारित करना और अंतिम रूप देना, यदि नियामक और/ या अन्य लागू कानूनों के तहत ऐसा आवश्यक हो.

  To determine and finalize all the terms and conditions governing the Employee Stock Option Scheme(s) of the Bank including any variation thereof subject to receipt of requisite approval, if required under regulatory and/or other applicable laws.
- किसी भी स्टॉक विकल्प योजना या प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन का सुझाव देना, बशर्ते कि ऐसी योजनाओं में सभी संशोधन बोर्ड के विचार और अनुमोदन के अधीन हों.

  To suggest amendments to any stock option plans or incentive plans, provided that all amendments to such plans shall be subject to consideration and approval of the Board.
- हर साल क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा करना और जब कभी नियामक दिशानिर्देशों/ अन्य कानूनों के तहत कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना की समीक्षा करना आवश्यक हो, उसकी समीक्षा करना.

  To review the Compensation Policy annually and to review the Employee Stock Option Scheme as and when required under regulatory guidelines/other laws.
- नियामक/ सांविधिक दिशा-निर्देशों के तहत समय-समय पर तय किए अनुसार कोई भी भूमिका निभाना.

  To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines from time-to-time.

यथा 31 मार्च 2022 को एनआरसी के सात सदस्य थे जिसमें श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (स्वतंत्र निदेशक) इसके अध्यक्ष तथा श्री अंशुमन शर्मा (सरकारी नामिती निदेशक), श्री मुकेश कुमार गुप्ता (एलआईसी नामिती निदेशक) और श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी (स्वतंत्र निदेशक) और श्री दीपक सिंघल (स्वतंत्र निदेशक) अन्य सदस्यों के रूप में तथा श्री टी एन मनोहरन (स्वतंत्र श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक) के रूप में शामिल थे.

As on March 31, 2022, the NRC comprised of seven members with Shri Gyan Prakash Joshi (Independent Director) as its Chairman, Shri Anshuman Sharma (Government Nominee Director), Shri Mukesh Kumar Gupta (LIC Nominee Director) and Shri Bhuwanchandra B Joshi (Independent Director), Shri N. Jambunathan (Independent Director) & Shri Deepak Singhal (Independent Director) as other members and Shri T. N. Manoharan, (Additional Director in Independent category).

बाह्य परामर्शदाता जिनसे परामर्श मांगे गए, संस्था जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था, और पारिश्रमिक प्रक्रिया के क्षेत्र

External consultants whose advice has been sought, the body by which they were commissioned, and in what areas of the remuneration process.

04 नवंबर 2019 को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एमडी एवं सीईओ/ डबल्यूटीडी की प्रतिकर संरचना को शामिल करने के लिए, आईडीबीआई बैंक ने बैंक के एमडी एवं सीईओ/ डबल्यूटीडी को उपलब्ध वर्तमान वेतन, भत्ते और लाभ का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख प्रतिकर परामर्श फर्म की सेवाएं ली हैं और उद्योग पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए और आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उचित प्रतिकर संरचना की सिफारिश की है. बैंक की संशोधित प्रतिकर नीति का मसौदा तैयार करने में परामर्शदाता की सिफारिशों पर विचार किया गया है.

In order to align the compensation structure of Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) / Whole Time Directors (WTDs) with the guidelines issued by RBI on November 4, 2019, IDBI Bank had engaged the services of a leading compensation consultancy firm, to study the pay, allowances and benefits available to MD & CEO / WTDs of the Bank and to recommend suitable compensation structure, keeping in view industry practices and compliance with the RBI guidelines. The recommendations of the consultant have been considered while formulating the Compensation Policy of the Bank.

विदेश स्थित सहायक संस्थाओं और शाखाओं पर लागू सीमा सहित बैंक की पारिश्रमिक नीति के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवरण:

A description of the scope of the Bank's remuneration policy, including the extent to which it is applicable to foreign subsidiaries and branches:

समिति, बोर्ड की तरफ से बैंक की देशी शाखाओं के लिए क्षतिपूर्ति नीति की निगरानी करती है. तथापि, यह बैंक की सहायक संस्थाओं और विदेश में स्थित शाखाओं के लिए क्षतिपूर्ति नीति की निगरानी नहीं करती है.

The Committee monitors the Compensation Policy for domestic branches of the Bank on behalf of the Board. However, it does not oversee the compensation policy for subsidiaries of the Bank and foreign branches.

इसमें शामिल कर्मचारियों के प्रकार का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की संख्या:

A description of the type of employees covered and number of such employees:

श्रेणी 1 / Category 1

एमडी एवं सीईओ तथा अन्य डब्ल्यूटीडी:

MD & CEO and Other WTDs:

इस श्रेणी में एमडी एवं सीईओ और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) शामिल हैं. डब्ल्यूटीडी के लिए वर्तमान पारिश्रमिक संरचना में स्थाई वेतन व परिवर्तनीय वेतन शामिल है और इसे बोर्ड और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है. परिवर्तनीय वेतन स्थाई वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है तथा यह बैंक के कार्य–निष्पादन से सहबद्ध है.

This category includes MD & CEO and two Deputy Managing Directors (DMDs). The current remuneration structure for WTDs comprises of fixed and variable pay which is approved by the Board and RBI. Variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to the Bank's performance.

श्रेणी 2 / Category 2

तात्विक जोखिम लेने वाले (एमआरटी) एवं नियंत्रक स्टाफ के लिए पारिश्रमिक :

Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff:

तात्विक जोखिम लेने वाले (एमआरटी) अधिकारियों के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों द्वारा धारित किए जाते हैं तथा उनकी वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना आईडीबीआई बैंक द्वारा समानान्तर ग्रेड में अन्य अधिकारियों को ऑफर की जा रही वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना के समतुल्य होती है. एमआरटी के लिए परिवर्तनीय वेतन स्थाई वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है तथा यह बैंक के कार्य–निष्पादन से सहबद्ध है. नियंत्रक स्टाफ के लिए परिवर्तनीय वेतन मुख्यत: व्यक्तिगत कार्य–निष्पादन से सहबद्ध है; बैंक के समग्र कार्य–निष्पादन को प्राथमिक पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाता है.

The positions of Material Risk Takers (MRTs) are held by cadre officers of IDBI Bank and their fixed pay structure comprising of pay scales and remuneration structure is equivalent to the pay scales and remuneration structure being offered by IDBI Bank to the other parallel grade officers. Variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to individual and Bank's performance for the MRTs. Variable Pay of Control Function Staff is majorly linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

श्रेणी 3/ Category 3

अन्य अधिकारी और कर्मचारी: / Other Officers and Employees:

मौजूदा नीति के अनुसार वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना एक निर्धारित संरचना है, जो भारतीय बैंक संघ (आईबीए) वेतनमान और संरचना के अनुसार तैयार की गई है तथा यह 5 वर्ष की अवधि के लिए उद्योग स्तरीय समझौते के साथ समाप्त होती है. इस श्रेणी के स्टाफ के लिए परिवर्तनीय वेतन स्थाई वेतन के प्रतिशत/ हिस्से के रूप में देय है तथा यह व्यक्तिगत और बैंक के कार्य–निषादन से सहबद्ध है.

As per the current policy, the fixed pay structure is drawn on the lines of the Indian Banks' Association (IBA) pay scales and structure, and runs co-terminus with the industry level settlements for a period of 5 years. Variable Pay as a percentage/proportion of fixed pay is payable to this category of employees and is linked to the individual and Bank's performance.

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है: Count of Officers and employees is given below:

ग्रेड / Grade	संख्या / Count
अधिकारी (ग्रेड ए से ईडी) / Officers (Gr A to ED)	15,474
एक्जीक्यूटिव / Executives	1,018
लिपिकीय / Clerical	437
सहायक / Subordinates	498
कुल योग / Grand Total	17,427

(ख)/(b) <u>Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy:</u>

पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के ढांचे और संरचना के संबंध में जानकारी तथा पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताएँ और उसके उद्देश्य:

An overview of the key features and objectives of remuneration policy:

पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण :

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र सं. डीओआर.नि.बीबीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी क्षतिपूर्ति नीति तैयार की है.

The Bank has formulated its Compensation Policy based on the Reserve Bank of India guidelines issued vide Circular No.DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019.

बैंक के एमडी और सीईओ और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के लिए क्षतिपूर्ति संरचना एनआरसी / बोर्ड द्वारा तय की जाती है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है. क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी (1) के साथ पठित बैंक के संस्था–अंतर्नियम के खंड 95 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों की साधारण सभा में अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है.

The compensation structure for MD & CEO and other Whole Time Directors (WTDs) of the Bank is fixed by NRC / Board and is subject to approval of Reserve Bank of India in terms of Section 35 B of the Banking Regulation Act, 1949. The payment of compensation also requires approval of the shareholders of the Bank in the General Meeting pursuant to clause 95 of Articles of Association of the Bank read with Section 197 of the Companies Act, 2013 and Section 35B (1) of Banking Regulation Act 1949.

अधीनस्थ कर्मचारियों, लिपिकीय कर्मचारियों और कार्यकारी निदेशक के ग्रेड तक के अधिकारियों का निश्चित पारिश्रमिक भारतीय बैंक संघ (आईबीए) पैटर्न के तहत उद्योग स्तर के वेतन समझौते द्वारा नियंत्रित होता है.

The fixed remuneration of subordinate staff, clerical staff and officer's upto the grade of Executive Director is governed by the industry level wage settlement under Indian Banks' Association (IBA) pattern.

पारिश्रमिक नीति का उद्देश्य / Objectives of the Remuneration Policy

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, बैंक हर समय, क्षतिपूर्ति की आंतरिक रूप से न्यायसंगत और बाहरी रूप से प्रतिस्पर्धी नीति का पालन करेगा. क्षतिपूर्ति के स्तर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि बैंक की व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके व उन्हें रोके रखने में मदद मिल सके.

The Bank shall follow a compensation policy that is internally equitable and externally competitive, while complying, at all times, with the guidelines set forth by the Reserve Bank of India (RBI) and the Financial Stability Board (FSB). The compensation levels shall be designed to enable attraction & retention of the most suitable talent for delivering on the Bank's business plans.

क्या पारिश्रमिक समिति ने पिछले वर्ष के दौरान बैंक की पारिश्रमिक नीति की समीक्षा की और यदि हां, तो किए गए परिवर्तनों का सिंहावलोकन

Whether the remuneration committee reviewed the Bank's remuneration policy during the past year and if so, an overview of any changes that were made.

वर्ष के दौरान क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा की गई और नीति में स्पष्टता लाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन किए गए:

The Compensation Policy was reviewed during the year and following changes/modifications/additions were carried out to align with the RBI guidelines as also to bring in clarity in the policy.

परिवर्तनीय वेतन के नकद घटक के एक हिस्से के अग्रिम भुगतान का प्रावधान शामिल किया गया और परिवर्तनीय वेतन के नकद घटक के शेष हिस्से का आस्थगन पूर्ववर्ती 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष के लिए कर दिया गया.

• Provision for upfront payment of a part of the cash component of Variable Pay was incorporated and deferral of the balance portion of cash component of Variable Pay was spread over 3 years as against earlier provision of deferral for 2 years.

सेवानिवृत्ति के बाद शेयर आधारित प्रोत्साहन के भुगतान के प्रावधान को संशोधित किया गया ताकि बैंक के भविष्य के प्रदर्शन से इसके निहित को अलग किया जा सके. तदनुसार, सेवानिवृत्ति के मामले में, शेयर आधारित प्रोत्साहन केवल लक्ष्य तिथि पर निहित होगा और बैंक के भविष्य के प्रदर्शन के लिए किसी भी संबंध के बिना आनुपातिक आधार पर देय होगा.

• Provision for payment of share based incentive after retirement was modified to de-link its vesting from future performance of the Bank. Accordingly, in case of retirement, the share based incentive shall vest at target date only and shall be payable on pro-rata basis without any linkage to future performance of the Bank.

नए खंड का समावेश: सेवानिवृत्ति के मामले में, संबंधित वर्ष के लिए बैंक द्वारा परिभाषित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने और कार्य–निष्पादन मापदंडों की उपलब्धि के अधीन, सेवानिवृत्ति की तारीख तक आनुपातिक अवधि के लिए नकद आधारित परिवर्तनीय वेतन प्रदान किया जाएगा. हालांकि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में परिभाषित किए अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद शेयर आधारित परिवर्तनीय वेतन नहीं दिया जा सकता है.

• New clause incorporated – In case of retirement, cash based Variable Pay shall be granted for the pro-rata period upto the date of retirement, subject to achievement of the performance parameters and meeting of other eligibility criteria as defined by the Bank for respective year. The share based Variable Pay may however not be granted after retirement as defined in Employee Stock Option Scheme.

• परिवर्तनीय वेतन के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा के प्रावधान में उन स्थितियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था जिनमें मृत्यु, विकलांगता और सेवानिवृत्ति के मामले में, कोई न्यूनतम सेवा की आवश्यकता नहीं होगी और वित्तीय वर्ष के दौरान काम की गई अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान किया जाएगा.

• Provision regarding minimum service required for being eligible for Variable Pay was modified to include situations wherein in case of death, disability and retirement, no minimum service shall be required and pro-rata payment shall be made for the period worked during the financial year.

बैंक यह कैसे सुनिश्चित करता है कि जोखिम और अनुपालन कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों से स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक दिया जाए, इस पर चर्चा

A discussion of how the Bank ensures that risk and compliances employees are remunerated independently of the businesses they oversee.

ईडी-सीआरओ, ईडी-सीसीओ, ईडी-सीएफओ और ईडी-ऑडिट, एफआरएमजी और आंतरिक लेखा परीक्षक के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों के पास हैं और उनके वेतनमान व पारिश्रमिक संरचना यानी निश्चित वेतन अन्य समानांतर ग्रेड अधिकारियों को पेश किए जा रहे वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना के बराबर है तथा इसे बैंक द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है. हालांकि परिवर्तनीय वेतन मुख्य रूप से उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है; बैंक के समग्र व्यावसायिक प्रदर्शन को केवल प्राथमिक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए गिना जाता है.

The positions of ED-CRO, ED-CCO, ED-CFO and ED-Audit, FRMG & Internal Auditor are held by cadre officers of IDBI Bank and their pay scales and remuneration structure i.e. fixed pay is equivalent to the pay scales and remuneration structure being offered to other parallel grade officers and is finalized by the Bank with the approval of the Board. The Variable Pay is however majorly linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग/(c) **<u>पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को कम करने के तरीकों का विवरण. इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल होने चाहिए.</u>**

<u>Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It includes the nature and type of the key measures used to take account of these risks.</u>

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक दिशानिर्देश प्रदान करती है.

The Compensation Policy of the Bank provides for remuneration guidelines for all employees of the Bank

कर्मचारियों के लिए निश्चित वेतन संरचना वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रचलित संरचना के अनुरूप संरचित वेतनमान और भत्तों पर आधारित है. जोखिम और अनुपालन कर्मचारियों के लिए कोई स्वतंत्र पारिश्रमिक नहीं है. बैंक के बोर्ड ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आईडीबीआई बैंक और कर्मचारी संघों/ संघों सहित निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच 11 नवंबर 2020 को हुए समझौते के आधार पर 2017-22 की निपटान अवधि के लिए सभी अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन को मंजूरी दी थी. परिवर्तशील वेतन निश्चित वेतन के प्रतिशत/ अनुपात के रूप में देय है और कार्य–निष्पादन से जुड़ा हुआ है.

The fixed pay structure for employees is presently based on structured pay scales and allowances in alignment with the structure prevailing in Public Sector Banks. There is no independent remuneration for risk and compliance employees. The Board of the Bank had approved the wage revision for all officers for the settlement period of 2017-22 based on the settlement arrived between Indian Banks' Association on behalf of other Public Sector Banks & Private Sector Banks including IDBI Bank and employee unions/associations on November 11, 2020. Variable pay is payable as a percentage/proportion to fixed pay and is linked to performance.

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों की क्षतिपूर्ति संरचना इस प्रकार है:

The compensation structure of Whole-Time Directors of the Bank is under:

निश्चित वेतन और अनुलाभ

<u>Fixed Pay and Perquisites</u>

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर, और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन (एमडी और सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों के लिए) के अधीन, बोर्ड उचित देय क्षतिपूर्ति के निश्चित हिस्से को तय करेगा तथा इसमें वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन और उद्योग में प्रचलित प्रथा को ध्यान में रखा जाएगा.

Based on the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, and subject to the approval of Reserve Bank of India (for MD & CEO and Deputy Managing Directors), Board shall fix the fixed portion of compensation payable which is reasonable, taking into account all relevant factors including adherence to statutory requirements and industry practice.

परिवर्तनीय वेतन / Variable Pay

यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए नकदी और शेयर से जुड़े घटकों के बीच उचित संतुलन के साथ नकदी और शेयर-लिंक्ड लिखतों का मिश्रण होगा. केवल उन मामलों में जहां क़ानून / विनियमों द्वारा शेयर-लिंक्ड लिखतों के माध्यम से क्षतिपूर्ति की अनुमति नहीं है, वहाँ संपूर्ण परिवर्तनीय वेतन नकद के रूप में हो सकता है.

It shall be a mix of cash and share-linked instruments with proper balance between cash and share linked components in keeping with the RBI guidelines. Only in cases where the compensation by way of share-linked instruments is not permitted by statute/regulations, the entire variable pay can be in the form of cash.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति के साथ निकट समन्वय में, प्रतिकर और विवेकपूर्ण जोखिम लेने के बीच प्रभावी संरेखण की उपलब्धि की निगरानी करेगी. जोखिम परिणामों के साथ प्रतिकर की संरचना को प्रभावी ढंग से संरेखित करने के उद्देश्य से बैंक के पदाधिकारियों को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत क्रमबद्ध किया जाएगा:

The Nomination & Remuneration Committee, in close co-ordination with Risk Management Committee, shall oversee the achievement of effective alignment between compensation and prudent risk-taking. For the purpose of effectively aligning the compensation structure with risk outcomes, the functionaries of the Bank are arranged under the following categories:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(i) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

(ii) अन्य पूर्णकालिक निदेशक
Other Whole Time Directors

(iii) तात्विक जोखिम लेने वाले (एमआरटी)
Material Risk Takers (MRTs)

(iv) जोखिम नियंत्रण और अनुपालन कार्यों के कर्मचारी
Employees in Risk Control & Compliance Functions

(v) बैंक के अन्य अधिकारी
Other Employees of the Bank

परिवर्तनीय वेतन की सीमा / **Limit on Variable Pay**

किसी अधिकारी को दिया जाने वाला बैंक/ व्यक्तिगत प्रदर्शन से जुड़ा परिवर्तनीय वेतन कुल निश्चित वेतन के 130% से अधिक नहीं होगा. परिवर्तनीय वेतन व्यक्तिगत कार्य–निष्पादन/ बैंक के वित्तीय कार्य–निष्पादन पर निर्भर करते हुए शून्य भी हो सकता है.

The variable pay linked with Bank/individual performance offered to an official would not exceed 130% of the total fixed pay. The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the individual performance/financial performance of the Bank.

विच्छेद वेतन/ गारंटीकृत वेतन

Severance Pay / Guaranteed Pay

सेवानिवृति लाभों (ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ) के अलावा विच्छेद वेतन और उन मामलों को छोड़कर, जहां किसी भी संविधि के तहत यह अनिवार्य है, बैंक के किसी भी अधिकारी को देय नहीं होगा. केवल प्रथम वर्ष में कार्यग्रहण/साइन-ऑन बोनस के रूप में नए कर्मचारियों के अलावा बैंक द्वारा गारंटीड बोनस नहीं दिया जाएगा. ऐसा कोई गारंटीकृत बोनस, यदि आवश्यक हो, केवल शेयर-लिंक्ड लिखतों के रूप में होगा (अर्थात नकद में नहीं) और आरबीआई द्वारा निर्धारित वेतन और परिवर्तनीय वेतन गणना से बाहर होगा.

Severance pay other than superannuation benefits (Gratuity, Pension & PF) and leave encashment except in cases where it is mandatory under any statue will not be payable to any official of the Bank. Guaranteed bonus will not be awarded by the Bank other than for new hires as joining/sign-on bonus only in the first year. Any such guaranteed bonus, if required shall be in the form of share-linked instruments only (i.e. not in cash) and shall be excluded from RBI's fixed pay and variable pay calculations.

हेजिंग / **Hedging**

कर्मचारियों को उनके प्रतिकर ढांचे के बीमा या हेजिंग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो उनके परिवर्तनीय वेतन में निहित नकारात्मक जोखिम का प्रतितुलन कर सकता है (उदाहरण के लिए लिस्टिंग के बाद बैंक के स्टॉक पर कोई शॉर्ट सेलिंग या पुट डेरिवेटिव की अनुमति नहीं है). यदि इस नीति का उल्लंघन किया जाता है, तो बोर्ड संबंधित कर्मचारी को किसी भी बकाया बीमा/ हेजिंग लेनदेन को रद्द करने लगाने के निर्देश दे सकता है और अपने विवेक के अनुसार उचित मौद्रिक या गैर–मौद्रिक जुर्माना लगा सकता हैं.

Employees shall be prohibited from insuring or hedging their compensation structure that may offset the downside risk embedded in their variable pay (e.g. no short selling or put derivatives allowed on the Bank's stock after listing etc.) If this policy is breached, the Board may direct the concerned employee to cancel any outstanding insurance/hedging transaction and also impose an appropriate monetary or non-monetary penalty as per its discretion.

वित्तीय पेनल्टी (मैलस)/ क्लाबैक / **Malus/ Clawback**

परिवर्तनीय वेतन (नकद आधारित और गैर–नकद आधारित) पर वित्तीय पेनल्टी और क्लाबैक प्रावधान कुछ स्थितियों अर्थात् एनपीए के लिए बैंक के प्रावधान में विचलन, कमजोर या नकारात्मक वित्तीय कार्यनिष्पादन, कदाचार या एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मापदंड में अनिहित अवार्ड को कम करने या रद्द करने और पहले भुगतान किए गए प्रतिकर की वसूली करने में एनआरसी को मदद करेगा. मैलस को सभी स्थितियों में लागू किया जा सकता है और कदाचार या एनआरसी द्वारा प्रासंगिक समझे जाने वाले किसी अन्य मानदंड के मामले में क्लॉबैक लागू किया जा सकता है. मैलस आह्वान यथा प्रयोज्य ट्रिगर की खोज की तारीख को आंशिक या पूर्ण आस्थगित वार्षिक नकद प्रोत्साहन और/ या गैर-निहित एलटीआई पुरस्कारों को रद्द करने पर लागू होगा. क्लाबैक व्यवस्था ट्रिगर के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्षों में दिए गए वार्षिक नकद प्रोत्साहन और एलटीआई पुरस्कारों की वसूली पर लागू होगी.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Malus & Clawback provisions on variable pay (cash based & non-cash based) would enable the NRC to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations viz. divergence in Bank's provisioning for NPAs, subdued or negative financial performance, misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Malus can be invoked in all the situations and clawback can be invoked in case of misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. The Malus invocation would imply cancellation of partial or full deferred annual cash incentive and/or unvested LTI awards as on the date of discovery of applicable trigger. The clawback arrangement would imply recovery of annual cash incentives paid and LTI awards vested over the last five years from the date of discovery of the applicable trigger.

(घ)/ (d) उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक कार्यनिष्पादन माप अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ना चाहता है:

Description of the ways in which the Bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration:

क) वार्षिक समीक्षा और परिवर्तनीय वेतन में संशोधन के लिए निम्न कारकों पर विचार किया जाता है:

a) The factors taken into account for the annual review and revision in the variable pay are:

- बैंक का कार्य–निष्पादन / The performance of the Bank
- कर्मचारी का व्यक्तिगत कार्य–निष्पादन/ भूमिका / Individual performance/role of the employee
- अन्य जोखिम धारणाएं और आर्थिक विचार / Other risk perceptions and economic considerations.

ख) एमआरटी की पहचान के लिए मानदंड निम्नलिखित के अधीन हैं:

b) The criteria for identification of MRTs are subject to the following:

स्टाफ सदस्य जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार गुणात्मक मानदंड और मात्रात्मक मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं:

The staff members who satisfy the qualitative criteria and any one of the quantitative criteria as detailed below:

(I) मानक गुणात्मक मानदंड: / Standard Qualitative Criteria:

- संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से, जोखिम एक्सपोजर आदि के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होने वाले स्टाफ सदस्यों (जैसे महाप्रबंधक, प्रबंधन निकाय के सदस्य) की भूमिका और निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित हैं.
- Relate to the role and decision-making power of staff members (e.g., General manager, member of management body) having jointly or individually, the authority to commit significantly to risk exposures, etc.

(II) मानक मात्रात्मक मानदंड: / Standard Quantitative Criteria:

- उनका कुल पारिश्रमिक एक निश्चित सीमा से अधिक है (एनआरसी द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित); जिसका निर्धारण बैंक द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सकता है,
- Their total remuneration exceeds a certain threshold (to be recommended by NRC to the Board for approval); the determination of which may be done prudently by the bank,

अथवा / or

वे बैंक में उच्चतम पारिश्रमिक वाले 0.3% कर्मचारियों में शामिल हैं,

They are included among the 0.3% of staff with the highest remuneration in the bank,

अथवा / or

- उनका पारिश्रमिक वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य जोखिम लेने वालों के न्यूनतम पारिश्रमिक के बराबर या उससे अधिक है.
- Their remuneration is equal to or greater than the lowest remuneration of senior management and other risk-takers.

बोर्ड, एनआरसी की सिफारिश पर, तात्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) को निर्दिष्ट करेगा जिनके कार्यों का समय-समय पर बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है.

The Board, on recommendation of NRC, will specify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the bank from time to time

(ङ.)/(e) **परिवर्तनीय पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने के संबंध में बैंक की नीति और निहित करने से पहले और निहित करने के बाद आस्थगित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मानदंडों पर चर्चा:**

A discussion of the Bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the Bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting:

• परिवर्तनीय वेतन / Variable Pay

परिवर्तनीय वेतन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी और शेयर सहबद्ध घटकों के बीच उचित संतुलन के साथ नकद और शेयर-सहबद्ध लिखतों का मिश्रण होगा. केवल उन मामलों में जहां क़ानून/ विनियमों द्वारा शेयर-सहबद्ध लिखतों के माध्यम से क्षतिपूर्ति की अनुमति नहीं है, संपूर्ण परिवर्तनीय वेतन नकद के रूप में हो सकता है. शेयर-सहबद्ध लिखतों का उचित मूल्य निर्धारण बैंक द्वारा अनुदान की तिथि पर ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग करते हुए किया जाएगा.

The Variable Pay shall be a mix of cash and share-linked instruments with proper balance between cash and share linked components in keeping with the RBI guidelines. Only in cases where the compensation by way of share-linked instruments is not permitted by statute/ regulations, the entire variable pay can be in the form of cash. Share-linked instruments shall be fair valued on the date of grant by the bank using Black-Scholes model.

परिवर्तनीय वेतन का निर्धारण पूर्णकालिक निदेशकों और तात्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) और अन्य कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत और साथ ही बैंक के व्यापक कार्य–निष्पादन मानकों की उपलब्धि पर आधारित होगा.

The assessment of the variable pay will be based on achievement of Bank wide performance parameters for Whole-Time Directors and for Material Risk Takers (MRTs) and other employees based on achievement of individual as well as Bank wide performance parameters.

क/a. परिवर्तनीय वेतन की सीमा: / Limit on Variable Pay:

अ/A. एमडी और सीईओ और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए / For MD & CEO and Other Whole-Time Directors

i. आरबीआई दिशानिर्देशों और अन्य लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन में कम से कम 50% परिवर्तनीय होना चाहिए तथा इसका भुगतान बैंक के व्यापक कार्य–निष्पादन के आधार पर किया जाना चाहिए. कुल परिवर्तनीय वेतन निश्चित वेतन के अधिकतम 300% तक सीमित होगा.

In compliance to the RBI Guidelines and other applicable rules and regulations at least 50%, should be variable and paid on the basis of Bank wide performance. The total variable pay shall be limited to a maximum of 300% of the fixed pay.

ii. यदि परिवर्ती वेतन निश्चित वेतन के 200% तक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 50% और यदि परिवर्तनीय वेतन 200% से अधिक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 67% गैर-नकद लिखतों के रूप में होना चाहिए.

In case variable pay is up to 200% of the fixed pay, a minimum of 50% of the variable pay; and in case variable pay is above 200%, a minimum of 67% of the variable pay should be in the form of non-cash instruments.

iii. किसी कार्यपालक को शेयर-सहबद्ध लिखत देने से क़ानून या विनियम द्वारा रोक लगने की स्थिति में उनका परिवर्तनीय वेतन न्यूनतम 50% से अधिकतम 150% की सीमा में होना चाहिए.

In the event that an executive is barred by statute or regulation from grant of share-linked instruments, his/ her variable pay should be in the range of minimum 50% to maximum 150%.

iv. बैंक के वित्तीय कार्य–निष्पादन के आधार पर परिवर्तनीय वेतन की राशि को शून्य तक भी घटाया जा सकता है.

The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.

आ/ B तात्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) के लिए / For Material Risk Takers (MRTs)

i. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सभी एमआरटी के लिए कुल वेतन का 50% परिवर्तनशील वेतन होना चाहिए और व्यक्तिगत और बैंक-व्यापी कार्य–निष्पादन मानकों के आधार पर इसका भुगतान किया जाना चाहिए.

In compliance to the RBI guidelines 50% of total pay for all MRTs should be variable pay and paid on the basis of individual and Bank-wide performance parameters.

ii.. परिवर्तनीय वेतन का 50% गैर-नकद लिखतों के रूप में होना चाहिए.

50% of the variable pay should be in the form of non-cash instruments.

iii.. बैंक के वित्तीय कार्य–निष्पादन के आधार पर परिवर्तनीय वेतन की राशि को शून्य तक भी घटाया जा सकता है.

The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. बोर्ड समय-समय पर सामग्री जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करेगा.

The Board will from time-to-time identify the Material Risk Takers (MRTs).

ख/b. परिवर्तनीय वेतन का आस्थगन / Deferral of Variable Pay

(i) डब्ल्यूटीडी और एमआरटी के लिए, कुल परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 60% अनिवार्य रूप से आस्थगित व्यवस्था के तहत होना चाहिए. इसके अलावा, यदि नकद घटक परिवर्तनीय वेतन का हिस्सा है, तो कम से कम 50% नकद घटक को भी आस्थगित कर दिया जाना चाहिए

For WTDs and MRTs, a minimum of 60% of the total variable pay must invariably be under deferral arrangements. Further, if cash component is part of variable pay, at least 50% of the cash component should also be deferred.

(ii) तथापि, उन मामलों में जहां परिवर्ती वेतन का नकदी घटक 25 लाख रुपये से कम है वहाँ आस्थगित अपेक्षा लागू नहीं है

However, in cases where the cash component of variable pay is under Rs.25 lakh, deferral requirement is not applicable.

ग/c. आस्थगन व्यवस्था की अवधि / Period of Deferral Arrangement

आस्थगन अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होनी चाहिए. यह परिवर्ती वेतन के दोनों घटकों नकदी और गैर–नकदी दोनों पर लागू होगा.

The deferral period should be a minimum of 3 years. This would be applicable to both the cash and non-cash components of the variable pay.

घ/d. निहित करना: / Vesting:

ईशॉप को मंजूरी की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के दौरान निहित किया जाएगा (मंजूरी की तारीख से पहले, दूसरे एवं तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमश: 25%, 25% एवं 50%) और इसकी प्रयोग अवधि निहित किए जाने की तारीख से 5 वर्ष तक होगी. ईशॉप कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के निबंधनों एवं शर्तों से अभिशासित होंगे.

Vesting of the ESOPs shall be over a period of 3 years from the grant date (25%, 25% & 50% at the end of 1st, 2nd & 3rd year from date of grant respectively) and exercise period shall be upto 5 years from the date of vesting. ESOPs shall be governed by the terms & conditions of the Employee Stock Option Scheme.

• यदि आस्थगन अवधि तीन वर्ष है तो पहले वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर किए गए ईशॉप के 33.33% से अधिक निहित नहीं किए जाने चाहिए. इसके अलावा दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर किए गए ईशॉप के 33.33% से अधिक निहित नहीं किए जाने चाहिए. इसी प्रकार से यदि आस्थगन व्यवस्था चार वर्षों की है तो पहले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में कुल मंजूर किए गए ईशॉप के 25% से अधिक निहित नहीं किए जाने चाहिए. इसके अलावा निहित किए जाने की प्रक्रिया वार्षिक आधार की आवधिकता से ज्यादा बार नहीं संपन्न की जानी चाहिए ताकि कार्योत्तर समायोजनों की प्रयोज्यता के पहले जोखिमों का उचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके.

• If deferral period is three years, not more than 33.33 % of the total granted ESOPs should vest at the end of first year. Further, not more than 33.33 % of total granted ESOPs should vest at the end of second year. Similarly, in case deferral arrangement is four years, not more than 25% of total granted ESOPs should vest in each of the first three years. Additionally, vesting should not take place more frequently than on a yearly basis to ensure a proper assessment of risks before the application of ex post adjustments.

मैलस/ क्लाबैक / Malus/ Clawback

परिवर्तनीय वेतन (नकद आधारित और गैर–नकद आधारित) पर मैलस और क्लाबैक प्रावधान कुछ स्थितियों अर्थात् एनपीए के लिए बैंक के प्रावधान में विचलन, कमजोर या नकारात्मक वित्तीय कार्यनिष्पादन, कदाचार या एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मापदंड में अनिहित अवार्ड को कम करने या रद्द करने और पहले भुगतान किए गए प्रतिकर की वसूली करने में मदद करेगा. मैलस का अवलंब सभी परिस्थितियों में लिया जा सकता है और क्लाबैक का अवलंब कदाचार अथवा एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मानदंड के मामले में लिया जा सकता है. मैलस लागू किए जाने की प्रक्रिया में लागू ट्रिगर के ज्ञात होने की तारीख से आंशिक अथवा पूर्ण आस्थगित वार्षिक नकद प्रोत्साहन और/ अथवा अनिहित एलटीआई अवार्डों का निरसन अंतर्निहित होगा. क्लाबैक व्यवस्था में लागू ट्रिगर के प्रारंभ होने की तारीख से पिछले पांच वर्षों में दिए गए वार्षिक नकद प्रोत्साहन और एलटीआई पुरस्कारों की वसूली अंतर्निहित होगी.

Malus & Clawback provisions on variable pay (cash based & non-cash based) would enable the NRC to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations viz. divergence in Bank's provisioning for NPAs, subdued or negative financial performance, misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Malus can be invoked in all the situations and clawback can be invoked in case of misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. The Malus invocation would imply cancellation of partial or full deferred annual cash incentive and/or unvested LTI awards as on the date of discovery of applicable trigger. The clawback arrangement would imply recovery of annual cash incentives paid and LTI awards vested over the last five years from the date of discovery of the applicable trigger

(च)/ (f) **परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकारों (जैसे: नकद और शेयर सम्बद्ध लिखतों के प्रकार) जिन्हें बैंक प्रयोग करता है, के विवरण और इन विभिन्न प्रकारों के प्रयोग के लिए औचित्य:**

Description of the different forms of variable remuneration (i.e. cash and types of share-linked instruments) that the Bank utilizes and the rationale for using these different forms:

परिवर्ती वेतन नकदी एवं शेयर आधारित दीर्घावधि प्रोत्साहन (एलटीआई) का मिश्रण होगा. ईशॉप (सांविधिक/ विनियामकीय अनुमोदनों के अधीन जब भी लागू किए जाएंगे) ब्लैक स्कोल्स मॉडल का प्रयोग करते हुए मंजूरी की तारीख को उचित बाजार मूल्य पर परिवर्ती वेतन के भाग के रूप में शेयर आधारित एलटीआई के रूप में मंजूर किए जाएंगे. ईशॉप की निबंधन एवं शर्तें बैंक की कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में परिभाषित किए अनुसार होंगी. वार्षिक नियत वेतन के प्रतिशत (विनियामक दिशा–निर्देशों के अधीन) के रूप में कर्मचारी–वार लक्ष्य परिवर्ती वेतन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगा.

The Variable Pay shall be a mix of Cash & Share based Long Term Incentive (LTI). ESOPs (whenever introduced subject to statutory/regulatory approvals) shall be granted as Share based LTI as part of Variable Pay at Fair Market Value on the date of grant by using Black-Scholes Model. The terms & conditions for ESOPs shall be as defined in the Employee Stock Option Scheme of the Bank. The employee category-wise Target Variable Pay as a percentage of Annual Fixed Pay (subject to regulatory guidelines) shall be as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board.

मात्रात्मक प्रकटन :

Quantitative Disclosures:

(मात्रात्मक प्रकटन में केवल पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अन्य जोखिम लेने वालों की जानकारी शामिल हैं)

(The quantitative disclosures includes only Whole Time Directors / Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)

		वित्तीय वर्ष F.Y. 2021-22	वित्तीय वर्ष F.Y. 2020-21
(छ)/ (g)	वित्तीय वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और उन्हें प्रदत्त पारिश्रमिक. (₹ करोड़ में) Number of meetings held by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) during the financial year and Remuneration paid to its members. (₹Crore)	9 0.14	4 0.03
(ज)/ (h)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या (i) Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year.	3	शून्य/ Nil
	(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए साइन ऑन / कार्यग्रहण बोनस पुरस्कारों की संख्या और कुल राशि (ii) Number and total amount of sign-on/ joining bonus made during the financial year.	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
	(iii) उपचित लाभों के अतिरिक्त सेवाविच्छेद भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण. (iii) Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
(झ)/ (i)	(i) नकद, शेयर और शेयर से जुड़े लिखत और अन्य प्रकारों में विभक्त बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि (₹ करोड़). (i) Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms. (₹Crore)	नकद/ Cash 1.07	शून्य/ Nil
	(ii) वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि (ii) Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

		वित्तीय वर्ष F.Y. 2021-22	वित्तीय वर्ष F.Y. 2020-21
(ञ)/ (j)	नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर–आस्थगित घटकों को दिखाने हेतु वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कार राशि का विश्लेषण (₹ करोड़) Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred (₹Crore)		
	(क)/ (a) नियत / Fixed	10.88	2.15
	(ख)/ (b) परिवर्ती / Variable	11.36	2.15
	(ग)/ (c) आस्थगित / Deferred	8.35	1.07
	(घ)/ (d) गैर– आस्थगित / Non-Deferred	3.01	1.07
(ट)/ (k)	(i) पूर्व सुस्पष्ट और/ अथवा अस्पष्ट समायोजनों के प्रति बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि (i) Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
	(ii) पूर्व सुस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्त वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि (ii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
	(iii) पूर्व अस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्त वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि (iii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
(ठ)/ (l)	पहचान किए गए एमआरटी की संख्या Number of MRTs identified	21	शून्य/ Nil
(ड)/ (m)	(i) मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया है. (i) Number of cases where malus has been exercised. (ii) मामलों की संख्या जहां क्लाबैक का प्रयोग किया गया है. (ii) Number of cases where clawback has been exercised. (iii) मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लाबैक दोनों का प्रयोग किया गया है. (iii) Number of cases where both malus and clawback have been exercised.	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
(ढ)/ (n)	समग्र रूप में (सब–स्टाफ को छोड़कर) बैंक का माध्य (मीन) वेतन तथा निम्नलिखित डब्ल्यूटीडी के वेतन का माध्य से विचलन: (₹ करोड़) The mean pay for the Bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of the following WTDs$ from the mean pay : (₹Crore)	0.14	0.13
	(i) एमडी एवं सीईओ / MD & CEO	0.73	0.23
	(ii) डीएमडी / DMD	0.51	0.19
	(iii) डीएमडी / DMD	0.53	0.19

$ एमडी एवं सीईओ के लिए नियत पारिश्रमिक में ग्रेच्युटी और छुट्टी के लाभों के लिए किए गए प्रावधान शामिल नहीं हैं क्योंकि वे समग्र रूप से बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं.

$ Fixed remuneration for MD & CEO and DMDs excludes the provision for gratuity and leave benefits as they are determined on actuarial basis for the Bank as a whole.

14. अन्य प्रकटन / Other Disclosures

(क)/(a) व्यवसाय अनुपात / Business ratios

क्रम. सं. Sr. No	विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 **March 31, 2022**	31 मार्च 2021 **March 31, 2021**
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में आय$ Interest income as a percentage to working funds$	6.31%	6.72%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.62%	1.54%
3	जमाओं की लागत Cost of Deposits	3.56%	4.29%
4	निवल ब्याज मार्जिन^ Net Interest Margin^	3.73%	3.38%
5	कार्यशील निधियों के प्रतिशत रूप में परिचालन लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	2.59%	2.37%
6	आस्तियों पर प्रतिलाभ@ Return on assets@	0.84%	0.46%
7	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम)# [₹ करोड़] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹crore]	20.71	19.66
8	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़] Profit per employee [₹crore]	0.14	0.08

$ कार्यशील निधियों की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अधीन फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए अनुसार कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत तथा दुबई शाखा की कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाती है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of Dubai branch.

^ निवल ब्याज आय / औसत अर्जक आस्तियां. निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय.

^ Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

@ आस्तियों पर प्रतिलाभ कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर कुल आस्तियां) के संदर्भ में होगा.

@ Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियों और अग्रिमों का जोड़) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर बैंक जमाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.

For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख) बैंकएश्योरेंस व्यवसाय

b) Bancassurance Business

बीमा ब्रोकिंग एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्कों/ ब्रोकरेज का विवरण निम्नानुसार है :

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business is as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष **For the year ended March 31, 2022**	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष **For the year ended March 31, 2021**
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@ Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.@	15	15
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	69	62
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. TATA AIG General Insurance Co. Ltd.	10	8
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी New India Assurance Co.	3	3
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस Max Bupa Health Insurance	9	5
कुल Total	106	93

@ - पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

@ - Earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

ग) मार्केटिंग एवं वितरण

c) Marketing & Distribution

मार्केटिंग एवं वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्कों/ कमीशन का विवरण निम्नानुसार है :

Details of fees / commission received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) is as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष **For the year ended March 31, 2022**	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष **For the year ended March 31, 2021**
म्युच्युअल फंड / Mutual Fund	26	16
सरकारी बॉन्डस (एफआईएस) / Government Bonds (FIS)	2	2
सॉवरेन गोल्ड (एसजीबी) / Sovereign Gold Bond (SGB)	1	1
एनपीएस / NPS	0	0
पूंजीगत अभिलाभ बॉन्ड (एनएचएआई, आरईसी एवं आईआरएफसी) Capital Gain Bond (NHAI, REC & IRFC)	1	0
कुल / Total	**30**	**20**

घ) प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए:

During the year ended March 31, 2022

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

पीएसएलसी श्रेणी **PSLC Category**	क्रय राशि **Purchased Amount**	बिक्री राशि **Sold amount**
पीएसएलसी–लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	3,800	0
पीएसएलसी–कृषि / PSLC-Agriculture	0	2,900
पीएसएलसी–सामान्य / PSLC-General	0	8,825
पीएसएलसी–सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises.	125	0
कुल / Total	3,925	11,725

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए :

During the year ended March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

पीएसएलसी श्रेणी **PSLC Category**	क्रय राशि **Purchased Amount**	बिक्री राशि **Sold amount**
पीएसएलसी–लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	6,300	300
पीएसएलसी–कृषि / PSLC-Agriculture	200	5,400
पीएसएलसी–सामान्य / PSLC-General	0	13,100
पीएसएलसी–सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises.	0	3,602
कुल / Total	6,500	22,402

ङ) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

e) Provisions and Contingencies

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण/ **Particulars**	31 मार्च 2022 **March 31, 2022**	31 मार्च 2021 **March 31, 2021**
एनपीए के लिए प्रावधान / Provision for NPI	1,923	2,022
एनपीए के लिए प्रावधान / Provision towards NPA	(588)	(2,570)
करों के लिए किए गए प्रावधान वर्तमान कर Provision made towards Taxes – Current Tax	47	(299)
करों के लिए किए गए प्रावधान आस्थगित कर Provision made towards Taxes- Deferred Tax	1,122	1,309
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं Other Provisions and Contingencies		
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान Provision towards Standard Asset	72	1,839
पुन:संरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	190	38
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	1,917	2,888
अन्य प्रावधान @ / Other Provision@	373	449
कुल / Total	**5,056**	**5676**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

@ अन्य प्रावधान में अन्य बातों के साथ–साथ ₹326 करोड़ (पिछले वर्ष ₹285 करोड़) की गैर–निधि आधारित सीमाओं पर आईसीए (एनपीए मामलों) के लिए प्रावधान शामिल है.
@ Other Provision inter-alia includes provision for ICA (NPA cases) on Non- fund based limits ₹326 crore (Previous year ₹285 crore).

च) आईएफआरएस अभिमुख भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन
f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (Ind AS)

(i) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 16 फरवरी 2015 की अधिसूचना के द्वारा आईएफआरएस अभिमुख भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को अधिसूचित किया था और वित्तीय वर्ष 2018–19 से बैंकों, बीमा कंपनियों और एनबीएफसी के लिए इंड एएस की प्रयोज्यता हेतु रोड मैप (18 जनवरी 2016 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा) भी अधिसूचित किया था.
The Ministry of Corporate Affairs (MCA) had notified IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) vide Notification dated February 16, 2015 and had also notified (vide press release dated January 18, 2016) the roadmap for applicability of Ind AS for Banks, Insurance companies and NBFCs from FY 2018-19.

(ii) तदनुसार, आरबीआई ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु सूचित किया और इंड एएस की ओर परिवर्तित होने के लिए सीमा निर्धारित की.
Accordingly, RBI advised all scheduled commercial banks to prepare financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards in accordance with Ind AS and prescribed a timeframe for transition towards Ind AS.

(iii) इन दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप आईडीबीआई ने वित्तीय परिणामों को तैयार करने के लिए इंड एएस का कार्यान्वयन प्रारंभ किया था. उसके बाद आरबीआई ने अपने दिनांक 22 मार्च 2019 के परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.01/2018–19 के द्वारा बैंकिंग उद्योग के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित रखने का निर्णय किया. तथापि, आरबीआई ने इंड एएस वित्तीय विवरणों के तिमाही प्रोफॉर्मा की प्रस्तुति को जारी रखा और तदनुसार आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में यथा 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक तुलन पत्र के साथ बैंक के यथा 31 मार्च 2021 के नवीनतम प्रोफॉर्मा इंड एएस वित्तीय विवरणों को 31 मई 2021 को आरबीआई को प्रस्तुत किया गया था. बैंक ने सितंबर 2016 को समाप्त छमाही, जून 2017 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए और 30 सितंबर 2021 तक क्रमबद्ध रूप से अब तक 15 प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं. हाल ही में आरबीआई ने 8 अगस्त 2021 के अपने पत्र द्वारा प्रोफॉर्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुति की बारंबारता को कम कर तिमाही के स्थान पर छमाही करने का निर्णय किया है. तदनुसार, 29 नवंबर 2021 को बैंक ने निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर आरबीआई को इंड एएस प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं.
Consequent to this, IDBI had commenced implementation of Ind AS in preparation of financial results. RBI has subsequently decided to defer the implementation of Ind AS for banking industry till further notice vide its Circular No. DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019. However, RBI continued submission of quarterly Pro-forma Ind AS Financial Statements and accordingly the latest Pro-forma Ind AS Financial Statements of the Bank as on March 31, 2021 in the format as prescribed by RBI along with opening balance sheet as on April 1, 2020 were submitted to RBI on May 31, 2021. Bank so far has submitted 15 Pro-forma financial statements starting from half year ended September 2016, Quarter ended June 2017 and on sequential basis till September 30, 2021. Recently, RBI vide its communication dated August 08, 2021 has decided to reduce the frequency of Pro-forma Ind AS Financial Statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, on November 29, 2021, Bank submitted has Ind AS Proforma Financial Statements for the half year ended September 30, 2021 to RBI, within the stipulated time.

(iv) चूंकि यह लेखांकन मानकों के नए सेट की ओर परिवर्तन की शुरूआत है, आरबीआई की ओर वित्तीय विवरण प्रारूप की अधिसूचना और साथ ही इंड एएस परिवेश के अंतर्गत आरबीआई के विभिन्न वर्तमान परिपत्रों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है इसलिए बैंक के लिए आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले अंतिम दिशानिर्देशों के आधार पर विभिन्न दस्तावेज (यथा–जोखिम प्रबंध, निवेश नीतियां), परिचालन प्रक्रिया ढांचा और आईटी एकीकरण तैयार करना आवश्यक है जिन्हें आने वाले समय में लगातार अद्यतित / आशोधित / विकसित किया जाएगा.
As it is a beginning of transition to new set of Accounting Standards and awaiting notification of Financial Statements format by RBI as well as clarifications on applicability of various existing RBI Circulars under Ind AS environment, the Bank is required to formulate various policies papers (viz. Risk Management, Investments Policies), operational process setup and IT integration based on final guidelines to be issued by RBI, which will be continuously updated/ modified/ evolved over a period of time.

(v) बैंक ने आरबीआई को प्रस्तुत करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी इंड एएस के अनुरूप तिमाही/ छमाही इंड एएस प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति के लिए विभिन्न अवधारणा कागजात तैयार किए हैं. तथापि, विनियामक द्वारा अंतिम दिशानिर्देशों को जारी कर दिये जाने तथा इंड एएस परिवेश के अंतर्गत आरबीआई के वर्तमान परिपत्रों की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण के उपलब्ध होने के बाद ही नीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

Bank has prepared various concept papers in line with Ind AS issued by ICAI, for preparation and submission of quarterly / half yearly Ind AS Pro-forma Financials to RBI. However, policies will be finalised after final guidelines are issued by the regulator and clarification are available on applicability of existing RBI Circulars under Ind AS environment.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम की अदायगी

g) **Payment of DICGC Insurance Premium**

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्रम. सं. Sr.No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
i.	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम की अदायगी Payment of DICGC Insurance Premium	277	257
ii.	डीआईसीजीसी प्रीमियम की अदायगी में बकाया राशियां Arrears in payment of DICGC premium	-	-

h) बैंक के कर्मचारियों की पेंशन सुविधा में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन के संबंध में प्रकटन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूर किए गए अनुमोदन के अनुसार बैंक ने दिनांक 11 नवंबर 2020 के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 333 करोड़ की अतिरिक्त देयताओं का अनुमान लगाया है. आरबीआई ने दिनांक 4 अक्तूबर 2021 के अपने परिपत्र संदर्भ आरबीआई/2021–22/105डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021–22 के द्वारा कुल राशि में से प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 1/5 राशि को व्यय किए जाने की शर्त के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ करते हुए 5 (पांच) वर्ष से अनधिक अवधि के दौरान उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने हेतु बैंकों को अनुमति प्रदान की है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक ने लाभ–हानि लेखे में समग्र अतिरिक्त देयता के लिए प्रावधान कर दिया है. यथा 31 मार्च 2022 को परिवार पेंशन योजना के कारण तुलन पत्र में कोई अपरिशोधित व्यय नहीं है

h) **Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in facility pension of employees of Bank**

In terms of approval granted by Bank's Board vide its meeting dated December 28, 2021, the Bank has estimated additional liability on account of revision in family pension for employees as per Joint Note dated November 11, 2020 at ₹333 crore. RBI vide their circular reference RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. However, during FY 2021-22 the Bank has provided entire additional liability in profit and loss account and there is no unamortised expenditure in the Balance Sheet on account of Family Pension Scheme as on March 31, 2022.

15. एमएसएमई क्षेत्र – अग्रिम समाधान योजनाओं की पुन:संरचना कार्यान्वित

MSME Sector-Restructuring of Advances Resolution Plans Implemented

एमएसएमई अग्रिमों की पुन: संरचना के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी किए दिनांक 1 जनवरी 2019 के परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018–2019; 11 फरवरी 2020 के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019–20, 6 अगस्त 2020 के परिपत्र आरबीआई/ 2020–21/17डीओआरसं.बीपी.बीसी/ 14121.04.048/2020–21 तथा 5 मई 2021 के परिपत्र आरबीआई/2021–22/32डीओआर.एमटीआर.आरईसी12/21.04.048/ 2021–22 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2022 तक ₹460.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹272.52 करोड़) के कुल 5,888 खातों (पिछले वर्ष 3,120 खाते) पुन: संरचना की है.

In accordance with the RBI circular DBR No BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019; DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020; RBI/2020-21/17 DOR. No. BP.BC./4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and RBI/2021-22/32 DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021 on Restructuring of MSME Advances, the Bank has restructured 5,888 accounts (Previous Year: 3,120 accounts) amounting to ₹460.76 Crores upto March 31, 2022 (Previous Year: ₹272.52 Crores).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

16. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं

Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन

Disclosure for the year ended March 31, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं. एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर आरबीआई के वृहत् एक्सपोजर मानदंडों (निवल लेखांकन मूल्य अवधारणा) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर 1 पूंजी की 20% और 25% की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे.

During the year ended March 31, 2022, there were no breaches in respect of single borrowers and group of connected counterparties exposures of the Bank. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital as prescribed under the Large Exposure norms (net accounting value concept) of RBI.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटन

Disclosure for the year ended March 31, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं. एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर आरबीआई के वृहत् एक्सपोजर मानदंडों (निवल लेखांकन मूल्य अवधारणा) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर 1 पूंजी की 20% और 30% की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे.

During the year ended March 31, 2021, there were no breaches in respect of single borrowers and group of connected counterparties exposures of the Bank. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 30% of eligible capital base i.e. Tier I Capital as prescribed under the Large Exposure norms (net accounting value concept) of RBI.

आ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं

B. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस–5)

Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

- 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/ व्यय मदें नहीं थी.

  There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2022 and March 31, 2021.

- विदेशी शाखाओं/ अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी मुद्रा उद्ग्रहण के प्रतिपादन हेतु अपनाई गई लेखांकन नीतियों को छोड़कर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों की तुलना में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 अगस्त 2021 को वित्तीय विवरण–प्रस्तुति एवं प्रकटन पर जारी किए गए मास्टर निदेशों की अपेक्षा के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सभी विदेशी शाखाओं/ अपतटीय बैंकिंग इकाइयों को 'गैर एकीकृत विदेशी परिचालन' माना गया है और तद्नुसार विदेशी मुद्रा उद्ग्रहण के संबंध में अंतरों के लेखांकन के लिए विदेशी मुद्रा उद्ग्रहण रिज़र्व बनाया गया है. वित्तीय वर्ष 2021–22 तक ऐसी शाखाओं/ परिचालनों को एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में प्रतिपादित किया गया था और विदेशी मुद्रा उद्ग्रहणों के संबंध में अंतरों को लाभ और हानि लेखा में अंतरित किया गया था. यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पर तथा वित्तीय स्थिति पर लेखांकन नीति में हुए इस परिवर्तन का नगण्य प्रभाव पड़ा है.

  There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2022 as compared to those followed in the previous financial year, except for the treatment of Foreign currency translation in respect of foreign branches/off-shore banking units. Pursuant to the requirement of Master Direction on financial statements — Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021, all foreign branches/ off-shore banking units have been treated as 'Non- Integral Foreign Operations' during financial year 2021-22 and accordingly Foreign Currency Translation Reserve is created for accounting of differences in respect of foreign currency translation. Upto financial year 2020-21 such branches/operations were treated as Integral foreign operations and the differences in respect of foreign currency translations were transferred to Profit and loss account. Impact of the change in accounting policy on profit for the year ended on and financial position as at March 31, 2022 is not material.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) (एएस–10)

Fixed Assets (Property, Plant & Equipments) (AS-10)

क) वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान बैंक ने बट्टाकृत नकदी प्रवाह, लागत दृष्टिकोण पद्धति,तुलनात्मक बिक्री पद्धति जैसी कार्य प्रणालियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा किए गए मूल्यांकनों के आधार पर पट्टाधृत पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि एवं आवासीय/ कार्यालय भवन सहित अपने परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है.

a) During the FY 2022, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by independent valuers, using methodologies such as discounted cash flow, cost approach method, comparable sales method.

ख) 31 मार्च 2022 को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में शेष ₹8468 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6281 करोड़) है.

b) The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2022 is ₹8,468 crore (Previous year ₹6,281 crore).

ग) वर्ष के दौरान आवासीय/ कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर प्राप्त ₹0.61 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.42 करोड़ की निवल हानि) की राशि को अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.

c) Net profit amounting to ₹0.61 crore (Previous year: Net loss ₹ 0.42 crore) on account of sale of residential/ office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

घ) पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व लाभांशों के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

d) Revaluation reserve is not available for distribution of dividends

3. **कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित): Employee Benefits (AS-15) (Revised)**

कर्मचारी लाभ योजनाएं

A. **Employee Benefit Schemes**

i निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / **Defined Contribution Schemes**

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है और जिन्होंने 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक एक निर्दिष्ट अंशदान जो कि मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में होता है, पीएफएस में जमा करता है. भविष्य निधि योजना को "आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों भविष्य निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) के न्यासी मंडल" द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराए गए थे और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लेखित निधि में जमा किए गए हैं. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹14.78 करोड़ इसमें वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप वेतन बकायों में भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के तौर पर ₹7.50 करोड़ शामिल हैं. (पिछले वर्ष: ₹5.55 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ–हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year ₹14.78 crore [including Bank contribution of PF in the salary arrears worked out on account of revision in salary of ₹7.50 crore] (Previous year ₹5.55 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान 11 नवंबर 2020 से बैंक के अंशदान को बढ़ाकर 14% किए जाने के फलस्वरूप अदा किए गए बकायों सहित आईबीएलएनपीएस में ₹174.25 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹100.24 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ–हानि खाते में डाला गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹174.25 crore (Previous year ₹100.24 crore) has been contributed to IBLNPS including the arrears paid towards increase in Bank Contribution to 14% w.e.f. Nov 11, 2020 and charged to Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / **Defined Benefit Schemes**

क बैंक कर्मचारियों की ग्रैच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रैच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

ख. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

b. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ग. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से की जाती है.

c. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और यथा 31 मार्च 2022 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गई राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस-15(आर) के अनुसार है.

B. **The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2022 which is per AS-15(R).**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
क) लाभ दायित्वों में परिवर्तन: **a) Change in benefit obligations:**				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	3,190.47	937.56	2,993.01	931.52
ब्याज लागत / Interest cost	222.38	64.69	203.23	64.18
चालू सेवा लागत / Current Service cost	35.97	38.29	36.46	40.21
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	332.63	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(221.71)	(64.45)	(168.18)	(66.95)
जनसांख्यिकीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses Due to Change in Demographic Assumptions	(3.23)	(2.13)	207.68	(43.92)
वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण– दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(181.69)	(38.24)	(66.50)	(0.97)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars		पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
	वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण– दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	244.61	22.40	(15.23)	13.49
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	**3,619.43**	**958.12**	**3,190.47**	**937.56**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	3,092.01	1,003.34	2,698.21	879.62
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	215.51	69.23	183.21	60.61
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	580.50	1.24	337.66	130.12
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(221.71)	(64.45)	(168.18)	(66.95)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss)	154.36	13.23	41.11	(0.06)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**3,820.67**	**1,022.59**	**3,092.01**	**1,003.34**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	3,619.43	958.12	3,190.47	937.56
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets	3,820.67	1,022.59	3,092.01	1,003.34
	अधिशेष/ (कमी) Surplus/ (Deficit)	**201.24**	**64.47**	**(98.46)**	**65.78**
घ) d)	**लाभ-हानि खाते में अभिनिर्धारित व्यय Expense Recognised in Profit & Loss Account**				
	सेवा लागत/ Service cost	35.97	38.29	36.46	40.21
	ब्याज लागत / Interest cost	222.38	64.69	203.23	64.18

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	ग्रैच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(215.51)	(69.23)	(183.21)	(60.61)
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	(94.67)	(31.20)	84.84	(31.34)
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	332.63	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	280.80	2.55	141.32	12.44
ङ) आस्तियों की श्रेणी **e) Category of Assets**				
भारत सरकार की आस्तियां Government Securities	292.48	0.00	195.84	0.00
कॉरपोरेट बांड Corporate Bonds	1,053.44	0.00	1,005.67	0.00
विशेष जमा योजना Special Deposits Scheme	24.19	0.00	39.62	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	2,220.43	1,022.59	1,652.59	1,003.34
नकद और नकदी के समतुल्य Cash and Cash Equivalents	16.44	0.00	16.48	0.00
अन्य / Others	213.69	0.00	181.81	0.00
कुल / TOTAL	**3,820.67**	**1,022.59**	**3,092.01**	**1,003.34**
अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान **Expected contribution in next year**	0.00	0.00	98.00	0.00
च) लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं **f) Assumptions used in accounting:**				
बट्टा दर / Discount rate	7.29%	7.29%	6.97%	6.90%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of return on plan assets	7.29%	7.29%	6.97%	6.90%
वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
पलायन दर Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter
मृत्यु दर Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006–2008) अंतिम रूप से. Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult..	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006–2008) अंतिम रूप से. Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार किये जाने वाले भावी वेतन आय वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है.

The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर योजनागत आस्तियों को बाजार भाव पर दर्शाया है. अत: प्रतिफल की अपेक्षित दर को छूट दर के समान ही रखा गया है.

The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate.

अनुभव समायोजन: / Experience Adjustments:

(i) **ग्रैच्युटी योजना / Gratuity Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

Particulars	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	958.12	937.56	931.52	787.04	709.54
योजना आस्तयां / Plan assets	1,022.59	1,003.34	879.62	708.22	641.54
अधिशेष/(कमी)/ Surplus/(deficit)	64.47	65.78	(51.90)	(78.82)	(68.00)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ /(हानि)] Experience adjustments on plan liabilities [Gain / (Loss)]	(22.40)	(13.49)	(56.04)	(44.60)	(16.34)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	13.23	(0.06)	4.59	(0.05)	8.72

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(ii) **पेंशन योजना / Pension Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 **March 31, 2022**	31 मार्च 2021 **March 31, 2021**	31 मार्च 2020 **March 31, 2020**	31 मार्च 2019 **March 31, 2019**	31 मार्च 2018 **March 31, 2018**
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	3,619.43	3,190.47	2,993.01	2,343.28	2,111.79
योजना आस्तयां / Plan assets	3,820.67	3,092.01	2,698.21	2,435.91	2,289.98
अधिशेष/ (कमी) Surplus/ (deficit)	201.24	(98.46)	(294.80)	92.63	178.19
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ /(हानि)] Experience adjustments on plan liabilities [Gain / (Loss)]	(244.61)	15.23	(350.90)	(180.22)	(42.72)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	154.36	41.11	14.12	57.23	(38.82)

इ. अन्य दीर्घावधि लाभ
C. Other long term benefits

1. Leave Encashment

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष **For the year ended March 31, 2022**	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष **For the year ended March 31, 2021**
कुल बीमांकित देयता/ Total Actuarial Liability	700.66	545.30
धारणाएं /Assumptions		
बट्टा दर/ Discount Rate	7.29%	6.90%
वेतन बढ़ोतरी दर/ Salary Escalation Rate.	5.75%	5.75%

2. स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना

2. Voluntary Health Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण **Particulars**	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष **For the year ended March 31, 2022**	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष **For the year ended March 31, 2021**
कुल बीमांकित देयता/ Total Actuarial Liability	60.17	59.00
धारणाएं /Assumptions		
बट्टा दर/ Discount Rate	7.41%	6.97%

3. बैंक के कर्मचारी अशक्तता साहायता के लिए पात्र हैं, जिसे अशक्तता घटित होने पर बैंक वहन करता है.

3. Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

ई. ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त प्रावधान

D. Additional Provision towards Gratuity

नवंबर 2017 - अक्तूबर 2022 की अवधि के लिए समशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त देयता को पूरा करने के लिए ग्रेच्युटी हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:

An additional provision towards gratuity has been made to meet the additional liability which may arise in effect of implementation of revised pay scale for the period Nov 2017- October 2022 as under:

विवरण **Particulars**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022**	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021**
ग्रेच्युटी/ Gratuity	48.10	48.10

उपरोक्त तालिका में ग्रेच्युटी की परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दिए गए विवरणों पर उपरोक्त प्रावधान का प्रभाव नहीं पड़ता है.

Details given under Defined benefit scheme of gratuity in table above does not have effect of the above provision.

4. **खंड रिपोर्टिंग (एस-17)**

4. **Segment Reporting (AS-17)**

बैंक मुख्य रूप से तीन कारोबारी खंडों में निम्नानुसार परिचालन करता है :

The Bank primarily operates in three business segments as under:

i) ट्रेजरी /Treasury	ट्रेजरी परिचालनों में सभी मुद्रा बाजार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii) खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित वैयक्तिक एवं लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services
iii) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी / सिंडिकेशन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल हैं. परिणामी राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में लगाई गई पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया गया है. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv) अविनिधानित/ Unallocated	इसमें प्रावधान को घटाकर निवल अग्रिम भुगतान कर, आस्थगित कर और कंपनी स्तर पर गणना की गई सीमा तक प्रावधान शामिल हैं. Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / **Particulars**	31 मार्च 2022/ March 31, 2022	31 मार्च 2021/ March 31, 2021
क. a.	खंड राजस्व /**Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	6,488.61	5,568.60
	खुदरा बैंकिंग /Retail Banking	21,302.47	23,077.67
	ट्रेजरी / Treasury	13,087.04	15,317.20
	कुल/**Total**	**40,878.12**	**43,963.47**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व Less :- Inter-segment revenue	17,892.93	19,466.67
	निवल खंड राजस्व **Net Segment Revenue**	**22,985.19**	**24,496.80**
ख. b.	खंड परिणाम– कर पूर्व लाभ / (हानि) **Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	1,798.68	(1,425.45)
	खुदरा बैंकिंग /Retail Banking	1,268.63	1,934.38
	ट्रेजरी / Treasury	541.31	1,859.69
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि) **Total profit/ (loss) before tax**	**3,608.62**	**2,368.62**
	आय कर /Income taxes	1,169.35	1,009.16
	निवल लाभ/ (हानि)/ **Net profit/ (loss)**	**2,439.27**	**1,359.46**
ग. c.	खंड आस्तियां /**Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	36,196.76	38,135.43
	खुदरा बैंकिंग /Retail Banking	1,19,429.20	1,01,195.78
	ट्रेजरी / Treasury	1,29,045.30	1,37,501.14
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	16,748.10	20,931.73
	कुल आस्तियां / **Total assets**	**3,01,419.36**	**2,97,764.08**
घ. d.	खंड देयताएं /**Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	10,677.19	18,331.78
	खुदरा बैंकिंग /Retail Banking	2,32,774.40	2,25,034.93
	ट्रेजरी / Treasury	16,305.80	17,586.30
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated liabilities	0	0
	कुल देयताएं/ **Total liabilities**	**2,59,757.39**	**2,60,953.01**
ड. e.	नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) **Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	25,519.57	19,803.64
	खुदरा बैंकिंग /Retail Banking	(1,13,345.20)	(1,23,839.15)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / **Particulars**	31 मार्च 2022/ March 31, 2022	31 मार्च 2021/ March 31, 2021
	ट्रेजरी / Treasury	1,12,739.50	1,19,914.85
	अविनिधानित / Unallocated	16,748.10	20,931.73
	कुल / **Total**	**41,661.97**	**36,811.07**

- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानक (एएस) – 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग कार्यों के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के साथ–साथ पिछली अवधियों के लिए संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/ व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है.
  As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) — 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been grouped under the Treasury Segment for the quarter ended March 31, 2022 as well as the previous periods.
- उत्पादों और सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफ़ाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, संस्था संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनुरूप की गई है.
  These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.
- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है.
  In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.
- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया जाता है.
  Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य प्रणाली के अनुसार गणना किया गया अंतर-खंड राजस्व शामिल है.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, इसलिए बैंक ने माना है कि इसका परिचालन मुख्य रूप से घरेलू खंड में है और इस तरह कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments

5) **संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)** / **RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)**

अ) एएस–18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची

A. **List of related party as per AS-18**

I. **प्रवर्तक** / **Promoter:**

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)/ Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. **सहायक संस्थाएं** / **Subsidiaries:**

- आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. /IDBI Capital Market & Securities Ltd.
- आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.
- आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि / IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.
- आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. / IDBI Asset Management Ltd.
- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

III. **संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था** / **Jointly Controlled Entity:**

- एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / Ageas Federal Life Insurance Co Ltd.

IV. **सहायक कंपनियाँ** / **Associates:**

- बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड / National Securities Depository Ltd
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- पोंडीचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल) / Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL)

V. **बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :** /**Key management personnel of the Bank:**

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ /Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक /Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक / Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD
- श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मई 2021 तक) / Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer (Up to May 31, 2021)
- श्री पोथुकुच्ची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (1 जून 2021 से) / Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & Chief Financial Officer (From June 01, 2021)
- श्रीमती ज्योति नायर, उप महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव (16 अप्रैल 2021 से) / Smt. Jyothi Nair, Deputy General Manager & Company Secretary (w.e.f April 16, 2021)
- श्री पवन अग्रवाल, मुख्य महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव (15 अप्रैल 2021 तक) / Shri Pawan Agrawal, Chief General Manager & Company Secretary (up to April 15, 2021)

केएमपी के रिश्तेदार एवं उनकी हितबद्धतावाली संस्थाएं : / **Relative of KMP & their Interested entities:**

i. श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, डॉ. मुथुलक्ष्मी रामास्वामी, श्री सैम्युअल जॉर्ज स्टीफन जेबराज, श्रीमती मैरी जेबराज, श्री गेब्रियल स्टीफन राम्याकुमार सैम्युअल, इवांगेलिन मैरी किरूबा सैम्युअल, जॉन अलेक्जेंडर जेबराज, शांति लावण्या पॉल, इवांगेलिन सिंथिया राजकुमार, श्रीमती. विदिशा सुरेश खटनहार, श्री किशनचंद खटनहार, श्रीमती रजनी खटनहार, श्री लवेश खटनहार, श्री रमेश खटनहार, श्रीमती पूनम करणी, श्रीमती ज्योति शर्मा, श्री प्रद्युमन कुमार, सुश्री अपूर्वा शर्मा, सुश्री अनुपमा शर्मा, श्रीमती अनीता शर्मा, श्री बी.सी.गुप्ता, श्रीमती सुमित्रा गुप्ता, कु. अदिति अग्रवाल, श्रीमती रेणु गुप्ता, पं. गीता शांडिल, श्रीमती नीता गुप्ता, श्रीमती रल्लापल्ली राजश्री, सचिन पोथुकुची, सौम्या पोथुकुची, पीवी शिवराम, पीवी कृष्ण मूर्ति, पी श्रीनिवास, पी हरि प्रसाद, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेति नायर.

Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Shri. Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Dr. Muthulakshmi Ramaswamy, Shri Samuel George Stephen Jebaraj, Smt. Mary Jebaraj, Shri Gabriel Stephen Ramyakumar Samuel, Evangeline Mary Kiruba Samuel, John Alexander Jebaraj,Shanthi Lavanya Paul, Evangeline Cynthia Rajkumar, Smt. Vidisha Suresh Khatanhar, Shri Kishinchand Khatanhar, Smt. Rajni Khatanhar, Shri Lavesh Khatanhar, Shri Ramesh Khatanhar, Smt. Poonam Karani, Smt. Jyoti Sharma, Shri Praduman Kumar, Ms. Apurva Sharma, Ms. Anupama Sharma, Smt. Anita Sharma, Shri B.C.Gupta, Smt. Sumittra Gupta, Kum. Aditi Agrawal,Smt. Renu Gupta, Smt. Geeta Shandil, Smt. Neeta Gupta, Smt. Rallapalli Rajasree, Sachin Pothukuchi, Saumya Pothukuchi, P V Sivaram, P V Krishna Murthy, P Srinivas, P Hari Prasad, Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair.

ii. संस्थाएं जिनमें केएमपी की हितबद्धता है– एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. एवं सोशल फूटप्रिंट प्रा. लि./
Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd & Social Footprint Pvt. Ltd.

आ. संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण

B. **Details of transactions with Related Parties**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन / शेष राशियां

i. Transactions/ balances with related parties during the Year ended March 31, 2022:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particulars	प्रवर्तक/ Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	1,450.00	-	-	-	-	1,450.00
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
जमाराशियों का स्थानन Placement of deposit	-	-	-	-	-	-
यथा 31 मार्च 2022 तक बकाया जमा राशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2022	4,475.82	261.51	23.42	137.85	-	4,898.59
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	6,813.99	324.97	26.72	139.16	-	7,304.84
यथा 31 मार्च 2022 तक अन्य बकाया देयताएं राशियां Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2022	63.96	27.50	0.00	-	-	91.46
वर्ष के दौरान अन्य बकाया देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	63.96	32.95	6.09	-	-	103.00
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	280.49	200.00	36.94	-	517.43
अधिकतम बकाया निवेश Maximum investments Outstanding	-	280.49	200.00	36.94	-	517.43
यथा 21 मार्च 2022 तक प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2022	5.69	0.76	0.96	0.30	-	7.72
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	10.08	1.57	0.96	0.30	-	12.91
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1.03	7.87	0.22	5.23		14.35
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	-	3.10	3.10

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particulars	प्रवर्तक/ Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	18.71	78.73	-	0.96	-	98.40
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	74.68	14.16	3.40	0.03	-	92.28
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	264.61	-	-		-	264.61
वर्ष के दौरान बकाया गैर–निधि प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	4.46	0.25	0.41	-	5.11
वर्ष के दौरान बकाया गैर–निधि प्रतिबद्धताएं Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	4.51	0.25	0.41	-	5.17

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर–ग्राहक संबंध प्रकृति के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में अर्जित किए जाते हैं और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के प्रति आबंटित नहीं किए जाते हैं.

@ 1) Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ सामग्री जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के प्रतिकर पर आरबीआई के दिनांक 4 नवंबर 2019 के परिपत्र 1989 के अनुसार

2) In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

क) वित्तीय वर्ष 2020– 21 के लिए, आस्थगित परिवर्ती वेतन की कुल राशि ₹1.07 करोड़ है.

a) For the FY 2020-21, total amount of deferred variable pay is ₹ 1.07 Crore.

ख) वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए, परिवर्ती वेतन हेतु कुल ₹1.66 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है.

b) For the FY 2021-22, total amount of ₹ 1.66 Crore is provided for variable pay.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन / शेष राशियां

Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particulars	प्रवर्तक/ Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	3,040.00	-	-	-	-	3,040.00
जमा राशियों का स्थानन Placement of deposit	-	-	-	-	-	-
तक बकाया जमा राशियां Deposits Received @	1.55	-	-	-	-	1.55
यथा 31 मार्च 2021 तक बकाया जमा राशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2021	3,820.00	183.51	17.60	142.19	-	4,163.30
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	5,996.00	183.64	22.07	142.19	-	6,343.89
यथा 31 मार्च 2021 तक अन्य बकाया देयताएं राशियां Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2021	-	22.82	1.31		-	24.13
वर्ष के दौरान अन्य बकाया देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	-	79.70	1.32		-	81.02
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	280.49	200.00	36.94	-	517.43
अधिकतम बकाया निवेश Maximum investments Outstanding	-	280.49	384.00	36.94	-	701.43
यथा 21 मार्च 2021 तक प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2021	-	10.25	0.78	0.30	-	11.33
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	-	16.07	0.97	0.30	-	17.34
जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	10.68	6.49	0.30	4.18	-	21.65
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	-	1.73	1.73
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	1.29	69.96		0.85	-	72.10

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particulars	प्रवर्तक/ Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	63.64	14.69	5.20	0.00	-	83.53
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	322.17				-	322.17
वर्ष के दौरान बकाया गैर–निधि प्रतिबद्धताएं Share of profit/ Loss during the year		46.08	33.22	83.46	-	162.75

@ वर्ष के दौरान प्राप्त नई सावधि जमाओं को दर्शाता है.

@ Represents new term deposits received during the Year

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर–ग्राहक संबंध प्रकृति के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

ii. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ₹3.10 करोड़ का पारिश्रमिक प्रदान किया गया.

ii. Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ended March 31, 2022 is ₹3.10 Crore.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र.सं./ SR. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21/ FY 2020-21
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	0.91	0.36
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक. Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director	0.68	0.32
3	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक. Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director	0.70	0.31
4	श्री पोथुकुच्ची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & Chief Financial Officer	0.38	-
5	श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer	0.10	0.37
6	श्री पवन अग्रवाल, मुख्य महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव Shri. Pawan Agrawal, Chief General Manager & Company Secretary	0.02	0.36
7	श्रीमती ज्योति नायर, उप महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Deputy General manager & Company Secretary	0.31	-
	कुल / **Total**	**3.10**	**1.73**

6. **पट्टे (एएस–19) / Leases (AS-19)**

क) लीज /किराए आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकृत/रद्द की जा सकती हैं.

a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ख) बैंक द्वारा लिए गए लीज, आपसी सहमति से कैलेंडर माह का लिखित में नोटिस देते हुए लीज अवधि के दौरान भी लीज को समाप्त करने के विकल्प सहित सहमत अवधि के लिए है.

b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग) नवीकरण की शर्तें और वृद्धि खंड वे हैं जो सामान्य रूप से समरूपी करारों में प्रचलित हैं. करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या सभार खंड नहीं है.

c) The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

घ) परिचालनगत लीज के लिए भुगतान किए गए लीज किराए को, इससे संबंधित वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्ज लीज किराया ₹386 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹386 करोड़) है.

d) Lease rent paid for operating leases are recognised in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised in Profit & Loss account during the FY 2021-22 is ₹386 Crore (Previous Year: ₹ 386 Crore).

7. **प्रति शेयर आय (इपीएस)(एएस -20) / Earnings Per Share (EPS) (AS-20)**

विवरण/ Particulars	यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 As at March 31, 2021
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ हानि (₹ करोड़) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹crore)	2,439.27	1,359.46
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1048,55,15,210
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	0	0
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1048,55,15,210
ईपीएस (मूल)(₹) EPS (Basic) (₹)	2.27	1.30
ईपीएस (न्यूनीकृत)(₹) EPS (Diluted) (₹)	2.27	1.30
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

8. **आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / Accounting For Taxes On Income (AS-22)**

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयता के घटक नीचे दिए गए हैं :
The components of Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability arising out of timing difference are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particulars	यथा मार्च 2022 को As at March 2022	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए घट-बढ़ Movement for the year ended March 31, 2022	यथा मार्च 2021 को As at March 2021
आस्थगित कर देयता / **Deferred Tax Asset**			
एनपीए तथा अन्य प्रावधानों से संबंधित अस्वीकृतियां जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to NPA and other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	8,616	(138)	8,754
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी और 35डी के अधीन अस्वीकृति Disallowance u/s 43B and 35D of Income Tax Act, 1961	224	34	190

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particulars	यथा मार्च 2022 को As at March 2022	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए घट-बढ़ Movement for the year ended March 31, 2022	यथा मार्च 2021 को As at March 2021
शामिल नहीं किए गए मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation	56	(104)	160
कारोबार में हानि Business Loss	4,714	(933)	5,647
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	16	16	0
कुल (अ) / Total (A)	**13,626**	**(1,125)**	**14,751**
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	0	(2)	2
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	308	0	308
कुल (आ) / **Total (B)**	**308**	**(2)**	**310**
आस्थगित कर आस्ति / देयता /(निवल)(अ)–(आ) **Deferred tax asset/ (liability) (net) (A) – (B)**	**13,318**	**(1,123)**	**14,441**

बैंक आस्थगित कर देयता (डीटीए) के प्रत्यावर्तित होने की आभासी निश्चितता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय हानि सहित आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को दर्ज कर रहा है.
Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

कराधान के लिए प्रावधान / Provision of Taxation

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
आयकर के लिए प्रावधान– चालू कर Provision for Income Tax - Current Tax	46.91@	(299.52)#

@ वित्तीय वर्ष 2022 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया. वित्तीय वर्ष 2001, वित्तीय वर्ष 2002 एवं वित्तीय वर्ष 2013 के लिए किए गए कुल ₹181.35 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिलेखित किया गया और वित्तीय वर्ष 2010–2011 और वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए की गई ₹228.26 करोड़ की मांग को आयकर रिफंड/ मांग के कारण समायोजित (निवल प्रभाव ₹46.91 करोड़) किया गया है.
@ No provision for Income Tax made for the FY 2022. The excess provision for FY 2001, FY 2002 & FY 2013 aggregating to ₹181.35 crore was written back and ₹228.26 crore demand for FY 2010-2011 and FY 2018-2019 is adjusted (net impact ₹46.91 crore) on account of Income tax refund/ demand.

वित्त वर्ष 2021 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया. वित्तीय वर्ष 1998, वित्तीय वर्ष 1999 और वित्तीय वर्ष 2000 के लिए किए गए कुल ₹299.52 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को आयकर रिफंड के फलस्वरूप प्रतिलेखित किया गया था.
No provision for Income Tax made for the FY 2021. The excess provision for FY 1998, FY 1999 & FY 2000 aggregating to ₹299.52 crore was written back during the year on account of Income tax refund.

9. परिचालन बंद करना (एएस-24) / Discontinuing Operations (AS-24)

वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान, बैंक ने अपनी किसी शाखा के परिचालन को बंद नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देयता से मुक्ति मिली हो और आस्तियों की वसूली हुई हो और परिचालन को पूरी तरह से बंद करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे उपर्युक्त प्रभावित हो.
During the FY 2021-22, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets and no decision has been finalised to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

10. संयुक्त उद्यम (एएस-27) / Joint Ventures (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹200 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹200 करोड़) शामिल है.

Investments include ₹ 200 crore (Previous Year: ₹ 200 crore) representing Bank's interest in the following joint venture:

विवरण / Particulars	निवास का देश / Country of Residence	31 मार्च 2022 को धारिता Holding as on March 31, 2022	31 मार्च 2021 को धारिता Holding as on March 31, 2021
एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि. @ Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.@	भारत / India	25%	25%

@ - पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.के नाम से जाना जाता था.

@ - earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.

एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियां का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2022 (लेखापरीक्षित) March 31, 2022 (Audited)	31 मार्च 2021 (लेखापरीक्षित) March 31, 2021 (Audited)
देयताएं / Liabilities		
इक्विटी पूंजी / Equity Capital	200.00	200.00
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	57.24	59.65
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	146.02	113.63
कुल / Total	**403.26**	**373.28**
आस्तियां / Assets		
नकदी और बैंक शेषराशियां Cash and Bank Balances	43.25	24.06
निवेश / Investments	178.79	175.94
अग्रिम / Advances	3.49	2.45
अचल आस्तियां / Fixed Assets	34.87	32.14
अन्य आस्तियां /Other Assets	142.86	138.69
कुल / **Total**	**403.26**	**373.28**
पूंजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	2.82	1.08
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	24.11	15.95
आय / Income		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	11.96	15.35
अन्य आय / Other income	16.12	25.96
कुल / **Total**	**28.08**	**41.31**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि /Losses from Insurance Business	0.00	0.00
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	2.17	3.31
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं /Provisions & Contingencies	2.32	4.78
कुल / Total	**4.49**	**8.09**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) /**Profit/(Loss) for the Year**	**23.59**	**33.22**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

11. **आस्ति में ह्रास (एएस-28)/ Impairment of Asset (AS-28)**

प्रबंधन की राय है कि चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है.

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

12. अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)@

A. Description of Contingent Liabilities (AS-29)@

क्र.सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए अदत्त देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के लिए राशियों को दर्शाती है इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व–निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यत: अंतर–बैंक बाजार में ऑफ–सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम–स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृह्द मूल्य सृजित होता है, जबकि इसका निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यत: इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.

क्र.सं. **Sr. No.**	आकस्मिक देयता **Contingent Liability**	संक्षिप्त विवरण **Brief description**
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला–बदली तथा ऋण चूक अदला–बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यत: अंतर–बैंक बाजार में ऑफ–सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम–स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृह्द मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यत: अंतर–बैंक बाजार में ऑफ–सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम–स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VIII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 एवं लागू कानूनों के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961 & applicable laws.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
IX	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि– जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued, if any, from the customer accounts not operated or amounts not claimed for more than 10 years to the RBI DEAF. ग) पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रतिभूतियों आदि के जारी होने तक प्रतिभूतियों के जारी किए जाने पर, आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं के लिए प्रदान नहीं किया गया. c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.

आ. दीर्घावधि संविदाएं

B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमे

C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

@मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची–12 आकस्मिक देयताएं देखें.

@ Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

ई. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधान का संचलन

D. **Movement of provision against Contingent Liabilities**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र.सं./ Sr.No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
क)/ a)	प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	59	117
ख)/ b)	वर्ष के दौरान जोड़/ (प्रत्यावर्तन) /Addition/ (reversal) during the year	56	(58)
ग)/ c)	अंतिम शेष/ Closing Balance	115	59

अन्य प्रकटन

OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान किसी भी इक्विटी शेयर को अधिमानी आधार पर आवंटित नहीं किया गया था (पिछले वर्ष अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) मार्ग के जरिए प्रत्येक ₹10/– अंकित मूल्य के पूर्णत: चुकता 37,18,08,177 (संख्या) शेयरों को प्रति शेयर ₹28.60 की शेयर प्रीमियम के साथ कुल ₹1,435.18 करोड़)

During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year 37,18,08,177 (nos.) at ₹10/- each fully paid up with a share premium of ₹28.60 per share aggregating to ₹1,435.18 crore through the Qualified Institutional Placement (QIP) route).

II. भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ):

Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) ने 29 मार्च 2022 के अपने पत्र के जरिए मोचन के लिए देय ₹1064.27 करोड़ की विशेष प्रतिभूतियों को रद्द करने के लिए आरबीआई को सूचित किया था. इसके अतिरिक्त डीएफएस ने 30 मार्च 2022 को ₹118.00 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूतियां जारी करने के लिए भी सूचित किया है. ये प्रतिभूतियां एसएएसएफ के प्रति सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ₹9000 करोड़ ऐसी प्रतिभूतियों का हिस्सा हैं. ये 20 वर्ष की अवधि वाली प्रतिभूतियां हैं जो सितंबर 2024 में परिपक्व होंगी. यथा 31 मार्च 2022 को एसएएसएफ के लिए किया गया प्रावधान ₹ 2633.73 करोड़ (पूर्णत: प्रदत्त) है.

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS) vide its letter dated 29th March 2022, advised for cancellation of special securities of ₹1064.27 crore to RBI which was due for redemption. Further DFS has also advised for release of additional securities ₹118.00 Crore on 30th March 2022. These securities form part of ₹9000 crore of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. Provision for SASF as on March 31, 2022 stands at ₹2633.73 Crores (fully provided).

III. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय : **Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure**

क. वर्ष के दौरान बैंक व्यय की जाने वाली सकल राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष: ₹ शून्य)

a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year: ₹Nil (Previous Year:₹Nil)

ख. वर्ष के दौरान व्यय राशि:

b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र.सं./ Sr.No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष FY 2021-22	पिछला वर्ष FY 2020-21
क)/ a)	प्रारंभिक शेष/ In cash	0.18	शून्य / Nil
ख)/ b)	वर्ष के दौरान जोड़/ (प्रत्यावर्तन) / Yet to be paid in cash	0.12	शून्य / Nil
ग)/ c)	अंतिम शेष/ Total	0.30	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक उक्त अधिनियम के तहत अपने आपूर्तिकर्ताओं से उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना को संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई हो, का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

V. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप अप्रैल–मई 2020 के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, जिसने आर्थिक गतिविधियों को काफी प्रभावित किया. बाद में लॉकडाउन उपायों में ढील दिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक कार्यकलापों में क्रमिक रूप से सुधार आया और वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी छमाही से सामान्य स्थिति बहाल होने की दिशा में प्रगति हुई. वित्त वर्ष 2021–22 में भारत ने कोविड–19 महामारी की दो और लहरें देखीं और देश के कुछ हिस्सों में स्थानीयकृत/क्षेत्रीय स्तर पर फिर से लॉकडाउन के उपाय लागू किए गए. वर्तमान में, कोविड–19 मामलों में धीरे–धीरे कमी आ रही है और भारत सहित दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं में धीरे–धीरे पुनरुद्धार देख रहे हैं. बैंक ने कोविड–19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर खुद को तैयार किया है. बैंक की पूंजी और चल निधि तरलता की स्थिति मजबूत है और बैंक के लिए यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाने वाला क्षेत्र बना रहेगा.

During FY 2020-21, the COVID-19 pandemic resulted in nation-wide lockdown during April –May 2020 which substantially impacted economic activity. The subsequent easing of lock down measures led to gradual improvements in economic activity and progress towards normalcy from Second Half of FY 2021. In FY 2021-22, India witnessed two more waves of COVID -19 pandemic and the re-imposition of the localized /regional lockdown measures in certain parts of the country. At present, there has been a gradual lowering of COVID -19 cases and the countries around the world are witnessing a gradual revival in their economies including India. The Bank has geared itself on all fronts to meet the challenges imposed by COVID-19. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 747 करोड़ के कोविड–19 संबंधित प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया है. कोविड–19 के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंक ने यथा 31 मार्च 2022 तक कोविड–19 संबंधी कुल ₹116 करोड़ (कोविड–19 मानदंडों के तहत पुनर्गठन के लिए धारित प्रावधानों के अलावा) का प्रावधान किया है.

In view of the above, the Bank has reversed COVID-19 related provision of ₹747 crores during the Quarter ended March 31, 2022. As at March 31, 2022 the Bank held aggregate COVID-19 related provision of ₹116 crores (other than provisions held for restructuring under COVID-19 norms) considering the present status of COVID-19.

VI. बैंक के पास 01 नवंबर 2017 से ₹400 करोड़ की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है. वर्ष के दौरान खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹78.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹122.69 करोड़) था. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 15 अप्रैल 2021 को ₹146.27 करोड़ (पिछले वर्ष 11 दिसंबर 2020 को ₹185.13 करोड़) था.

The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹400 crore w.e.f November 01, 2017. During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 78.42 crore (Prev. Year ₹122.69 crore). The maximum utilization during the year was at ₹ 146.27 crore on April 15, 2021. (Prev. Year ₹185.13 crore on December 11, 2020).

VII. बैंक द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यवर्ती") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाओं को अथवा उनमें कोई भी निधि अग्रिम या ऋण के रूप प्रदान नहीं की गई है अथवा निवेश की गई है (उधार ली गई निधीयों में से अथवा शेयर प्रीमियम में से अथवा अन्य किसी स्त्रोत से अथवा किसी प्रकार की अन्य निधि से). ऐसा इस समझ चाहे लिखित रूप में दर्ज हो अथवा अन्य रूप में हो, के साथ किया गया है कि मध्यवर्ती संस्था बैंक द्वारा अभिनिर्धारित अथवा बैंक (अंतिम हितधारी) की ओर से पार्टी को उधार देंगी अथवा उनमें निवेश करेंगी. इसके अलावा इस समझ के साथ कि बैंक प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से बैंक द्वारा अभिनिर्धारित अथवा उसकी ओर अन्य व्यक्तियों में अथवा संस्थाओं को उधार देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अंतिम हिताधिकारियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार का अन्य दायित्व प्रदान करेगा, बैंक ने किसी पक्ष (निधीयन पक्ष) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है.

No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

VIII. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 अगस्त 2021 (15 नवंबर 2021 तक अद्यतित) तथा आवश्यकतानुसार संशोधित वित्तीय परिणाम एवं प्रकटन पर मास्टर निदेश की अपेक्षा के अनुसरण में उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यस्थित

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

किया गया है.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on November 15, 2021), as amended and wherever considered necessary.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' के लिए हस्ताक्षर

Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO
(डीआईएन/ DIN: 068 46594)

(जे. सैम्युअल जोसफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/ DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/ DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/ DIN: 01853823)

(पोथुकुचि सीताराम)
(Pothukuchi Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
ED & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फ.पं.सं./ FRN – 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma

साझेदार
Partner
(एम. नं. 25854) M.No. 25854

कृते जी डी आप्टे एंड कं.
For G D Apte & Co

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फ.पं.सं./ FRN –100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe

साझेदार
Partner
(एम. नं. 121546)/ M.No. 121546

स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

दिनांक: 02 मई 2022
Date: May 02, 2022

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022

(₹ '000 में / ₹ in '000)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022	वर्ष समाप्ति Year ended March 31, 2022	वर्ष समाप्ति Year ended March 31, 2021
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. Cash flow from Operating Activities		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ Net profit before tax and extra-ordinary items	3608 61 70	2368 62 49
(2) समायोजन Adjustments		
- अचल आस्तियों की बिक्री से(लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(60 74)	42 06
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) - Depreciation and revaluation loss	486 33 85	392 93 26
- परिपक्वता पर धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन - Amortisation of premium on Held to Maturity investments	185 81 16	122 18 04
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना - Provisions/ Write off of Loans/ Investments	3310 26 97	2347 59 28
- मानक और पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and restructured assets	262 51 36	1877 12 64
- अन्य प्रावधान Other Provisions	372 90 49	449 11 75
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	(15 63 42)	55 68 44
- उधार राशियों पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	1162 56 75	1397 95 37
-सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांशDividend received from subsidiary companies/joint ventures	(39 01 03)	(8 25 00)
- व्युत्पन्न और विनिमय लेनदेन के उचित मूल्य पर लाभ (Gain)/loss on fair value of derivatives and exchange transactions	(14 04 76)	(98 89 41)
	9319 72 33	8904 48 92
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
- निवेश / Investments	(4117 28 63)	(1449 94 60)
- अग्रिम / Advances	(19140 58 87)	1335 78 56
- अन्य आस्तियां / Other Assets	4988 14 28	3110 25 60
- प्रत्यक्ष करों की वापसी / (भुगतान) / Refund/ (payment) of direct taxes	3013 79 70	(265 30 46)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन : Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
- उधार राशियाँ / Borrowings	1571 32 67	(15604 81 78)
- जमा राशियाँ / Deposits	2282 63 81	8474 27 73
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	(1909 92 34)	5713 24 57
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash used in/generated from Operating activities	**(3992 17 05)**	**10217 98 54**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह B. Cash Flow from Investing activities		
- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets	(185 86 12)	(87 01 27)
- सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures	39 01 03	8 25 00

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022

(₹ '000 में / ₹ in '000)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022	वर्ष समाप्ति Year ended March 31, 2022	वर्ष समाप्ति Year ended March 31, 2021
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Investing activities	**(146 85 09)**	**(78 76 27)**
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह C. Cash Flow from Financing activities		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम* / Issue of Equity Shares*	-	1422 65 93
-उधार पर चुकाया गया ब्याज Interest paid on borrowings	(1240 46 12)	(1534 11 33)
-बॉण्डस का मोचन Redemption of Bonds	(3134 40 00)	(5980 98 50)
-बॉण्डस जारी करने से आगम Proceeds from Issue of Bonds	-	745 00 00
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त Net cash (used in)/ raised from Financing activities (C)	(4374 86 12)	(5347 43 90)
- ट्रांसलेसन रिजर्व पर विनिमय के उतार–चढ़ाव का प्रभाव Effect of exchange fluctuation on translation reserve (D)	2 28 16	-
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी) **NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A+B+C+D)**	(8511 60 10)	4791 78 37
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	35222 18 92	30430 40 55
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**26710 58 82**	**35222 18 92**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
1. नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
2. परोक्ष पद्धती का प्रयोग करते हुए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह रिपोर्ट किया जाता है Cash flow from Operating activities is reported by using Indirect method		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची ६) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	13593 36 50	13012 80 33
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	13117 22 32	22209 38 59
कुल / TOTAL	**26710 58 82**	**35222 18 92**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची १७ और १८)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(पोथुकुची सीताराम)
(Pothukuchi Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फॉर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार (स. सं. 25854)/ Partner
(M.No. 25854)

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फॉर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार (स. सं. 121546)/ Partner (M.No. 121546)

साझेदार: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक: 02 मई 2022 / Date: May 02, 2022

समेकित वित्तीय विवरण

Consolidated Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक'), इसकी सहायक संस्थाओं, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट), के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च 2022 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखापरीक्षा की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आईडीबीआई बैंक लि. के लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 02 मई 2022 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे.
- अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा 05 देशी सहायक संस्थाओं और भारत में निगमित 1 संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित लेखे.
- 4 सहायक संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित लेखे

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा सहायक कंपनियों व संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायक संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर उक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 तथा साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2022 को समूह के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर विनिर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकतों एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है. हम मानते हैं कि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, "अन्य मामलों" में संदर्भित है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

To,

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") its subsidiaries, associates and jointly controlled entity (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") comprising of the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and Notes to the Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

- Audited Financial Statements of IDBI Bank Limited, audited by us, vide our audit report dated May 02, 2022.
- Audited Financial Statements of 5 subsidiaries and 1 jointly controlled entity, incorporated in India, audited by other auditors; and
- Unaudited accounts of 4 associates

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries, Jointly controlled entity and the unaudited financial statements and other financial information of associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the consolidated state of affairs of the Group, its associates and Jointly controlled entity as at March 31, 2022 and its consolidated profit, and consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us in respect of the Bank audited by us and the audit evidence obtained by the other auditors of subsidiaries and jointly controlled entity in terms of their reports, referred to in section "Other Matters", is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on consolidated financial statements.

महत्वपूर्ण विषय

हम टिप्पणी 18(14)(V) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो समूह, इसकी सहायक संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के परिचालन और वित्तीय स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में है, जोकि इन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई और विनियामक उपायों सहित कई अनिश्चित पहलुओं पर निर्भर करेगा.

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में अपने रिपोर्ट में किया है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का दृष्टिकोण
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2022 को 13,318.47 करोड़ रु. की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान 1,122.44 करोड़ रु. का निवल विपर्यय शामिल है. आस्थगित कर की मान्यता में इन आस्तियों की वसूली की संभावना के बारे में निर्णय शामिल है, विशेष रूप से क्या भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जो इन आस्तियों की मान्यता का समर्थन करेगा. इन आस्थगित कर आस्तियों को वसूली योग्य या अन्यथा मानने में शामिल निर्णय की डिग्री को देखते हुए, हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: • एएस 22 आय पर कर के लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन; • प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिससे बैंक निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा नोट किए अनुसार पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. • प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.

Emphasis of Matter

We draw attention to Schedule 18(14)(V) to the accompanying Consolidated Financial Statements, regarding the impact of COVID-19 pandemic on the operations and financial position of the Group, its associates & jointly controlled entity, which will depend on various uncertain aspects including actions taken to mitigate the same and other regulatory measures.

Our Opinion is not modified in respect of the above matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context:

Key Audit Matters	Auditor's Approach
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of INR 13,318.47 Crores as on March 31, 2022, after net reversal of INR 1,122.44 Crores during the year. The recognition of deferred tax involves judgement regarding the likelihood of realisation of these assets in particular whether there will be sufficient taxable profits in future periods that will support the recognition of these assets. Given the degree of judgement involved in considering these deferred tax assets as recoverable or otherwise, we consider this to be a key audit matter.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Our audit procedures included: • Evaluation of policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • Assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Audit Committee of the Board of Directors. • Assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण

अग्रिम बैंक की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे, अन्य बातों के साथ–साथ, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और प्रावधान मानदंडों और आरबीआई द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों के प्रदर्शन और गैर–निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं.

बैंक इन अग्रिमों को आईआरएसी मानदंडों के आधार पर अपनी लेखा नीति अनुसूची संख्या: 17 के अनुसार वर्गीकृत करता है.

निष्पादित और गैर–निष्पादित अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित गुणात्मक कारकों के रूप में प्रत्येक गैर–निष्पादित आस्ति ("एनपीए") के लिए मात्रात्मक और साथ ही दोनों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान की मात्रा को पहचानने और निर्धारित करने के लिए निर्णय की महत्वपूर्ण डिग्री लागू करने की आवश्यकता है.

एनपीए की पहचान और प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान निम्नलिखित तात्विक अयथार्थ कथनों को जन्म दे सकते हैं:

- आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनुसार गैर–निष्पादित आस्तियों की मान्यता की पूर्णता और समय;
- ऋण सहायता, ऋण की अवधि बढ़ने और वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन;
- एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रतिवर्तन

हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं:

- एप्लिकेशन सिस्टम से प्राप्त अपवाद रिपोर्टों के परीक्षण पर विचार करना जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं.
- आरबीआई के वृहद ऋणों पर केंद्रीय भंडार (सीआरआईएल-सी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लिखित खातों ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर तनाव की पहचान करने के लिए विचार करना
- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना
- बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, क्रेडिट लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा पर विचार करना
- हमने अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया है. हमने रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के विवरण, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों तथा अग्रिमों के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है.
- पहचाने गए गैर–निष्पादित अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता तात्विक्ता सहित कारकों

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms

Advances constitute significant portion of the Group's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non- performing Advances (NPA)

The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy Schedule No 17

The identification of performing and nonperforming advances involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each non-performing asset ('NPA') applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.

Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on:

- Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRAC norms;
- Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security;
- Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs.

• Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular:

- Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded.
- Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress.
- Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors
- Considering Internal Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.
- We have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines.
- For Non- performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors

बैंक अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन के लिए जिम्मेदार है. एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना आईआरएसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नामक एक अन्य आईटी प्रणाली के माध्यम से की जाती है. यदि एकल या समग्र रूप में आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाए तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) तात्विक रूप से अयथार्थ बताया जा सकता है. निहित तात्विकता लेनदेन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.	के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तारीखों, अप्राप्त ब्याज की वापसी, उपलब्ध सुरक्षा के मूल्य और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान पर परीक्षण किया. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद एनपीए के प्रावधान की पुनर्गणना की और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे माप परिणामों की तुलना की. • इसके अलावा, हमने शाखाओं/ कार्यालयों का दौरा करने और दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच के साथ–साथ अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट सहित मूल प्रक्रियाएं भी पूरी की हैं. • अन्य शाखाओं के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में डिजिटल माध्यम से बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्कैन किए गए रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के आधार पर नमूना अग्रिमों की समीक्षा, सीबीएस के लिए ईमेल और रिमोट एक्सेस और सुरक्षित नेटवर्क पर अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं.

आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉर्ड्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है.	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Core Banking Solution (CBS). NPA classification and calculation of provision is done through another IT System viz. IRAC Application Software. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the materiality involved, nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, we have determined this as a Key Audit Matter.	and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRAC norms. We recomputed the provision for NPA after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management • In addition, we have also carried out substantive procedures including visits to branches/ offices and examination of documentation and other records as well as reports of independent valuers relating to advances. • In respect of other branches, our audit procedures included review of sample advances based on scanned records/ reports/ documents/ certificates made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software over secure network of the Bank.

Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting

The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated.	As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting:

बैंक अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करता है और प्रतिदिन कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं. इसके अलावा, बैंक के सिस्टम और डेटा की अखंडता की रक्षा करने के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और हाल की अवधि में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जोखिम बन गई है. आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है.	• हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांच की योजना बनाई है, उन्हें डिजाइन किया है और निष्पादित किया है. हमने उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण सहित बैंक के आईटी वातावरण की समझ प्राप्त की है. • हमने आईटी सामान्य नियंत्रणों (तार्किक पहुंच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं) का परीक्षण किया. इसमें सिस्टम तक पहुंच के अनुरोधों की समीक्षा करने व प्राधिकृत करने का परीक्षण भी शामिल था. हमने अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए सिस्टम में बदलाव के अनुरोधों का निरीक्षण किया. • आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आईआरएसी के लिए की गई बाह्य आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा साथ ही, सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया. • उपरोक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था. जहां कमियों की पहचान की गई थी, वहाँ हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा अथवा वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न कीं.

The Bank uses several systems for its overall financial reporting and there is a large volume of transactions being recorded at multiple locations daily. In addition, there are increasing challenges to protect the integrity of the Bank's systems and data since cyber security has become a more significant risk in recent periods. Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.	• We have planned designed and carried out the audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank., we obtained an understanding of Bank's IT environment including integration of various systems to evaluate their adequacy. • We tested IT general controls (logical access, changes management and aspects of IT operational controls). This included testing that requests for access to systems were reviewed and authorised. We inspected requests of changes to systems for approval and authorisation. • Considering IS audit reports conducted by Internal audit department and External IT System audit report for IRAC. Also, the audit report of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. • In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over financial reporting. Where deficiencies were identified, we sought explanations regarding compensating controls or performed alternate audit procedures.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल संयुक्त वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित निदेशकों की रिपोर्ट (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

Information Other Than Consolidated Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है. अन्य जानकारी का अध्ययन करने पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और समेकित रूप से नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं, जिनका बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनियों के संबन्धित निदेशक मंडलों को समूह में शामिल किया जाता है. इसकी सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयां संबन्धित इकाइयों के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

अपनी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह में शामिल संबन्धित निदेशक मण्डल भी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate companies and Jointly controlled entity in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, in so far as they apply to the Bank and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associates and jointly controlled entity are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group, its associate companies and jointly controlled entity are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and Jointly controlled entity to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Management either intends to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group including its associate companies and Jointly controlled entity is also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group including its associate companies and Jointly controlled entity.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बढ़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझकर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन का करना.

- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चतता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह और इसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती है.

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Group, its associates and Jointly controlled entity has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.

- Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's including its associate's companies and Jointly controlled entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group including its associate companies and jointly controlled entity to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह, उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं. इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में "अन्य मामले" खंड के तहत आगे वर्णित किया गया है.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

(i) हमने बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च 2022 को 43.83 करोड़ रु. की कुल आस्ति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 8.31 करोड़ रु. के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है. इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

(ii)

अ. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है :

क) 5 देशी सहायक कंपनियों जिनके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2022 को समूह की कुल आस्तियां रु. 907.78 करोड़ थीं तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु. 366.8 करोड़ और कर पश्चात

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group, its associates and jointly controlled entity to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described under 'Other Matters' section in this audit report.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

i. We did not audit the financial statements of the foreign branch in Dubai included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of INR 43.83 Crores as at March 31, 2022 and total revenue of INR 8.31 Crores for the year ended on that date. The financial statements of this branch has been audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.

ii.

A. We did not audit the financial statements of:

a) 5 subsidiaries, whose financial statements reflects total assets of INR 907.78 crores as at March 31, 2022, total revenue of INR 366.8 crores, total Net Profit after tax of INR 93.89 crores and net cash Inflows amounting to INR 75 crores for the year ended March 31, 2022, as considered in the consolidated financial

निवल लाभ रु. 93.89 करोड़ और निवल नकदी आगमन रु. 75 करोड़ रु. था, जिनकी लेखापरीक्षा उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थीं और उनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई थीं तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

ख) 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी जिसके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2022 को कुल आस्तियों में समूह का हिस्सा रु. 403.26 करोड़ था तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 28.08 करोड़ था, कर पश्चात निवल लाभ रु. 23.58 करोड़ और निवल नकदी आगमन रु. 18.85 करोड़ रु. था, जिसकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी. इस इकाई के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

आ) हम समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न 18(10) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि समेकित वित्तीय विवरणों में उन सभी चार सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं जिनके लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण/ लेखे हमें प्राप्त नहीं हुए हैं. इन चार सहायक संस्थाओं में से एक एनएसडीएल (26.10%) के संबंध में 31 दिसंबर 2021 तक के खाते शामिल किए गए हैं तथा 2 अन्य सहायक संस्थाओं यथा नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (25%) और बायोटेक कंसोरशियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) के संबंध में 31 मार्च 2021 तक के खातों को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित खातों के आधार पर शामिल किया गया है. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (21.14%) के मामले में, उक्त कंपनी में निवेश को 1 रुपये तक बट्टे खाते डाल दिया गया है. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण समूह के लिए कोई तात्विक अर्थ नहीं रखते हैं.

iii. 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई और रिपोर्ट की गई, जिन्होंने उन वित्तीय विवरणों पर अपनी दिनांक 03 मई 2021 की रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की है. तदनुसार, हम 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं.

जहां तक किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी के संदर्भ में उपर्युक्त मामलों पर हमारे विश्वास का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, और नीचे के अन्य विधिक एवं विनियामकीय आवश्यकताओं के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

statements, which have been audited by their respective independent auditors. These independent Auditor's report on financial statements of these entities have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries is based solely on the reports of the other auditors.

b) 1 jointly controlled entity, whose financial statements reflect total assets of INR 403.26 Crores as at March 31, 2022, total revenues of INR 28.08 Crores, total net profit after tax of INR 23.58 Crores and net cash inflows amounting to INR 18.85 crores for the year ended March 31, 2022, as considered in the consolidated financial statements which have been audited by independent auditor. The independent Auditor's report on financial statements of this entity have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this Jointly controlled entity is based solely on the reports of the other auditor,

B. We draw attention to Note 18(10) to the accompanying Consolidated Financial Statements which states that the consolidated financial statements does not include the Financial Statements in respect of all four Associates for which financial statements/accounts for the year ended March 31, 2022 have not been received. Out of four associates, in respect of 1 associate- NSDL (26.10%), accounts have been included up to December 31, 2021 and in respect of 2 associates North eastern Development Finance Corporation Limited (25%) and Biotech Consortium India Limited (27.93%) accounts have been included up to March 31, 2021, based on management certified accounts. In case of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment corporation Limited (21.14%), the investment in the said company has been written down to INR 1. According to the information and explanations given to us by the Management, the financial statements of these Associates are not material to the Group.

iii. The audit of Consolidated financial statements for the year ended March 31, 2021 were carried out and reported by predecessor statutory auditors who have expressed unmodified opinion vide their report dated May 03, 2021, on those financial statements. Accordingly, we, do not express any opinion, on the figures reported in the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2021.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the management

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ख) समूह के जो लेन–देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे समूह की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   घ) बैंक की वित्तीय लेखा प्रणाली केंद्रीकृत हैं और इसलिए, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लेखांकन विवरणियाँ शाखाओं द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. हमने लेखा–परीक्षा केंद्रीय रूप से की है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित रिकॉर्ड और डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध हैं. इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आरबीआई के मौजूदा परिपत्र के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी शाखाओं में रखे गए अभिलेखों की जांच करने के लिए 24 घरेलू शाखाओं का दौरा किया है, जिसमें बैंक के सकल अग्रिमों का 38.58% निहित है.

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर अलग–अलग वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में, बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जैसा कि उन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;

   घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकन के प्रयोजन से रखी गई लेखा बहियों और रेकॉर्ड के अनुरूप हैं.

   ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   c) The financial accounting systems of the Bank are centralized and therefore, accounting returns for the purpose of preparing financial statements are not required to be submitted by the branches. Our audit has been carried out centrally as all the necessary records and data required for the purposes of our audit are centrally available. Further, during the course of our audit, we have visited 24 domestic branches which comprise of 38.58% of the gross advances of the Bank, to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit. , in compliance with the extant RBI Circular.

3. As required by section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements and other financial information of the subsidiaries and associates, we report, to the extent applicable that,

   a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of consolidated financial statements;

   b) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of consolidated financial statements have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and reports of other auditors;

   c) the report on the accounts of the foreign branch at Dubai of the Bank audited by other auditors has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;

   d) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and records maintained for the purpose of consolidation;

   e) in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

च) यथा 31 मार्च 2022 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के सांविधिक लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह के किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

छ) समूह के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

ज) हमारी राय में, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान इसके निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तथा;

सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जिनकी हमारे द्वारा लेखा–परीक्षा नहीं की गई थी, सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई द्वारा उनके निदेशकों को चालू वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है.

इसके अलावा, जैसा कि ऊपर अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित है, 4 सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में अधिनियम की धारा 197(16) के तहत हमारे द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट के संबंध में यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा 'अन्य मामले' पैराग्राफ में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर नोट किए गए विचारों के आधार पर निम्नानुसार अभिकथन है कि:

i. समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(12) (सी) का संदर्भ लें.

ii. समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हों, के लिए लागू विधिक या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए हैं समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(12) (बी) का संदर्भ लें.

f) on the basis of written representation received from the directors of the Bank as on March 31, 2022 and taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors of its subsidiary companies and jointly controlled entity incorporated in India, none of the directors of the group companies including its jointly controlled entity venture are disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements of the Group, its associates & Jointly controlled entity and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) In our opinion, the entity being a Banking company, the remuneration to its directors during the year ended March 31, 2022 has been paid/ provided by the Bank in accordance with the provisions of section 35B of the Banking Regulation Act, 1949, and;

Based on the report of the statutory auditors of subsidiaries and Jointly controlled entity which were not audited by us, the remuneration paid during the current year by the subsidiary companies and Jointly controlled entity to their directors are in accordance with the provisions of Section 197 of the Act

Further, for the 4 associates, as referred to in other matter paragraph above, whose financial statements/ information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to compliance of the provisions of section 197 read with Schedule V of the Act during the year ended 31 March 2022, we are unable to comment on such compliance for the said entities as required to be reported by us under section 197(16) of the Act

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors as noted in the "Other Matters" paragraph:

i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on its consolidated financial position of group, its associates and Jointly controlled entity. Refer Schedule 18(12)(C) to the Consolidated Financial Statements.

ii. Provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts has been made in the consolidated financial statements. Refer Schedule 18 (12)(B) to the Consolidated Financial Statements.

iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है.

iv.

क. समूह, इसकी सहायक संस्थाओं एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबन्धित प्रबंधन ने, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट के "अन्य मामलों" के अधीन लेखापरीक्षा की गई है, उन्होंने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18(14)(VII) में यथा दर्शाए अनुसार, किसी बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी से कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत से) नहीं ली गई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा.

ख. समूह, इसकी सहायक संस्थाओं एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबन्धित प्रबंधन ने, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट के "अन्य मामलों" के अधीन लेखापरीक्षा की गई है, उन्होंने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18(14)(VII) में यथा दर्शाए अनुसार, बैंक द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा.

ग. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ड) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है.

v. बैंक ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है. हमें दी गई जानकारी के अनुसार और प्रबंधन की पुष्टि और सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधन द्वारा हमें निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई:

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Group and Jointly controlled entity.

iv.

a. The respective Managements of the components in the Group, its associates and jointly controlled entity which are companies incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, subject to "Other Matters" Para in our Audit report have represented to us and the other auditors of such Group entities, and jointly controlled entity, respectively that, to the best of their knowledge and belief as disclosed in the Schedule 18(14)(VII) to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank or any of such entities in the Group including its associates and jointly controlled entity to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank or any of such components of the Group, associates and jointly controlled entity ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

b. The respective Managements of the entities in the Group its associates and jointly controlled entity which are incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, subject to "Other Matters" Para in our Audit report, have represented to us and the other auditors of such Group entities, and jointly controlled entity respectively that, to the best of their knowledge and belief as disclosed in the Schedule 18(14)(VII) to the accounts , no funds have been received by the Bank or any of such entities in the Group, associates and jointly controlled entity from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Bank or any of such components of the Group, associates and jointly controlled entity shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. The Bank has not declared or paid any dividend during the year. As per the information furnished to us and based on the management confirmation and the audit reports of subsidiaries and jointly controlled entity furnished to us by management:

क. समूह में दो सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई ने पिछले वर्ष प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया है जो कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है.

ख. समूह में सहायक कंपनियों में से एक और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई ने वर्ष के लिए लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में उनके सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है. प्रस्तावित लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है.

ग. किसी भी सहायक या संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई द्वारा वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है.

घ. इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक समूह की अन्य सहायक कंपनियों ने न तो कोई लाभांश दिया है और न ही कोई लाभांश घोषित किया है.

ड) इसके अलावा, जैसा कि ऊपर अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित है, 4 सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की गई है, नियम 11 (एफ) के तहत ऐसी संस्थाओं के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में हम उक्त संस्थाओं के लिए इस तरह के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

a. Two subsidiaries in the group and jointly controlled entity have paid the dividend proposed in the previous year which is in accordance with Section 123 of the Companies Act.

b. One of the subsidiary in the group and a jointly controlled entity have proposed dividends for the year which is subject to approval of their members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Companies Act, as applicable

c. No interim dividend has been declared or paid during the year by any subsidiaries or jointly controlled entity

d. Other subsidiaries of the group have neither paid nor declared any dividend until the date of this audit report.

e. Further, for the 4 associates, as referred to in other matter paragraph above, whose financial statements/ information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities under Rule 11(f) we are unable to comment on such compliance for the said entities.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. सं. / Firm Reg. No. 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार / Partner
सदस्यता सं./ Membership No. 25854
यूडीआईएन:/ UDIN:22025854AIGNXN6914

कृते जीडी आप्टे एंड कं.
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं.सं./ Firm Reg.No.100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार / Partner
सदस्यता सं./ Membership No. 121546
यूडीआईएन:/ UDIN: 22121546AIGOEF7904

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 2 मई 2022 / Date: May 02, 2022

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक") और इसकी सहायक संस्थाओं, सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं "समूह" के रूप में निर्दिष्ट) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ीयों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('मानक') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31, 2022 in conjunction with our audit of the Consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries, associates and jointly controlled entity (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (" the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Group, its associates and Jointly controlled entity based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to consolidated financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The

हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समूह, इसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. वित्तीय विवरणों पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में, समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों को अपनी समीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध परीक्षण की संवीक्षा एवं मध्यवर्ती/ नियंत्रण लेखों के समाधान को सुदृढ़ करने की जरूरत है. हमारी राय में समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग

procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraphs, below are sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on internal financial controls system with reference to Consolidated Financial Statements of the Group, its associates and Jointly controlled entity.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to consolidated financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to consolidated financial statements includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Group, its associate companies and jointly controlled entity;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the entity are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the entity; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the entity's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to consolidated financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Group, its associate companies and Jointly controlled entity has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to consolidated financial statements and such internal financial controls with reference to consolidated financial statements were operating effectively as at

के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2022 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक निम्न तथ्यों से संबंध है:

क) भारत में निगमित 4 सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की रिपोर्ट संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है;

ख) भारत में निगमित 1 सहायक कंपनी, जिसके विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण उसके स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, ने 143(3)(i) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है. हमारी राय प्रभावित नहीं है क्योंकि इन समेकित वित्तीय विवरणों में इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल निवल लाभ / हानि और प्रकटीकरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

ग) भारत में निगमित 4 सहायक संस्थाएं, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखा–जोखा नहीं है, हमारी राय प्रभावित नहीं है क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों में इन संस्थाओं के संबंध में शामिल निवल लाभ/हानि और प्रकटीकरण का हिस्सा समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है.

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है

March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group, its associate companies and jointly controlled entity considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements in so far as it relates to;

a) 4 subsidiary companies and jointly controlled entity, incorporated in India, is based on the corresponding report of the respective auditors ;

b) 1 subsidiary company, incorporated in India, whose special purpose financial statements has been audited by it's independent auditor has not furnished a report under 143 (3)(i). Our opinion is not affected as the net profit / loss and disclosures included in respect of this subsidiary in these Consolidated Financial Statements are not material to the Group.

c) 4 associates, incorporated in India whose financial statements / financial information are unaudited, our opinion is not affected as the share of net profit / loss and disclosures included in respect of these associates in the Consolidated Financial Statements are not material to the Group.

Our report is not modified in respect of the above matters

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं. सं. / Firm Reg. No. 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार / Partner
सदस्यता सं./ Membership No. 25854
यूडीआईएन:/ UDIN:22025854AIGNXN6914

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 2 मई 2022 / Date: May 02, 2022

कृते जीडी आप्टे एंड कं.
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
फर्म पं.सं./ Firm Reg.No.100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार / Partner
सदस्यता सं./ Membership No. 121546
यूडीआईएन:/ UDIN: 22121546AIGOEF7904

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2022 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	31819 30 55	26875 63 67
अल्पांश हित / Minority Interest	2अ /2A	128 18 55	112 98 19
जमा राशियाँ / Deposits	3	232849 58 52	230660 17 63
उधार राशियाँ / Borrowings	4	14344 98 00	15908 05 32
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	12461 79 82	14343 58 51
कुल / TOTAL		**302356 25 66**	**298652 83 54**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13593 91 42	13013 12 54
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	13206 55 81	22294 99 38
निवेश / Investments	8	83475 00 41	81470 88 10
अग्रिम / Advances	9	145775 32 56	128152 39 27
स्थायी आस्तियां / Fixed assets	10	9987 03 51	7872 73 06
अन्य आस्तियां / Other assets	11	36318 41 95	45848 71 19
कुल / TOTAL		**302356 25 66**	**298652 83 54**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	332226 71 26	220742 81 92
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		10706 95 65	9648 34 43
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एव. 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(पोथुकुची सीताराम)
(Pothukuchi Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 100515W

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार (स. सं. 25854)/Partner (M.No. 25854)

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार (स. सं. 121546)/Partner (M.No. 121546)

मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक: 02 मई 2022 / Date: May 02, 2022

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2022

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	आय / INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	18319 18 00	19961 96 72
	अन्य आय / Other Income	14	4919 22 68	4781 53 38
	कुल / TOTAL		**23238 40 68**	**24743 50 10**
II	व्यय / EXPENDITURE			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	9124 93 32	11407 50 71
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	6503 06 34	6171 54 47
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		5092 67 21	5715 77 51
	कुल / TOTAL		**20720 66 87**	**23294 82 69**
III	लाभ / PROFIT			
	सहायक संस्थाओं में आय का भाग/ (हानि) Share of Earnings/(loss) in Associates		39 33 09	83 45 72
	अल्पसंख्यक ब्याज काटने से पहले के वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)/ Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		2557 06 90	1532 13 13
	घटाएं: अल्पसंख्यक ब्याज/ Less: Minorities' Interest		23 40 21	18 16 27
	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि) / Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		**2533 66 69**	**1513 96 86**
	जोड़ें: समूह के कारण समेकित लाभ/(हानि) की राशि, जिसे आगे ले जाया गया / Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(45159 42 11)	(45409 98 53)
	कुल / TOTAL		**(42625 75 42)**	**(43896 01 67)**
IV	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक रिजर्व के अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		609 81 76	339 86 60
	पूंजीगत रिजर्व के अंतरण / Transfer to Capital Reserve		157 39 92	285 00 39
	सामान्य रिजर्व के अंतरण / Transfer to General Reserve		2 82 58	2 19 32
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) / Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR)		-	544 61 04
	शेष को समेकित तुलन पत्र में ले जाया गया Balance carried over to Consolidated balance sheet		(43395 79 67)	(45067 69 03)
	कुल / TOTAL		**(42625 75 41)**	**(43896 01 68)**

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2022

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per Share (₹) (Face Value ₹ 10 per Share)	18(7) 18(7)		
मूल / Basic		2.36	1.44
न्यूनीकृत / Diluted		2.36	1.44
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(पोथुकुची सीताराम)
(Pothukuchi Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार (स. सं. 25854)/Partner (M.No. 25854)

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार (स. सं. 121546)/Partner (M.No. 121546)

मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 02 मई 2022 / Date: May 02, 2022

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) इक्विटी शेयर 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	25000 00 00	25000 00 00
	25000 00 00	**25000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत: प्रदत्त 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 नोट 14(i) देखें) 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note 14 (i))	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	**10752 40 22**	**10752 40 22**

अनुसूची 2 – रिज़र्व और अधिशेष/ SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserves**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2814 61 30	2474 74 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	609 81 76	339 86 60
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3424 43 06	**2814 61 30**
II	**विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिज़र्व / Foreign Currency Translation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2 28 16	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2 28 16	-
III	**पूंजी रिज़र्व / Capital Reserves**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3011 08 42	2726 08 03
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	157 39 92	285 00 39
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3168 48 34	**3011 08 42**
IV	**समेकन पर पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve on Consolidation**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	304 50 70	309 18 41
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	10 93 49	31 95 65
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	36 63 36
		315 44 19	**304 50 70**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
V	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserves**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6281 44 73	6503 36 63
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2409 36 15	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	223 04 53	221 91 90
		8467 76 35	**6281 44 73**
VI	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	50732 28 10	49668 89 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	1075 90 43
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	12 57 67	12 52 03
		50719 70 43	**50732 28 10**
VII	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves**		
	(क)/(a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6774 16 50	6610 49 09
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकित समायोजन को घटाकर) Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments)	2 82 58	6 77 16
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण / Transferred from Revaluation Reserve	223 04 53	221 91 90
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	-	(65 01 65)
		7000 03 61	**6774 16 50**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व (b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व (c) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
	(घ) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (d) Investment Fluctuation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	544 61 04	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	544 61 04
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		544 61 04	**544 61 04**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
VIII	लाभ और हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss Account	(43395 79 67)	(45159 42 17)
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**31819 30 55**	**26875 63 67**

अनुसूची 2 अ– अल्पांश हित / SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
मुख्य-सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आने की तिथि पर अल्पांश हित / Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	29 84 39	29 84 39
उत्तरवर्ती वृद्धि /(कमी) / Subsequent increase/(decrease)	98 34 16	83 13 80
तुलन पत्र की तारीख पर अल्पांश हित / Minority interest on the date of balance sheet	**128 18 55**	**112 98 19**

अनुसूची 3 – जमाराशियाँ / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

			विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
अ / A					
	I.		मांग जमा राशियाँ / Demand Deposits		
		(i)	बैंकों से / From banks	10643 43 49	9738 03 10
		(ii)	अन्य से / From others	34799 03 52	30768 42 84
			कुल (i एवं ii) / Total (i and ii)	**45442 47 01**	**40506 45 94**
	II.		बचत बैंक जमा राशियाँ / Savings Bank Deposits	86804 34 23	75890 52 52
	III.		सावधि जमा राशियाँ / Term Deposits		
		(i)	बैंकों से / From banks	7330 99 72	8808 16 14
		(ii)	अन्य से / From others	93271 77 56	105455 03 03
			कुल (i एवं ii) / Total (i and ii)	**100602 77 28**	**114263 19 17**
			कुल (I से III) / Total (I to III)	**232849 58 52**	**230660 17 63**
आ / B					
		(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India	232837 18 97	230626 82 10
		(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	12 39 55	33 35 53
			कुल (i एवं ii) / TOTAL (i and ii)	**232849 58 52**	**230660 17 63**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 4 – उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I.	भारत में उधार राशिया / Borrowings in India			
	(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	2400 00 00	-
	(ii)	अन्य बैंक / Other banks	607 10 00	945 15 00
	(iii)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बॉण्ड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	1807 00 00	4641 40 00
	(iv)	बासेल III ओम्नी टीयर 2 बॉण्ड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
	(v)	अन्य * / Others*	6256 80 22	6557 92 02
		कुल / TOTAL (I)	**13715 90 22**	**14789 47 02**
II.	भारत के बाहर से उधार राशियाँ / Borrowings outside India		629 07 78	1118 58 30
		कुल (I तथा II)/ TOTAL (I and II)	**14344 98 00**	**15908 05 32**

टिप्पणी : उपरोक्त I तथा II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार राशियां – ₹ 2547 60 01 हजार (पिछले वर्ष ₹147 73 74 हजार)
Note: Secured borrowings included in I and II above - ₹ 2547 60 01 Thousand (Previous Year ₹ 147 73 74 Thousand)

** सम्मिलित बेमीयादी ऋण लिखत ₹ 850 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 850 00 00 हजार) जो सीआरएआर के लिए अर्हक नहीं है*
** Includes Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR*

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I.	देय बिल / Bills Payable		1673 56 46	1542 49 94
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)		-	-
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued		397 82 12	498 06 01
IV.	अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provisions)			
	(क) (a)	मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	3070 94 98	2998 32 51
	(ख) (b)	प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	432 09 02	407 74 66
	(ग) (c)	देय लाभांश तथा लाभांश कर Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) (d)	विविध लेनदार Sundry Creditors	120 79 98	130 42 47
	(ड.) (e)	देय सेवा कर/ टीडीएस/ अन्य कर Service tax/TDS/Other taxes payable	126 88 49	92 95 88
	(च) (f)	विविध जमाराशियां Sundry Deposits	22 28 54	18 49 23
	(छ) (g)	अन्य प्रावधान Other provisions	3210 35 79	3684 78 03
	(ज़) (h)	विविध Miscellaneous	3407 04 44	4970 29 78
		कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**12461 79 82**	**14343 58 51**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2231 17 04	3092 46 90
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष/ Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11362 74 38	9920 65 64
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**13593 91 42**	**13013 12 54**

अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	भारत में / In India		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	174 56 40	203 98 27
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	6728 26 38	6698 97 40
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
	(क) बैंकों के पास (a) with banks	-	499 86 24
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	5202 00 00	14175 00 00
	कुल (i एवं ii) Total (i and ii)	**12104 82 78**	**21577 81 91**
II	भारत से बाहर / Outside India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	613 92 22	502 41 10
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	45 62 71	79 71 25
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	442 18 10	135 05 12
	कुल (i से iii) Total (i to iii)	**1101 73 03**	**717 17 47**
	कुल (I तथा II) /GRAND TOTAL (I and II)	**13206 55 81**	**22294 99 38**

अनुसूची 8 – निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I		**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां* / Government Securities*	71774 60 56	75834 83 35
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	1048 15 17	1038 48 53
	(iv)	डिबेंचर और बॉण्ड / Debentures and Bonds	5853 24 09	1452 49 35
	(v)	संस्थाओं में निवेश / Associates	36 94 00	49 51 68
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी,वीसीएफ़, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs,VCF, CD)	4686 72 06	2912 04 63
		कुल (i से vi) Total (i to vi)	**83399 65 88**	**81287 37 54**
II		**भारत से बाहर निवेश / Investments outside India in**		
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	75 34 53	183 50 56
	(ii)	संस्थाओं में निवेश / Associates	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments	-	-
		कुल (i से iii) Total (i to iii)	**75 34 53**	**183 50 56**
		कुल (I तथा II) /GRAND TOTAL (I and II)	**83475 00 41**	**81470 88 10**
III		**भारत में निवेश / Investments in India**		
		निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	89933 44 53	85806 33 54
		घटाएं: मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान/ Less: Aggregate provision for depreciation	6533 78 64	4518 96 00
		निवल निवेश / Net investments	**83399 65 89**	**81287 37 54**
IV		**भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India**		
		निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	75 57 65	183 50 56
		घटाएं: मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान/ Less:Aggregate provision for depreciation	23 13	-
		निवल निवेश / Net investments	**75 34 52**	**183 50 56**

** गैर- एसएलआर– एचटीएम के रुप में वर्गीकृत रु. 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष रु. 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं.*
** Includes special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 9 – अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
अ / A				
	(i)	खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	3177 63 93	622 24 57
	(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	44662 36 38	34242 49 65
	(iii)	मीयादी ऋण* / Term loans*	97935 32 25	93287 65 05
		कुल (i, ii एवं iii) / TOTAL (i, ii, and iii)	**145775 32 56**	**128152 39 27**
आ / B				
	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है)** Secured by tangible assets (includes advances against book debts)**	123399 55 64	121397 13 12
	(ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित*** Covered by Bank / Government Guarantees***	11600 90 02	705 74 63
	(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	10774 86 90	6049 51 52
		कुल (i, ii एवं iii)/ TOTAL (i, ii, and iii)	**145775 32 56**	**128152 39 27**
इ / C				
I		भारत में अग्रिम / Advances in India		
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	57724 48 22	63839 62 20
	(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	1885 71 41	1601 43 53
	(iii)	बैंक / Banks	50 44 96	281 48 03
	(iv)	अन्य / Others	84181 92 36	60229 94 52
		कुल (i, ii, iii एवं iv)/ TOTAL (i, ii, iii, and iv)	**143842 56 95**	**125952 48 28**
II		भारत के बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
	(i)	बैंकों से देय / Due from banks	-	-
	(ii)	अन्य से देय / Due from others:	-	-
		(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	-
		(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	-	396 79 90
		(ग) अन्य (c) Others	1932 75 61	1803 11 10
		कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	**1932 75 61**	**2199 91 01**
		महायोग (इ I तथा इ II) /Grand TOTAL (C I and C II)	**145775 32 56**	**128152 39 29**

टिप्पणी: ₹ शून्य हजार (पिछले वर्ष : शून्य) के (निवल) अंतर–बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र की बिक्री शामिल है*
*Note - *Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ Nil Thousand (Previous Year: Nil)*

*** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं*
*** Includes advances against book debts*

**** बैंकों द्वारा जारी साख–पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं*
**** Includes advances against letter of Credit issued by banks.*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी (2) देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note (2))		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	7277 85 20	7289 30 52
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	83 16 53	30 01 70
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	1736 26 14	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	102 11 48	41 47 01
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	9 27 10	474 06 93
	TOTAL	**8985 89 29**	**6803 78 28**
II	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	2287 68 48	2233 20 92
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	224 16 07	117 85 66
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	54 80 95	63 38 10
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1856 25 88	1689 37 43
	TOTAL	**600 77 72**	**598 31 05**
IIA	पट्टाकृत गई आस्तियां / Leased Asset		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर)/ Opening Balance (At Cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	TOTAL	**-**	**-**
III	निवल प्रावधानों की कार्य-प्रगति(पट्टाकृत आस्तियों सहित) Capital work-in-progess (including Leased Assets) net of Provisions	400 36 50	470 63 73
	महायोग (I, II, IIअ और III) /Grand Total (I, II, IIA and III)	**9987 03 51**	**7872 73 06**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter office adjustments (net)	-	73 59
II	उपचित ब्याज/ Interest accrued	2210 72 50	2108 71 41
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source	3478 18 60	6540 19 21
IV	लेखन सामग्री और स्टांप / Stationery and stamps	13 07	16 13
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर–बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)/* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)*	791 98 93	791 98 93
VI	आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset	13324 37 41	14448 90 11
VII	अन्य / Others		
(क/a)	आबंटन के लिए लंबित शेयर/बॉण्ड / Shares / Bonds Pending allotment	11 70 10	-
(ख/b)	विविध जमाराशियां व अग्रिम / Sundry deposit and advances	637 80 18	466 69 89
(ग/c)	प्राप्य दावे / Claims receivable	247 76 48	326 50 87
(घ/d)	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/ संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	154 96 19	149 31 85
(ङ/e)	विविध** / Miscellaneous**	15460 78 49	21015 49 20
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**36318 41 95**	**45848 71 19**

*टिप्पणी :*प्रावधान घटाकर निवल बकाया राशि ₹ 44 54 93 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 78 38 93 हज़ार) है*

*Note:-*Amount outstanding net of provisions is ₹ 44 54 93 Thousand (Previous Year ₹ 78 38 93 Thousand)*

*** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 14164 24 49 हजार (पिछले वर्ष ₹ 18037 39 45 हजार) का निवेश शामिल है*

***Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 14164 24 49 Thousand (Previous Year ₹ 18037 39 45 Thousand)*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against bank not acknowledged as debts	140 11 55	322 19 50
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	74 83	74 83
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	267875 64 36	158173 95 82
IV	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	34731 87 55	37655 65 94
	(ख) - भारत के बाहर (b) - outside India	795 98 64	802 56 19
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	13256 07 36	9904 65 41
VI	**अन्य दावे जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी नहीं है** **Other items for which the bank is contingently liable**		
	(क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के संबंध में देयता (a) Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	11987 01 72	10824 76 32
	(ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता (b) Liability in respect of other Derivative contracts	372 78 62	423 31 87
	(ग) पूंजीगत प्रतिबद्धता (c) Capital Commitment	-	17 90
	(घ) विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण (d) On account of disputed taxes, Interest tax, penalty and interest demands	2533 09 71	2408 63 76
	(ङ/e) अन्य / Others	533 36 92	226 14 38
	कुल (I से VI) / TOTAL (I toVI)	**332226 71 26**	**220742 81 92**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	12031 97 82	11819 22 10
II	निवेशों से आय (लाभांश सहित) / Income on investments (including dividend)	4631 38 73	5169 29 25
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	673 07 56	648 74 13
IV	अन्य / Others	982 73 89	2324 71 24
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**18319 18 00**	**19961 96 72**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 14 – अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1920 60 89	1871 96 34
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	1062 88 81	1728 33 85
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	16 26 23	(54 31 20)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	60 79	(42 02)
V	विनिमय लेन–देनों/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	730 48 78	376 01 26
VI	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	845 52 71	547 55 68
VII	विविध आय / Miscellaneous Income	342 84 47	312 39 48
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**4919 22 68**	**4781 53 38**

अनुसूची 15 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	7766 70 52	9248 44 15
II	रिज़र्व बैंक/ अंतर–बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / Inter bank borrowings	182 87 59	553 58 57
III	अन्य / Others	1175 35 21	1605 47 99
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**9124 93 32**	**11407 50 71**

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	विवरण / Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	3261 48 84	3223 47 44
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	475 33 69	478 70 33
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	40 83 08	34 64 93
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	26 96 30	26 55 60
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास		
	(क) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (a) Depreciation on bank's property other than Leased Assets	417 26 41	396 84 73
	(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on leased assets	-	-
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	2 54 55	1 88 23
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित) / Auditor's fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	3 66 10	2 80 68
VIII	विधि प्रभार / Law charges	21 00 62	15 19 35
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	90 59 41	76 88 73
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	101 56 97	87 27 72
XI	बीमा / Insurance	284 49 80	259 53 61
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure :		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	170 97 03	127 11 04
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	305 50 34	289 61 29
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	22 05 91	34 98 91
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	10 58 78	3 42 84

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
(ड.) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	601 98 98	564 03 03
(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	90 07 37	101 17 65
(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	1 83 24	1 52 74
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	27 48 81	19 68 30
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	4 90 95	5 31 26
(ज) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	-	71 12
(ट) अन्य (k) Others	541 89 16	420 14 94
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**6503 06 34**	**6171 54 47**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियाँ
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्नलिखित हैं: अर्थात् समूह के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए विशिष्ट लेखांकन नीतियां और तरीके.

Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Group.

1 तैयार करने का आधार: / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938, सेबी(म्यूचुअल फंड) 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों (एएस) उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित, अधिनियम के प्रावधानों (जहाँ तक अधिसूचित हैं) के अनुसार और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यत: लागू प्रथाओं के अनुरूप हैं. समूह लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, को छोड़कर तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. लेखांकन नीतियाँ समूह द्वारा लगातार लागू की गई हैं और जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो, इन्हें पिछले वर्ष की तरह ही जारी रखा गया है.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), comprising of regulatory norms & guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) & , statutory guidelines of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Companies Act, 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules made there under, provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Group follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the Group and are consistent with those used in the previous year except where otherwise stated.

2 समेकन का आधार: / Basis of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस 21 'समेकित वित्तीय विवरण', एएस -23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी - ''बैंक'') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its Subsidiaries/Associates/Joint Venture as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'.

समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एवं अनुसूची 18(10) में उल्लिखित चार सहयोगियों को छोड़कर जिनका वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं, के आधार पर तैयार किया गया है. इनको अद्यतित उपलब्ध वित्तीय विवरण के आधार पर समेकित किया गया है. समूह महत्वपूर्ण राशियों के लिए असमान लेखा नीतियों को समायोजित करता है.

The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2022 and have been prepared on the basis of except for four associates as mentioned in Schedule 18(10), for which financial statements as on reporting date are not available. These have been consolidated based on latest available financial statements. The group makes adjustments for non-uniform accounting policies for material amounts.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर. विलोपन हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर किया जाएगा. (ग) एएस -23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंत: समूह संव्यवहारों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है. सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/ पूंजी रिज़र्व के रूप में दर्शाया गया है. समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake. c) Its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions and balances have been eliminated on Consolidation. The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/ associates is recognized in the financial statements as goodwill/ Capital Reserve. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा

(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का घट-बढ़.

(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :
The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र. सं. Sl. No.	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
अ) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं:** **Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Limited	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	भारत India	66.67	66.67
आ) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं :** **Non-Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited	भारत India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Limited	भारत India	54.70	54.70
इ) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम:** **Life Insurance Joint Venture:**			
1)	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Limited	भारत India	25	25
ई) D)	**सहयोगी संस्थाएं:** **Associate Companies:**			

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र. सं. Sl. No.	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Limited	भारत India	26.10	26.10
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	भारत India	27.93	27.93
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	भारत India	25	25
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Limited (PIPDICL)	भारत India	21.14	21.14

3 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.

Revenue is recognized to the extent it is propable that the economic benefits will flow to the group and the revenue can be reliably measured.

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :
A. In case of IDBI Bank Limited :

Revenue is recognized to the extent it is propable that the economic benefits will flow to the bank and the revenue can be reliably measured.

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

   Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
   Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क और कमीशन आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब वसूली का देय और उचित अधिकार स्थापित हो जाता है और जब इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है. जब कोई महत्वपूर्ण कार्य / मील का पत्थर पूरा हो जाता है तो सिंडिकेशन / अरेंजर शुल्क को आय के रूप में मान्यता दी जाती है.
   Fee and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है. गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश प्राप्त होने पर बुक किया जाता है.
For listed companies, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. For unlisted companies dividend is booked as and when received.

vi. गैर-निष्पादित अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank

(क) एनसीएलटी/ मध्यस्थता या विधिक कार्यवाही के तहत आनेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में, वसूली को एनसीएलटी/ मध्यस्थ/ न्यायालय के सुसंगत आदेश के अनुसार विभाजित किया जाता है.

(a) In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law.

(ख) ऐसे मामलों में जहां वसूली ऋण खातों के अंतिम समापन (गारंटर/ अन्य पक्षों के साथ ऋणदाता/ उधारकर्ता संबंध का विच्छेद) की ओर उन्मुख हो [एकमुश्त निपटान/ बातचीत के जरिए निपटान/ ऋण के समनुदेशन/ आईबीसी के माध्यम से वसूली (संकल्प रीति/ परिसमापन रीति के तहत) लेकिन वसूली के किसी अन्य तरीके के तहत कोई और विधिक वसूली-प्राधिकार उपलब्ध या प्रस्तावित न हो] को नीचे वर्णित अनुसार विनियोजित किया जाएगा:

(b) In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors /third parties) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /Assignment of debt/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below:

(i) मूलधन
Principal

(ii) अदत्त व्यय/ पहले से ही किए गए व्यय /भुगतान
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(iii) ब्याज/दंडात्मक ब्याज
Interest /penal Interest

(iv) प्रभार (शुल्क/बीजी कमीशन बकाया)
Charges (Fees/BG commission outstanding).

(ग) ऐसे मामलों में जहां वसूली के परिणामस्वरूप खातों को अंतिम रूप से बंद नहीं किया जाता है, संविदा की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा.

(c) In cases where recovery not resulting in final closure of accounts shall be appropriated as per contractual terms.

जहां एनपीए में वसूली के विनियोग के प्रयोजन के लिए बैंक और उधारकर्ता के बीच कोई स्पष्ट करार नहीं है, उसे नीचे बताए अनुसार विनियोजित किया जाएगा:

Where there is no clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated as mentioned below:

(i) अदत्त व्यय/ पहले से ही किए गए व्यय /भुगतान
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(ii) ब्याज/दंडात्मक ब्याज
Interest /penal Interest

(iii) प्रभार (शुल्क/बीजी कमीशन बकाया)
Charges (Fees/BG commission outstanding).

(iv) मूलधन
Principal

(घ) पहले के वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के तहत वसूल की गई राशि और उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अब प्रावधान आवश्यक नहीं हैं, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है.

(d) Amounts recovered against debts written off in earlier years and provisions no longer necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में :
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited :

i. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ii. तुलन-पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों/ सावधि जमाओं पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.

Interest on fixed coupon debt securities / fixed deposits, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate / deposit rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

iii. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.

Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.

iv. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.

Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

v. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित हैं.

Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information.

vi. मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ऋणों के संबंध में ग्राहकों को प्रदान किए गए ऋणों के मामले में ब्याज का निर्धारण ग्राहकों से बकाया राशि और प्रयोज्य ब्याज पर विचार करते हुए समय अनुपात आधार पर विलंबित भुगतान के रूप में किया जाता है.

Interest is recognised on delayed payments from customers on a time proportion basis in relation to the loans relating to the Margin Trading Funding provided to customers taking into account the amount outstanding from customers and the rates applicable.

vii. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Depository, Portfolio Management, terminal charges and other fees are accounted for on accrual basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

viii. निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.

Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.

ix. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है.
Dividend is recognised when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date.

x. किराये की आय को उपचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

Rent income is recognized on accrual basis.

xi. राजस्व में सेवा कर/ जीएसटी, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है.
Revenue excludes Service Tax/ GST, wherever recovered.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में :
C. In case of IDBI Asset Management Limited :

i. निवेश प्रबंधन शुल्क:
Investment Management fees:

निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर/ जीएसटी को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 ('नियमावली') विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.
Investment Management fees are recognized net-off GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended

ii. अन्य आय :
Other income:

(क) ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपाचित होता है. ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है. इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है.
(a) Interest income is accounted for on period proportion basis. Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered.

(ख) खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है.
(b) The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

(ग) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
(c) Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

(घ) सेवा शुल्क को सहमत शर्तों के अनुसार उपचय के आधार पर गणना में लिया जाता है.
(d) Service charges are accounted for on accrual basis as per the agreed terms.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी लिमिटेड के मामले में :
D. In case of IDBI MF Trustee Limited :

i. ट्रस्टीशिप शुल्क: ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 ('विनियमावली') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर दस्तावेज में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.

Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ii. अन्य आय: निवेशों से आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/ हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है.

Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.Profit / loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :
E. In case of IDBI Intech Limited :

i. राजस्व मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं और सॉफ्टवेयर उत्पादों के लाइसेंस से प्राप्त होता है. कंपनी कॉल सेंटर सेवाओं से भी राजस्व अर्जित करती है.

Revenue is primarily derived from software development and related services and from the licensing of the software products. The Company also generates revenue from call center services.

ii. सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य पर, या निश्चित समय सीमा या समय और सामग्री के आधार पर होती है.

Arrangement with customers for software development and related services are either on a fixed price, fixed-timeframe or on a time-and-material basis.

iii. महत्वपूर्ण संविदाओं एवं समय पर राजस्व तभी निर्धारित किया जाता है जब संबंधित सेवाओं को निष्पादित कर दिया जाता है.

Revenues on time and material contracts are recognised when the related services are performed.

iv. निश्चित मूल्य और निश्चित समयबद्ध संविदाओं के मामले में, जहां माप या प्रतिफल की सामूहिकता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, वहाँ इन्हें सेवा पूर्णता और संविदा के मूल्य की पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है. जब माप या अंतिम वसूली के बारे में अनिश्चितता होती है, वहाँ ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व आकलन स्थगित कर दिया जाता है.

In case of fixed price and fixed time framed contracts, where there is no uncertainty as to measurement or collectivity of consideration, are recognized using percentages of completion method of value of the contract and completed service. When there is uncertainty to the measurement or ultimate collectivity, revenue recognition is postpone until such uncertainty is resolved.

v. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को वस्तु की प्रॉपर्टी के हस्तांतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है.

Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone.

vi. वार्षिक तकनीकी सेवाओं (एटीएस) से प्राप्त राजस्व को उस अवधि के अनुपात में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

Revenue from Annual Technical Services (ATS) are recognized proportionately over the period in which services are rendered.

vii. क्लाइंट प्रशिक्षण, सहायता और सॉफ़्टवेयर उत्पादों की बिक्री के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित सेवाओं के निष्पादन के रूप में मान्यता दी जाती है.

Revenue from client training, support and other services arising due to the sale of software products is recognised as the related services are performed.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

viii. अपूर्ण संविदाओं से अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, का प्रावधान उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वर्तमान अनुमान के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित होते हैं.
Provision for estimated losses, if any, from the incomplete contracts are recorded in the period in which such losses become probable based on the current estimate.

ix. पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में परिलक्षित होता है जिसमें परिवर्तन ज्ञात होता है. प्रनिष्पादित सेवाओं के अग्रिम में प्राप्त या बिल की गई राशि को अनर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल बिल न की गई सेवाएं संविदा की शर्तों के अनुसार बिलिंग से पहले की गई सेवाओं के आधार पर मानी जाती हैं. राजस्व को छूट/प्रोत्साहन घटाने के बाद रिपोर्ट किया जाता है.
The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.

x. कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित संविदाओं और वचनबद्ध सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.
Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.

xi. ब्याज आय को अनुपतिक आधार पर दर्शाया जाता है.
Interest Income is recognised on time proportion basis.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में :
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

i. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है.
The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis.

ii. यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष / वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.
Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination.

iii. जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है.
Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

iv. वर्ष के अंत में अशोध्य ऋण प्रावधान की गणना निम्नानुसार तब की जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि बकाया राशि की वसूली संदिग्ध है:
A bad debt provision is recognized at the year-end where it is ascertain that the outstanding dues are doubtful of recovery as under:

⇒ 18 माह से अधिक ऋणी: 75%
Debtors over 18 months - 75%

⇒ जहां वसूली की संभावना नगण्य हो वहाँ मामला-दर-मामला आधार पर अतिरिक्त प्रावधान: 100%
Additional provision on case to case basis where chances of recovery is negligible - 100%

V. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.
Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

ए. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में :
G. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

i. प्रीमियम आय:
Premium Income:

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर/ वस्तु एवं सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है. संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है. टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.
For non-linked business, premium (net of Service Tax / goods and services tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt. Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium. Top up premiums are considered as single premium. For linked business, premium is recognized as income when the associated units are allotted.

ii. संबद्ध निधि से आय:
Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

iii. निवेशों पर अर्जित आय:
Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है. बीमा पॉलिसियों पर ऋण से अर्जित ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है तथा इसे निवेशों पर ब्याज आय में शामिल किया जाता है. तयशुदा शेयरों के लिए लाभांश आय को पूर्व-लाभांश तिथि पर निर्धारित किया जाता है, तय न किए गए शेयरों के मामलों में, लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. वैकल्पिक निवेश फंडों से प्राप्त आय को उस समय निर्धारित किया जाता है जब आय फंड द्वारा वितरित की जाती है. संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होती है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.

Interest income on investments is recognized on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognized over the holding/maturity period on a straight-line basis. Interest income earned on loan against insurance policies is recognized on accrual basis and is included in interest income on investments. Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares the dividend is recognised when the right to receive dividend is established. Income from Alternative Investment Funds is recognized when the income is distributed by the fund. Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंडों तथा वैकल्पिक निवेश फंड की यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में ''उचित मूल्य परिवर्तन खाते'' के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए धारित

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है. अवमानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किसी आस्ति के संबंध में अर्जित आय को प्राप्ति की तिथि पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है. गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किसी आस्ति के संबंध में अर्जित आय को प्राप्ति की तारीख को आय के रूप में मान्यता दी जाती है.

Profit or Loss on sale of equity shares, mutual funds and alternative investment fund units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under “Fair Value Change Account”. Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale. Income in respect of any asset classified as Sub-Standard Assets is recognized as Income on the date of receipt. Income in respect of any asset classified as Non-Performing Asset is recognized as Income on the date of receipt.

(iv) शुल्क और प्रभार:
Fees and Charges:

आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावी राशि से प्रशासन तथा निधि प्रबंधन व्ययों की वसूली का हिसाब उपचित आधार पर किया जाता है.

Recovery towards administration and fund management expenses from the Unclaimed Amount of Policyholders in accordance with IRDAI regulations is accounted on accrual basis.

5 अग्रिम और प्रावधान: / Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों से घटाकर दिखाया जाता है. विदेशी शाखाओं के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान स्थानीय नियमों के अनुसार या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो भी अधिक विवेकपूर्ण हो, के अनुसार किए जाते हैं.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more prudent.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) पर अग्रिमों को विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को ‘मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत’ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. जहां ऐसी प्रतिभूति विनिर्दिष्ट/ सृजित नहीं है, अग्रीमो को ‘प्रतिभूति रहित’ रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को मूर्त आस्तियां नहीं माना जाता है.

Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated and created are classified as ‘Secured by Tangible Assets’. Where such security is not stipulated/created, advances are classified as ‘Unsecured’. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.

iii. बैंक पुनर्रचित खाते को एक ऐसा खाता मानता है, जहां बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें देता है, जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता. पुनर्रचना में आम तौर पर अग्रिम/ प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर अन्य के साथ-साथ, चुकौती अवधि / चुकौती राशि / किस्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होता है (प्रतिस्पर्धी कारणों के अलावा अन्य कारणों से). पुनर्गठन पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्रचित खातों को वर्गीकृत किया जाता है.

The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower’s financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of installments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package account.

iv. पुनर्संरचित/ पुन:निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि संबंधित ऋणों/ अग्रिमों के प्रावधान के अतिरिक्त, पुनर्रचना से पहले और बाद में ऋणों/ अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच अंतर प्राप्त कर लिया जाए. उचित

मूल्य में कमी का प्रावधान (डीएफवी) और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज हानि, यदि कोई हो, को अग्रिमों से घटा दिया जाता है.
For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value (DFV) and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.

v. एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अवमानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य'' शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं और शुद्ध एनपीए निर्धारित करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है.

In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

vi. बैंक चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों की अवमानक आस्तियों पर नियामक न्यूनतम प्रावधान से अधिक दरों पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी कर रहा है.
Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors.

vii. **देश संबंधी जोखिम के लिए प्रावधान:**
Provision for country Exposure :

आस्ति वर्गीकरण विवरण के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग स्वदेश के एक्सपोजर के लिए भी प्रावधान किए गए हैं (स्वदेश के अलावा). देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का कंट्री एक्सपोजर (नेट) कुल फंडेड आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य'' शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है.

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning is made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others".

viii. **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:**
Unhedged Foreign Currency Exposure:

बैंक त्रैमासिक आधार पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी और प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है जो बैंक की क्रेडिट नीति में शामिल है.

The Bank is keeping incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHFCE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down a process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy.

ix. **अस्थायी प्रावधान और प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर:**
Floating Provisions and Countercyclical Provisioning Buffer:

बैंक के पास अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर के सृजन और उपयोग के साथ-साथ अग्रिम, निवेश और सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग से अस्थायी प्रावधान करने की नीति है. अस्थाई प्रावधानों की मात्रा और सृजित किए जाने वाले प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर का आकलन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है. इन प्रावधानों का उपयोग केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से पॉलिसी में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है.
The Bank has a policy for creation and utilization of Countercyclical Provisioning Buffer in good times as well as for floating provisions separately for advances, investments, and general purposes. The quantum of floating provisions and Countercyclical Provisioning Buffer to be created is assessed at the end of the financial year. These provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

6 निवेश: / Investments:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :
A. In case of IDBI Bank Limited :

I. वर्गीकरण: / Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,
ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and
iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities
iii. शेयर / Shares
iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds
v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures
vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, वेंचर कैपिटल फंड, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Certificate of Deposits, Mutual Fund Units, Security Receipts, Venture capital funds, Pass through Certificate).

II. वर्गीकरण का आधार:/ Basis of Classification:

(i) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

(i) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

(ii) अल्पकालिक मूल्य/ ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर क्रय-विक्रय करने के इरादे से अर्जित निवेश को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी)' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा. एचएफटी के तहत वर्गीकृत निवेश 90 दिनों के भीतर बेचे जाएंगे.

(ii) Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements shall be classified under 'Held for Trading (HFT). The investments classified under HFT shall be sold within 90 days.

(iii) जिन निवेशों को उपर्युक्त श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में रखा जाता है.

(iii) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

(iv) किसी निवेश को क्रय करते समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय - विक्रय के लिए धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा आर बी आई के दिशा निर्देशों के अनुसार श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन किया जाता है .

(iv) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

(v) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यत: 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.

(v) Equity Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, they are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

III. **मूल्यांकनः / Valuation:**

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में: / In determining the acquisition cost of an investment:

(क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टांप ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

(a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

(ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

(b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

(ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. एचटीएम के अंतर्गत शामिल निवेशों के मूल्य में होने वाली अन्य कमी (अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा) के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाएगा.

Investments in 'Held To Maturity' category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Any diminution (other than temporary) in the value of the investments, which are included under HTM, shall be recognized and provided individually for each investment.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है. हालांकि, उन निवेशों के संबंध में जिन्हें 'अनर्जक' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या निवेश जो ऋण के पुनर्गठन/ रूपांतरण से प्राप्त किए जाते हैं, अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/ प्रावधान को मूल्यवृद्धि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है.

Investments in 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, In respect of investments which are classified as 'Non-Performing' or investments which are acquired out of restructuring/conversion of debt, the depreciation/provision is not set off against the appreciation in respect of other performing securities.

(क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.

(a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

(ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है.

(b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

(ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफ आई एम डी ए / फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है. दोनों उद्धृत और गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एफबीआईएल दरों पर विचार किया जाता है.

(c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL). For both quoted as well as unquoted securities valuation FBIL rates are considered.

(घ) गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर अर्थात्, इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जहां शेयर एक्सचेंजों पर उद्धृत नहीं हैं, का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाएगा ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) जिसका पता कंपनी की अद्यतित तुलन-पत्र से लगाया जाना है. जिस तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तारीख से पहले 18 महीने से अधिक नहीं होगी. यदि नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी 1 रुपये होगा.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(d) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, shall be valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest balance sheet is not available, the shares shall be valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.

(ङ) गैर-उद्धृत एमएफ इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा. लॉक-इन अवधि या किसी अन्य निधि के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, इकाइयों का मूल्यांकन योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लॉक-इन अवधि के अंत तक इनका मूल्यन लागत पर किया जाएगा.

(e) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.

(च) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए)/एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

(f) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

(छ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

(g) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments subject to floor provision requirements as prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

(ज) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.

(h) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

(झ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता पर धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है.

(i) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held To Maturity and cost.

(ञ) गैर-उद्धृत वेंचर कैपिटल निधि (वीसीएफ) में निवेश, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत, बैंक के विवेक पर वर्गीकृत किया गया है और इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित किया गया है. इस तरह के निवेशों को संवितरण की तारीख से तीन साल की उक्त अवधि के पूरा होने के बाद एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वीसीएफ द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिखाए गए एनएवी पर मूल्यांकित किया जाता है. वर्ष में कम से कम एक बार, यूनिटों का मूल्यांकन वीसीएफ के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर किया जाता है, यदि उपलब्ध हो या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति वीसीएफ 1 रु. पर किया जाता है.

(j) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF) are categorized, at the discretion of the Bank, under HTM category for an initial period of three years and valued at cost during this period, in accordance with the RBI guidelines. Such investments are transferred to the AFS category after completion of the said period of three years from the date of disbursement and valued at NAV shown by the VCF in its financial statements. At least once a year, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF if available or at Re 1 per VCF as per the RBI guidelines.

(ट) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एएफएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर उचित कीमत-लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है. इस प्रकार के कीमत-लागत अंतर तथा वाईटीएम दरें स्थिर आय मुद्रा बाजार तथा 'निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के आधार पर लागू की जाती हैं.

(k) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and transfer to statutory reserves to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account. Investments are stated net of provisions.

अनर्जक निवेश: / Non-Performing Investments:

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किए जाते हैं. ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के विरुद्ध समायोजित नहीं किए जाते हैं. अनर्जक निवेश पर ब्याज प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में दर्शाया नहीं जाता है.

Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on nonperforming investments is not recognised in the Profit and Loss Account until received.

IV. **रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन: / Repo and reverse repo transactions**

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमश: ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि के रिवर्स रेपो को अग्रिम के तहत वर्गीकृत किया जाएगा.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income. Reverse repo of original tenure more than 14 days shall be classified under Advances.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में :
B. In case of IDBI Asset Management Limited :

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है. बांड की खरीद के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम को बांड की अवधि के दौरान परिशोधित नहीं किया जाता है और इसे खरीद की लागत के रूप में माना जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.premium paid during purchase of bonds is not amortized during the tenure of bond and same is considered as cost of purchase.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में :
C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है.

All investments which are held, since a long period, same are classified as Non-Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognized, if considered other than temporary.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में :
D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited :

(i) निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

(i) Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

(ii) अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.

(ii) Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

(iii) विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.

(iii) Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

(iv) निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है .

(iv) Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

उ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में :
E. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

i. बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938,आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं और कंपनी की निवेश नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938 as amended by Insurance Law (Amendment) Act, 2015, the IRDAI (Investment) Regulations, 2016, and various other circulars / notifications and amendments issued by the IRDA in this context from time to time and investment policy of the company and in accordance with accounting standards notified under the Companies Act, 2013.

ii. निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

वर्गीकरण: / Classification:

i. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as short term investments.

ii. अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

(क) मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश

(a) Valuation - shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

i. सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शायी जाती हैं जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन हैं.

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' – प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या उसमें क्रय-विक्रय सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' – द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value.

iii. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन-पत्र की तारीख को संबंधित निधि गृहों द्वारा पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है.

Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values declared by the respective fund houses.

iv. तुलन-पत्र की तारीख की वैकल्पिक निधि यूनिटों की मूल्यांकन निधि हाउस में उपलब्ध अंतिम एनएवी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

Alternative investment fund units as at the balance sheet date are valued at last NAV available from the fund house.

v. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

vi. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/ हानि को ''उचित मूल्य परिवर्तन खाते'' में लिया जाता है और तुलन-पत्र में आगे ले जाया जाता है.

Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vii. किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.

Any impairment loss is recognized as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognized impairment loss is recognized in Revenue or Profit and Loss Account.

(ख) मूल्यांकन - संवद्ध कारोबार
(b) Valuation - linked business

i. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर बांडों के लिए जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.

Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

ii. मुद्रा बाजार लिखतों अर्थात् – जमा प्रमाणपत्र, संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे – वाणिज्यिक पत्रों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एफआईएमएमडीए से प्राप्त प्रतिफल वक्र मूल्यों पर किया जाता है.

Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued based on yield curve / prices obtained from FIMMDA in line with IRDAI guidelines.

iii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' पर उद्धत अंतिम भाव होता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो सेकेन्डरी एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' पर उद्धत बंद भाव को उचित मूल्य माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iv. निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.

Unrealized gains/losses on investments are recognized in the respective fund's Revenue Account.

(ग) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान:
(c) Provision for Non-Performing Assets

सभी आस्तियां जहां ब्याज और/या मूल चुकौती की किस्त तुलन-पत्र की तारीख में 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय रहती है, उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और आईआरडीएआई विनियमों द्वारा अपेक्षित तरीके से पर्याप्त प्रावधान किए जाते हैं.

All assets where the interest and/or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as non-performing assets and adequate provisions are made, in the manner required by the IRDAI regulations.

(घ) निवेशों का अंतरण:

(d) Transfer of investments

i. शेयरधारकों के फंड से पॉलिसीधारकों के फंड में निवेश के अंतरण की अनुमति केवल पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए दी जाती है, जिसे वहन लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाना है; ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, सभी अंतरण बाजार मूल्य और शुद्ध परिशोधन लागत के निचले स्तर पर किए जाने हैं.

Transfer of investment from shareholders' fund to Policyholders' fund is allowed only to meet deficit in Policyholders' account, which is to be carried out at carrying cost or market price whichever is lower; In case of Debt securities, all transfers are to be carried out at the lower of the market price and the net amortized cost.

ii. असंबद्ध व्यवसाय के तहत पॉलिसीधारकों के निधियों के बीच निवेश के अंतर-निधि अंतरण की अनुमति नहीं है.

Inter-fund transfer of investments is not allowed between policyholders funds under non-linked business.

iii. संबद्ध निधियों के बीच निवेश का अंतर निधि अंतरण बाजार मूल्य पर, बाजार समय के दौरान निम्नानुसार किया जाता है.

Inter fund transfer of investment between linked funds is done at market price, during market hours as below

क) इक्विटी, वरीयता शेयर, ईटीएफ और सरकारी प्रतिभूतियो के मामले में नवीनतम सौदे का बाजार मूल्य.

a) In case of equity, preference shares, ETFs and Government Securities market price of the latest trade.

ख) (क) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के मामले में यदि अंतरण के दिन व्यापार नहीं हुआ है और अन्य सभी प्रतिभूतियों के लिए (क) पिछले दिन मूल्यांकन मूल्य का हिस्सा नहीं है.

b) In case of securities mentioned in (a) if the trade has not taken place on the day of transfer and for all other securities not part of (a) previous day valuation price.

ऊ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में :

F. In case of IDBI MF Trustee Company Limited:

निवेश: / Investments:

निवेश को गैर-तात्कालिक और तात्कालिक निवेश में वर्गीकृत किया गया है. लाभांश और ब्याज के रूप में आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजी मूल्यवृद्धि के प्रयोजन के लिए अर्जित और धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को गैर-तात्कालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अधिग्रहण की उनकी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अस्थायी के अलावा उनके मूल्य में गिरावट, यदि कोई हो, को चिन्हित किया जाता है. वर्तमान निवेश लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है.

Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest: and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments arc carried at lower of cost or market value.

7 डेरिवेटिव लेन-देन: / Derivative Transactions:

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में :

In Transactions designated as `Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

b) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुन: अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग के लिए' नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप,परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में,
In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited :

(क) वायदा सौदों एवं विकल्प संविदा में लेन-देन
(a) Transactions in Futures and Options

i. भावी संविदा करने / विकल्पों की बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन को सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के साथ जमा के साथ समायोजित किया जाता है.

Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. भावी संविदा में लेन-देन को संविदा के कल्पित व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में माना जाता है. तुलन पत्र की तिथि के अनुसार फ्यूचर्स में अस्थिर ब्याज को इसके कल्पित मूल्य से घटाया जाता है.

Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

iii. पिछले दिन के निपटान मूल्य या एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य और बाद के दिन के एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य में एक्सचेंज को किए गए या प्राप्त भुगतान अंतर को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में शेष, तुलन पत्र की तारीख तक भावी संविदा में अस्थिर ब्याज की कीमतों में बदलाव के आधार पर भुगतान या प्राप्त की गई निवल राशि को दर्शाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में निवल नामे शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाता है जबकि निवल जमा शेष को चालू देनदारियों के तहत दिखाया जाता है.

The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

iv. विकल्पों की खरीद और बिक्री पर भुगतान या प्राप्त प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में गिना जाता है. तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए विकल्पों में खुले ब्याज के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है. तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है. इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक हो जाता है और भुगतान किए गए प्रीमियम पर तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है.विभिन्न खुली स्थितियों के मामले में, खरीद और बिक्री की स्थिति में शेष राशि को घटाने के बाद प्रावधान किया जाता है या अतिरिक्त प्रीमियम को उपेक्षित कर दिया जाता है.

Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognised. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

(ख) ब्याज दर स्वैप

(b) Interest Rate Swaps :

आस्ति और देयताओं में प्राथमिक डीलरशिप संचालन से संबंधित बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित मूल राशि को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि संविदा की शर्तों के अनुसार नियत तारीखों पर की जाती है.

Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

8 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रमाण पत्र: / Priority Sector Lending Certificates:

बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की बिक्री या खरीद के लिए लेनदेन करता है. बिक्री लेनदेन के मामले में, बैंक आरबीआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्वों की पूर्ति बेचता है और खरीद लेनदेन के मामले में बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्व की पूर्ति खरीदता है. जोखिम या ऋण संपत्ति का कोई अंतरण नहीं है. पीएसएलसी की बिक्री के लिए प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्ज किया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क लाभ और हानि खाते में अन्य व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है. इन्हें प्रमाणपत्र की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

9 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास: / Fixed Assets and Depreciation:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Bank Limited:

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर निर्दिष्ट किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में दर्शाया जाता है.

Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. लीज होल्ड परिसर में सुधार को लीज की शेष प्राथमिक अवधि में प्रभारित किया जाता है.

Improvements to lease hold premises are charged off over the remaining primary period of lease..

iii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iv. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.

The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

v. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.

Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

vi. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.

In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vii. ₹5000/- से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णत: मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

viii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग इ में उपबंधित अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.

Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

ix. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.

x. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल(वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर और फिक्सचर्स a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

xi. अचल लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है. लीजहोल्ड सुधारों को उसी परिसंपत्ति श्रेणी में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.

xii. ₹2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है.

Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में :

B. In case of IDBI Asset Management Limited :

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यह्रास और ह्रास, यदि कोई है तो, को घटाकर अर्जन/स्थापना लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल है. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से/की भविष्य में भावी लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि करता है. मौजूदा अचल आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्ज़ों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.

Property, plant and equipment are stated at cost of acquisition / installation and less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises purchase price, borrowing costs if capitalisation criteria are met and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred.

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी **Description**	उपयोगी जीवन (वर्षों में) **Useful life (in years)**	मूल्यह्रास की दर (%) अवशिष्ट मूल्य को छोडकर **Percentage of depreciation excluding salvage value (%)**
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	10.00	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	5.00	19.00
कंप्यूटर हार्डवेयर / Computer Hardware	3.00	33.33
संचार उपकरण Communication Equipments	3.00	33.33

iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णत: मूल्यह्रासित किया जाता है.

Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

v. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, सॉफ्टवेयर के अलावा, व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000/- या उससे कम लागत की खरीद / अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

Property, plant and equipment, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :
C. In case of IDBI Intech Limited :

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनकी संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत को दर्शाया जाता है. लागत में लक्षित प्रयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्ति के अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं.

Property, Plant and Equipment's are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation / amortisation and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring them to working conditions for intended use.

ii. जिन अचल संपत्तियों की लागत रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उन्हें पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में दिखाया जाता है.

The cost of the fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date are shown as capital work-in progress.

iii. अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास और परिशोधन अधिनियम की अनुसूची II की विशेषज्ञ तकनीकी सलाह / शर्तों के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी-रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है. व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000/- से कम लागत वाली संपत्तियों को जोड़ने के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है. एक अवधि के दौरान खरीदी/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से वसूला जाता है.

Depreciation and amortisation on fixed assets is provided on straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as determined by the management based on the expert technical advice/stipulations of schedule II to the Act. Assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition. Depreciation on assets purchased / disposed of during a period is proportionately charged.

iv. निर्माण और स्थापना पूर्ण होने तक और परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने तक मूल्यह्रास को पूंजीगत कार्य-प्रगति पर दर्ज नहीं किया जाता है.

Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.

v. मूल्यह्रास या परिशोधन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में आवधिक रूप से की जाती है.

Depreciation or amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically at each year end.

आस्ति वर्ग Asset class	अनुमानित उपयोगी जीवन Estimated Useful life
कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण / Computers & accessories	
सर्वर एवं नेटवर्क / Servers & networks	6 वर्ष / 6 years
डेस्कटॉप एवं लैपटॉप / Desktops & laptops	3 वर्ष / 3 years
कार्यालय के उपकरण / Office equipment's	
मोबाइल हैंडसेट / Mobile handsets	3 वर्ष / 3 years
अन्य उपकरण / Other equipments	5 वर्ष / 5 years
बिजली उपकरण / Power equipments	10 वर्ष / 10 years
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10 वर्ष / 10 years
मोटर कार / Motor car	8 वर्ष / 8 years
विद्युत संस्थापनाएँ / Electrical installations	10 वर्ष / 10 years
अमूर्त आस्तियां / Intangible assets	5 वर्ष / 5 years

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में :
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹5000/- से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में :
E. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited :

i. संपत्ति की मदें, संयंत्र और उपकरण की पहचान आरंभ में लागत पर की जाती है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा हानि को घटाकर मूल लागत पर की जाती है. संपत्ति की मदों, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची छ में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके आकलित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्य ह्रासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है.

Items of property, plant and equipment are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

आस्ति वर्ग Asset class	अनुमानित उपयोगी जीवन काल Estimated Useful life
भवन / Buildings	60 वर्ष / 60 years
कम्प्यूटर / Computers	3 वर्ष / 3 years
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture and fixtures	10 वर्ष / 10 years
कार्यालय उपकरण / Office Equipments	5 वर्ष / 5 years
वाहन / Vehicles	5 वर्ष / 5 years

ii. सभी सभी मूर्त आस्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में ₹ 5,000/- से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न आ रही आस्तियों को पूर्णत: मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000/- in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी एकल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो, को खरीदी/ अधिग्रहण वर्ष में पूर्णत: मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

Property, Plant and Equipment, individually costing ₹ 5000/- or less are fully depreciated in the year of purchase/acquisition.

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट और अनुमानित उपयोगी जीवन काल की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है. किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन होने पर लाभ या हानि में दर्शाया जाता है.

The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognized in profit or loss when the changes arise.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. आईडीबीआई फ़ेडरल लाइफ इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड के मामले में :
F. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है .लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत कोई भी लागत शामिल हैं. मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है :

Property, Plant & Equipment is stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset in the manner specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, as stated below:

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
भवन / Buildings	60 वर्ष / 60 years
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold improvements	3 वर्ष / 3 years
संचार नेटवर्क व सर्वर Communication networks and servers	6 वर्ष / 6 years
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण Computers and peripheral equipment's	3 वर्ष / 3 years
कार्यालय उपकरण / Office Equipments	5 वर्ष / 5 years
फर्नीचर एवं फिटिंग / Furniture and fittings	10 वर्ष / 10 years
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8 वर्ष / 8 years
बिजली स्थापन व उपकरण Electrical Installations and Equipment's	10 वर्ष / 10 years

ए. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में :
G. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited :

i. **स्वामित्व वाली आस्ति: / Owned Asset:**

स्वयं के उपयोग के लिए ली गई आस्ति पर उनके संचित मूल्यह्रास और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल लागत को दर्शाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में क्रय मूल्य, शुल्क, कर और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है.

Assets held for own uses are stated at original cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost of Property, plant and equipment comprises Purchase price, duties, levies and any directly attributable costs of bringing the assets to its working condition of the intended use.

आस्ति हेतु मूल्यह्रास राशि आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, आकलित अवशिष्ट मूल्य घटाकर है.

Depreciable amount for asset is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अनुमानित उपयोगी जीवनकाल जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुरूप है और मूल्यह्रास की पद्धति निम्नानुसार उल्लिखित की गई है:

The estimated useful life of Property, plant and equipment which except as stated hereunder is in line with schedule II to the Companies Act 2013 and the method of depreciation is set out here in below:

मोबाइल फोन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 5 साल का उपयोगी जीवन निर्धारित है, जबकि कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से प्राप्त तकनीकी सलाह के आधार पर इसे 3 साल की अवधि के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है.

For mobile phone the useful life is prescribed of 5 years under Companies Act, 2013, whereas it is depreciated for a period of 3 years based on the technical advice internally obtained by the company

आस्ति Assets	उपयोगी जीवनकाल Useful Life	मूल्यह्रास की पद्धति Method of Depreciation
संयंत्र एवं उपकरण Plant & Equipment's	15 वर्ष 15 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
फर्नीचर एवं फिक्सचर Furniture & Fittings	10 वर्ष 10 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
विद्युत उपकरण Electrical Equipment's	10 वर्ष 10 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
वाहन Vehicles	8 वर्ष 8 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
कार्यालय उपकरण Office Equipment's	5 वर्ष 5 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
कम्प्यूटर Computers	3 वर्ष 3 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method
मोबाइल फोन Mobile Phones	3 वर्ष 3 Years	सीधी रेखा पद्धति Straight Line Method

10 प्रतिभूतीकरण लेन-देन:
Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं . प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णत: अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:
Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) के भुनाई मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य में से निम्नतर आधार पर की जाती है.

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

पूरी तरह से प्रावधान की गई आस्तियों अर्थात् संदिग्ध आस्तियों की बिक्री और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में एक रुपए के रूप में गणना की जाती है.

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य धारित प्रावधान हटाकर) से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में डेबिट किया जाता है. बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी भी कमी अर्थात् जब बिक्री एनबीवी से कम हो, को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति से प्रतिचक्रीय प्रावधानों का भी प्रयोग करता है.

In case the sale value is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year. The Bank also uses, with permission of RBI, countercyclical provision for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक होता हैं तो अतिरिक्त प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है. तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है.

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

12 विदेशी मुद्रा लेन-देन: / Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:

A. In case of IDBI Bank Limited:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं के समय से पहले समाप्त होने पर होने वाले लाभ/ हानि, बिना परिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है.

Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों की देनदारियों को बैलेंस शीट की तारीख में फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है, आय और व्यय मदों का त्रैमासिक औसत दरों पर रूपांतरित किया जाता है और विनिमय अंतरों के परिणामस्वरुपं उत्पन्न लाभ / हानि से उत्पन्न होता है. विनिमय अंतर को विदेशी मुद्रा विनिमय खाते में तब तक जमा किया जाता है जब तक कि एएस-11, विदेशी मुद्रा दरों में रूपांतरण के प्रभाव और आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों का निपटान नहीं किया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as `Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations in accordance with AS-11, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates and the extant RBI guidelines*.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में:
B. In case of IDBI Asset Management Limited :

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

इ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में :
C. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया किया जाता है .विदेशी मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, यदि कोई हों, का रूपान्तरण वर्ष के अंत में समाप्त दर पर किया जाता है. निपटान/रूपान्तरण पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे, जैसा लागू हो, में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में :
D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited :

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाते है. वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को सम्बद्ध वर्ष के दौरान आय या व्यय के रुप में हिसाब में लिया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :
E. In case of IDBI Intech Limited :

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार, संव्यवहार के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किए जाते हैं. विदेशी मुद्रा संव्यवहार के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुएं तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुन:स्थापित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting net exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता को कम करने की दृष्टि से, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं निष्पादित करती है. वायदा विनिमय संविदाओं और अन्य समान लिखत जो पूर्वानुमानित लेनदेन के संबंध में नहीं हैं, उन्हें लेखांकन मानक ('एएस') 11 यथा 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' में के दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है. इन वायदा विनिमय संविदाओं और एएस-11 द्वारा कवर किए गए अन्य समान लिखतों के संबंध में संविदा की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर या तो संविदाओं को रिपोर्टिंग तिथि पर अग्रिम दर/उचित मूल्य के आधार पर दर्ज किया जाता है, या रिपोर्टिंग तिथि पर स्पॉट विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया जाता है.

With a view to minimize the volatility arising from fluctuations in currency rates, the Company enters into foreign exchange forward contracts. Forward exchange contracts and other similar instruments that are not in respect of forecasted transactions are accounted for using the guidance in Accounting Standard ('AS') 11, 'The effects of changes in foreign exchange rates'. For such forward exchange contracts and other similar instruments covered by AS-11, based on the nature and purpose of the contract, either the contracts are recorded based on the forward rate/fair value at the reporting date, or based on the spot exchange rate on the reporting date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में :
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुन: दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

ए. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में :
G. In case of IDBI MF Trustee Company Limited :

विदेशी मुद्रा लेनदेन: / Foreign currency transactions:

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन का हिसाब लेन-देन की तारीख को विनिमय की प्रचलित दरों पर किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में अंकित सभी मौद्रिक मदों को वर्षांत की तिथि के अनुसार विनिमय की प्रचलित दरों पर पुनर्कथित किया जाता है.निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are accounted for at the prevailing rates of exchange on the date of the transaction. Foreign currency monetary items are restated at the prevailing rates of exchange as at the Balance sheet date. All gains and losses arising out of fluctuations in exchange rates are accounted for in the statement of Profit and Loss.

13 कर्मचारी लाभ: / Employee Benefits:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Bank Limited:

पेंशन: / Pension:

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% योगदान देता है. बैंक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता / परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है जिसमें वे होते हैं.

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

नई पेंशन योजना (एनपीएस): / New Pension Scheme (NPS):

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित योगदान योजना में कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देता है,जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है. बैंक के पास इसके योगदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के योगदान को वर्ष में किए गए खर्च के रूप में मान्यता देता है.

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes a certain percentage of the Salary of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other that its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year incurred.

छुट्टी नकदीकरण: / Leave Encashment:

बैंक की एक निश्चित शेष दिनों तक बैंक से बाहर निकलने के बाद सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य छुट्टी/ विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की नीति है. बैंक इस तरह के छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर उस तारीख को छुट्टी शेष के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान करता है. इस तरह की देनदारी की गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है.

The Bank has a policy of encashment of Ordinary Leave/ Privileged Leave for all employees after their exit from the Bank upto a certain balance number of days. The Bank provides for such leave encashment based on an independent actuarial valuation at each Balance Sheet date for the leave balances as on that date. Such liability is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate.

स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस): / Voluntary Health Scheme (VHS):

यह योजना बैंक की स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों (जैसा लागू हो) की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है. यह योजना वैकल्पिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए अतिरिक्त राशि के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना अवधि के लिए फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने सदस्यता ली है.

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

ग्रेच्युटी: / Gratuity:

ग्रेच्युटी के प्रति बैंक का दायित्व है. यह एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर शामिल किया गया है. बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में योगदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है. जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है. ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धति है. ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है.

The bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees. The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and have a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता / परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है जिसमें वे होते हैं.
Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

भविष्य निधि: / Provident Fund:

बैंक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत कवर है. पात्र कर्मचारियों के अनिवार्य योगदान एवं बैंक के योगदान (पीएफ का विकल्प चुनने वालों के लिए से कोष बना है. अगस्त 2018 से आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि कोष का प्रबन्धन आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसका गठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी के हितों के लिए किया गया है. यह ट्रस्ट जरूरी एवं आकस्मिक कार्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा.

The Bank is covered under the Employee Provident Fund Act, 1925. The corpus is built from the mandatory contribution from eligible employees and further contribution from the Bank (for PF optees) Since August 2018 the corpus of IDBI Bank Employee Provident Fund is managed by a trust viz., IDBI Bank Employees Provident Fund Trust formed under the provisions of Indian Trust Act, 1882 for the benefit of employees of IDBI Bank Ltd., who subscribed to IDBI Bank Employees Provident Fund and the said trust shall carry out all such activities necessary and incidental for the attainment thereto

i. परिभाषित अंशदान योजनाओं का भुगतान उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में किया जाता, है जब अंशदान देय होता है.
   Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:
B. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

परिभाषित योगदान योजनाएं: / Defined contribution plans:

कंपनी के पास भारत में भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित योगदान योजनाएं हैं जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित हैं. उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में योगदान को प्रभारित किया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान देय होता है.

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

परिभाषित लाभ योजनाएं: / Defined benefit plans:

i. **ग्रेच्युटी: / Gratuity:**

कंपनी के पास भारत में अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित लाभ योजनाएं हैं. कंपनी की ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित है. परिभाषित लाभ योजनाएं देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को प्रदान की जाती हैं, जैसा कि स्वतंत्र बीमांकक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति अनुमानित इकाई ऋण पद्धति हैं. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है.

The Company has defined benefit plans for post-employment benefits in the form of gratuity for its employees in India. The gratuity scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). Liability for defined benefit plans is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

ii. **अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति : / Compensated absences:**

कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के रूप में अन्य दीर्घकालिक लाभ के भी हकदार हैं. कंपनी की नीति के अनुसार ऊपरी सीमा से अधिक के छुट्टी शेष के लिए वार्षिक आधार पर कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण दिया जाता है. सेवानिवृत्ति के समय, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण कंपनी की नीति के अनुसार एक ऊपरी सीमा के अधीन संचित छुट्टी शेष के दिनों की संख्या के लिए देय वेतन के बराबर निहित है. इस तरह के लाभ के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण यथा तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना को जीवन बीमा कंपनी (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति अनुमानित इकाई ऋण पद्धति है. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है.

The employees of the Company are also entitled for other long-term benefit in the form of compensated absences as per the policy of the Company. Leave encashment vests to employees on an annual basis for leave balance above the upper limit as per the Company's policy. At the time of retirement, death while in employment or on termination of employment leave encashment vests equivalent to salary payable for number of days of accumulated leave balance subject to an upper limit as per the Company's policy. Liability for such benefit is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The leave encashment scheme of the company is administered through Life Insurance Company (LIC). The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

iii. **अल्पकालिक कर्मचारी दायित्व: / Short Term Employee Obligations:**

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.
Short-term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit & loss of the year in which the employee rendered the services.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में:
C. In case of IDBI Intech Limited :

(क) रोजगार के बाद के लाभ:

(a) Post-employment benefits :

कंपनी विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं में भाग लेती है. पेंशन और अन्य रोजगार के बाद के लाभों को परिभाषित योगदान योजनाओं या परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

The Company participates in various employee benefit plans. Pensions and other post-employment benefits are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans.

परिभाषित योगदान योजना के तहत, कंपनी का एकमात्र दायित्व निश्चित राशि का भुगतान करना है तथा यदि फंड में सभी कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो आगे योगदान का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है. संबंधित बीमांकिक और निवेश जोखिम कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं. परिभाषित योगदान योजनाओं के व्यय को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

Under a defined contribution plan, the Company's only obligation is to pay a fixed amount with no obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employee benefits. The related actuarial and investment risks are borne by the employee. The expenditure for defined contribution plans is recognized as an expense during the period when the employee provides service.

परिभाषित लाभ योजना के तहत, कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करना कंपनी का दायित्व है. संबंधित बीमांकिक और निवेश जोखिम कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य की गणना स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है. बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में पूर्ण रूप से पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं.
Under a defined benefit plan, it is the Company's obligation to provide agreed benefits to the employees. The related actuarial and investment risks are borne by the Company. The present value of the defined benefit obligations is calculated by an independent actuary using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Statement of Profit and Loss for the period in which they occur.

पिछली सेवा लागत को तुरंत उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ पहले से ही निहित हैं, और अन्यथा एक सीधी रेखा के आधार पर औसत अवधि में परिशोधन किया जाता है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते.

Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight line basis over the average period until the benefits become vested.

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ देयता वस्तुत: परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है तथा इसे योजना की संपत्ति के उचित मूल्य से घटा कर गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत से समायोजित किया जाता है. इस गणना के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी संपत्ति परिभाषित लाभ देयता के रूप में निर्धारित राशि के न्यूनतम अंश और उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य और / या योजना में भविष्य के योगदान में कमी तक सीमित है.

The retirement benefit liability recognized in the balance sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to the lower of the amount determined as the defined benefit liability and the present value of available refunds and /or reduction in future contributions to the scheme.

(ख) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

(b) Short term employee benefits:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी उन सेवाओं को प्रदान करता है. इन लाभों में क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति जैसे कि एक वर्ष के भीतर मिलने वाली छुट्टी और देय बोनस शामिल हैं. अल्पकालिक नकद बोनस या लाभ-साझाकरण योजनाओं के तहत भुगतान की जाने वाली

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अपेक्षित राशि के लिए एक देयता को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, जब यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा और दायित्व के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या सुनिर्मित दायित्व हो तथा इस दायित्व का विश्वसनीयतापूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है.

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized as an expense during the year when the employee renders those services. These benefits include compensated absences such as leave expected to be availed within a year and bonus payable. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans, if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

(ग) लाभ योजनाएं:

(c) Benefit plans:

कंपनी की निम्नलिखित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं: / The Company has the following employee benefit plans:

i. भविष्य निधि: / Provident fund:

कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है. नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं. अंशदान का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ('ईपीएफ़ओ') को दिया जाता है और शेष अंशदान सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन कोष में किया जाता है.

Employees receive benefits from a provident fund, which is a defined benefit plan. The employer and employees each make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. A portion of the contribution is made to the Employees' Provident Fund Organisation ('EPFO') and the remainder of the contribution is made to the government administered pension fund.

ii. ग्रेच्युटी: / Gratuity:

भारतीय कंपनियों के लिए लागू ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, कंपनी अंतिम आहरित वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करती है. ग्रेच्युटी फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम ('एलआईसी') द्वारा किया जाता है.

In accordance with the Payment of Gratuity Act, 1972, applicable for Indian companies, the Company provides for a lump sum payment to eligible employees, at retirement or termination of employment based on the last drawn salary and years of employment with the Company. The gratuity fund is managed by Life Insurance Corporation of India ('LIC').

iii. अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति : / Compensated absences:

कंपनी के कर्मचारी क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अवधि में इसका उपयोग कर सकते हैं या सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते हैं. कंपनी उस अवधि में क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करता है. कंपनी क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति की अपेक्षित लागत को अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की अपेक्षा करती है. कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को हिसाब में लेती है. गैर-संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है. कंपनी एलआईसी द्वारा प्रशासित समूह छुट्टी नकदीकरण योजना (जीएलईएस) में वार्षिक योगदान करती है.

The employees of the Company are entitled to compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accumulating compensated absences and utilize it in future periods or receive cash at retirement or termination of employment. The Company records an obligation for compensated absences in the period in which the employee renders the services that increases this entitlement. The Company measures the expected cost of compensated absences as the additional amount that the Company expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the end of the reporting period. The Company recognizes accumulated compensated absences based on actuarial valuation using the projected unit credit method. Non-accumulating compensated absences are recognized in the period in which the absences occur. The Company makes annual contribution to the Group Leave Encashment Scheme (GLES), administered by LIC.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:
D. In case of IDBI Asset Management Limited :

कर्मचारी लाभ: / Employee benefits:

i. **ग्रेच्युटी : / Gratuity:**

ग्रेच्युटी देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित और प्रबंधित ग्रेच्युटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है. कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के ग्रेच्युटी लाभों के लिए देयता के लिए जिम्मेदार है.

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

ii. **भविष्य निधि : / Provident fund:**

कंपनी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान करती है. अंशदानों की गणना उपचय आधार पर की जाती है और उन्हें लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है.

The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the statement of profit and loss.

iii. **अल्पकालिक कर्मचारी लाभ: / Short term employee benefits:**

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

Short term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit and loss of the year in which the services are rendered.

iv. **अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति : / Compensated absences:**

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेषाधिकार छुट्टी नकदीकरण प्रदान करती है. कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण के साथ-साथ लाभ के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टी जमा करने के हकदार हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर देयता प्रदान की जाती है.

The Company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में:
E. In case of IDBI Trusteeship Service Limited :

रोजगार की शर्तों के अनुसार वर्तमान और पिछली सेवाओं के लिए देय कर्मचारी लाभ, लघु और दीर्घकालिक दोनों, देयताओं को "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)" द्वारा जारी किए लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार रेकॉर्ड किया जाता है.

Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".

परिभाषित योगदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes:

i. **भविष्य निधि / Provident fund:**

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई योजनाओं के तहत पंजीकृत है. तद्नुसार, कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी प्राधिकारियों को स्थापित निधियों/ योजनाओं में कर्मचारियों के न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकारियों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय अंशदान लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. **ग्रेच्युटी / Gratuity:**

कंपनी वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर "द ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना" के रूप में जानी जाने वाली ग्रेच्युटी प्रदान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम योगदान का भुगतान करना आवश्यक है. वर्ष के लिए इस प्रकार भुगतान/देय प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.
The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Ltd Employee's Group Gratuity Scheme" based on annual actuarial valuation as on year end. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

iii. **छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment:**

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.
Annual Leave encashment is accounted on based on annual actuarial valuation as on year end as per Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

उ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में:
F. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

कर्मचारी लाभ / Employee benefits:

ग्रेच्युटी के प्रति देयता को परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाता है और तुलन पत्र की तिथि पर "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड" पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर गणना की जाती है. बीमांकिक धारणाओं/ अनुभव समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ या हानि को राजस्व खाते और लाभ या हानि खाते में उस अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है जिसमें वे उभरे हैं.
Liability towards Gratuity is considered as the defined benefit plan and is recognized on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date. Gain or loss arising from change in actuarial assumptions/experience adjustments is recognised in the revenue account and profit or loss account for the period in which they emerge.

अर्जित छुट्टी जो भुनाई जा सकती है उसे दीर्घकालिक लाभ माना जाता है और तुलन पत्र की तारीख में "प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड" पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है.
Earned Leave which is encashable is considered as long term benefit and is provided on the basis of independent actuarial valuation on "Project Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

बीमारी छुट्टी को संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के रूप में माना जाता है जो गैर-निहित हैं और तुलन पत्र तिथि पर "प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि" पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है.
Sick Leave is considered as accumulating compensated absences which are non-vesting and is provided on the basis of independent actuarial valuation on "Project Unit Credit Method" at Balance Sheet date .

सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह सावधि बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण कोष में योगदान के रूप में लाभ को परिभाषित योगदान योजना के रूप में माना जाता है और उस अवधि के लिए भुगतान या देय राशि के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है जिसके दौरान सेवाएं कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं.
The benefit in the form of contribution to the Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund are considered as the defined contribution plans and are recognized on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

सेवा प्रदान करने से बारह महीने के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ माना जाता है. वेतन, बोनस और अन्य गैर-मौद्रिक लाभों जैसे लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है. सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों का हिसाब बिना छूट के आधार पर किया जाता है.
All employee benefits payable within twelve months from rendering the service are considered as short-term employee benefits. Benefits such as salaries, bonuses and other non-monetary benefits are recognised in the period in which the employee renders the related services. All short-term employee benefits are accounted for on undiscounted basis.

14 खंड रिपोर्टिंग: / Segment Reporting:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :
A. In case of IDBI Bank Limited :

बैंक तीन खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण आरबीआई के दिशा-निर्देशों तथा एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.
The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया जाता है.
Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

आ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में :
B. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी “खंड रिपोर्टिंग” पर एएस-17 के साथ पठित आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमावली 2002 (‘विनियमावली’) के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर, कंपनी ने शेयरधारक और पॉलिसीधारक - भाग लेने वाले (जीवन), गैर-भागीदारी (जीवन, पेंशन, स्वास्थ्य, वार्षिकी और समूह), परिवर्तनीय गैर-संबद्ध (पेंशन और समूह) और संबद्ध (जीवन, पेंशन और समूह) व्यवसायों में खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है.
Based on the primary segments identified under IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditors’ Report of Insurance Companies) Regulations 2002 (‘the Regulations’) read with AS-17 on “Segment Reporting” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Company has classified and disclosed segmental information into Shareholder & Policyholder – Participating (Life), Non Participating (Life, Pension, Health, Annuity & Group), Variable Non-Linked (Pension & Group) and Linked (Life, Pension & Group) businesses.

कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं, क्योंकि कंपनी के व्यवसाय संचालन को भारत में लागू किया जाता है और सभी नीतियां केवल भारत में लिखी जाती हैं.
There are no reportable geographical segments, since the business operations of the Company are given effect to in India and all the policies are written in India only.

आबंटन पद्धति: / Allocation methodology:

राजस्व और व्यय, संपत्ति और देनदारियां जो सीधे संबंधित खंडों के लिए जिम्मेदार और पहचान योग्य हैं, सीधे संबंधित खंड में आबंटित की जाती हैं.
Revenues and expenses, assets and liabilities which are directly attributable and identifiable to the respective segments, are directly allocated for in that respective segment.

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय निम्नलिखित तरीके से विशिष्ट व्यवसाय खंडों को आबंटित किए जाते हैं, जिन्हें लगातार आधार पर लागू किया जाता है.
Operating expenses relating to insurance business are allocated to specific business segments in the following manner, which is applied on consistent basis.

(क) खंड के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर आबंटित किए जाते हैं.
(a) Expenses that are directly identifiable to the segment are allocated on actual basis.

(ख) अन्य व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन सहित), जो कि किसी व्यवसाय खंड के लिए सीधे पहचान योग्य नहीं हैं, निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर आबंटित किए जाते हैं:
(b) Other expenses (including depreciation and amortization), that are not directly identifiable to a business segment, are allocated on either of the following bases:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

i. जारी की गई बीमा पॉलिसियों/ प्रमाणपत्रों की संख्या
Number of policies/certificate of insurance issued.

ii. भारित वार्षिकीकृत प्रीमियम
Weighted Annualized Premium.

iii. निधि आकार/ निधियों की संख्या
Fund Size / Number of funds.

iv. मृत्यु बीमा राशि
Death Sum Assured.

v. गणितीय रिजर्व
Mathematical Reserves.

vi. लागू पॉलिसियों की संख्या
Number of policies in force.

vii. प्रीमियम आय
Premium income.

आबंटन और विभाजन की विधि व्यय की प्रकृति और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ इसके तार्किक सह-संबंध के आधार पर तय की गई है. विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच व्यय का आबंटन और विभाजन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है.

The method of allocation and apportionment has been decided based on the nature of the expense and its logical co-relation with various business segments. The allocation and apportionment of expenses amongst various business segments is in accordance with Board approved policy.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में :
C. In case of IDBI Asset Management Limited :

कंपनी म्यूचुअल फंड को निवेश प्रबंधन सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में है और संचालन से संपूर्ण राजस्व भारत में प्रदान की गई उपरोक्त सेवा से है. इसलिए कंपनी के पास कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय या भौगोलिक खंड नहीं है.

The company is in the business of providing Investment management service to the mutual fund, and the entire revenue from operations is from the above service rendered in India. Hence the company has no other reportable business or geographical segment.

15 आय कर / Income Tax:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Bank Limited:

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं. चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.
Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/ नुकसान के मामले में आस्थगित कर आस्तियों को तभी पहचाना जाता है जब इस बात की आभासी निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य के कर योग्य लाभों के विरुद्ध वसूल किया जा सकता है. आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और उस राशि को दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित की जाती है जो यथोचित/वस्तुत: वसूल की जानी है.

Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably / virtually certain to be realized.

iv. जिन विवादित करों का प्रावधान नहीं किया गया है उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है. हालांकि, जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना पिछले मूल्यांकन और अन्य प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के संबंध में राय/ विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर दूरस्थ है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

Disputed taxes not provided for are included under Contingent Liabilities. However, when there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment and other relevant judicial decisions, no provision or disclosure is made.

आ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में :
B. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य लाभों को ध्यान में रखते हुए अवधि के लिए आयकर का प्रावधान किया जाता है.
Provision for income tax for the period is made after taking into consideration the benefits admissible under the provisions of Income Tax Act, 1961.

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवसायों के लिए कर की गणना करती है कि वित्तीय विवरणों की अधिक उपयुक्त प्रस्तुति को सक्षम करने के लिए एक विशेष व्यवसाय से संबंधित और पहचाने जाने योग्य खर्चों को शामिल किया जाए. तद्नुसार, व्यवसाय की सहभागी लाइनों से उत्पन्न होने वाले अधिशेष पर कर के प्रावधान को राजस्व खाते में अलग से प्रकट किया जाता है.

The Company calculates tax for the participating lines of business in order to ensure that the expenses pertaining to and identifiable with a particular line of business are represented as such to enable a more appropriate presentation of financial statements. Accordingly, provision for tax on surplus arising from the participating lines of business is disclosed separately in the Revenue Account.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :
C. In case of IDBI Intech Limited :

आयकर की गणना "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर लेखा मानक (एएस 22) के अनुसार की जाती है. कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं. वर्तमान कर को लागू कर दरों का उपयोग करके कर प्राधिकारियों से भुगतान या वसूल किए जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है. आस्थगित करों को भविष्य के कर परिणाम के लिए मान्यता दी जाती है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के कारण होता है, जिसे प्रासंगिक अधिनियमित / मूल रूप से अधिनियमित कर दरों पर मापा जाता है.

Income Taxes are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS 22) on "Accounting for Taxes on Income". Tax expense comprises of current tax and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid or recovered from the tax authorities using the applicable tax rates. Deferred taxes are recognised for future tax consequence attributable to timing difference between taxable income and accounting income, measured at relevant enacted / substantively enacted tax rates.

अनवशोषित मूल्यह्रास और आगे ले जाने वाली हानियों की स्थिति में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जो इस बात के पुख्ता सबूतों द्वारा आभासी रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी. अन्य स्थितियों में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि इन आस्तियों की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी.

In the event of unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available to realise such assets. In other situations, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available to realise these assets.

न्यूनतम वैकल्पिक कर ('एमएटी') क्रेडिट पात्रता को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा "आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन" पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार मान्यता दी गई है. एमएटी क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब और इस हद तक इस बात के पुख्ता सबूत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर के खिलाफ समायोजन करने में सक्षम होगी. प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, कंपनी एमएटी क्रेडिट परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करती है और जहां आवश्यक हो, उसे समायोजित करती है.

Minimum Alternate Tax ('MAT') credit entitlement is recognized in accordance with the Guidance Note on "Accounting for credit available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act, 1961" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). MAT credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will be able to adjust against the normal income tax during the specified period. At each balance sheet date, the Company reassesses MAT credit assets and adjusts the same, where required.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

भुगतान किए गए अग्रिम कर और मौजूदा आयकर के प्रावधान तुलन पत्र में निवल रूप में तभी प्रस्तुत किए जाते हैं जब ये एक ही कर क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हों तथा जहां इकाई निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता का निपटान करने का इरादा रखती है.

Advance taxes paid and provisions for current income taxes are presented net in the balance sheet if arising in the same tax jurisdiction and where the entity intends to settle the asset and liability on a net basis.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:
D. In case of IDBI Asset Management Limited :

कराधान : / Taxation:

आय कर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात् आय कर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं.

Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period).

चालू कर : / Current taxes:

चालू आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है और कर भत्ते और छूट के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे सालाना बनाया जाता है.

Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions.

आस्थगित कर : / Deferred taxes:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर होता है. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख से अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अधिनियमन तिथि शामिल है. आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसूली की जा सकती है. हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर उनके संबंधित वहन मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

एक वर्ष में भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है. कंपनी एमएटी क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता देती है, जब इस बात के पुख्ता सबूत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, अर्थात वह अवधि जिसके लिए एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है. जिस वर्ष कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार एमएटी क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी है, उस वर्ष उक्त परिसंपत्ति को लाभ-हानि विवरण में जमा करते हुए "एमएटी क्रेडिट पात्रता" के रूप में दिखाया गया है. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर "मैट क्रेडिट एंटाइटेलमेंट" परिसंपत्ति की समीक्षा करती है और परिसंपत्ति को उस सीमा तक लिखती है, जिस हद तक कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि वह पर्याप्त अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान करेगी.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in a year is charged to the Statement of Profit and Loss as current tax. The company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e., the period for which MAT Credit is allowed to be carried forward. In the year in which the Company recognizes MAT Credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the statement of Profit and Loss and shown as "MAT Credit Entitlement." The Company reviews the "MAT Credit Entitlement" asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the company does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the sufficient period.

16 पट्टे: / Leases:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Bank Limited:

i. पट्टा/ किराये के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य हैं.
The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ii. बैंक द्वारा किया गया पट्टा सहमत अवधि के लिए है और पट्टे की अवधि के दौरान भी पट्टे को पारस्परिक सहमति से एक कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त करने का विकल्प है.
The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ii. परिचालन पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टे के किराए की संबंधित वर्ष के लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में गणना की जाती है.
Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :
B. In case of IDBI Intech Limited :

(क) वित्त पट्टा :
(a) Finance lease:

वित्त पट्टे पर ली गई आस्तियों को न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य से कम पर अचल संपत्ति के रूप में हिसाब में लिया जाता है और उचित मूल्य और एक समान राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है. लीज भुगतानों को वित्त प्रभार और बकाया देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है.

Assets taken on finance lease are accounted for as fixed assets at lower of present value of the minimum lease payments and the fair value and a liability is recognised for an equivalent amount. Lease payments are apportioned between finance charge and reduction in outstanding liability.

(ख) परिचालन पट्टा :
(b) Operating leases:

पट्टे पर ली गई संपत्तियां जिसके तहत पट्टेदार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से बरकरार रखा जाता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है.

Assets taken on lease under which all risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under operating leases are recognised as expenses on straight line basis over the lease term.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में :
C. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

परिचालन पट्टे: / Operating Leases:

जिन पट्टों में पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन लीज भुगतान को लीज अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर 'किराया दर और कर' के तहत लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है.

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit and Loss account under 'Rent Rates and Taxes' on a Straight Line Basis over the lease term.

17 प्रति शेयर उपार्जन : / Earnings Per Share:

i. समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाते हैं जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

18 आस्तियों की अनर्जकता: / Impairment of Assets:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Bank Limited:

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूली योग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use .

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :
B. In case of IDBI Intech Limited :

प्रबंधन बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए समय-समय पर मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति अनर्जक हो सकती है. हानि को तब मान्यता दी जाती है जहां कभी किसी परिसंपत्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है. वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जिसका अर्थ है कि भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और इसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है.

The Management periodically assesses, using external and internal sources whether there is an indication that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised where ever the carrying value of an asset exceeds the recoverable amount. The recoverable amount is the higher of asset's net selling price and value in use, which means the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal.

परिसंपत्ति के लिए हानि को केवल उस स्थिति में उत्क्रमित किया जाता है जब यह उत्क्रमण हानि की पहचान के बाद किया जाए. परिसंपत्ति की आगे ले जाई जाने वाली राशि को उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि आगे ले जाने वाली निर्धारित राशि से अधिक न हो (किसी संचित परिशोधन या मूल्यह्रास को घटाकर) तथा पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि की पहचान न की गई हो .

An impairment loss for an asset is reversed if, and only if, the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognized. The carrying amount of an asset is increased to its revised recoverable amount, provided that this amount does not exceed the carrying amount that would have been determined (net of any accumulated amortization or depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:
C. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

i. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हानि का कोई संकेत है, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर परिसंपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है. यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है.
The carrying amount of assets, is reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, recoverable amount of the assets is estimated.

ii. जब भी किसी आस्ति या उसकी नकद उत्पादन इकाई की रखाव राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तब क्षति हानि की पहचान की जाती है. वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जो उनके वर्तमान मूल्यों पर छूट वाले अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है. सभी हानियों को लाभ और हानि खाते में दर्शाया किया जाता है.

An Impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in the use, which is determined, based on the estimated future cash flows discounted to their present values. All impairment losses are recognized in the profit and loss account.

i. यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन होता है तो हानि को रिवर्स कर दिया जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता हैं.

An impairment loss is reversed if there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount and is recognized in the profit and loss account.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited :

किसी परिसंपत्ति को संपत्ति की हानि पर लेखा मानक 28 के अनुसार तब अनर्जक माना जाता है, जब तुलन पत्र की तारीख को हानि के संकेत होते हैं और परिसंपत्ति की रखाव राशि या जहां नकदी पैदा करने वाली इकाई जिससे परिसंपत्ति संबंधित होती है, उसकी वसूली योग्य राशि (अर्थात् परिसंपत्ति के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य में से जो अधिक हो) से अधिक राशि होती है. रखाव राशि को वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और कमी को लाभ और हानि के विवरण में क्षति हानि के रूप में दर्शाया जाता हैं.

An asset is considered as impaired in accordance with Accounting Standard 28 on Impairment of Assets when at the balance sheet date there are indications of impairment and the carrying amount of asset, or where applicable the cash generating unit to which the asset belongs, exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of the asset's net selling price and value in use). The carrying amount is reduced to the recoverable amount and the reduction is recognized as an impairment loss in the Statement of Profit and Loss.

जब यह संकेत मिलता है कि पहले की लेखा अवधि में किसी परिसंपत्ति (पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्ति के अलावा) के लिए मान्यता प्राप्त क्षति हानि मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, हानि के इस तरह के उत्क्रमण को लाभ और हानि के विवरण में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जितनी राशि पहले लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित की गई थी. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में ऐसे उत्क्रमण को मान्यता नहीं दी जाती है.

When there is indication that an impairment loss recognized for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognized in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognized,

19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Bank Limited:

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:
B. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited:

प्रावधान : / Provisions:

i. किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है. यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है.

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event. It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

ii. प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व हो या ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवत: न भी हो. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की जाती है.

A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent Assets are not recognized.

iii. सभी बकाया ऋणों की मामला-दर-मामला समीक्षा करने के बाद अनर्जक और संदिग्ध संपत्तियों की पहचान की जाती है. संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान प्रबंधन द्वारा उनकी वसूली-योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं. यदि किसी भी संदिग्ध ऋण में वसूली की संभावना मौजूद नहीं है, तो उसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.

Bad and doubtful assets are identified after carrying out a case by case review of all outstanding debts. Provisions are made on doubtful debts on management's evaluation of their realisability. In case the chances of recovery do not exist in any of the doubtful debts, the same is written off fully.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:
C. In case of IDBI Asset Management Limited:

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सृजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. किसी आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए उन्हें आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date.

प्रत्येक तुलन पत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को रिवर्स कर दिया जाता है.

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है. हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह आभासी रुप से निश्चित हो कि आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ था.

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurred.

20 अमूर्त आस्तियां : / Intangible assets:

अ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में:
A. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited:

सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त आस्तियों को लागत में से परिशोधन कम कर बताया जाता है. इन्हें उपयोग में लाए जाने की तारीख से 3 साल की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण सुधारों को उस स्थिति में पूंजीकृत किया जाता है, जब यह संभव हो कि इस तरह के सुधार से आस्ति को भविष्य में अपने मूल रूप से मूल्यांकन किए गए प्रदर्शन के मानकों से अधिक आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में मदद मिलेगी तथा इस तरह के व्यय को आस्ति के लिए विश्वसनीय रूप से मापा और जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा तथा सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवन में व्ययों को परिशोधित किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर की सहायता और रखरखाव का खर्च राजस्व खाते या लाभ और हानि खाते से उस अवधि में लिया जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably, subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account or Profit & Loss Account in the period in which they are incurred.

आ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:
B. In case of IDBI MF Trustee Company Limited:

अमूर्त आस्ति को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन और अनर्जक हानियों को घटाने के बाद निकाला जाता है. अमूर्त आस्ति को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना हो कि आस्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्रवाहित होंगे और जहां इसकी लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है. अमूर्त आस्ति की परिशोधन योग्य राशि को उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर सीधी रेखा आधार पर आबंटित किया जाता है.

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization and impairment losses, an intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The amortizable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a straight-line basis.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:
C. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited:

अधिग्रहीत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुरू में उस लागत पर पूंजीकृत होते हैं, जिसमें खरीद मूल्य (किसी भी डिस्काउंट और छूट को घटाकर) तथा संपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने की अन्य सीधे जिम्मेदार लागत शामिल होती है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन को बेहतर करने (जिसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके) पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को सॉफ्टवेयर की मूल लागत में जोड़ा जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाए रखने से जुड़ी लागतों को खर्च के रूप में पहचाना जाता है.

Acquired computer software licenses are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured, is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognised as an expense when incurred.

पूंजीकरण के लिए पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय विकासाधीन अमूर्त संपत्ति के रूप में किया जाता है जहां ऐसी आस्तियां अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं.

Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्ति को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन के लिए प्रयुक्त अमूर्त आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर -3 वर्ष / Computer Software -3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष / Web Trading Portal – 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कार्ड - 21 वर्ष / Bombay Stock Exchange Card – 21 years

प्रबंधन उपयोग में मूल्य के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट्स के आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाता है.
Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

अधिग्रहण के वर्ष में ₹5000/- से कम के व्यक्तिगत मूल्य वाली सभी अमूर्त आस्ति और सक्रिय उपयोग से बाहर कर दी गई आस्तियों का पूर्णत: मूल्यह्रास किया जाता है.

All Intangible Assets having individual value of less than Rs.5000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

ई. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में:
D. In case of IDBI Intech Limited:

सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त आस्ति, जिस पर कंपनी के पास मालिकाना अधिकार जारी रहता है, को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है. अनुसंधान लागत व्यय के रूप में खर्च की जाती है. सॉफ़्टवेयर उत्पाद विकास लागतों को तब तक व्यय के रूप में खर्च किया जाता है जब तक कि परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हों, कंपनी के पास सॉफ़्टवेयर को पूरा करने और उपयोग करने या बेचने का इरादा और क्षमता हो और लागतों को विश्वसनीयता से मापा जा सकता हो. जिन लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है, उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मानव-शक्ति और ऊपरी लागत शामिल हैं जो आस्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं.

The intangible assets like softwares, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs. Research costs are expensed as incurred. Software product development costs are expensed as incurred unless technical and commercial feasibility of the project is demonstrated, future economic benefits are probable, the Company has an intention and ability to complete and use or sell the software, and the costs can be measured reliably. The costs which can be capitalized include the cost of material, direct man-power and overhead costs that are directly attributable to preparing the asset for its intended use .

21 उधार लेने की लागत: / Borrowing Costs:

अ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited:

उधार लागतों पर लेखा मानक 16 में परिभाषित के रूप में अर्हक आस्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण उधार लेने की लागत को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जिस तारीख को आस्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है. अन्य उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं.

Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, as defined in Accounting Standard 16 on Borrowing Costs, are capitalized as part of the cost of the asset upto the date when the asset is ready for its intended use. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड की उधारी लागत के मामले में:
B. In case of IDBI Intech Limited Borrowing costs:

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के कारण उधार की लागतों को ऐसी आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अर्हक आस्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है. अन्य सभी उधार लागत राजस्व के लिए चार्ज की जाती हैं.

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are charged to revenue.

22 नकद और नकदी समतुल्य: / Cash & Cash equivalents:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Bank Limited:

नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में रखी नकदी, आरबीआई के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल हैं.
Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

आ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में:
B. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited:

प्राप्तियों और भुगतान खातों के उद्देश्य के लिए नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में रखी नकदी, चेक, स्टांप और बैंक शेष राशि शामिल हैं. आईआरडीए के मास्टर परिपत्र (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम, 2002 की आवश्यकताओं के अनुसार लेखांकन मानक 3 - "नकदी प्रवाह विवरण" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके प्राप्तियां और भुगतान खाता तैयार कर रिपोर्ट किया जाता है.

Cash and cash equivalents for the purpose of receipts and payments account include cash and cheques in hand, stamps on hand and bank balances. Receipts and payments account is prepared and reported using the direct method in accordance with accounting standard 3 - "Cash Flow Statements" as per the requirements of master circular of IRDA (preparation of financial statements and auditors' report of insurance companies) Regulations, 2002.

23 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व : / Corporate Social Responsibility:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है.

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognised in the Profit and Loss Account.

24 दुर्वह संविदा: / Onerous contracts:

दुर्वह संविदा के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब संविदा से बैंक द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत भविष्य के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं. प्रावधान की गणना में संविदा समाप्त करने की अपेक्षित लागत और संविदा को जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत में से कमतर को लिया जाता है. किसी प्रावधान को निश्चित करने से पहले, बैंक उस संविदा से जुड़ी संपत्ति पर किसी भी हानि का निर्धारण कर लेता है.

Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

25 नकदी प्रवाह विवरण: / Cash Flow Statement:

अ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited:

नकदी प्रवाह विवरण को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में निर्धारित परोक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है तथा यह कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करता है.

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard 3 on Cash Flow Statements and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company.

नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाये गए नकद समतुल्य, बैंक में जमा नकद और मांग जमा में निहित होते हैं.

Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow Statement consist of cash on hand and demand deposits with banks.

आ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:
B. In case of IDBI MF Trustee Company Limited:

योजना / अन्य व्यय:

Scheme / Other Expenses:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजना पर किए गए खर्च, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम अधिनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कंपनी द्वारा वहन किए जा सकते हैं. तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसे किसी भी व्यय को लाभ-हानि खाते में प्रभारित नहीं किया गया है. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के सचिवीय और अन्य शुल्कों का एक हिस्सा, आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड पर उचित और न्यायसंगत आधार पर प्रभारित है और ऐसे खर्चों को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 can be borne by the Company. However, during the period under review no such expenses are charged to profit and loss account. IDBI Asset Management Limited has apportioned a part of the Secretarial and other charges, Salary attributable to the IDBI MF Trustee Company Limited on a reasonable and equitable basis and such expenses are charged to the Profit and Loss account.

26 अन्य: / Others:

अ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में:
A. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited:

i) **अर्जन लागत:** / **Acquisition Costs:**

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं, जिस अवधि में उपगत होती हैं.

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

ii) **प्रदत्त लाभ:** / **Benefits Paid:**

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ का दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है. मृत्यु, राइडर, आहरण तथा अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण तथा अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.

Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any. Death, rider, withdrawals and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due. Withdrawals and Surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

iii) **बीमांकिक देयता मूल्यांकन:** / **Actuarial liability valuation:**

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, इरडा विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रुग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर यूनिट रिज़र्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Law (Amendment) Act, 2015, IRDA regulations & circulars issued from time to time and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

iv) **पुनर्बीमा प्रीमियम:** / **Reinsurance premium:**

अभ्यर्पित पुनर्बीमे की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ संधि अथवा सैद्धान्तिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय की जाती है.

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer.

v) **भावी समायोजन के लिए निधियाँ: / Funds for Future Appropriations:**

प्रतिभागी खंड में भावी समायोजन के लिए बताई गई निधियाँ वह अधिशेष हैं, जिसे तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या अंशधारकों को आबंटित नहीं किया गया हैं. प्रतिभागी पॉलिसीधारक को किया गया कोई भी आबंटन अंशधारकों के लाभ हानि लेखे में अंतरण में भी अपेक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा.

The funds for future appropriations, in the participating segment, represent the surplus, which is not allocated to policyholders or shareholders as at the Balance Sheet date. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to Shareholders' Profit and Loss Account in the required proportion.

vi) **वस्तु व सेवा कर: / Goods and Services Tax:**

जीवन बीमा सेवा पर वस्तु और सेवा कर के दायित्व का निपटान वस्तु एवं सेवाओं की निविष्टियों पर अदा किए गए कर पर उपलब्ध निविष्ट कर जमा (आईटीसी) से किया जाता है. अप्रयुक्त क्रेडिट, यदि कोई हो तो, समंजन के लिए उसे आगे ले जाया जाता है.

Goods and Services Tax liability on life insurance service is set-off against the input tax credits ('ITC') available from tax paid on input of goods or services. Unutilized credits, if any, are carried forward for set-off.

vii) **ऋण: / Loans:**

पॉलिसियों पर ऋणों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है जो कि मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है.

Loans against policies are stated at historical cost, subject to provision for impairment, if any.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18 - समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि, पूर्वावधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस–5)
NET PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD, PRIOR PERIOD ITEMS AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (AS-5)

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोई सामग्री पूर्व अवधि आय/ व्यय मदें नहीं थी.

There were no material prior period income / expenditure items for the year ended March 31, 2022 and March 31, 2021.

विदेशी/ अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी मुद्रा रूपान्तरण के व्यवहार को छोड़कर, पिछले वित्तीय वर्ष में अपनाई गई नीतियों की तुलना के रूप में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. दिनांक 30 अगस्त 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "वित्तीय विवरणों पर मास्टर निर्देश - प्रस्तुति और प्रकटीकरण" की अपेक्षाओं के अनुसार, सभी विदेशी शाखाओं/ अपतटीय बैंकिंग इकाइयों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 'गैर–एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में माना गया है और तद्नुसार विदेशी मुद्रा रूपान्तरण के संबंध में अंतर के लेखांकन के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व रूपान्तरण सृजित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2020–21 तक ऐसी शाखाओं/ परिचालनों को एकीकृत विदेशी परिचालन माना जाता था और विदेशी मुद्रा रूपान्तरण के अंतर को लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता था. यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष और वित्तीय स्थिति के लिए लाभ पर लेखांकन नीति में परिवर्तन पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है.

There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2022 as compared to those followed in the previous financial year, except for the treatment of Foreign currency translation in respect of foreign branches/off-shore banking units. Pursuant to the requirement of Master Direction on financial statements - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021, all foreign branches/ off-shore banking units have been treated as 'Non- Integral Foreign Operations' during financial year 2021-22 and accordingly Foreign Currency Translation Reserve is created for accounting of differences in respect of foreign currency translation. Upto financial year 2020-21 such branches/operations were treated as Integral foreign operations and the differences in respect of foreign currency translations were transferred to Profit and loss account. Impact of the change in accounting policy on profit for the year ended on and financial position as at March 31, 2022 is not material.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS AS-10)

i. वित्त वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने रियायती नकदी प्रवाह, लागत दृष्टिकोण पद्धति, तुलनीय बिक्री पद्धति जैसी पद्धतियों का उपयोग करते हुए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है जिसमें पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन शामिल हैं.

   During the FY 2022, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by independent valuers, using methodologies such as discounted cash flow, cost approach method, comparable sales method.

ii. यथा 31 मार्च 2022 को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित राशि में शेष राशि ₹8,468 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,281 करोड़) है.

   The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2022 is ₹8,468 Crore (Previous year ₹6,281 Crore).

iii. वर्ष के दौरान आवासीय /कार्यालय भवन और अन्य परिसंपतियों की बिक्री के कारण निवल ₹0.61 करोड़ (पिछले वर्ष: निवल ₹0.42 करोड़ की हानि) का लाभ हुआ है जिसे अनुसूची 14-अन्य आय में शामिल किया गया है.

   Net profit amounting to ₹0.61 Crore (Previous year: Net loss ₹0.42 Crore) on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

iv. लाभांश के वितरण के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित उपलब्ध नहीं है.

   Revaluation reserve is not available for distribution of dividends.

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

अ. कर्मचारी लाभ योजना
A. Employee Benefit Schemes

i. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes**

क) वित्त वर्ष 21-22 लाभ–हानि खाते में भविष्य निधि अंशदान के लिए चिन्हित और शामिल राशि

a) The amount recognized and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account in FY 21-22

(₹ करोड़) / (₹ in Crore)

संस्था Entity	वित्त वर्ष 2021-22 FY 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21 FY 2020-21
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	14.78	5.55
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	1.45 @	1.22 @
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.48	0.50
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड IDBI Capital Markets & Securities Limited	1.01	0.87
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.23	0.21
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited	4.69 @@	4.19 @@

@ - इसमें सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि शामिल है.
@ - This includes Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund.

@@ - इसमें पीएमआरपीवाई का लाभ शामिल है.
@@ - This includes benefit of PMRPY.

ख) **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :**

b) **In case of IDBI Bank Limited :**

31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों, पेंशन का विकल्प चुनने वाले को छोड़कर, को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना का प्रबंधन “आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि न्यास (न्यास) के ट्रस्टी बोर्ड” द्वारा किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्टस लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किए गए और इसके बाद अंशदान उपर्युक्त उल्लिखित निधि में किया गया है. वर्ष के दौरान ₹14.78 करोड़ [₹7.50 करोड़ वेतन में संशोधन के कारण परिकलित वेतन बकाया में पीएफ में बैंक अंशदान सहित] (पिछले वर्ष ₹5.55 करोड़) पीएफएस में अंशदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year ₹14.78 Crore [including Bank contribution of PF in the salary arrears worked out on account of revision in salary of ₹7.50 Crore] (Previous year ₹5.55 Crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक लि. की नयी पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में अंशदान करता है. वर्ष के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹174.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹100.24 करोड़) का अंशदान किया गया, जिसमें 11 नवंबर 2020 से बैंक अंशदान में 14% की वृद्धि के लिए भुगतान किया गया बकाया शामिल है. इसे लाभ–हानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹174.25 Crore (Previous year ₹100.24 Crore) has been contributed to IBLNPS including the arrears paid towards increase in Bank Contribution to 14% w.e.f. Nov 11, 2020 and charged to Profit and Loss Account.

ग) **एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में:**
c) **In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :**

लाभ–हानि लेखे में सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा एवं कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.22 करोड़) की राशि डाली गयी है.

The amount recognized of ₹1.45 Crore for the year ended March 31, 2022 (Previous year ₹1.22 Crore) includes contribution towards Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance & Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

घ) **आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :**
d) **In case of IDBI Intech Limited :**

कर्मचारी और कंपनी दोनों ही वेतन के निर्दिष्ट औसत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं. कंपनी के उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के दिशानिर्देशों के अधीन नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार ने ईपीएफ़ और ईपीएस दोनों में पूर्ण नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया है. शेष कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण अंशदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है. लाभार्थियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा सूचना दी जा रही है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि में योगदान के लिए ₹4.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.04 करोड़) के व्यय किए है. वर्ष के दौरान कंपनी ने पीएमआरपीवाई के प्रति ₹0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.11 करोड़) का लाभ प्राप्त किया.

Both the employees and the Company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. In case of Company's employees enrolled with the Employees Provident Fund Organization (EPFO) having Universal Account Number (UAN), the Government of India has paid the full employer's contribution to both EPF and EPS in respect of new employees under the guidelines of Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRPY). For the remaining employees and the entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 4.67 Crore (Previous year ₹ 4.04 Crore). During the year, the Company has availed the benefit of PMRPY for ₹ 0.02 Crore (Previous year ₹ 0.11 Crore).

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes**

क) **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :**
a) **In case of IDBI Bank Limited :**

i. बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.
The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

ii. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है.
Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

iii. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है.
The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

ख) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एण्ड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में :
b) In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

कंपनी की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा से मुक्ति लेते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹20,00,000 की सीमा के अधीन है.
The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹20,00,000.

ग) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में :
c) In case of IDBI Asset Management Limited :

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए समूह ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर एकमुश्त राशि दी जाती है. ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company. The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले:
d) In case of IDBI Intech Limited :

कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करता है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक निर्धारित लाभ है. यह योजना सेवा पूरे किए गए वर्ष के आधार पर या छह माह से अधिक होने पर उसके भाग के रूप में संबन्धित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार के दौरान सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करती है. निहित योजना पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी होने पर लागू होती है.

The company makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provides for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.

ङ) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में :
e) In case of IDBI Trusteeship Services Limited :

कंपनी ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ–हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं. चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (10%) और आहरण (1% से 19%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक धारणाओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. एलआईसी योजना में निधि संचयन और स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा वर्ष के अंत में देयता के रूप में निर्धारित राशि में अंतर को लाभ–हानि विवरण में उपयुक्त रूप से डालकर लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The company has created a separate Trust for Gratuity obligations. The application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept. is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Statement of Profit & Loss. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded part of Gratuity Obligations of the Company. On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (10%) and withdrawal (1 to 19%) in actuarial computations, the Company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuers, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined at year end obligations by Independent Valuers (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognized and presented as liability in accounts by appropriate charge to Statement of Profit & Loss.

च) एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में :

f) In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

कंपनी ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट स्थापित किया है. कंपनी एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड (जिसे पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के नाम से जाना जाता था) के ट्रस्ट द्वारा प्रशासित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है. ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है.
The company has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of Ageas Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund (formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund). The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.

6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.
The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days basic pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

कर्मचारियों को उपदान लाभ न्यास द्वारा प्रबंधित एक बीमा नीति और निवेश के माध्यम से प्रदान किया जाता है. बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा जारी की जाती है तथा ऐसी पॉलिसी के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रीमियम को व्यय माना गया है. इससे संबन्धित देयता (निधिक भाग) जीवन निधि का भाग और तदनुरूपी निवेश पॉलिसीधारक का भाग होती है.
Gratuity benefits to employees are provided for through an insurance policy and investments managed by the Trust. The insurance policy is issued by the Company and the premium paid by the Company in respect of such policy has been accounted as an expense. The liability in respect thereof (funded portion) forms part of life fund and corresponding investment as part of policyholder's investments.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2022 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार है.

B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognized in the Group's financial statements as at March 31, 2022 which is as per AS-15 (Revised).

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन: Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्व Projected benefit obligation beginning of the year	3,190.47	952.00	2,993.01	944.26
	ब्याज लागत / Interest cost	222.38	65.60	203.23	64.97
	चालू सेवा लागत Current Service cost	35.97	40.65	36.46	42.41
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान हुई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	332.63	-	-	-
	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(221.71)	(66.64)	(168.18)	(67.97)
	जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gain)/loss due to change in Demographic assumptions	(3.23)	(2.36)	207.68	(43.91)
	वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(181.69)	(38.52)	(66.50)	(1.06)
	अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	244.61	22.73	(15.23)	13.30
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	**3,619.43**	**973.48**	**3,190.47**	**952.00**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	3,092.01	1,017.09	2,698.21	891.84
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	215.51	70.12	183.21	61.40
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	580.50	3.76	337.66	132.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(221.71)	(66.64)	(168.18)	(67.97)
	बीमांकिक (लाभ)/(हानि) Actuarial gain/ (loss)	154.36	13.21	41.11	(0.18)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**3,820.67**	**1,037.53**	**3,092.01**	**1,017.09**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	3,619.43	973.48	3,190.47	949.49
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets	3,820.67	1,037.53	3,092.01	1,015.60
	अधिशेष / (कमी) Surplus/ (Deficit)	**201.24**	**64.06**	**(98.46)**	**66.11**
घ) d)	**लाभ और हानि खाते में डाले गए व्यय Expenses Recognised in Profit & Loss Account**				
	सेवा लागत / Service cost	35.97	40.65	36.46	42.41
	ब्याज लागत / Interest cost	222.38	65.60	203.23	64.46
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(215.51)	(70.12)	(183.21)	(60.89)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	(94.67)	(31.35)	84.84	(31.49)
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	332.63	-	-	-
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	**280.80**	**4.79**	**141.32**	**14.49**
ङ) e)	**आस्तियों की श्रेणी Category of Assets**				
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	292.48	0.21	195.84	0.26
	कॉरपोरेट बॉण्ड Corporate Bonds	1,053.44	-	1,005.67	-
	विशेष जमा योजना Special Deposits Scheme	24.19	2.65	39.62	-

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2022 को As at March 31, 2022		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	2,220.43	1,034.35	1,652.59	1,015.76
	नकद और नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents	16.44	-	16.48	-
	अन्य / Others	213.69	-	181.81	0.04
	कुल / Total	**3,820.67**	**1,037.21**	**3,092.01**	**1,016.06**
च) f)	**अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान : Expected contribution in next year:**	**-**	**-**	**98.00**	**-**
छ) g)	**लेखांकन में प्रयुक्त मान्यताएँ : Assumptions used in accounting:**			-	-
	बट्टा दर Discount rate	7.29%	5.40 % से 7.38 % तक From 5.40 % to 7.38%	6.97%	5.45% से 6.96% तक From 5.45% to 6.96%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर Rate of return on plan assets	7.29%	5.00 % से 7.38 % तक From 5.00% to 7.38%	6.97%	5.00 % से 6.96% तक From 5.00% to 6.96%
	वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5 % से 10 % तक From 5% to 10%	5.75%	5 % से 12% तक From 5% to 12%
	ह्रास दर Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter
	मृत्यु दर Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुभव समायोजन / Experience Adjustments

(i) उपदान योजना
(i) Gratuity Plan

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	973.48	950.75	945.57	799.34	720.85
योजना आस्तियां / Plan assets	1037.53	1,016.34	892.91	719.39	651.64
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	64.06	65.60	(52.66)	(79.95)	(69.21)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan liabilities [Gain / (Loss)]	(22.79)	(13.56)	(54.52)	(44.44)	(15.55)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	13.20	(0.18)	4.55	(0.12)	8.67

(ii) पेंशन योजना
(ii) Pension Plan

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	3,619.43	3,190.47	2,993.01	2,343.28	2,111.79
योजना आस्तियां / Plan assets	3,820.67	3,092.01	2,698.21	2,435.91	2,289.98
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	201.24	(98.46)	(294.80)	92.63	178.19
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan liabilities [Gain / (Loss)]	(244.61)	15.23	(350.90)	(180.22)	(42.72)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	154.36	41.11	14.12	57.23	(38.82)

इ. अन्य दीर्घावधि लाभ
C. Other long term benefits

1) छुट्टी नकदीकरण
Leave Encashment

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021
कुल बीमांकिक देयता Total Actuarial Liability	707.13	553.73
धारणाएं Assumptions		
छूट की दर Discount Rate	5.40%से 7.38% तक From 5.40% to 7.38%	5.45% से 6.96% तक From 5.45% to 6.96%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5%से 10% तक From 5% to 10%	5% से 10% तक From 5% to 10%

2) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना
Voluntary Health Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021
कुल बीमांकिक देयता Total Actuarial Liability	60.17	59.00
धारणाएं Assumptions		
छूट की दर Discount Rate	7.41%	6.97%

3) बैंक के कर्मचारी दिव्यांग सहायता के पात्र हैं, जो उनके दिव्यांग होने की स्थिति में बैंक द्वारा वहन की जाती है.
Employees of the bank are eligible for Disability assistance which is borne by the bank as and when the disability events occur.

4) ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त प्रावधान

Additional Provision towards Gratuity

नवंबर 2017–अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त देयता को पूरा करने के लिए ग्रेच्युटी हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:
An additional provision towards gratuity has been made to meet the additional liability which may arise in effect of implementation of revised pay scale for the period Nov 2017- October 2022 as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2021
ग्रेच्युटी Gratuity	48.10	48.10

उपर्युक्त तालिका में ग्रेच्युटी की परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दिए गए विवरण उपर्युक्त प्रावधानों को प्रभावित नहीं करते हैं.
Details given under Defined benefit scheme of gratuity in table above do not have effect of the above provision.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में :
In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited :

कंपनी के कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित कर सकते हैं जो नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य/ नकदीकरण योग्य हैं.
The employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable / encashable as per the policy on their separation.

कर्मचारियों के लिए संचित बीमारी अवकाश के संबंध में प्रतिपूरित की अनुपस्थिति के लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है. वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त लाभों के प्रावधान के लिए ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.01 करोड़) की राशि राजस्व और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की गई है.
Liability for compensated absence in respect of accumulated sick leave for employees is determined based on actuarial valuation. During the year amount of ₹ 0.03 Crore (Previous Year ₹ 0.01 Crore) has been charged to Revenue and Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस–17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यत: निम्नलिखित चार कारोबारी खंडों में परिचालन करता है. / The Bank primarily operates in four business segments as under:

i)	ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में सभी निवेश, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii)	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
iii)	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल हैं. परिणाम राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों संबंधी नियोजित पूंजी कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल की जाती हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv)	अविनिधानित Unallocated	इसमें प्रावधान, आस्थगित कर और इकाई स्तर पर गणना की गई सीमा तक प्रावधानों के अग्रिम भुगतान में कर जैसे आइटम शामिल हैं. Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष लिए समेकित स्थिति
Consolidated Segment Information for the year ended March 31, 2022

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021
क. a.	**खंड राजस्व** **Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	6,433.85	5,540.46
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	21,302.47	23,077.65
	ट्रेजरी / Treasury	13,087.04	15,317.20
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	307.98	274.83
	गैर-आबंटित /Unallocated	-	-
	कुल / TOTAL	**41,131.34**	**44,210.14**
	घटाएं :– अंतर–खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	17,892.93	19,466.63
	निवल खंड राजस्व Net Segment Revenue	**23,238.41**	**24,743.51**
ख. b.	**खंड परिणाम – कर पूर्व लाभ / (हानि)** Segment Results -Profit/(loss) before tax		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate / Wholesale Banking	1,828.93	(1,376.84)
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	1,268.63	1,934.39
	ट्रेजरी / Treasury	541.31	1,859.69
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	97.53	132.47
	अविनिधानित / Unallocated	-	-
	कर पूर्व लाभ/ (हानि) / Profit/(Loss) before tax	**3,736.40**	**2,549.71**
	आय कर / Income taxes	1,202.73	1,035.74
	निवल लाभ/ (हानि) / **Net profit/(Loss)**	**2,533.67**	**1,513.97**
ग. c.	**खंड आस्तियां** **Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate / Wholesale Banking	36,202.48	38,103.66
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	1,19,429.20	1,01,195.78
	ट्रेजरी / Treasury	1,29,045.30	1,37,501.15
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	876.72	863.16
	अविनिधानीत आस्तियां / Unallocated assets	16,802.56	20,989.09
	कुल आस्तियां / Total assets	**3,02,356.26**	**2,98,652.84**
घ. d.	**खंड आस्तियां** **Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate / Wholesale Banking	10,364.85	18,116.06

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष लिए समेकित स्थिति
Consolidated Segment Information for the year ended March 31, 2022

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	2,32,774.40	2,25,034.93
	ट्रेजरी / Treasury	16,305.80	17,586.30
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	339.49	287.51
	अविनिधानीत देयताएं / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**2,59,784.54**	**2,61,024.80**
ङ. e.	**पूंजी नियोजन (खंड आस्तियां– खंड देयताएं)** Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate / Wholesale Banking	25,837.64	19,987.60
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	(1,13,345.20)	(1,23,839.15)
	ट्रेजरी / Treasury	1,12,739.50	1,19,914.85
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	537.22	575.65
	अविनिधानीत / Unallocated	16,802.56	20,989.09
	कुल / Total	**42,571.72**	**37,628.04**

- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानक (एएस) - 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग कार्यों के रूप में पहचाना जाता है. 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के साथ–साथ पिछली अवधि के लिए संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/ व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है.
  As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) — 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been grouped under the Treasury Segment for the quarter ended March 31, 2022 as well as the previous periods..
- उत्पादों और सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफ़ाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनुरूप की गई है.
  These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.
- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य तंत्र का इस्तेमाल किया गया है.
  In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.
- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया गया है.
  Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर–खंड राजस्व शामिल हैं.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अत: समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस–18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ/A. एएस–18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची / List of related party as per AS-18

I. **प्रवर्तक :**
Promoter:

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
  Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. **संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था :**
Jointly Controlled Entity :

- एजीस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
  Ageas Federal Life Insurance Co Ltd.

III. **सहायक सस्थाएं :**
Associates :

- बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लि.
  Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.
  National Securities Depository Ltd
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लि.
  North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)
  Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL)

IV. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्योरे :**
Key management personnel of the Bank:

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक और सीईओ
  Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक
  Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक
  Shri Suresh Kishanchand Khatanhar DMD
- श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मई 2021 तक)
  Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer.(Up to May 31, 2021)
- श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (01 जून 2021 से)
  Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & Chief Financial Officer (From June 01,2021)
- श्रीमती ज्योति नायर, उप महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव (16 अप्रैल 2021 से प्रभावी)
  Smt. Jyothi Nair, Deputy General Manager & Company Secretary (w.e.f. April 16, 2021)
- श्री पवन अग्रवाल, मुख्य महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव (15 अप्रैल 2021 तक)
  Shri Pawan Agrawal, Chief General Manager & Company Secretary (Up to April 15, 2021)

V. **केएमपी और उनकी इच्छुक संस्थाओं के रिश्तेदार:**
Relative of KMP & their Interested entities :

i. श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, डॉ. मुथुलक्ष्मी रामास्वामी, श्री सैम्युअल जॉर्ज स्टीफन जेबराज, श्रीमती मैरी जेबराज, श्री गेब्रियल स्टीफन राम्याकुमार सैम्युअल, इवांगेलिन मैरी किरूबा सैम्युअल, जॉन अलेक्जेंडर जेबराज, शांति लावण्या पॉल, इवांगेलिन सिंथिया राजकुमार, श्रीमती विदिशा सुरेश खटनहार, श्री किशनचंद खटनहार, श्रीमती रजनी खटनहार, श्री लवेश खटनहार, श्री रमेश खटनहार, श्रीमती पूनम करणी, श्रीमती ज्योति शर्मा, श्री प्रदुमन कुमार, सुश्री अपूर्वा शर्मा, सुश्री अनुपमा शर्मा, श्रीमती अनीता शर्मा, श्री बी.सी. गुप्ता, श्रीमती सुमित्रा गुप्ता, कु. अदिति अग्रवाल, श्रीमती रेणु गुप्ता, श्रीमती गीता शांडिल, श्रीमती नीता गुप्ता, श्रीमती रल्लापल्ली राजश्री, सचिन पोथुकुची, सौम्या पोथुकुची, पी वी शिवराम, पीवी कृष्ण मूर्ति, पी श्रीनिवास, पी हरि प्रसाद, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी , रेथी नायर.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Shri.Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami,Smt. Nidhi Sharma,Smt. Shailja Kaushal, Dr. Muthulakshmi Ramaswamy, Shri Samuel George Stephen Jebaraj, Smt. Mary Jebaraj, Shri Gabriel Stephen Ramyakumar Samuel, Evangeline Mary Kiruba Samuel, John Alexander Jebaraj,Shanthi Lavanya Paul,Evangeline Cynthia Rajkumar, Smt. Vidisha Suresh Khatanhar, Shri Kishinchand Khatanhar, Smt. Rajni Khatanhar, Shri Lavesh Khatanhar, Shri Ramesh Khatanhar, Smt. Poonam Karani, Smt. Jyoti Sharma, Shri Praduman Kumar, Ms. Apurva Sharma, Ms. Anupama Sharma, Smt. Anita Sharma, Shri B.C.Gupta, Smt. Sumittra Gupta, Kum. Aditi Agrawal,Smt. Renu Gupta, Smt. Geeta Shandil, Smt. Neeta Gupta, Smt. Rallapalli Rajasree, Sachin Pothukuchi, Saumya Pothukuchi, P V Sivaram, P V Krishna Murthy, P Srinivas, P Hari Prasad, Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair.

ii. संस्थाएं जिनमें केएमपी की रुचि है – एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. और शोसल फूटप्रिंट प्रा. लि.
Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd & Social Footprint Pvt. Ltd.

आ. समूह से संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन का विवरण :
B. Details of Transactions with Related Parties to the Group :

I. **31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन /शेष राशि:**
Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2022:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $ @ Key Management Personnel $ @	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings outstanding during the year	1,450.00	-	-	-	1,450.00
वर्ष के दौरान बकाया उधारों की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings outstanding during the year	3,000.00	-	-	-	3,000.00
जमा का स्थानन Placement of deposit	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक बकाया जमाराशियां Deposits outstanding as on March 31, 2022	4,475.82	23.42	137.85	-	4,637.08
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of Deposits outstanding during the year	6,813.99	26.72	139.16	-	6,979.87
यथा 31 मार्च 2022 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities outstanding as on March 31, 2022	63.96	0.00	-	-	63.96
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of other Liabilities outstanding during the year	63.96	6.09	-	-	70.05
बकाया निवेश Investments outstanding	-	200.00	36.94	-	236.94

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $ @ Key Management Personnel $ @	कुल Total
अधिकतम निवेश बकाया Maximum investments outstanding	-	200.00	36.94	-	236.94
31 मार्च 2022 तक प्राप्य बकाया Receivable outstanding as on March 31, 2022	5.69	0.96	0.30	-	6.95
वर्ष के दौरान बकाया प्राप्य की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable outstanding during the year	10.08	0.96	0.30	-	11.34
जमा पर ब्याज Interest on deposits	1.03	0.22	5.23	-	6.48
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	3.10	3.10
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	18.71	-	0.96	-	19.67
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	74.68	3.40	0.03	-	78.11
उधार पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	264.61	-	-	-	264.61
वर्ष के दौरान बकाया गैर–निधि प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	0.25	0.41	-	0.66
वर्ष के दौरान बकाया गैर–निधि प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	0.25	0.41	-	0.66

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अत: उपर्युक्त प्रकटीकरण में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक कम कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above disclosure. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ 1) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में अर्जित किए जाते हैं और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के प्रति आवंटित नहीं किए जाते हैं.

@ 1) Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ मुख्य रूप से जोखिम लेने वाले और कंट्रोल फंक्शन स्टाफ को प्रतिपूर्ति पर दिनांक 4 नवंबर, 2019 के आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2019–20/89 डीओआर.एपीपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019–20 अनुसार

2) In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff.

क) प्रमुख वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, आस्थगित परिवर्तनीय वेतन की कुल राशि ₹1.07 करोड़ है.

a) For the FY 2020-21, total amount of deferred variable pay is ₹1.07 Crore.

ख) वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, परिवर्तनीय वेतन के लिए कुल ₹1.66 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है.

a) For the FY 2021-22, total amount of ₹ 1.66 Crore is provided for variable pay.

II. **31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन/ उनके पास शेष राशि:**
Transactions / balances with related parties during the year ended March 31, 2021:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मद/ संबंधित पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $ Key Management Personnel $	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings outstanding during the year	3,000.00	-	-	-	3,000.00
वर्ष के दौरान बकाया उधारों की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings outstanding during the year	3,040.00	-	-	-	3,040.00
जमा का स्थानन Placement of deposit	-	-	-	-	-
जमा प्राप्त @ Deposit Received @	1.55	-	-	-	1.55
31 मार्च 2021 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2021	3,820.00	17.60	142.19	-	3,979.79

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मद/ संबंधित पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $ Key Management Personnel $	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	5,996.00	22.07	142.19	-	6,160.26
यथा 31 मार्च 2021 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2021	-	1.31	-	-	1.31
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of other Lilibities Outstanding during the Year	-	1.32	-	-	1.32
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	200.00	36.94	-	236.94
अधिकतम निवेश बकाया Maximum investments Outstanding	-	384.00	36.94	-	420.94
31 मार्च 2021 को बकाया प्राप्य Receivable Outstanding as on March 31, 2021	-	0.78	0.30	-	1.08
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया प्राप्य राशियां Maximum amount of recivaible outsantding during the year	-	0.97	0.30	-	1.27
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	10.68	0.30	4.18	-	15.16
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	1.73	1.73
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	1.29	-	0.85	-	2.14
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	63.64	5.20	0.00	-	68.85

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मद/ संबंधित पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates #	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $ Key Management Personnel $	कुल Total
उधार पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	322.17	-	-	-	322.17
वर्ष के दौरान लाभ/ हानि का हिस्सा Share of Profit/ Loss during the year	-	33.22	83.46	-	116.68

@ वर्ष के दौरान प्राप्त नई सावधि जमा का प्रदर्शित करता है.
@ Represents new term deposits received during the Year.

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अत: उपर्युक्त प्रकटीकरण में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक कम कर दिया है..
In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया है.
$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

III. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 3.10 करोड़ है.**
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ended March 31, 2022 is ₹ 3.10 Crore.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21
श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक और सीईओ Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	0.91	0.36
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director	0.68	0.32
श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director	0.70	0.31
श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & Chief Financial Officer	0.38	-
श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer	0.10	0.37
श्री पवन अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधक और कंपनी सचिव Shri. Pawan Agrawal, Chief General Manager & Company Secretary	0.02	0.36
श्रीमती ज्योति नायर, उप महाप्रबंधक और कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Deputy General Manager & Company Secretary	0.31	-
कुल / TOTAL	**3.10**	**1.73**

6. पट्टे (एएस–19) / LEASES (AS-19)

क) पट्टा/ किराये पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य होती हैं.

A) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank

ख) बैंक द्वारा किए गए लीज़ सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज़ अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज़ को समाप्त करने का विकल्प होता है.

B) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग) नवीनीकरण और वृद्धि खंड की शर्तें वे हैं जो सामान्य रूप से समान समझौतों में प्रचलित हैं. समझौतों में कोई अनुचित प्रतिबंध या कठिन खंड नहीं हैं.

C) The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

घ) परिचालनात्मक पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराये को उस वर्ष में जिससे यह संबन्धित है, लाभ–हानि खाते में उल्लेख किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लीज़ किराया ₹ 392.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 375.47 करोड़) है.

D) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the FY 2021-22 is ₹ 392.46 Crore (Previous Year: ₹ 375.47 Crore)

ङ) तुलन–पत्र की तारीख को गैर–निरसनीय परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में सहायक/ संयुक्त उद्यमों के लिए भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:

E) The future minimum lease payments for subsidiaries/JV in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	0.98	0.56
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	0.61	-

7. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस–20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2022 As at March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 As at March 31, 2021
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (हानि) (₹ करोड़ में) Consolidated Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹Crore)	2533.67	1513.97
वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1048,55,15,210
जोड़ें: मंजूर ईएसओपी का कम प्रभाव / Add: Dilutive impact of ESOP granted	0.00	0.00
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1048,55,15,210
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	2.36	1.44
ईपीएस(न्यूनीकृत) (₹) / EPS(Diluted) (₹)	2.36	1.44
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face Value per Equity share (₹)	10.00	10.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस–22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय–अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियां एवं आस्थगित देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:
The component of Deferred Tax Asset & Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा मार्च 2022 As at March 2022	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 2022	यथा मार्च 2021 As at March 2021
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	17	17	0
अनर्जक आस्तियों तथा अन्य के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है. Disallowance related to provision for NPA and for other provisions not allowed under Income tax Act, 1961	8,617	(138)	8,755
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	4	0	4
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अस्वीकृत Disallowance as per the provisions of Income Tax Act, 1961	224	34	190
ग्रेच्युटी/ पेंशन / Gratuity/Pension	0	0	0
छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment	1	0	1
कारोबार हानि / Business Loss	4,714	(934)	5,648
अनवशोषित मूल्यह्रास / Unabsorbed depreciation	56	(104)	160
कुल (अ) / TOTAL (A)	**13,633**	**(1,127)**	**14,760**
आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	1	(2)	3
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	308	-	308
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	0	0	0
छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	0	0	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	0	0	-

विवरण Particulars	यथा मार्च 2022 As at March 2022	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 2022	यथा मार्च 2021 As at March 2021
कुल (आ) / **TOTAL (B)**	**309**	**(2)**	**311**
आस्थगित कर देयता /(आस्ति) (निवल) (अ)-(आ) **Deferred tax liability / (asset) (net) (A) – (B)**	**13,324**	**(1,125)**	**14,449**

बैंक आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को शुरू कर रहा है, जो इसके रिवर्सल होने की वर्च्युअल निश्चितता को ध्यान में रखते हुए कारोबार हानि पर भी शामिल है.
Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

9. कराधान हेतु प्रावधान / PROVISION FOR TAXATION

i. **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :**
In case of IDBI Bank Limited:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
आय कर / Income Tax	31.30@	24.94#

@ वित्तीय वर्ष 2022 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया. वित्तीय वर्ष 2001, वित्तीय वर्ष 2002 एवं वित्तीय वर्ष 2013 के लिए कुल ₹ 181.35 करोड़ का आधिक्य प्रावधान बट्टे खाते में डाला गया था और आयकर वापसी/ मांग के कारण वित्तीय वर्ष 2010-2011 और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए ₹ 228.26 करोड़ (निवल प्रभाव ₹ 46.91 करोड़) की मांग को समायोजित किया गया है.
@ No provision for Income Tax made for the FY 2022. The excess provision for FY 2001, FY 2002 & FY 2013 aggregating to ₹ 181.35 Crore was written back and ₹ 228.26 Crore demand for FY 2010-2011 and FY 2018-2019 is adjusted (net impact ₹ 46.91 Crore) on account of Income tax refund/ demand.

वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया. वित्त वर्ष 1998, वित्त वर्ष 1999 एवं वित्त वर्ष 2000 के लिए कुल 299.52 करोड़ रुपये का आधिक्य प्रावधान आयकर प्रतिदाय के रूप में बट्टे खाते में डाला गया था.
No provision for Income Tax made for the FY 2021. The excess provision for FY 1998, FY 1999 & FY 2000 aggregating to ₹ 299.52 Crore was written back during the year on account of Income tax refund.

ii. **एजिस फेडरल लाइफ इंशुरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में :**
In case of Ageas Federal life Insurance Company Limited :

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा कर प्रावधान 8.27 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 8.66 करोड़ रु.) निर्धारित किए गए हैं.
The Current Tax Provision is determined in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961. The provision for current tax amounts to ₹ 8.27 Crore (Previous Year: ₹ 8.66 Crore).

चालू कर के प्रावधान में ₹ 5.79 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 4.78 करोड़) की राशि शामिल है, जिसकी गणना कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप, राजस्व खाते में कारोबार के सहभागी भाग के कुल अधिशेष पर की गई है.
The provision for current tax includes an amount of ₹ 5.79 Crore (Previous Year: ₹ 4.78 Crore) which has been computed on the total surplus of the participating line of business in Revenue Account, in line with the Company's accounting policy.

इसके अलावा, शेयरधारकों से संबंधित ₹ 2.48 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 3.89 करोड़) के मौजूदा कर के प्रावधान और कारोबार अधिशेष के सहभागी भाग के अलावा लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित गया है.
Further, provision for current tax amounting to ₹ 2.48 Crore (Previous Year: ₹ 3.89 Crore) pertaining to Shareholders' and other than participating line of business surplus has been charged to Profit & Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

10. यथा 31 मार्च 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार अनुषंगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है: Summarized financial information of Subsidiary Companies, Associate Companies & Jointly Controlled Entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2022 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share on profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. Parent : IDBI Bank Ltd.	97.57%	41,661.98	96.27%	2,439.27
सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries				
भारतीय : / Indian :				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.77%	329.51	0.66%	16.75
2. आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.	0.24%	103.90	0.67%	16.95
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Ltd.	0.29%	121.82	0.33%	8.45
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	1.69	0.00%	0.08
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	282.97	2.04%	51.66
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित Minority Interest in all Subsidiaries	0.30%	128.19	0.92%	23.40
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) # Associates (Investment as per the equity method) #				
भारतीय : / Indian :				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0.00%	0.00
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1.55%	39.33
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0.00%	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share on profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures				
(इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार) (as per proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
भारतीय : / Indian :				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंशुरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	0.60%	257.24	0.93%	23.58
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
कुल / TOTAL	**100.44%**	**42,887.30**	**101.54%**	**2,572.68**
विलोपन / Elimination	(0.44%)	(187.41)	(1.54%)	(39.01)
निवल कुल / Net Total	**100.00%**	**42,699.89**	**100.00%**	**2,533.67**

नोट: उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

तीन सहयोगी संस्थाओं अर्थात् नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (25%), बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) और पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (21.14%) से वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं एवं 1 सहयोगी नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (26.10%) के मामले में वित्तीय दिसंबर 2021 तक लिया गया है, जिसके कारण समेकन नहीं किया गया है, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर इससे उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में उक्त कंपनी में निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

 # The Financials of three associates Viz., North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%), Biotech Consortium India Limited (27.93%) and Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%) are not considered for consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for FY 2022 & in case of 1 associate National Securities Depository Limited (26.10%) the financials has been taken up to December 2021,impact of which on the Consolidated Financial Statements is not material. In case of an associate Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited, the investment in the said company has been written down to ₹ 1.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

11. परिचालन बंद करना (एएस-24) : / DISCONTINUING OPERATIONS (AS-24) :

वित्तीय वर्ष 2021-22 अवधि के दौरान, बैंक ने अपनी शाखाओं में से किसी का भी परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी है और आस्तियों की प्राप्ति हुई है और किसी भी परिचालन को पूर्ण रूप से बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसका उपर्युक्त पर प्रभाव पड़ेगा.

During the FY 2021-22, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

12. आकस्मिक देयता: / CONTINGENT LIABILITY:

अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)@
A. DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES (AS-29)@

क्र.सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief Description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालनगत मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा . This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करता है. इसमें वेंचर कैपिटल फंड के लिए आहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यत: अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपनी बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यत: इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfil its financial or performance obligations.

क्र.सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief Description
V	स्वीकृतियां, समर्थन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations.	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला–बदली तथा ऋण चूक अदला–बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यत: अंतर–बैंक बाजार में ऑफ–सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम–स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यत: अंतर–बैंक बाजार में ऑफ–सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र.सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief Description
VIII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
IX	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ)–जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि में अंतरित करता है. b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued, if any, from the customer accounts not operated or amounts not claimed for more than 10 years to the RBI DEAF. ग) पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रतिभूतियों आदि के जारी होने तक प्रतिभूतियों के जारी किए जाने पर, आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं के लिए प्रदान नहीं किया गया. c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.

आ. दीर्घावधि संविदाएं
B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमे
C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित हैं वहां पर्याप्त प्रावधान किए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहां आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

@ अनुसूची–12–मात्रात्मक प्रकटन के लिए आकस्मिक देयताएँ देखें

@ Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

ई. आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का संचलन
D. Movement of provision against Contingent Liabilities

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क/a.	आरंभिक शेष / Opening Balance	59	117
ख/b.	वर्ष के दौरान योग/ (प्रत्यावर्तन) / Addition/ (reversal) during the year	56	(58)
ग/c.	अंतिम शेष / Closing Balance	115	59

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में :

In case of IDBI Asset Management Limited:

i) कर–निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26–12–2017 के अपने कर–निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. तथापि कोई मांग नहीं की गई है. कंपनी ने उक्त कर–निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. (पिछले वर्ष शून्य).

For the AY 2015-16 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. However no demand has been raised. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regard. (Previous year Nil).

ii) वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए आशोधित मूल्य योजित कर प्रणाली (एमवीएटी) कर– निर्धारण में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 0.43 करोड़ की मांग की थी. कंपनी ने इस कर–निर्धारण के विरुद्ध भी अपील दायर की है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अभ्यापत्ति के अंतर्गत ₹ 0.15 करोड़ का तदर्थ भुगतान किया गया है. सुनवाई पूरी हो गई है,आदेश का इंतजार है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. (पिछले वर्ष ₹ 0.43 करोड़).

In the MVAT assessment for the financial year 2011-12 the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹ 0.43 Crore on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. An adhoc payment under protest of ₹ 0.15 Crore was made during FY 2020-21. Hearings completed, waiting for order. No provision has been made in this regard. (Previous year ₹ 0.43 Crore).

iii) कर–निर्धारण (परिशोधन) वर्ष 2018–19 के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में यद्यपि आदेश आय में शून्य वृद्धि के साथ पारित किया गया है, पर धनवापसी पर अतिरिक्त ब्याज का अनुमान लगाते हुए ₹ 0.25 करोड़ की मांग प्राप्त हुई थी. कंपनी ने आयकर विभाग के पास परिशोधन के लिए आवेदन किया है, क्योंकि धनवापसी पर ब्याज की गणना हेतु विभाग द्वारा गलत तारीख पर विचार किया गया था. मामले की सुनवाई अभी शुरु होनी है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. (पिछले वर्ष शून्य).

In connection with income Tax Assessment for AY 2018-19 (Rectification), though order passed with Zero Addition to the income, demand for ₹ 0.25 Crore received on account of presumption of excess interest on refund. The company has filed rectification with Income Tax Department as wrong date was considered by the department for calculation of Interest of Refund. The case hearing yet to start. No provision has been made in this regard. (Previous year Nil).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv) मेसर्स श्री राम इंटरप्राइजेस (ठेकेदार) का कंपनी के साथ करार किया गया था जिसमें संविदा आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करना था और करार के अनुसार ठेकेदार सभी देयताओं के लिए एकल रूप से जिम्मेदार है. कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान मेसर्स श्री राम इंटरप्राइजेस के कर्मचारियों को ₹0.04 करोड़ का भुगतान किया था जोकि कंपनी के अनुसार वसूली योग्य है (नोट 15 "अन्य चालू आस्तियाँ" के अंतर्गत दर्शाया गया है). अत: इसके परिणाम स्वरूप देयता शून्य होगी. (पिछले वर्ष शून्य).
M/s Shree Ram Enterprises (the contractor) had agreement with the Company to provide employees on contract basis and according to the agreement the contractor is solely liable for all the liabilities. The Company during the year 2020-21 had paid ₹ 0.04 Crore to the employees of M/s. Shree Ram Enterprises, which according to the Company is recoverable (shown under Note 15 "Other current assets") and hence liability will be Nil. (Previous year Nil).

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में :
In case of IDBI Capital Market & Securities Limited :

i) **कंपनी की अन्य आकस्मिक देय मदें -**
Other items for which the Company is contingently liable-

1. कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे – ₹ 0.21 करोड़ (₹ 0.14 करोड़) है जिसमें 18%की दर से ₹ 0.01 करोड़ (₹ 0.01 करोड़) का ब्याज शामिल है.
Claims against the Company not acknowledged as debt – ₹ 0.21 Crore (Previous period ₹ 0.14 Crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.01 Crore (Previous period ₹ 0.01 Crore).

2. **क) विवादित आयकर मामले**
a) Disputed Income Tax Matters

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

कर–निर्धारण वर्ष Assessment Year	विवादित कर राशि Disputed Tax Amount	
	यथा 31 मार्च 2022 As on March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 As on March 31, 2021
2013-14	10.79	0.25
2014-15	0.25	0.22
2018-19	2.58	-

विवादित आयकर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तद्नुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
Disputed Income Tax matters are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

निर्धारण वर्ष 2006–07 और 2008–09 के संबंध में आयकर विभाग ने अपीलीय कार्यवाही में कंपनी को अनुमत कुछ व्ययों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. तथापि आगे ले जाई गई हानियों/ एमएटी के अंतर्गत स्वीकार्य कर के कारण कंपनी से कोई कर मांग नहीं की गई. कर–निर्धारण वर्ष 2012–13 (वित्तीय वर्ष 2011–12) के संबंध में आयकर विभाग ने आईटीएटी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार यह अपील उच्च न्यायालय में स्वीकारण हेतु विचाराधीन है और कंपनी ने अपने बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. इसी प्रकार से निर्धारण कार्यवाही के दौरान की गई कुछ अस्वीकृतियों के बारे में निर्धारण वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के संबंध में कंपनी ने अपील की है, हालांकि विभाग द्वारा संबन्धित कर–निर्धारण वर्ष के लिए कोई मांग नहीं की गई है. प्रबंधन को विश्वास है कि अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन अपीलों में उसके पक्ष को बरकरार रखा जाएगा और कंपनी पर कोई देयता नहीं आएगी.
In respect of Assessment Years 2006-07 and 2008-09, the Income Tax Dept. has gone in appeal before High Court pertaining to some of the expenses allowed to the Company in appellate proceedings. However there were no tax demands on the company due to adjustment of carried forward losses/admitted tax under MAT. In respect of Assessment Year 2012-13 (Financial Year 2011-12) Dept. has filed an appeal in High Court against the order of ITAT. This appeal before the High Court is pending for admission as on March 31, 2022 and Company has taken necessary steps to defend its position. Similarly Company is in appeal in respect of Assessment Years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 relating to certain disallowances made during the assessment proceedings though there have been no demands raised by the Dept. for the respective assessment years. The management is confident that its position is likely to be upheld in the appeals pending before appellate authorities and no liability could arise on the Company.

ख) विवादित सेवा कर मामले
b) Disputed Service Tax Matters

विभाग द्वारा की गई सेवा कर लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए निष्कर्ष के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

Show cause notices have been raised by the Service Tax Dept. for following financial years based on the findings during the Service Tax Audit conducted by the Department.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित सेवा कर राशि Disputed Service Tax Amount	
	यथा 31 मार्च 2022 As on March 31, 2022	यथा 31 मार्च 2021 As on March 31, 2021
2012-13	3.19	3.19
2013-14	1.78	1.78
2014-15	1.87	1.87
2015-16	1.77	1.77
2016-17	0.66	0.66
2017-18	0.12	0.12
कुल / TOTAL	9.38	9.38

कंपनी द्वारा सभी कारण बताओ नोटिसों और माँगों का प्रतिवाद किया गया है और ये संबन्धित प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं.
All the show cause notices and demand raised have been contested by the Company and are pending before the respective authorities.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में :
In case of IDBI Trusteeship Services Limited:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	2021-22	2020-21
कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे: **Claims against the company not acknowledged as debt :**		
i) कर–निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिए आयकर मांग (विटेको) (कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है) Income Tax demand for the AY 2007 – 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))	0.06	0.06
ii) प्रतिभूतिकरण लेन–देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतिकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है. There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on Securitization transactions amounting to ₹ 1.61 crores (approximately) on various Securitization trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same.		

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

एजिस फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि. के मामले में :
In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2022 As on March 31, 2022	यथा 31 मार्च 3021 As on March 31, 2021
अंशत: प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	शून्य / Nil	शून्य / Nil
बकाया हामीदारी वचनबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर– विवादों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts by the company - Claims made by employees for disputes	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given by or on behalf of the company	0.0625	0.0625
विवादित सांविधिक मांग/ देयताएं, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया * Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for *		
- आयकर / Income Tax	16.76	9.17
- सेवा कर (कंपनी द्वारा लिए गए कतिपय रुखों पर सेवा कर आयुक्त III का कार्यालय, मुंबई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाबत) Service Tax (on account of objections raised by the Office of the Commissioner of Service Tax III, Mumbai on certain positions taken by the Company)	2.66	3.06
उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	शून्य / Nil	शून्य / Nil
मुकदमे के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे Policy related claims under litigation	4.63	3.66

** इन मांग/ देयताओं के लिए विभिन्न अधिनिर्णयन और प्रबंधन स्तर पर प्रतिवाद किए जा रहे हैं साथ ही विशेषज्ञों की राय है कि ये वहनीय नहीं हैं और तदनुसार प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अनंतिम फैसलों से कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालनगत परिणामों पर कोई भारी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.*
** These demands/liabilities are being contested at various adjudicating levels and management including its experts is of the view that the same shall not be sustainable and accordingly the management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations.*

प्रतिबद्धताएँ :
Commitments

दिए गए वचन और यथा 31 मार्च 2022 को निवेश के लिए बकाया ₹ 0.36 करोड़ है. (पिछले वर्ष : ₹ 0.83 करोड़)
Commitments made and outstanding for investment March 31, 2022 is ₹ 0.36 Crore (Previous Year: ₹ 0.83 Crore).

अचल आस्तियों पर निष्पादित किए जाने वाले करारों की शेष अनुमानित राशि, जिनका यथा 31 मार्च 2022 को प्रावधान (अग्रिम को घटा कर) नहीं किया गया है, ₹ 2.45 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 0.25 करोड़).
Estimated amount of contracts remaining to be executed on fixed assets to the extent not provided for (net of advance) as at March 31, 2022 is ₹ 2.45 Crore (Previous Year: ₹ 0.25 Crore).

आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में :
In case of IDBI Intech Limited :

i. कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 4.20 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. यथा 31 मार्च 2022 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 4.20 करोड़ (पिछले वर्ष समान अवधि में ₹ 3.77 करोड़) रहीं.
The Company has provided bank guarantee of ₹ 4.20 Crore to customers for its IT Projects. as at 31st March 2022, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 4.20 Crore (previous corresponding period ₹ 3.77 Crore).

ii. पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के एक पूर्व कर्मचारी को ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष समान अवधि में ₹ 0.04 करोड़) की प्रतिकर राशि अदा करने के जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति कंपनी ने प्रतिवाद किया है और उच्च पीठ में अपील दायर की है और अनुकूल निर्णय की आशा करती है. कंपनी ने अनुमानित सांविधिक बकायों सहित अनुमानित आधार पर प्रावधान किया है. तथापि, उक्त ओबीएसटी वर्टिकल के दूसरे पूर्व–कर्मचारियों

को किसी अन्य मुआवजे का भुगतान करने के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

The company has contested and has appealed at higher bench against an order passed by the Jaipur High Court for a claim to pay compensation amounting to ₹ 0.04 Crore (previous corresponding period ₹ 0.04 Crore) to one of the ex-employees of the erstwhile OBST vertical and expects favorable outcome. The company has made provision on estimated basis including the possible statutory dues. However the outcome to pay any further compensation to other ex-employees of the said OBST vertical cannot be ascertained and hence no separate provision, except the retiring benefits, has been made.

iii. आय पर करों के लिए दावे : / Claims for taxes on income:

जहाँ कंपनी अपील की प्रक्रिया में है : / Where the Company is in appeal:

क. आय कर प्राधिकारियों की कुछ अस्वीकृतियों से उत्पन्न लेखा वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के संबंध में पूर्ण किए गए निर्धारण के संबंध में आय कर विभाग ने ₹ 0.05 करोड़ (पिछले वर्ष समान अवधि में ₹ 0.05 करोड़) की मांग की है. कंपनी ने उक्त आदेशों खिलाफ अपील दायर की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अत: ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.

a. Income tax demands of ₹ 0.05 Crore (previous corresponding period ₹ 0.05 Crore) have been raised in respect of assessment completed for AY 2013-14 and AY 2014-15, arising from certain disallowances by the Income tax authorities. The Company has appealed against the Orders and based on merit, expects favourable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary.

ख. सेवा कर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि के संबंध कंपनी द्वारा सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त किए गए कुछ सीईएनवीएटी क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए ब्याज तथा दंड सहित ₹0.84 करोड़ (पिछले वर्ष समान अवधि में ₹0.84 करोड़) की मांग की है. केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) ने इस मांग को घटाकर ₹ 0.78 करोड़ कर दिया है. कंपनी ने उक्त आदेशों के खिलाफ सीईएसटीएटी को अपील की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अत: ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. तथापि कंपनी ने ₹ 0.51 करोड़ सविरोध भुगतान कर दिये हैं जिसे अन्य गैर–चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

b. Service tax authority put a demand of ₹ 0.84 Crore (previous corresponding period ₹ 0.84 Crore) including interest and penalty by disallowing certain CENVAT credit availed by the Company during the Service tax audit in respect of period from FY 2012-13 to FY 2017-18. This demand was reduced to ₹ 0.78 Crore by the Commissioner of Central Tax (Appeal). The company has appealed to CESTAT against the Orders and based on merit, expects favorable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary. However the company had paid ₹0.51 Crore under protest, which is reflected under other non-current assets.

ग. वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा ₹0.26 करोड़ (पिछले वर्ष समान अवधि में ₹0.26 करोड़) की मांग की गई है जिसका प्रतिवाद किया गया है और बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई है. मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अत: ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. * मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएं देखें.

c. Demand of VAT made by Sales tax authority amounting to ₹ 0.26 Crore (previous corresponding period ₹ 0.26 Crore) for the period from FY 2010-11 to FY 2015-16 has been contested and appeal to Deputy Commissioner of Sales tax. Based on merit, the Company expects a favorable outcome on the same. Hence no provision against such demand is considered necessary. *Refer Schedule 12 Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

13. आस्तियों की हानि (एएस–28): / IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28):

प्रबंधन के मतानुसार, चालू और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई हानि नहीं है.

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

14. अन्य प्रकटन: / OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान अधिमान्य आधार पर कोई इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किया गया (पिछले वर्ष अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) मार्ग के माध्यम से ₹ 28.60 प्रति शेयर प्रीमियम के साथ पूर्ण प्रदत्त प्रति 10 ₹ के 37,18,08,177 शेयर आबंटित किए गए जो कुल ₹ 1,435.18 करोड़ के थे.

During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year 37,18,08,177 (nos.) at ₹10/- each fully paid up with a share premium of ₹ 28.60 per share aggregating to ₹ 1,435.18 Crore through the Qualified Institutional Placement (QIP) route).

II. **भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़)**

Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने अपने दिनांक 29 मार्च 2022 के पत्र द्वारा आरबीआई को ₹ 1064.27 करोड़ की विशेष प्रतिभूति को रद्द करने की सूचना दी है जो मोचन के लिए बकाया था. इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने 30 मार्च 2022 को ₹ 118.00 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति निर्मोचन करने की सूचना दी है. ये प्रतिभूतियाँ ₹ 9000 करोड़ की उन प्रतिभूतियों के भाग के रूप में हैं जो भारत सरकार ने सितंबर 2004 में एसएएसएफ़ के प्रति बैंक को जारी की थी. ये प्रतिभूतियाँ 20 वर्ष के लिए हैं जो सितंबर 2024 में परिपक्व होंगी. यथा 31 मार्च 2022 को एसएएसएफ़ के लिए कुल प्रावधान ₹2633.73 करोड़ (पूर्ण प्रावधानित) है.

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS) vide its letter dated 29th March 2022, advised for cancellation of special securities of ₹1064.27 crore to RBI which was due for redemption. Further DFS has also advised for release of additional securities ₹118.00 Crore on 30th March 2022. These securities form part of ₹9000 crore of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. Provision for SASF as on March 31, 2022 stands at ₹2633.73 Crore (fully provided).

III. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय:**
Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि: ₹2.15 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹2.02 करोड़).
a. Gross amount required to be spent during the year: ₹2.15 Crore (Previous Year: ₹2.02 Crore).
ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:
b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-2021 FY 2020-21
नकद / In cash	2.51	2.02
नकद भुगतान किया जाना शेष है / Yet to be paid in cash	0.12	Nil
कुल / TOTAL	2.63	2.02

IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में कुछ निश्चित प्रकटीकरण आवश्यक है. बैंक उक्त अधिनियम के अधीन कवर की जाने वाली सम्बद्ध जानकारियों को आपूर्तिकर्ताओं से लेकर समेकित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन के अनुसार, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय हो सकता है, महत्वपूर्ण नहीं है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

V. **कोविड–19:**
COVID-19 :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के कारण अप्रैल–मई 2020 के दौरान देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी रही जिससे आर्थिक गतिविधियां पर्याप्त रूप से प्रभावित हुई. इसके बाद लॉकडाउन में थोड़ी छूट से आर्थिक गतिविधियों में थोड़ा सुधार हुआ और वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में सामान्य स्थिति बहाल होनी शुरू हुई. वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत ने कोविड–19 महामारी की दो और लहरों को झेला और देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया. वर्तमान में, कोविड–19 के मामले धीरे–धीरे कम हो रहे हैं और भारत सहित दुनिया के सभी देशों में अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे पटरी पर लौट रही है.

During FY 2020-21, the COVID-19 pandemic resulted in nation-wide lockdown during April – May 2020 which substantially impacted economic activity. The subsequent easing of lock down measures led to gradual improvements in economic activity and progress towards normalcy from Second Half of FY 2021. FY 2021-22, India witnessed two more waves of COVID -19 pandemic and the re-imposition of the localized /regional lockdown measures in certain parts of the country. At present, there has been a gradual lowering of covid-19 cases and the countries around the world are witnessing a gradual revival in their economies including India.

आईडीबीआई बैंक के मामले में :
In case of IDBI Bank Limited:

बैंक ने कोविड–19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सभी क्षेत्रों में स्वत: स्फूर्त तेजी दिखाई है. बैंक की पूँजी और नकदी की स्थिति मजबूत है और बैंक इन पर अपना ध्यान केन्द्रित करता रहेगा.

The Bank has geared itself on all fronts to meet the challenges imposed by COVID-19. The Bank's capital and liquidity position is strong and would continue to be the focus area for the Bank.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान कोविड–19 संबंधी ₹ 747 करोड़ के प्रावधान को रिवर्स कर दिया है. 31 मार्च 2022 को बैंक के पास कोविड–19 से संबन्धित कुल प्रावधान ₹ 116 करोड़ (कोविड–19 मानकों के अधीन पुनर्संरचना के लिए धारित प्रावधान को छोड़ कर) था जो कोविड–19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए है.
In view of the above, the Bank has reversed COVID-19 related provision of ₹747 Crore during the Quarter ended March 31, 2022. As at March 31, 2022 the Bank held aggregate COVID-19 related provision of ₹116 Crore (other than provisions held for restructuring under COVID-19 norms) considering the present status of COVID-19.

एजिस फेडरल कंपनी लिमिटेड के मामले में :
In case of Ageas Federal Limited:

यथा 31 मार्च 2022 के अनुसार कंपनी की ऋण–शोधन क्षमता 312% (पिछले वर्ष 340%) है जो निर्धारित विनियामकीय सीमा से अधिक है. कंपनी द्वारा मूल्यांकन से पता चलता है कि कंपनी का परिचालन बजट के अनुरूप है और निकट भविष्य में इसके परिचालनों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की आशा नहीं है.
The solvency ratio of the Company as at March 31, 2022 is 312% (Previous Year: 340%) which is above the prescribed regulatory limit. The Company's assessment indicates that the company's operations are in line with the budgets and no adverse impact on its operations is expected in the near future.

तथापि, कंपनी स्थिति और कोविड–19 के कारण कारोबार और वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की निगरानी अभी भी करती रहेगी.
However, the Company will still continue to monitor the situation and any probable impact on the business and financial statements due to COVID-19.

VI बैंक के बोर्ड ने 01 नवंबर 2017 से नेट ओवरनाइट ओपेन पॉजिशन (एनओओपी) के लिए सीमा ₹ 400 करोड़ निर्धारित की है. वर्ष के दौरान ओपेन पॉजिशन अनुमोदित सीमा के भीतर रही और औसत उपयोग ₹78.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹122.69 करोड़) रहा. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 15 अप्रैल 2021 को ₹146.21 करोड़ था. (पिछले वर्ष 11 दिसंबर 2020 को ₹185.13 करोड़).

The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹400 Crore w.e.f November 01, 2017. During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹78.42 crore (Previous. Year ₹122.69 Crore). The maximum utilization during the year was at ₹ 146.21 Crore on April 15, 2021. (Previous Year ₹185.13 crore on December 11, 2020).

VII 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, आपसी समझ से, लिखित या अन्य प्रकार से, बैंक, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, ("बिचौलियों") को कोई भी राशि अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गई है या किसी संस्था में निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) नहीं किया गया है और यह कि बिचौलिये बैंक द्वारा निर्धारित पक्षकार को उधार दे पाएंगे या उनमें बैंक (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से निवेश कर पाएंगे. बैंक, सहायक, सहयोगी और संयक्त रूप से नियंत्रित संस्था को किसी भी पक्षकार (निधीयन पक्षकार) से इस समझ के साथ निधि प्राप्त नहीं हुआ है कि बैंक, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था ("अंतिम लाभार्थी") की तरफ से निर्धारित या इनकी तरफ से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगे या इनमें निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थी की तरफ से गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेंगे.

During the year ended March 31, 2022, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank, Subsidiaries, Associate & Jointly controlled entity to or in any other persons or entities, ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). The Bank, Subsidiaries, Associate & Jointly controlled entity has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank, Subsidiaries, Associate & Jointly controlled entity shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank, Subsidiaries, Associate & Jointly controlled entity ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

VIII पिछले वर्ष के आंकड़े ब्रैकेट में दिए गए हैं तथा इन्हें पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि इनकी संपुष्टि चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति के साथ की सके और साथ ही इसे 30 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "वित्तीय परिणामों पर मास्टर निर्देश - प्रस्तुति और प्रकटन" (15 नवंबर 2021 को अद्यतित) की अपेक्षाओं के अनुसरण में आवश्यकतानुसार संशोधित किया गया है.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped / rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on November 15, 2021), as amended and wherever considered necessary.

'1' से '18' लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	(जे. सैम्युअल जोसेफ) (J. Samuel Joseph) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530)	(सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 01853823)	(पोथुकुची सीताराम) (Pothukuchi Sitaram) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(ज्योति नायर) (Jyothi Nair) कंपनी सचिव Company Secretary

'1' से '18' लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

आज की तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा For Varma & Varma सनदी लेखाकार /Chartered Accountants एफआरएन /FRN : 004532S	कृते जी डी आप्टे एंड कं. For G D Apte & Co सनदी लेखाकार /Chartered Accountants एफआरएन /FRN : 100515W
पी आर प्रसन्ना वर्मा P R Prasanna Varma साझेदार/(एम. नं. 25854) /Partner (M.No. 25854)	सौरभ पेशवा Saurabh Peshwe साझेदार/(एम. नं. 121546) /Partner (M.No. 121546)

स्थान: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक: 02 मई 2022 / Date: May 02, 2022

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022

(₹ 000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
अ. A.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities		
(1)	**कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि) Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items**	3720 46 89	2484 73 72
(2)	**गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: Adjustments for non cash items:**		
-	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(60 79)	42 02
-	मूल्यह्रास और पुनर्मूल्यन हानि Depreciation and revaluation loss	490 31 94	396 84 73
-	परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium on Held to Maturity investments	185 81 16	122 18 04
-	ऋणों/ निवेशों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना Provisions/ Write off of Loans/ Investments	3311 61 08	2357 16 22
-	मानक और पुनर्गठित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and restructured assets	262 51 36	1877 12 64
-	अन्य प्रावधान Other Provisions	374 96 06	422 33 93
-	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/ हानि (Profit) / Loss on revaluation of Investments	(16 26 23)	54 31 20
-	उधार पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	1162 56 75	1397 95 37
-	व्युत्पन्न और विनिमय लेनदेन के उचित मूल्य पर (लाभ)/ हानि (Gain)/ loss on fair value of derivatives and exchange transactions	(14 04 76)	(98 89 41)
		9477 33 46	**9014 18 46**
(3)	**परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
	- निवेश / Investments	(4116 78 20)	(1735 37 30)
	- अग्रिम / Advances	(19143 63 40)	1332 12 90
	- अन्य आस्तियां / Other Assets	5056 60 85	3184 40 15
	- प्रत्यक्ष करों की वापसी/(भुगतान) / Refund/ (payment) of direct taxes	2910 04 07	(267 26 30)
(4)	**परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
-	उधार राशियां / Borrowings	1571 32 67	(15604 81 58)
-	जमा राशियां / Deposits	2189 40 90	8446 32 43
-	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	(1876 51 77)	5843 97 47
	परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash used in/generated from Operating activities	**(3932 21 42)**	**10213 56 23**
आ. B.	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities		
-	अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets	(194 65 46)	(58 65 99)
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Investing activities	**(194 65 46)**	**(58 65 99)**
इ. C.	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities		
-	इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	0	1435 18 22

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022

(₹ 000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021
- उधार राशियों पर चुकाया गया ब्याज / Interest paid on borrowings	(1240 46 12)	(1534 11 33)
- बॉण्ड्स का मोचन / Redemption of Bonds	(3134 40 00)	(5980 98 50)
- बॉण्ड्स जारी करने से प्राप्त राशि / Proceeds from Issue of Bonds	0	745 00 00
- अल्पसंख्यकों को लाभांश और लाभांश कर का भुगतान Dividend and dividend tax paid paid to minority	(8 19 85)	(6 83 21)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**(4383 05 97)**	**(5341 74 82)**
- विनिमय के उतार–चढ़ाव का अनुवाद आरक्षित पर प्रभाव Effect of exchange fluctuation to translation reserve	2 28 16	0
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	(8507 64 69)	4813 15 42
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	35308 11 92	30494 96 50
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**26800 47 23**	**35308 11 92**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी / Note to Cash Flow Statement:		
1. नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं : Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	13593 91 42	13013 12 54
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	13206 55 81	22294 99 38
कुल / TOTAL	**26800 47 23**	**35308 11 92**
2. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह परोक्ष पद्धति का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है Cash Flow from Operating activities is reported by using Indirect method		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(पोथुकुची सीताराम)
(Pothukuchi Sitaram)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
P R Prasanna Varma
साझेदार (स. सं. 25854)/Partner (M.No. 25854)

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या/FRN : 100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार (स. सं. 121546)/Partner (M.No. 121546)

साझेदार: मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक: 02 मई 2022 / Date: May 02, 2022

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहयोगी कंपनियों/ सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएँ

STATEMENT CONTAINING SAILENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग "अ": सहयोगी कंपनियाँ
Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd
यदि सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि धारिता कंपनी से भिन्न है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period			लागू नहीं Not Applicable		
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.			लागू नहीं Not Applicable		
शेयर पूंजी Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	15 55 15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & surplus	201 41 25	276 93 75	(78 17 69)	1 48 62	88 35 20
कुल आस्तियां Total assets	375 51 34	288 55 05	125 50 77	1 92 48	116 28 76
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा) Total Liabilities (excluding capital and reserves)	46 00 10	5 58 03	3 68 47	23 86	12 38 41
निवेश Investments	131 61 87	115 67 45	118 27 51	1 51 31	0

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd
कुल कारोबार Turnover	105 51 70	85 74 93	33 44 56	36 34	141 72 34
कराधान के पहले लाभ Profit before taxation	22 29 01	68 09 27	10 81 57	10 85	23 48 86
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	5 53 85	16 43 24	2 36 86	2 75	6 53 56
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	16 75 15	51 66 04	8 44 72	8 10	16 95 30
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100%	100.00%

** 33.33% की शेष शेयरधारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विस लि. द्वारा धारित है.*
** Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market Services Ltd.*

टिप्पणियां / Notes:

1. कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय से है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: कोई नहीं.
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय किया गया हो: कोई नहीं.
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''आ'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

क्र. सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लि. के रूप में जाना जाता था) Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited)
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	यथा 31 मार्च 2021 As on March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2021 As on March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2021 As on March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2022 As on March 31, 2022
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end				
	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	150 00 04	1044 00 00	2500 00 02	20000 00 00
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	1 50 00	10 44 00	25 00 00	200 00 00
	धारिता की % मात्रा Extend of Holding %	27.93%	26.10%	25.00%	25.00%
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि. में 27.93% की धारिता को लेखांकन मानक–23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 26.10% की धारिता को लेखांकन मानक–23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 26.10 %, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक–23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है. Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक–27 के अनुसार संयुक्त उद्यम माना जाता है Holding in Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. being 25%, considered as a Joint Venture as per AS-27

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

क्र. सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लि. के रूप में जाना जाता था) Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited)
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण / Reason why the associate/joint venture is not Consolidated	लागू नहीं N. A.	लागू नहीं N. A.	लागू नहीं N. A.	लागू नहीं N. A.
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता जन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	8 17 23	266 03 61	248 09 42	257 23 65
6.	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि Profit / Loss for the year ended March 31, 2022**				
	i. समेकन में शामिल Considered in Consolidation	0	39 33 09	0	23 58 47
	i. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	0	0	0	0

टिप्पणियां
Notes:

1. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है: कोई नहीं
   Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None
2. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है: कोई नहीं
   Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year :None
3. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. का समेकन एएस–23 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 के अनुसार गैर–लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित है
   National Securities Depository Ltd has been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited results as at December 31, 2021.
4. पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्मेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहायक संस्था में निवेश को अवलेखित कर एक रुपया कर दिया गया है.
   The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. have not been consolidated on account of non receipt of financial statements/annual report. The investment in the Associate is written down to rupee one.
5. बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि., नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड की मालियत अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2021 के अनुसार ली गई है.
   The Networth of Biotech Consortium India Limited,National Securities Depository Ltd and North Eastern Development Finance Corporaton Limited taken as per FY 2021 due to non availability of the desired information.

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)
(J. Samuel Joseph)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN:03022106)

(समरेश परिडा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/DIN: 01853823)

(पोथुकूची सीताराम)
(Pothukuchi Sitaram)
कार्यपालक निदेशक व मुख्य वित्त अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक :02 मई 2022 / Date: May 02, 2022

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2022)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2022)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2022 को पिलर III प्रकटन, तिमाही प्रकटनों के साथ बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2021-22 (Basel III) लिंक पर अलग से रखे गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2022 along with quarterly disclosures, as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2021-22 (Basel III).

Ensure your Debit Card is enabled/ disabled
for your choice of transaction
(International, Online, Contactless)

देश की पहचान,
राष्ट्रभाषा है
हमारी शान!
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

Solutions engineered
to make banking easy
Thank you
Engineers!

#IDBISafeBankingTips
कोविड टीकाकरण
का वादा करने वाले
'कॉल्स' से सावधान!
अपनी निजी जानकारी किसी को न बताएं,
केवल अधिकृत प्रक्रिया का पालन करें।
Covid Vaccine

Received a
confirmation
for Mobile
number
porting
Reach out to your service
provider if you have not
requested. It could be a
SIM Swap fraud
13:00

Be
vigilant
while
scanning
QR codes
QR Code scanning is for payments and
not for receipt of money

OTP
is confidential
Never share your OTP with anyone
over call, SMS, WhatsApp, email
or on any other platform

Your
security
is in your
hands
Never click on unknown links sent
on email or SMS asking for financial/
personal details

Dream Car Ghar
Layein Is Diwali,
Khushiyon Ka
Tyohar Manayein
IDBI Bank Auto Loan

#Unite2FightCorona
देश लड़ रहा है
अपना योगदान दें
मास्क जरूर पहनें
बार-बार हाथ धोएं
दो गज दूरी बनाए रखें
टीका लें
दवाई भी, कड़ाई भी

Conducting financial activities on-the-go?
Keep your transactions safe, DO NOT use public/
unsecured WiFi.

Need to update KYC?
Do it from
the comfort
of your home!
Use our customer
friendly options:
VKYC
I net Banking
SMS
GO Mobile

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई – 400005
टोल फ्री नं : 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-67719100.

सीआईएन - L65190MH2004GOI148838

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
Non-Toll Free Nos.: 022-67719100.

CIN - L65190MH2004GOI148838

www.idbibank.in @idbi_bank /IDBIBank @idbibankofficial YouTube/idbibank /idbibank

/Concept, content and design at AICL (hello@aicl.in)

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खंड अ: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	**कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	L65190MH2004GOI148838
2.	**कंपनी का नाम**	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
3.	**पंजीकृत पता**	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
4.	**वेबसाइट**	www.idbibank.in
5.	**ई-मेल आईडी**	idbiequity@idbi.co.in
6.	**रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष**	2021-22
7.	**क्षेत्र जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड-वार)**	(कोड: 64191) आईडीबीआई बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनयम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है.
8.	**तीन प्रमुख उत्पादों/ सेवाओं का उल्लेख करें जिनका कंपनी निर्माण करती है/ जिन्हें प्रदान करती है (तुलनपत्र के अनुसार)**	1. खुदरा बैंकिंग 2. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग 3. ट्रेजरी परिचालन
9.	लोकेशनों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कारोबार कार्यकलाप किए जाते हैं.	(see table below)
	क. अंतरराष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या (प्रमुख 5 के ब्योरे दें)	बैंक की दो अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ है यथा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में स्थित एक विदेशी शाखा और गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (जीआईएफटी) गुजरात, भारत में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू)
	ख. राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या	भारत में बैंक 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में स्थित है.
10.	**बाजार जहां कंपनी अपनी सेवाएं देती है. (स्थानीय/ राज्य स्तरीय/ राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय)**	बैंक अपनी उपस्थिति वाली सभी लोकेशनों पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है.

लोकेशन	शाखाओं की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	1,884	211	2,095
अंतर्राष्ट्रीय	2	0	2

खंड ख: कंपनी के वित्तीय ब्योरे

1.	**चुकता पूंजी (रुपये में) (यथा 31 मार्च 2022 को)**	₹ 10,752.40 करोड़
2.	**कुल कारोबार (रुपये में) (यथा 31 मार्च 2022 को)**	₹ 22,985.19 करोड़ (कुल आय = ब्याज से प्राप्त आय + अन्य आय)
3.	**कर पश्चात् लाभ (रुपये में) (यथा 31 मार्च 2022 को)**	₹ 2,439.27 करोड़

4.	**कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए)**	पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में आईडीबीआई बैंक का औसत शुद्ध लाभ 6,922.49 करोड़ रुपये (सीएसआर उद्देश्य के लिए) की हानि दर्शाता है. इसलिए, कंपनी अधिनियम 2013 प्रावधानों के अनुसार, बैंक को सीएसआर के तहत किसी भी प्रकार का खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. हालांकि एक सक्रिय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने 0.18 करोड़ रुपये व्यय किए.
5.	उन कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त बिन्दु 4 के अंतर्गत व्यय किया गया है (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए)	

क्रम संख्या	गतिविधि	सीएसआर प्रोजेक्ट की संख्या	राशि (लाख में)
क	शिक्षा	1	4
ख	स्वास्थ्य	1	14.4
कुल			18.4

वित्तीय वर्ष 2021-22 क दौरान विभिन्न मदों के तहत किया गया व्यय इस प्रकार था:

क्रम संख्या	गतिविधि/ संस्था का नाम	उद्देश्य	राशि (लाख रुपयों में)
क. शिक्षा			
i.	वनवासी कन्या छात्रावास रुद्रपुर, उत्तराखंड	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वनवासी कन्या छात्रावास की यशोदा योजना के तहत 20 महिला छात्राओं को उनकी शिक्षा व्यय के लिए की गई वित्तीय सहायता	4
ख. स्वास्थ्य			
i.	द अक्षय पात्रा फाउंडेशन बेंगलुरु	पुडुचेरी क्षेत्र में मध्याह्न भोजन के वितरण के लिए एक वाहन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	14.4

खंड ग: अन्य विवरण

1	**क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियाँ हैं?** हाँ. बैंक की पाँच देशी सहायक कंपनियां अर्थात् आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.आईडीबीआई इंटेक लि. तथा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. हैं.
2	क्या सहायक कंपनी/ कंपनियाँ मूल कंपनी के कारोबारी दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी(यों) की संख्या सूचित करें. नहीं.

3	क्या अन्य कोई संस्था/ संस्थाएं (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनके साथ कंपनी अपने कारोबारी दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती है? यदि हाँ, तो उस संस्था/ उन संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक] लागू नहीं

खंड घ. कारोबार दायित्व संबंधी जानकारी

1. कारोबार दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे

क. कारोबार दायित्व नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे	
डीआईएन संख्या	03022106
नाम	श्री सुरेश खटनहार
पदनाम	उप प्रबंध निदेशक
ख. कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे	
नाम	डॉ. सौम्य शंकर बॅनर्जी
पदनाम	कार्यपालक निदेशक (31 मई 2022 को सेवानिवृत्त)

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व नीति/ नीतियां

क. अनुपालन ब्योरे (हाँ/ नहीं में उत्तर दें)

क्रम सं.	**प्रश्न**	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
i.*	क्या आपके पास इनके लिए नीति/ नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ii.	क्या यह नीति संबंधित अंशधारकों के परामर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
iii.**	क्या यह नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
iv.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या इस पर एमडी/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
v.	क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
vi.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ$	हाँ#
vii.	क्या नीति के बारे में सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य अंशधारकों को औपचारिक रूप से सूचना दी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
viii.	क्या नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ix.	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों के संबंध में अंशधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
x.	क्या कंपनी ने इस नीति के बारे में कार्यों का आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षण/ मूल्यांकन कराया है?	नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख उत्तरदायी हैं. अनुपालन विभाग रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेशित नीतियों के कार्यान्वयन के अनुपालन की निगरानी करता है.								

नोट:

* *बैंक की विभिन्न नीतियाँ, जिन्हें औपचारिक रूप से लागू किया जाता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के विभिन्न कार्य को अभिशासित करती हैं.*

** *बैंक की नीतियाँ विनियामक तथा सांविधिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समान हैं और इसलिए राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हैं.*

$ *सीएसआर नीति के लिए लिंक-* *https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy-2021.pdf*

बैंक की नीति/यां जैसे ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति, नागरिक चार्टर तथा बीसीएसबीआई कोड ग्राहक शिक्षा के अंतर्गत इस लिंक https://www.idbibank.in/customer-care-centre.asp के माध्यम से जनता के लिए प्रदर्शित की गई हैं.

ख. यदि किसी भी सिद्धांत के संबंध में क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया कारण बताएं: (दो विकल्पों तक चयन करें)

संख्या	प्रश्न	*पी7 के लिए नीति नहीं होने का कारण:*
i.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है.	बैंक में पी7 के लिए कोई दस्तावेजीकृत नीति नहीं है. तथापि, यह हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ा रहा है. बैंक विकास वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा इसने भारत के वित्तीय ढांचे की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है. इसके अलावा बैंक, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों, वित्तीय समावेशन आदि के क्षेत्रों में सुधार के लिए नीति निर्माताओं से जुड़ा रहा है.
ii.	कंपनी ऐसे चरण में नहीं है जिसमें वह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की स्थिति में पाए.	
iii.	कंपनी के पास कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय या श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं.	
iv.	यह कार्य अगले 6 माह के भीतर करने की योजना है.	
v.	यह कार्य अगले 1 वर्ष के भीतर करने की योजना है.	
vi.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	

3. कारोबार दायित्व संबंधी अभिशासन

क.	**कंपनी के निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की बारंबारता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक.**	बैंक का कारोबार दायित्व कार्यनिष्पादन बोर्ड के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.
ख.	**क्या कंपनी कारोबार दायित्व या निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया गया है?**	हाँ. बैंक कारोबार दायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करता है.कारोबार दायित्व रिपोर्ट www.idbibank.in पर देखी जा सकती है.

खंड ङ. सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार का संचालन और प्रबंधन अपने आप में आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए

क. क्या आचार नीति, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है? हाँ/नहीं. क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू होती है?

जहां तक रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य सतर्कता मामलों का संबंध है, बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी नीति/दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है. मौजूदा सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की पांच (05) सहायक कंपनियों में भी सतर्कता सेटअप स्थापित किया गया है.

ख. पिछले वित्तीय वर्ष में अंशधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया है? यदि ऐसा है तो करीब 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

वर्ष 2021-22 के दौरान, सतर्कता विभाग को 136 शिकायतें प्राप्त हुई. इन सभी शिकायतों की जांच/छानबीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता की दृष्टी से की गई और सीवीओ की सहमति से 115 शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया. इसलिए वर्ष 2021-22 के दौरान 84.55% प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया.

वर्ष के दौरान बैंक को अपने कर्मचारियों और कामगारों से 43 शिकायतें प्राप्त हुई जबकि 10 शिकायतें निष्कर्ष के लिए लंबित थीं.

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने कुल 72,564 ग्राहक शिकायतों (फ्लेक्सी बॉण्ड संबंधी शिकायतों सहित) पर कार्रवाई की. इनमें से 71,674 ग्राहक शिकायतें वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त हुई थीं और 890 शिकायतें वर्ष 2020-21 की थीं. यथा दिनांक 31 मार्च 2022 तक सभी शिकायतों में से 72,278 अर्थात् लगभग 99.60% शिकायतों का निवारण किया जा चुका था तथा 286 शिकायतें निपटान के लिए लंबित थीं.

अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए निवेशक की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	विवरण	इक्विटी शेयर	फ्लेक्सी बॉण्ड	कुल
1.	वर्ष के आरंभ में निवेशकों की लंबित शिकायतें	0	280	280
2.	वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त शिकायतें	1,006	15,841	16,847
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई निवेशक शिकायतें	1,006	16,118	17,124
4.	निवेशकों की शिकायतें जिनका वर्ष की समाप्ति तक समाधान नहीं हो पाया	0	3	3

सिद्धांत 2 : कारोबार द्वारा ऐसे उत्पाद और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हों

क. आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनको तैयार करने में सामाजिक या पर्यावरण सरोकार, जोखिम और/या अवसरों का ध्यान रखा गया है.

वरिष्ठ नागरिकों के वित्तीय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने की दृष्टि से, बैंक वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमा पर अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक 70 वर्ष की आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को घर-पहुँच बैंकिंग सुविधा भी प्रदान करता है.

- वरिष्ठ नागरिकों के वित्तीय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने की दृष्टि से, बैंक वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमा पर अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक 70 वर्ष की आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को घर-पहुँच बैंकिंग सुविधा भी प्रदान करता है.

- महिलाओं में वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और बच्चों में कम उम्र से ही बचत की आदत विकसित करने की दृष्टि से , बैंक उन्हें अलग बचत बैंक खाते जो समाज के इन वर्गों की बैंकिंग जरूरत और प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं, ऑफर करता है.
- कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई व्यावसायिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ बैंक ने आपातकाल स्वास्थ्य सेवाओं (कोविड लोन बुक के लिए पात्र) के लिए वित्तीय सहायता शुरू की थी जिसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े वैक्सीन निर्माताओं, अस्पताल/ डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक नकदी सहायता उपलब्ध कराई थी. बैंक ने कोविड-19 प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए पर्यटन सेवा क्षेत्र में काम कर रहे व्यवसाय/ फर्म को आवश्यक नकदी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऋण गारंटी योजना भी शुरू की है. बैंक ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित पंजीकृत पर्यटक गाइड (एम/ओ पर्यटन और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित / मान्यता प्राप्त), ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, पर्यटक परिवहन संचालक आदि को ऋण प्रदान किया. बैंक ने सभी संभावित और मौजूदा एमएसई ग्राहकों (वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक) को वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्य हेतु आईडीबीआई इक्विपमेंट फाइनेंस के माध्यम से नए उपकरण, उपकरण की खरीद, मशीनरी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की शुरुआत की है. बैंक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/ संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचितों, महिला उद्यमियों के लिए और छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों आदि को उनके व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आवास होल्ड व्यय के लिए धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने, उच्च लागत ऋण की अदायगी आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. बैंक आईडीबीआई सूर्य शक्ति के तहत ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में किसान, एसएचजी, आदि और व्यक्तियों को सोलर वॉटर हीटर, सौर प्रकाश व्यवस्था (सौर पैनलों सहित) सौर जल पंप की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना के तहत वित्त पोषण के लिए बैंक फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण के लिए ऋण प्रदान करता है. आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अनुरूप, बैंक कृषि में दीर्घकालिक संपत्ति के वित्त पोषण निर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) उत्पाद के तहत वित्तपोषण प्रदान करता है.
- सामाजिक-आर्थिक विचारों वाले उत्पादों की पेशकश के अलावा, बैंक ने धोखाधड़ी का पता लगाने के नियमों को लागू करते हुए विभिन्न प्रणालियों एवं एप्लीकेशन्स में किए गए संदिग्ध लेनदेन की निगरानी के लिए एक एंटरप्राइज-वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफआरएमएस) भी लागू किया है. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 24×7 आधार पर जोखिम आधारित संदिग्ध लेनदेन निगरानी गतिविधि का विस्तार करते हुए इसे सभी प्रमुख डिजिटल चैनल लेनदेन अर्थात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) तक में प्रयुक्त किया गया. बैंक ईएफ़आरएमएस कार्यान्वयन में बैंक के ग्राहकों और सभी शामिल हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षित डिजिटल चैनल लेनदेन सेवाएं सुनिश्चित करता है.

ख. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए, उत्पादों की इकाई (वैकल्पिक) के अनुसार संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे प्रदान करें:

i. मूल्य श्रृंखला तक पिछले वर्ष से प्राप्त किए गए सोर्सिंग/उत्पादन/ वितरण के दौरान प्राप्त गिरावट

ii. पिछले वर्ष से प्राप्त किए गए ग्राहकों (ऊर्जा, जल) द्वारा उपयोग के दौरान गिरावट

लागू नहीं

ग. क्या कंपनी के पास धारणीय स्रोत (परिवहन सहित) हेतु प्रक्रिया है?

i. यदि है तो धारणीय स्रोतों में आपका कितना प्रतिशत था? साथ ही, इस संबंध में 50 शब्दों या अधिक में ब्योरे प्रदान करें.

लागू नहीं

घ. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों, कार्यस्थल के आस-पास रहने वाले समुदायों को शामिल करते हुए से वस्तु तथा सेवाएं खरीदने हेतु कोई कदम उठाए हैं?

i. यदि हां, तो स्थानीय तथा छोटे वेंडरों की क्षमता तथा योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

लागू नहीं

ङ. क्या कंपनी के पास उत्पादों तथा रद्दी को पुन: प्रयोग करने हेतु प्रणाली है? यदि हाँ तो उत्पादों तथा रद्दी के पुन: प्रयोग का क्या प्रतिशत है (अलग से <5%,5-10%,>10%). साथ ही, इस संबंध में 50 शब्दों या अधिक में ब्योरे प्रदान करें.

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : कारोबार सभी कर्मचारियों के लिए हितकारी होना चाहिए.

क. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2022 के अनुसार)

31 मार्च 2022 तक बैंक के कुल कर्मचारी की संख्या 17,430 थी, इनमें अधिकारी संवर्ग में बैंक में संविदा रोजगार पर 16 कर्मचारी तथा संविदा पर 1018 एग्जीक्यूटिव शामिल हैं.

ख. कृपया अस्थाई/ संविदा / अनियत आधार पर काम पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2022 के अनुसार)

31 मार्च 2022 तक संविदा आधार पर 16 अधिकारी तथा 1,018 एग्जीक्यूटिव सहित कुल 1,034 कर्मचारियों को काम पर रखा गया था.

ग. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ. (31 मार्च 2022 के अनुसार)

31 मार्च 2022 तक बैंक में कुल 5,250 स्थायी महिला कर्मचारी थीं.

घ. कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2022 के अनुसार)

बैंक में कुल 430 दिव्यांग स्थायी कर्मचारी थे.

ङ. क्या आपके पास कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है.

उद्यम के अनुसार बैंक ने किसी भी कर्मचारी संगठन/ संघ को मान्यता प्राप्त संघ का दर्जा नहीं दिया है.

च. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? (प्रत्येक संघ के लिए प्रतिशतता दर्शाएँ)

लागू नहीं क्योंकि बैंक ने किसी भी कर्मचारी संगठन/ संघ को मान्यता प्राप्त संघ का दर्जा नहीं दिया है.

छ. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में तथा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ

क्रम संख्या	श्रेणी	2021-22 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	2021-22 के अंत तक लंबित पड़ी शिकायतों की संख्या
i.	बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
ii.	यौन उत्पीड़न	11 (पूर्व अवधि की निष्कर्ष हेतु लंबित 3 शिकायतों सहित)	1
iii.	भेद-भावपूर्ण रोजगार	4	शून्य

ज. आपके द्वारा नीचे दिये गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष में सुरक्षा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया?

क्रम सं.	श्रेणी	कर्मचारियों का प्रतिशत
i.	स्थायी कर्मचारी	94.11%
ii.	स्थायी महिला कर्मचारी	95.82%
iii.	अनियमित/अस्थायी/संविदागत कर्मचारी	59.86%
iv.	शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी	87.67%

सिद्धांत 4: कारोबार को सभी अंशधारकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष रूप से उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जो सुविधाहीन, कमजोर तथा हाशिए पर हैं.

क. उपर्युक्त में से कंपनी ने आंतरिक और बाह्य अंशधारकों की पहचान की है?

हाँ.

ख. उपर्युक्त में से कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए पर अंशधारकों की पहचान की है?

हाँ.

ग. क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए के अंशधारकों से संबद्ध कोई विशेष पहल की है यदि हाँ, तो उनके बारे में करीब 50 शब्दों में ब्योरा दें.

बैंक जहां सभी ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, वही, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि नि:शक्त ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों, निरक्षर व्यक्तियों और पेंशनभोगियों जैसे विशेष ग्राहकों की शिकायतों पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाए. इस पहलू को बैंक की शिकायत निवारण नीति में भी शामिल किया गया है. बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और नि:शक्त ग्राहकों के लिए घर-पहुँच बैंकिंग के संबंध में एक नीति भी बनाई है.

सिद्धांत 5: कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

क. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती हैं?

बैंक की मानवाधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करने वाली विभिन्न नीतियाँ हैं. यह नीतियाँ केवल बैंक के परिचालन पर लागू होती हैं तथा सहायक संस्थाओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, एनजीओ आदि पर लागू नहीं होती हैं.

बैंक मानवाधिकारों पर लागू सभी दिशानिर्देशों का पालन करता है.

ख. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत कितना रहा?

हितधारकों की शिकायतों के लिए कृपया सिद्धांत 1 के अंतर्गत बिंदु ख का जवाब देखें.

सिद्धांत 6: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए तथा इसमें सुधार का प्रयास करना चाहिए

क. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?

बैंक ई-अपशिष्ट प्रबंधन, कागजरहित इको-फ्रेंडली तकनीक के प्रयोग, ऊर्जा संरक्षण आदि जैसे उपायों को लागू कर पर्यावरण का ध्यान रखता है, इसकी रक्षा करता है और इसमें सुधार के प्रयास करता है. साथ ही, बैंक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और 1 मई 2012 से प्रभावी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली, 2011 का भी पालन कर रहा है. बैंक की ई-वेस्ट प्रबंधन नीति सिद्धांत 6 के संबंध में वेंडर पर भी लागू होती है.

ख. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों के निपटान के लिए रणनीतियाँ/ पहल कार्य हैं? हाँ/ नहीं. यदि हाँ तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपर लिंक बताएं.

बैंक ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई पहल की हैं. इस संबंध में बैंक द्वारा की गई कुछ पहल निम्नलिखित हैं:

- बिजली संरक्षण: बैंक के अन्य सभी कार्यालय और आवासीय भवनों के रूप में मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में बिजली की खपत को बचाने के लिए पारंपरिक बिजली उपकरणों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिक्स्चर और ट्यूब से बदल दिया गया है. बैंक की शाखाओं में साइनेज के अंतर्गत पारंपरिक रोशनी को एलईडी रोशनी से बदल रहा है. सभी नई और नवीनीकृत शाखाएँ एलईडी फिक्स्चर से सुसज्जित हैं.
- जल संरक्षण के उपाय: जवाहर लाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद में नव आवासीय परिसर में जल संचयन की सुविधा प्रदान की गई है
- कागज़ के प्रयोग में कमी: बैंक ने अपनी कई कारोबारी प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है. प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण की दिशा में अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बैंक कागज़ के संचरण को कम करने के लिए ग्राहकों के ऑन-बोर्डिंग सहित डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित कर रहा है. कागज़ की खपत को कम करने के लिए बैंक ने अपनी सभी शाखाओं / कार्यालयों को उधारकर्ताओं, विक्रेता, आदि को केवल खाते/ आरटीजीएस/ एनईएफटी में क्रेडिट के माध्यम से ऋण का वितरण भुगतान करने का भी निर्देश दिया है. बैंक ने अपने अधिकांश स्टाफ संबंधित कार्यों को स्वचालित कर दिया है जिनमें वेतन, लाभ, दावों का भुगतान, उपस्थिति दर्ज करना, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और कई अन्य प्रशिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं. इसके अलावा बैंक कागज़ की खपत को हर संभव कम करने के लिए कागज़ रहित बैठकें आयोजित करता है. कोविड 19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप, बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए रिमोट वर्किंग का आह्वान किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, विभिन्न आंतरिक/ बाहरी बैठक/ प्रशिक्षण आयोजित करने, कागज आधारित आधिकारिक गतिविधियों में कमी आदि करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग देखा गया, जिसका बैंक द्वारा बिजली की खपत / ईंधन / कागज की खपत आदि जैसे किए गए उपायों का पर्यावरणीय बोझ को कम करने में अप्रत्यक्ष लेकिन पर्याप्त प्रभाव रहा. जहां भी संभव है बैंक आंतरिक संप्रेषण (अनुमोदन, परिपत्र आदि), ग्राहक के साथ बाह्य संप्रेषण (खाते की मासिक विवरणी, ई-मेलर आदि), शेयरधारक (वार्षिक रिपोर्ट), विनियामकों, सरकारों आदि के लिए कागज़ आधारित मीडिया के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग कर रहा है.
- ई-वेस्ट प्रबंधन: पुराने आईटी उपकरणों के निपटान से संभावित पर्यावरणीय जोखिम को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने बोर्ड-अनुमोदित ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का दस्तावेजीकरण किया और उसे लागू किया है और पुराने आईटी उपकरणों के सुरक्षित निपटान हेतु वेंडरों को नियुक्त किया है.
- सर्वर का आभासीकरण: डाटा केंद्र में सर्वर के फुटप्रिंट कम करने के लिए बैंक ने सर्वर वर्च्युलाइजेशन मैकेनिज़्म लागू किया है जिसके माध्यम से वर्च्युलाइज्ड पर्यावरण में एप्लिकेशन को रख कर कई भौतिक सर्वरों में काफी कमी की गई है. जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की खपत और ऊष्मा के उत्सर्जन में कमी हुई है.

ग. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान तथा आकलन करती है? हाँ/ नहीं.

हाँ, बैंक के पास सुव्यवस्थित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जिसका विवेक के साथ पालन किया जाता है. इसके अलावा, बैंक की क्रेडिट मूल्यांकन/ जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में उन संस्थाओं को सहायता से जुड़े जोखिम की पहचान की जाती है जिनकी प्रक्रियाएं/ उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं. ऋण नीति के तहत खनन और उत्खनन, तंबाकू, बिजली (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) जैसे उद्योगों को अत्यधिक सतर्क/ सतर्क के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां अलग क्रेडिट पैरामीटर निर्धारित किए जाते हैं. साथ ही, बैंक पर्यावरण अमित्र इकाइयों के लिए ऋण जोखिम मूल्यांकन करते समय अपने रेटिंग मॉडल में पर्यावरण जोखिम को एक हिस्से के रूप में अपनाता है.

घ. क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें. साथ ही, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?

बैंक द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान स्वच्छता विकास तंत्र के में कोई पहल नहीं की गई. तथापि बैंक अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से अवगत है तथा यह अपनी संस्था में व्यवहार्य प्रथाएँ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.

ङ. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं. यदि हाँ, कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें.

बैंक द्वारा की गई पहलों के लिए कृपया सिद्धांत 6 के अंतर्गत बिंदु ख का उत्तर देखें.

च. क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/ अपशिष्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं?

सेवा क्षेत्र में होने के कारण बैंक के परिचालनों से न्यूनतम उत्सर्जन/ अपशिष्ट उत्सर्जित होता है.

छ. सीपीसीबी/ एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है) हैं.

शून्य.

सिद्धांत 7: जब कारोबार जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें यह जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए.

क. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और मंडल (चैम्बर) अथवा संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल वे मुख्य नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार किया जाता है:

हाँ.कुछ संस्थाएं/ संघ जिनका आईडीबीआई बैंक सदस्य है, निम्नानुसार हैं:

- भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
- भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
- राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
- एसोसिएट चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)
- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
- महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद (एम ई डी सी)

ख. क्या आपने सार्वजनिक प्रगति के लिए अथवा सुधार के लिए उपरोक्त संघों के ज़रिये हिमायत/ लॉबी की है? हाँ/ नहीं; यदि हाँ तो प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करें (अभिशासन तथा प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय कारोबार सिद्धांत, आदि)

बैंक देश के अग्रणी बैंकों में से एक होने के नाते, बैंकिंग, वित्तीय समावेशन आदि जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए हमेशा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) जैसे नियामकों और नीति निर्माताओं और उद्योग निकायों के साथ जुड़ा हुआ है.

सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास में सहयोगी होना चाहिए

क. क्या सिद्धांत 8 के संबंध में नीति के अनुसार कंपनी के पास कोई निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल-कार्य/ परियोजना है. यदि हाँ, तो उनके ब्योरे.

बैंक ने वित्तीय समावेशन के एजेंडा को बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी की है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत 353 करोड़ रुपये के जमा आधार के साथ 8.54 लाख से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए.
- 14.70 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- 7.21 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- 3.58 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- 250 से अधिक बैंक रहित उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) को आईसीटी- समर्थित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के ज़रिये मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गईं.
- बैंक ने संपूर्ण भारत में 191 आधार नामांकन केंद्र स्थापित किए.
- विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने और प्रसार करने के लिए, बैंक की ग्रामीण शाखाएँ अपने सेवा क्षेत्रों में महीने में कम से कम एक बार आउटडोर वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करती हैं. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ग्राहकों की पात्रता, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), कृषि ऋण, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई के तहत उपलब्ध लाभ जैसे सामान्य हित के विषयों को शामिल करते हुए ग्रामीणों को जोड़ा गया.

ख. आंतरिक टीम/ अपने फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संस्थाओं/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से क्या कोई कार्यक्रम/ परियोजनाएं चलाई जाती हैं?

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बैंक की इन-हाउस टीम द्वारा आउटसोर्स एजेंसियों की मदद से विशेष रूप से विस्तारित प्रौद्योगिकी के प्रावधान हेतु तथा कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट्स पर कर्मियों के प्रबंधन के लिए शुरू किए गए थे.

ग. क्या आपने अपने पहल-कार्यों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?

पीएमजेडीवाय खाते खोलने, सूक्ष्म बीमा एवं पेंशन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना और मुद्रा के तहत ऋण प्रदान करने से बैंक और नीति निर्माताओं को वंचित लोगों को औपचारिक रूप से वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिली है. बैंक की सातारा जिले में स्थित ग्रामीण स्व: रोजगार प्रशिक्षण संस्था (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) ने अपनी शुरुआत से 7,165 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है जिनमें से 5,241 अभ्यर्थियों के सुस्थापित होने की रिपोर्ट है. जैसाकि बिन्दु 8(क) में कहा गया है बैंक द्वारा उठाए गए इन पहल-कार्यों ने नए खातों बीमा और पेंशन उत्पादों को प्रचारित करके और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण देकर समावेशी प्रगति और साम्यिक विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद की है.

घ. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में राशि तथा चालू परियोजनाओं का विवरण?

वर्ष के दौरान बाहरी गतिविधि पर कोई खर्च नहीं किया गया.

ङ. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँ हैं कि समुदाय द्वारा इन सामुदायिक विकास के पहल-कार्यों को सफलतापूर्वक अपना लिया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें.

बैंक ने स्थानीय बोली में वित्तीय साक्षारता कार्यक्रम आयोजित किए जिसे ग्रामीणों द्वारा उत्साहपूर्वक देखा और समर्थन किया. बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), सातारा में ईडीपी और कौशल आधारित प्रशिक्षण में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की ग्रामीण कौशल प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सराहना की जा रही है. कई प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने सुगंधित फ़िनाइल, डिश और हैंड वॉश तथा फूड उद्योग के क्षेत्र में अपने स्वयं के व्यावसायिक उद्यम सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं. उनके प्रयासों को सराहना मिली है व उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

सिद्धांत 9: कारोबार को जिम्मेदारीपूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना तथा उनका मूल्यवर्धन करने वाला होना चाहिए.

क. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितनी प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले लंबित हैं.

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 72,564 ग्राहक शिकायतों पर कार्रवाई की गई थी, उनमें से 31 मार्च 2022 तक लगभग 0.4% अर्थात् 286 शिकायतें लंबित थीं. अब इन शिकायतों का निदान कर दिया गया है.

ख. क्या कंपनी स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है. हाँ/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियाँ (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं

ग. क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार परिपाटियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/ या प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के लिए हितधारकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है तथा जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित है. यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

शून्य

घ. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि रुझान सर्वेक्षण किया है?

बैंक वार्षिक आधार पर ग्राहक संतष्टि सर्वेक्षण करता है. सर्वेक्षण के निष्कर्षों को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) के समक्ष रखा जाता है. इसके अलावा, बैंक शाखा स्तर ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) की मासिक बैठकों के माध्यम से शाखाओं में सेवा की गुणवत्ता पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया भी एकत्र करता है, जिस पर समाज के क्रॉस सेक्शन के ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है. शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने आली सेवा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए बैंक गुप्त शॉपिंग का अभ्यास भी करता है. इन गतिविधियों से प्राप्त अंतदृष्टि / प्रतिक्रिया का उपयोग बैंक द्वारा ग्राहकों की संतष्टि को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार के लिए किया जाता है.

Business Responsibility Report

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L65190MH2004GOI148838
2.	Name of the Company	IDBI Bank Ltd.
3.	Registered address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade - 400005
4.	Website	www.idbibank.in
5.	E-mail id	idbiequity@idbi.co.in
6.	Financial Year reported	2021-22
7.	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Code: 64191 IDBI Bank is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949.
8.	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. Retail Banking 2. Corporate/ Wholesale Banking 3. Treasury Operations
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	(see table below)
	a. Number of International Locations (Provide details of major 5)	a. The Bank has two international branches, viz. an overseas branch located at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and an International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gujarat, India.
	b. Number of National Locations	b. The Bank has presence in 35 States/ Union Territories (UTs) in India.
10.	Markets served by the Company – Local/State/ National/International	The Bank serves customers in all locations where it has presence.

Location	Number of Branches	Number of offices	Total
National	1,884	211	2,095
International	2	0	2

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	Paid up Capital (INR) (as on March 31, 2022)	₹ 10,752.40 crore
2.	Total Turnover (INR) (as on March 31, 2022)	₹ 22,985.19 crore (Total Income = Interest Income + Other Income)
3.	Total Profit After Taxes (INR) (as on March 31, 2022)	₹ 2,439.27 crore

4.	**Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%) (for year ended March 31, 2022)**	The average net profit of IDBI Bank for the last three financial years, i.e. FY 2018-19, FY 2019-20 and FY 2020-21, works out to a loss of ₹ 6,922.49 crore (for CSR purpose). Hence, as per the provisions of the Companies Act 2013, there was no requirement for the Bank to incur any spends under CSR during the year. However, as a proactive and socially responsible entity, the Bank has spent ₹ 0.18 crore during FY 2021-22.
5.	**List of activities in which expenditure in Point No. 4 above has been incurred (for year ended March 31, 2022)**	See tables below

Sr. No.	Activity	No. of CSR projects	Amount (In ₹ lakh)
a.	Education	1	4
b.	Health	1	14.4
	TOTAL		18.4

Expenditure incurred under various heads during FY 2021-22 is as follows:

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (In ₹ lakh)
a. Education			
i.	Vanvasi Kanya Chhatrawas, Rudrapur, Uttarakhand	Financial aid to 20 female students for their academic expenses under YashodaYojana of Vanvasi Kanya Chhatrawas for FY 2021-22.	4
b. Health			
	The AkshayaPatra Foundation, Bengaluru	Providing financial assistance for purchase of a delivery vehicle for distribution of mid-day meals at their Puducherry location.	14.4

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	**Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?** Yes. The Bank has five domestic subsidiaries, namely, IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd., IDBI Intech Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd.
2.	**Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).** No.
3.	**Do any other entity/ entities (e.g. suppliers, distributors, etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].** Not applicable.

SECTION D: BR INFORMATION

1. **Details of Directors/ Directors responsible for BR**

a.	Details of the Director/ Director responsible for implementation of the BR policy/ policies	
	DIN Number	03022106
	Name	Shri Suresh Khatanhar
	Designation	Deputy Managing Director
b.	**Details of the BR head**	
	Name	Dr. Saumya Sankar Banerjee
	Designation	Executive Director (superannuated on May 31, 2022)

2. **Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/ policies**

a. Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
i.*	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
ii.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
iii.**	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
iv.	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
v.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
vi.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y$	Y#
vii.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
viii.	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
ix.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
x.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The heads of various departments are responsible for effective implementation of the policies. The Compliance Department monitors the implementation of policies mandated by the RBI.								

Note:

* *The various policies of the Bank, which are formally put in place, govern different functions of the Bank directly or indirectly.*

** *The policies of the Bank are in conformity with guidelines issued by regulatory and statutory bodies and therefore conform to national standards.*

$ *Link to CSR Policy - https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy-2021.pdf*

The policies of the Bank viz. Customer Rights Policy, Grievance Redressal Policy, Citizens Charter and the Banking Codes & Standards Board of India (BCSBI) codes are available for public viewing under Customer Education through this link: https://www.idbibank.in/customer-care-centre.asp

b. **If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)**

No.	Questions	*Reason for not having a policy for P7:*
i.	The company has not understood the Principles	The Bank does not have a documented policy for Principle 7. However, it has always been associated with the regulators and the policymakers in a responsible manner. The Bank has been a pioneer in the area of development financing and has taken a lead role in setting up the financial architecture of India. Besides, the Bank has been associated with the policymakers for improvement in various areas of banking, financial inclusion etc.
ii.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	
iii.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	
iv.	It is planned to be done within next 6 month	
v.	It is planned to be done within the next 1 year	
vi.	Any other reason (please specify)	

3. Governance related to BR

a.	**Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year**	The BR performance of the Bank is submitted on an annual basis to the Board.
b.	**Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?**	Yes, the Bank publishes a Business Responsibility (BR) Report. The BR Report can be viewed at www.idbibank.in.

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

a. **Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?**

As far as bribery, corruption and other vigilance matters are concerned, the Bank is governed by the policy/ guidelines issued by the Central Vigilance Commission (CVC). In terms of the extant CVC guidelines, a vigilance setup has also been established in the Bank's five (05) subsidiaries.

b. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

During FY 2021-22, 136 complaints were received by the Bank's Vigilance Department. All these complaints were examined/ investigated for vigilance overtones through various authorities and 115 complaints were resolved. Hence, 84.55% of the complaints received during FY 2021-22 have been resolved.

During the year, your Bank received 43 complaints from its employees and workers, while 10 complaints were pending for conclusion.

The Bank handled a total of 72,564 customer complaints (including complaints pertaining to flexibonds) in FY 2021-22. Out of these, 71,674 customer complaints were received during FY 2021-22 and 890 complaints were brought forward from FY 2020-21. About 99.60%, i.e. 72,278 complaints out of the total complaints handled were resolved and 286 complaints were pending as on March 31, 2022 which have since been resolved.

Details of Investor Complaints for the year April 2021 to March 2022 are as follows:

Particulars	Equity	Flexibonds	Total
No. of investor complaints pending at the beginning of the year	0	280	280
No. of investor complaints received during the year	1,006	15,841	16,847
No. of investor complaints disposed off during the year	1,006	16,118	17,124
No. of investor complaints remaining unresolved at the end of the year	0	3	3

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

a. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

- With a view to making a positive impact on the financial health of senior citizens, the Bank offers additional interest rates on fixed deposits of senior citizens. Additionally, the Bank also offers doorstep banking facility to senior citizens above the age of 70 years.
- With a view to promoting financial independence amongst women and inculcate the habit of savings among children from an early age, the Bank offers separate savings bank accounts specially designed keeping in mind the profile and banking needs of these segments of the society.
- To support business units severely impacted due to the COVID-19 pandemic, among other measures, the Bank had introduced Financial Assistance to Emergency Health Services (Eligible for Covid Loan Book) to provide fresh lending support to a wide range of entities in health sector like vaccine manufacturers, hospital/ dispensaries, pathology labs, diagnostic centres, manufactures and suppliers of oxygen and ventilator etc.The Bank also introduced Loan Guarantee Scheme for COVID-affected Tourism Service Sector (LGSCATSS) in order to provide needed liquidity support to the businesses/ firms operating in the tourism service sector. The Bank extended loans to Registered Tourist Guides (approved/ recognised by M/O Tourism and State Governments/ UT Administration), Travel Agents, Tour Operators, Tourist Transport Operators etc. recognised/ approved by Ministry of Tourism, Government of India. The Bank has introduced IDBI Equipment Finance to provide financial support to all the potential and existing MSE customers (with valid Udyam Registration Certificate) for purchase of new equipment, tools and machineries etc. for bonafide business purpose. The Bank extends micro loans to Self-Help Groups (SHGs)/ Joint Liability Groups (JLGs) which entails financial assistance to economically weaker & underprivileged sections such as women entrepreneurs and small & marginal farmers, landless labourers, artisans, etc., to fulfil funding needs for their occupation, education, health, other household expenses, repaying of high cost debt etc. The Bank offers IDBI Surya Shakti under which financial assistance is extended for purchase of solar water heater, solar lighting system (including solar panels) & solar water pumps to individuals, farmers, SHGs, etc., in rural, semi-urban and urban areas. In line with the Financing under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) scheme, the Bank extends finance under the product Agriculture Infrastructure Fund (AIF) for long term debt financing in viable projects related to post-harvest management infrastructure and community farming assets. In line with the Atmanirbhar Bharat Abhiyaan package, the Bank extends finance under the product Animal Husbandry Infrastructure Development

Fund (AHIDF) for incentivising investments in dairy processing and value addition infrastructure, meat processing and Animal Feed Plant for building up of long term assets in Agriculture funding.

- Apart from offering products with socio-economic considerations, the Bank has also implemented an Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) for monitoring of suspicious transactions carried out in various systems and applications by implementing fraud detection rules. During FY 2021-22, the 24x7 basis risk-based suspicious transaction monitoring activity was extended to all major digital channel transactions, viz. Debit Cards, Credit Cards, Mobile Banking, Internet Banking, Unified Payments Interface (UPI) and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). The EFRMS implementation supports in ensuring safe and secure digital channel transaction services for the Bank's customers and safeguarding the interests of all involved stakeholders.

b. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

i. Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Not Applicable.

c. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable.

d. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

i. If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Not Applicable.

e. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable.

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees

a. Please indicate the total number of employees (as on March 31, 2022)

As on March 31, 2022, the total employee strength of the Bank stood at 17,430, including 16 contractual employees in the Officer cadre and 1,018 Executives on contract basis.

b. Please indicate the total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis (as on March 31, 2022)

As on March 31, 2022, a total of 1,034 employees, including 16 Officers and 1,018 Executives, were hired on contractual basis.

c. Please indicate the number of permanent women employees (as on March 31, 2022)

As on March 31, 2022, the Bank had 5,250 permanent women employees.

d. Please indicate the number of permanent employees with disabilities (as on March 31, 2022)

As on March 31, 2022, the Bank had 430 permanent employees with disabilities.

e. Do you have an employee association that is recognised by management? (Indicate the count and specify their names)

As per practice, the Bank has not given recognised union status to any of the employee unions/ associations.

f. **What percentage of your permanent employees is members of this recognised employee association? (Indicate percentages for each association)**

Not applicable as the Bank has not given recognised union status to any of the employee unions/ associations.

g. **Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.**

Sr. No.	Category	No. of complaints filed during 2021-22	No. of complaints pending as at end of 2021-22
i.	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
ii.	Sexual harassment	11 *(including three complaints of prior period which were pending for conclusion)*	1
iii.	Discriminatory employment	4	0

h. **What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?**

Sr. No.	Category	Percentage of Employees
i.	Permanent Employees	94.11%
ii.	Permanent Women Employees	95.82%
iii.	Casual/ Temporary/ Contractual Employees	59.86%
iv.	Employees with Disabilities	87.67%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised.

a. **Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No**

Yes.

b. **Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?**

Yes.

c. **Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

While the Bank is committed to providing excellent service to all customers, it also ensures that the grievances of special customers like differently-abled customers, senior citizens, persons who are not literate and pensioners are dealt with on priority. This aspect has also been incorporated in the Bank's Grievance Redressal Policy. The Bank also has in place a policy with regard to Doorstep Banking for senior citizens and differently-abled customers.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

a. **Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

The Bank has various policies protecting human rights, directly or indirectly. These policies cover only the Bank's operations and do not extend to its subsidiaries, suppliers, contractors, NGOs, etc.

b. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what per cent was satisfactorily resolved by the management**

For stakeholder complaints, please refer response to Point b. under Principle 1.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

a. **Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/others?**

The Bank respects, protects and makes efforts to restore the environment by implementing measures like E-Waste Management, use of paperless eco-friendly technology to the maximum possible extent, conservation of energy, etc. The Bank is also following the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, effective from May 01, 2012, issued by Ministry of Environment and Forests, Government of India. The E-Waste Management Policy of the Bank also extends to the vendors with regard to Principle 6.

b. **Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc.? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

The Bank has undertaken several initiatives keeping in view the environmental concerns. Some of the initiatives taken by the Bank in this regard are as follows:

- Electricity Conservation: The Bank has replaced conventional light fixtures with energy efficient LED light fixtures, & tube lights to conserve power consumption at its Head Office in Mumbai as well as all other offices & residential buildings. The Bank is replacing the conventional lights with LED lights in the signages at its branches. All new or refurbished branches are equipped with LED fixtures.
- Water Conservation Measures: Water harvesting facility has been provided in new residential buildings constructed at Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), Hyderabad.
- Reduced Usage of Paper: The Bank has automated many of its business processes. The Bank has been encouraging digital transactions including digital on-boarding of customers to reduce circulation of paper as part of its efforts towards controlling pollution and global warming. The Bank has directed all its branches/ offices to make payments to borrowers, vendors, etc., including disbursement of loans, only through credit to the account/ RTGS/ NEFT, to reduce paper consumption. The Bank has also automated most of its staff-related functions including payment of salary, benefits, claims, attendance marking, performance appraisal, and various types of training material, etc. Further, the Bank is conducting paperless meetings to the extent possible to reduce consumption of paper. Consequent to the outbreak of the COVID-19 pandemic, the Bank invoked remote working for its employees (Work from Home) which, *inter alia*, saw use of video conferencing for conducting various internal/ external meetings/ training, reduction in paper-based official activities, etc. which had an indirect but substantial effect of reducing the environmental burdens like electricity consumption/ fuel/ paper consumption, etc. Wherever feasible, the Bank is using electronic media in place of paper-based media for internal communication (approvals, circulars, etc.), external communication with the customers (monthly statement of accounts, e-mailers, etc.), shareholders (Annual Reports), regulators, governments, etc.
- E-Waste Management: In view of the potential environmental risks that may arise on disposal of obsolete IT equipment, the Bank has documented and implemented a Board-approved E-Waste Management Policy and has appointed vendors for safe disposal of obsolete IT equipment.
- Virtualisation of Servers: To reduce the server footprints in the data centres, the Bank has implemented a Server Virtualisation mechanism through which the number of individual physical servers has been reduced considerably by moving the applications to virtualised environment. This has resulted in less consumption of power and reduced heat transmission.

c. **Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N**

Yes, the Bank has an E-Waste Management Policy in place, which is being followed judiciously. Furthermore, the Bank's credit appraisal/ risk management process recognises risk associated with assistance to entities whose processes/ products are non-environment friendly. The Bank's credit policy categorises industries such as Mining and Quarrying, Tobacco, Power (excluding renewable energy) as Highly Cautious/ Cautious where separate credit parameters are stipulated. Also, environment risk forms a part of the rating model used by the Bank for credit risk assessment of non-environment friendly entities.

d. **Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?**

The Bank did not undertake any initiative pertaining to the Clean Development Mechanism during FY 2021-22. However, the Bank is conscious of its environmental responsibilities and has strived to promote sustainable practices within its organisation.

e. **Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/ N. If yes, please give hyperlink for web page etc.**

For initiatives taken by the Bank, please refer response to Point b. under Principle 6.

f. **Are the Emissions/ Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/ SPCB for the financial year being reported?**

Being in the services sector, the Bank's operations generate very minimal emissions/ waste and are within the permissible limits.

g. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.**

Nil.

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

a. **Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, name only those major ones that your business deals with:**

Yes. Some of the institutions/ associations where IDBI Bank is a member are as follows:

- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- National Institute of Bank Management (NIBM)
- Associated Chamber of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)
- Confederation of Indian Industry (CII)
- Maharashtra Economic Development Council (MEDC)

b. **Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas (Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)**

The Bank, being one of the leading banks in the country, has always engaged with the regulators and policymakers and industry bodies such as the Indian Banks Association (IBA), in a responsible manner for improvement in the areas such as banking, financial inclusion etc.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

a. Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

The Bank has been proactively partnering with policymakers towards furthering the agenda of financial inclusion. Towards this objective, the Bank has taken several measures, some of which are as follows:

- More than 8.54 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs) with a deposit base of more than ₹ 353 crore have been opened under the PMJDY Scheme.
- More than 14.70 lakh bank account holders have been enrolled under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) Scheme.
- More than 7.21 lakh bank account holders have been enrolled under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) scheme.
- More than 3.58 lakh bank account holders have been enrolled under Atal Pension Yojana (APY) Scheme.
- More than 250 unbanked Sub Service Areas (SSAs) have been provided with basic banking services through the ICT-enabled Business Correspondent (BC) Model.
- The Bank has established 191 Aadhaar Enrolment Centres pan-India.
- The Bank's rural branches conduct outdoor financial literacy camps at least once a month in their service areas to bring awareness and spread knowledge about various banking products and social security schemes. The financial literacy programmes covered the topics of common interest like eligibility of customers for overdraft facility, Pradhan Mantri Mudra Yojana, agricultural loans, etc. Further, benefits available under government sponsored schemes, viz. PMJDY, PMSBY, PMJJBY, APY, are also disseminated to villagers.

b. Are the programmes/ projects undertaken through in-house team/ own foundation/ external NGO/ government structures/ any other organisation?

The financial inclusion programmes were undertaken by in-house team of the Bank with the help of outsourced agencies, particularly for provision of extension technology and personnel manning at Business Correspondent (BC) outlets.

c. Have you done any impact assessment of your initiative?

Opening of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts, extending micro insurance and pension schemes and loans under Mudra have helped the Bank and policy makers in formally inducting the deprived people into the financial mainstream. The Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara district has trained 7,165 candidates since inception out of which 5,241 candidates have reported settled. The initiatives, as stated in Point No.8 (a) above, has resulted in enhancing the inclusive growth and equitable development by canvassing new accounts, insurance and pension products and extending loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).

d. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken?

No expenses towards outdoor activities were incurred during the year.

e. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank conducted financial literacy programmes in local dialect which were enthusiastically viewed and supported by villagers. Trained candidates from the Bank's Rural Self Employment Training Institute (RSETI) at Satara who were given EDP and skill-based training are being appreciated at Ministry of Rural Development, Rural Skill division. Many trained candidates have successfully set up their own business ventures in the field of scented phenyl, dish & hand wash as well as food industry and also won awards in recognition of their efforts.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

a. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

Out of the total 72,564 customer complaints handled by the Bank in FY 2021-22, about 0.4%, i.e. 286 complaints were pending as on March 31, 2022. These complaints have been resolved since.

b. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No/ N.A./ Remarks (additional information)

Not Applicable.

c. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Nil.

d. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

The Bank conducts customer satisfaction survey on an annual basis. The findings of the survey are placed before the Customer Service Committee of the Board (CSCB). In addition to this, the Bank also collects feedback from customers on quality of service at branches, through monthly meetings of Branch Level Customer Service Committee (BLCSC), at which customers from cross sections of the society are invited. The Bank also conducts mystery shopping exercise in order to ascertain the quality of service rendered by branches. The insights/ feedback from these activities are used by the Bank to improve its processes in order to enhance customer satisfaction.